सुनन अबू दाऊद

5

3326-4290

سنن ابوداؤد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद
सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज
हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि रहमान निर्रहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

फ़रमाने बारी तआला

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ
وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें, उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7)

फ़रमाने रसूल

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ
مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख़्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में जाने से) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कौन (बदबख़्त) इंकार करेगा?

आप (ﷺ) ने फ़रमाया,
जिसने मेरी फ़रमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की यक़ीनन उसने (जन्नत में जाने से ख़ुद ही) इंकार किया।
(सहीह बुख़ारी : 7280)

سنن ابوداود

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

5

हदीस नं.3326 से 4291 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है।

इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद, जिल्द-5**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़शअ़स़ सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त, जोधपुर**
तस्हीह व नज़्रेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल वाजिद, 99506-96917**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
बाइंडिंग	:	**मो.शाहिद 0291-2551615 (यादगार मास्टर ज़हूरुद्दीन कमाल)**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**632 पेज**
प्रकाशन	:	**शव्वाल 1440 हिजरी, इस्वी सन् जून, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

ख़रीद व फ़रोख़्त के अहकाम व मसाइल	13
बाब :1 तिजारत जिसके साथ क़सम और लग़्व बातें मख़्लूत हो जायें	15
बाब :2 मआदिन (कानों) से माल निकालना	16
बाब :3 शुब्हात से बचने की ताकीद	17
बाब :4 सूद खाने खिलाने की वईद	20
बाब :5 सूद की रक़म छोड़ देने का बयान	21
बाब:6 ख़रीदो-फ़रोख़्त में क़समें खाना नाजायज़ है	23
बाब :7 झुकता तौलने (की तर्ग़ीब) और मज़दूरी लेकर माल तौलने का बयान	24
बाब :8 नबी (ﷺ) का फ़रमान है कि 'नापने का पैमाना (अहले) मदीना ही का मोतबर है'	26
बाब :9 क़र्ज़े का मामला इन्तेहाई सख़्त है	27
बाब :10 टाल मटोल करने के बारे में	30
बाब :11 अदायगी में उम्दगी के बारे में	31
बाब :12 बैअ सरफ़ का बयान	32
बाब :13 तलवार के दस्ते की चाँदी को चाँदी के रूपयों से बेचना	36
बाब :14 चाँदी के बदले सोना लेना	38
बाब:15जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना	40
बाब :16 जानवर उधार बेचने का जवाज़	40
बाब :17 एक जानवर को दो जानवरों के बदले नक़द बेचना	41
बाब :18 खजूर के ताजा फल को ख़ुश्क खजूर के बदले बेचना	41
बाब :19 बैअे मुज़ाबना ममनूअ (मना) है	43
बाब :20 बैअे अराया जायज़ है	44
बाब :21 बैअे अराया में मिक़्दार का बयान	45
बाब :22 'अराया' से क्या मुराद है?	45
बाब :23 फलों की सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले ही फ़रोख़्त कर देना	46
बाब :24 कई सालों के लिए फल बेच देना	49
बाब :25 धोखे वाली बैअ नाजायज़ है	50
बाब :26 मजबूर होकर बैअ (सौदा) करना	53
बाब :27 शराकत का बयान	54
बाब :28 वकील (एजेण्ट) का ऐसा तसर्रुफ़ जो मालिक ने न कहा हो	54
बाब :29 जब कोई शख़्स किसी के माल में उसकी इजाज़त के बग़ैर तिजारत करे	56
बाब :30 माल लगाये बग़ैर शराकत करना	57
बाब :31 मुज़ारात यानी बटाई पर ज़मीन देना	57
बाब :32 बटाई के ममनूअ होने का बयान	63
बाब :33 बग़ैर इजाज़त किसी की ज़मीन काश्त कर लेना	70
बाब:34 मुख़ाबरा (बटाई पर काश्तकारी) का बयान	70
बाब :35 मुसाक़ात का बयान	72
बाब :36 दरख़्तों पर लगे फलों की मात्रा का अन्दाज़ा लगाना	74
इजारे के अहकाम व मसाइल	77
बाब :1 तालीम देने वाले की कमाई का बयान	80
बाब :2 तबीबों की कमाई का बयान	82
बाब :3 पछने लगाने वाले की कमाई का बयान	85
बाब :4 लौण्डियों से बदकारी करा के माल हासिल करना	87
बाब :5 काहिन का 'नज़राना' (हराम है)	88
बाब:6 जानवर को जुफ़्ती कराने की उजरत लेना	89

बाब :7 सुनारों की कमाई का बयान	91
बाब:8 मालदार गुलाम जो फ़रोख़्त किया जा रहा हो	92
बाब :9 मंडी में माल लाने वालों से रास्ते ही में सौदा कर लेना	94
बाब :10 धोखा देने के लिये क़ीमत बढ़ा चढ़ा कर लगाना	95
बाब :11 शहरी को देहाती का माल बेचना मना है	96
बाब :12 अगर किसी ने दूध रोका हूआ जानवर ख़रीद लिया हो और फिर वह उसे पसन्द न आये तो	99
बाब :13 जमाख़ोरी मना है	101
बाब :14 दराहिम (दिरहमों) को तोड़ना मना है	103
बाब :15 नर्ख़ (भाव/रेट) मुक़र्रर करना	104
बाब:16 धोखा देना और मिलावट करना हराम है	105
बाब :17 बैअ में लेने-देने वालों के लिए इख़्तियार का बयान	106
बाब :18 सौदा वापस कर लेने की फ़ज़ीलत	110
बाब :19 एक सौदे में दो सौदे करना	111
बाब :20 ईना की बैअ नाजायज़ है	112
बाब :21 बैअे सलम या सलफ़ का बयान	113
बाब :22 मख़्सूस दरख़्त या बाग़ की बैअे सलम जायज़ नहीं	117
बाब :23 बैअे सलफ़ में फ़रोख़्तशुदा चीज़ को तब्दील न किया जाये	118
बाब :24 अगर खेत या बाग़ में आफ़त आ जाये तो ख़रीदार के नुक़सान की तलाफ़ी की जाये	119
बाब :25 आफ़त से क्या मुराद है?	117
बाब :26 पानी से रोकना मना है	121
बाब :27 ज़रूरत से ज़्यादा पानी फ़रोख़्त करना	124
बाब :28 बिल्ले (और बिल्ली) की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ नहीं	124
बाब :29 कुत्तों की क़ीमत लेना मना है	125
बाब :30 शराब और मुरदार की ख़रीद व फ़रोख़्त हराम है	127
बाब :31 ग़ल्ला अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले ही फ़रोख़्त करना	130
बाब :32 जो शख़्स मामला करते हूए कह दे कि 'धोखा और फ़रेब नहीं'	134
बाब :33 पेशगी दिया हूआ बैआना मार लेना जायज़ नहीं	135
बाब :34 जो चीज़ इंसान के पास न हो, उसका फ़रोख़्त करना	136
बाब :35 बैअ में एक शर्त कर लेना	137
बाब :36 गुलाम की ख़रीदो फ़रोख़्त और उसकी सलामती की ज़मानत	138
बाब:37 गुलाम ख़रीदा और उसे काम पर लगाया, बाद में उसके ऐब पर मुत्तलअ (बा'ख़बर) हूआ	139
बाब :38 जब ख़रीदार और फ़रोख़्त करने वाले में इख़्तिलाफ़ हो जाये और चीज़ मौजूद हो	141
बाब :39 शुफ़आ का बयान	142
बाब :40 अगर कोई कंगाल और दीवालिया हो जाये और क़र्ज़ ख़्वाह बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) अपना माल उसके पास पाये	144
बाब :41 जिसने किसी लाचार ज़ईफ़ मतरूक जानवर को सेहतमंद बना लिया हो, तो?	148
बाब :42 गिरवी रखने के अहकाम व मसाइल	151
बाब :43 बाप अपने बेटे की कमाई खा सकता है	153
बाब :44 जब कोई शख़्स अपना माल बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) किसी के पास पाये?	155
बाब :45 जो कोई क़ब्ज़ा में आये माल में से अपने हक़ के बक़द्र ले ले, तो?	156
बाब :46 हदिया क़बूल करने का बयान	158

बाब :47 हदिया देकर वापस ले लेना	159
बाब :48 कोई काम कर देने पर हदिया लेना	161
बाब :49 बाप का अतिया देने में अपने किसी बच्चे को तर्जीह देना?	162
बाब :50 बीवी का अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अतिया देना	165
बाब :51 उमरा यानी ज़िन्दगी भर के लिये अता कर देना	166
बाब:52 जिस शख़्स ने उमरा के हदिये में (मौहूबा लहू की) औलाद के लिये भी सराहत की हो	168
बाब :53 रुक़बा के अहकाम व मसाइल	170
बाब :54 माँगे की चीज़ पर ज़िमान (अदायगी की ज़मानत) का मसला	172
बाब :55 जो कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दे, तो उसकी मिस्ल (बराबर) तावान दे	175
बाब :56 जानवर, जो किसी क़ौम की खेती ख़राब कर जायें	176
क़ज़ा की अहमियत व फ़ज़ीलत	178
बाब :1 क़ाजी का ओहदा तलब करना	179
बाब :2 क़ाजी जो ख़ता करे	180
बाब :3 क़ज़ा का ओहदा तलब करना और फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी करना	182
बाब :4 रिश्वत हराम है	184
बाब :5 हुक्काम, क़ाज़ी और दीगर अहलकारों के लिये हदाया का मसला	185
बाब :6 फ़ैसला करने के आदाब	186
बाब:7क़ाज़ी से फ़ैसला करने में ख़ता हो जाये तो	187
बाब :8 मुक़द्दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के सामने कैसे बैठें?	190
बाब :9 क़ाज़ी का गुस्से की हालत में फ़ैसला करना	190
बाब :10 ज़िम्मी लोगों (कुफ़्फ़ार) में फ़ैसला करना	191
बाब :11 फ़ैसला करने में इज्तेहाद और राय से काम लेना	192
बाब :12 मुसालिहत कर लेने का बयान	194
बाब :13 गवाहों का बयान	195
बाब :14 जो कोई हक़ीक़त जाने बग़ैर किसी झगड़े में मददगार बने	196
बाब :15 झूठी गवाही का बयान	197
बाब :16 किन लोगों की गवाही क़बूल नहीं	198
बाब :17 शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही	199
बाब :18 दूध पिलाने की गवाही	200
बाब :19 सफ़र में वसीयत के सिलसिले में काफ़िर की गवाही	201
बाब:20क़ाज़ी को जब एक गवाह की सचाई का यक़ीन हो तो एक गवाही पर फ़ैसला करना भी जायज़ है	204
बाब:21 एक गवाह और एक क़सम पर फ़ैसला करना	205
बाब :22 जब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन उनके पास गवाह न हों	209
बाब :23 जब मुद्दई (दावेदार) के पास गवाह न हों तो मुद्दआ अलैहि क़सम खाये	212
बाब :24 क़सम कैसे उठाई जाये?	212
बाब :25 क्या जब मुद्दआ अलैहि ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो वह भी क़सम खाये	213
बाब:26(विवादित मामले में) किसी से उसके इल्म पर क़सम लेना जबकि वह उसमें मौजूद न रहा हो	214
बाब :27 ज़िम्मी काफ़िर से क़सम कैसे ली जाये?	215
बाब :28 आदमी अपने हक़ के हुसूल के लिये क़सम उठा ले	217
बाब :29 क़र्ज़ वग़ैरह में मक़रूज़ (कर्ज़दार) को क़ैद कर लेना	218

बाब :30 किसी को अपना वकील बनाना	220
बाब :31 क़ज़ा से मुताल्लिक़ अन्य अहकामो मसाइल	221
इल्म और अहले इल्म की फ़ज़ीलत	227
बाब :1 हुसूले इल्म की तर्ग़ीब का बयान	229
बाब :2 अहले किताब से रिवायत करने का बयान	231
बाब :3 इल्मी बातें ज़ब्ते तहरीर में लाने का बयान	232
बाब :4 रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधना बहुत बड़ा गुनाह है	235
बाब :5 इल्म व मारफ़त के बग़ैर किताबुल्लाह की तफ़्सीर करना	236
बाब :6 बात दोहरा कर बयान करना	237
बाब :7 जल्दी जल्दी बातें करना	237
बाब :8 फ़तवा देने में एहतियात करना	238
बाब :9 इल्म की बात छुपाना नाजायज़ है	239
बाब :10 इशाअते इल्म की फ़ज़ीलत	240
बाब :11 बनी इस्राईल से रिवायत करना	241
बाब :12 ग़ैरुल्लाह के लिये इल्म हासिल करने की मज़म्मत	242
बाब :13 वाज़ कहने का बयान	243
खाने पीने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	246
बाब :1 शराब की हुरमत का बयान	248
बाब :2 अगर कोई शराब बनाने की ग़र्ज़ से अंगूर निचोड़े	251
बाब :3 शराब को सिरका बना लेना	252
बाब :4 शराब किन चीज़ों से बनती है?	252
बाब :5 नशा का बयान	254
बाब :6 बादा क़िस्म की शराब का हुक्म	258
बाब :7 शराब के बर्तनों का बयान	260
बाब :8 दो मुख़्तलिफ़ (अलग–अलग) चीज़ों को मिलाकर नबीज़ बनाना	268
बाब :9 नीम पुख़्ता खजूर से नबीज़ बनाना	271
बाब :10 नबीज़ का बयान	272
बाब :11 शहद पीने का बयान	274
बाब :12 नबीज़ में जब तेज़ी (नशा) आ जाये	277
बाब :13 खड़े होकर पीना	277
बाब :14 मश्कीज़े के मुँह से मुँह लगाकर पीना	279
बाब :15 मश्क का मुँह उलट कर उससे पीना	280
बाब :16 शहद पीने का बयान	280
बाब :17 सोने चाँदी के बर्तन में (खाना) पीना	281
बाब :18 ज़मीन के किसी हिस्से में जमा शुदा साफ़ पानी मुँह लगाकर पीना	282
बाब :19 (लोगों को) पिलाने वाला कब पीयें?	283
बाब:20 पानी में फूँक मारना और बर्तन में साँस लेना	284
बाब :21 दूध पीने की दुआ	286
बाब :22 बर्तनों को ढाँप कर रखने का बयान.	288
खाने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	291
बाब :1 दावत क़बूल करने का बयान	291
बाब :2 निकाह के मौक़े पर वलीमा करना मुस्तहब है	293
बाब :3 वलीमे की दावत कितने दिनों तक मुस्तहब है	294
बाब :4 सफ़र से वापस पहुँचने पर खाना खिलाना	296
बाब :5 ज़ियाफ़त (मेहमानी) का बयान	296
बाब :6 दूसरे का माल बतौर ज़ियाफ़त खाने की हुरमत मन्सूख़ हो चुकी है	299
बाब :7 (बतौर फ़ख़्र व रिया) मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने वाले का खाना	300
बाब :8 ऐसी दावत में जाना जिसमें कोई ग़ैर शरई बात हो	301
बाब :9 जब दो दाई इकट्ठे हो जायें तो कौन ज़्यादा हक़दार है?	302

बाब:10 जब नमाज़ तैयार हो और रात का खाना भी	303
बाब :11 खाने के वक़्त हाथ धोने का बयान	305
बाब :12 ... खाने से पहले हाथ धोने का बयान	305
बाब :13 अचानक खाने के मौक़े पर (बग़ैर हाथ धोये) खाना	306
बाब :14 खाने में ऐब जोई मकरूह है	307
बाब :15 इकट्ठे मिलकर खाना खाने का बयान	307
बाब :16 खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना	308
बाब :17 सहारा लेकर (टेक लगाकर) खाना	311
बाब :18 प्याले के ऊपर के हिस्से से खाना	313
बाब :19 जिस दस्तरख़्वान पर मकरूहात का इस्तेमाल हो उस पर नहीं बैठना चाहिए	314
बाब :20 दायें हाथ से खाने का हुक्म	315
बाब :21 गोश्त खाने का बयान	316
बाब :22 कद्दू खाने का बयान	317
बाब :23 सरीद खाने का बयान	318
बाब :24 किसी खाने से बिलावजह बेज़ारी मकरूह है	319
बाब :25 नजासत (गन्दगी) ख़ोर जानवर के गोश्त खाने और उसके दूध पीने की मुमानिअत का बयान	320
बाब :26 घोड़े का गोश्त खाने का मसला	322
बाब :27 ख़रगोश खाने का बयान	324
बाब :28 सांडा खाने का बयान	325
बाब :29 हुबारा का गोश्त खाना	328
बाब:30 ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवरों का खाना	328
बाब :31 जिन चीज़ों के हराम होने की सराहत नहीं (उनका हुक्म)	330
बाब :32 लगड़बगड़ा (Hyena) खाना कैसा है?	331
बाब :33 दरिन्दों का गोश्त खाना हराम है	332
बाब :34 पालतू गधों का गोश्त खाना?	335
बाब :35 टिड्डी खाने का बयान	337
बाब :36 जो मछली मर कर ऊपर तैर आये उसका खाना (कैसा है?)	338
बाब :37 मजबूर के लिये मुरदार खाना (मुबाह है)	339
बाब :38 एक वक़्त में दो क़िस्म के खाने जमा करना	341
बाब :39 पनीर का बयान	342
बाब :40 सिरका का बयान	343
बाब :41 लहसुन खाने का बयान	343
बाब :42 खजूर का बयान	347
बाब :43 कीड़ा लगी खजूर को खाते वक़्त साफ़ करने का बयान	348
बाब :44 दो दो खजूरें इकट्ठी खाना	349
बाब :45 खाने में दो क़िस्म की चीज़ें इकट्ठी खाना	350
बाब :46 अहले किताब (यहूद व नसारा) के बर्तनों में खाना?	351
बाब :47 समन्दरी जानवरों का हुक्म	352
बाब :48 घी में अगर चूहा गिर जाये तो?	354
बाब :49 मक्खी अगर खाने में गिर जाये तो?	356
बाब :50 खाने का लुक़्मा नीचे गिर जाये तो?	357
बाब :51 ख़ादिम अपने मालिक के साथ मिलकर खाना खा सकता है	358
बाब :52 खाने के बाद रूमाल से हाथ साफ़ करना	359
बाब :53 खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़े?	360
बाब :54 खाने के बाद हाथ धो लेने का बयान	361
बाब :55 साहिबे दावत के लिये दुआ करना	362
इलाज की मशरूईयत	364
बाब :1 इलाज कराने की तर्ग़ीब	365
बाब :2 परहेज़ इख़्तियार करने का बयान	366
बाब :3 सींगी लगवाने का बयान	367
बाब :4 किस जगह सींगी लगवाई जाये	368

बाब:5 किन तारीख़ों में सींगी लगवाना मुस्तहब है?	369
बाब :6 फ़सद खुलवाने (रग से ख़ून निकलवाना) और सींगी लगवाने की जगह का बयान	370
बाब :7 दाग़ने का बयान	371
बाब :8 नाक में दवा डालने का बयान	372
बाब :9 मंतरों का बयान	372
बाब :10 तिर्याक़ का बयान	373
बाब :11 मकरूह दवाईयों का इस्तेमाल	374
बाब :12 अज्वा खजूर का बयान	377
बाब :13 हल्क़ की तकलीफ़ का इलाज उंगली से गले उठा कर करना	378
बाब :14 सुरमे का बयान	379
बाब :15 नज़र लग जाने का बयान	379
बाब :16 दूध पिलाती औरत से मुबाशरत का मसला	381
बाब :17 तावीज़ गंडे लटकाना	382
बाब :18 दम झाड़ का बयान	385
बाब :19 दम कैसे किया जाये?	388
बाब :20 किसी नहीफ़ को मोटा करने की तदबीर	397
कहानत और बदफ़ाली से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	398
बाब :21 ग़ैब की बातें बताने वाले (काहिन) के पास जाना	398
बाब :22 इल्मे नुजूम का बयान	399
बाब :23 रमल यानी लकीरें खींच कर कोई नतीजा निकालना और परिन्दों को उड़ा कर फ़ाल लेना	400
बाब :24 बद शगूनी का बयान	401
गुलाम आज़ाद करने की अहमियत और फ़ज़ीलत	410
बाब :1 ऐसा मुकातब जो अपनी किताबत का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो और बाक़ी से आजिज़ आ जाये या वफ़ात पा जाये	413
बाब :2 मुकातब की फ़रोख़्त का मसला जब कि मुआहिद-ए-किताबत फ़स्ख़ कर दिया गया हो	414
बाब :3 किसी को मशरूत तौर पर सशर्त आज़ाद करना	419
बाब :4 जिसने (मुश्रिक) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो	419
बाब :5 उन हज़रात का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत मशक़्क़त कराने का ज़िक्र करते हैं	421
बाब :6 उन हज़रात का बयान जो इस हदीस में गुलाम से मेहनत न कराने का ज़िक्र करते हैं	423
बाब :7 जो कोई अपने किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये	426
बाब :8 उम्मे वलद को आज़ाद करना	428
बाब :9 मुदब्बर गुलाम की फ़रोख़्त का मसला	429
बाब :10 जिसने अपने गुलाम मौत के वक़्त आज़ाद कर दिये हों जबकि उनकी मजमूई क़ीमत उसके तिहाई माल से ज़्यादा हो	431
बाब :11 जिसने अपने मालदार गुलाम को आज़ाद किया हो (तो माल किस का होगा)?	433
बाब :12 ज़िनाज़ादे को आज़ाद करना?	433
बाब :13 गुलाम आज़ाद करने का सवाब	434
बाब :14 कौन सी गर्दन (लौण्डी, गुलाम आज़ाद करना) ज़्यादा अफ़ज़ल है?	435
बाब :15 सेहत व आफ़ियत के दिनों में गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत	438
कुर्आन करीम की बाबत लहजों और क़िराअतों का बयान	439
हम्मामात (इज्तेमाई गुस्ल ख़ानों) से मुताल्लिक़ मसाइल	458
बाब :1 हम्माम में जाने का बयान	458
बाब :2 नंगा और बरहना होना हराम है	460
बाब :3 नंगा होने का मसला	462

लिबास की अहमियत और अहकामो-मसाइल	464
लिबास से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल	466
बाब :1 नया लिबास पहने तो कौन सी दुआ पढ़े	466
बाब :2 नया लिबास पहनने वाले को दुआ देना	469
बाब :3 क़मीस पहनने का बयान	470
बाब :4 क़बा (पहनने) का बयान	471
बाब :5 शोहरत वाला लिबास पहनना	472
बाब :6 ऊन और बालों का लिबास पहनना	473
बाब :... क़ीमती लिबास पहनना	473
बाब :7 ... मोटा लिबास पहनना	475
बाब :8 ख़ज़ का लिबास पहनना	476
बाब :9 रेशम पहनने का मसला	478
बाब :10 रेशम पहनने की कराहत	481
बाब :11 कपड़े पर कोई नक़्श हों या रेशम की कढ़ाई हूई हो, तो रूख़्सत है	486
बाब :12 किसी उज़्र की वजह से रेशम पहनना	487
बाब :13 औरतों के लिये रेशम पहनना जायज़ है	488
बाब :14 नक़्शदार कपड़े पहनना	489
बाब :15 सफ़ेद कपड़ों की फ़ज़ीलत	490
बाब :16 पुराने (मैले कुचैले और घटीया) कपड़े पहनने (की कराहत) और कपड़े धोने का बयान	490
बाब :17 ज़र्द रंग के कपड़े पहनना	492
बाब :18 ज़र्द रंग के कपड़े पहनना	493
बाब :19 सुर्ख़ (लाल) रंग का बयान	493
बाब :20 सुर्ख़ (लाल) रंग की रूख़्सत का बयान	496
बाब :21 स्याह (काले) रंग के लिबास का बयान	497
बाब :22 कपड़े की किनारी का मसला	498
बाब :23 पगड़ी बाँधने का बयान	498
बाब:24 कपड़े में पूरे तौर पर लिपट जाना जायज़ नहीं	500
बाब :25 क़मीस के बटन खूले रखना	501
बाब :26 सर और कुछ चेहरा ढाँपने का बयान	502
बाब :27 तहबन्द, सलवार और पैंट वग़ैरह का टख़ने से नीचे लटकाना (नाजायज़ है)	503
बाब :28 तकब्बुर और बड़ाई की बुराई का बयान	510
बाब :29 मर्द की चादर सलवार कहां तक होनी चाहिए?	512
बाब :30 औरतों के लिबास का बयान	514
बाब :31 फ़रमाने इलाही (युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना) की तफ़्सीर	515
बाब :32 आयते करीमा (वल यज़्रिब्ना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना) की तफ़्सीर	517
बाब :33 औरत अपनी ज़ीनत से क्या कुछ खुला रख सकती है?	518
बाब :34 गुलाम के लिये जायज़ है कि वह अपनी मालिका के बालों को देख सकता है	519
बाब :35 फ़रमाने इलाही (ग़ैरि उलिल इर्बति) की तफ़्सीर	520
बाब :36 अल्लाह के फ़रमान:(व कुल लिल्मुअ्मि-नाति यग़ुज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना) की तफ़्सीर	522
बाब :37 ओढ़नी कैसे ले?	525
बाब :38 औरतों के लिये बारीक लिबास का बयान	525
बाब :39 औरत अपनी चादर का पल्लू किस क़द्र लम्बा रखे?	526
बाब :40 मुर्दा जानवरों की खाल का बयान	528
बाब :41 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि मुर्दार के चमड़े से फ़ायदा हासिल न किया जाये	531
बाब :42 चीतों और दरिन्दों के चमड़ों का बयान	532
बाब :43 जूते पहनने का बयान	535

बाब :44 बिस्तरों का बयान	538
बाब :45 पर्दे लटकाने का बयान	541
बाब :46 कपड़े पर सलीब का निशान हो तो	542
बाब :47 तस्वीर से मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	543
बालों और कंघी चोटी के अहकाम व मसाइल	549
बाब :1 बहुत ज़्यादा कंघी चोटी (और ज़ैब व ज़ीनत) की मुमानिअत का बयान	549
बाब :2 ख़ूशबू इस्तेमाल करना मुस्तहब है	551
बाब :3 बालों को बना संवार कर रखने का बयान	552
बाब :4 औरतों के लिये मेहन्दी का बयान	552
बाब :5 बालों को मज़ीद (कुछ और) बाल लगा कर लम्बा करना	554
बाब :6 ख़ूशबू वापस करना दुरूस्त नहीं	558
बाब :7 औरत बाहर जाते हुए ख़ूशबू न लगाये	558
बाब :8 मर्दों के लिये ज़ाफ़रान का इस्तेमाल	560
बाब :9 बालों का बयान	564
बाब :10 माँग निकालने का बयान	565
बाब :11 बालों को बहुत ज़्यादा लम्बा कर लेना	566
बाब :12 मर्द अपने लम्बे बालों को गूंध ले तो जायज़ है	567
बाब :13 सर मुंड्वा देना जायज़ है	567
बाब :14 बच्चों की ज़ुल्फ़ों का बयान	568
बाब :15 ज़ुल्फ़ें बढ़ा लेने की रूख़्सत	569
बाब :16 मूँछे कतरवाने का बयान	570
बाब :17 सफ़ेद बाल नोचने का मसला	572
बाब :18 ख़िज़ाब लगाने का बयान	573
बाब :19 ज़र्द रंग से बाल रंगना	576
बाब :20 काले ख़िज़ाब का हुक्म	577
बाब :21 हाथी दाँत से फ़ायदा उठाना	577
अंगूठियों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	579
बाब :1 अंगूठी बनवाना जायज़ है	579
बाब :2 अंगूठी न पहनने का बयान	582
बाब :3 सोने की अंगूठी का बयान	583
बाब :4 लोहे की अंगूठी का बयान	584
बाब :5 अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाये या बायें में?	586
बाब :6 घूंघरू वाले पाज़ैब पहनना	588
बाब :7 दाँतों को सोने से बंधवाना जायज़ है	589
बाब :8 औरतों को सोना पहनना कैसा है?	590
फ़ितनों और जंगों का बयान	594
बाब :1 फ़ितनों का बयान और उनके दलाइल	595
बाब :2 फ़ितने में सरगर्म होना हराम है	609
बाब :3 (फ़ितनों में) ज़बान को ज़ब्त में रखने का बयान	615
बाब :4 फ़ितनों के दिनों में जंगल में निकल जाने की रूख़्सत	617
बाब :5 फ़ितने में लड़ाई ममनूअ (मना) है	618
बाब :6 किसी मोमिन को क़त्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है	619
बाब :7 (फ़ितने में) क़त्ल हो जाने पर मग़फ़िरत की उम्मीद है	624
महदी का बयान	625

كتاب البيوع

ख़रीद व फ़रोख़्त के अहकाम व मसाइल

- तिजारत, नफ़ा की उम्मीद पर ज़रूरत की चीजें ख़रीदने और जहां ज़रूरत हो वहां ले जाकर बेचने का नाम है। ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने का अहम ज़रिया है। इल्मे मईशत (इकोनामिक) के मुताबिक़ तिजारत दौलत की गर्दिश और रोज़गारी की फ़राहमी में अहम तरीन किरदार अदा करती है। इस्लाम ने सदक़ा व अमानत की शर्त के साथ इसे ऊंचे दर्जे का अ़मले सालेह क़रार दिया है।
- हिर्स और लालच के मारे हूए लोगों ने दुनिया के हर अच्छे अ़मल की तरह तिजारत जैसे मुफ़ीद अ़मल को भी लूटमार, दूसरों का हक़ ग़सब करने, नाजायज़ मफ़ाद हासिल करने और धोखे से दौलत समेटने का ज़रिया बनाया हूआ है। जदीद (आधुनिक) सोसायटी ने तो बाज़ इस्तेहसाली तरीक़ों (जैसे सूद) को अपनी मईशत का बुनियादी उसूल बना लिया है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तिजारत के नाम पर लूटमार के खुले रास्तों के साथ साथ उन तमाम मख़्फ़ी इस्तेहसाली रास्तों का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जो तिजारत को अ़दल से हटा कर ज़ुल्म व उदवान पर इस्तवार करते हैं।
- तारीख़ में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) पहली और आख़री हस्ती हैं जिन्होंने ज़िन्दगी के बाक़ी शौबों की तरह अ़मले तिजारत को इस्तेहसाल और लूट मार से मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ कर दिया। आप (ﷺ) ने इन्तेहाई बारीक बीनी से प्रचलित निज़ामे तिजारत का जायज़ा लेकर इल्मे इलाही की रोशनी में इसकी क़तई हुदूद का तअय्युन फ़रमा दिया। इन हुदूद के अंदर रहते हूए अ़मले तिजारत हर तरह केज़ुल्म व जोर से पाक रहता है और इसकी मन्फ़अ़त का दायरा बेहद वसीअ़ हो जाता है।
- तिजारत के अ़मल में ख़रीदार, फ़रोख़्त करने वाला, माले तिजारत और मुआहिदा–ए–तिजारत बुनियादी अज्ज़ा (पार्टस) हैं। मुआहिदा–ए–तिजारत के हवाले से क़ुर्आन मजीद ने 'तराज़ी' को बुनियादी उसूल क़रार दिया है। तराज़ी, बैअ़ के हर पहलू पर मुत्तलअ़ होकर दोनों फ़रीक़ों के अपने अपने आज़ाद फ़ैसले से रज़ामंद होने का नाम है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीमात के ज़रिये से तिजारत के नीचे दिये गये बुनियादी उसूल सामने आते हैं:
  - ☆ मुआहिदा–ए–बैअ़ के दोनों फ़रीक़ (ख़रीदार, फ़रोख़्त करने वाला) फ़ैसले में आज़ाद, हर पहलू पर मुत्तलअ़ और मुआहिदा–ए–बैअ़ (डिलींग) के हक़ीक़ी नतीज़ों से आगाह होने चाहिए अगर ऐसा नहीं तो तिजारत का अ़मल दुरूस्त न होगा।
  - ☆ मुआहिदा–ए–बैअ़ में ऐसी शर्तों की कोई गुंजाइश नहीं जो मुआहिदा को ख़्वाहमख़्वाह पैचीदा

बनाती हैं या किसी फ़रीक़ को ना रवा पाबंदियों में जकड़ती हैं या किसी एक फ़रीक़ के जायज़ मफ़ादात की कीमत पर दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती हैं। ऐसी शर्तों से मुआहिदा–ए बैअ फ़ासिद हो जायेगा।

☆ अगर एक फ़रीक़ ने दूसरे को बेख़बर रखा, धोखा दिया या किसी तौर पर उसे मजबूर किया तो बैअ (डील) जायज़ न होगी।

☆ अगर माले तिजारत की मात्रा या उसकी अफ़ादियत के तअय्युन में शुब्हा हो, उसकी बुनियादी सिफ़ात के बारे में कुछ पहलू मुबहम (कंफर्म न) हों, उसका हुसूल और उससे फ़ायदा उठाने का मामला मख़्दूश हो या उसमें कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो चुकी हो जो पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हूई तो ऐसी बैअ जायज़ नहीं होगी।

☆ माले तिजारत हलाल, किसी न किसी तरह फ़ायदामंद और हर क़िस्म के ख़ुफ़िया ऐब से पाक होना चाहिए। अगर सिरे से माले तिजारत हराम या ग़ैर मुफ़ीद हो या उसके ऐब को छुपाया गया हो तो उसकी तिजारत जायज़ क़रार नहीं दी जायेगी।

☆ तिजारत एक मुस्बत (पॉजेटिव) अमल है इससे तमाम फ़रीक़ों का मफ़ाद महफ़ूज़ होना चाहिए, अगर मुआहिदा–ए–बैअ महसूस या ग़ैर महसूस तरीक़े पर किसी एक फ़रीक़ के इस्तेहसाल पर मुंतज हो सकता हो या ज़ाहिरन बाहमी रज़ामंदी के बावजूद महसूस या ग़ैर महसूस तरीक़े से ज़ुल्म का सबब हो तो बैअ दुरूस्त नहीं होगी।

☆ अगर ख़रीद व फ़रोख़्त का अमल मुकम्मल होने के बाद किसी फ़रीक़ को अपनी आमादगी यक़ीनी महसूस नहीं हूई और वह बैअ से पीछे हटना चाहता हो तो इंसाफ़ और तराज़ी का तक़ाज़ा ये है कि उसे हटने का मौक़ा दिया जाये।

☆ अगर बाहमी ख़रीद व फ़रोख़्त में सूदी मामलात दाख़िल हो जायें तो फिर भी तिजारत जायज़ न होगी।

➪ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअ के हवाले से जो हुदूद मुतअय्यन फ़रमायी हैं उनके ज़रिये से ख़रीद व फ़रोख़्त का पूरा अन्ज़ाम हर क़िस्म के ज़ुल्म व जोर से पाक और मुकम्मल तौर पर इंसानी फ़ायदे का ज़ामिन बन जाता है। उनके नतीजे में बाज़ार या मंडी का माहौल हद दर्जा साज़गार हो जाता है और मईशत में बे इंतेहा वुसअत (स्पेस) पैदा हो जाती है। तारीख़ी तौर पर ये एक साबित शुदा अम्र है कि जिस सोसायटी में भी तिजारत के बुनियादी इस्लामी उसूलों पर अमल होता है, वहां मईशत बहुत मज़बूत हो जाती है।

➪ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अपनी सुनन में जो अहादीस जमा की हैं उनके ज़रिये से इस्लाम के निज़ामे ख़रीद व फ़रोख़्त के नुमायाँ पहलू वाज़ेह हो जाते हैं।

बाब : 1
तिजारत जिसके साथ क़सम और लग़्व बातें मख़्लूत हो जायें

﴿1﴾ باب فِي التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ " .

(3326) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में हम ताजिरों को (समासिरा) (दलाल) कहा जाता था, तो नबी (ﷺ) हमारे पास से गुज़रे और हमें इससे बेहतर नाम दिया और फ़रमाया: 'ऐ ताजिरों की जमाअत! ख़रीद व फ़रोख़्त और लेन देन में बहुत सी बेजा बातें होती हैं और क़समें भी खायी जाती हैं, तो इसमें सदक़ा मिला लिया करो।'

(3326) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2145, नसाई, हदीस: 3828, 3829, तिर्मिज़ी, हदीस: 1208, इब्ने जारूद, हदीस: 557, हाकिम: 2/5.

फ़ायदा : यानी माल सदक़ा करते रहना कुछ मिस्टेक्स का कफ़्फ़ारा होता है। जैसे अल्लाह का फ़रमान है: 'नेकियाँ गुनाहों को मिटा देती हैं।' (हूद: 114) ख़रीद व फ़रोख़्त के दौरान में दोनों फ़रीक़ों (डीलर्स) को अपनी अपनी जगह आज़ादी से जाँच पड़ताल और ग़ौर व ख़ौज़ करके फ़ैसला करने का हक़ हासिल है। लेकिन उमूमन दूकानदार, जो कारोबारी मामलात में ज़्यादा तजुर्बाकार होते हैं झूठ, मुलम्मासाज़ी (दिखावा) और चिकनी चुपड़ी बातों के ज़रिये से ख़रीदार के आज़ाद फ़ैसले पर असर अंदाज़ हो जाते हैं। क़सम भी ख़्वाह सच्ची हो या झूठी दूसरे फ़रीक़ के फ़ैसले में झुकाव पैदा करती है। चीज़ को बेचने के लिए ये हरबे कभी इतने संगीन होते हैं कि शरीयत की रू से हराम क़रार पाते हैं और कभी ये हरबे हल्के फुल्के और कम ज़रर रसाँ (नुक़सानदेह) होते हैं। ये भी अल्लाह तआला की नाराज़ी का सबब बनते हैं, इसलिए ताजिरों को सदक़े का हुक्म दिया गया है ताकि अल्लाह तआला की नाराज़ी दूर हो सके। आगे बाब 6 हदीस: 3335 में इसी बात को नबी (ﷺ) ने इस तरह बयान फ़रमाया है: 'क़सम सौदा ज़्यादा फ़रोख़्त करने का ज़रिया है मगर इससे बरकत ख़त्म हो जाती है (क़सम बरकत को मिटा देती है।')

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبُسْطَامِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ " يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلِفُ " . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ " اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ " .

(3327) हज़रत क़ैस बिन अबी ग़रज़ा (رضي الله عنه) ने ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और कहा: 'लेन देन और तिजारती मामलात तय करते हूए झूठ और क़सम शामिल हो जाती है।' अब्दुल्लाह अज़्ज़ोहरी ने 'लग़्व और झूठ' के अल्फ़ाज़ रिवायत किये हैं।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** नसाई, हदीस़: 3829.

﴾2﴿ باب فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

बाब : 2 मआदिन (कानों) से माल निकालना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ " . قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ . قَالَ " لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهَا وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ " . فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3328) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स अपने मक़रूज़ के साथ चिमट गया जिसने उसके दस दीनार देने थे। उसने कहा: अल्लाह की क़सम! जब तक तू मुझे दे नहीं देता मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोडूंगा, सिवाए इसके कि तू कोई ज़ामिन या कफ़ील ले आये। तो नबी (ﷺ) ने वह अपने ज़िम्मे ले लिये। फिर वह आदमी हस्बे वादा माल लेकर आया तो नबी (ﷺ) ने उससे दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुम्हें ये सोना कहां से मिल गया है?' उसने कहा: एक कान से। आपने फ़रमाया: 'हमें इसकी ज़रूरत नहीं (और) इसमें ख़ैर नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी तरफ़ से क़र्ज़ अदा फ़रमा दिया।

तख़रीज : **(सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस़: 2406.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मआदिन (कानों) से इस्लामी हुकूमत की इजाज़त से शरई शर्तों के मुताबिक़ माल निकालना जायज़ है। (2) उस शख़्स को जो सोना कान से मिला था उसका तरीक़–ए हुसूल ग़ैर वाज़ेह था इसलिए यक़ीनी तौर पर फ़ैसला नहीं किया जा सकता था कि वह उसका जायज़ मालिक है या नहीं, इसलिए आपने उसको क़बूल नहीं फ़रमाया। (3) मक़रूज़ जब क़र्ज़ अदा न कर रहा हो तो चिमट कर मुतालबा करना मुबाह है। (4) मुसलमान मक़रूज़ की मदद करना उसका कफ़ील या ज़ामिन बन जाना बहुत बड़ा एहसान और नेकी का काम है।

बाब : 3
शुब्हात से बचने की ताकीद

﴿3﴾
بَابٌ فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ

(3329) जनाब शअबी (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से सुना और उनके बाद किसी और से सुनने की मुझे कोई हाजत नहीं (क्योंकि वह एक सच्चे सहाबी थे) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है और इनके बीच कई मामलात शुब्हा वाले हैं। मैं तुम्हें इसकी बाबत मिसाल बयान करता हूं। अल्लाह तआला की एक चरागाह है (महफ़ूज़ मख़सूस इलाक़ा जिसे रख या महफ़ूज़ कहा जाता है) और अल्लाह की रख और उसका महफ़ूज़ वही है जो उसने हराम किया है, जो शख़्स इस महफ़ूज़ इलाक़े के क़रीब अपने जानवर चरायेगा क़रीब है कि वह उसमें जा पड़े। और जो शक वाली बातों में पड़ता है क़रीब है कि वह उनमें (बेधड़क) जुर्अत करने लगे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2051, व मुस्लिम: 1599

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، - وَلاَ أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ " . وَأَحْيَانًا يَقُولُ " مُشْتَبِهَةٌ " . " وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكْ أَنْ يَجْسُرَ "

(3330) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप ये हदीस़ बयान फ़रमाते थे। आपने फ़रमाया: 'और उन (हलाल व हराम) के दरम्यान कुछ शुब्हा वाली चीज़ें हैं जिन्हें अक्स़र लोग नहीं जानते, तो जो शुब्हात से बच गया उसने अपनी इज़्ज़त और अपने दीन को महफ़ूज़ कर लिया और जो शुब्हा वाली चीज़ों में जा पड़ा वह हराम में दाख़िल हूआ।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 52, व मुस्लिम: 1599.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो चीज़ें कुछ वजह से नाजायज़ हों और कुछ दूसरे वजह से उनके हलाल होने का भी इम्कान हो और मामला स़ाफ़ और वाज़ेह न हो तो उससे बचना चाहिए कि कहीं हराम का इरतेकाब न हो जाये। **(2)** अगर कोई शख़्स़ मश्कूक (डाउटफुल) चीज़ से परहेज़ न करे तो इस जुर्अत का नतीजा ये निकलता है कि वह किसी न किसी दिन स़रीह हराम में जा गिरता है। **(3)** मुहम्मद बिन स़ालेह अलहाशमी, इमाम अबू दाऊद (रह.) से नक़ल करते हैं कि मैं तरसूस में बीस साल मुक़ीम रहा और मुसनद लिखी, मैंने चार हज़ार अहादीस़ लिखीं और फिर ग़ौर किया तो देखा कि उनका मदार स़िर्फ़ चार अहादीस़ पर है। पहली उनमें से यही हदीस़ है: 'अल्हलालु बय्यिनुन वल्हरामु बय्यिनुन' (स़ही बुख़ारी, हदीस:52, व मुस्लिम), दूसरी : 'इन्नमल आमालु बिन्नियाति' (स़ही बुख़ारी: हदीस़: 1), तीसरी: 'इन्नल्लाहा तय्यिबुन ला यक्बलु इल्ला तय्यिबन' (स़ही मुस्लिम, अज़्ज़कात: हदीस़: 1015) और चौथी ये है: 'मिन हुस्ने इस्लामिल मरइ तर्कुहू मा ला यअनीहि' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 2317).

(3331) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन एक वक़्त आने वाला है कि लोगों में से कोई भी न बचेगा जो सूद न खाता हो, पस अगर किसी ने न भी खाया तब भी उसकी भाप तो उसे पहुँचेगी।' इब्ने ईसा ने ये अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हैं: 'उसका कुछ ग़ुबार उसे पहुँचेगा।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - وَهَذَا

لَفْظُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى " أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

(3331) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 446, इब्ने माजा, हदीस: 2278.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और सही हदीस में है कि 'क़यामत तक एक गिरोह ऐसा ज़रूर बाक़ी रहेगा जो हक़ पर ग़ालिब और कारबंद रहेगा।' ऊपर दी गई रिवायत में उमूमी अहवाले मईशत की तरफ़ इशारा है जिसका अब अमली मुशाहिदा हो रहा है कि पूरी मईशत को सूद के शिकंजे में जकड़ दिया गया है और इससे बचना इन्तेहाई अज़ीमत का काम है। और पूरी तरह बचने वालों की तादाद बहुत कम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ " أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ " . فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِيَ امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ ثُمَّ قَالَ " أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا " .

(3332) जनाब आसिम बिन कुलैब अपने वालिद से वह एक अंसारी जवान से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक जनाज़े में गये। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़ब्र पर देखा, आप क़ब्र खोदने वाले को हिदायात दे रहे थे: 'पायंती की तरफ़ से खुली करो, सर की तरफ़ से खुली करो।' जब आप वापस हूए तो आपको एक औरत की तरफ़ से दावत देने वाला मिला। तो आप (ﷺ) उसके यहां तशरीफ़ ले आये, खाना पेश किया गया तो आपने अपना हाथ बढ़ाया फिर लोगों ने भी अपने हाथ बढ़ाये और खाने लगे। हमारे बड़ों ने देखा कि आप एक ही लुक़्मा अपने मुँह में घुमाये जा रहे हैं। (मगर निगलते नहीं) आपने फ़रमाया: 'मैं महसूस करता हूं कि ये गोश्त ऐसी बकरी का है जिसे उसके मालिक की इजाज़त के बग़ैर लिया गया है।' फिर (उस औरत को बुलवाया गया तो) उसने

فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطْعِمِيهِ الأَسَارَى "

पैग़ाम भिजवाया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने बक़ीअ की तरफ़ आदमी भेजा कि मेरे लिए बकरी ख़रीद लाये मगर नहीं मिली। फिर मैंने अपने हमसाये की तरफ़ भेजा जिसने एक बकरी ख़रीदी थी, मैंने कहलवाया कि इसी क़ीमत पर बकरी मुझे दे दे मगर वह भी नहीं मिला। तब मैंने उस आदमी की बीवी को कहला भेजा तो उसने मुझे ये भेज दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये खाना क़ैदियों को खिला दे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 5/293, 294.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी के तसर्रूफ़ ने इस बैअ़ को मुश्तबा बना दिया था। **(2)** जिस माल में किसी हद तक इश्तेबाह (शक) हो उसे ख़ूद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलबत्ता उसे क़ैदियों और फ़क़ीरों पर सदक़ा किया जा सकता है वरना वह मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जायेगा।

﴾4﴿ بَابٌ فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ

बाब : 4
सूद खाने खिलाने की वईद

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ ‏.‏

(3333) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने, खिलाने, उसके गवाह और लिखने वाले (सब) पर लानत फ़रमायी है।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 1206, इब्ने माजा, हदीस: 2277, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1112.

फ़ायदा : सूद लेना देना और (ना हक़) का किसी तरह से तआवुन करना हराम है। बिलख़ुसूस सूदी मामला लानत का काम है।

बाब : 5
सूद की रक़म छोड़ देने का बयान

«5» باب فِي وَضْعِ الرِّبَا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ " أَلاَ إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ . أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " . كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ . قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ " . قَالُوا نَعَمْ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ " اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(3334) जनाब सुलैमान बिन अम्र अपने वालिद (अम्र बिन अहवस़ जुशमी) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि मैंने हज्ज़तुल विदा में रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम सूद बातिल किये जाते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा अस़ल माल है, ज़ुल्म करो न ज़ुल्म किये जाओ, ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम ख़ून बातिल किये जाते हैं और सबसे पहला ख़ून जो मैं ख़त्म कर रहा हूं हारिस़ बिन अब्दुल मुत्तलिब का ख़ून है, जो बनू लैस़ में दूध पीता बच्चा था और बनू हुज़ैल ने उसे क़त्ल कर दिया था।' रावी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैंने पहुँचा दिया।' सब हाज़िरीन ने कहा: हाँ। आपने तीन बार कहलवाया। फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! गवाह रहना।' तीन बार कहा।

(3334) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3055, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3087.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूद लेना बिलाशुब्हा हराम है अलबत्ता ये सूद का सरमाया जो बैंकों के पास होता है सूदी निज़ाम के ज़रिये से मजमूई क़ौमी दौलत से हथियाया हूआ होता है इसलिए अगर बैंक में कोई सूद बनता हो तो उसे लेकर आम शहरी ज़रूरियात में ख़र्च कर दिया जाये जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क और पुल वग़ैरह की तामीर या किसी ऐसे शख़्स को दे दिया जाये जो किसी दूसरे ऐसे मर्ज़ के फंदे में फंस गया हो। चूंकि ये मम्लकत की रक़म होती है इसलिए इसे मम्लकत के आम

शहरियों के लिए छोड़ देना ख़िलाफ़े मस्लिहत है। वल्लाहु आलम! (2) अहले क़यादत (लीडर) के लिए इसमें अज़ीम दर्स है कि क़यादत और दावत के मामले में अपना और अपने रिश्तेदारों का दामन बिलख़ुसूस साफ़ रखा जाये वरना आम लोगों की तरफ़ से तन्क़ीद का निशाना बनना पड़ता है और दावत भी मक़्बूल नहीं होती।

- इमाम अबू दाऊद (रह.) ने यहां रिबा के हवाले से दो अहादीस़ ज़िक्र की हैं पहली में सूद के लेन देन में हिस्सा लेने वाले तमाम फ़रीक़ों पर लानत की गयी है और दूसरी में ये है कि अगर कोई सूदी लेन देन मौजूद है तो सिर्फ़ अस़ल माल की वसूली होगी।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ से क़तई तौर पर स़ाबित होता है कि जो कुछ अस़ल ज़र से ज़ायद है वह सूद है। और इसका लेना और देना दोनों हराम हैं। क़ुर्आन मजीद में भी इसी तरह के अल्फ़ाज़ हैं: 'फलकुम रूऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून' (अलबक़र: 279) इसलिए ये कहना कि बैंक का सूद जो यक़ीनन अस़ल ज़र से ज़ायद होता है, रिबा नहीं बिलकुल ग़लत है। क़ुर्आन मजीद की आयत और इस हदीस़ ने सूद की वाज़ेह तारीफ़ कर दी है यानी वह जो अस़ल ज़र से ज़्यादा माँगा जाये वह सूद है और उसका लेना देना दोनों हराम हैं।

- कुछ लोग कहते हैं कि बैंक उसी पैसे से नफ़ा कमाता है इसलिए बैंक से ज़्यादा लेना क्योंकर हराम हूआ? हक़ीक़त ये है कि इस्लाम उस मुनाफ़े की तक़्सीम का क़ाइल है जो वाक़ेतन तिजारत से हासिल हो। इसकी सूरत ये है कि मुनाफ़े का आधा या तिहाई या चौथाई तय कर लिया जाये। दूसरी शर्त ये है कि माल बतौर क़र्ज़ न दिया गया हो बल्कि तिजारत में शमूलियत के लिए दिया गया हो। तिजारत के नफ़ा व नुक़सान की ज़िम्मेदारी में भी सब शरीक हों, इस तरह अगर मुनाफ़ा हासिल हो और जितना वाक़ेअतन हासिल हो उसे तय शुदा निस्बत से तक़सीम कर लिया जाये।

- जहां तिजारत में शराकत दारी का मुआहिदा न हो, नफ़ा होने न होने, ज़्यादा होने या कम होने की किसी ज़िम्मेदारी में दोनों फ़रीक़ शामिल न हों, माल बतौर क़र्ज़ दिया जाये और उस पर मुक़र्रर शरह से ज़ायद लेने का मुआहिदा कर लिया जाये यहाँ तक कि अगर तिजारत में नुक़सान हो जाये तो भी अस़ल ज़र बमअ मुक़र्रर शुदा इज़ाफ़ा हर सूरत में वसूल किया जाना हो तो यही अस़ल ज़र पर इज़ाफ़ा है जो सूद और क़तई हराम है। हदीस़ और क़ुर्आन की आयत में है: 'ला तज़लिमून वला तुज़लमून' तुम अस़ल ज़र ले लो न तुम ज़ुल्म करो और न तुम पर ज़ुल्म किया जाये। इसका मानी ये है कि अस़ल ज़र से ज़्यादा माँग कर तुम दूसरे फ़रीक़ पर ज़ुल्म न करो और न अस़ल ज़र की अदायगी रोक कर दूसरा फ़रीक़ तुम पर ज़ुल्म करे।

- अब तो फ़रीक़ैन के एक दूसरे पर ज़ुल्म की कई नई सूरतें पैदा हो गयी हैं। बैंक ग़रीब लोगों, बेवाओं, यतीमों का माल लेकर उससे बेपनाह मुनाफ़ा हासिल करता है चूंकि अक्सर लेन देन करेन्सी की बजाये महज़ चैक से होता है, इसलिए करेन्सी का बड़ा हिस्सा बैंक के पास ज्यों का त्यों महफ़ूज़ रहता है। इसी महफ़ूज़ सरमाया की बुनियाद पर बैंक में मौजूद करेन्सी से ज़्यादा के क़र्ज़े और कार्ड इशू कर दिये जाते हैं और कई गुना मुनाफ़ा हासिल होता है। इतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के बावजूद वह अपनी बचतें जमा कराने वाले ग़रीब लोगों, यतीमों और बेवाओं को इसमें से बराए नाम बहुत थोड़ा सा मुनाफ़ा देकर उनका बाक़ी मान्दा बड़ा हिस्सा ख़ूद हड़प कर जाता है। जो कुछ लोगों को दिया जाता है वह मुनाफ़ा तो कुजा करेन्सी की क़ीमत में वक़्तन फ़वक़्तन जो कमी जान बूझ कर की जाती है उसके बराबर भी नहीं होता। इस तरह बैंक जो सूद देता है उसमें भी ज़ुल्म करता है।
- ये बड़ी धोखाधड़ी है। लोगों को झाँसा दिया जाता है कि हम आप को कमा कर मुनाफ़े में से हिस्सा दे रहे हैं यानी तिजारत के मुनाफ़े में शरीक कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुआहिदा तिजारती शराकत का नहीं किया जाता क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा हिस्सा देना पड़ता है। उनसे मुआहिदा क़र्ज़ और सूद का क्या जाता है। इस लूट मार और फ़रेब देही की वारदात को क़ानून और हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है।
- हदीस़ नम्बर 3333 की रू से सूदी बैंकों की मुलाज़मत भी हराम है क्योंकि सूदी कारोबार में हर तरह की शिरकत लिखना, गवाह बनना सब मोजिबे लानत है।

बाब : 6
ख़रीद व फ़रोख़्त में क़समें खाना नाजायज़ है

﴾6﴿ باب فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ

(3335) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'क़सम से सौदा बिक जाता है मगर बरकत उड़ जाती है।'

इब्ने अस्सरह ने (सल्अत) की बजाये (कस्ब)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ " . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ " لِلْكَسْبِ " . وَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

कहा। और सनद में यूँ कहा: (अन सईद बिन अलमुसय्यब अन अबी हुरैरह अनिन नबी (ﷺ).

(3335) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2087, व मुस्लिम: 1606.

फ़ायदा : मुसलमान ताजिर को चाहिए कि बेजा क़समें खाने की आदत तब्दील करे और सदक़ात दिया करे ताकि इस ग़लत अमल का कफ़्फ़ारा होता रहे।

﴾7﴿ باب فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالأَجْرِ

बाब : 7 झुकता तौलने (की तर्ग़ीब) और मज़दूरी लेकर माल तौलने का बयान

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ، بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زِنْ وَأَرْجِحْ " .

(3336) हज़रत सुवैद बिन क़ैस (﵁) का बयान है कि मैं और मख़रमा अब्दी (﵁) बहरीन के इलाक़े हजर से कपड़ा लाये और हम उसे मक्का ले आये, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) चलते हूए हमारे पास तशरीफ़ लाये, आपने हमसे एक पाजामे का सौदा किया जो हमने आपको बेचा और वहां एक आदमी था जो मज़दूरी लेकर माल तौलता था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तौलो और झुकता हूआ तौलो।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1305, नसाई, हदीस: 4596, इब्ने माजा, हदीस: 2220–2222, 3579, इब्ने हिब्बान: 1444, इब्ने जारूद: 559.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى قَرِيبٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِالأَجْرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ .

(3337) हज़रत अबू स़फ़वान बिन उमैरा (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के हिजरत करने से पहले मैं मक्के में आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ। और ये ऊपर दी गई हदीस़ बयान की। मगर इसमें 'मज़दूरी पर माल तौलने' का बयान नहीं है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसको क़ैस ने (भी इसी तरह बयान किया है जैसे कि सुफ़ियान ने और सुफ़ियान का क़ौल राजेह है।

(3337) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4597, हाकिम: 2/30, 31.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ . قَالَ دَمَغْتَنِي . وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ .

(3338) इब्ने अबी रिज़मा कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना कि एक शख़्स़ ने शौबा से कहा कि सुफ़ियान ने आपकी मुख़ालिफ़त की है। तो उन्होंने कहा: तूने मुझे बहुत परेशान किया है। हालांकि मुझे यहया बिन मईन की ये बात पहुँची है कि जो भी सुफ़ियान की मुख़ालिफ़त करे, तो बात सुफ़ियान की राजेह होगी।

(3338) तख़रीज : (सनद स़ही)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي .

(3339) शौबा (रह.) से रिवायत है कि सुफ़ियान मुझसे ज़्यादा हाफ़िज़ थे।

(3339) तख़रीज : (सनद स़ही)

फ़ायदा : यानी पहली रिवायत, जो हज़रत सुवैद बिन क़ैस (ﷺ) से मरवी है, राजेह है।

बाब : 8
नबी (ﷺ) का फ़रमान है कि 'नापने का पैमाना (अहले) मदीना ही का मोतबर है'

﴿8﴾ باب فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ"

(3340) हज़रत इब्ने उ़मर (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वज़न अहले मक्का का मोतबर है और मिक्याल (नापने का पैमाना) अहले मदीना का।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: फ़िरयाबी और अबू अहमद ने भी सुफ़ियान से ऐसे ही रिवायत किया है, इब्ने दकीन ने इन दोनों की मतन में मुवाफ़िक़त की है (न कि सनद में) अबू अहमद ने हज़रत इब्ने उ़मर(ؓ) की बजाये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) का नाम लिया है। वलीद बिन मुस्लिम ने हन्ज़ला से रिवायत की तो कहा: वज़न अहले मदीना का मोतबर है और मिक्याल अहले मक्का का।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मालिक बिन दीनार की इस बारे में हदीस़ जो बवास्ता अ़ता नबी (ﷺ) से मरवी है, इसके मतन में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

(3340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2521 ब/व 4598, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1105, इब्ने अलमुलक़्क़िन, हदीस़: 927.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِي الْمَتْنِ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ " وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا .

फ़ायदा : शरई अदायगियों (ज़कात और फ़ितराना वग़ैरह) में वज़न अहले मक्का का मोतबर है और मुद और स़ाअ़ अहले मदीना का। चीज़ों की मिक़्दार (मात्रा) का तअ़य्युन करने के लिए नाप तौल का निज़ाम वजूद में आया। ये अ़मल तिजारत की इन्तेहाई अहम और बुनियादी ज़रूरत है। मुख़्तलिफ़

इलाक़ों के नाप तौल के पैमानों के नामों से अन्दाज़ा होता है कि नाप तौल के लिए बुनियादी इकाई कुदरती चीज़ों को बनाया गया। उप महाद्वीप में जो तौले, छटांग, सेर का निज़ाम राइज (प्रचलित) था इसकी बुनियादी इकाई रत्ती थी, ये एक पौधे का सुर्ख़ रंग का बीज है। अब जो निज़ाम दुनिया के बड़े हिस्से में राइज है यानी किलोग्राम वग़ैरह तो ग्राम चने के दाने को कहते हैं जिसे इब्तेदा में बुनियादी इकाई माना गया। औनस और पाऊंड का बर्तानवी निज़ाम ग्रेन (Grain) पर मबनी है जो ग़ल्ले बिलख़ुसूस मकई के दाने को कहते हैं।

- पैमाइश में फुट (पॉव) या हाथ वग़ैरह को बुनियाद बनाया गया। ज़ाहिर है मकई या चने के हर दाने का वज़न एक सा नहीं हो सकता। तआमुल के साथ इस कम अज़ कम मिक़्दार को हत्मी तौर पर मुतअय्यन कर लिया गया और इस तरह एक ही मैयार के तौलने के बाट वग़ैरह वजूद में आये। तआमुल या ज़्यादा से ज़्यादा बरतने का अमल नाप तौल के निज़ाम की तकमील में अहम तरीन किरदार अदा करता है।

- चूंकि मदीना एक ज़रई शहर था जहां लेन देन में नाप 'या केल' राइज था। मदीना के तआमुल ने इस निज़ाम को पुख़्ता कर दिया था। इसलिए नाप में अहले मदीना के पैमानों को बुनियादी मैयार क़रार दिया। मक्का हर तरह की चीज़ों की तिजारत का मर्क़ज़ था जिनमें क़ीमती चीज़ें भी शामिल थीं। सोने चाँदी, ख़ूशबू और मसाले वग़ैरह का लेन देन वज़न से होता है। मक्का के तआमुल ने वज़न के निज़ाम को पुख़्ता कर दिया था। इसलिए वज़न में मक्का के तआमुल को मैयार क़रार दिया।

बाब : 9
क़र्ज़े का मामला इन्तेहाई सख़्त है

﴾9﴿
بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

(3341) हज़रत समुरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और पूछा: 'क्या बनी फ़ुलां में से कोई यहां है?' मगर किसी ने जवाब न दिया। आपने दोबारा पूछा: 'क्या बनी फ़ुलां में से कोई यहां है?' लेकिन किसी ने जवाब न दिया। आपने सिबारा पूछा: 'क्या बनी फ़ुलां में से कोई

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْعَانَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ " . فَلَمْ

يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ " . فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ صلى الله عليه وسلم " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ " . فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَىْءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمْعَانُ بْنُ مُشَنَّجٍ .

यहां है?' तो एक आदमी खड़ा हूआ और उसने कहा: मैं हूं ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'तुझे क्या मानेअ (रूकावट) हूआ था कि पहली और दूसरी बार जवाब नहीं दिया था? बिलाशुब्हा मैंने तुम्हारे लिए ख़ैर ही का इरादा किया है। तुम्हारा साथी अपने क़र्ज़े में पकड़ा हूआ है।' (समुरा (ﷺ) कहते हैं कि) फिर मैंने उस शख़्स को देखा कि उसने उस (मक़रूज़) की तरफ़ से सब अदा कर दिया यहाँ तक कि कोई मुतालबा करने वाला बाक़ी न रहा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (शअबी के शैख़ का नाम) समआन बिन मुशन्नज है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4689.

फ़ायदा : हुक़ूक़ुल्लाह (अल्लाह के हुक़ूक़) के साथ साथ हुक़ूक़ुल इबाद (बंदों के हुक़ूक़) बिलख़ुसूस क़र्ज़ वग़ैरह की अदायगी के बग़ैर छुटकारा बहुत मुश्किल होगा। और वारिसों पर हक़ है कि अपने मरने वाले का क़र्ज़ा अदा करें। आप (ﷺ) की तरफ़ से कर्जदार की नमाज़े जनाज़ा में शिर्कत न करने का भी यही मक़सद था कि मय्यत का क़र्ज़ फ़ौरन अदा हो जाये।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ - بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً " .

(3342) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के नज़दीक उसके मना करदा कबीरा गुनाहों के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बंदे पर जब मौत आये तो वह मक़रूज़ हो और उसने अदायगी के लिए कुछ न छोड़ा हो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/392.

(3343) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी ऐसे आदमी का जनाज़ा न पढ़ाया करते थे जिस पर क़र्ज़ा बाक़ी होता, एक मय्यत को लाया गया तो आपने पूछा: 'क्या इस पर क़र्ज़ा है?' सहाबा ने कहा: हाँ दो दीनार है। आपने फ़रमाया: 'तुम लोग अपने साथी का जनाज़ा पढ़ लो।' फिर हज़रत अबू क़तादा अन्सारी (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह मेरे ज़िम्मे है, तो नबी (ﷺ) ने उसका जनाज़ा पढ़ाया। फिर जब अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) के लिए फ़ुतूहात का दरवाज़ा खोल दिया तो आपने फ़रमाया: 'मैं हर मोमिन के लिए उसकी जान से क़रीबतर हूं। सो जिसने कोई क़र्ज़ा छोड़ा उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मे है और जिसने कोई माल छोड़ा हो तो वह उसके वारिसों का है।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1964, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 15257, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1162, इब्ने जारूद 1111, मुसनद अहमद: 3/330, हाकिम: 2/57, 58, हदीस: 2954 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ " . قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ . قَالَ " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " . فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ" .

(3344) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इस हदीस की मिस्ल रिवायत किया और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक क़ाफ़िले वालों से कोई चीज़ ख़रीदी। उस वक़्त आपके पास क़ीमत न थी, फिर आप को उस पर मुनाफ़ा दिया गया तो आपने फ़रोख़्त कर दी, फिर आपने उसका मुनाफ़ा बनू अब्दुल मुत्तलिब की बेवाओं पर सदक़ा

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، رَفَعَهُ - قَالَ عُثْمَانُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لاَ أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلاَّ وَعِنْدِي ثَمَنُهُ .

कर दिया और फ़रमाया: 'आइन्दा मैं कोई चीज़ तभी ख़रीदूंगा जब मेरे पास उसकी क़ीमत होगी।'

(3344) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/235, हाकिम: 2/24.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये हक़ीक़त है कि बाज़ औक़ात थोड़ी देर का क़र्ज़ा भी इंसान के लिए ज़हमत का बाइस बन जाता है, इसलिए जहां तक हो सके इंसान उससे बचता ही रहे। और सूरते वाक़िया ये है कि ताजिर अपनी तिजारती हिर्स में तूल तवील भारी भारी क़र्ज़े लेने से नहीं हिचकिचाते और फिर बाज़ औक़ात उस पर उन्हें सूद वग़ैरह भी देना पड़ता है। जो क़तअन नाजायज़ और हराम है।

﴾10﴿ باب فِي الْمَطْلِ

बाब : 10 टाल मटोल करने के बारे में

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ " .

(3345) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ग़नी आदमी का क़र्ज़े की अदायगी को टाले जाना ज़ुल्म है, और जब तुममें से किसी को किसी ग़नी के हवाले किया जाये तो उसे चाहिए कि वह इस बात को मान ले।'

(3345) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2287, मौता, 2/674, व मुस्लिम.

फ़ायदा : लेकिन अगर कोई नादार हो और क़र्ज़े की अदायगी में वास्तव में उससे ताख़ीर हो रही हो तो वह ज़ुल्म नहीं होगा, नीज़ तआवुने बाहमी में हवाला क़बूल कर लेना अफ़ज़ल बात है।

﴾11﴿ باب فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ

बाब : 11
अदायगी में उ़म्दगी के बारे में

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .

(3346) हज़रत अबू राफ़ेअ़ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक बार) एक जवान ऊँट उधार लिया, फिर आपके पास स़दक़े के ऊँट आ गये। आपने मुझसे फ़रमाया कि उसका (जवान) ऊँट अदा कर दूं। मैंने अ़र्ज़ किया: गल्ले में उसके ऊँट से उ़म्दा रबाई ऊँट है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे वही दे दो, लोगों में बेहतरीन वही होते हैं जो अदायगी में बेहतरीन हों।'

(3346) तख़रीज : मौता, हदीस़: 2/680, व मुस्लिम: 1600.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

(3347) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) पर मेरा कुछ क़र्ज़ा था, आपने मुझे वह अदा फ़रमाया तो उससे ज़्यादा दिया।

(3347) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 443, व मुस्लिम: 715.

फ़ायदा : क़र्ज़ अदा करते हूए अगर इंसान अपनी ख़ुशी से कुछ ज़्यादा दे तो ये एहसान है, सूद के ज़ोमरे में नहीं आता। इस हदीस़ को बैंक के सूद के हामी अपनी दलील के तौर पर पेश करते हैं हालांकि बैंक अपने ग्राहकों से एहसान पर मबनी ऐसा सलूक नहीं करते बल्कि अस़ल ज़र से ज़ायद का मुआहिदा तय होता है जिसका लेना देना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इस हदीस़ में वाज़ेह है कि क़र्ज़ पर कोई इज़ाफ़ा तय न था, न रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ायद देने का मुआहिदा किया था, न हज़रत जाबिर (ﷺ) की तरफ़ से मुतालबा था।

बाब : 12
बैअ़ स़रफ़ का बयान

﴿12﴾ بَابٌ فِي الصَّرْفِ

फ़ायदा : आम तौर पर ख़रीद फ़रोख़्त करेन्सी के ज़रिये से होती है, इब्तेदाई दौर में बल्कि बाज़ देहात में आज कल भी ग़ल्ला, कपास वग़ैरह देकर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हासिल की जाती हैं। इसको अ़रबी में 'मुक़ायज़ा' (Barter) कहा जाता है। सोने को सोने, चाँदी को चाँदी या एक करेन्सी को उसी करेन्सी के बदले ख़रीदने बेचने को अ़रबी में 'मुरातला' कहा जाता है। सोने को चाँदी या एक करेन्सी को दूसरी के ऐ़वज़ ख़रीदने बेचने को 'स़रफ़' (Exchange) कहा जाता है। तबादले के ऐ़तबार से बैअ़ की यही चार बुनियादी सूरतें हैं।

- 'मुरातला' में शर्त ये है कि तबादले में दोनों की मिक़्दार (मात्रा) एक जितनी हो और सौदा नक़द हो। बुनियादी ग़िज़ाई अ़ज्नास के 'मुक़ायज़ा' में शर्त ये है कि सौदा नक़द हो और उनके बाहमी तबादले में कमी बेशी न की जाये। (इस्लाम ने हम जिन्स चीज़ों के तबादले में कमी बेशी या उधार दोनों को रिबा क़रार दिया है इसको शरई इस्तेलाह में रिबा अलफ़ज़ल कहा जाता है).

- बैअ़ स़रफ़ यानी सोने को चाँदी, या एक करेन्सी को दूसरी करेन्सी के ऐ़वज़ बेचने की सूरत में मात्रा में कमी बेशी जायज़ है। एक सौ ग्राम सोने के बदले कई सौ ग्राम चाँदी या एक रियाल के बदले कई रूपये ख़रीदना, बेचना दुरूस्त है मगर उधार की इजाज़त नहीं। अगर आप रियाल के ऐ़वज़ रूपये ख़रीदना चाहते हैं तो जिस वक़्त रियाल दें उसी वक़्त रूपये हासिल कर लें। अगर एक तरफ़ से भी ताख़ीर हूई तो इस्लाम की रू से ये सूद होगा। ये आजकल का आ़म मुशाहिदा है कि करेन्सीयों की शरह तबादला और सोने चाँदी का रेट लम्हा ब लम्हा बदलता रहता है, फ़ौरी तबादला न हो और एक चीज़ देकर उसके बदले दूसरी चीज़ हासिल करने में ताख़ीर हो गयी तो रेट बदल चुका होगा। हदीस़ में मज़कूरा चार बुनियादी ग़िज़ाई अज्नास के एक दूसरे के साथ तबादले में भी यही हुक्म होगा यानी कमी बेशी जायज़ होगी, उधार जायज़ न होगा।

- करेन्सी के बदले चीज़ों की नक़द ख़रीद फ़रोख़्त तो हर वक़्त बजा तौर पर जारी रहती है इसमें उधार भी जायज़ है, जैसे आप क़ीमत नक़द अदा कर देते हैं और चीज़ बाद में लेना तय करते हैं तो इसे बैअ़ सलम कहते हैं, ये बैअ़ भी क़तई तौर पर जायज़ है। (फ़तहुल बारी) लेकिन अगर क़ीमत और जिन्स दोनों उधार रखे जायें तो ये जायज़ नहीं, न उसे बैअ़ सलम कहा जा सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ "

(3348) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोने के बदले चाँदी सूद है सिवाए उसके कि हाथों हाथ (नक़द) हो, गन्दूम के बदले गन्दूम सूद है सिवाए इसके कि हाथों हाथ हो, खजूर के बदले खजूर सूद है सिवाए इसके कि हाथों हाथ हो। जौ के बदले जौ सूद है सिवाए इसके कि हाथों हाथ हो।'

(3348) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2174, व मुस्लिम.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْىٌ بِمُدْىٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ - وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا - يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ

(3349) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोने के बदले सोना डला हो या ढाला हूआ (सिक्का या ज़ैवर), चाँदी के बदले चाँदी डला हो या ढाला हूआ (सिक्का या ज़ैवर), गन्दूम (गेहूँ) के बदले गन्दूम एक मुद्य के बदले एक मूदी, जौ के बदले जौ एक मूद्य के बदले एक मूद्य, खजूर, खजूर के बदले एक मूद्य के बदले एक मूद्य, नमक के बदले नमक एक मूद्य के बदले एक मूद्य (बेचा जाये) जो ज़्यादा दे या ज़्यादा ले उसने सूद का मामला किया। सोने को चाँदी के बदले बेचना जब कि चाँदी ज़्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं जबकि हाथों हाथ (नक़द) हो, लेकिन उधार नहीं। गन्दूम को जौ के बदले बेचना जबकि जौ ज़्यादा हों कोई हर्ज नहीं जबकि हाथों हाथ हो, लेकिन उधार जायज़ नहीं।'

وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلاَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को सईद बिन अबी अ़रूबा और हिशाम दस्तवाई ने बवास्ता क़तादा, मुस्लिम बिन यसार से उसकी सनद से रिवायत किया है।

(3349) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4568.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَزَادَ قَالَ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

(3350) अबू अशअस़ स़नआनी ने ये हदीस़ बवास्ता हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ), रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी क़द्र कमी बेशी से रिवायत की है और इज़ाफ़ा ये किया: 'जब ये किस्में मुख़्तलिफ़ हों तो जैसे चाहो बेचो जबकि मामला हाथों हाथ हो।'

(3350) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हम जिन्स चीज़ों की बाहमी ख़रीद व फ़रोख़्त के बारे में इस्लाम ने जो ज़ाब्ता दिया है उसके हवाले से आजकल ये सवाल पूछा जाता है कि अगर एक जिन्स जैसे खजूर बेहतर क़िस्म की हो और दूसरी घटिया क्वालिटी की हो तो दोनों को हम मिक़्दार (मात्रा) रखना कैसे क़रीने इन्स़ाफ़ हो सकता है? ये एक अहम सवाल है, इस्लाम हर सूरत में अ़दल व इन्स़ाफ़ को क़ायम रखना चाहता है इसीलिए इन चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त में जो इन्सानी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा है ख़ुसूस़ियत के साथ अ़दल पर ज़ोर दिया है।

- हर नोअ़ (क़िस्म) की खजूर या गन्दुम बुनियादी तौर पर इंसान की भूख मिटाती है। अगर महज़ तनव्वोअ़ या ज़ायक़े में फ़र्क़ रखने के लिये तबादला मक़स़ूद है तो बिला शक तबादला कर लो, भूख मिटाने में दोनों बराबर हैं। तबादले में दोनों की मिक़्दार बराबर रखो, यही इन्स़ाफ़ का तक़ाज़ा है।
- अगर कोई शख़्स़ ये समझता है कि ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने में एक नोअ़ दूसरी से बेहतर है जैसे ये कि एक नोअ़ की निस्बतन कम मिक़्दार दूसरी नोअ़ की ज़्यादा मिक़्दार के बराबर भूख मिटाती है, या एक का ज़ायक़ा इतना ज़्यादा बेहतर है कि दूसरी नोअ़ की ज़्यादा मिक़्दार पहली नोअ़ के मुक़ाबले में होनी चाहिए तो आ़म आदमी के पास ऐसा कोई आला कोई तराज़ू मौजूद नहीं जो

अदल इन्साफ़ के मुताबिक़ एक क्वालिटी के दूसरी क्वालिटी से तबादले में दोनों की मिक़्दारें सही तौर पर मुतअय्यन कर सके। इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसका हल ये अता फ़रमाया कि घटिया क्वालिटी की नक़दी के ज़रिये से क़ीमत तय कर लो और उसे नक़दी के ऐवज़ बेच दो, इसी तरह आला क्वालिटी की क़ीमत भी बज़रिया नक़दी तय कर लो और उसे नक़दी के ऐवज़ ख़रीद लो। इस तरह अदल व इन्साफ़ के तक़ाज़े सही मानी में पूरे हो जायेंगे। क्वालिटी का फ़र्क़ कितना है इसको वज़न या माप के ज़रिये से मुतअय्यन नहीं किया जा सकता। क़ीमत के ज़रिये से मुतअय्यन किया जा सकता है। क्वालिटी के तअय्युन के लिए क़ीमत ही एक ग़ैर जानिबदार और मुनासिब तरीन ज़रिया है।

- अगर क़ीमत का तरीक़ा इख़्तियार न किया जाये, महज़ वज़न में कमी ज़्यादती के ज़रिये से काम चलाने की कोशिश की जाये तो दोनों में से किसी एक फ़रीक़ का हक़ मारा जायेगा। क्वालिटी का फ़र्क़ मुतअय्यन करने के लिए वज़न को मैयार बनाया जाये तो 'तराज़ी' या बाहमी रज़ामंदी के तक़ाज़े भी पूरे नहीं होते इसीलिए बैअ जायज़ नहीं हो सकती।
- इस सिलसिले में एक और सवाल काफ़ी अर्से से ज़ेरे बहस चला आ रहा है कि बराबरी और दस्त बदस्त तबादले की शर्त महज़ उन छः चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त में है या उन जैसी दूसरी चीज़ों की बैअ के लिए भी है। 'ज़ाहिरी' (वह लोग जो कुर्आन या हदीस़ के ज़ाहिरी मानी तक महुदूद रहते हैं) हदीस़ में मज़कूरा महज़ उन छः चीज़ों के लिए इस हुक्म को महदूद रखते हैं, बाक़ी चीज़ों में अगर हम जिन्स का तबादला कमी बेशी से हो या उधार हो तो उसे रिबल फ़ज़्ल क़रार नहीं देते। लेकिन बाक़ी तमाम मकातिबे फ़िक्र दूसरी चीज़ों को भी उन पर क़यास करते हैं और यही दुरूस्त नुक़्त-ए-नज़र (सोच) है।
- हिन्दुस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक में जिस तरह गन्दूम बुनियादी ग़िज़ाई जिन्स है इसी तरह मश्रिक़े बईद (मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया वग़ैरह) में चावल ख़ुराक का बुनियादी हिस्सा (Staple food) है। अरब और इर्द गिर्द के ममालिक में जो हैसियत खजूर की है हिन्दुस्तान के शिमाली हिस्सों में वही हैसियत ख़ूबानी की और बहीरा रोम के इलाक़ों में किशमिश की है। इसलिए इन चीज़ों को गन्दूम, जौ और खजूर पर क़यास करना चाहिए।
- क़यास की बुनियादी वजह (इल्लते क़यास) के बारे में अलबत्ता मुख़्तलिफ़ मकातिबे फ़िक्र में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक सोना चाँदी (नक़दैन) पर जिनके लेन देन का दारोमदार वज़न पर है किसी और चीज़ को क़यास नहीं किया जा सकता, अलबत्ता बाक़ी चार चीज़ों पर क़यास ज़रूरी है।

- इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक जो चीज़ें ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा हैं और उनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है उनमें अगर एक जिन्स का तबादला उसी जिन्स से किया जा रहा है तो उन्हें हदीस़ में मज़कूरा चार ग़िज़ाई चीज़ों पर क़यास किया जायेगा और उनका सौदा नक़द और बराबर करना होगा। इमाम शाफ़ेई (रह.) मुतलक़न तमाम ग़िज़ाई अज्नास को इन चार पर क़यास करते हैं।
- अहनाफ़ के यहां हदीस़ में मज़कूरा छः की छः चीज़ों में बुनियादी वजहे क़यास ये है कि इनका लेन देन नाप तोल के ज़रिये से होता है। इनके नज़दीक हर वह शय जो नाप कर या तोल कर बेची जाती है, उसका हुक्म वही होगा जो हदीस़ में छः चीज़ों के बारे में बयान किया गया है।
- इमाम शौकानी (रह.) कहते हैं कि तमाम उ़लमाए अहले बैत की राय यही है और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने अपना मस्लक इन्हीं से लिया है। (नैलुल अवतार)
- इमाम मालिक (रह.) के मस्लक में सबसे ज़्यादा वुसअ़त और आसानी पाई जाती है यानी सोना चाँदी या करेन्सी के अ़लावा इन चीज़ों को हदीस़ में ज़िक्र करदा चार चीज़ों पर क़यास करना चाहिए जो किसी जगह इंसानी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा हों। रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अ़रब में बहुत सी चीज़ें मौजूद थी जिनका लेन देन नाप और तोल के ज़रिये से होता था आपने स़िर्फ़ इन चार चीज़ों का नाम लिया है जो इस मुआ़शरे की बुनियादी ग़िज़ा थीं। लेकिन आपने इन में से किसी और चीज़ को इन चार चीज़ों के साथ शामिल नहीं फ़रमाया।

(2) हदीस़ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अनवाअ़ मुख़्तलिफ़ होने की तफ़सील बयान फ़रमा दी है, चाँदी के बदले सोना, जौ के बदले गेहूँ वग़ैरह फ़रोख़्त की जाये तो कमी बेशी जायज़ है उधार जायज़ नहीं। **(3)** मुद्य (मीम पर पेश और दाल साकिन है) इलाक़े शाम और मिस्र में मुरव्वज (प्रचलित) ग़ल्ला नापने का एक पैमाना है जिसमें 5, 22 साअ़ आते हैं।

बाब : 13
तलवार के दस्ते की चाँदी को चाँदी के रूपयों से बेचना

﴿13﴾ باب فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

(3351) हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बैद (ؓ) से रिवायत है कि ख़ैबर के साल नबी (ﷺ) के पास एक हार लाया गया जिसमें सोना और नगीने थे। अबूबक्र और इब्ने मनीअ़ ने कहा:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ

سोने से लटके हूए नगीने थे, तो एक आदमी ने उसे नौ या सात दीनार में ख़रीद लिया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं (ये ख़रीद व फ़रोख़्त दुरूस्त नहीं) यहाँ तक कि तू उन नगीनों और सोने को जुदा जुदा कर ले।' उस आदमी ने कहा: मैंने सिर्फ़ क़ीमती पत्थर लेने चाहे हैं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं, जब तक तू उनको जुदा जुदा न कर ले।' चुनांचे उसने उसे वापस कर दिया यहाँ तक कि उन्हें जुदा जुदा किया गया। इब्ने ईसा के लफ़्ज़ थे: (अरत्तु तिजारतन) 'मैंने तिजारत का इरादा किया है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इनकी असल किताब में लफ़्ज़ (हिजारा) ही था मगर उसे (तिजारत) से बदल दिया।

(3351) तख़रीज : मुस्लिम: 1591.

الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيعٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ - ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ " . فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا " . قَالَ فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ ابْنُ عِيسَى أَرَدْتُ التِّجَارَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التِّجَارَةَ .

(3352) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ؓ) बयान करते हैं कि ख़ैबर के दिन मैंने बारह दीनार में एक हार ख़रीदा, उसमें सोना और नगीने थे। पस मैंने उन्हें जुदा जुदा किया तो मुझे उसमें बारह दीनार से ज़्यादा का सोना मिला, मैंने नबी (ﷺ) को ये बताया तो आपने फ़रमाया: 'जुदा किये बग़ैर न बेचा जाये।'

(3352) तख़रीज : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।, व मुस्लिम: 1591.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ " .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلاَحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ الأُوقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ . قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ . ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ".

(3353) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) ने बयान किया कि ख़ैबर वाले दिन हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे और यहूदीयों से एक औक़िया सोना (मसावी चालीस दिरहम) एक दीनार में ख़रीदते थे। क़ुतैबा के अलावा दूसरों ने कहा: दो या तीन दीनार में ख़रीदते थे, फिर दूसरे रावी हदीस़ के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोने को सोने से मत बेचो सिवाए इसके कि वज़न बराबर बराबर हो।'

तख़रीज : हदीस़: 3351 में देखें, व मुस्लिम: 1591.

फ़ायदा : सोने का तबादला सोने के साथ या चाँदी का चाँदी के साथ हो तो वज़न बराबर बराबर और मामला नक़द होना ज़रूरी है वरना सूद होगा। सोना किसी दूसरी चीज़ के साथ मिले होने की सूरत में अलग कर लिया जाये। मख़्लूत चीज़ों में सोने या चाँदी के स़ही वज़न का तअय्युन उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक उनको अलग अलग न कर लिया जाये। फिर सोने या चाँदी के साथ लगी हूई हर चीज़ की अलग क़ीमत भी मुतअय्यन हो जायेगी और सूद का इम्कान भी न रहेगा।

﴿14﴾ باب فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

बाब : 14
चाँदी के बदले सोना लेना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(3354) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैं बक़ीअ में ऊँट बेचा करता था, तो ऐसे होता कि दीनारों में सौदा करता और दिरहम वसूल करता या दिरहमों में सौदा करता और दीनार वसूल

करता, उन्हें एक दूसरे के बदले में ले लिया करता या दे दिया करता था। फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया उस वक़्त आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (ؓ) के घर में थे, मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रा ठहरिये मुझे आपसे एक सवाल करना है, मैं बक़ीअ में ऊँट बेचता हूं तो दीनारों से सौदा करके दिरहम वसूल कर लेता हूं या दिरहमों से सौदा करके दीनार ले लेता हूं। उन्हें एक दूसरे के बदले लेता भी हूं और देता भी हूं, तो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: कोई हरज नहीं अगर तुम उसी दिन के भाव से लो और तुम्हारे जुदा होने पर तुममें कोई चीज़ बाकी न हो।'(हिसाब उस वक़्त बिल्कुल बेबाक़ हो जाये)'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1242, नसाई, हदीस: 4586, इब्ने माजा, हदीस: 2262, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1128, इब्ने जारूद, हदीस: 655, हाकिम: 2/44.

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ " .

फ़ायदा : इससे साबित हूआ कि मुख़्तलिफ़ करेन्सीयों का तबादला कमी बेशी के साथ जायज़ है लेकिन लाज़िम है कि बाज़ार में जारी उस रोज़ के भाव से हो और लेन देन नक़द हो उधार न हो।

(3355) जनाब सिमाक ने अपनी सनद से और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। पहला सियाक़ ज़्यादा कामिल है और इसमें 'उस दिन के नरख़े' का ज़िक्र नहीं है।

(3355) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ " بِسِعْرِ يَوْمِهَا " .

﴿15﴾ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .

बाब : 15 जानवर को जानवर के बदले उधार बेचना

(3356) हज़रत समुरा (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि जानवर को जानवर के बदले उधार बेचा जाये।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1237, नसाई, हदीस: 4624, इब्ने माजा, हदीस: 2270, इब्ने जारूद: 611, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1113 वग़ैरह.

﴿16﴾ باب في الرخصة في ذلك

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِيشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

बाब : 16 जानवर उधार बेचने का जवाज़

(3357) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि लश्कर की तैयारी करें मगर ऊँट ख़त्म हो गये, तो आप (ﷺ) ने उनको हुक्म दिया कि स़दक़ा की ऊँटनियाँ आने तक उधार ले लें। चुनांचे वह स़दक़ा के आने तक दो दो ऊँटनियों के बदले एक एक ऊँट हासिल कर लिया करते थे।

(3357) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/171, दारक़ुतनी: 3/70.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक तरफ़ से नक़द और दूसरी तरफ़ से उधार हो तो जायज़ है जैसे कि इस हदीस में है मगर दोनों तरफ़ से उधार बिल्कुल नाजायज़ है। (2) साबक़ा बाब की हदीस से भी

जानवरों की जानवरों से बैअ में कमी बेशी और एक तरफ़ के उधार का जवाज़ वाज़ेह होता है। ये दोनों हदीसें उन लोगों के ख़िलाफ़ हुज्जत हैं जो नाप तौल की तरह गिनने की चीज़ों को भी रिबा तादाद को भी रिबा अलफ़ज़ल की इल्लत में शामिल करते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दिरहमन बिदिरहमैन दीनारन बिदीनारैन) फ़रमाया तो इसकी वजह ये है कि दिरहम व दीनार का इंहिसार वज़न पर था।

बाब : 17
एक जानवर को दो जानवरों के बदले नक़द बेचना

﴾17﴿
بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ .

(3358) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो गुलामों के बदले एक गुलाम ख़रीदा।

(3358) तख़रीज : मुस्लिम: 1602.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के तरज़े अमल से ये मालूम होता है कि उनके नज़दीक गुलाम और हैवान की हैसियत यकसां है, इसीलिए उन्होंने जानवरों को भी गुलाम ही पर क़यास करके इस बात को साबित किया है कि जानवरों के मुबादला में कमी बेशी जायज़ है।

बाब : 18
खजूर के ताजा फल को ख़ुश्क खजूर के बदले बेचना

﴾18﴿ بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ، بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ

(3359) जनाब ज़ैद अबू अय्याश ने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से सवाल किया कि सफ़ेद गेहूँ को सुलत (जौ की एक क़िस्म) के बदले बेचना कैसा है? हज़रत सअद (رضي الله عنه) ने पूछा: उनमें से अफ़ज़ल कौनसा है? उन्होंने कहा कि सफ़ेद गेहूँ। तो

الْبَيْضَاءُ . فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ". قَالُوا نَعَمْ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ مَالِكٍ .

उन्होंने उससे मना कर दिया और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आपसे पूछा गया कि ख़ुश्क खजूर को ताजा खजूर के बदले बेचना कैसा है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या भला ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने पर कम हो जाती है?' सहाबा ने कहा: हाँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमा दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस को इस्माईल बिन उमैया ने मालिक की मानिन्द रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1225, नसाई, हदीस: 4549, इब्ने माजा: 2264, मौता: 2/624, इब्ने जारूद: 657, हाकिम: 2/38, 39.

फ़ायदा : इस हदीस से क़ब्ल (पहले) बाब की बाबत इख़्तिलाफ़ है। कुछ नुस्ख़ों में 'खजूर को खजूर के बदले बेचना' है। ताहम इस बाब में भी 'अत्तमर' से मुराद खजूर ही का फल है। इसलिए इख़्तिलाफ़े नस्ख़ के बावजूद बात एक ही रहती है।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(3360) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ताज़ा खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले उधार बेचने से मना फ़रमाया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इमरान बिन अबू अनस ने बनू मख़्ज़ूम के एक मौला के वास्ते से हज़रत सअ़द (ﷺ) से और उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है।

(3360) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/294, अत्तहावी मआ़निल आसार: 4/6.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमर (खुश्क खजूर) को तमर के बदले बेचने की इजाज़त दी मगर बराबर और नक़द हो। इस हदीस में आप (ﷺ) से ये सवाल किया गया है कि ताज़ा खजूर (रूतब) के बदले

ख़ुश्क खजूर (तमर) की बैअ़ की जा सकती है तो आपने ये बात समझा कर कि ख़ुश्क होने के बाद खजूर के वज़न और मिक़्दार में कमी हो जाती है, इस बैअ़ से मुकम्मल तौर पर मना फ़रमा दिया। इस हदीस़ की रूसे ताज़ा खजूर के बदले ख़ुश्क खजूर की बैअ़ बराबर बराबर और नक़द हो तब भी जायज़ न होगी।

बाब : 19
... बैअ़े मुज़ाबना ममनूअ़ (मना) है

﴾19﴿
بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً .

(3361) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दरख़्त पर लगे खजूर के फल को (ख़ुश्क) खजूर के बदले बेचने से मना फ़रमाया है जबकि ख़ुश्क की मिक़्दार मालूम हो। और इसी तरह अंगूरों को किशमिश के बदले बेचना जबकि किशमिश की मिक़्दार मालूम हो, और खेती की बैअ़ ख़ुश्क गन्दूम के बदले जबकि उसकी मिक़्दार मालूम हो। (ममनूअ़ है)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2171, 2205, व मुस्लिम: 1542.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरख़्त या बेल पर लगे ताज़ा फल को जिसकी मिक़्दार मुतअ़य्यन नहीं हो सकती उसी नोअ़ के ख़ुश्क फल से बेचना कि ख़ुश्क की मिक़्दार मालूम व मुअ़य्यन हो या गन्दूम वग़ैरह के खेत को ख़ुश्क गन्दूम के ऐ़वज़ बेचना (मुज़ाबना) कहलाता है। **(2)** एक जिन्स का बाहमी तबादला करते हूए ताज़ा और ख़ुश्क या उ़म्दा और रद्दी का फ़र्क़ नहीं किया जा सकता। दोनों का नक़द और बराबर बराबर तबादला किया जाये या फिर अलग अलग नक़दी के ऐ़वज़ बेचा जाये। अलबत्ता 'अ़राया' जायज़ हैं जैसे कि ज़िक्र आ रहा है। **(3)** इसमें एक पहलू क़द्र के ग़ैर मालूम होने का भी है। क्योंकि दरख़्त पर लगी खजूर का हतमी वज़न या कैल मुमकिन नहीं। **(4)** ताज़ा खजूर ख़ुश्क होने के बाद कम हो जाती है और इसकी ख़ुश्क खजूर के ऐ़वज़ बैअ़ की मुमानिअ़त स़राहत के साथ आ चुकी है।

बाब : 20
बैअ़े अ़राया जायज़ है

﴿20﴾ باب فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

(3362) जनाब ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन स़ाबित (रह.) अपने वालिद (ज़ैद बिन स़ाबित) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अ़राया की रूख़सत इनायत फ़रमायी, यानी इंसान ख़ुश्क खजूर का ताज़ा से तबादला कर ले।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ .

(3362) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4541, बुख़ारी, 2173, व मुस्लिम: 1549.

(3363) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ताज़ा खजूर की ख़ुश्क खजूर के साथ बैअ़ से मना फ़रमाया है। लेकिन अ़राया की रूख़सत दी है कि इंसान ताज़ा खजूर का अंदाज़ा करके (ख़ुश्क के बदले ख़रीद ले) ताकि वह लोग ताज़ा खजूर खा सकें।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2191, व मुस्लिम: 1540.

फ़ायदा : अ़राया अ़रया की जमा (बहुवचन) है, इसका मतलब व मफ़हूम ये है कि आ़रयतन किसी को खजूर के एक या दो दरख़्त दे दिया। ये हुस्ने सलूक का अ़मल है। जब अपने बाग़ के दरख़्तों में से कोई दरख़्त आ़रयतन हमसायों या दूसरे मुस्तहेक़ीन को दिया जाये तो उनका बार बार आना जाना शाक़ गुज़र सकता है। अपने ही दिये हूए दरख़्तों के ताज़ा फल का ख़ुश्क खजूर से तबादला रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जायज़ क़रार दिया ताकि हुस्ने सलूक का अ़मल बार बार आने जाने की ज़हमत के सबब मुन्क़तअ़ न हो जाये। ग़ैर मुतअ़य्यन मिक़्दार के ताज़ा फल की ख़ुश्क फल से बैअ़ को ममनूअ़ क़रार दिया गया तो अ़राया के मुस्तहसन इक़दाम को उससे अलग क़रार दिया गया। अ़राया में ताज़ा खजूर का ख़ुश्क खजूर से तबादला कोई तिजारती अ़मल नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस इजाज़त को पाँच वस्क़ की मिक़्दार तक महुदूद फ़रमा दिया है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2190)

बाब : 21
बैअ़े अ़राया में मिक़्दार (मात्रा) का बयान

﴾21﴿
بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ

(3364) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअ़े अ़राया में पाँच वस्क़ से कम या पाँच वस्क़ की इजाज़त दी है। ये शक दाऊद बिन हुसैन को हूआ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत जाबिर(ﷺ) की हदीस़ में चार वस्क़ तक का बयान आया है।

(3364) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 5/310.

फ़ायदा : एक वस्क़ साठ स़ाअ़ का होता है और एक स़ाअ़ तक़रीबन ढाई किलो का, इस हिसाब से एक वस्क़ का वज़न तक़रीबन 150 किलो और पाँच वस्क़ का वज़न तक़रीबन 750 किलो, तक़रीबन 19 मन हूआ उस दौर में 5 वस्क़ एक ऊँट का बोझ समझा जाता था।

बाब : 22
'अ़राया' से क्या मुराद है?

﴾22﴿
بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ

(3365) जनाब अ़ब्दे रब्बिही बिन सईद अन्सारी ने बयान किया कि 'अ़राया' ये है कि इंसान किसी को खजूर का कोई दरख़्त दे दे या बाग़ फ़रोख़्त करे तो उसमें से एक दो

الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ .

दरख़्त अलग कर ले ताकि ताज़ा फल खा सके लेकिन फिर उसे ख़ुश्क खजूर के बदले बेच दे।

(3365) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/310.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ، لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا.

(3366) इब्ने इस्हाक़ ने बयान किया कि 'अराया' ये है कि कोई शख़्स किसी को खजूरों के दरख़्त हिबा करे, मगर बाद में उन लोगों का आना जाना उसे शाक़ (भारी) गुज़रे तो उनके फल का अन्दाज़ा करके ख़ुश्क खजूर के बदले ख़रीद ले।

(3366) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/310.

﴿23﴾ باب فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

बाब : 23
फलों की सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले ही फ़रोख़्त कर देना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

(3367) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि फलों को उनकी सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़्त कर दिया जाये। आप (ﷺ) ने फ़रोख़्त करने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को मना किया है।

(3367) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2194, मौता, 2/618, व मुस्लिम: 1534.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

(3368) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना किया है कि खजूरों को ज़र्द या सुर्ख़ होने से पहले

عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

फ़रोख़्त कर दिया जाये, या ग़ल्ले को जबकि वह बालियों में हो यहाँ तक कि सफ़ेद हो जायें और आफ़तज़दगी से महफ़ूज़ हो जायें। आप (ﷺ) ने ऐसे मामले से फ़रोख़्त करने वाले और ख़रीदार दोनों को मना फ़रमाया है।

(3368) तख़रीज : मुस्लिम: 1535.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ.

(3369) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि ग़नीमतों को तक़सीम से पहले ही फ़रोख़्त कर दिया जाये या खजूरों को फ़रोख़्त किया जाये यहाँ तक कि तमाम अवारिज़ से महफ़ूज़ हो जायें और इससे भी मना किया है कि इंसान कमरबंद (पेटी) के बग़ैर नमाज़ पढ़े।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/387.

फ़ायदा : कमरबंद बाँधने की तल्क़ीन इसलिए है कि वह लोग सलवार बहुत कम इस्तेमाल करते थे और चादर को अगर अच्छी तरह लपेटा न गया हो तो अन्देशा रहता है कि इंसान कहीं नंगा न हो जाये। ये ख़दशा ही नमाज़ से तवज्जोह हटाने के लिये काफ़ी है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

(3370) जनाब सईद बिन मीना (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) से सुना, वह बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर को 'मुशक़्क़ह' तक पहुँचने से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है। हज़रत जाबिर (ؓ) से पूछा गया कि उनके 'मुशक़्क़ह' होने से क्या मुराद है? तो उन्होंने बताया कि जब खजूर सुर्ख़ या ज़र्द हो जाये और खाने के क़ाबिल हो जाये।

(3370) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2196, व मुस्लिम: 1536.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

(3371) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अंगूरों को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि स्याह हो जायें और खेती को बेचने से रोका है यहाँ तक कि दाने सख़्त हो जायें।

(3371) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1228, इब्ने माजा, हदीस: 2217, हाकिम: 2/19.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ، صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا " فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا " . لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ .

(3372) यूनुस कहते हैं कि मैंने जनाब अबू अज़्ज़िनाद से पूछा कि फलों को उनकी सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़्त करना कैसा है और इस बारे में क्या आया है? तो उन्होंने कहा: जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर बवास्ता सहल बिन अबी हस्मा, हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत किया करते थे कि लोग फलों को उनकी सलाहियत नुमायां होने से पहले फ़रोख़्त कर दिया करते थे। फिर जब लोगों के पके फल चुनने का वक़्त आता और उनके तक़ाज़ा करने वाले आते तो ख़रीदार कहते कि फल को सड़ाव, झड़ाव और आफ़त लग गयी है और इस तरह वह सौदे में हील व हुज्जत करते, जब उन लोगों के मुक़द्दमात नबी (ﷺ) के पास बहुत ज़्यादा आने लगे तो नबी (ﷺ) ने उन्हें बतौर मशवरा फ़रमाया: 'अगर तुम इन तनाज़ात से बाज़ नहीं आते हो तो अपने फल उनकी सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले बेचा ही न करो।'

(3372) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 3/14, बुख़ारी, 2193, हदीस: 3362.

फ़ायदा : शुरू में ये मुमानिअत बतौर मशवरा थी जिस तरह इससे पहले वाली रिवायात के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर होता है। मगर बाद में इसे हुक्मन नाफ़िज़ (लागू) कर दिया गया है।

(3373) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल की सलाहियत ज़ाहिर होने से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़रमाया है। और ये कि उसे दिरहम व दीनार (नक़द क़ीमत) ही से फ़रोख़्त किया जाये। मगर ये कि अराया की सूरत हो।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2381, व मुस्लिम: 1536.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا .

बाब : 24
कई सालों के लिए फल बेच देना

﴾24﴿
باب فِي بَيْعِ السِّنِينَ

(3374) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मुतअद्दिद (कई) सालों के लिये दरख़्तों के फल बेच देने से मना फ़रमाया है और आफ़त से नुक़सान की तलाफ़ी करायी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं नबी (ﷺ) से तिहाई तक तलाफ़ी के बारे में कोई रिवायत दुरूस्त नहीं, ये अहले मदीना की राय है।

तख़रीज: मुसनद अहमद: 3/309, व मुस्लिम: 1554

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

(3375) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने 'बैअ मुआवमा' (सालहा साल के लिए बैअ) से मना फ़रमाया है जबकि (अबू अज़्ज़ुबैर और सईद बिन मीना में से किसी) एक ने 'बैअ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِينَ .

अस्सिनीन' का लफ़्ज़ बयान किया।

(3375) तख़रीज : मुस्लिम: 1554.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी बाग़ या मख़्सूस दरख़्तों के फल को कई सालों के लिये पेशगी फ़रोख़्त करना मना है क्योंकि मालूम नहीं कि उन पर फल आयेगा भी या नहीं, कम आयेगा या ज़्यादा। लेकिन बैऐ सलम (या सल्फ़) मुख़्तलिफ़ बैअ है। इसमें ख़रीदार बेचने वाले को पेशगी रक़म अदा कर देता है कि मौसम आने पर फ़लां फल या फ़लां जिन्स इस मिअयार की इतनी मिक़्दार में मुहैया करना होगी तो ये जायज़ है। क्योंकि ये किसी ख़ास खेत या ख़ास दरख़्त या बाग़ की पैदावार का सौदा नहीं होता बल्कि एक ख़ास मैयार की जिन्स या फल का सौदा होता है जो कहीं से भी हासिल हो सकता है। **(2)** उस वक़्त जो सौदे हो चुके थे और आफ़ात की वजह से पैदावार में नुक़सान हूआ था उनकी तलाफ़ी करायी गयी और आइन्दा के लिये फल वग़ैरह क़ाबिले इस्तेमाल होने के बाद बैअ करने का हुक्म दिया।

﴾25﴿ بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ

बाब : 25
धोखे वाली बैअ नाजायज़ है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ .

(3376) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने धोखे वाली बैअ से मना फ़रमाया है। उस्मान ने मज़ीद कहा: बैअ अलहस़ात से भी (मना फ़रमाया)

(3376) तख़रीज : मुस्लिम: 1513.

फ़ायदा : (बैअ अलहस़ात) 'कंकरी फैंककर बैअ करना' यानी ख़रीदार या फ़रोख़्त करने वाला कहे कि जब मैं ये कंकरी फैंक दूंगा तो बैअ पुख़्ता हो जायेगी। या जिस चीज़ पर भी कंकरी पड़ी वह दे दूंगा या ले लूंगा, ख़रीद फ़रोख़्त का। ये अन्दाज़ ममनूअ है। आजकल भी ऐसा जूवा राइज है कि आपका निशाना जिस चीज़ पर लग जायेगा उतनी क़ीमत में वह आपकी होगी।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

(3377) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दो तरह की ख़रीद व फ़रोख़्त और दो तरह से कपड़ा औढ़ने से

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

मना फ़रमाया है। ख़रीद व फ़रोख़्त में मुलामसा और मुनाबज़ा और कपड़ा ओढ़ने में एक इश्तेमालुस्सम्मा है और दूसरा ये कि इंसान अपने ऊपर कपड़ा इस तरह से लपेट कर बैठे कि शर्मगाह को नंगा रखे या उस पर कुछ न हो। (तफ़्सील आगे आ रही है)

(3377) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6284, व मुस्लिम: 1512.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

(3378) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की और मज़ीद कहा: इश्तेमालुस्सम्मा ये है कि इंसान एक कपड़े में इस तरह से लिपट जाये कि कपड़े के दोनों किनारों को बायें कंधे पर डाल ले और अपनी दायें जानिब को खुला रखे। और बैअे मुनाबज़ा ये है कि यूँ कहे: जब मैं तेरी तरफ़ ये कपड़ा फैंक दूं तो बैअ लाज़िम होगी। और बैअ मुलामसा ये है कि चीज़ को सिर्फ़ अपना हाथ लगा दे, उसे खोल कर या उलट पलट कर न देख सके और जब उसे हाथ लगा दिया तो बैअ लाज़िम हो गयी।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी, हदीस़: 5/342, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 14987, बुख़ारी, हदीस़: 2147.

तौज़ीह : (1) (इश्तेमालुस्सम्मा) का दूसरा मफ़हूम ये है कि इंसान सर से पाँव तक एक ही कपड़े में लिपट जाये और कोई हाथ पाँव उससे बाहर न हो। इसमें किसी भी जल्दी में नुक़सान हो सकता है। मुमकिन है गिर जाये और संभल न सके या किसी कीड़े मकौड़े वग़ैरह से अपना दिफ़ा न कर सके वग़ैरह। **(2)** बैअे मुनाबज़ा की एक सूरत ये भी है कि जानिबैन अपनी अपनी चीज़ एक दूसरे की तरफ़ फैंक कर तबादला कर लें और उन्हें देखने भालने और सोचने का हक़ न हो। **(3)** बैअे मुलामसा में एक मफ़हूम ये भी है कि चीज़ को महज़ हाथ लगाने ही पर बैअ को पुख़्ता समझ लिया जाये या अंधेरे

में सौदा हो और छूने से बैअ़ लाज़िम हो जाये और इंसान चीज़ को देख भाल न सके। अलग़र्ज़ इस्लाम ने उन मामलात से मना फ़रमा दिया है जिनमें धोखा और फ़रेब का अन्देशा हो सकता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا .

(3379) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है। आगे सुफ़ियान और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ अहादीस़ (3377, 3378) के हम मानी बयान किया।

(3379) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5820, व मुस्लिम: 1512.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .

(3380) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हामला जानवर के बच्चे के बच्चे की बैअ़ से मना फ़रमाया है।

(3380) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2143, मौता: 2/653, 654, व मुस्लिम: 1514.

तौज़ीह : (हबलुल हबला) 'हामला का हमल' इसकी सूरत ये होती थी कि कोई सौदा किया जाता तो उसकी अदायगी के लिए एक मजहूल लम्बी मुद्दत मुक़र्रर की जाती कि जब ये ऊँटनी मादा बच्चा जनेगी, फिर वह बड़ी होकर हामला होगी तो उस वक़्त अदायगी होगी। एक मफ़हूम ये भी आता है कि मैं तुझ से इस हामला ऊँटनी के बच्चे के बच्चे की बैअ़ करता हूं। जैसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। ये नाजायज़ है। इसमें धोखा है। न मालूम ये बच्चा जनेगी या नहीं और फिर पैदा होने वाला नर होगा या मादा और न मालूम वह कब हामला हो। इस हदीस़ में इस जाहिली रिवाज की भी तरदीद और मुमानिअ़त है जो कुछ इलाके के बाज़ ख़ानदानों में मर्ज है कि ये लोग रिश्ते नाते में वटा सटा करते हूए जब मुक़ाबले में लड़की मौजूद न हो तो शर्त कर लेते हैं कि इस जोड़े से आइन्दा होने वाली लड़की हमें देना होगी। इसे वह लोग 'पेट देने' या तिहीनदा साक' (आइन्दा पैदा होने वाला रिश्ता देना) से ताबीर करते हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَقَالَ

(3381) जनाब नाफ़ेअ़ ने बवास्ता हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) नबी (ﷺ) से इसी हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया और कहा हबलुल हबला ये है कि ये ऊँटनी बच्चा

حَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ .

जनेगी, फिर जब वह पैदा होने वाली ऊँटनी हामला होगी (तो उस वक़्त अदायगी होगी)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3843, मुस्लिम: 1514.

﴾26﴿ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

बाब : 26 मजबूर होकर बैअ़ (सौदा) करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ أَبُو عَامِرٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، - قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ.

(3382) हज़रत अ़ली (﵁) ने ख़ुत्बा देते हुए फ़रमाया: लोगों पर ऐसा वक़्त आयेगा जो काट खाने वाला होगा, स़ाहिबे वुसअ़त (स़ाहिबे माल) अपने माल को अपने दाँतों से पकड़े होगा (कि स़दक़ा करेगा न क़र्ज़ा देगा बल्कि बख़ील बना रहेगा) हालांकि उसे इस बात का हुक्म नहीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है: 'आपस में एहसान करने को मत भूलो।' और मजबूर लोग (मजबूरी की वजह से) बैअ़ करेंगे हालांकि नबी (ﷺ) ने मजबूरी की बैअ़ से मना फ़रमाया है और धोख़े की बैअ़ और फलों के तैयार हो जाने से पहले उन्हें फ़रोख़्त कर देने से मना फ़रमाया है।

(3382) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/116, बग़वी, शरहुस्सुन्ना, हदीस: 2104.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मजबूरी की बैअ़ दो तरह से है। कोई ज़ालिम किसी को जब्र व इक्राह से अपनी चीज़ फ़रोख़्त करने पर मजबूर कर दे तो ये बैअ़ फ़ासिद है। इंसान मक़रूज़ हो और क़र्ज़े की अदायगी के लिए मजबूरन अपनी लाज़मी ज़रूरत की चीज़ें औने पौने दामों में फ़रोख़्त करने लगे। ये बैअ़ हो तो जाती है मगर ये बात आदाबे इस्लामी के ख़िलाफ़ है कि औने पौने ऐसी चीज़ें ख़रीदी जायें। मक़रूज़ (कर्ज़दार) को मोहलत दी जानी चाहिए और उसके साथ हर सम्भव तआ़वुन किया जाना चाहिए। जैसे कि सूरह बक़र: आयत नम्बर: 237 में आया है। अलबत्ता मक़रूज़

(कर्ज़दार) ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को फ़रोख़्त करे तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह हरबी लोगों को भी अलल इतलाक़ अपनी चीज़ बेचने पर मजबूर करना जायज़ नहीं ताहम अगर उन्हें सज़ा देना मक़सूद हो तो सज़ा की एक सूरत ये हो सकती है कि उन्हें अपनी चीज़ें बेच कर निकल जाने का हुक्म दे दिया जाये जिस तरह बनू नज़ीर के मामले में किया गया था।

बाब : 27 शराकत का बयान

﴿27﴾ باب فى الشَّرِكَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

(3383) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने मरफ़ूअन बयान किया: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है: मैं दो शरीकों (साझेदारों) का तीसरा हूं जब तक उनमें से कोई एक दूसरे की ख़्यानत न करे। जब कोई ख़्यानत करता है तो मैं उनके दरम्यान से निकल जाता हूं।

(3383) तख़रीज : (सनद हसन) दारक़ुतनी: 3/34, हदीस: 2910, हाकिम: 2/52.

फ़ायदा : इसके अलावा दीगर रिवायात से भी शराकत दारी और इसमें अमानत और दयानत की ताकीद व अहमियत साबित है। और 'अल्लाह तआला का दरम्यान से निकल जाना' बतौर इस्तेआरा के है यानी बरकत उठ जाती है और रिज़ीन की रिवायत के मुताबिक़ 'शैतान उनके दरम्यान दाख़िल हो जाता है।' (औनुल माबूद)

बाब : 28 वकील (एजेण्ट) का ऐसा तसर्रूफ़ जो मालिक ने न कहा हो

﴿28﴾ بابٌ فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ - قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ

(3384) हज़रत उर्वा बिन अलजाद अल बारिक़ी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उसे एक दीनार दिया कि उससे क़ुर्बानी का जानवर या बकरी ख़रीद लाये। उसने दो

صلى الله عليه وسلم دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ .

बकरियाँ ख़रीद लीं और फिर एक को एक दीनार में बेच दिया। फिर वह नबी (ﷺ) के पास एक बकरी भी ले आया और एक दीनार भी। तो आप (ﷺ) ने उसको तिजारत में बरकत की दुआ दी। चुनांचे उसका हाल ऐसा हो गया कि वह मिट्टी भी ख़रीदता तो उसे उसमें नफ़ा होता।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 28, हदीस: 3642.

फ़ायदा : जब मुवक्किल ने अपने वकील को किसी ख़ास तरह से पाबन्द न किया हो तो इस तरह का मुफ़ीद तसर्रूफ़ जायज़ है। इस हदीस में अमले तिजारत की फ़ज़ीलत का बयान भी है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، - هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

(3385) हज़रत अबू लबीद कहते हैं कि उर्वा बारिक़ी (ﷺ) ने मुझे ये हदीस बयान की और उसके लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ हैं।

(3385) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1258.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ .

(3386) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे एक दीनार देकर भेजा कि उनके लिए क़ुर्बानी ख़रीद लाये। चुनांचे उसने एक दीनार में जानवर ख़रीदा और फिर उसे दो दीनार में फ़रोख़्त कर दिया, और फिर लौटते हूए एक दीनार में दूसरा जानवर ख़रीदा। चुनांचे उसने (जानवर के साथ) वह दीनार भी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पेश कर दिया। तो नबी (ﷺ) ने उसे सदक़ा कर दिया और उसके लिए तिजारत में बरकत की दुआ फ़रमायी।

तख़रीज : बैहक़ी: 6/112, 113 तिर्मिज़ी: 1275

बाब : 29
जब कोई शख़्स किसी के माल में उसकी इजाज़त के बग़ैर तिजारत करे

﴿29﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرْقِ الأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . قَالُوا وَمَنْ صَاحِبُ فَرْقِ الأَرُزِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ " وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فَقَالَ أَعْطِنِي حَقِّي . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا " .

(3387) जनाब सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'तुममें से जो कोई चावलों के टोपे वाले की मानिन्द बन सकता हो तो बन जाये।' स़हाबा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! ये चावलों के टोपे वाला कौन है? तो आपने ग़ार वालों की हदीस़ बयान की जब कि उन पर एक चट्टान आ पड़ी थी। तो उनमें से हर एक ने कहा था कि अपना बेहतरीन अ़मल बयान करो। चुनांचे तीसरे आदमी ने कहा: 'ऐ अल्लाह! तू बख़ूबी जानता है कि मैं एक मज़दूर लाया और उसके साथ चावलों का एक टोपा मज़दूरी तय की। जब शाम हुई तो मैंने उसे उसका हक़ पेश किया, मगर उसने लेने से इंकार कर दिया। तो फिर मैंने उन्हें काश्त कर दिया यहाँ तक कि उसके लिए गायें और चरवाहे इकट्ठे कर लिए। फिर वह मुझे मिला और कहने लगा कि मेरा हक़ मुझे दे दो। तो मैंने कहा: जाओ ये गायें और इनके चरवाहे ले जाओ। चुनांचे वह उन्हें हाँक ले गया।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 2/116, बुख़ारी, हदीस़: 2272, व मुस्लिम: 2347.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया तफ़्सील से सही बुख़ारी में वारिद है। देखिये: (सही बुख़ारी: हदीस: 2333) (2) ख़ैर ख़्वाही की नियत से मुसलमान भाई के माल को तहफ़्फ़ुज़ और फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसके माल की बिला इजाज़त तिजारत जायज़ है।

बाब : 30 माल लगाये बग़ैर शराकत करना

﴿30﴾ باب فِي الشَّرِكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ .

(3388) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि बद्र की जंग वाले दिन मैं, हज़रत अ़म्मार और सअ़द (ﷺ) ने आपस में तय किया कि जो भी हमें मिलेगा हम तीनों उसमें शरीक होंगे। चुनांचे हज़रत सअ़द (ﷺ) तो दो क़ैदी ले आये मगर मैं और हज़रत अ़म्मार (ﷺ) कुछ न ला सके।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3969, इब्ने माजा, हदीस: 2288, हदीस: 995 में देखें।

फ़ायदा : दो तीन या ज़्यादा मेहनत कश अफ़राद आपस में ये मुआहिदा कर लें कि हम जो भी कमायेंगे वह हममें मुश्तरक होगा। इसे 'शिर्कतुल अब्दान' कहते हैं। इमाम मालिक, सुफ़ियान सौरी (रह.) और अहनाफ़ इसके क़ाइल हैं। जबकि इमाम अहमद (रह.) का भी एक क़ौल इसके जवाज़ का है।

बाब : 31 मुज़ारात यानी बटाई पर ज़मीन देना

﴿31﴾ باب فِي الْمُزَارَعَةِ

फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (रह.) ने वज़ाहत से ज़िक्र फ़रमाया है कि मदीना के तमाम मुहाजिर घराने तिहाई या चौथाई पर अपनी ज़मीन काश्त करने के लिए देते थे। हज़रत अ़ली, सअ़द बिन मालिक, अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ हज़रत ज़ुबैर के बेटे क़ासिम और उर्वा, हज़रत अबूबक्र, उ़मर और हज़रत अ़ली (ﷺ) के ख़ानदान मुज़ारात पर ज़मीन काश्त कराते थे। इमामों में से हसन बसरी, इब्ने

सीरीन, इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी, इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह.) सभी मुज़ारात के जवाज़ के क़ाइल हैं, इन सब की दलील यही थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ूद फ़तहे ख़ैबर के बाद बेतुल माल की ज़मीन, जो कि कुछ ग़नीमत के तौर पर हासिल हूई थी और कुछ फ़ै की सूरत में, ख़ैबर के यहूदीयों को मुज़ारात पर दी थी। उनसे तय पाया था कि वह काश्त करेंगे और पैदावार का आधा रसूलुल्लाह (ﷺ) को देंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़वाजे मुतह्हरात के लिए इसी आमदनी से ख़र्चा मुक़र्रर कर रखा था, हर ज़ौजा मुहतरमा को अस्सी वस्क़ ख़ुश्क खजूर और बीस वस्क़ जौ मिलते थे। ख़ुल्फ़ा ए राशेदीन के ज़माने तक मुज़ारात पर अमल इसी तरह जारी रहा। (सही बुख़ारी, फ़तहुल बारी)

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) और बाद में तमाम ख़ुल्फ़ा–ए–राशेदीन के ज़माने तक अपनी खेतियाँ मुज़ारात पर देते रहे। यहाँ तक कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) के अहद में उनको हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) के हवाले से ये बात पहुँची कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किराये पर खेतियाँ देने से मना फ़रमाया था, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक़ तो यही है कि ज़माने रिसालत में इसी तरीक़ पर अमल रहा लेकिन फिर ये सोच कर कि कहीं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमा दिया हो और उन्हें इल्म न हूआ हो मुज़ारात का तरीक़ छोड़ दिया। दूसरी तरफ़ ये भी एक हक़ीक़त है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात की हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई है कि कोई इंसान अपनी ज़मीन अगर ख़ूद काश्त नहीं कर रहा तो किसी दूसरे को काश्त के लिए दे दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) के बक़ौल आपके अल्फ़ाज़ ये हैं: 'अगर तुममें से कोई (ज़मीन) अपने भाई को दे दे तो ये उस पर मुतअय्यन हिस्सा लेने से बेहतर है।'

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) को हज़रत राफ़ेअ (رضي الله عنه) की विसातत (माध्यम) से जो इज्माली हुक्म पहुँचा और नबी (ﷺ) ने बतौर एहसान दूसरे को अपनी ज़मीन काश्त करने की जो तल्क़ीन की, उनकी बुनियाद पर अहदे ख़ुल्फ़ा ए राशेदीन के बाद ये बहस चल पड़ी की मुज़ारात (बटाई/ठेका) पर काश्त करने की इजाज़त है भी या नहीं। आज कल भी जब जागीरदारों के रिवायती करतूत सामने आते हैं तो ये बहस फिर से छिड़ जाती है कि जो ज़मीन ख़ूद काश्त नहीं हो सकती वह दूसरों को क्यों न दे दी जाये? और वह अहादीसे मुबारका पेश की जाती है जो इख़्तिसार और इज्माल पर मबनी हैं। वह रिवायतें जिनसे मुज़ारात को ममनूअ साबित किया जाता है वह सारी मुख़्तसर रिवायात हैं। ज़्यादातर वह हज़रत राफ़ेअ बिन खदीज और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी (رضي الله عنه) से मरवी हैं। लेकिन इन्हीं दोनों हज़रात से मरवी मुफ़स्सल रिवायतें हक़ीक़ते हाल को वाज़ेह कर देती हैं। सुनन अबू दाऊद के मशहूर शारेह इमाम ख़त्ताबी (रह.) ने बतौर ख़ास इस बात की तरफ़ इशारा किया है कि इमाम अबू दाऊद ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) की जो मुजमल रिवायत सबसे

पहले नक़ल की है उसकी तफ़्सीर के लिए ये अन्दाज़ इख़्तियार किया कि पहली हदीस़ हज़रत राफ़ेअ के मुजमल अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल है और साथ ही हिब्रूल उम्मा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) की वज़ाहत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब मुज़ारात की बजाये बिला मुआवज़ा दूसरे को काश्त के लिए देने की बात की है तो मक़सद ये था कि अपनी ज़मीन बतौर एहसान दूसरे को देने की फ़ज़ीलत वाज़ेह हो जाये। अगली हदीस़ में हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) के हवाले से ये वाज़ेह कर दिया गया कि मना के अल्फ़ाज़ राफ़ेअ ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुने थे वह आपकी पूरी बात का सिर्फ़ आख़री हिस्सा था जिसे हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) ने पूरी बात समझ ली।

- इससे अगली रिवायत से वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में मुज़ारात इस तरह की जाती थी कि खेत की नालियों के किनारे और खेत के जो हिस्से पानी के बहाव से ख़ूद ब ख़ूद सैराब हो जाते थे उन्हें मालिक अपने लिए ख़ास़ कर लेता था, ज़ाहिर है इस तरह कई झगड़े पैदा होते थे कि ज़मीन का कितना हिस्सा ख़ूद सैराब हूआ, या नालियों के किनारे कहां तक की पैदावार पर काश्त कार ने मेहनत नहीं की वग़ैरह, इन झगड़ों से बचने के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हिस्से पर काश्त करवाने की बजाये नक़दी के ऐवज़ ज़मीन देने की तल्क़ीन फ़रमायी, इससे स़ाबित होता है कि मुज़ारात मुतलक़न ममनूअ नहीं, हाँ अगर झगड़ों का ख़दशा हो तो नक़द ठेके पर ज़मीन देनी चाहिए।

- इससे अगली रिवायत में ख़ूद हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) ने मुज़ारात की वह सूरत बयान की है जो इस्लाम से पहले राइज थी और इसमें कई क़बाहतें पेश आयी थीं। इस सूरत को इस्लाम ने ममनूअ क़रार दिया। हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ज़मीन देने वाले पानी के रास्तों, छोटी नालियों के किनारों और नालों के सिरे पर वाक़ेअ ज़मीन की पैदावार को अपने लिए मख़्सूस कर लेते। फिर जब फ़सल पकती तो कभी एक हिस्से की पैदावार बेहतर हो जाती और दूसरे की ख़राब और कभी इसके बरअक्स, हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) कहते हैं: 'उस वक़्त मुज़ारात की सिर्फ़ यही सूरत मारूफ़ थी।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ारात की इस सूरत से मना फ़रमा दिया और वह सूरतें इख़्तियार करने का हुक्म दिया जिनमें हिस्से मुतअय्यन और महफ़ूज़ हों। इससे अगली हदीस़ में ख़ूद हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) से नक़दी के ऐवज़ काश्त के लिए ज़मीन देने की इजाज़त मरवी है।

- इमाम अबू दाऊद ने इस तर्तीब के साथ रिवायात बयान करने के बाद जिससे मुज़ारात की जायज़ सूरतों की तफ़्सील वाज़ेह हो गयी, इस बाब में उन तमाम रिवायात को ज़िक्र किया हैं जिनमें मुजमल तरीक़ पर मुज़ारात की पहले से राइज शुदा नाक़िस़ और मबनी बर ज़ुल्म सूरत नाजायज़ ठहरायी गयी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا . فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا " .

(3389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) का बयान है कि हम मुज़ारात (यानी ज़मीन बटाई पर देने) में कोई हर्ज न समझते थे यहाँ तक कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से सुना, वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है। (अम्र बिन दीनार कहते हैं कि) मैंने ये हदीस तावुस से ज़िक्र की तो उन्होंने कहा: मुझसे हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना नहीं किया बल्कि फ़रमाया था: 'तुम अपनी ज़मीन किसी को अतिया दे दो तो ये महसूल लेने से बेहतर है।'

(3389) तख़रीज : मुस्लिम: 1547.

फ़ायदा : ज़मीन को बटाई या हिस्से पर देना हराम या नाजायज़ नहीं, लेकिन अगर बिला ऐवज़ दे दे तो बेहतर है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ - قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا - قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا

(3390) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने कहा: अल्लाह तआला राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) की मग़फ़िरत फ़रमाये। अल्लाह की क़सम! मैं इस हदीस को उनसे बेहतर तौर पर जानता हूं। हक़ीक़त ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दो शख़्स (मुसद्दद कहते हैं दो अन्सारी) हाज़िर हुए इस (फ़िक़रे) के बाद दोनों (की रिवायतें) मुत्तफ़िक़ हैं। दोनों मरने मारने पर तुले हुए थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारा यही हाल है तो अपने खेत किराये पर मत दिया करो।' मुसद्दद ने मज़ीद कहा: राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने इतनी सी बात सुन ली: 'अपने खेत किराये पर मत दिया करो।'

الْمَزَارِعَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ " لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " .

(3390) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2461, नसाई, 3959, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 6/342.

फ़ायदा : ये हक़ीक़त है कि किसी भी मामले में इख़्फ़ा, उलझाव या धोखे और ज़र की कैफ़ियत तनाज़अ पैदा करती है। इसलिए इससे बचने के लिए मुज़ारात में मामला खुला, शफ़ाफ़ और वाज़ेह और शरीयत की शर्तों के मुताबिक़ होना चाहिए, या फिर सिरे से ये मामला किया ही न जाये।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

(3391) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) ने बयान किया कि हम अपनी ज़मीनें किराये (बटाई) पर दिया करते थे और साथ ही ये तय होता था कि जो कुछ नालियों पर पैदा होगा या जिस हिस्से को अज़ ख़ूद पहुँचता हो (तो वह मालिक का होगा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इससे मना फ़रमा दिया। और हुक्म दिया कि हम अपनी ज़मीन सोने या चाँदी (करेन्सी) के बदले किराया पर दें। (यानी मुतअय्यन रक़म पर ठीक कर लिया करें)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3925, हदीस: 3395 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3395.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम एक ही खेत के मुख़्तलिफ़ हिस्सों की पैदावार पर मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से हक़ रखना झगड़े का सबब बनता है, इसमें दोनों के हुक़ूक़ सही तौर पर मुतअय्यन भी नहीं हो पाते इसलिए सारा हिसाब किताब एक ही दफ़ा करके मुतअय्यन नक़दी के ऐवज़ किराया पर ज़मीन दे देने की सूरत इख़्तियार करने की तल्क़ीन की गयी।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لِلأَوْزَاعِيِّ -

(3392) जनाब हन्ज़ला बिन क़ैस अन्सारी कहते हैं कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से पूछा कि ज़मीन को सोने चाँदी (नक़दी) के ऐवज़ किराया पर देना कैसा है? उन्होंने कहा: इसमें कोई हर्ज नहीं। दरअसल लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में इस तरह

حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ .

करते थे कि जो कुछ पानी के बहाव पर और नालों के सिरों पर होता उस पर और कुछ खेती पर मामला तय करते थे। तो फिर ऐसे होता कि ये ज़ाया हो जाती ... वह बच रहती या वह ज़ाया हो जाती और ये बच रहती, लोगों को किराये पर देने की बस यही एक सूरत राइज थी। जिसकी वजह से आप (ﷺ) ने इस मामले से डाँट कर रोक दिया। लेकिन वह ऐ़वज़ और बदल जो मालूम व मुतअ़य्यन हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

इब्राहीम की हदीस़ (जो ऊपर ज़िक्र हुई) इससे ज़्यादा कामिल है। और क़ुतैबा ने अपनी सनद में 'अ़न हन्ज़ला अ़न राफ़ेअ़' कहा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद ने हन्ज़ला से इसके मिस्ल रिवायत किया है।

(3392) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2346, 2347, व मुस्लिम: 1547.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

(3393) जनाब हन्ज़ला बिन क़ैस अन्सारी कहते हैं कि उन्होंने हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज(ﷺ) से पूछा कि ज़मीन को किराया पर देना कैसा है? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया है। मैंने पूछा कि क्या सोने और चाँदी के बदले भी मना है? तो कहा कि सोने और चाँदी के बदले में कोई हर्ज नहीं।

(3393) तख़रीज : मौता, हदीस़: 2/711, व मुस्लिम: 1547.

फ़ायदा : इन सब अहादीस़ से स़ाबित हूआ कि ज़मीनदार (मुज़ारात में) एक ही खेत में अपने और खेती करने वाले के लिये अलग अलग हिस्सों की पैदावार मुतअय्यन कर ले तो इस तरह की मुज़ारात नाजायज़ है। और यही वह फ़ासिद शर्त है जिसकी मौजूदगी में बटाई को ममनूअ करार दिया गया है। ये क़बाहत न हो बल्कि ज़मीन मुतअय्यन रक़म यानी ठेके पर दी जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं।

﴾32﴿ بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

बाब : 32 बटाई के ममनूअ होने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَّيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

(3394) जनाब सालिम (रह.) बयान करते हैं कि उसके वालिद हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर(रज़ि.) ज़मीन किराये (बटाई) पर दिया करते थे यहाँ तक कि उन्हें ये ख़बर पहुँची कि राफ़ेअ बिन ख़दीज अन्सारी(रज़ि.) ये हदीस़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ज़मीन किराये पर देने से मना फ़रमाया करते थे। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह(रज़ि.) ने उनसे मुलाक़ात की और पूछा कि तुम ज़मीन को बटाई पर देने के बारे में रसूल(ﷺ) का क्या फ़रमान बयान करते हो? तो हज़रत राफ़ेअ (रज़ि.) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से कहा कि मैंने अपने दो चचों से सुना जो बद्र में शरीक हूए थे, वह घर वालों से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन किराये (बटाई) पर देने से मना किया है। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा: अल्लाह की क़सम! मुझे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर के मुताल्लिक़ यही मालूम है कि उस दौर में ज़मीन बटाई पर दी जाती थी। मगर फिर

الأَرْضَ تُكْرَى . ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَعَمْ . وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ .

हज़रत अ़ब्दुल्लाह(ﷺ) को अन्देशा हूआ कि कहीं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में (बाद में) कोई नई बात न फ़रमा दी हो जिसका उन्हें इल्म न हो सका हो। चुनांचे इस बिना पर उन्होंने ज़मीन बटाई पर देना तर्क कर दी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को अय्यूब, उ़बैदुल्लाह, कसीर बिन फ़रक़द और मालिक (रह.) ने बवास्ता नाफ़ेअ़ फिर राफ़ेअ़ और उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया है। और ओज़ाई ने बवास्ता हफ़्स बिन एनान हनफ़ी, नाफ़ेअ़ से, उन्होंने राफ़ेअ़ से बयान करते हूए कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। और ऐसे ही ज़ैद बिन अबी उनैसा ने बवास्ता हकम, नाफ़ेअ़ से, उन्होंने इब्ने उ़मर (ﷺ) से बयान किया कि हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ), राफ़ेअ़ के पास आये और पूछा कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? तो उन्होंने कहा: हाँ। और ऐसे ही इकरिमा बिन अ़म्मार ने अबू अन्नजाशी से, उन्होंने हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत किया। कहा कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना नीज़ ओज़ाई ने अबू अन्नजाशी से रिवायत किया, उन्होंने हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज(ﷺ) से, उन्होंने अपने चचा ज़ुहैर बिन राफ़ेअ़ से, उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया।

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू अन्नजाशी का नाम अ़ता बिन सुहैब है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2345, व मुस्लिम: 1547

फ़वाइद व मसाइल : (1) हक़ यही है कि दौरे नबूवत, ख़िलाफ़ते अबूबक्र और ज़माने उ़मर (ﷺ) में यहूदीयों को ख़ैबर से निकाले जाने के वक़्त तक ख़ैबर की ज़मीनों और बाग़ात बटाई पर उन यहूदीयों ही को दिये जाते रहे थे। (2) मुज़ारात से मुमानिअ़त की अहादीस़ तन्ज़ीह और इस्तेहबाब पर महमूल हैं। या उन ममनूअ़ सूरतों से मुताल्लिक़ हैं जिनका ज़िक्र पीछे हूआ है। पूरे तौर पर मुज़ारात

ममनूअ होती तो जलीलुल क़द्र मारूफ़ सहाबा (ﷺ) किराम ये मामला हरगिज़ न करते। (3) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज जिन से मुज़ारात की इज्माली मुमानिअत मरवी है ख़ूद उन्हीं से ये वज़ाहत भी मरवी है कि नक़दी के ऐवज़ ज़मीन किराये पर देने की मुमानिअत नहीं। (4) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का इस अमल से बाज़ आ जाना एहतियात व तक़वा की बिना पर था। और इन्हें हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) की मुजमल हदीस़ का इल्म हज़रत मुआविया (ﷺ) के दौर में हूआ था। (5) कुछ मोहद्दिसीन का इन रिवायात को मुज़्तरिब कहना महल्ले नज़र है। अहादीस़ वाज़ेह कर देती हैं कि ये इज़्तेराब नहीं महज़ इज्माल और तफ़्सील का फ़र्क़ है। तफ़्सील के लिए देखिए: (इरवा अलग़लील, बहस़ हदीस़: 1478)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ . قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلاَ بِرُبُعٍ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى " .

(3395) जनाब सुलैमान बिन यसार (रह.) कहते हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) के दौर में ज़मीन बटाई पर दिया करते थे। तो उनके एक चचा उनके पास आये और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इस मामले से जो हमारे लिए नफ़ावर था मना फ़रमा दिया है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ही हमारे लिए नफ़ावर और सूदमंद है। हमने पूछा: और वह क्या है? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिसके पास ज़मीन हो तो चाहिए कि ख़ूद काश्त करे या अपने भाई को काश्त के लिए दे दे, लेकिन तिहाई या चौथाई या मुतअय्यन ग़ल्ले पर बटाई पर न दे।'

(3395) तख़रीज : मुस्लिम: 1548.

फ़ायदा : तिहाई, चौथाई या मुतअय्यन ग़ल्ले पर किराये की एक ही सूरत मुरव्वज (प्रचलित) थी जिसमें आबी गुज़रगाहों, नालियों वग़ैरह की पैदावार मालिक के लिए ख़ास थी। इसी सूरत को ममनूअ क़रार दिया गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ

(3396) अय्यूब ने रिवायत किया कि यअला बिन हकीम ने मुझे लिख भेजा कि मैंने सुलैमान बिन यसार से सुना है और

حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، بِمَعْنَى إِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدِيثِهِ .

इबैदुल्लाह की इस्नाद और उसकी रिवायत के हम मानी बयान किया।

(3396) तख़रीज : मुस्लिम: 1548, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا إِلاَّ أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ .

(3397) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ؓ) के स़ाहिबज़ादे अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अबू राफ़ेअ (ؓ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां से हमारे पास आये और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें एक काम से मना फ़रमा दिया है जो हमारे लिए बड़े नफ़ा वाला था, मगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा है। आपने हमें (किसी की) ज़मीन काश्त करने से मना फ़रमा दिया है सिवाए इसके कि इंसान ख़ूद उसका मालिक हो या किसी ने उसको अ़तिया दी हो।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 6/347, 348, व मुस्लिम: 1550.

फ़ायदा : ये नहीं मुरव्वजा ग़लत सूरत के बारे में है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ، قَالَ جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ، كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(3398) जनाब उसैद बिन ज़ुहैर बयान करते हैं कि हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ؓ) हमारे पास आये और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें एक काम से मना फ़रमाते हैं जो तुम्हारे लिए नफ़ावर था। मगर अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत तुम्हारे लिए इससे बढ़ कर नफ़ावर है। बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हें बटाई पर काश्तकारी से मना फ़रमाते हैं। और फ़रमाया है: 'जो कोई

عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ . قَالَ شُعْبَةُ أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

अपनी ज़मीन से मुस्तग़नी (ज़रूरत महसूस न करता हो) हो तो चाहिए कि अपने भाई को अ़तिया दे दे या वैसे ही छोड़ दे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शौबा और मुफ़ज़्ज़ल बिन मुहलहल ने इसे मन्सूर से ऐसे ही रिवायत किया है।

शौबा ने कहा कि उसैद, हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज के भतीजे हैं।

(3398) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2460, नसाई, हदीस: 3895, हदीस: 3894.

फ़ायदा : (1) अल्लामा शौकानी (रह.) नैलुल अवतार में लिखते हैं कि ये हदीस मुख़्तसर रिवायत हूई है। तफ़्सीली रिवायत में उसैद बिन ज़ुहैर का कलाम यूँ है: 'हममें से जब कोई अपनी ज़मीन को ख़ुद काश्त न करना चाहता या उसका ज़रूरतमंद न होता तो वह उसे आधी, तिहाई या चौथाई पर बटाई पर दे दिया करता था और तीन बातों की शर्त होती थी कि नालों के साथ साथ की काश्त, ग़ल्ला गाहने के बाद नीचे जो बाक़ी रहेगा और वह ज़मीन के वह टुकड़े जो नालों से सैराब होते होंगे। (मालिक के होंगे ...) अलख़ ...' (नैलुल अवतार: 5/312) **(2)** वैसे ही छोड़ देने की सूरत में भी बहुत से फ़ायदे हैं, इस ज़मीन में उगने वाली घास जानवर चरते हैं। फितरी पौधे और उनमें रहने वाले छोटे बड़े जानवर माहोलियात के तवाज़ुन को बरक़रार रखते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، قَالَ بَعَثَنِي عَمِّي أَنَا وَغُلاَمًا، لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ شَىْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ . قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ

(3399) अबू जाफ़र ख़तमी का बयान है कि मेरे चचा ने मुझे और अपने ग़ुलाम को जनाब सईद बिन मुसय्यब (ﷺ) के यहां भेजा और हमने उनसे कहा: हमें आपकी तरफ़ से मुज़ारात के बारे में एक बात पहुँची है (वह कैसे है?) तो उन्होंने कहा: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) इसमें कोई हर्ज न समझते थे यहाँ तक कि उन्हें राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से एक हदीस पहुँची तो वह ख़ूद उनके पास गये तो हज़रत राफ़ेअ़ (ﷺ) ने उन्हें बयान किया कि नबी (ﷺ) बनू हारिसा के यहां तशरीफ़ लाये तो ज़ुहैर की

ज़मीन में खेती देखी। तो फ़रमाया: 'ज़ुहैर की खेती क्या ख़ूब उम्दा है।' लोगों ने कहा: ये ज़ुहैर की नहीं है। आप (ﷺ) ने कहा: 'क्या ज़मीन ज़ुहैर की नहीं?' उन्होंने कहा: हाँ, ज़मीन तो उसकी है मगर फ़ुलां ने काश्त कर रखी है। तो आपने फ़रमाया: 'अपनी खेती ले लो और उसका ख़र्च उसे वापस कर दो।' हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) कहते हैं: चुनांचे हमने अपनी खेती ले ली और उसका ख़र्च उसे अदा कर दिया। सईद (बिन मुसय्यब) ने कहा: अपने भाई को अतिया दे दो या दिरहम के बदले किराये पर दे दो।

فَقَالَ " مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " . قَالُوا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ . قَالَ " أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ " . قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلاَنٍ . قَالَ " فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ " . قَالَ رَافِعٌ فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ . قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ .

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3920.

फ़ायदा : ये ज़मीन जिस तरह हज़रत राफ़ेअ ने हदीस: 3392 में ख़ूद बयान किया उसी एक मुरव्वजा (प्रचलित) तरीक़े के मुताबिक़ दी गयी थी जिसमें नाजायज़ शर्तें थीं, फ़रीक़ैन के हिस्से वाज़ेह और मुतअय्यन न थे और लड़ाई का एहतिमाल (सम्भावना) था इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ारात का ये मुआहिदा मन्सूख़ (समझौता ख़त्म) करने का हुक्म दिया।

(3400) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से रिवायत है, हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। (तारीफ़ आगे आयेगी) आपने फ़रमाया: 'आदमी तीन तरह से ही काश्तकारी कर सकता है, ज़मीन आदमी की अपनी मिल्कियत हो तो उसे काश्त करे या किसी ने उसे अतिया दी हो तो काश्त करे या सोने चाँदी के बदले किराया पर ली हो।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ " إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ " .

(3400) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2449, नसाई, हदीस: 3921.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي شُجَاعٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ إِنِّي لَيَتِيمٌ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ .

(3401) उस्मान बिन सहल बिन राफ़ेअ बिन ख़दीज ने बयान किया कि मैं यतीम था और (अपने दादा) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) की सरपरस्ती में था। मैंने उनके साथ हज भी किया। मेरा भाई इमरान बिन सहल उनके पास आया और कहा कि हमने अपनी ज़मीन फ़ुलां औरत को दो सौ दिरहम के बदले ठेके पर दे दी है। तो उन्होंने कहा कि उसे छोड़ दो। नबी (ﷺ) ने ज़मीन किराये (ठेके) पर देने से मना फ़रमाया है।

(3401) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3958.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ख़ूद हज़रत राफ़ेअ (ﷺ) ने मुज़ारात की जिस सूरत के ममनूअ होने की ख़बर दी है ये ऐसी ही सूरत पर दी गयी होगी इसलिए उसे मन्सूख़ करा दिया।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ - عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ " لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الأَرْضُ " . فَقَالَ زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلاَنٍ الشَّطْرُ . فَقَالَ " أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ " .

(3402) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) का बयान है कि उसने ज़मीन काश्त कर रखी थी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वहां से गुज़रे जब कि वह उसे पानी दे रहा था। तो आप (ﷺ) ने उससे पूछा: 'ये किसने काश्त की है और ज़मीन किसकी है।' अर्ज़ किया कि काश्त मेरी है, बीज मेरा है और मेहनत भी मेरी है, मुझे आधा हिस्सा मिलेगा और आधा बनू फ़ुलां को। तो आपने फ़रमाया: 'तुम दोनों ने सूद का मामला किया, ज़मीन उसके मालिकों को वापस कर दो और अपना ख़र्च ले लो।'

(3402) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तहावी मआनिल आसार: 4/106, हाकिम: 2/41.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन दूसरी रिवायात को मिलाकर आपके फ़रमान 'तुम दोनों ने सूद का मामला किया' से वाज़ेह हो जाता है कि नालियों, आबी गुज़रगाहों वग़ैरह का मुआहिदा करने से पैदावार में चूंकि फ़रीक़ैन के हिस्से मुतअय्यन नहीं होते और रिबा की तरह कोई न कोई फ़रीक़ बग़ैर बदले के दूसरे का हक़ लेता है इसलिए ये मना है।

बाब : 33
बग़ैर इजाज़त किसी की ज़मीन काश्त कर लेना

﴾33﴿ باب فِي زَرْعِ الأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ " .

(3403) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी की ज़मीन मालिकों की इजाज़त के बग़ैर काश्त की हो उसके लिए इस खेती में से कुछ नहीं। अलबत्ता ख़र्चा ले सकता है।'

(3403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1366, इब्ने माजा, हदीस: 2466.

फ़ायदा : किसी दूसरे की मिल्कीयती ज़मीन में बिला इजाज़त तसर्रूफ़ जायज़ नहीं।

बाब : 34
मुख़ाबरा (मुज़ारात/बटाई पर काश्तकारी) का बयान

﴾34﴿ باب فِي الْمُخَابَرَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا -

(3404) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और मुआवमा से मना फ़रमाया है। एक रावी ने (मुआवमा की बजाये) 'बैअे अस्सिनीन'

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الآخَرُ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

कहा। आप (ﷺ) ने अलग कर लेने से भी मना फ़रमाया है। अलबत्ता अराया की रूख़सत दी है।

(3404) तख़रीज : मुस्लिम: 1536.

तौज़ीहात : (मुहाक़ला) इसकी तारीफ़ कई अन्दाज़ में की गयी है। (1) मालूम और मुतअय्यन ग़ल्ले के बदले खड़ी खेती की बैअ कर देना। (2) जो इमाम शाफ़ेई (रह.) ने हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) के हवाले से नक़ल फ़रमायी, ग़ल्ला अभी बालियों ही में हो और उसकी बैअ कर देना। ये सही तरीन तारीफ़ है। (मुज़ाबना) दरख़्तों पर लगी खजूरों या बेलों पर लगे अंगूरों को उस जिन्स के मुतअय्यन फल से फ़रोख्त कर देना। ये सही तरीन तारीफ़ है। (अस्सहीहैन) (मुख़ाबरा) मुज़ारात के हम मानी है। बल्कि मुसाक़ात, मुज़ारआत और मुख़ाबरा तीनों एक ही मानी में हैं। (बैअ अस्सिनीन) (मुआवमा) किसी बाग़ या मुतअय्यन दरख़्तों के फल को कई सालों के लिए फ़रोख़्त कर देना। इस सूरत में किसी को ये मालूम नहीं हो सकता कि पैदावार कैसी होगी, बीमारियाँ लगेगी या न लगेगी वग़ैरह। (अराया) का बयान तफ़्सील से पीछे गुज़रा है। (हदीस: 3362) (इस्तेसना) बाग़ फल के साथ फ़रोख़्त करते हूए ये कहना कि हम भी इसमें से खाते रहेंगे। या तीन दरख़्त या पाँच दरख़्त हम फ़रोख़्त नहीं करते। मगर उन दरख़्तों की तअय्युन न की जाये तो इस तरह ग़ैर मुअय्यन और मजहूल मिक़्दार या दरख़्तों का इस्तेसना नाजायज़ है। मालूम और मुतअय्यन हो तो कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ يُعْلَمَ .

(3405) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़ाबना, मुहाक़ला और अलग कर लेने से मना फ़रमाया है मगर ये कि मालूम और मुतअय्यन हो।

(3405) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1290, नसाई, हदीस: 4637.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، - يَعْنِي الْمَكِّيَّ - قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي عَنْ

(3406) जनाब अबू अज़्ज़ुबैर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं, कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को

أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " .

फ़रमाते हूए सुना है: 'जो शख़्स मुख़ाबरा (मुज़ारात) न छोड़े तो उसे चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार रहे।

(3406) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ताहावी मआनिल आसार: 4/107, व हाकिम: 2/86.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ . قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ .

(3407) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुख़ाबरा से मना फ़रमाया है। (साबित बिन हज्जाज ने पूछा कि) मुख़ाबरा से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: ये कि तू ज़मीन को आधी, तिहाई या चौथाई पर हासिल कर ले।

(3407) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/187, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, 6/346.

फ़ायदा : यानी जब फ़ासिद शर्तें हों तो मना है वरना कोई हर्ज नहीं जैसे कि तफ़सील से पीछे बयान हूआ है।

﴿35﴾ باب فِي الْمُسَاقَاةِ

बाब : 35
मुसाक़ात का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

(3408) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले ख़ैबर से मामला तय फ़रमाया था कि जो फल या खेती आयेगी उसमें से आधा उन्हें मिलेगा।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2329, व मुस्लिम: 1551.

फ़ायदा : मुसाक़ात भी मुज़ारात और मुख़ाबरत की तरह का मामला है। मगर उसे खजूरों और अंगूरों वग़ैरह के बाग़ात से ख़ास किया जाता है कि खजूरों का मालिक किसी से तय कर ले कि वह उनमें मेहनत करे, सैराब करे तो उसे एक ख़ास मुतअय्यन हिस्सा फल मिलेगा। जैसे कि मुज़ारात में होता है। ख़ैबर में बाग़ों की ख़िदमत का मुआहिदा मुसाक़ात और खेती का मुआहिदा मुज़ारात था। ख़ैबर वाली सूरत नई मुतआरफ़ करदा जायज़ सूरत थी। साबक़ा जाहिली सूरत को इस्लाम ने हराम क़रार दिया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ غَنَجٍ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثَمَرَتِهَا .

(3409) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर की खजूरें और वहां की ज़मीनें अहले ख़ैबर को इस शर्त पर दे दी थी कि वह उनमें अपने ख़र्च पर मेहनत करेंगे और रसूल (ﷺ) को उनका आधा फल मिलेगा।

(3409) तख़रीज : मुस्लिम: 1551.

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ . قَالَ أَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ . فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِي ذِهْ كَذَا وَكَذَا قَالُوا أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ . فَقَالَ فَأَنَا أَلِي حَزْرَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ . قَالُوا هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ

(3410) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब ख़ैबर फ़तह कर लिया और शर्त की कि मुसलमान उसकी ज़मीन और उसके सोने चाँदी के मालिक हैं। तो ख़ैबर वालों ने कहा कि हम आपकी निस्बत ज़मीन के ज़्यादा माहिर हैं। आप ये हमें दें और शर्त ये रही कि आधा हम आपको देंगे और आधा ख़ुद रखेंगे। चुनांचे आपने इस शर्त पर ज़मीन उन्हें दे दी। फिर जब फल जनने का मौसम आया तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) को भेजा जो खजूरों के फल का अन्दाज़ा लगा कर आये और इस अमल को अहले मदीना (ख़रस) 'अन्दाज़ा लगाना' कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) ने कहा कि फ़ुलां बाग़ में इस क़द्र है और फ़ुलां में इस क़द्र। तो उन्होंने कहा: ऐ इब्ने रवाहा! तूने हम पर ज़्यादा लगा दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने उन फलों का जो अन्दाज़ा लगाया है, उसका मैं ज़िम्मेदार हूं, मैं उसका निस्फ़ तुम्हें देता हूं। यहूदीयों ने कहा: यही वह हक़ (और अदल) है जिससे आसमान व ज़मीन क़ायम हैं

وَالأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ .

जो आपने कहा हम उसके लेने पर राज़ी हैं।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1820.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ .

(3411) जाफ़र बिन बुरक़ान ने अपनी पिछली सनद से इस हदीस़ के हम मानी बयान किया और (फ़हज़रा) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। और (व कुल्ल स़फ़राअ व बैज़ाअ) के बाद यानी (अज़्ज़हबु वल फ़िज़्ज़तु) भी कहा।

(3411) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अ़ब्दुल बर, तम्हीद: 9/141, ये हदीस़ ऊपर गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ، عَنْ مِقْسَمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخْلَ وَقَالَ فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ

(3412) जनाब मिक़सम ने बयान किया कि जब नबी (ﷺ) ने ख़ैबर फ़तह कर लिया। और ज़ैद की (ऊपर दी गई) हदीस़ की मानिन्द बयान किया। इसके लफ़्ज़ थे (फ़हज़-रून्नख़्ल) 'फल की मिक़्दार का अन्दाज़ा लगाया' अगर तुम इस अन्दाज़े पर मुतमइन नहीं हो तो) फल की तुड़ाई मैं कर लूंगा और जो मैंने कहा है उसका आधा तुम्हें दे दूंगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

﴾36﴿ بَابٌ فِي الْخَرْصِ

बाब : 36
दरख़्तों पर लगे फलों की मात्रा का अन्दाज़ा लगाना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها

(3413) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि जब खजूरें पकने के क़रीब आतीं तो उनके खाये जाने से पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (رضي الله عنه) को रवाना फ़रमाते वह उनके

- قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ

फलों की मिक़्दार का अन्दाज़ा करदा मिक़्दार से अपना हिस्सा ले लें या मुसलमानों को दे दें, और ये सब इसलिए होता कि फल खाये जाने से पहले इसकी ज़कात (उश्र) का हिसाब लगाया जा सके और तक़सीम किया जा सके।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 1606 में देखें।

फ़ायदा : पिछली रिवायत और ऊपर बयान करदा दीगर स़ही अहादीस़ से ये स़ाबित है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) इस फ़न में माहिर थे। और ये कि एक मबनी बर इन्स़ाफ़ तरीक़े कार के मुताबिक़ पैदावार तक़सीम की जाती थी।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ.

(3414) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि जब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ख़ैबर अपने रसूल (ﷺ) को बतौर फ़ै इनायत फ़रमाया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूदीयों को उसकी ज़मीनों पर वैसे ही रहने दिया जैसे कि वह पहले थे और उनके और अपने दरम्यान मुतअ़य्यन हिस्स़े तय कर लिये। चुनांचे आपने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) को भेजा जिन्होंने उन पर फलों का अन्दाज़ा लगाया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/367.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ .

(3415) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि हज़रत इब्ने रवाहा (ﷺ) ने चालीस हज़ार वस्क़ का अन्दाज़ा लगाया था। और फिर जब यहूदीयों को इख़्तियार दिया तो उन्होंने फल ले लिया और उनके ज़िम्मे (मुसलमानों का) बीस हज़ार वस्क़ आ गया।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 3/194, 195, हदीस़: 10561, मुसनद अहमद: 3/296, मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़ : 7205. ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

كتاب الإجارة

इजारे के अहकाम व मसाइल

- इजारा और उज्र दोनों का बुनियादी मफ़हूम उजरत पर कुछ देना है। क़ुर्आन मजीद ने उजरत के अल्फ़ाज़ हज़रत शुऐब और हज़रत मूसा (ﷺ) के बाहमी मुआहिदे के साथ साथ दूध पिलाने वाली औरत के हक़ के लिये भी इस्तेमाल किये हैं, इरशादे बारी तआला है: 'फ़इन अर्ज़अना लकुम फातूहुन्ना उजूरहुन्ना' (अत्तलाक़: 6) नीज़ इस हवाले से सूरह अलबक़रः की 233 नम्बर आयत देखिये।

- फ़क़ीहों ने इजारा की तारीफ़ करते हूए ये कहा है कि इजारा किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत में रखते हूए मुतअय्यन ऐवज़ (उजरत) के बदले मुक़र्ररह (फ़िक्स) मुद्दत के लिये उसकी मन्फ़अत (नफा) दूसरे को देने का नाम है। जिस तरह घर और सवारी किराये पर दी जाती है या जिस तरह कोई मज़दूर उजरत पर अपनी ख़िदमत फ़रोख़्त करता है। इन फ़क़ीहों के नज़दीक फलदार दरख़्त या अंगूर की बेल किराये पर नहीं चढ़ाई जा सकती। इसकी वजह ये है कि इससे दरख़्त या बेल का फल दूसरे को मिलता है और वह मन्फ़अत (नफ़ा) नहीं 'एक चीज़' है जिसकी मिल्कियत दूसरे को मुंतकिल होती है। नीज़ हासिल करने वाला उसे सर्फ़ कर डालता है।

- इसी तरह उनके नज़दीक दूध देने वाले जानवर दूध वग़ैरह के लिये किराये पर नहीं दिये जा सकते क्योंकि दूध मन्फ़अत (नफ़ा) नहीं 'एक चीज़' है जो दूसरे की मिल्कियत में जाकर सर्फ़ हो जाती है। (फ़िक़्हुस्सुन्नह: 4/119, अलफ़िक़्ह अलइस्लामी व अदिल्ला: 4/733).

- इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) के नज़दीक इजारे की जो तारीफ़ फ़क़ीहों ने की है इसमें दूध पिलाने वाली औरत के ख़िदमत के हक़ को उजरत क़रार नहीं दिया जा सकता। जबकि क़ुर्आन ने इसको 'अज्र' क़रार दिया है। इसलिए फ़क़ीहों की बयान करदा तारीफ़ दुरूस्त नहीं। फ़क़ीहों ने तो अपनी वज़ा करदा तारीफ़ पर इसरार करते हूए उल्टा क़ुर्आन के हुक्म को ख़िलाफ़े क़यास क़रार दे दिया है और कई क़िस्म की तावीलें इख़्तियार की हैं। जैसे ये कि दुध पिलाने वाली को उजरत दूध की नहीं बल्कि बच्चे को गोद में लेने और सीने से लगाने वग़ैरह की दी जाती है। दूध असल मक़सूद ही नहीं वह वैसे ही बच्चे को हासिल हो जाता है। इब्ने क़य्यिम (रह.) ये तावीलें नक़ल करके कहते हैं कि 'उन हज़रात ने हक़ीक़तों को उलट दिया है।' मक़सूद (यानी बच्चे का बतौर ग़िज़ा दूध पीना) को ज़रिया

क़रार दे दिया है और ज़रिये (गोद में उठाना, सीने से लगाना) को मक़सद बना दिया है। (इलामुल मूक़ेइन : 2/21, 22 समरी) इसमें कोई शक नहीं कि फ़िक़्ही तारीफ़ें इंसानी काविश हैं। जिसमें ग़लती का इम्कान मौजूद रहता है। इजारे की तारीफ़ करते हूए कुर्आन ने जहां अज्र का लफ़्ज़ बोला है, तारीफ़ वज़अ करते हूए उसको पेश नज़र रखना चाहिए था। क्योंकि क़यास तो होता ही नस्से कुर्आन या नस्से हदीस़ की बुनियाद पर है। ये बात कैसे क़ाबिले क़बूल हो सकती है कि ख़ूद तारीफ़ करके कुर्आन के किसी हुक्म को ख़िलाफ़े क़यास क़रार दे दिया जाये।

- इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) के नज़दीक ये उसूल कि इजारा मन्फ़अत का मुआहिदा है ऐन या चीज़ का नहीं सिरे से ही गलत है। उनके अपने अल्फ़ाज़ में: 'इस अस़ल पर न कुर्आन दलालत करता है न सुन्नत न इज्मा और न क़यासे स़ही।' इनके नज़दीक जिस तरह अस़ल चीज़ के बाक़ी रहते हूए उसके मुनाफ़े से इस्तेफ़ादे का मुआहिदा इजारा होता है उसी तरह अस़ल चीज़ के बाक़ी रहते हूए इन चीज़ों के बारे में मुआहिदा भी जो बतररीज इससे हासिल होती रहती हैं, इजारा ही कहलाता है। इसी तरह इनके नुक़्त–ए–नज़र के मुताबिक़ दरख़्त या दूध देने वाले जानवर को इजारा (किराया) पर देना दुरूस्त होगा। क्योंकि कुर्आन ने दूध पिलाने वाली (मुरज़िआ) के हक़्क़े ख़िदमत को ख़ूद 'उज्र' क़रार दिया है। इलामुल मूकेइन, स़: 31–32)

- इमाम इब्ने हज़्म (रह.) का मौक़िफ़ अगरचे वह नहीं जो इब्ने क़य्यिम (रह.) का है लेकिन ऐतराज़ की हद तक दोनों में इत्तेफ़ाक़ नज़र आता है। इब्ने हज़्म (रह.) कहते हैं: इमाम मालिक दूध के लिये एक या दो भेड़ों को इजारे पर देना नाजायज़ समझते हैं लेकिन दूध ही के लिये पूरा रेवड़ इजारे पर देने की इजाज़त देते हैं। जबकि इस मामले में स़ही तरीन क़यास ये है कि 'दूध की ग़र्ज़ से एक भेड़ के इजारे को रज़ाअत के लिये दूध पिलाने वाली की उजरत पर क़यास किया जाये। (अलमहल्ली: 8/189, 190) इमाम इब्ने क़य्यिम का इस्तेदलाल और इनकी तारीफ़ बाक़ी फ़क़ीहों की वज़अ की हूई तारीफ़ के बिल्मुक़ाबिल क़यासे स़ही और कुर्आन मजीद के क़रीबतर है।

- जदीद इस्लामी बैंककारी में लिज़ींग (Leasing) को इजारा क़रार दिया जा रहा है और इस तस़व्वुर को मग़रिबी ममालिक के बैंकों में भी वसीअ़ पैमाने पर इख़्तियार किया गया है।

- बैंकों के तरीक़ेकार के मुताबिक़ चीज़ क़ानूनी तौर पर मालिक ही की मिल्कियत रहती है। इस्तेमाल के हुक़ूक़ अलबत्ता लेने वाले को हासिल होते हैं। उजरत या किराया इस तरह मुक़र्रर किया जाता है कि बैंक अपने अस़ासे की क़ीमत कुछ मुनाफ़ा समेत मुक़र्रर मुद्दत में किस्तों के साथ वसूल कर लेता है। ये मुद्दत आ़म तौर पर वही होती है जो चीज़ बनाने वाले के मुताबिक़ या उर्फ़े आ़म में उस चीज़

की तबई उम्र होती है। मुद्दत पूरी होने से पहले अगर मुआहिदा मन्सूख़ नहीं हूआ तो कामयाबी से मुआहिदा पूरा होने के बाद वह चीज़ इस्तेमाल करने वाले ही को दे दी जाती है क्योंकि बैंक के नज़दीक इसकी तबई उमर पूरी हो जाती है। (तफ़्सील के लिये देखिये: रिपोर्ट इस्लामी नज़रियात कांसिल) कार वग़ैरह की लीज़ींग इस्लामी तरीक़े पर उसी सूरत के मुताबिक़ की जा सकती है। उसको बैंक फ़ाइनेन्स लीज़ कहते हैं।

- अगर कोई चीज़ कम या दरम्यानी मुद्दत के लिये इजारा पर इस्तेमाल के लिये दी जाये और जब एक इस्तेमाल करने वाले के साथ मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म हो जाये तो मालिक चीज़ उससे वापस लेकर किसी दूसरे को इस्तेमाल के लिये इजारे पर दे दे तो उसको बैंक इस्तेमाली इजारा कहते हैं।

- हमारे यहां बैंकों में जिन मुआहिदों को इजारे पर मबनी क़रार दिया जा रहा है उनमें इजारे की शरई शर्तों में से बाज़ की मुख़ालिफ़त की जा रही है। इजारे की इस्लामी सूरत के मुताबिक़ उजरत या किराये पर दी गयी चीज़ को लाहिक़ होने वाले ख़तरात और नुक़सानात का ज़िम्मेदार मालिक होता है, चीज़ लेने वाले पर इस सिलसिले में कोई भार नहीं डाला जा सकता। जबकि आजकल बैंक ये ज़िम्मेदारी इजारे पर चीज़ लेने वाले फ़रीक़ पर डाल देते हैं। अगर इस क़बाहत को दुरूस्त कर लिया जाये तो बैंक का मुआहिद–ए–इजारा शरअ़न दुरूस्त होगा वरना नहीं।

- अगर इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) की वसीअ़तर तारीफ़ को क़बूल कर लिया जाये (जो कि दरहक़ीक़त सही तरीन तारीफ़ है।) तो इस्लामी बैंककारी का दायरा ब आसानी ज़रई मैदानों तक फैलाया जा सकता है।

- इमाम अबू दाऊद (रह.) ने तर्तीब की मुनासिबत से किताब अल इजारा को किताबुल बुयूअ़ के वस्त में रखा है। तक़रीबन ग्यारह अबवाब में ज़िक्र की गयी अहादीसे मुबारका मुआहिदा–ए इजारा के मुख़्तलिफ़ पहलूओं पर रोशनी डालती हैं। ज़्यादातर अहादीस़ उजरत पर मुख़्तलिफ़ ख़िदमात (मुअ़ल्लिम की ख़िदमात, मुआलिज की ख़िदमात वग़ैरह) हासिल करने के बारे में हैं। इन अहादीस़ से वाज़ेह होता है कि किस तरह की ख़िदमात में इजारा जायज़ होगा और किस तरह की ख़िदमात में नाजायज़ होगा। इन अहादीस़ के ज़रिये से मुआहिदा–ए–इजारा के मुख़्तलिफ़ पहलूओं पर क्या रोशनी पड़ती है। इसकी तफ़्सील अहादीस़ के मतालिब के ज़िम्न में आयेगी।

बाब : 1
तालीम देने वाले की कमाई का बयान

﴿1﴾
بابٌ فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ " إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا " .

(3416) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने अहले सुफ़्फ़ा के कुछ अफ़राद को क़ुर्आन पढ़ाया और लिखना सिखाया। तो उनमें से एक शख़्स़ ने मुझे एक क़ौस (कमान) हदियतन दी। मैंने (दिल में) कहा: ये कोई अहम माल भी नहीं है और मैं जिहाद में इसके ज़रिये से तीर अन्दाज़ी ही कर सकता हूं, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाता हूं और इसके मुताल्लिक़ पूछता हूं। चुनांचे मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे एक आदमी ने एक कमान हदिया की है जिसे मैंने लिखना सिखाया और क़ुर्आन पढ़ाया है। और ये कोई अहम माल भी नहीं, मैं इसके ज़रिये से जिहाद में तीर अन्दाज़ी ही कर सकता हूं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें ये पसन्द हो कि तुम्हें आग का तौक़ पहनाया जाये, तो इसे क़बूल कर लो।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 2157, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 6/226, हाकिम: 2/41, 42.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(3417) जनाब जुनादा बिन अबी उमैया (रह.) ने हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) से इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया और

يَسَارٍ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ - وَالأَوَّلُ أَتَمُّ - فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا " . أَوْ " تَعَلَّقْتَهَا " .

पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसकी बाबत आपकी क्या राय है? तो आपने फ़रमाया: 'ये अंगारा है जिसे तूने अपने कंधों के दरम्यान डाल लिया है।'

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।, हदीस़: 6/125, मुसनद अहमद: 5/324.

फ़ायदा : मुअल्लिमे (कुर्आन) की कमाई: कुर्आन मजीद की तालीम देने वाले की उजरत पर फ़क़ीहों ने लम्बी बहसें की हैं। मुख़्तलिफ़ रिवायात, अमले सहाबा और आसारे सल्फ़ को सामने रखा जाये तो कुर्आने मजीद की तालीम के हवाले से तीन सूरतें सामने आती हैं। **(1)** कुर्आने मजीद की तालीम मुसलमान मुआशरे की इज्तेमाई ज़िम्मेदारी है, तमाम ऐसे लोग जो कुर्आन मजीद का इल्म रखते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वह अपने काम काज से वक़्त निकाल कर कुर्आन मजीद की तालीम दें जिस तरह हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) असहाबे सुफ़्फ़ा में से कुछ लोगों को कुर्आन पढ़ाते थे। ये अमल ख़ालिसतन अल्लाह की ख़ूशनुदी के लिये होना चाहिए। इस पर किसी तरह की उजरत लेना नाजायज़ है। इस बाब की दोनों हदीसों के मुताबिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे सख़्ती के साथ मना फ़रमाया है। लेकिन दूसरी रिवायात से इसका जवाज़ साबित है, जैसे हज़रात सहाबा का एक सफ़र में दम करके उसके बदले में बकरियाँ लेने का वाक़िया है जिसकी नबी (ﷺ) ने नफ़ी नहीं फ़रमायी, बल्कि उसकी तौसीक़ फ़रमा कर उसकी तहसीन फ़रमायी। (सही बुख़ारी) ये वाक़िया यहां भी अगले बाब में आ रहा है। इन दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक़ (सॉल्युशन) की यही सूरत है कि तालीमे कुर्आन पर उस शख़्स का उजरत लेना अच्छा नहीं जो उससे बेनियाज़ हो। ताहम दूसरे लोगों के लिये इसके जवाज़ से मफ़र नहीं। बिलख़ुसूस जब कि मौजूदा मुसलमान ममालिक में हुकूमती सतह पर तालीम व तदरीसे कुर्आन का क़तअन कोई एहतिमाम नहीं है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये ख़बर दी कि बाद के ज़मानों में लोग कुर्आन मजीद पढ़ कर उसके ज़रिये लोगों से सवाल किया करेंगे। (तिर्मिज़ी, फ़ज़ाइलुल कुर्आन, बाब: 25) इससे मुराद ऐसे लोग हैं जिनका पेशा ही माँगना होता है। भीख के लिये कुर्आन को इस्तेमाल करना चूंकि कुर्आन की अजीमत व हुरमत के मनाफ़ी है, इसलिए वाक़ेई ये अन्दाज़ मज़मूम और हराम है। **(3)** अगर कोई हुकूमत या इदारा महसूस करे कि कुर्आन मजीद की तालीम के लिये उमूमी कोशिशें नाकाफ़ी हैं और वह ऐसे लोगों की ख़िदमात हासिल करें जो दीगर ज़रीये मआश को तर्क करके सिर्फ़ इसी काम में मशग़ूल हो जायें और हमा वक़्त मदारिस वग़ैरह में कुर्आन मजीद की

तालीम दें तो उनके लिये मुनासिब वज़ीफ़ा–ए–मआश मुक़र्रर करना जायज़ है। जिस तरह कि हज़रत उमर (ﷺ) ने ये इन्तेज़ाम किया था कि हज़रत उबादा बिन सामित, मुआज़ बिन जबल और अबू दरदा (ﷺ) की ख़िदमात हासिल करके उन्हें शाम भेजा ताकि वह लोगों को कुर्आन मजीद पढ़ायें और फ़िक़्ह सिखायें। (उस्दुल ग़ाबा: 3 तज़किरा हज़रत उबादा बिन सामित)(ﷺ) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) को हज़रत उमर (ﷺ) ने दीन सिखाने के लिये बसरा रवाना फ़रमाया। (उस्दुल ग़ाबा: 4, तज़किरा हज़रत इमरान बिन हुसैन) (ﷺ) ये बात क़ाबिले ग़ौर है कि अपने तौर पर कुर्आन पढ़ाने की उजरत से मना करने की रिवायात हज़रत इमरान बिन हुसैन और हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) ही से मनक़ूल हैं। यही हज़रात कुर्आन मजीद की क़िराअत और तालीम की तरफ़ मुतवज्जा थे और यक़ीनन इस पर कोई उजरत क़बूल न फ़रमाते थे, लेकिन जब हज़रत उमर (ﷺ) ने बाक़ायदा हुकूमत की तरफ़ से उनकी ख़िदमात हासिल कीं तो उन्होंने ये मन्सब क़बूल कर लिया।

बाब : 2
तबीबों की कमाई का बयान

﴿2﴾ بَابٌ فِي كَسْبِ الأَطِبَّاءِ

(3418) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि अस्हाबे नबी (ﷺ) की एक जमाअत सफ़र में गयी। उन्होंने एक अरब क़बीला के यहां पड़ाव किया और उनसे ज़ियाफ़त तलब की। मगर उन्होंने इंकार कर दिया। फिर ऐसे हूआ कि क़बीले के सरदार को (बिच्छू वग़ैरह ने) डंक मार दिया। उन्होंने उसका हर तरह से इलाज किया, मगर उसे कोई फ़ायदा न हूआ। तो उनमें से किसी ने कहा: अगर तुम उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हारे यहां पड़ाव किये हूए हैं, शायद उनमें किसी के पास कोई चीज़ हो जो तुम्हारे आदमी के लिये मुफ़ीद हो। (तो कुछ आदमी आये) और कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू वग़ैरह ने डंक मार

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ - قَالَ - فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ

عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقْيَةً ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً ‏.‏ فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرِئَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ ‏.‏ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرَهُ ‏.‏ فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ ‏"‏ ‏.‏

दिया है और हमने उसका हर तरह से इलाज मुआलिजा किया है मगर उसे फ़ायदा नहीं हूआ। तो क्या तुममें से किसी के पास कोई चीज़ है जो हमारे आदमी के लिये मुफ़ीद हो? उनका मक़सद दम था। स़हाबा में से एक आदमी ने कहा: मैं दम करता हूं। लेकिन हमने तुमसे ज़ियाफ़त तलब की थी जिसका तुमने इंकार कर दिया, तो मैं उस वक़्त तक दम नहीं करूंगा जब तक तुम कोई ऐवज़ न दो। चुनांचे उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देना तय किया। फिर वह स़हाबी उसके पास गये और उस पर सूरह फ़ातिहा पढ़ी। वह उस दौरान में उस पर (हल्का हल्का) लुआब भी फूंकते जाते थे यहाँ तक कि वह ठीक हो गया गोया कि किसी बंधन से खुल गया हो। तो उन्होंने जो मुआवज़ा तय किया था वह दे दिया (बकरियाँ हवाले कर दीं) साथियों ने कहा कि उन्हें आपस में तक़सीम कर लें, तो जिसने दम किया था उसने कहा: ऐसे मत करो यहाँ तक कि पहले हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जायें और आपसे मशवरा करें। चुनांचे वह सुबह को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचे और आपको ये क़िस्सा बयान किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हें कहाँ से ख़बर हूई थी कि ये दम भी है? तुमने बहुत ख़ूब किया। मेरा भी इसमें हिस्सा रखो।'

(3418) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 2276, व मुस्लिम: 2201.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ

(3419) मअ़बद बिन सीरीन ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की।

(3419) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5007, व मुस्लिम: 2201.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ . فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ " .

(3420) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त ने अपने चचा (हज़रत अलाक़ा बिन सुहार तमीमी) (ﷺ) से रिवायत किया कि वह एक क़ौम के पास से गुज़रे तो वह लोग उनके पास आये और कहा: तुम उस शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से ख़ैर (क़ुर्आन और ज़िक्रे अल्लाह) लेकर आये हो, चुनांचे हमारे इस शख़्स पर दम कर दो। फिर वह लोग उनके पास एक मजनून (दीवाने) को लाये जो ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ था। उन्होंने उसे तीन दिन तक सुबह शाम सूरह फ़ातिहा का दम किया, वह जब भी उसे ख़त्म करते तो अपना लुआब जमा करते और उस पर फूंक देते। फिर वह ऐसे हो गया जैसे कि बंधन से खोल दिया गया हो। उन लोगों ने उनको कुछ दिया तो वह नबी (ﷺ) के पास आये और ये सब बयान किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खा लो' क़सम मेरी उमर की! लोग बातिल झाड़ फूंक से खाते हैं और तुमने हक़ सच दम से खाया है।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/211, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10876.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (तबाबत) इलाज मुआलिजा एक मशरूअ और जायज़ फ़न और हलाल कस्ब है इसमें कुर्आन के ज़रिये से दम को भी शामिल किया जा सकता है। (2) फ़ातिहा और दीगर आयाते कुर्आनी को बतौर इलाज दम करना कराना जायज़ है और जिस्म पर फूंक मारना जब कि उसमें लुआब की आमेज़िश (मिलावट) हो मुबाह है। (3) इस पर मिलने वाला मुआवज़ा भी हलाल और तय्यब है। मगर महज़ (तिब्बे रूहानी ही को) कस्ब बना लेना सल्फ़ से साबित नहीं। (4) सहाब–ए–किराम (ﷺ) अपने रिज़्क़ के मामले में इन्तेहाई मोहतात हूआ करते थे और यही चीज़ हर मुसलमान के लिये लाज़िम है कि रिज़्क़े हलाल खाये। (5) रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपनी उ़मर की क़सम खाना, आप (ﷺ) ही के साथ ख़ास है आपने इसी तरह अपनी उ़मर की क़सम खायी जिस तरह कुर्आन मजीद में है: 'आपकी उ़मर की क़सम! वह तो अपनी बदमस्ती में सर गरदां हैं।' (अलहिज्र: 72)

बाब : 3
पछने लगाने वाले की कमाई का बयान

﴾3﴿ باب فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ

(3421) हज़रत राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने वाले की कमाई नापसन्दीदा है, कुत्ते की क़ीमत ख़बीस़ है और बदकार औरत की ख़र्ची ख़बीस़ है।'

(3421) तख़रीज : मुस्लिम: 1568.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब में आप (ﷺ) से ये मनक़ूल है कि पछने लगाने वाले की कमाई ख़बीस़ है। इसी तरह ये भी मनक़ूल है कि आपने पछने लगवाकर लगाने वाले को एक साअ खजूर देने का हुक्म दिया। ये भी है कि हज़रत इब्ने मुहय्यिसा के दादा ने ऐसी कमाई के बारे में मुसल्सल सवाल किया तो आपने उन्हें, इस तरह की कमाई ऊँट या गुलाम को खिलाने की इजाज़त दी। पछने लगाने में चूंकि एक सूरत ये होती थी कि मुँह से मरीज़ का ख़ून चूसा जाता था, लिहाज़ा इस निस्बत से उसे ख़बीस़ यानी नापसन्दीदा कहा गया है, वरना ये मुतलक़न हराम नहीं। ऐसा होता तो आप (ﷺ) पछने

लगाने वाले को ख़ूद अ़ता करते न ऐसी कमाई ऊँट या गुलाम को खिलाने ही की इजाज़त देते। ये इम्कान भी है कि पछने लगाने वाले जिस्म से निकला हूआ ख़ून फ़रोख़्त कर देते थे। (नैलुल अवतार: 5/321) **(2)** कुत्ता चूंकि हराम जानवर है इसलिए उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त भी हराम है। अलबत्ता बाज़ लोग शिकारी कुत्ता (कल्बे मुअ़ल्लम) ख़रीदने की इजाज़त देते हैं। **(3)** ज़िनाकारी से हासिल शुदा आमदनी के हराम होने में क्या शक हो सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ .

(3422) जनाब इब्ने मुहय्यिस़ा (हराम बिन सईद बिन मुहय्यिस़ा) अपने वालिद (यानी दादा) से रिवायत करते हैं, उन्होंने (मुहय्यिस़ा(ﷺ) ने) रसूलुल्लाह (ﷺ) से पछने लगाने की उजरत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो आपने उन्हें मना फ़रमा दिया। वह फिर भी आपसे सवाल करते और इजाज़त चाहते रहे यहाँ तक कि आपने उन्हें हुक्म दिया कि उसे अपनी ऊँटनी और अपने गुलाम को खिला दे।

(3422) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1277, इब्ने माजा: 2166, मौता: 2/974.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ .

(3423) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पछने लगवाये और हज्जाम को उसकी उजरत दी। अगर ये काम या उजरत ख़बीस़ (हराम) होती तो उसे न देते।

(3423) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2279.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के क़ौल से ऊपर दी गई हदीस़ नम्बर 3421 में वारिद लफ़्ज़ 'ख़बीस़' का तर्जुमा वाज़ेह हो गया है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ

(3424) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि जनाब अबू तैबा (नाफ़े)(ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पछने

أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .

लगाये तो आपने उसे एक साअ खजूर देने का हुक्म दिया। और उसके मालिकों से सिफ़ारिश फ़रमायी उस पर लागू ख़राज (टेक्स) में तख़्फ़ीफ़ (कमी) करें।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2102, मौता: 2/974, व मुस्लिम: 1577.

﴿4﴾ باب فِي كَسْبِ الإِمَاءِ

बाब : 4 लौण्डियों से बदकारी करा के माल हासिल करना

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ

(3425) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लौण्डियों की कमायी से मना फ़रमाया है।

(3425) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2283.

फ़ायदा : यानी लौण्डी जब बदकारी या गाने बजाने से माल कमाती हो, तो सरासर हराम है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا . وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ

(3426) जनाब तारिक़ बिन अब्दुर्रहमान क़ुरैशी ने बयान किया कि जनाब राफ़े बिन रफ़ाआ (ﷺ) अन्सारियों की एक मज्लिस में आये और कहा कि आज नबी (ﷺ) ने हमें मना फ़रमाया है और कई चीज़ें ज़िक्र कीं और उनमें से एक ये थी कि आपने हमें लौण्डी की कमाई से मना फ़रमाया है सिवाए इसके जो उसके हाथ की कमाई हो। और अपनी ऊँगलियों से इशारा करते हूए कहा कि जैसे रोटी पकाये, ऊन काते या धुनके।

(3426) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/341, हाकिम: 2/42.

फ़ायदा : औरतों के लिये घरेलू दस्तकारियाँ एक अच्छा काम हैं। उन्हें इसमें महारत हासिल करनी चाहिए ताकि वह उनमें मशग़ूल रहें और दीगर वाहियात से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहें।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ .

(3427) जनाब राफ़े बिन ख़दीज (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लौण्डी की कमाई से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि जाना जाये कि कहां से कमाया है।

(3427) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 2/42.

फ़ायदा : मालिक को इल्म होना चाहिए कि उसके कारिन्दे या बच्चे कहां से किस किस तरह से कमाई करके लाते हैं, ताकि हलाल व तय्यब का यक़ीन हो और मशकूक व हराम से बचा और बचाया जा सके।

﴿5﴾ باب فِي حُلْوَانِ الْكَاهِنِ

बाब : 5
काहिन का 'नज़राना' (हराम है)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

(3428) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, बदकार औरत की कमाई और काहिन के नज़राने से मना फ़रमाया है।

(3428) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5761, व मुस्लिम: 1567.

फ़ायदा : काहिन वह हैं जो लोगों को मुस्तक़बिल की ख़बरें और क़िस्मत के अहवाल बताते हैं, ये कज़्ज़ाब (बड़े झूठे) लोग होते हैं, इनके पास जाना ही हराम है। अगर कोई इनकी पेशगोई को सच माने तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती। (सही मुस्लिम: 2230) इन्हें कुछ देना भी हराम है और इनकी अपनी कमाई भी हराम है।

बाब : 6
जानवर को जुफ़्ती कराने की उजरत लेना

﴿6﴾ باب في عَسْبِ الْفَحْلِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

(3429) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जानवर को जुफ़्ती कराने की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

(3429) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2284

फ़ायदा : मवेशी पालने वाले जानते हैं कि चरागाहों में रेवड़ों के रेवड़ चरते फिरते हैं और फ़ितरी तरीक़े पर जानवरों का मिलाप होता रहता है। इस अ़मल की उजरत या क़ीमत न तय हो सकती है न इसकी उजरत वसूल करने की ग़र्ज़ से जानवरों को फ़ितरी मिलाप से रोकना जायज़ है। हदीस़ मुबारक: 'मादा जानवरों को हक़ है कि नर जानवर उनसे मिलाप करें।' (स़ही मुस्लिम: 988) इसी चीज़ पर दलालत करती है।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर क़ीमत या उजरत तलब करने से मना फ़रमाया है। अलबत्ता एक स़हाबी ने जब इस़रार से पूछा कि हम जब (तलब करने पर) अपना नर जानवर ले जाते हैं तो वहां हमारा इकराम किया जाता है और कुछ न कुछ हदिया पेश किया जाता है तो आप (ﷺ) ने इसकी इजाज़त दे दी। इस इजाज़त से पता चलता है कि बाक़ायदा ख़रीद फ़रोख़्त से हटकर जानवर रखने वालों की सहूलत के लिये लेन देन का जो रिवाज मौजूद है उसे ख़त्म करके सिस्टम को ख़राब करना मक़सूद नहीं। चरागाहों को छोड़ कर बाक़ी जगहों पर बाज़ औक़ात नर जानवर आसानी से दस्तयाब नहीं हो सकते। इस सूरत को सामने रख कर इमाम मालिक (रह.) ने नस्ल के कम होने से बचने के लिये इसकी इजाज़त दी है। (फ़तहुल बारी: 4/582)
- जबसे जानवरों के मालिकों में ये एहसास पैदा हूआ है कि दूध वग़ैरह के हुसूल के लिये अच्छी नस्ल के जानवरों की पेदाइश ज़रूरी है तो अच्छी नस्ल के नरों की माँग बढ़ गयी है, बल्कि अब तो मस़नूई नस्लकशी का जदीद तरीक़ राइज हो गया है। अब अच्छी नस्ल के नर इसी ग़र्ज़ से पाले जाते हैं, इन पर ख़र्च किया जाता है और इनसे हास़िल होने वाले मादे से मस़नूई तौर पर नस्लकशी

की जाती है। अगर इसके लिए बाक़ायदा क़ीमत या उजरत का तअय्युन करने की बजाये 'इकराम' के तहत लेन देन का तरीक़ राइज हो जाये तो शरअन इस पर ऐतराज़ नहीं होगा। पहले के फ़कीहों और मुफ़स्सिरीन ने मिलाप के अमल पर उजरत या क़ीमत न लेने की ये वजह ज़िक्र की है कि जिस चीज़ की उजरत ली जा रही है, उसकी न मात्रा का तअय्युन हो सकता है, न उसकी फ़राहमी यक़ीनी होती है इसलिए ये ग़ैर मालूम और ग़ैर यक़ीनी चीज़ की उजरत होगी। जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता।

- अगर हुरमत की ये वजह सही तस्लीम कर ली जाये तो मसनूई नस्लकशी के तरीक़ों की वजह से अब ये ग़ैर मालूम और ग़ैर यक़ीनी चीज़ नहीं रही। जदीद (आधुनिक) तकनीक के ज़रिये से बाक़ायदा मुतअय्यन मिक़्दार में नर जानवर का मवाद मादा जानवर के रहम में दाख़िल कर दिया जाता है। इस तरह तो उजरत का भी जवाज़ पैदा हो सकता है।

- ये बात अपनी जगह अहम है कि ख़ूद मसनूई नस्लकशी शरअन जायज़ है या नहीं? इसके जवाज़ पर ताबीर (खजूर के फल देने वाले दरख़्तों पर नर खजूर का बोर लाकर डालना) की हदीस से इस्तेदलाल किया जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो पैदावार हासिल करने के इस मसनूई तरीक़े को आपने फ़ितरी तौर पर नापसन्द फ़रमाया और इससे रोक दिया लेकिन जब मालूम हूआ कि इससे खजूरों की पैदावार कम हो गयी है तो आपने बाक़ायदा इसकी इजाज़त दे दी। इस हदीस की रू से नर का मवाद मसनूई तरीक़े से मादा तक पहुँचाने का तरीक़ा इख़्तियार करने की इजाज़त मौजूद है।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान तिजारती तरीक़ों की बजाये फ़ितरी तरीक़ों को राइज करने का तक़ाज़ा करता है। मुसलमान हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि वह जनता के फ़ायदे की ग़र्ज़ से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आला नस्ल के नर जानवरों का इन्तेज़ाम करें ताकि फ़ितरी तरीक़ों से आला नस्ल के जानवर हासिल हों और लोग तिजारती बुनियादों पर इसका इन्तेज़ाम करने की मजबूरी से बच जायें।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने 'जानवरों के हक़' के हवाले से जो इशारा फ़रमाया है वह रिफ़ बिल हैवानात (जानवरों से नर्मी का सलूक करना) की बेहतरीन मिसाल है। इन हुकूक़ को पूरा करने की भी यही सूरत है कि हुकूमतें बड़े पैमाने पर अच्छी नस्ल के नर जानवरों का इन्तेज़ाम करें।

बाब : 7
सुनारों की कमाई का बयान

﴿7﴾
باب فِي الصَّائِغِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلاَمٍ - أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي - فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلاَمًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لاَ تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلاَ صَائِغًا وَلاَ قَصَّابًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

(3430) जनाब अबू माजिदा कहते हैं कि मैंने एक लड़के का कान काट लिया। या मेरे कान से कुछ काट लिया गया तो हज़रत अबूबक्र (ﷺ) हज करते हूए हमारे यहां आये। हम उनके यहां जमा हो गये, तो उन्होंने हमें हज़रत उ़मर (ﷺ) की तरफ़ भेज दिया। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: बिलाशुब्हा इसमें क़िसास़ है, हज्जाम को बुलाओ जो उससे क़िसास़ ले। जब हज्जाम को बुलाया गया तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, फ़रमाते थे: मैंने अपनी ख़ाला को एक गुलाम हिबा किया है, उम्मीद है कि वह उसके लिए बाबरकत स़ाबित होगा, और मैंने उससे कहा है कि उसे किसी हज्जाम, सुनार या क़स्स़ाब के हवाले न करना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अ़ब्दुल आ़ला ने इब्ने इस्हाक़ से रिवायत में कहा 'इब्ने माजिदा बनू सहम का फ़र्द था और उसने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/127.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ

(3431) अबू माजिदा (इब्ने माजिदा) सहमी ने बवास्ता हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ), नबी (ﷺ) से इसी हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया।

السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(3431) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

(3432) इब्ने माजदा सहमी ने बवास्ता हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ), नबी (ﷺ) से इस हदीस की मिस्ल रिवायत किया।

(3432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस ऊपर गुज़र चुकी है।, बैहक़ी, हदीस: 6/128.

फ़ायदा : पिछली रिवायात ज़ईफ़ हैं। सोने चाँदी की ख़रीदो फ़रोख़्त करने वाले और उसके ज़ैवरात बनाने वाले (यानी सुनार) नबी (ﷺ) के दौर में मौजूद थे। आपसे पहले भी थे और बाद में भी रहे हैं। हज़रत अब्बास (ﷺ) ने हरमे मक्का की इज़्ख़ीर (घास) के हलाल रखे जाने की एक इल्लत (कारण) यही बयान की थी कि ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है और सर्राफ़ लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई तरह से साबित है कि सुनार की कमाई अमानत व दयानत की शर्त पर एक हलाल कमाई है और इसमें कोई ऐब नहीं, ऐब तो ख़्यानत और झूठ में है ख़्वाह किसी में हो, कहीं भी हो। (सही बुख़ारी)

(8) بَابٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

बाब : 8
मालदार गुलाम जो फ़रोख़्त किया जा रहा हो

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

(3433) हज़रत सालिम (रह.) अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब)(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कोई गुलाम बेचा और उसके पास माल भी हो तो ये माल उसके फ़रोख़्त करने वाले का होगा मगर ये कि ख़रीदार शर्त कर ले। और जिसने ताबीर शुदा खजूर बेची तो उसका फल बेचने वाले का होगा मगर ये कि ख़रीदार शर्त कर ले।

(3433) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/9, बुख़ारी, हदीस: 2379, व मुस्लिम.

तौज़ीह : खजूरों पर फल आने से पहले उनकी ख़ास अन्दाज़ से इस्लाह की जाती है और मादा खजूरों में नर का बोर वग़ैरह डाला जाता है, इसे ताबीर (बोर डालना, या पैवंदकारी) कहते हैं। इस हदीस में ये इशारा है कि अगर ग़ैर ताबीर शुदा खजूर बेची गयी हो और उस पर फल हो तो वह ख़रीदार का होगा।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ النَّخْلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا

(3434) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुलाम का क़िस्सा और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से खजूर का मसला बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ज़ोहरी और नाफ़े ने चार अहादीस में इख़्तिलाफ़ किया है। उनमें से एक ये है।

(3434) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2379, मौता: 2/617, व मुस्लिम: 1412.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

(3435) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुलाम फ़रोख़्त किया और उसके पास माल हो तो उसका माल फ़रोख़्त करने वाले का होगा सिवाए इसके कि ख़रीदार शर्त कर ले।

(3435) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/301, हदीस: 3433 में देखें।

फ़ायदा : यानी बेचते हूए असल बिकने वाली चीज़ के साथ कुछ और वाबस्ता है तो वह ख़ुद से ख़रीदार की तरफ़ मुन्तक़िल नहीं होता। ऐसे ज़्यादा चीज़ें पहले मालिक के हैं। हाँ अगर बैअ के दौरान में ये तय हो जाये की असल चीज़ मअ ज़वाइद बेची जा रही है तो फिर ये ख़रीदार की होगी।

बाब : 9
मंडी में माल लाने वालों से रास्ते ही में सौदा कर लेना

﴿9﴾ باب فِي التَّلَقِّي

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ " .

(3436) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा न करे और न सामान लाने वालों से रास्ते में मिलो यहाँ तक कि उसे मंडी में उतार लिया जाये।'

(3436) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2139, हदीस: 2165, मौता: 2/683, व मुस्लिम: 1412.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब दो शख़्स आपस में कोई सौदा तय कर रहे हों तो किसी तीसरे को इजाज़त नहीं कि उनके सौदे में दख़ल देकर उसे ख़राब कर दे या ख़ूद ख़रीद ले। **(2)** दूसरे मसले की वज़ाहत नीचे की हदीस में आई है।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ .

(3437) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मंडी में सामान लाने वालों से रास्ते ही में मुलाक़ात की जाये। (यानी सामान ख़रीद लिया जाये) अगर कोई ख़रीदार उससे मिला हो और सामान ख़रीदा हूआ हो तो माल वाले को बाज़ार में आने के बाद इख़्तियार है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सुफ़ियान (रह.) ने कहा: कोई शख़्स किसी के सौदे पर सौदा न करे यानी यूँ कहे कि मेरे पास इससे दस गुना बेहतर है। (ऐसा कहना जायज़ नहीं)

(3437) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1221, व मुस्लिम: 1519.

फ़ायदा : रास्ते में माल लाने वाले से मिलकर सौदा करने का उमूमन मक़सद ही ये होता है कि बाज़ार से कम क़ीमत पर ख़रीद लिया जाये और बाज़ार का भाव मालिक के इल्म ही में न आये। ये तरीक़ा तिजारत के आज़ादाना तौर पर जारी रहने में रूकावट है। मार्किट के अवामिल में इस तरह की मुदाख़लत ममनूअ (मना) है। दूसरे, मुसलमान भाई की बेख़बरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश है जो मज़मूम (निन्दनीय) है। इसलिए मुमानिअत के साथ ही ये तय कर दिया गया कि अगर रास्ते में सौदा तय हो और उसके बाद बेचने वाले को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हूआ है तो उसे बैअ वापस करने का इख़्तियार होगा।

बाब : 10
धोखा देने के लिये क़ीमत बढ़ा चढ़ा कर लगाना

﴾10﴿
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَنَاجَشُوا ‏"‏ ‏.‏

(3438) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सौदे पर धोखा देने के लिये एक दूसरे से बढ़कर क़ीमत न लगाओ।'

(3438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2140, व मुस्लिम: 1413.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (नजश) का मतलब ये है कि कोई शख़्स बज़ाहिर ख़रीदार बनकर मामला करने वालों के दरम्यान क़ीमत ज़्यादा देने की पेशकश कर दे, हालांकि वह हक़ीक़ी ख़रीदार न हो। और हक़ीक़ी ख़रीदार इस धोखे में आकर कि लोग ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा क़ीमत के ऐवज़ ख़रीदने पर आमादा हो जाये। बाज़ औक़ात इस क़िस्म के लोग ख़ूद दूकानदारों की तरफ़ से बाज़ार में घूम रहे होते हैं। ये अमल इस्लामी अमानत व दयानत के ख़िलाफ़ है, मंडी के अवामिल की आज़ादी में रूकावट है और धोखा है, इसलिए हराम है। **(2)** अलबत्ता नीलामे आम (कौन ज़्यादा देगा) में हक़ीक़ी ख़रीदार एक दूसरे से बढ़कर बोली दें, तो ये जायज़ है।

बाब : 11
शहरी को देहाती का माल बेचना मना है

﴿11﴾ باب فِي النَّهْىِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

(3439) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिये ख़रीद व फ़रोख़्त का काम करे। (तावुस कहते हैं:) मैंने वज़ाहत चाही कि इसका क्या मफ़हूम है? तो कहा कि कोई शहरी किसी देहाती के लिये दलाल न बने।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2158, व मुस्लिम: 1521.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانَ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا

(3440) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी किसी देहाती के लिये ख़रीद व फ़रोख़्त न करे अगरचे वह उसका भाई या बाप ही क्यों न हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने हफ़्स बिन उ़मर से सुना, उन्होंने कहा: हमें अबू बिलाल ने बयान किया, उन्होंने कहा: हमसे मुहम्मद (इब्ने सीरीन) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से बयान करते थे कि (ला यबीउ हाज़िरून लिबादिन) का कलिमा जामेअ़ मानी रखता है। यानी शहरी, देहाती के लिए कोई चीज़ बेचे, न कोई चीज़ ख़रीदे।

(3440) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4497, बुख़ारी, 2161, व मुस्लिम: 1523.

फ़ायदा : इस बाब में पिछली अहादीस़ से दलाली के मसले पर रोशनी पड़ती है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया कि कोई शहरी, देहाती के लिये उसकी लायी हूई चीज़ें फ़रोख़्त न करे। हज़रत इब्ने अब्बास(ؓ) ने कहा कि इसका मतलब है शहरी देहाती का दलाल न बने। बाब की आख़री हदीस़ में इसकी हिकमत ये बतायी गयी कि लोगों की ख़रीद व फ़रोख़्त के मामले में मुदाख़लत न की जाये। अल्लाह तआला लोगों को एक दूसरे के ज़रिये से रिज़्क़ देता है। ये मार्किट की क़ुव्वतों को आज़ाद रखने की तल्क़ीन है। आप (ﷺ) ने इसी वजह से क़ीमतें मुक़र्रर कर देने को रवा ना समझा बल्कि क़ीमतों को रसद और तलब के फ़ितरी तवाज़ुन का नतीजा क़रार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग देहात से ज़रूरत की चीज़ें शहर में लाते हैं उनको लालच देकर अपनी कोशिशों से क़ीमतों में इज़ाफ़ा करवाना और फिर उसमें हिस्सेदार बनना बुनियादी तौर पर आज़ाद मार्किट में नापसन्दीदा मुदाख़लत है, इससे ज़रूरत की चीज़ें ना रवा तौर पर महंगी होती हैं इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमा दिया। दूसरी तरफ़ अबू दाऊद ही की किताब अलबुयूअ की पहली हदीस़ में ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बाज़ार जाकर दलालों को सम्सार की बजाये जो एक अज्मी लफ़्ज़ है, ज़्यादा क़ाबिले एहतराम नाम ताजिर से पुकारा जिस पर ये हज़रात बहुत ख़ूश हूए। आपने उनको तल्क़ीन फ़रमायी की बैअ व शरा के मामले में इंसान से कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं इसलिए तुम लोगों को स़दक़ा करते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि, दलाली, बतौर एक इदारे के मौजूद थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसको ख़त्म न फ़रमाया। शहरों में बड़े पैमाने पर चीज़ें सिर्फ़ दूर दराज़ से आती हैं। जब माल के साथ ताजिर ख़ूद मौजूद न हो, या माल इतना हो कि सारा वह ख़ूद न बेच सकता हो, या मक़ामी ज़बानों, तिजारती इस्तेलाहों, तौर तरीक़ों और मक़ामी तिजारती पार्टीयों के क़ाबिले ऐतबार होने न होने के बारे में ना वाक़फ़ियत के सबब माल लाने वालों को शदीद मुश्किलात दरपेश हों, तो उनके लिये मक़ामी दलाल या एजेण्ट की ख़िदमात ज़रूरी हैं वरना वह अपना माल मंडी में न भेजेंगे। इसलिए इस कारोबार को ख़त्म नहीं किया जा सकता न रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दलालों को कारोबार ख़त्म करने का हुक्म ही दिया है। बज़ाहिर दोनों बातें एक दूसरे से मुतज़ाद नज़र आती हैं। लेकिन दोनों को अपने अपने मक़ाम पर रख कर देखा जाये तो हक़ीक़तन कोई तज़ाद नहीं है। आप (ﷺ) ने सम्सार के कारोबार को बंद करने का हुक्म देने की बजाये उस कारोबार के एक हिस्से के बारे में फ़रमाया कि कोई शहरी देहाती की तरफ़ से न बेचे, यानी दूसरे इलाक़ों के शहरी ताजिर दलालों की ख़िदमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अलबत्ता शहर के इर्द गिर्द के लोग जो अपनी अपनी ज़रई पैदावार शहर में बेचने के लिये लेकर आते हैं उनके मामले में मुदाख़लत न की जाये ताकि इन चीज़ों की ख़रीद फ़रोख़्त फ़ितरी तरीक़े पर जारी रहे। इमाम मालिक (रह.) का मस्लक यही है। हमारे फ़क़ीहों ने आपके इस फ़रमान: 'अल्लाह तआला लोगों को एक दूसरे के ज़रिये से रिज़्क़ देता है' का महज़ ये मतलब लिया है कि देहात से चीज़ें लाने वाले अफ़राद मंडी में सस्ती बेच जाया करेंगे तो उसमें शहर वालों की इज्तेमाई भलाई होगी। आज कल जो कुछ सामने आता है वह

इसके बरअक्स है। बलदयाती इदारों ने देहात से थोड़ी मात्रा में चीज़ें लाने वालों को क़ानूनन् मजबूर कर दिया है कि वह अपनी चीज़ें दलालों के ज़रिये से फ़रोख़्त करें। इसका नतीजा ये निकला है कि एक तरफ़ तो आम ग्राहक के लिये चीज़ें महंगी हो गयी। दूसरी तरफ़ देहातियों को उनकी पैदावार की बहुत कम कीमत मिलती है। सारा मुनाफ़ा दरम्यान के लोग ले जाते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें जिनकी देहात से रसद जारी रहती है, अगर दलालों की मुदाख़लत से अलग कर दी जायें, जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है, तो दोनों फ़रीक़ों को बेहद फ़ायदा पहुँचेगा। यही आप (ﷺ) के फ़रमान: 'मुदाख़लत न करो अल्लाह तआला लोगों को एक दूसरे के ज़रिये से रिज़्क़ देता है' का हक़ीक़ी मफ़हूम है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ .

(3441) जनाब सालिम मक्की से रिवायत है कि एक आराबी ने उनसे बयान किया कि वह रसूल (ﷺ) के ज़माने में अपनी एक दूध वाली ऊँटनी लाया और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (رضي الله عنه) के यहां ठहरा (और चाहा कि तलहा उसे फ़रोख़्त कर दें) तो तलहा ने कहा: बेशक नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि कोई शहरी किसी देहाती के लिये फ़रोख़्त करे। लेकिन तुम ख़ूद बाज़ार जाओ और देखो कि कौन तुमसे ख़रीदना चाहता है। फिर मुझसे मशवरा कर लेना यहाँ तक कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमको उससे सौदा करना है या नहीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अबू यअला, हदीस: 643, अलबज़्ज़ार : 3/169, 170.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इसमें शुब्हा नहीं कि ख़ैरूल कुरून में मुसलमान इत्तेबाअे रसूल (ﷺ) और अपने मुसलमान भाईयों के साथ ख़ैर ख़्वाही में बहुत ही ऊँचे दर्जे पर थे। इस वाक़िये में नबी (ﷺ) के फ़रमान की रिआयत मल्हूज़ रखते हूए, दूसरे मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही का भी पूरा एहतिमाम है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " .

(3442) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शहरी किसी देहाती के लिये ख़रीद व फ़रोख़्त न करे। लोगों को छोड़ दो, अल्लाह बाज़ को बाज़ से रिज़्क़ देता है।' तख़रीज : मुस्लिम: 1522.

बाब : 12
अगर किसी ने दूध रोका हूआ जानवर ख़रीद लिया हो और फिर वह उसे पसन्द न आये तो ...?

﴿12﴾ باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ " .

(3443) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(मंडी में पहुँचने से पहले) ख़रीदारी के लिये क़ाफ़िलों से मत मिलो। और कोई शख़्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा न करे और ऊँटनी या बकरी का दूध मत रोको। जिसने इस क़िस्म का जानवर ख़रीद लिया हो, तो दूध दूह लेने के बाद उसे दो बातों का इख़्तियार है, अगर वह पसन्द हो तो रख ले और अगर पसन्द न आये तो उसे लौटा दे और साथ एक स़ाअ खजूर भी दे।'

(3443) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2150, मौता: 2/683, 684, व मुस्लिम: 1515.

फ़ायदा : इस बाब में बुनियादी तौर पर ये मसला बयान किया गया है कि ज़्यादा क़ीमत हासिल करने के लिये दूध देने वाले जानवर का दूध रोकना ताकि ग्राहक उसे ज़्यादा दूध देने वाला जानवर समझ कर ज़्यादा क़ीमत दे, हराम है। ख़रीदार को तीन दिन तक आज़माने की इजाज़त है अगर वह ऐसा जानवर न रखना चाहे तो वापस करके अपनी क़ीमत ले सकता है। अलबत्ता वह दूध जो जानवर के थनों में ख़रीदारी के वक़्त से पहले का था और बैअ़ मुकम्मल होने की सूरत में बेचने वाले की तरफ़ से अपनी मर्ज़ी के साथ छोड़ दिया गया था उसकी हक़ देही भी ज़रूरी है। अपनी पूरी क़ीमत की वापसी के बाद ख़रीदार का उस पर हक़ बाक़ी नहीं रहा। इन्साफ़ के आला मैयार के मुताबिक़ ख़रीदार को उसके बदले में एक स़ाअ़ (तक़रीबन ढाई किलो) खजूर अदा करनी चाहिए।

➪ अरब में खजूर मुक़ामी तौर पर पैदा होती थी और सस्ती थी, गन्दूम ख़ुसूसन उम्दा क़िस्म की, बाहर से लायी जाती थी इसलिए महंगी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आम गिज़ाइ जिन्स देने का हुक्म दिया कि समरा यानी बढ़िया गेहूँ देने की ज़रूरत नहीं। इसकी हिकमत ये नज़र आती है कि वापस करने वाले से ज़्यादा बेहतर गिज़ा का मुतालबा न किया जाये।

➪ इस सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरह के अलावा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का फ़तवा भी यही है बल्कि सहाबा किराम (ﷺ) में से किसी ने इससे इख़्तिलाफ़ नहीं किया। (फ़तहुल बारी) सर्फ़ अहनाफ़ में से बाज़ की राय इसके मुख़ालिफ़ है, जबकि इमाम ज़ाफ़र (रह.) एक रिवायत के मुताबिक़ इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) भी जुम्हूर ही के साथ हैं। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ़ हर सूरत खजूर का साअ देने की पाबन्दी से इख़्तिलाफ़ रखते हूए इसकी क़ीमत अदा करने को भी रवा समझते हैं। (फ़तहुल बारी) अब इस्लाम बहुत दूर तक फैल चुका है। इण्डोनेशिया, नाइजीरिया जैसे ममालिक में खजूर दस्तयाब ही नहीं, इसलिए उस इलाक़े की बा'आसानी दस्तयाब गिज़ाई जिन्स खजूर के क़ायम मुक़ाम होगी। और जिस तरह इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) का नुक़्त–ए–नज़र है, ऐसी जिन्स की क़ीमत अदा कर देना भी दुरूस्त होगा। वल्लाहु आलम!

(3444) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ‘जिसने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिसका दूध रोका गया था, तो उसे तीन दिन तक इख़्तियार है अगर वह चाहे तो वापस कर दे और एक साअ तआम भी साथ लौटाये, लेकिन समरा (उम्दा गन्दूम) न हो।’

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ " .

(3444) तख़रीज : मुस्लिम: 1524.

(3445) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ‘जिसने कोई ऐसी बकरी ख़रीद ली जिसका दूध रोका गया था, फिर उसे दूहा तो अगर पसन्द हो तो रख ले वरना (वापस कर दे और) उसके दूध के बदले एक साअ खजूर (मालिक को देना) है।’

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ " .

(3445) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2151.

फ़ायदा : फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) बिला चूं व चरा वाजिबुत्तामील हैं। उन्हें अपनी राय और ज़न व तख़मीन से रद्द करना, किसी मुसलमान के लायक़ नहीं।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا " .

(3446) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कोई ऐसा जानवर ख़रीदा जिसका दूध रोका गया था, तो उसे तीन दिन तक इख़्तियार है। अगर उसे वापस करे तो उसके दूध के बक़द्र या उससे दूगनी गन्दूम वापस करे।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2240.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, सही मसला वही है जो इससे पहली हदीस में बयान हूआ।

﴿13﴾ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحُكْرَةِ

बाब : 13 जमाख़ोरी मना है

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ

(3447) हज़रत मअमर बिन अबी मअमर (ؓ) से रिवायत है और ये बनू अदी बिन कअब के फ़र्द हैं, ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई नाफ़रमान और गुनाहगार आदमी ही ज़ख़ीरा अन्दोज़ी कर सकता है।' (मुहम्मद बिन अम्र ने) कहा: मैंने जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से कहा कि आप भी तो ज़ख़ीरा करते

يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ " . فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ .

हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत मअ़मर (ﷺ) भी ज़ख़ीरा किया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने इमाम अहमद (रह.) से पूछा कि हुक्रा (ज़ख़ीरा अन्दोज़ी) क्या है? तो उन्होंने फ़रमाया कि वह चीज़ें जिन पर लोगों की गुज़रान हो (उनका ज़ख़ीरा करना मना है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओज़ाई (रह.) कहते हैं 'ज़ख़ीरा अन्दोज़ वह होता है जो बाज़ार आता जाता रहे। (बाज़ार पर नज़र रखे और अहम चीज़ें ख़रीद कर रोक ले)

(3447) तख़रीज : मुस्लिम: 1605.

फ़ायदा : ऐसी तमाम चीज़ें जिन पर इंसानों या उनके जानवरों की गुज़रान हो और वह किसी के पास फ़रोख़्त के लिये रखी हों और बाज़ार में उनकी कमी हो जाये फिर उन्हें इस ग़र्ज़ से रोके रखे कि मज़ीद महंगी होंगी तो फ़रोख़्त करूंगा 'ज़ख़ीरा अन्दोज़ी' है जिसकी हुरमत आयी है। अगर बाज़ार में वह चीज़ हस्बे तलब मौजूद हो या किसी ने अपनी ज़रूरत के लिये रखी हो तो उसे रोकना मना कर्दा ज़ख़ीरा अन्दोज़ी नहीं है। क़िल्लत और क़हत के दिनों में रोकना हराम है। जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) और हज़रत मअ़मर (ﷺ) का अ़मल भी इस दूसरी सूरत के मुताबिक़ था। बाज़ अइम्मा-ए किराम बुनियादी ग़िज़ाओं के अलावा फलों और दूसरी चीज़ों को रोक रखना मुबाह समझते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهُ لاَ تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ .

(3448) जनाब क़तादा (रह.) ने कहा कि खजूर में ज़ख़ीरा अन्दोज़ी (रोक रखना जायज़) नहीं है।

इब्ने मुसन्ना ने हसन बसरी से भी यही बात बयान की, तो हमने उससे कहा: हसन के मुताल्लिक़ ये न कहें (यानी इस बात की निस्बत उनकी तरफ़ न करें) इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत हमारे नज़दीक बातिल है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) मज़ीद फ़रमाते हैं कि जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) गुठलीदार फल (खजूर और किशमिश वग़ैरह), पत्ते (जानवरों का चारा)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ فَقَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ فَقَالَ اكْبِسْهُ .

और (क़ाबिले काश्त) बीज ज़ख़ीरा रखते थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मैंने अहमद बिन युनूस (रह.) से सुना, उन्होंने कहा: मैंने जनाब सुफ़ियान से बर सीम हिजाज़ी (जानवरों के चारे) को दबाने (रोकने) के मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने कहा कि लोग (सहाबा–ए किराम) ज़ख़ीरा अन्दोज़ी को ना पसंद समझते थे। मैंने अबूबक्र बिन अय्याश से मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा कर सकते हो।

(3448) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : इन तमाम आसार के ज़िक्र से इमाम अबू दाऊद (रह.) वाज़ेह करना चाहते हैं कि उन्हीं चीज़ों की ज़ख़ीरा अन्दोज़ी ममनूअ है जिनका ताल्लूक़ इंसानों या जानवरों की बुनियादी ग़िज़ा से है।

﴾14﴿ بَابٌ فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

बाब : 14 दराहिम (दिरहमों) को तोड़ना मना है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ.

(3449) जनाब अल्क़मा बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों में राइजुल वक़्त (प्रचलित) सिक्के को तोड़ने से मना फ़रमाया है सिवाए इसके कि कोई ख़ास ज़रूरत हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2263, मुसनद अहमद: 3/419.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और मुराद इससे ये है कि हुकूमत की तरफ़ से मोहर शुदा सिक्कों को आम धातु में ढाल लेना जायज़ नहीं, या ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सिक्कों को तआमुल (करेन्सी) के अलावा और अन्दाज़ से भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब दुरूस्त नहीं। क्योंकि इससे लोगों को लेन देन में परेशानी होती है। करेन्सी नोटों को ख़राब करना भी बहुत बुरी बात है।

बाब : 15
नर्ख़ (भाव/रेट) मुक़र्रर करना

﴾15﴿ باب فِي التَّسْعِيرِ

(3450) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दीजिए। आपने फ़रमाया: '(नहीं) बल्कि मैं दुआ करूंगा (कि अल्लाह तआला अरज़ानी फ़रमा दे)' फिर एक और आदमी आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दीजिए। आपने फ़रमाया: '(नहीं) बल्कि अल्लाह ही घटाता और बढ़ाता है, और मुझे यक़ीन है कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूंगा कि किसी को मुझ पर ज़ुल्म का दावा न होगा।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/327.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ . فَقَالَ " بَلْ أَدْعُو " . ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ " بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ " .

(3451) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नर्ख़ बहुत बढ़ गये हैं, लिहाज़ा आप नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही नर्ख़ मुक़र्रर करने वाला है, वही तंगी करने वाला, वुसअत देने वाला, रोज़ी रसां है। और तुममें से कोई भी मुझ पर किसी ख़ून या माल के मामले में कोई मुतालबा न रखता होगा।'

(3451) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1314, इब्ने माजा, 2200.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ " .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ीमतों को मार्किट फ़ोरसेज़, ख़ुसूसन जरूरत के फ़ितरी बेलैंस के मुताबिक़ रखने पर ज़ोर दिया और महंगाई के बावजूद क़ीमतें मुक़र्रर करने से इंकार कर दिया। आपका ये फ़रमान कि अल्लाह ही (चीज़ों की रसद) घटाने बढ़ाने वाला है। मौजूदा इक्नॉमिक्स (अर्थव्यवस्था) के तसव्वुरात से सदियों पहले इल्म की बात है। आपने इसके ज़रिये से मईशत का एक बुनियादी उसूल बयान फ़रमाया है और मंडी के अवामिल के आज़ाद रहने को इन्साफ़ और अदल क़रार दिया। क़ीमतों के तक़र्रूर से किसी न किसी का हक़ ज़रूर मारा जाता है, इसलिए इससे इज्तेनाब का हुक्म दिया। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि महंगाई का इलाज ये है कि चीज़ों की रसद में बरकत हो। अल्लाह तआला से दुआ का मफ़हूम यही है कि वह चीज़ों की पैदावार में बरकत अता करे और ज़रूरत पूरी करने का मुतबादिल इन्तेज़ाम कर दे। हुकूमत को यही करना चाहिए कि वह महंगाई तोड़ने के लिये रसद में इज़ाफ़े की कोशिश करे और मुतबादिल तरीक़े तलाश करे। ये महंगाई का कामयाब इलाज है, जबकि क़ीमतें मुक़र्रर करने के बावजूद मंडी में उन पर अमल नहीं होता और चीज़ों की चोर बाज़ारी शुरू हो जाती है जिनसे लोगों की अज़ीयत (तक़लीफ़) में इज़ाफ़ा हो जाता है।

बाब : 16
धोखा देना और मिलावट करना हराम है

﴾16﴿
بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

(3452) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जो ग़ल्ला बेच रहा था। आपने उससे पूछा: कैसे बेच रहे हो? उसने बता दिया। फिर आप पर वही की गयी कि अपना हाथ उस ग़ल्ले में डालिये। आपने अपना हाथ उसमें डाला तो उसे गीला पाया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो धोखा देता है वह हममें से नहीं।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 2224, मुसनद अहमद:2/242, हाकिम:2/8, 9, व हाकिम: 2/8, 9

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ " كَيْفَ تَبِيعُ " . فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ " .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا ‏.‏

(3453) यहया बयान करते हैं कि जनाब सुफ़ियान (रह.) नापसन्द करते थे कि (लैसा मिन्ना) की तफ़्सीर (लैसा मिस्लुना) से की जाये।

(3453) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : (लैसा मिन्ना) का मानी है 'हममें से नहीं।' और (लैसा मिस्लुना) के मानी है ' हमारी मिस्ल और हमारे जैसा नहीं।' और इमाम सुफ़ियान (रह.) के क़ौल का मफ़हूम ये है कि ग़लत काम से डराने और रोकने के लिये शिद्दत और सख़्ती ही मुफ़ीद होती है इसलिए आप (ﷺ) के अल्फ़ाज़ की नर्म नर्म ताबीर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इन अल्फ़ाज़ को ऐसे ही बयान करना चाहिए जैसे कहे गये हैं।

﴾17﴿ بَابٌ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

बाब : 17 बैअ में लेने देने वालों के लिए इख़्तियार का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏

(3454) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: ख़रीदने और बेचने वालों में दोनों को इख़्तियार हासिल होता है (कि वह अपने सौदे को मन्सूख़ कर दें) जब तक कि जुदा न हो जायें। सिवाए इसके की सौदा ही इख़्तियार का हो। (यानी जुदा होने के बाद की जितनी ज़्यादा या कम मुद्दत वह आपस में तय कर लें, इख़्तियार क़ायम रहेगा।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2111, मौता: 2/671, व मुस्लिम: 1531

फ़ायदा : इसे इस्तेलाहन 'ख़्यारे मज्लिस' से ताबीर किया जाता है। और इसका ताल्लूक़ ख़रीदो फ़रोख़्त की जगह से अलग अलग हो जाने से है, न कि बैअ का मौज़ूअ बदलने से। अलबत्ता अगर कम या ज़्यादा किसी मुतअय्यन मुद्दत तक के लिये इख़्तियार का फ़ैसला कर लिया गया हो तो अलग बात है। ऐसी सूरत में मुतअय्यना मुद्दत ही मोतबर होगी।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ " .

(3455) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इस हदीस के हम मानी रिवायत किया। फ़रमाया: 'या कोई दूसरे को यूँ कह दे कि (अभी) पसन्द कर लो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2109, व मुस्लिम: 1531

फ़ायदा : सौदा करते हूए दुकानदार या ख़रीदार यूँ कह दे कि अभी देख लो, पसन्द कर लो। और दूसरे ने उसे पसन्द कर लिया तो सौदा हो जायेगा और मन्सूख़ करने का हक़ न रहेगा, ख़्वाह उनकी मज्लिस कितनी ही तवील क्यों न हो जाये।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " .

(3456) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो बैअ करने वालों का जुदा होने से पहले तक इख़्तियार बाक़ी रहता है। मगर ये कि सौदे में इख़्तियार तय कर लिया गया हो, और किसी के लिये भी हलाल नहीं कि सौदा वापस कर लिये जाने के अन्देशे की वजह से इरादतन अपने साथी को छोड़ कर चला जाये।'

(3456) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1247, नसाई, हदीस: 4488, इब्ने जारूद, हदीस: 620, दारकुतनी: 3/50.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ فَقَامَ إِلَى

(3457) जनाब अबू अलवज़ी, से रिवायत है कि हम एक ग़ज़्वे में गये तो हमने एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया। हमारे एक साथी ने दूसरे को गुलाम के बदले में अपना घोड़ा बेचा, फिर वह दोनों बाक़ी दिन और रात इकट्ठे ही रहे। जब अगला दिन हूआ और कूच का वक़्त आ गया तो घोड़े का ख़रीदार अपने घोड़े की तरफ़ उठा और ज़ीन रख कर उसे

فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ . فَقَالَ أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " . قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ مَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا .

तैयार करने लगा तो बेचने वाले को अपने सौदे पर नदामत हुई और उसके पास आया और सोदा मन्सूख़ करने की बात करने लगा, लेकिन घोड़ा लेने वाले ने वापस करने से इंकार कर दिया। तो उसने कहा कि मेरे और तुम्हारे दरम्यान (हकम–सालिस) हज़रत अबू बरज़ा(ﷺ) नबी (ﷺ) के सहाबी हैं। चुनांचे वह दोनों लश्कर की एक तरफ़ हज़रत अबू बरज़ा(ﷺ) के पास आये और क़िस्सा बयान किया। उन्होंने कहा: क्या तुम राज़ी हो कि मैं तुम्हारे दरम्यान वह फ़ैसला कर दूं जो रसूल (ﷺ) का फ़ैसला है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'दो सौदा करने वाले जब तक अलग अलग न हो जायें (सौदा मन्सूख़ करने का) उन्हें इख़्तियार रहता है।'

हिशाम बिन हस्सान ने कहा कि जमील (बिन मुर्रा) ने बयान किया कि हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) ने कहा: मैंने समझा कि तुम जुदा जुदा हूए हो।

(3457) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2182, इब्ने जारूद, हदीस: 619.

फ़ायदा : हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) ने इन दोनों मामला करने वालों की दिन रात की तवील मज्लिस को एक ही मज्लिस क़रार दिया और बैअ फ़स्ख़ (रद) करा दी। हालांकि इस दौरान में उन दोनों ने सौदे के बाद बेशुमार दूसरे लवाज़मात पर बातचीत की होगी। लेकिन हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) ने दोनों के एक जगह रहने ही को एक मज्लिस क़रार दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ،

(3458) यहया बिन अय्यूब बयान करते हैं कि जनाब अबू ज़ुरआ (रह.) जब किसी से कोई ख़रीद फ़रोख़्त करते तो उसको इख़्तियार देते, फिर उसे कहते कि मुझे

قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ " .

इख़्तियार कर लेने की मोहलत दो। और बयान करते कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: '(बैअ करने वाले) दोनों अफ़राद रज़ामंदी के बग़ैर हरगिज़ जुदा न हों।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1248.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ " حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ .

(3459) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैअ व शरा करने वाले दोनों अफ़राद को जुदा होने से पहले तक इख़्तियार हासिल रहता है। अगर वह सच बोलें और हक़ीक़त खोल कर बयान करें तो उनकी बैअ में बरकत होती है। और अगर वह हक़ीक़त छुपायें और झूठ बोलें तो उनके सौदे से बरकत उठा ली जाती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सईद बिन अबी अरूबा और हम्माद ने (क़तादा से) ऐसे ही रिवायत किया है। लेकिन हम्माम ने (क़तादा से) रिवायत करते हूए कहा: 'यहाँ तक कि दोनों जुदा जुदा हो जायें या इख़्तियार करने की शर्त कर लें।' ये बात तीन मर्तबा फ़रमायी।

(3459) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2079, व मुस्लिम: 1532.

फ़ायदा : ख़ुलासा इन रिवायात का ये है कि ख़रीदार और मालिक जब तक एक दूसरे से जुदा न हो जायें, मालिक और ख़रीदार दोनों को सौदा फ़स्ख़ (रद) करने का इख़्तियार रहता है। जुदाई से मुराद सिर्फ़ गुफ़्तगू का इख़्तेताम नहीं है, बल्कि जिस्मानी तौर पर जुदाई है। ताहम इख़्तियार की मोहलत तय हो जाये तो और बात है, फिर इस मोहलत तक इख़्तियार बाक़ी रहता है।

बाब : 18
सौदा वापस कर लेने की फ़ज़ीलत

﴿18﴾
باب في فضل الإقالة

(3460) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुसलमान का सौदा वापस कर लिया, अल्लाह उसकी लग़्ज़िशें वापस कर लेगा।' (यानी माफ़ फ़रमायेगा)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ "

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/252, हदीस: 7325, इब्ने माजा, हदीस: 2199, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1103, हाकिम: 2/45, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1104 वग़ैरह.

फ़ायदा : जब बैअ शरई उसूलों के तहत हुई, सौदा क़तइयत से तय हो गया और एक धोखा ख़त्म हो गया तो इसके पीछे वाला शरअन वापसी का पाबन्द नहीं लेकिन अख़्लाक़ और ख़ैर ख़्वाही का तक़ाज़ा है कि दूसरा फ़रीक़ राज़ी नहीं तो सौदा वापस कर लिया जाये क्योंकि तिजारत की बुनियाद ही बाहमी रज़ामंदी पर है। इस हदीस में बयान करदा अम्र की फ़ज़ीलत का बयान है। इसके अलावा जिस दुकानदार का सौदा सच्चा और गहरा हो और उसने बेचा भी मुनासिब नफ़ा के साथ हो, उसे सौदा वापस कर लेने में कोई ताम्मुल (झिझक) नहीं होता। सिर्फ़ वही दुकानदार सौदा वापस लेने से इंकार करता है जिसका सौदा खोटा हो या उसने बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा लेकर बेचा हो, इस तरह गोया सौदा वापस कर लेने की फ़ज़ीलत बयान करने में बावास्ता इस अम्र की तर्ग़ीब है कि दुकानदार सौदा भी सही रखें और बेचें भी मुनासिब नफ़ा के साथ ताकि कोई वापस करना चाहे तो उसे वापस लेने में ताम्मुल (झिझक) न हो।

बाब : 19
एक सौदे में दो सौदे करना

﴾19﴿ باب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا " .

(3461) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने एक सौदे में दो सौदे किये तो उसके लिये उनमें से या तो कम क़ीमत है या सूद है।'

(3461) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 5/343, इब्ने हिब्बान, 1110, हाकिम: 2/45, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1231, नसाई: 7/295, हदीस़: 4632.

तौज़ीह : इसकी वज़ाहत में फ़क़ीह हज़रात ये कहते हैं कि अगर कोई यूँ कहे कि इस चीज़ की नक़द क़ीमत सौ रूपये और उधार दौ सौ रूपये है और वह दोनों मामला कर लें लेकिन नक़द या उधार में से कोई सी सूरत वज़ाहत से मुतअय्यन न करें तो ये एक सौदे में दो सौदे होंगे। इसमें चूंकि एक क़ीमत मुतअय्यन नहीं होती इसलिए बैअ फ़ासिद है। दूसरी सूरत ये है कि कोई कहे मैं तुम्हें ये चीज़ सौ रूपये में फ़रोख़्त करता हूं बशर्ते कि तुम अपनी फ़ुलां चीज़ पचास रूपये में मुझे फ़रोख़्त करो। ये भी एक सौदे में दो सौदे हैं और ग़र्ज़ दूसरे की चीज़ सस्ती लेना है। इसमें सूद का उन्सुर (हिस्सा) शामिल है। ये सूरत भी ऊपर दिया गया बाब में बयान करदा सूरत की तरह सूद का एक हीले के तौर पर इख़्तियार करना है। अ़ल्लामा इब्ने अल असीर (रह.) ने एक सौदे में दो सौदों की एक सूरत ये भी लिखी है कि किसी एक ने दूसरे को पाँच सौ रूपये दिये हों कि एक महीने बाद मुझे गेहूँ की बोरी दे देना। मगर वक़्त आने पर वह गन्दूम न दे सके तो दूसरा पहले से कहे कि तुम मुझे वह बोरी फ़रोख़्त कर दो, मैं एक महीना बाद तुम्हें दो बोरियाँ दूंगा। ये तो स़रीह सूद है नीज़ एक मअदूम शय की बैअ भी है जो जायज़ नहीं। ख़्याल रहे कि पहली स़ूरत में अगर दोनों फ़रीक़ किसी एक क़ीमत पर मुत्तफ़िक़ होकर अलग हों तो कोई हर्ज नहीं ये बैअ बिल्कुल स़ही होगी। उ़लमा व फ़ुक़हा की अक्सरियत इसके जवाज की क़ाइल है। इस बिना पर इन फ़ुकहा के नज़दीक नक़द व उधार की क़ीमत में फ़र्क़ जायज़ है और इसी तरह क़िस्तों पर कारोबार भी जायज़ है। ताहम उ़लमा का एक गिरोह इसके जवाज़ का क़ाइल नहीं है। इनके नज़दीक नक़द व उधार की क़ीमत का फ़र्क़, हदीस़ के अल्फ़ाज़ (फ़लहु अव कसुहुमा अविर्रिबा) की रू से (सूद) का वाज़ेह एहतिमाल अपने अंदर रखता है। इसलिए क़िस्तों का कारोबार रिबा (सूद) के शुब्हे

से पाक नहीं है। जब ऐसा है तो इस कारोबार से बचना बहरहाल बेहतर है। इसी तरह क़िस्तों पर चीज़ों का ख़रीदना भी बेहतर नहीं है। वल्लाहू आलम!

﴾20﴿
باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْعِينَةِ

बाब : 20
ईना की बैअ नाजायज़ है

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، - أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الإِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَهَذَا لَفْظُهُ .

(3462) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जब तुम ईना की बैअ करने लगोगे, बैलों की दुमें पकड़ लोगे, खेती बाड़ी ही पर मुतमइन हो जाओगे और जिहाद छोड़ बैठोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा जो किसी तरह ख़त्म न होगी यहाँ तक कि तुम अपने दीन की तरफ़ लौट आओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: ये हदीस जाफ़र (बिन मुसाफ़िर) की है और लफ़्ज़ भी उसी के हैं।

(3462) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी अलकामिल: 5/1998.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैअे ईना (ऐन की ज़ेर के साथ) की सूरत ये है कि कोई शख़्स किसी को उधार क़ीमत पर माल हवाले कर दे मगर क़ीमत वसूल करने से पहले ही उससे वही माल दोबारा ख़रीद ले और अपनी क़ीमते फ़रोख़्त से कम में ख़रीद ले और फिर ज़्यादा क़ीमत वसूल कर ले। **(2)** बिलाशुब्हा उम्मते मुस्लिमा की ज़िल्लत व नक्बत इन्हीं असबाब की वजह से है ख़ुसूसन हीलों से सूद को अपनाना और तर्के जिहाद, जिस तरह कि फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) में ज़िक्र हूआ है। वला हौला वला क़ूव्वत इल्ला बिल्लाह.

बाब : 21
बैअ़े सलम या सलफ़ का बयान

﴾21﴿

بَابٌ فِي السَّلَفِ

बैअ़े सलम या बैअ़े सलफ़ की तारीफ़ उमूमन् ये की जाती है कि क़ीमत पहले अदा कर दी जाये और उसके बदले माल जिस का वज़न, नाप वग़ैरह पूरी तरह मालूम हों, मुक़र्रर मुद्दत तक मुहैया करना हो और उसके मुहैया करने की ज़िम्मेदारी फ़रोख़्त करने वाले पर हो। बाज़ उलमा बैअ़े सलम को नसीया (उधार) की महज़ एक क़िस्म क़रार देकर दूसरी क़िस्म के लिये जिसमें नक़दी की अदायगी उधार हो, बैअ़े मुअज्ज़ल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। ये निस्बतन बाद के ज़माने की इस्तेलाह है जो अहदे नबूवत और कुरूने ऊला में इस्तेमाल नहीं हूई। उस दौर में सलफ़ या सलम ही की इस्तेलाह दोनों तरह की उधार बैअ़ के लिये इस्तेमाल हूई, चाहे मुअख़्ख़र नक़दी हो या चीज़। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷻ) इस सिलसिले में कुर्आन मजीद से इस्तेदलाल करते हूए फ़रमाते हैं: 'मैं गवाही देता हूं कि वह बैअ़े सलफ़ (सलम) जिसमें फ़राहमी की ज़िम्मेदारी ली गयी हो और मुद्दत मुतअय्यन हो अल्लाह तआला ने उसे अपनी किताब में हलाल किया है और इसकी इजाज़त दी है। अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'ऐ ईमान वालो! जब तुम एक दूसरे के साथ मुक़र्रर मुद्दत तक उधार का मामला करो तो उसे लिख लो।' (अलबक़र: 282) ये हदीस शैख़ैन की शराइत के मुताबिक़ सही है। (हाकिम: 2/286) इस इस्तेदलाल से मालूम हूआ कि आयते मुदायना क़र्ज़ के लेन देन के बारे में है। चाहे क़ीमत मुअख़्ख़र और माल मुक़द्दम हो या क़ीमत मुक़द्दम और माल मुअख़्ख़र हो। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सही में 'बाब अलकफ़ील फ़िस्सलम' के तहत एक ही हदीस ज़िक्र फ़रमायी है जो ये है: 'हज़रत आयशा (ﷻ) से रिवायत है, आप फ़रमाती हैं: नबी (ﷺ) ने एक यहूदी से तआम (खाने की जिन्स) उधार ख़रीद फ़रमायी और अपनी लोहे की ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।' (सही बुख़ारी: हदीस: 2251) इससे भी यही पता चला कि चाहे क़ीमत मुअख़्ख़र हो तो ये बैअ़े सलम ही है। हक़ीक़त में जब तिजारती लेन देन में सोने चाँदी दिरहम व दीनार का किसी भी दूसरी चीज़ से तबादला किया जाता है, तो दोनों फ़रीक़ अपना अपना माल दूसरे माल के ऐवज़ बेच रहे होते हैं दोनों चीज़ें एक दूसरे की क़ीमत हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों फ़रीक़ों को 'अलबयआन' कहा है। आपने ये भी फ़रमाया है: 'एक दीनार दो दीनार के बदले और एक दिरहम दो दिरहमों के बदले फ़रोख़्त न करो।' (सही मुस्लिम) यानी दिरहम व दीनार क़ीमत भी हैं और जिन्से तिजारत भी।

☞ क़ुर्आन मजीद ने ऊपर दी गई आयत में जिस तरह उधार या नसीया पर मबनी तमाम मामलात के लिये 'दैन' की इस्तेलाह इस्तेमाल की है उसी तरह नक़द लेन देन को 'तिजारते हाज़िरा' कहा है। दोनों सूरतों की बैअ़ के अहकामात अलग अलग हैं। सलम/सलफ़ जिसमें एक तरफ़ नक़द हो और दूसरी तरफ़ उधार, तो उसके लिये शर्त है कि जिस चीज़ की भी अदायगी मुतअ़य्यना मुद्दत तक मुअख़्ख़र की गयी है उसका वज़न, नाप वग़ैरह मुतअ़य्यन तौर पर मालूम हों।

☞ उधार बैअ़ के बिलमुक़ाबिल 'तिजारते हाज़िरा' है। इस पर वह अहकाम नाफ़िज़ नहीं जो उधार बैअ़ के लिये हैं। इसके अलग अहकामात हैं। इनमें से अहम तरीन ये है कि 'तिजारते हाज़िरा' की कोई भी सूरत हो, उसमें ऐसी चीज़ का सौदा नहीं किया जा सकता जो पास न हो। जो चीज़ पास नहीं है वह अगर नाप तौल की तअ़य्युन के साथ एक ख़ास और मुतअ़य्यन मुद्दत तक मुहैया की जा सकती है तो उसका लेन देन बैअ़े सलम की सूरत में होगा। इस तरह दोनों फ़रीक़ मुस्तक़बिल के मुतअ़य्यन वक़्त में मुअख़्ख़र शुदा चीज़ की रसद व तलब का अन्दाज़ा कर सकेंगे। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा कीजिए: फ़िक़्हुस्सुन्नह अस्सलम)

☞ बैअ़े सलम, इस्लामी बैंकिंग के लिये सूद का एक आसान और मबनी बर इन्साफ़ मुतबादिल फ़राहम करती है। इस्लामी बैंकिंग में मुस्तक़बिल के कारोबार के हवाले से जितनी सूरतें इख़्तियार की जा रही हैं उनकी बुनियाद बैअ़े सलम पर है। इन सूरतों में सबसे ज़्यादा मक़बूल सूरत को 'मुराबहा' कहा गया है। अगरचे किताब व सुन्नत में इस इस्तेलाह का तज़किरा मौजूद नहीं लेकिन निस्बतन बाद के दौर की फ़िक़्ह और लुग़त में मुराबहा से मुराद वह बैअ़ है जिसमें एक शख़्स कहता है कि मैंने जितनी क़ीमत पर चीज़ ली है तुम उस पर उतने फ़ीसद मुनाफ़ा देकर मुझसे ले लो। जैसे हर दस दिरहम पर एक दिरहम मुनाफ़ा दो। (लिसान अलअ़रब) इस शरहे मुनाफ़ा को आजकल हम दस फ़ीसद कहेंगे। मुराबहा के लिये बैंकों के शरीअ़त बोर्ड के मेम्बरान ने बहुत सी शर्तें ज़िक्र की हैं, जैसे ये कि साब्क़ा क़ीमत मालूम और मुतअ़य्यन हो, इज़ाफ़ी अख़्राजात अगर शामिल करने हों तो वह भी मुतअ़य्यन सूरत में बता दी जायें, नफ़ा की शरह तय की जाये, क़ीमत में जो कुछ लिया जा रहा है उसका भी सही तौर पर तअ़य्युन हो वग़ैरह। ये शर्तें किसी एक इन्फ़ेरादी बैअ़ के लिये तो मुनासिब हैं लेकिन बैंक जिस तरह एक ही शरह मुनाफ़ा मुक़र्रर करके हर क़िस्म के मामलात उसके मुताबिक़ तय करते हैं तो इस तरीक़े में उन सूरतों में जो इस्लामी कहलाती हैं और उन सूरतों में जो सूदी हैं, कोई फ़र्क़ नहीं रहता। बैअ़े मुराबहा में घर, गाड़ी या मशीन वग़ैरह लेने वाले के लिये असल क़ीमत पर दस बारह फ़ीसद मुनाफ़े का इज़ाफ़ा करके क़ीमत मुतअ़य्यन की जाये या दस फ़ीसद सालाना शरह सूद की बुनियाद पर क़ीमत का तअ़य्युन किया जाये नतीजा एक ही रहता है। इसलिए ये बात तक़रीबन हर इंसान की ज़बान पर है कि मुराबहा का मार्क आप (नफ़ा, या इज़ाफ़ा) असल में वही सूद है जो बैंक वसूल करते हैं सिर्फ़ नाम बदल दिया गया है। जब क़िस्तें

ख़त्म होने का वक़्त आता है तो कुछ किस्तें बाक़ी होने की सूरत में जुर्माना भी वसूल किया जाता है। इसके बारे में बैंक वाले तो ये दावा करते हैं कि उसे हम अपनी आमदनी में शामिल नहीं करते, फ़लाहे आम्मा के लिये सर्फ़ करते हैं लेकिन एक आम ग्राहक इस जुर्माने को बक़िया जात अदा ना होने वाली रक़म का सौदा क़रार देता है। और उसे बैंक का एक फ़रेब या धोखा समझता है।

- बैंककारी को सही इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार करना है तो मुराबहा की बुनियाद पर शरहे मुनाफ़ा मुतअय्यन करने की बजाये हक़ीक़ी सूरत में बैअे सलम को इख़्तियार किया जाये यानी किसी ख़ास शरह से मुनाफ़ा लेने की बजाये मंडी के अवामिल, मुस्तक़बिल में मुतअय्यना वक़्त पर हर मतलूबा चीज़ की रसद व तलब, मौजूदा रसद व तलब, करेन्सी की क़ीमत के उतार चढ़ाव और कम वक़्त में ज़्यादा फ़रोख़्त के मुनाफ़े को पेशे नज़र रखा जाये और इस बुनियाद पर हर जिन्स की क़ीमत अलग अलग मुतअय्यन की जाये।
- मुराबहा की बजाये इस्लामी बैंककारी के निज़ाम में इजारा (Leasing) मुशारका, मुज़ारबा, इस्तेसनाअ (ऑर्डर पर माल तैयार कराना) के तरीक़े ज़्यादा से ज़्यादा राइज करने चाहिए। ये सब अगर शरई शर्तों के मुताबिक़ हों तो न सिर्फ़ क़ाबिले क़बूल हैं बल्कि इस्लामी निज़ाम बैंककारी के लिये ज़्यादा मुनासिब और मुफ़ीद हैं। इनकी तफ़्सील और शराइत अपने अपने मुक़ाम पर आयेगी।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "

(3463) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने उन्हें पाया कि वह खजूरों में एक एक, दो दो और तीन तीन साल के लिये बैअे सलफ़ करते थे। रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई खजूरों में बैअे सलफ़ करे तो उसे चाहिए कि उसका नाप मालूम हो, वज़न मालूम हो और मुद्दत भी मालूम हो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2240, व मुस्लिम: 1604.

फ़ायदा : इबादात और मामलात में मारूफ़ फ़िक़्ही क़ायदा है कि इबादात में असल मना है। यानी कोई इबादत नहीं की जा सकती सिवाए इसके जिसकी शरीयत इजाज़त दे। और मामलात (जो लोगों में जारी व सारी हों) असलन हलाल और जायज़ हैं इल्ला ये कि किसी मामले के मुताल्लिक़ शरीअत मना कर दे। बैअे सलफ़ या सलम पहले से लोगों का मामूल थी जिसकी नबी (ﷺ) ने तौसीक़

फ़रमायी, ताहम ये पाबन्दी लगायी कि माल की सिफ़त, भर्ती या वज़न और मुद्दत मालूम व मुतअय्यन हो। इसके बग़ैर बैअे सलम जायज़ नहीं होगी।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ - زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ - إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ . ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(3464) मुहम्मद बिन मुजालिद (या अ़ब्दुल्लाह बिन मुजालिद) ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद (ﷺ) और अबू बुरदा(ﷺ) का बैअे सलफ़ के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया तो उन्होंने मुझे हज़रत इब्ने अबी ओफ़ा(ﷺ) के पास भेजा। चुनांचे मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा हम लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में और उसके बाद हज़रत अबूबक्र (ﷺ) और हज़रत उमर(ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में गन्दुम, जौ, खजूर और किशमिश की बैअ बतौर बैअे सलफ़ किया करते थे। इब्ने कसीर ने मज़ीद कहा: हम उन लोगों से बैअ करते थे जिनके पास ये माल नहीं होता था। (हफ़्स बिन उमर और इब्ने कसीर) दोनों ने बिलइत्तेफ़ाक़: कहा फिर मैंने (यानी मुहम्मद बिन मुजालिद या अ़ब्दुल्लाह बिन मुजालिद ने) अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से भी पूछा तो उन्होंने इसी तरह कहा।

(3464) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2243.

फ़ायदा : बैअे सलफ़ करने वाले के मुताल्लिक़ ये ऐतमाद होना चाहिए कि वह सादिक़ व अमीन आदमी है और ये ज़रूरी नहीं कि फ़िल वक़्त (एटपर्जेन्ट) वह उन चीज़ों का मालिक भी हो, मौसम और वक़्त पर उन चीज़ों का मिलना मारूफ़ होना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ، مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(3465) यहया और (अ़ब्दुर्रहमान) इब्ने महदी दोनों ने बवास्ता शौबा अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अलमुजालिद से रिवायत किया। जबकि अ़ब्दुर्रहमान ने सिर्फ़ इब्ने अबी

أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ .

अलमुजालिद कहा और ये हदीस़ बयान की और कहा हम ऐसे लोगों से मामला करते थे कि ये चीज़ें उनके पास न होतीं थीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: 'इब्ने अबी अलमुजालिद' ही स़ही है और इसमें शौबा से ख़ता हुई है।

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : वह ख़ता ये है कि शौबा ने अ़ब्दुल्लाह बिन मुजालिद कहा है, जबकि अस़ल नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अलमुजालिद है, इसे अबू अलमुजालिद भी कह लेते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ .

(3466) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा असलमी (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने नबी (ﷺ) के साथ शाम की तरफ़ जिहाद का सफ़र किया तो वहां के नब्ती लोग हमारे पास आते और फिर हम उनसे बैअ़े सलफ़ की सूरत में गेहूँ और तेल का सौदा मालूम क़ीमत और मालूम मुद्दत के साथ किया करते थे। उनसे कहा गया: क्या उन लोगों से ख़रीदते थे जिनके पास ये चीज़ें होती थीं? उन्होंने कहा: हम उनसे ये नहीं पूछा करते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) हाकिम: 2/44, 45.

﴿22﴾ باب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

बाब : 22
मख़सूस दरख़्त या बाग़ की बैअ़े सलम जायज़ नहीं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، نَجْرَانِيٍّ عَنِ ابْنِ

(3467) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने दूसरे से एक खजूर के फल की बैअ़े सलम (सलफ़) कर ली लेकिन

عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، أَسْلَفَ رَجُلاً فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ " . ثُمَّ قَالَ " لاَ تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ" .

इस साल उस पर कोई फल न आया तो वह अपना झगड़ा लेकर नबी (ﷺ) के पास आये। आपने (खजूर वाले से) फ़रमाया: 'तुम क्योंकर उसका माल हलाल समझते हो? उसका माल उसे वापस कर दो।' फिर फ़रमाया: 'खजूर (या बाग़) की बैअ़े सलफ़ मत करो यहां तक कि फल इस्तेमाल के क़ाबिल हो जाये।' (ख़ास दरख़्त या ख़ास बाग़ मुराद है।)

(3467) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 2/25, इब्ने माजा, हदीस़: 2284.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि ताजिर अगर मतलूबा माल मुहैया करने से आजिज़ रहे तो सिर्फ़ वसूल करदा क़ीमत वापस की जायेगी। **(2)** ख़ास़ दरख़्त या बाग़ की बैअ़े सलम से इसलिए रोक दिया कि इसमें नुक़सान का पहलू मौजूद है, पता नहीं इस पर फल आयेगा या नहीं, कम आयेगा या ज़्यादा? इसलिए उ़मूमी मामला होना चाहिए, न कि ख़ास़।

﴿23﴾
باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ

बाब : 23
बैअ़े सलफ़ में फ़रोख़्तशुदा चीज़ को तब्दील न किया जाये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ " .

(3468) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी चीज़ में बैअ़े सलफ़ की हो तो उसे दूसरी से न बदले।

(3468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3283, हदीस़: 452.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ऐसी सूरत में माल बेचने वाला वक़्ते मुक़र्ररा पर माल मुहैया करने से वास्तव में माज़ूर रहे तो हासिल करदा रक़म वापस कर दे। या मुनासिब अन्दाज़ में सुलह कर लें।

बाब : 24
अगर खेत या बाग़ में आफ़त आ जाये तो ख़रीदार के नुक़सान की तलाफ़ी की जाये

(24)
باب فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ " .

(3469) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक शख़्स ने फल ख़रीदे जो आफ़त का शिकार हो गये। सो उस पर क़र्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे सदक़ा दो।' लोगों ने उसको सदक़ा दिया लेकिन वह उसके क़र्ज़ की अदायगी के लिये पूरा ना हो सका तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़र्ज़ ख़्वाहों से फ़रमाया: 'जो पाते हो ले लो, तुम्हारे लिये बस यही है।'

(3469) तख़रीज : मुस्लिम: 1556.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लामी मुआशरे की तन्ज़ीम इस तरह की जाती है कि सदक़ात को आम और सूद को ख़त्म किया जाये। बख़िलाफ़ लादीन और मुलहिद मुआशरे के, इसमें सूद को बढ़ाया जाता है और सदक़ात का कोई बाक़ायदा निज़ाम नहीं होता। (2) जो शख़्स क़र्ज़ में दब जाये उसके साथ ख़ास तआवुन करना वाजिब है। (3) मुफ़्लिस और दीवालिया हो जाने वाले से उसके क़र्ज़ ख़्वाह अपने क़र्ज़े की निस्बत से हाज़िर व मौजूदा माल में से हिस्सा ले सकेंगे बाक़ी का वह मुतालबा नहीं कर सकते। (4) बाग़ या खेत की बैअ जब शरई उसूलों के तहत हुई हो तो नुक़सान की तलाफ़ी करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ".

(3470) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तू अपने भाई को खजूर बेचे और फिर उसमें आफ़त आ जाये तो उससे कुछ लेना तेरे लिये हलाल नहीं, हक़ के बग़ैर अपने भाई का माल लेना तेरे लिये क्योंकर रवा हो सकता है?'

(3470) तख़रीज : मुस्लिम: 1554.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने दरख़्तों के फल की बैअ उस वक़्त करने का हुक्म दिया जब वह फल आफ़तों से महफ़ूज़ (सुरक्षित) हो चुका हो। अगर बैअ में मसनून शर्तों का लिहाज़ न रखा गया हो, तो इस क़िस्म के नुक़्सान की तलाफ़ी वाजिब है। अगर बुनियादी तौर पर बैअ सही हो और आफ़तों से महफ़ूज़ हो जाने के वक़्त के बाद की जाये, तो तलाफ़ी करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं।

﴾25﴿ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

बाब : 25 आफ़त से क्या मुराद है?

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ.

(3471) जनाब अता (रह.) से मनक़ूल है कि आफ़त से मुराद (वह) तमाम ज़ाहिरी असबाब हैं, जैसे बारिश, ज़ाला बारी, टिड्डी दल, आँधी या आग लगना वग़ैरह (जो खेत या माल को ज़ाया कर दें।)

(3471) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : आफ़त तीन तरह की हो सकती हैं: (1) जो फ़सल या फल को किसी न किसी तरह क़ाबिले इस्तेमाल होने के मरहले पर लगती हैं, ये क़ुदरती बीमारियाँ हैं, जब फ़सल या फल इस मरहले

में हो तो उसे बेचना मना है। (2) फल पकने के क़रीब होता है तो बाज़ फलों (जैसे खजूर) का रंग बदलने लगता है, इस मरहले पर दरख़्तों पर लगे हूए फल बेचना जायज़ है। अब उनको या तो बारिश, ज़ाला बारी, आँधी वग़ैरह से नुक़सान होगा और इस सूरत में फल किसी न किसी तरह क़ाबिले इस्तेमाल हो चुका होगा और मुकम्मल तबाही से बचाव हो सकेगा। (3) या तीसरी सूरत ट्डिी दल, आग वग़ैरह की आफ़त की है। इस सूरत में मुकम्मल तबाही होगी। ऐसी तबाही की सूरत में मालिक का भी फ़र्ज़ है कि तलाफ़ी में शरीक हो।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لاَ جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ - قَالَ يَحْيَى - وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ .

(3472) जनाब यहया बिन सईद (रह.) ने बयान किया कि असल माल की तिहाई से कम में आफ़त आये (और नुक़सान हो जाये) तो उसकी तलाफ़ी जरूरी नहीं है और मुसलमानों में ऐसे ही राइज है।

(3472) तख़रीज : (सनद हसन)

﴾26﴿ بَابٌ فِي مَنْعِ الْمَاءِ

बाब : 26 पानी से रोकना मना है

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ "لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ"

(3473) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घास महफ़ूज़ रखने की ग़र्ज़ से ज़्यादा पानी न रोका जाये।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2353, व मुस्लिम: 1566.

तौज़ीह : सहराओं, आम चरागाहों और रास्तों पर आम कूएँ, चशमे या तालाब होते थे। चरवाहे वहां आकर जानवरों को पानी पिलाते, आराम करते और अपने जानवरों को चराते थे। पहले आने वाला बाज़ औक़ात बाद में आने वालों को बक़िया पानी से मना कर देता था और ग़र्ज़ ये होती थी कि जब पानी न मिलेगा तो लोग भी उधर का रूख़ नहीं करेंगे और इस तरह इर्द गिर्द की चरागाह की घास उसके अपने जानवरों के लिये महफ़ूज़ रहेगी, ऐसा करना नाजायज़ है। अलबत्ता अगर कूओं, टियूब वैल या तालाब वग़ैरह ज़ाती हो और उस पर उसने ख़र्च किया हो, तो दूसरों को रोक सकता है। लेकिन इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब का ख़्याल रखना फिर भी ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ - يَعْنِي كَاذِبًا - وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ " .

(3474) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन क़िस्म के आदमियों से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत के रोज़ कलाम नहीं फ़रमायेगा: एक वह आदमी जिसने किसी मुसाफ़िर से अपना बक़िया पानी रोक लिया हो। दूसरा वह जिसने अस्र के बाद किसी सौदे पर झूठी क़सम खाई हो और तीसरा वह जिसने इमामे (आला) से बैत की हो, अगर वह उसे (दुनिया का माल) देता रहे, तो उसका वफ़ादार रहे और अगर न दे, तो वफ़ा न करे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2672, व मुस्लिम: 108.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बक़िया पानी को मुसाफ़िरों से रोक लेना इन्तेहाई शक़ावत और मानवता के ख़िलाफ़ है। **(2)** अस्र से मग़रिब तक का वक़्त क़ुरबते इलाही का महबूब वक़्त है, इस वक़्त में झूठी क़सम की जो कि कबीरा गुनाह है, बुराई और भी बढ़ जाती है। **(3)** इमामुल मुसलेमीन से हक़ व अदल के उमूर में हर हाल में वफ़ा करना वाजिब है ख़्वाह उसकी तरफ़ से कुछ मिले या न मिले। मौजूदा दौर में सियासी, ग़ैर सियासी और बाज़ मज़हबी लोगों में भी वाबस्तगियाँ बदलने का रिवाज आम हो गया है। अब सियासी वाबस्तगी की बुनियाद इस बात पर है कि मक़सद और नज़रिया एक है, न इस बात पर कि पुख़्ता अहद मुहाहिदे हो चुके हैं जिनको छोड़ना बुराई है। अब सिर्फ़ मफ़ादात को पेशे नज़र रख कर लोग ख़ूद को मंडी में पेश कर देते हैं। **(4)** सहीहैन की रिवायत है कि झूठी क़सम से माल तो बिक जाता है मगर बरकत उठ जाती है। (सही बुख़ारी, हदीस: 2087)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " . وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ " بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ فَأَخَذَهَا " .

(3475) जनाब आमश ने इस रिवायत को अपनी सनद से इस हदीस के हम मानी बयान किया, कहा: 'और अल्लाह ऐसे लोगों को पाक नहीं करेगा और उनके लिये दर्दनाक आज़ाब होगा।' और फ़रोख़्त के सामान के बारे में कहा कि यूँ कहे: 'अल्लाह की क़सम! मुझे इसका इतना इतना दिया गया (मगर मैंने नहीं दिया लेकिन तुम्हें कम में दे

रहा हूं) और दूसरा उसको (इसकी इस बात में) सच्चा समझे और उसे ख़रीद ले।'

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(3476) बुहैसा नामी एक ख़ातून अपने वालिद से रिवायत करती है कि मेरे वालिद ने नबी (ﷺ) से मिलने की इजाज़त ली। फिर वह आपकी क़मीस़ के अंदर से होकर आपको चिमट गया और आपको चूमने लगा। फिर कहने लगा: ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ का रोकना हलाल नहीं? आपने फ़रमाया: 'पानी का' फिर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ का रोकना हलाल नहीं? आपने फ़रमाया: 'नमक का' उसने फिर कहा: ऐ अल्लाह के नबी! किस चीज़ का रोक लेना हलाल नहीं आपने फ़रमाया: 'भलाई करते रहने में तुम्हारे लिये ख़ैर है।'

تख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 1669.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمَاءُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمِلْحُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ " .

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन ये बात मुसल्लमा है कि पानी या नमक जैसी चीज़ों में बुख़्ल करना बहुत बुरी बात है।

(3477) मुहाजिरीन स़हाबा में से किसी से रिवायत है, उसने कहा मैंने नबी (ﷺ) के साथ तीन बार जिहाद में शिर्कत की है। मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना है: 'मुसलमान तीन चीज़ों में एक दूसरे के शरीक हैं घास, पानी और आग।'

(3477) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 6/150, मुसनद अहमद: 5/364.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ، - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ

ﷺ ثَلاَثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ " الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ "

फ़ायदा : घास और पानी जब आम चरागाह और सहरा में क़ुदरती हों तो ख़ूद क़ाबिज़ होकर दूसरों को उससे रोकना जायज़ नहीं। इस तरह जलती आग से कोई कोयला ले जाये या आग जला ले, तो रोकना जायज़ नहीं।

﴿27﴾ بَابٌ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

बाब : 27 ज़रूरत से ज़्यादा पानी फ़रोख़्त करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

(3478) हज़रत इयास बिन अब्द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़्यादा पानी की फ़रोख़्त से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस:1271, नसाई, हदीस: 4666, इब्ने माजा, हदीस: 2476, इब्ने जारूद, हदीस: 594, हाकिम: 2/44, 61.

फ़ायदा : इससे मुराद सहरा और आम चरागाहों में पाये जाने वाले तालाबों, कूओं या चश्मों का पानी है, न कि किसी की ज़ाती मिल्कियत वाली ज़मीन में मेहनत व मशक़्क़त से निकाला जाने वाला पानी।

﴿28﴾ بَابٌ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

बाब : 28 बिल्ले (और बिल्ली) की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ नहीं

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى، وَقَالَ، إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا

(3479) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने कुत्ते और बिल्ले की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

(3479) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .

हदीस़: 1279, इब्ने जारूद, हदीस़: 580, हाकिम: 2/34, व मुस्लिम: 1569.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ .

(3480) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिल्ली की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1280, इब्ने माजा, हदीस़: 3250, मुसनद अहमद: 3/297.

﴿29﴾ باب في أَثْمَانِ الْكِلاَبِ

बाब : 29
कुत्तों की क़ीमत लेना मना है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

(3481) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से बयान किया कि आपने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की ख़र्ची और काहिन के नज़राने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 3428 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस़ में 'कुत्ते' का लफ़्ज़ अगरचे आम है, शिकारी हो या ग़ैर शिकारी या जासूसी वग़ैरह के लिये हो। इस उमूम से सबकी ख़रीद व फ़रोख़्त नाजायज़ होनी चाहिए। लेकिन इस उमूम से दूसरे दलाइल की रू से वह कुत्ते मुस्तस्ना (अलग) हो जायेंगे जिनके रखने को अहादीस़ में जायज़ क़रार दिया गया है। जिसे शिकार के लिये, रखवाली के लिये या जैसे आजकल जासूसी वग़ैरह के लिये कुत्ते रखना है। जब उनका रखना जायज़ है, तो उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त भी यक़ीनन जायज़ होगी, क्योंकि इसके बग़ैर मज़कूरा कामों के लिये कुत्तों का मिलना नामुमकिन हो जायेगा। यही वजह है कि कुछ अहादीस़ में इस्तस्ना भी आया है, जैसे हदीस़ है: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते और बिल्ली की क़ीमत से मना फ़रमाया है, सिवाए शिकारी कुत्ते के।' (नसाई, हदीस़: 4682, वस्सहीह, हदीस़: 3480) इससे मालूम हूआ कि शिकारी कुत्ते की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है। और इसके जवाज़ की जो इल्लत है वह वाज़ेह है, इसी इल्लत की वजह से रखवाली और जासूसी वग़ैरह मक़ासिद के लिये भी कुत्तों की ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ होगी। वल्लाहू आलम!

(3482) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत से मना फ़रमाया है। और अगर वह (बेचने वाला) कुत्ते की क़ीमत का मुतालबा करे तो उसकी हथेली मिट्टी से भर दो।

(3482) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/278.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا .

(3483) जनाब औन बिन अबू जुहैफ़ा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

(3483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/78, बुख़ारी, हदीस: 2238.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

(3484) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कुत्ते की क़ीमत, काहिन का नज़राना और ज़ानिया की ख़र्ची हलाल नहीं।'

(3484) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4298.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ " .

फ़ायदा : इस्लाम अपने मुआशरे को उन तमाम नजासतों और क़बाहतों से पाक रखना चाहता है जो कुत्ता परस्त मुआशरे का ख़ास हैं। इस ग़र्ज़ से इस्लाम ने इसकी ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया है।

बाब : 30
शराब और मुरदार की ख़रीद व फ़रोख़्त हराम है

﴿30﴾
بَابٌ فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ " .

(3485) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने शराब और उसकी क़ीमत (यानी ख़रीद व फ़रोख़्त) को हराम किया है, मुरदार और उसकी क़ीमत को हराम किया है। ख़िन्ज़ीर और उसकी क़ीमत को हराम किया है।'

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/12, इब्ने अलमुलक़िन, हदीस: 1179, तबरानी, हदीस: 116.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ " لاَ هُوَ حَرَامٌ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ

(3486) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से फ़तहे मक्का के साल जबकि आप मक्का ही में थे, सुना आप फ़रमा रहे थे: 'बेशक अल्लाह तआला ने शराब, मुरदार, ख़िन्ज़ीर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त हराम ठहराई है।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुरदार की चर्बी के मुताल्लिक़ फ़रमायें कि उसे कश्तियों के तख़्तों और चमड़ों पर इस्तेमाल किया जाता है और लोग उसे चराग़ों में भी जलाते हैं। आपने फ़रमाया: 'नहीं ये हराम है।' फिर रसूल (ﷺ) ने उस मौक़े पर फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदीयों को हलाक करे,

" قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ " .

अल्लाह तआला ने जब उन पर इस (मुरदार) की चर्बी हराम कर दी तो उन्होंने इसे पिघला कर बेचना शूरू कर दिया और फिर उसकी क़ीमत खाने लगे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2236, व मुस्लिम: 1581

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह चीज़ें जिनका इस्तेमाल जायज़ न हो, उनकी तिजारत किस तरह जायज़ क़रार दी जा सकती है? इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि शराब हराम है। दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल हराम है और इसकी तिजारत भी हराम है। **(2)** मुरदार जानवर का गोश्त या उसकी हड्डियाँ फ़रोख़्त करना हराम है। अलबत्ता (हलाल जानवरों का) चमड़ा रंगे जाने के बाद पाक हो जाता है। और उसकी बैअ़ भी जायज़ है। **(3)** ख़िन्ज़ीर ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसके तमाम आज़ा नजिस और हराम हैं, मुरदार की हड्डियों से हासिल होने वाले मवाद भी हराम हैं, इन हराम चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख़्त नहीं हो सकती। **(4)** मुरदार की चर्बी को चराग़ में जलाना जायज है लेकिन फ़रोख़्त करना क़तअन दुरूस्त नहीं। **(5)** बुत और ज़ी रूह चीज़ों की तमासील (स्टेचू) लकड़ी, लोहे, मिट्टी, पत्थर या प्लास्टिक वग़ैरह की हों, ख़्वाह बच्चों के खिलौने ही क्यों न हों, उनका बनाना और तिजारत करना हराम है। छोटे बच्चे बच्चियाँ अगर घरों में अज़ ख़ूद बना लें और उनकी आँखें नाक, कान वग़ैरह न हों महज़ ख़िलौने की सूरत हों तो रूख़्सत दी जा सकती है। जैसे कि हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने एक घोड़ा बनाया था। **(6)** ऐसे तमाम हीले जो अल्लाह तआ़ला की हराम करदा चीज़ों को हलाल करने के लिये इस्तेमाल किये जायें हराम हैं। नाम तब्दील कर देने से हुक्म तब्दील नहीं होता और हीलों से काम निकालना यहूदीयों की सिफ़त है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ " هُوَ حَرَامٌ " .

(3487) यज़ीद बिन हबीब कहते हैं कि अ़ता ने जाबिर (ﷺ) की ये रिवायत मुझे इसकी मानिन्द लिख भेजी मगर इसमें (हुव हराम) का लफ़्ज़ नहीं था।

(3487) तख़रीज : बुख़ारी, व मुस्लिम, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى، - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ، قَالَ مُسَدَّدٌ فِي

(3488) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (बैतुल्लाह में) हज्रे असवद के पास बैठे देखा। आपने अपनी नज़र आसमान की तरफ़

حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قَالَ - فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ " . ثَلاَثًا " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ " . وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ " رَأَيْتُ " . وَقَالَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ " .

उठाई और हँस दिये। फिर फ़रमाया: 'अल्लाह तआला यहूदीयों पर लानत करे ... तीन बार फ़रमाया ... अल्लाह तआला ने उन पर चर्बियों का इस्तेमाल हराम कर दिया तो उन्होंने उसे बेचना शूरू कर दिया और उसकी क़ीमत खाने लगे। बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जब किसी क़ौम पर किसी चीज़ का खाना हराम कर देता है, तो उसकी क़ीमत भी हराम कर देता है।

ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह अत्तह्हान की रिवायत में: (राऔतु) 'मैंने देखा' का जुमला नहीं है। और (लअ़न अल्लाहुल यहुद) की बजाये (क़ातल अल्लाहुल यहुद) कहा: यानी 'अल्लाह तआला यहूदीयों को हलाक करे।'

(3488) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 1/247, इब्ने अलमुलक़िन, हदीस: 1177.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ " .

(3489) हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शराब बेचता है उसे चाहिए कि ख़िन्ज़ीर को (खाना) हलाल समझे।'

(3489) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/253.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ

(3490) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि जब सूरह बक़र: की आख़री आयात नाज़िल हूईं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले और उन्हें हम पर पढ़ा और फ़रमाया: 'शराब की तिजारत हराम कर दी गयी है।'

مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ " حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ"

(3490) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2226, व मुस्लिम: 1580.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا.

(3491) जनाब आमश (रह.) ने अपनी सनद से इस हदीस़ के हम मानी बयान करते हूए कहा कि आख़री आयात, जो सूद से मुताल्लिक़ हैं। (जब वह नाज़िल हूई)

(3491) तख़रीज : मुस्लिम, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : इससे मुराद सूरह बक़र: की आयात नम्बर 275 से लेकर 281 तक हैं।

﴿31﴾ باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

बाब : 31 ग़ल्ला अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले ही फ़रोख़्त करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .

(3492) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कोई ग़ल्ला (तआम) ख़रीदा हो तो उसे अपने क़ब्ज़े में लिये बग़ैर फ़रोख़्त न करे।'

(3492) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2136, मौता: 2/640, व मुस्लिम: 1526.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ

(3493) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हम ग़ल्ला ख़रीदा करते थे। पस आप (ﷺ) हमारे पास आदमी भेजते जो हमें हुक्म देता कि हम उसे फ़रोख़्त करने से पहले ख़रीदने की जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर लें।

الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي - جُزَافًا

यानी अन्दाज़े से (जो) ख़रीद व फ़रोख़्त करते थे (उससे मना कर दिया गया।)

(3493) **तख़रीज :** मौता: 2/641, बुख़ारी, हदीस: 2123, व मुस्लिम: 1527.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ .

(3494) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बयान किया कि लोग मंडी की बालाई जानिब अन्दाज़े से ग़ल्ला ख़रीदते थे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको फ़रोख़्त करने से मना फ़रमा दिया, यहां तक कि वह उसे दूसरी जगह मुन्तक़िल कर लें।

(3494) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 2167, मुसनद अहमद: 2/15, व मुस्लिम: 1526.

फ़ायदा : (जुज़ाफ़न) के मानी हैं कि उसका कैल (नाप) या वज़न मुतअय्यन न होता था बल्कि वैसे ही एक ढेर का सौदा कर लिया जाता था, और फिर उसे वैसे ही तौले बग़ैर और क़ब्ज़े में लिये बग़ैर ढेर ही की शक्ल में फ़रोख़्त कर दिया जाता था। इसे बाज़ हज़रात ने जायज़ क़रार दिया है। लेकिन अहादीस़ के अल्फ़ाज़ से तो यही मालूम होता है कि ग़ल्ला नाप तौल कर लिया जाये या ढेरी की शक्ल में, उसे क़ब्ज़े में लिये बग़ैर या नाप, तौल के बग़ैर बेचना जायज़ नहीं। और ढेरी का क़ब्ज़ा यही है कि उसे दूसरी जगह मुन्तक़िल कर दिया जाये।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

(3495) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि जिसने मुतअय्यन केल (नाप) में ग़ल्ला ख़रीदा हो, तो उसे क़ब्ज़े में लिये बग़ैर आगे फ़रोख़्त कर दे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4608.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ

(3496) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ग़ल्ला ख़रीदा हो तो उसे फ़रोख़्त न

طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " . زَادَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى .

करे यहाँ तक कि नाप ले।' (अपने क़ब्ज़े में ले ले) (रावी) अबूबक्र ने मज़ीद कहा कि तावुस कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा कि ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा: क्या देखते नहीं हो कि लोग उसे सोने के बदले ख़रीद लेते हैं, हालांकि वह (ग़ल्ला) अभी बहुत दूर होता है। (फ़रोख़्त करने वाले के पास पहुँचा ही नहीं होता)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2132, व मुस्लिम: 1525.

फ़ायदा : इन तालीमात की हिकमतें वाज़ेह हैं मक़सद ये है कि मंडी में ख़ामूशी न रहे। माल और सरमाया हरकत में आये। मज़दूरों को मज़दूरी और लोगों को रिज़्क़ आसानी और अरज़ानी से मिले। आजकल चीज़ों के महंगे होने का बड़ा सबब ही ये है कि माल एक जगह स्टॉक में पड़ा होता है और सरमायेदार उसे वहीं एक दूसरे को फ़रोख़्त करते चले जाते हैं या माल अभी एक ख़रीदार के क़ब्ज़े में आया नहीं होता कि वह उसे आगे फ़रोख़्त कर देता है और वह फिर उसे आगे फ़रोख़्त कर देता है। ये सब सूरतें शरई उसूलों से मुतसादिम (टकराने वाली) हैं और इनका हासिल कमर तोड़ महंगाई है। वला हौल वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाह.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ " حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ

(3497) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक उसे अपने क़ब्ज़े में न ले ले फ़रोख़्त न करे।' सुलैमान बिन हरब के लफ़्ज़ थे: (हत्ता यस्तौफ़ीहि) मुसद्दद ने इज़ाफ़ा किया कि तावुस ने बयान किया कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: और मेरा ख़याल है कि हर चीज़ तआम (ग़ल्ले) की तरह है। (यानी ख़रीद करदा चीज़ को अपने क़ब्ज़े में लेने से पहले आगे फ़रोख़्त नहीं करना चाहिए, ख़्वाह उसकी नोइयत कोई हो।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2135, व मुस्लिम: 1525.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ

(3498) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं: मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में अगर कोई ग़ल्ले का ढेर ख़रीदता और फिर वहीं फ़रोख़्त कर देता तो उस पर उसे सज़ा दी जाती थी, यहाँ तक कि अपनी मन्ज़िल पर ले जाये।

(3498) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6852, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 14598, व मुस्लिम: 1527.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

(3499) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने बाज़ार में तेल ख़रीदा। जब मैंने उसे वसूल कर लिया तो मुझे एक आदमी मिला और उसने मुझे उम्दा मुनाफ़े की पेशकश की। मैंने चाहा कि (उसे क़बूल करते हूए) उसके हाथ पर हाथ मारूं। तो एक शख़्स ने मेरे पीछे से मेरा बाज़ू पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा तो वह हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) थे। उन्होंने कहा: जहां तुमने उसे ख़रीदा है उसी जगह मत बेचो यहाँ तक कि अपनी मन्ज़िल पर ले जाओ। बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़रीदने की जगह ही पर उस माल को बेचने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि ताजिर उसे अपनी अपनी मन्ज़िल पर ले जायें।

(3499) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/191, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1120.

फ़ायदा : सहाब-ए-किराम (ﷺ) मंडी और बाज़ार में फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर सख़्ती से अमल करते और कराते थे।

बाब : 32
जो शख़्स मामला करते हूए कह दे कि 'धोखा और फ़रेब नहीं'

﴿32﴾
باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ " . فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَةَ .

(3500) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि लोग ख़रीद व फ़रोख़्त में मुझे धोखा दे जाते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'जब तुम मामला करो तो यूँ कह दिया करो कि 'धोखा फ़रेब नहीं।' चुनांचे वह सौदा करते हूए कहा करता था: (ला ख़िलाबत) 'धोखा फ़रेब नहीं।'

(3500) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2117, मौता: 2/685, व मुस्लिम: 1533.

फ़ायदा : इस शर्त और सराहत के साथ अगर बाद में वाज़ेह होकर दूसरे फ़रीक़ ने कोई धोखा दिया है, तो उसे बैअ फ़स्ख़ (रद) करने का हक़ हासिल रहेगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَرُزِّيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه

(3501) हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक शख़्स था जो मामला करने में सादा और कमज़ोर था। उसके घर वाले नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आये और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! फ़ुलां मामला तय करने में बहुत कमज़ोर है। चुनांचे नबी (ﷺ) ने उसे बुलाया और ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़रमाया, तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस काम

وسلم فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرْ عَلَى فُلاَنٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ " . قَالَ أَبُو ثَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ .

से रह नहीं सकता, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम ख़रीद व फ़रोख़्त नहीं छोड़ सकते, तो कहा करो: लाओ और लो (मामला नक़द करो) और धोखा फ़रेब नहीं।' अबू स़ोर ने (अख़बरना सईद) की बजाये (अ़न सईद) कहा।

(3501) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1250, नसाई, हदीस़: 4490, इब्ने माजा, हदीस़: 2354, इब्ने जारूद, हदीस़: 568, हाकिम: 4/101.

﴿33﴾ باب فى العُرْبَانِ

बाब : 33
पेशगी दिया हूआ बैआ़ना मार लेना जायज़ नहीं

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ .

(3502) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने (बैअ़ अलऊरबान) से मना फ़रमाया है। इमाम मालिक (रह.) ने कहा: इसकी स़ूरत जैसे कि हम समझते हैं ये है... और अल्लाह बेहतर जानता है ... कोई किसी से गुलाम ख़रीदे या जानवर किराया पर ले, फिर उससे कहे कि मैं तुझे एक दीनार दिये जाता हूं, अगर मैंने ये सौदा या किराये पर लेना छोड़ दिया (न लिया) तो जो मैंने तुझे दिया ये तेरा हूआ। (वरना अस़ल क़ीमत में शुमार होगा।)

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़ 2192, बैहक़ी: 5/343, मौता: 2/609, व तमहीद: 24/176, हदीस़: 1251, ज़रक़ानी, हदीस़: 1331.

बाब : 34
जो चीज़ इंसान के पास न हो, उसका फ़रोख़्त करना

﴾34﴿
بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ " لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"

(3503) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं, मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहता है जो मेरे पास नहीं होती, तो क्या मैं उसके लिये बाज़ार से ख़रीद लूं? आपने फ़रमायाः 'जो तेरे पास नहीं है वह मत बेच।'

(3503) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 1232, इब्ने माजा, हदीसः 2187, नसाई, हदीसः 4617, इब्ने जारूद, हदीसः 602.

तौज़ीह : (1) दुकानदार बाज़ औक़ात अपने ग्राहकों की कई मतलूबा चीज़ें जो उनके पास नहीं होतीं उसी वक़्त बाज़ार से मंगवा कर देते हैं और मक़सद ये होता है कि ये ग्राहक बस उन्हीं से मुताल्लिक़ रहे, ये सूरत जायज़ नहीं। वही सौदा बेचना चाहिए जो मौजूद हो। मगर ये कि ग्राहक ख़ुद से दुकानदार से चीज़ मंगवाकर देने का मुतालबा करे। **(2)** कोई जानवर जो भाग गया हो उसे फ़रोख़्त कर देना, या कोई माल फ़रीक़ैन में मुतनाज़ा हो, तो फ़ैसला और क़ब्ज़ा होने से पहले ही फ़रोख़्त कर देना जायज़ नहीं। **(3)** कोई चीज़ ख़रीद रखी हो मगर वसूल न की हो और क़ब्ज़े में न आयी हो, तो उसको बेचना नाजायज़ है। ख़याल रहे कि मारूफ़ तिजारती तरीक़ पर बैअ़े सलफ़ (सलम) का मामला जायज़ है जिसकी तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ

(3504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (बिन अलआस़) (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'उधार और बैअ़ और एक बैअ़ में दो शर्तें हलाल नहीं हैं, और

اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " .

उस चीज़ का नफ़ा भी हलाल नहीं जो तेरी अपनी ज़मानत में नहीं और जो चीज़ तेरे पास (यानी क़ब्ज़े में) न हो उसे मत फ़रोख़्त कर।

(3504) **तख़रीज :** (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1234, इब्ने माजा, हदीस: 2188, नसाई, हदीस: 4615, इब्ने जारूद, हदीस: 601, हाकिम: 2/17.

तौज़ीह : उधार और बैअ (सौदा): इसकी एक सूरत ये है कि कोई शख़्स नक़द और उधार की क़ीमतों में फ़र्क़ को नाजायज़ समझता है लेकिन हीले से ये अन्दाज़ इख़्तियार करे कि कोई चीज़ ख़रीदे मगर रक़म पास न हो तो फिर उसी दुकानदार ताजिर से रक़म उधार ले ले ताकि बैअ की क़ीमत अदा कर दे। एक सूरत ये भी बयान की जाती है कि मैं तीन लाख का ये मकान तुझे दो लाख में देता हूं बशर्ते कि तू मुझे पाँच लाख उधार दे या मैं तुझे ये गुलाम पचास दीनार में बेचता हूं बशर्ते कि तू मुझे एक हज़ार दिरहम उधार दे वग़ैरह। और इसमें बुनियादी इल्लत (कारण) रिबा (सूद) है।

- **एक बैअ (सौदा) में दो शर्तें:** जैसे मैं तुझे ये चीज़ फ़रोख़्त करता हूं बशर्ते कि आगे फ़रोख़्त न करे और न हिबा करे। या ये कपड़ा फ़रोख़्त करता हूं इस शर्त के साथ कि मैं ही सिलवा दूंगा और धुलवा भी दूंगा। बाज़ उलमा ने (बैअतुन फ़ी बैअतैन) को भी इसी में शुमार किया है। (तफ़्सील के लिये देखिये गुज़िश्ता हदीस: 3461 के फ़वाइद। बाक़ी की तफ़्सील पिछली हदीस के फ़ायदे में मुलाहिज़ा फ़रमायें।)

﴾35﴿ بَابٌ فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ

बाब : 35 बैअ में एक शर्त कर लेना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بِعْتُهُ - يَعْنِي بَعِيرَهُ - مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي قَالَ فِي آخِرِهِ " تُرَانِي

(3505) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को अपना ऊँट फ़रोख़्त किया और आप (ﷺ) से शर्त कर ली कि मैं अपने घर तक उस पर सवारी करूंगा। इस हदीस के आख़िर में कहा: (रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:) 'क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा नुक़सान

إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ " .

किया है ताकि मैं तुम्हारा ऊँट ले लूं? जाओ! ऊँट भी ले जाओ और उसकी क़ीमत भी। दोनों ही तुम्हारे हैं।'

(3505) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 2718, व मुस्लिम: 715.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैअ (ख़रीदो फ़रोख़्त) में उसके कुछ देर तक इस्तेमाल की एक शर्त क़र लेना जायज़ है। **(2)** अगर ऐसे ही एहसान करना मक़सूद हो तो साहिबे ज़रूरत की इज्ज़ते नफ़्स का ख़्याल रखा जाये जिस तरह कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जाबिर (ؓ) के साथ मामला फ़रमाया।

﴿36﴾ بَابٌ فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

बाब : 36
ग़ुलाम की ख़रीदो फ़रोख़्त और उसकी सलामती की ज़मानत

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ " .

(3506) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ग़ुलाम की बैअ और उसकी सलामती की ज़मानत तीन दिन तक है।' (तौज़ीह दर्ज ज़ेल है।)

(3506) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2245, इब्ने माजा, हदीस़: 2244.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاَثِ اللَّيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاَثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ .

(3507) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया और मज़ीद कहा: अगर तीन (दिन) रात तक इसमें किसी ऐ़ब से मुत्तलअ (बा'खबर) हूआ तो गवाह पेश किये बग़ैर ही उसे वापस कर सकेगा। और अगर तीन दिन के बाद मुत्तलअ हूआ तो उसे गवाह पेश करना होगा कि जब उसे ख़रीदा था तो उसमें ये ऐ़ब था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये तौज़ीह जनाब क़तादा (रह.) का क़ौल है।

(3507) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम उलमा की आम राय यही है कि अगर कोई शख़्स गुलाम ख़रीदे लेकिन उसमें कोई ऐब निकल आये, तो तीन दिन के अंदर उसे वापस किया जा सकता है और मालिक के लिये ज़रूरी होगा कि उसे वापस ले ले, क्योंकि वह इस बात का ज़ामिन है कि जिस गुलाम को वह बेच रहा है, वह सही और हर क़िस्म के ऐब से पाक हो।

﴾37﴿ باب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

बाब : 37 गुलाम ख़रीदा और उसे काम पर लगाया, बाद में उसके ऐब पर मुत्तलअ (बा'ख़बर) हूआ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"

(3508) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'आमदनी का हक़दार वही है जो ज़ामिन हो।'

(3508) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1275, इब्ने माजा, हदीस़: 2242, नसाई, हदीस़: 4495, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1125, इब्ने जारूद, हदीस़: 627.

तौज़ीह : गुलाम ने जो कुछ कमाया वह ख़रीदार का है। इस मुद्दत में अगर उसके किसी ऐब पर मुत्तलअ हूआ और उसे वापस किया तो सिर्फ़ गुलाम वापस होगा, उसकी कमाई नहीं, क्योंकि बिलफ़र्ज़ अगर उन दोनों में गुलाम मर जाता, तो ये नुक़सान ख़रीदार ही का होता।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

(3509) जनाब मख़्लद बिन ख़ुफ़ाफ़ ग़िफ़ारी (रह.) बयान करते हैं कि लोगों के साथ मेरी एक गुलाम में शिराकत थी, मैंने

مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَىَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"

उसे काम पर लगाया जबकि मेरा साथी ग़ायब था। तो वह गुलाम मेरे लिये कमा कर लाया। मेरे शरीक ने अपने हिस्से के बारे में मुझसे झगड़ा किया और मुक़द्दमा क़ाज़ी के सामने पेश कर दिया। तो क़ाज़ी ने मुझसे कहा कि मैं उसका हिस्सा अदा कर दूं। चुनांचे मैं हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर के पास आया और वाक़िया उन्हें बताया, तो वह क़ाज़ी के पास गये और उसे हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत सुनाई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'आमदनी का वही हक़दार होता है जो ज़ामिन हो।'

(3509) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

तौज़ीह : इस सूरत में ग़ालिबन मख़्लद ने अपने शरीक से इत्तेफ़ाक़ किये बग़ैर काम करवाया। इसलिए गुलाम उनकी ज़ामिन में हो गया। अगर शरीक से इत्तेफ़ाक़ किया गया होता तो फिर वह भी उसकी आमदनी में हिस्सेदार होता। (अज़ तजुर्मा: अ़ल्लामा वहीदुज़्ज़मान)

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً، ابْتَاعَ غُلاَمًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلاَمِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(3510) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) रिवायत करती हैं कि एक शख़्स ने गुलाम ख़रीदा, फिर जब तक अल्लाह ने चाहा, वह उसके पास रहा। उसके बाद उसे गुलाम के किसी ऐ़ब की ख़बर हुई तो वह उसका मामला नबी (ﷺ) के पास ले गया। आपने उसे बेचने वाले को वापस करा दिया, तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने मेरे गुलाम से आमदनी भी ली है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आमदनी का वही हक़दार होता है जो ज़ामिन हो।'

وسلم " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं इसकी सनद मैयारी नहीं है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2243, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1126, इब्ने जारूद, हदीस: 626, हाकिम: 2/15, तिर्मिज़ी, हदीस: 1286.

﴾38﴿ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ

बाब : 38 जब ख़रीदार और फ़रोख़्त करने वाले में इख़्तिलाफ़ हो जाये और चीज़ मौजूद हो

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اشْتَرَى الأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاخْتَرْ رَجُلاً يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . قَالَ الأَشْعَثُ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

(3511) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन क़ैस बिन मुहम्मद बिन अशअ़स़ अपने वालिद (क़ैस) से और वह अ़ब्दुर्रहमान के दादा (मुहम्मद) से रिवायत करते हैं किहज़रत अशअ़स़ (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से बीस हज़ार में कुछ गुलाम ख़रीदे जो कि ख़ुमुस के थे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने क़ीमत लेने के लिये आदमी भेजा, तो उसने कहा कि मैंने उन्हें दस हज़ार में लिया है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा: किसी आदमी को मुन्तख़ब कर लो जो हममें फ़ैसला कर दे। हज़रत अशअ़स़ (ﷺ) ने कहा: आप ख़ुद ही मेरे और अपने दरम्यान फ़ैसला कर दें। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जब ख़रीदार और फ़रोख़्त

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ " .

कुनिन्दा के दरम्यान इख़्तिलाफ़ हो जाये और उनमें कोई गवाह न हो, तो बात फ़रोख़्त करने वाले की मोतबर होगी, या वह दोनों ही सौदा छोड़ दें।'

(3511) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4652, इब्ने जारूद, हदीस: 625, हाकिम: 2/45, इब्ने जारूद, हदीस: 624.

फ़ायदा : इसमें इख़्तिलाफ़ के ख़ातमे के लिये एक मुनासिब तरीक़ा तजवीज़ किया गया है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ مِنَ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلاَمُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

(3512) जनाब क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान ने अपने वालिद से रिवायत किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने हज़रत अशअ़स बिन क़ैस (ﷺ) को ग़ुलाम बेचे। और अल्फ़ाज़ में कमी बेशी है। ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

(3512) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2186, दारक़ुतनी: 3/20.

﴾39﴿ بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ

बाब : 39 शुफ़आ का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "

(3513) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शुफ़आ हर मुश्तरक ज़मीन या बाग़ में है, उसे अपने शरीक के ख़बर दिये बग़ैर फ़रोख़्त करना दुरूस्त नहीं। अगर (बिला इत्तला) फ़रोख़्त कर दिया हो तो वह शरीक ही ज़्यादा हक़दार है यहाँ तक कि वह दूसरे के लिये इजाज़त दे दे।'

(3513) तख़रीज : मुस्लिम: 1608.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

(3514) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर मुश्तरक तक़सीम शुदा चीज़ में शुफ़आ रखा है, लेकिन जब हुदूद मुतअय्यन हो जायें और रास्ते अलग अलग हो जायें तो फिर कोई शुफ़आ नहीं।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6976, मुसनद अहमद: 3/296, मुसनद अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 14391, तिर्मिज़ी, हदीस: 1312.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا " .

(3515) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़मीन तक़सीम हो जाये और हुदूद मुतअय्यन हो जायें, तो उसमें कोई शुफ़आ नहीं।'

(3515) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 6/104, इब्ने माजा, हदीस: 2497.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "

(3516) हज़रत अबू राफ़े (ﷺ) ने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'हमसाया अपने क़रीब की बिना पर ज़्यादा हक़दार होता है।'

(3516) तख़रीज : बुख़ारी,, हदीस: 6977.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الأَرْضِ " .

(3517) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घर का हमसाया, हमसाये के घर या ज़मीन का ज़्यादा हक़दार है।'

(3517) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1368, इब्ने जारूद, हदीस: 644.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शुफ़आ, शफ़ा से माख़ूज़ है और लुग़त में इसके मानी जोड़ा होना, इज़ाफ़ा करना और एआनत करना आते हैं। शरअन ये है कि 'मुश्तरक या मुल्हक़ ज़मीन व मकान को फ़रोख़्त करते वक़्त शरीक साथी को जो हक़्क़े ख़रीदारी का अव्वलीन हक़ रखता था, बताये बग़ैर किसी और को मुन्तक़िल कर दिया गया हो, तो उसे वापस लौटाना, शुफ़आ कहलाता है, बशर्ते कि क़ीमत वही हो जो अजनबी ने दी हो। **(2)** हदीस: 3515 और 1516 में हमसाये से मुराद शरीक है, जैसा कि कई रिवायतों में सराहत है। इसकी ताईद हदीस: 3518 से भी होती है। इसमें वज़ाहत है कि जिस हमसाये का रास्ता एक हो, वही हमसाया शुफ़आ का हक़दार होगा। अगर रास्ता मुश्तरक (साथ) न हो, बल्कि अलग अलग हो, एक दूसरे की हुदूद मुतअय्यन हों, तो फिर महज़ हमसाया होने की बिना पर वह शुफ़आ का हक़दार नहीं होगा। शुफ़आ का हक़दार सिर्फ़ वही होगा जो ज़मीन या बाग़ में शरीक होगा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " .

(3518) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमसाया, हमसाये पर शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है, अगर वह मौजूद न हो तो उसका इन्तेज़ार किया जाये, बशर्ते कि उनका रास्ता एक हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3494, मुसनद अहमद: 3/303, तिर्मिज़ी, हदीस: 1369.

﴿40﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

बाब : 40 अगर कोई कंगाल और दीवालिया हो जाये और क़र्ज़ ख़्वाह बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) अपना माल उसके पास पाये

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، - الْمَعْنَى -

(3519) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई कंगाल और मुफ़्लिस हो जाये और फिर कोई

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .

(माल देने वाला) अपना माल उसके पास बिऐनिही पाये, तो दूसरों की निस्बत वही उसका ज़्यादा हक़दार है।'

(3519) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2402, मौता: 2/678, व मुस्लिम: 1559.

फ़ायदा : हदीस़ में मज़कूरा सूरत में अगर बायेअ (बेचने वाले) ने कोई क़ीमत वसूल न की हो और माल बिलकुल उसी तरह मौजूद हो तो बैअ फ़स्ख़ (रद) समझी जायेगी और माल वापस होगा। अगर उस माल में कोई तसर्रुफ़ किया गया हो, तो दीगर क़र्ज़ ख़्वाह भी उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "

(3520) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस़ (रह.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कोई माल बेचा हो और फिर ख़रीदार कंगाल हो गया हो और बेचने वाले ने उसकी कोई क़ीमत वसूल न की हो फिर वह अपने माल को उसके पास बिलकुल उसी तरह पाये, तो वही उसका ज़्यादा हक़दार होगा, अगर ख़रीदार फ़ौत हो जाये तो माल वाला दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों के साथ बराबर होगा।'

(3520) तख़रीज : (सनद स़ही) मौता, हदीस़: 2/678, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ

(3521) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस़ (रह.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया ... (ऊपर दी गई) हदीस़ मालिक (3520 नम्बर) के हम मानी रिवायत किया। इसमें मज़ीद कहा:

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ زَادَ " وَإِنْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا " .

'अगर उसकी कुछ क़ीमत वसूल कर ली हो तो फिर वह उसमें दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों के बराबर हक़ रखता होगा।'

अबूबक्र ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया: 'जो शख़्स फ़ौत हो जाये और उसके पास किसी शख़्स का माल बिलकुल उसी तरह मौजूद हो, उसने उसको कोई क़ीमत भी अदा न की हो तो साहिबे माल दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों जेसे सलूक का मुस्तहिक़ होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मालिक की हदीस ज़्यादा सही है। (यानी हदीस: 3520)

(3521) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2359, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، - يَعْنِي الْخَبَائِرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ قَالَ " فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

(3522) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत की, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस हदीस की मानिन्द बयान किया, कहा: 'अगर उसकी क़ीमत से कुछ वसूल कर लिया हो तो बाक़ी में वह दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों के बराबर होगा। अलबत्ता अगर कोई शख़्स हलाक हो जाये और उसके पास किसी का माल बेऐनिही (बिलकुल उसी तरह) मौजूद हो, वह ख़्वाह उसकी क़ीमत वसूल कर चुका हो या न, तो वह बाक़ी क़र्ज़ ख़्वाहों के साथ होगा।'

(3522) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3519 में देखें, बैहक़ी: 6/47, इब्ने जारूद, हदीस: 631.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، هُوَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

(3523) जनाब उमर बिन ख़लदा बयान करते हैं कि हम अपने एक साहब के सिलसिले में, जो मुफ़्लिस हो गया था। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए उन्होंने फ़रमाया: मैं हर सूरत में नबी (ﷺ) वाला फ़ैसला करूंगा। (फ़रमाया:) जो शख़्स मुफ़्लिस या फ़ौत हो जाये और माल वाला बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) अपना माल उसके पास पाये, तो वही इस माल का ज़्यादा हक़दार होगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कौन इस हदीस को क़बूल करेगा। (रावी हदीस) अल मोतमर कौन है? यानी हम उसको नहीं जानते।

(3523) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2360, मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 2375, इब्ने जारूद, हदीस: 634, हाकिम: 2/50.

फ़ायदा : इस हदीस में बग़ैर शर्त के क़र्ज़ ख़्वाह को अपना माल ले जाने की इजाज़त मज़कूर है। पिछली अहादीस में जो सही हैं उसकी शर्तें बयान हूई हैं कि लेने वाला ज़िन्दा हो और चीज़ देने वाले ने क़ीमत का कुछ हिस्सा भी वसूल न किया हो तो बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) अपना माल ले जा सकता है। वरना ऐसा क़र्ज़ ख़्वाह भी दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के साथ होगा और इस शरह से हिस्सा पायेगा। इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान करने के बाद वाज़ेह कर दिया कि ये हदीस ज़ईफ़ है। इससे पढ़ने वाले को पता चल जायेगा कि जो लोग इस हदीस की बिना पर अपनी चीज़ ले जाने का दावा करें या फ़तवा दें, तो क़ाबिले क़बूल न होगा क्योंकि ये हदीस ज़ईफ़ है। ताहम बाज़ हज़रात ने इस हदीस की तहसीन की है। इस सूरत में इसके उमूम को गुज़िश्ता अहादीस की रू से ख़ास कर दिया जायेगा, यानी वापसी के लिये इन शर्तों को मल्हूज़ रखना ज़रूरी होगा जो दूसरी अहादीस में बयान हूई हैं।

बाब : 41
जिसने किसी लाचार ज़ईफ़ मतरूक जानवर को सेहतमंद बना लिया हो, तो?

﴾41﴿
باب فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، - قَالَ عَنْ أَبَانَ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، - حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ " . قَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ .

(3524) जनाब आमिर शअबी (रह.) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिसे कोई ऐसा जानवर मिला हो कि उसके मालिक उसको चारा देने से आजिज़ आ गये हों और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया हो, तो जो कोई उसे ले ले और उसे ज़िन्दा कर ले तो वह उसी का हूआ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) अबान की हदीस में फ़रमाते हैं: उबैदुल्लाह (बिन हुमैद) कहते हैं: मैंने जनाब आमिर से पूछा कि ये किससे मरवी है? तो उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) के कई एक सहाब-ए-किराम से।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत जनाब हम्माद की है और वाज़ेह और कामिल है।

(3524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 3/68, बैहक़ी: 6/198.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلِكٍ

(3525) जनाब शअबी (रह.) नबी (ﷺ) से मरफ़ूअन बयान करते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी तबाह हाल जानवर को छोड़ दिया हो और कोई दूसरा उसे ज़िन्दा कर ले (यानी इलाज मुआलिजा और ख़िदमत से) तो ये उसका हूआ जिसने उसे ज़िन्दा किया।'

فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ".

(3525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/198, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : ये एक बाब बाँध कर इस मसले को सिर्फ़ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने नुमायां किया है। इसके तहत पिछली अहादीस़ भी इमाम अबू दाऊद ही की सनद से दूसरे मोहद्दिसीन तक पहुँची हैं। इन अहादीस़ से वाज़ेह होता है कि अगर कोई जानवर बिल्कुल मौत के मुँह में पहुँच चुका हो, उसकी ज़िन्दगी की उम्मीद ख़त्म हो चुकी हो और मालिक ने उससे हाथ उठा लिया हो, तो जो कोई उसे इलाज और ख़िदमत के ज़रिये से तन्दुरूस्त कर ले वह उसी का हो जायेगा। बुनियादी उसूल ये हूआ कि किसी जानदार की ज़िन्दगी ख़त्म होती दिखाई दे और पहले मालिक ने उसे छोड़ दिया हो तो जो उसको मौत से बचाकर उसकी ज़िन्दगी का तसलसुल क़ायम कर लेगा, वह आइन्दा के लिये उसको इस्तेमाल करेगा।

- **आज़ा (पार्टस ऑफ बॉडी) की पैवन्दकारी का मसला :** अपने आज़ा के बारे में कुछ लोग वस़ीयत कर जाते हैं कि मौत के बाद दूसरे ज़रूरतमंदों को दे दिये जायें। इस पर बहस़ व मुबाहसा जारी है। अक्स़र उलमा इसके जवाज़ के क़ाइल हैं लेकिन जवाज़ का ये फ़तवा ज़रूरत और मस़लिहते इंसानी की बुनियाद पर दिया जाता है। (जदीद फ़िक़्ही मसाइल, मौलाना ख़ालिद सैफ़ रहमानी, स़: 210 से 214) इसके जवाज़ के लिये बाक़ायदा क़यासे स़ही की कोई सूरत तो अब तक सामने नहीं आयी। सिर्फ़ यही कहा जाता है कि आँखें और गुर्दे वग़ैरह इंसान के मरने के बाद यक़ीनी तौर पर ख़त्म होकर मिट्टी में मिल जाने होते हैं। उनको अगर इस तरह महफ़ूज़ कर लिया जाये कि उनसे दूसरे इंसान फ़ायदा उठा लें, तो अच्छी बात ही है। जो अहले इल्म इसके जवाज़ के मुख़ालिफ़ हैं उनकी तरफ़ से ये नुकात उठाये जाते हैं।

- मरने वाला किस तरह अपना अ़ज्व (जिस्म का हिस्सा) दूसरे के हवाले करने की वस़ीयत कर सकता है जबकि वह ख़ुद उस अ़ज्व का मालिक नहीं होता। इंसान अपनी जान का भी मालिक नहीं। इसीलिए वह अपनी जान नहीं ले सकता। इंसान अपनी स़वाबदीद पर अपने आज़ा को भी नुक़स़ान नहीं पहुँचा सकता। इस सिलसिले में स़ही मुस्लिम की ये रिवायत पेश की जाती है कि 'हज़रत तुफ़ैल बिन अ़म्र दौसी (ﷺ) ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को पेशकश की थी कि मक्का से हिजरत करके बनू दोस के महफ़ूज़ क़िले में तशरीफ़ ले आयें लेकिन ये सआ़दत अल्लाह ने अंस़ार के लिये मुक़द्दर फ़रमायी थी इसलिए आपने ये पेशकश क़बूल न की और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आये। आपकी हिजरत के बाद हज़रत तुफ़ैल बिन अ़म्र दौसी (ﷺ) भी अपनी क़ौम के एक साथी के हमराह हिजरत करके मदीना आ गये। ये साथी शदीद बीमारी में मुब्तला हो गये और तकलीफ़ बरदाश्त न कर सके तो अपना नेज़ा उठा कर अपने दोनों हाथों की रगें काट डालीं। दोनों हाथों से ख़ून उबल पड़ा और उसी हालत में उनकी मौत वाक़े हो गयी। हज़रत तुफ़ैल बिन अ़म्र(ﷺ) ने जो ख़्वाब में उन्हें अच्छी हालत में देखा, अलबत्ता उन्होंने अपने हाथ ढाँप रखे थे।

हज़रत तुफ़ैल (ﷺ) ने पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया: अपने नबी की तरफ़ मेरी हिजरत की वजह से मुझे बख़्शा दिया। हज़रत तुफ़ैल ने फिर पूछा: मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपने दोनों हाथ ढाँपे हूए हैं। उन्होंने जवाब दिया: मुझसे कह दिया गया कि 'जो तूने ख़ूद बिगाड़ा है उसे हम ठीक नहीं करेंगे।' हज़रत तुफ़ैल (ﷺ) ने ये वाक़िया रसूलुल्लाह (ﷺ) के गोशे गुज़ार किया, तो आपने दुआ फ़रमायी: 'ऐ मेरे अल्लाह! इसके दोनों हाथों को (भी) बख़्शा दे।' (सही मुस्लिम)

☞ बज़ाहिर ये काफ़ी बारीक ऐतराज़ है लेकिन जहां तक मिल्कियत का ताल्लूक़ है ये साबित शुदा बात है कि किसी इंसान का कोई अज़्व (पार्ट) ज़ाया कर दिया जाये, तो उस अज़्व की दियत उसी इंसान को दी जाती है। ख़ून बहा भी उसके अपने छोड़े हूए तर्के का हिस्सा समझा जाता है। इसलिए अपने आज़ा की मिल्कियत भी उसी तरह इंसान को मिली होती है जिस तरह अल्लाह तआला की दी हूई दूसरी नेमतों की मिल्कियत उसे तफ़वीज़ कर दी गयी होती है। हज़रत तुफ़ैल(ﷺ) के साथी सहाबी का अमल ये न था कि उन्होंने मौत के मुँह में जाते हूए अपने किसी अज़्व को बचा लिया हो बल्कि उसके बिल्कुल बर अक्स था कि ज़िन्दा हाथों की रगें काट कर हाथों को और ख़ूद को मौत के सुपूर्द कर दिया, इसलिए उनका अमल ग़लत था। किसी शख़्स का वह अमल जो उसके बरअक्स है यानी मौत आ जाने के बाद अपने आज़ा को बचा कर उनकी ज़िन्दगी बरक़रार रखने की इजाज़त दे, तो उम्मीद है कि उसका ये अमल नापसन्दीदा नहीं, बल्कि पसन्दीदा ठहरेगा।

☞ आज़ा की वसीयत को नाजायज़ क़रार देने वालों का दूसरा नुक्ता इस हदीस़ के हवाले से है कि: 'मुर्दे की हड्डी तोड़ना गुनाह में ज़िन्दा की हड्डी तोड़ने की तरह है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1617) इस पर तमाम आज़ा को क़यास किया जायेगा। और जिस तरह ज़िन्दा का अज़्व निकालना गुनाह है उसी तरह मुरदा का अज़्व निकालना भी गुनाह होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मुरदा इंसान की हड्डी तोड़ने या मुर्दे की आँख, कान, नाक काट कर लाश का मस्ख़ करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना ज़िन्दा के साथ ऐसा सलूक करना गुनाह है। ये एक मुजरिमाना अमल है, इसमें (ज़िन्दा या मुर्दा हालत में) दूसरे की तौहीन और अपने एहसास के मुताबिक़ उसको अज़ीयत देने की मकरूह ख़्वाहिश कारफ़रमा है। जिस पर वह यक़ीनन सख़्त आज़ाब का मुस्तहिक़ है। इसके बरअक्स अगर ज़िन्दगी में किसी का कोई अज़्व मुर्दा हो जाये जिस तरह कंगरीन (मास ख़ूरा वग़ेरह की बीमारी) लगने से हाथ पाँव वग़ेरह मुर्दा हो जाते हैं, तो मुर्दा और ज़िन्दा को अलग करके मुर्दा हिस्से को दफ़न करना और जिस्म के बाक़ी ज़िन्दा हिस्से को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि इस अमल का मक़सद तौहीन या अज़ीयत के बरअक्स ज़िन्दा हिस्से की हिफ़ाज़त है तो ऐसा क़तअे अज़्व मतलूब होगा और इस कोशिश पर अज्र व सवाब मिलेगा। मरने वाले के ऐसे अज़्व को अलग कर लेना जिनको ज़िन्दा रखा जा सकता है उसी पसन्दीदा और सवाब के अमल से

मुशाबेह है। ये तौहीन के मक़सद से अज़्व काटने वाले के अमल से मिलता जुलता नहीं, बल्कि उससे यक्सर मुख़्तलिफ़ अमल है।

➪ क़िसास में मुजरिम का अज़्व काट देना ऐन तक़ाज़ा ए इस्लाम है, क्योंकि ये तकलीफ़ या तौहीन के लिये नहीं बल्कि, जिस तरह अल्लाह का फ़रमान है: 'क़िसास (बदला लेने) में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी है।' ये अमल मजमूई हैसियत से हिफ़ाज़ते हयात के लिये है, इसीलिए मतलूब है। इससे साबित हूआ कि महज़ अज़्व का काटना जुर्म नहीं, बल्कि ग़लत मक़सद के लिये काटना जुर्म और अच्छे मक़सद के लिये काटना पसन्दीदा है। इंसान के जिस्म को काटना, कट लगाना जुर्म है लेकिन जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शिफ़ा तीन चीज़ों में है: जर्राह के नशतर में ...' (सही बुख़ारी, हदीस: 5680) अगर इलाज के लिये जिस्म को काटा जाये तो ये जुर्म नहीं अच्छा अमल होगा। हिफ़ाज़ते हयात, शिफ़ा, वग़ैरह के आला मक़ासिद को सामने रखते हूए मरने वाले की वसीयत के मुताबिक़ मरने के बाद मुर्दा जिस्म से आज़ा को निकाल कर उन्हें ज़िन्दा रखने के अमल को जुर्म के तौर पर अज़्व निकालने पर क़यास नहीं किया जा सकता बल्कि इस अमल यानी मुर्दा हिस्से को अलग करके बेच सकने वाले आज़ा को बचाने पर क़यास किया जायेगा। आज़ा की पैवंदकारी की एक सूरत ये है कि ज़िन्दा इंसान अपना एक गुर्दा दूसरे को दे देता है और एक गुर्दे के साथ नॉर्मल ज़िन्दगी गुज़ारता है। अगर फ़ैसला नियत को सामने रख कर किया जाये तो ये ख़ूद अज़ियती या ख़ूद को नुक़सान पहुँचाने वाला मुजरिमाना अमल नहीं बल्कि आला तरीन ईसारो कुर्बानी से काम लेकर एक इंसान की ज़िन्दगी बचाने का इन्तेहाई क़ाबिले एहतराम अमल है और फ़रमाने इलाही: 'जिसने एक इंसान की ज़िन्दगी बचाई, उसने गोया सारी इंसानियत की ज़िन्दगी बचाई, की रू से इन्शाअल्लाह क़ाबिले तहसीन ही होगा।

बाब : 42
गिरवी रखने के अहकाम व मसाइल

﴾42﴿
بَابٌ فِي الرَّهْنِ

फ़ायदा : क़र्ज़ा लेने वाला, क़र्ज़ा देने वाले को अपने क़र्ज़ की ज़मानत के तौर पर कोई माल वग़ैरह दे, तो उसे रहन रखना और गिरवी रखना, कहते हैं। इरशादे बारी तआला है: 'अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला न पाओ तो रहन क़ब्ज़ा में रख लिया करो।' (अलबक़र: 283) इक़ामत में भी रहन हो सकता है जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अपने अमल से साबित है।

(3526) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ،

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ .

है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'दूध वाले जानवर का दूध निकाला जायेगा जबकि उसे रहन रखा गया हो, उस ख़र्च के ऐवज़ जो उस पर होता है। और सवारी वाले जानवर पर सवारी की जायेगी जबकि उसे रहन रखा गया हो, उस ख़र्च के ऐवज़ जो उस पर होता है। जो शख़्स सवारी करता है और दूध निकालता है ख़र्च भी उसी पर है।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ हमारे नज़दीक स़ही है। (मनगढ़त फ़िक़्ही उसूलों के बरख़िलाफ़ हदीस़ बरहक़ है।)

(3526) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2512.

फ़ायदा : रहन क़ब्ज़े में रखने वाला जब जानवर पर ख़र्च करेगा तो उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकता है, ख़्वाह मालिक ने इजाज़त दी हो या न दी हो। लेकिन ये हुक्म सिर्फ़ जानदारों के बारे में है। मकान, गाड़ी या ज़मीन वग़ैरह में ये हुक्म जारी नहीं होगा, अगर किसी ने मकान गिरवी लिया हो तो वह उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसलिए न किराया पर देकर उसका किराया खाये, न ख़ूद रिहाइश इख़्तियार करे, दोनों सूरतों में किराया मालिक मकान को अदा करे। मकान, दुकान, को जानवर पर क़यास करना स़ही नहीं। (दीगर तफ़्सीलात फ़िकह की किताबों में देखी जायें)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ

(3527) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया, नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अल्लाह के बंदों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबी होंगे न शहीद, मगर क़यामत के रोज़ अल्लाह के यहां (बुलन्द) मर्तबा व मनाज़िल की वजह से अम्बिया व शोहदा भी उन पर रश्क करेंगे।' स़हाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें बतायें, वह कौन लोग होंगे? आपने फ़रमायाः 'ये वह लोग होंगे जो आपस में अल्लाह की किताब (या अल्लाह के साथ मोहब्बत) की बिना पर मोहब्बत करते थे। हालांकि उनका

الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ . قَالَ " هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ " . وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ { أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } .

आपस में कोई रिश्ता नाता या माली लेन देन न था। अल्लाह की क़सम! उनके चेहरे नूर होंगे और वह लोग नूर पर होंगे। जब लोग ख़ौफ़ज़दा हो रहे होंगे, तो उन्हें कोई ख़ौफ़ न होगा। जब लोग ग़मगीन व परेशान हो रहे होंगे, तो उन्हें कोई ग़म और परेशानी न होगी।' आप (ﷺ) ने आयते करीमा तिलावत फ़रमाई: (अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन ...) 'आगाह रहो! अल्लाह के वलीयों को कोई ख़ौफ़ होगा, न वह ग़म खायेंगे।'

(3527) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने जरीर: 11/92, वस्सनदु मुन्कतअ, हदीस: 6110, नसाई, हदीस: 11236, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2508.

फ़ायदा : इस हदीस का किताबुर्रहन से बज़ाहिर कोई रब्त (कनेक्शन) मालूम नहीं होता। सिवाए इसके कि अहले ईमान आपस में लिल्लाह फ़िल्लाह मोहब्बत की बिना पर बख़ूशी एक दूसरे से तआवुन करते हैं और उन्हें एक दूसरे पर कामिल ऐतमाद होता है। और रहन लेना देना कोई वाजिब नहीं है। क़ुर्आन मजीद में है: 'और अगर तुममें से कोई दूसरे पर ऐतबार करे तो जिस शख़्स पर ऐतबार किया गया हो उसे चाहिए कि दूसरे की अमानत वापस अदा कर दे।' (अलबक़र: 283) यानी रहन (गिरवी) रखना, एक दूसरे पर अदमे ऐतमाद और अमानत व दयानत के फ़ोक़्दान की दलील है। जहां इसके उलटा सूरते हाल होगी यानी एक दूसरे की अमानत व दयानत पर ऐतमाद होगा, वहां रहन के बग़ैर भी क़र्ज़ के लेने देने में नुक़सान का ख़तरा नहीं होगा। और ऐसा ही मुआशरा इस्लाम का मिसाली मुआशरा है, इस हदीस में उसी मुआशरे की तरफ़ इशारा है।

﴿43﴾ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

बाब : 43
बाप अपने बेटे की कमाई खा सकता है

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،

(3528) उमारा बिन उमैर की फूफी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से सवाल

عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضى الله عنها فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ".

किया कि एक यतीम मेरी किफ़ालत में है, क्या मैं उसके माल में से खा सकती हूं? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'इन्तेहाई पाकीजा माल जो इंसान खाता है वही है जो उसकी अपनी कमाई का हो, इंसान की औलाद उसकी अपनी कमाई ही है।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 4/4, हदीस: 6043, तिर्मिज़ी, हदीस: 1358, इब्ने माजा, हदीस: 2290.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ " إِذَا احْتَجْتُمْ " . وَهُوَ مُنْكَرٌ .

(3529) उमारा बिन उमैर अपनी वालिदा से, वह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत करती हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी की औलाद उसकी अपनी कमाई है, बल्कि बेहतरीन कमाई है, चुनांचे तुम उनके मालों में से खा सकते हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन अबी सुलैमान ने इस रिवायत में ज़्यादा किया है। (तुम उनकी कमाई खा सकते हो) 'जब तुम ज़रूरतमंद हो।' मगर ये इज़ाफ़ा मुन्कर (ज़ईफ़) है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 1580, बैहक़ी: 7/48, हाकिम: 2/46.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالِي . قَالَ " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ

(3530) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास माल है और औलाद भी, और मेरा वालिद मेरे माल का ज़रूरत मंद रहता (यानी लेता रहता) है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद का है। बेशक तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन

أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ " .

कमाई हैं, चुनांचे तुम अपनी औलादों की कमाई से खा सकते हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/214, इब्ने माजा, हदीस: 2292, इब्ने जारूद, हदीस: 995.

फ़ायदा : इस्लामी तालीमात ख़ानदानी इकाई को बेहद मज़बूत बनाने की दाई हैं। औलाद पर वाजिब है कि अपने वालिदैन की किफ़ालत करें और उसे अपनी सआदत जानें। और वालिदैन को भी बग़ैर किसी इजाज़त के अपनी औलाद की कमाई से अपनी लाज़मी ज़रूरीयात पूरी करने का हक़ हासिल है। मगर ज़ाहिर है कि इस मामले में किसी जानिब से भी बेजा खर्च नहीं होनी चाहिए। इस हदीस से ये मतलब निकालना जायज़ नहीं कि बेटे का माल कुल्ली तौर पर बाप ही का है। बल्कि उसी हद तक जायज़ है कि अपनी लाज़मी ज़रूरीयात ले ले। अल्लाह की शरीअत में इन दोनों की मिल्कियत और तसर्रूफ अलग अलग है। इसी बिना पर इनमें विरासत चलती है अगर मिल्कियत और तसर्रूफ में फ़र्क़ न हो तो विरासत के कोई मानी न होंगे। हदीस का मक़सद बुनियादी लाज़मी ज़रूरीयात का हासिल करना है, न कि औलाद की कमाई को बेदर्दी से ख़र्च करके उसे उजाड़ना। वल्लाहु आलम. नीज़ ये कमाई उस सूरत में हलाल होगी जब औलाद की कमाई का ज़रीया हलाल और पाक होगा।

﴾44﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

बाब : 44
जब कोई शख़्स अपना माल बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) किसी के पास पाये?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ " .

(3531) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपना माल बिऐनिही (बिलकुल उसी तरह) किसी के पास पाये तो वही उसका ज़्यादा हक़दार है (लिहाज़ा वह ले ले) और (जिसके पास ये पाया गया है) उसे चाहिए कि अपने बेचने वाले के दर पे हो (उस पर दावा करे।)

(3531) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4685.

फ़ायदा : कोई ग़सबशुदा, चोरी शुदा या गुमशुदा माल अगर किसी के पास मिले, तो वह अस़ल मालिक का हक़ है। यानी ख़रीदार तो वह माल अस़ल मालिक को दे दे और अपना नुक़सान यानी उस माल की क़ीमत, उससे वसूल करे जिससे उसने ख़रीदा था।

बाब : 45
जो कोई क़ब्ज़ा में आये माल में से अपने हक़ के बक़द्र ले ले, तो?

﴿45﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا قَالَ " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ " .

(3532) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हिन्दा उम्मे मुआविया रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहा: बेशक (मेरा शोहर) अबू सुफ़ियान बख़ील आदमी है और मुझे इस क़द्र नहीं देता जो मुझे और मेरे बच्चों के लिये काफ़ी हो। अगर मैं उसके माल में से कुछ ले लूं, तो क्या मुझे कोई गुनाह है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस क़द्र ले लिया करो जो दस्तूर के मुताबिक़ तुझे और तेरे बच्चों के लिये काफ़ी हो।'

(3532) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2211, व मुस्लिम: 1714.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बीवी और बच्चों का ख़र्च शोहर के ज़िम्मे है और उस पर वाजिब है कि दस्तूर के मुताबिक़ मुहैया करे। (2) मस़लिहत की ग़र्ज़ से ज़ौजेन (मियाँ बीवी) या अहबाब एक दूसरे के कुछ ऐब ज़िक्र करें, तो जायज़ है। (3) बाज़ औक़ात क़ाज़ी अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर गवाह तलब किये बग़ैर भी फ़ैसला दे सकता है। (4) अगर कोई शख़्स़ किसी का हक़ अदा न कर रहा हो तो जायज़ है कि उसके अमानती माल में से अपने हक़ के बराबर ले ले। (ख़त्ताबी: नीज़ देखिये, हदीस़: 3534)

(3533) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) ने बयान किया कि हिन्द, नबी (ﷺ) के पास आई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक (मेरा शोहर) अबू सुफ़ियान बख़ील आदमी है। मैं अगर उसके माल में से उसके अयाल (बच्चों) पर उसकी इजाज़त के बग़ैर ख़र्च करूं, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दस्तूर के मुताबिक़ ख़र्च करो, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं।'

(3533) तख़रीज : मुसनद अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 16612, बुख़ारी, हदीस: 3825.

حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ " .

(3534) जनाब यूसुफ़ बिन माहक मक्की का बयान है कि फ़लां आदमी कई यतीमों का सरपरस्त था और मैं उसका ख़र्च लिखा करता था। उन यतीमों ने उसे एक हज़ार दिरहम का मुग़ालता दिया जो उसने उनको अदा कर दिया। फिर मैंने (कातिब ने) उनके माल में दो गुना पाया। मैंने उससे कहा: वह हज़ार जो उन्होंने तुझ से (मुग़ालता देकर) लिये हैं निकाल लो–इस (वली) ने कहा: नहीं: मुझे मेरे वालिद ने बयान किया है, उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना था: जो तुझे अमीन बनाये, तो उसकी अमानत उसे वापस कर दे और जो तेरी ख़यानत करे, तो उसकी ख़यानत न कर।'

(3534) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/414.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، - يَعْنِي الطَّوِيلَ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلاَنٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا . قَالَ قُلْتُ أَقْبِضُ الأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِنْكَ قَالَ لاَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، - قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ وَقَيْسٍ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"

(3535) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तुझे अमीन बनाये, तो उसकी अमानत उसे अदा कर दे और जो तेरी ख़्यानत करे, तू उसकी ख़्यानत न कर।'

(3535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 1264, हाकिम: 2/46.

फ़ायदा : आम क़िस्म के मामलात में अगर कोई किसी पर ज़्यादती करे, तो अदले का बदला लिया जा सकता है। क़ुर्आन करीम ने 'बुराई का बदला वैसी ही बुराई है।' (अश्शूरा: 40) के क़ायदे से उसकी इजाज़त दी है, मगर ऐसे हुक़ूक़ जिनमें हुदूद लागू होती हैं, उनका फ़ैसला करना हाकिम का काम है। उसी तरह ख़्यानत का मामला भी ख़ास़ है कि अगर किसी ने ज़ुल्म से हक़ मार लिया हो और वापस करने से इंकारी हो और फिर इत्तेफ़ाक़ से उसकी कोई अमानत या कोई चीज़ मज़लूम के हाथ आ जाये तो क्या वह अपना हक़ रख कर वापस करे या अमानत पूरी तरह वापस कर दे। ऊपर की दर्ज हदीसें ख़्यानत की इजाज़त नहीं देतीं और ख़्यानत हमेशा धोखे और चोरी से होती है, तो किसी मुसलमान को उसकी आम इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अगर स़राहत कर दे कि मैं अपना फ़लां हक़ वसूल कर रहा हूं, तो जायज़ होगा।

46

باب فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

बाब : 46
हदिया क़बूल करने का बयान

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا .

(3536) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) हदिया क़बूल फ़रमाते और उसका बदल भी दिया करते थे।

(3536) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2585.

फ़ायदा : मसनून और मुस्तहब है कि इंसान हदिये का माक़ूल बदल दिया करे, उससे तरफ़ैन में मोहब्बत बढ़ती है। अगर माली तौर पर कुछ न दे सके तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करे। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4811) और हदीस़ में ये भी है: 'जिसने अपने मोहसिन को (जज़ाकल्लाह ख़ैरन) कह दिया, तो उसने उसकी बहुत तारीफ़ की।' (तिर्मिज़ी, हदीस़: 2035) हदिया (अ़तिया) और हिबा में ये फ़र्क़ है कि हदिया देने वाला, उस शख़्स के क़रीब होना चाहता है जिसको वह हदिया देता है। जबकि हिबा में ये ग़र्ज़ नहीं होती।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَايْمُ اللَّهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا " .

(3537) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! मैं आज के बाद किसी का हदिया क़बूल नहीं करूंगा सिवाए उसके कि कोई मुहाजिर क़ुरैशी हो या अंस़ारी या दोसी या स़क़फ़ी।

(3537) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3946, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1145.

फ़ायदा : दरअस़ल कुछ लोग बहुत ज़्यादा बदला लेने की ग़र्ज़ से नबी (ﷺ) को हदिया देने लगे थे। तब आपने ये अ़ज़्म ज़ाहिर फ़रमाया और मज़कूरा ख़ानदानों के लोग तबअ़न ग़नी थे और उनमें बिलउ़मूम लालच नहीं होती थी।

﴾47﴿ بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

बाब : 47 हदिया देकर वापस ले लेना

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ

(3538) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हदिया देकर वापस ले लेने वाला ऐसे है जैसे कोई क़ै करे और फिर उसे खा ले।'

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " . قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلاَ نَعْلَمُ الْقَىْءَ إِلاَّ حَرَامًا .

हम्माम (रह.) कहते हैं: क़तादा (रह.) ने कहा कि हम तो क़ै को हराम समझते हैं।

(3538) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2621, व मुस्लिम: 1622.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ " .

(3539) हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी आदमी को हलाल नहीं कि कोई अतिया दे या हदिया और फिर उसे वापस लौटा ले। सिवाए बाप के जो वह अपने बेटे को दे (तो वापस ले सकता है) उस शख़्स की मिसाल जो अतिया देकर वापस ले लेता है उस कुत्ते की सी है जो खाता है, जब पेट भर जाये तो क़ै कर देता है और फिर दोबारा उसी को खाने लग जाता है।'

(3539) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1299, नसाई, हदीस: 3720, इब्ने माजा, हदीस: 2377, इब्ने जारूद, हदीस: 994, हाकिम: 2/46.

फ़ायदा : सही बुख़ारी की रिवायत में है कि 'गंदी मिसाल हमारे लिये नहीं।' (बुख़ारी, हदीस: 2622) यानी किसी साहिबे ईमान के लिये इस तरह का होना क़तअन ठीक नहीं। ताहम बाप बेटे का रिश्ता एक ख़ुसूसियत रखता है, इस बिना पर सिर्फ़ बाप को उसकी इजाज़त दी गयी है कि वह बेटे को हदिया देकर वापस लेना चाहे, तो ले सकता है। इसके अलावा इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बेटे के माल पर बाप का इस्तेहक़ाक़ भी उसी तरह है कि गोया वही उसका मालिक है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ

(3540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हदिया देकर वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते की सी है, जो क़ै करता और फिर दोबारा उसे खाने लगता है। तो जब कोई हिबा करने वाला अपना अतिया वापस लेने लगे तो उसे बर सरेआम खड़ा किया जाये और जो वापस

كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ " .

ले रहा हो उसके मुताल्लिक़ पूछा जाये फिर वह चीज़ उसे वापस दे दी जाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/175.

फ़ायदा : हदिया देकर वापस लेना, अख़्लाक़ व मुरव्वत के मनाफ़ी है। इसके अलावा किसी को ख़ुद से देकर उससे वापस लेना, उसके लिये बेइज़्ज़ती और तकलीफ़ का बाइस है। इस वजह से इस अमल की हौसला शिकनी के लिये ये हुक्म दिया गया कि सबके सामने उससे पूछा जाये कि देने और देकर लेने का मक़सद क्या है? ऐसा तो नहीं कि दूसरे की तज़्लील मक़सूद हो? और ये इरशाद तहज़ीर के लिये है। यानी इस मज़मूम काम के घटियापन को मज़ीद वाज़ेह करने के लिये ताकि इंसान इस तरह करने से बचे।

﴿48﴾ باب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

बाब : 48 कोई काम कर देने पर हदिया लेना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " .

(3541) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने किसी भाई की सिफ़ारिश की और फिर उसे उस पर कोई हदिया दिया, तो अगर उसने उसे क़बूल कर लिया तो, वह सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़े में दाख़िल हो गया।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/261.

फ़ायदा : मुसलमान भाई के जायज़ हक़ के बारे में सिफ़ारिश करना या दुरूस्त कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना, इस्लामी शरई हक़ है। अल्लाह के नज़दीक इस का बहुत अज्र है। ऐसे काम पर हदिया क़बूल करने के कोई मानी नहीं। बल्कि इस तरह सारा अज्र व सवाब ग़ारत हो जाता है। ये रिश्वत ख़ोरी का दरवाज़ा खोलने के बराबर है।

बाब : 49
बाप का अतिया देने में अपने किसी बच्चे को तर्जीह देना?

﴿49﴾ باب فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلاً - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلاَمًا لَهُ - قَالَ فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ايتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشْهِدْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَشْهَدَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلاً وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ " أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ " . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ " . قَالَ لاَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِينَ " هَذَا جَوْرٌ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ " هَذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " . قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ " أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

(3542) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक अतिया दिया। इस्माईल बिन सालिम ने यूँ कहा: दूसरे बच्चों के मुक़ाबले में मुझे अपना एक गुलाम अतिया किया। पस मेरी वालिदा अम्र बिन्ते रवाहा ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और उन्हें इस अतिये पर गवाह बना लो। चुनांचे वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और आपको गवाह बनाने के लिये ये बात बताई और कहा कि मैंने अपने बेटे नोमान को अतिया दिया है और (मेरी अहलिया) अम्र ने मुझसे कहा है कि मैं आप (ﷺ) को इस पर गवाह बना लूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या तेरे इसकेअलावा और भी बच्चे हैं?' कहा कि हाँ। फ़रमाया: 'तो क्या तूने उन सबको इस तरह का अतिया दिया है जो नौमान को दिया है?' कहा: नहीं। यहां बाज़ मोहद्दिसीन के लफ़्ज़ हैं: 'ये ज़ुल्म है।' और बाज़ ने कहा: 'ये मजबूरी और लाचारी का मामला है। (ख़ुशी का नहीं वरना तू सभी को देता) इस पर मेरे अलावा किसी और को गवाह बना ले।' मुग़ीरा की रिवायत में है: 'क्या तुझे पसन्द नहीं कि तेरे साथ ख़िदमत और

سَوَاءً " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " . وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ " إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ " أَكُلَّ بَنِيكَ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ " وَلَدِكَ " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ " أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ " . وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ " أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ " .

एहसान करने में सब बच्चे बराबर हों?' कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो इस पर मेरे अलावा किसी और को गवाह बना ले।' मुजालिद के अल्फ़ाज़ हैं: 'उनका तुझ पर ये हक़ है कि तू उन सब में इंसाफ करे जैसे कि उन सब पर लाज़िम है कि तेरी ख़िदमत करें।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: बाज़ रावियों ने (अ कुल्लु बनीक?) कहा और बाज़ ने (वलदक) कहा। इब्ने अबी ख़ालिद ने शअबी से रिवायत करते हुए कहा: (अ लका बनून सिवाहू?) 'क्या तेरे इसके अलावा भी बेटे हैं? 'और अबू अज्जुहा ने हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत किया (अ लका वलद ग़ैरूहू?)

(3542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/270, बुख़ारी: 2587, मुस्लिम: 1623.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वालिदैन पर वाजिब है कि अतिया व हदिया के सिलसिले में सब औलाद लड़के और लड़कियों में बिला इम्तियाज़ बराबरी रखें। और अगर कोई बच्चा ज़्यादा ख़िदमत करता हो तो वह उसकी अपनी सआदत है जिस का अज्र उसे अल्लाह के यहां मिलेगा। इसके अलावा उसे माँ बाप की शफ़क़त और दुआयें भी ज़्यादा हासिल होंगी, लेकिन वालिदैन माली लिहाज़ से उसे दूसरों पर तर्जीह नहीं दे सकते, अगर ऐसा करेंगे, तो ये जुल्म होगा। **(2)** औलाद पर वाजिब है कि अपने वालिदैन की ख़िदमत और एहसान मंदी को सआदत जानें और इस तरह मत सोचें कि फ़ुलाँ तो करता नहीं। बल्कि यूं सोचें कि ये ख़िदमत मैंने ही करनी है। **(3)** जुल्म का गवाह बनना भी नाजायज़ और गुनाह में तआवुन है जैसे अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: यानी 'गुनाह और ज़्यादती पर एक दूसरे का तआवुन मत करो।' **(4)** दाई और मुरब्बी पर लाज़िम है कि हक़ समझाने में सामने वाले को फ़िक्री और नज़री ऐतबार से क़ाइल और मुतमइन करे। **(5)** इस रिवायत में मुजालिद के अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा सही नहीं है। (अल्लामा अल्बानी-रह.)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي

(3543) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे एक ग़ुलाम अता किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा: 'ये ग़ुलाम क्या और कैसा है?'

मैंने अ़र्ज़ किया कि ये मेरा गुलाम है, मेरे वालिद ने मुझे दिया है। आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या उसने तेरे सब भाईयों को इसी तरह दिया है जैसे तुझे दिया है?' मैंने अ़र्ज़ किया: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तू उसे वापस कर दे।'
(3543) तख़रीज : मुस्लिम: 1623.

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا هَذَا الْغُلاَمُ " . قَالَ غُلاَمِي أَعْطَانِيهِ أَبِي . قَالَ " فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .

फ़ायदा : ज़ुल्म का माल बग़ैर माँगे भी मिले, तो नहीं लेना चाहिए। बल्कि वापस कर दिया जाये। क़बूल कर लेने में ज़ुल्म और उसके मामले की ताईद व तौसीक़ और उसकी मदद है। और वापस कर देने में उससे बराअत और उसकी हौसला शिकनी है।

(3544) हज़रत नौमान बिन बशीर (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी औलाद में इन्साफ़ करो, अपनी औलाद में अ़दल करो।'
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3717.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ "

फ़ायदा : जब कोई शख़्स अपनी औलाद को अ़तिया देना चाहे तो लाज़िम है की लड़के लड़की, ख़िदमत गुज़ार ग़ैर ख़िदमत गुज़ार, छोटे, बड़े, आ़लिम जाहिल और आ़क़िल ग़नी वग़ैरह में कोई तमीज़ न करे, किसी को महरूम न रखे और जिस क़द्र मुमकिन हो सब को बराबर दे। अलबत्ता अगर अ़तिये या हदिये की बजाये किसी शख़्स की सिरे से नियत ही ये हो कि उसके मरने के बाद जो कुछ तर्के या विरसा होगा उसे मौत से पहले वारिसों में तक़सीम कर दिया जाये तो उस सूरत में विरसे के बारे में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी लाज़मी होगी। (अलमुग़नी) अगर पाबन्दी न की गयी तो ज़िन्दगी में तक़सीम अल्लाह तआ़ला के मुक़र्रर करदा हिस्सों में कमी बेशी करने का एक हीला क़रार पायेगी जो किसी मुसलमान के लिये मुनासिब नहीं। अ़ता, शुरैह, इस्हाक़ और मुहम्मद बिन हसन जैसे फ़ुकहा–ए–किराम तो ज़िन्दगी में दिये जाने वाले आ़म अ़तिये को भी विरासत के हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम करना ज़रूरी ख़्याल करते हैं। (अलमुग़नी) लेकिन इनकी राय से इत्तेफ़ाक़ करना इसलिए मुमकिन नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशाद है: 'अ़तिया देते हूए अपनी औलाद में मसावात (बराबरी) रखो, अगर मैंने किसी को तर्जीह देनी होती तो औ़रतों को तर्जीह देता।' (फ़तहुल बारी) किसी बच्चे को नाफरमान कह कर महरूम करना भी जायज़ नहीं, हाँ ख़ुदानख़्वास्ता कोई दायरा–ए–इस्लाम से निकल जाये तो न वह वारिस़ बन सकता है न उसका विरसा मुसलमान ले सकता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ انْحَلِ ابْنِي غُلاَمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فُلاَنٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلاَمًا وَقَالَتْ لِي أَشْهِدْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " لَهُ إِخْوَةٌ " . فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ إِلاَّ عَلَى حَقٍّ " .

(3545) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत बशीर (ﷺ) की बीवी ने कहा: आप मेरे इस बेटे को अपना गुलाम हदिया कर दें और मेरी ख़ातिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह भी बनायें। चुनांचे वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आये और कहा कि फ़ुलां की दुख़्तर (उसकी अपनी बीवी अम्र बिन्ते रवाहा) ने मुझसे मुतालबा किया है कि मैं उसके बेटे को एक गुलाम दूं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) को गवाह बनाऊं। तो आप (ﷺ) ने पूछा: 'क्या इसके और भाई हैं?' उसने कहा: हाँ, आपने पूछा: 'क्या उन सबको भी तूने इस जैसा (गुलाम) दिया है जैसा इसको दिया है? उसने कहा: नहीं, आपने फ़रमाया: 'ये दुरूस्त नहीं है और मैं सिर्फ़ हक़ का गवाह बनता हूं।'

(3545) तख़रीज : मुस्लिम: 1624.

फ़ायदा : अहम मामलात में गवाह बना लेना मुस्तहब है और गवाही हमेशा हक़ व इन्साफ़ पर देनी चाहिए। किसी ज़ुल्म के मामले पर गवाह बनना भी नाजायज़ और हराम है।

﴿50﴾ بَابٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

बाब : 50
बीवी का अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अतिया देना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ

(3546) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स किसी औरत की अस्मत का मालिक

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " .

बन जाये (यानी औरत उसके निकाह में आ जाये) तो उस औरत को जायज़ नहीं कि अपने ज़ाती माल में भी तसर्रूफ करे।

(3546) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3787, इब्ने अलमुलक़िन, हदीस़: 1266, हाकिम: 2/47, इब्ने माजा, हदीस़: 2388.

फ़ायदा : शौहर के माल में तसर्रूफ के लिये वाजिब है कि उसकी इजाज़त से हो। और औरत का अपने माल में तसर्रूफ भी शोहर की मुवाफ़िक़त से हो, तो बहुत उम्दा है। वरना बिला इजाज़त भी ख़ैर के मामलात में तसर्रूफ कर सकती है जैसे कि सहाबियात को सदक़ात की तर्ग़ीब दी जाती, तो वह सदक़ात देती थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) क़बूल फ़रमाते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

(3547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी औरत को अपने शोहर की इजाज़त के बग़ैर अतिया देना जायज़ नहीं।'

(3547) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 2541, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : यानी शोहर के माल में से, क्योंकि औरत उसकी अमीन होती है। और ये मुमानिअत उस वक़्त और ताक़ीदी हो जाती है जब औरत माली मामलात में नादान हो।

﴾51﴿ بَابٌ فِي الْعُمْرَى

बाब : 51 उमरा यानी ज़िन्दगी भर के लिये अता कर देना

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى

(3548) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उमरा (उमर भर के लिये दिया गया अतिया) हमेशा हमेशा के लिये (मौहूबा का)(जिसको दिया गया उसका) हो जाता है।'

الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ " .

(3548) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2626, व मुस्लिम: 1626.

फ़ायदा : इस हदीस़ में (जाइज़त) के मानी (माज़ियत व मुस्तमिर्रत) हैं यानी मरने के बाद मौहूबा (जिसको हदिया किया गया) की औलाद उसकी वारिस़ होगी। ख़्वाह वह औलाद का ज़िक्र करे या न करे, जैसे कि आगे वाली अहादीस़ से वाज़ेह है।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(3549) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस हदीस़ की मिस्ल बयान किया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, : 1349

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ " .

(3550) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (ﷺ) फ़रमया करते थे: 'उमरा उसी के लिये बाक़ी रहेगा जिसको अ़तिया दिया गया हो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2625, व मुस्लिम: 1625

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "

(3551) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे ज़िन्दगी भर के लिये कोई अ़तिया दिया गया तो ये उसका और उसके वारिस़ों का हूआ। इस (अ़तिया) के वारिस़ वही होंगे जो उसकी औलाद में से उसके वारिस़ होंगे।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 3771.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ .

(3552) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इसी के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि लैस़ बिन सअ़द ने बवास्ता ज़ोहरी अबू सलमा से, उन्होंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से इसी तरह रिवायत किया है।

तख़रीज:(सनद स़ही) बैहक़ी: 6/173, नसाई, 3772

फ़ायदा : ऊपर नीचे बाब की तमाम अहादीस़ पर नज़र डालने से यही वाज़ेह होता है कि 'उ़मर भर के लिये अ़तिया देने वाले ने मौहुबा की औलाद का ज़िक्र किया हो या न किया हो, ये उसकी औलाद को मुन्तक़िल हो जायेगा। अगर देने वाला बिलफ़र्ज़ उ़मर भर की स़राहत कर भी दे तो बक़ौल कुछ फ़कीहों के ये शर्त बेमानी है। इसका कोई ऐतबार नहीं और यही राजेह है। (इन्शाअल्लाह) ताहम फ़ुक़हा में बाज़ ऐसे भी हैं जो उसे 'वक़्ती' के मफ़हूम में बावर करते हूए वापस हो जाने के क़ाइल हैं।

बाब : 52
जिस शख़्स़ ने उ़मरा के हदिये में (मौहूबा लहू की) औलाद के लिये भी स़राहत की हो

﴾52﴿
باب مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .

(3553) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी को और उसकी औलाद को उ़मर भर के लिये अ़तिया दिया गया हो तो ये उसी का हूआ जिसको दिया गया हो। ये देने वाले को वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने ऐसा अ़तिया दिया है जिसमें विरास़त चल निकली है।'

(3553) तख़रीज : मौता: 2/756, व मुस्लिम: 1625.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَزِيدُ

(3554) जनाब इब्ने शिहाब (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस़ के हम मानी बयान किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं जैसा कि इस रिवायत को अ़क़ील और यज़ीद बिन अबी हबीब ने बवास्ता इब्ने शिहाब इसी तरह रिवायत किया

بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَاخْتُلِفَ، عَلَى الأَوْزَاعِيِّ فِي لَفْظِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ، فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ

है। अलबत्ता ओज़ाई के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ है जो कि इब्ने शिहाब से नक़ल हूए हैं। और फुलैह बिन सलमान ने हदीसे मालिक की तरह रिवायत किया है।

(3554) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ . فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .

(3555) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा: 'उमरा जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हमेशा के लिये) नाफ़िज़ क़रार दिया है वही है कि यूँ कहे: 'ये तेरे लिये है और तेरी औलाद के लिये है।' और जब यूँ कहे: 'तेरे जीते जी ये तेरे लिये है।' तो ये उसके मालिक को लौट आयेगा।

(3555) तख़रीज : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 16887, मुसनद अहमद, 2/294, व मुस्लिम: 1625.

फ़ायदा : ये वज़ाहत हज़रत जाबिर (ﷺ) का अपना फ़हम है। वरना दीगर सरीह मरफ़ूअ अहादीस में (वलिअक़िबिका) 'तेरी औलाद के लिये' की शर्त मज़कूर नहीं है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ" .

(3556) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रूक़बा या उमरा के अन्दाज़ में हदिया मत किया करो। जैसे कोई चीज़ बतौर रूक़बा, या उमरा दी गयी हो तो ये उसके वारिसों की होगी।' (यानी जिसे दी गयी हो।)

(3556) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3762, व मुस्लिम: 1625.

फ़ायदा : (रूक़बा) में इस अन्दाज़ से हदिया दिया जाता है कि कहे: 'जीते जी ये चीज़ इस्तेमाल करते रहो। अगर तू पहले फ़ौत हो गया तो मुझे वापस होगी वरना तेरी हूई।' बिलाशुब्हा इस क़द्र तवील मुद्दत तक एक चीज़ पर मुतसर्रिफ रहने की वजह से इंसान उससे मानूस हो जाता है जिसे उसके बाद वापस

करना फ़ितने का बाइस़ बनता है, इसलिए या तो हदिया कुल्ली तौर पर दे देना चाहिए या फिर मुनासिब मुद्दत के बाद वापस ले ले। इस वजह से उ़मरा या रूक़बा के नाम से जो हदिया दिया जायेगा, वह हमेशा के लिये मौहुब लहू (जिसके लिये हिबा किया गया है उसका) का हो जायेगा। राजेह मज़हब यही है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا . وَلَهُ إِخْوَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا " . قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا . قَالَ " ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ " .

(3557) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंस़ारी औ़रत के बारे में फ़ैस़ला फ़रमाया जिसे उसके बेटे ने खजूरों का एक बाग़ अ़तिया दे रखा था और वह फ़ौत हो गयी तो बेटे ने कहा कि मैंने ये उसे उसकी ज़िन्दगी तक के लिये दिया था। उस (देने वाले) के दूसरे भाई भी थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये ज़िन्दगी में उसके लिये था तो मौत के बाद भी उसी का है।' बेटे ने कहा: मैंने ये उसको स़दक़ा दिया था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फिर तो ये तुझसे और भी ज़्यादा दूर है।' (कि स़दक़ा देकर वापस लेते हो!)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/174.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला यही है कि उ़मरा या रूक़बा वापस नहीं होता और बिलख़ुसूस़ जब स़दक़ा किया हो।

﴾53﴿ بَابٌ فِي الرُّقْبَى

बाब : 53
रूक़बा के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى

(3558) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उ़मरा और रूक़बा के हदिये उनके अहल के हो

جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا " .

जाते हैं।' (जिन्हें दिये गये हों। वापस नहीं हो सकते।)

तख़रीज : **(सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1351, मुसनद अहमद: 3/303, इब्ने माजा, हदीस: 2383.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ "

(3559) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ज़िन्दगी भर के लिए कोई हदिया किया हो तो ज़िन्दगी और मौत दोनों सूरतों में उसका है जिसको दिया गया है। और रूक़बा (का हदिया) न किया करो। जिसने कोई चीज़ इस अन्दाज़ में दी हो तो उसका रास्ता वही है।' (यानी जिसको दे दी हो उसी की विरासत में जायेगी।)

तख़रीज : **(सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 2381.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ هُوَ لِلآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ .

(3560) जनाब मुजाहिद (रह.) फ़रमाते हैं: उमरा ये है कि एक इंसान दूसरे से यूँ कहे: 'जब तक तू ज़िन्दा है ये तेरे लिये है।' पस जब यूँ कह दिया तो ये उसकी हुई और (इसके बाद) उसके वारिसों की है। और रूक़बा ये है कि इंसान दूसरे से कहे: 'ये चीज़ हममें से बाद में मरने वाले के लिये है।' (अगर तू पहले मर गया तो मेरी हो गयी, वरना तेरी रही।)

तख़रीज : **(सनद हसन)** बैहक़ी, हदीस: 6/176.

फ़ायदा : (रूक़बा) की वज़ाहत ऊपर हदीस: 3556 में हो चुकी है।

बाब : 54
माँगे की चीज़ पर ज़िमान (अदायगी की ज़मानत) का मसला

﴿54﴾
بَابٌ فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .

(3561) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाथ के ज़िम्मे है जो उसने लिया यहाँ तक कि उसे अदा कर दे।' फिर हसन (बस़री, रह.) भूल गये और कहा: आ़रयतन लेने वाला तुम्हारा अमानत दार है उस पर कोई ज़मानत नहीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1266, इब्ने माजा, हदीस़: 2400, इब्ने जारूद, हदीस़: 1024, हाकिम: 2/47.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। और हक़ ये है कि आ़रयतन ली हूई कोई चीज़ ज़ाया हो जाने पर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ " لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ بِبَغْدَادَ وَفِي رِوَايَتِهِ

(3562) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे ग़ज़्व–ए हुनैन के मौक़े पर ज़िरहें आ़रयतन तलब कीं तो उसने कहा: ऐ मुहम्मद! (ﷺ) क्या ज़बरदस्ती लेना चाहते हो? आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि आ़रयतन हैं, (अगर ज़ाया हूईं तो) हम उनका ऐ़वज़ देंगे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यज़ीद (बिन हारून) की ये रिवायत बग़दाद की है लेकिन वास्तव में जब ये रिवायत बयान की तो अल्फ़ाज़ उससे मुख़्तलिफ़ थे।

بِوَاسِطَ تَغَيُّرٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا

(3562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/400, 7/18, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5779, दारकुतनी: 3/40.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ " . قَالَ عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا قَالَ " لاَ بَلْ عَارِيَةً " . فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوَانَ " إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ " . قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمَ .

(3563) अब्दुल्लाह बिन सफ़वान के ख़ानदान के बाज़ अफ़राद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'ऐ सफ़्वान! क्या तेरे पास हथियार है?' उसने कहा: आरयतन या ज़बरदस्ती के तौर पर? आपने फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि आरयत के तौर पर।' चुनांचे उसने तीस से चालीस के दरम्यान ज़िरहें आरयतन दीं। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-हुनैन में गये। सो जब मुशरिकीन पस्पा हो गये और सवान की ज़िरहें इकट्ठी की गयीं तो उनमें से चंद ज़िरहें गुम थी। तो नबी (ﷺ) ने सफ़वान से फ़रमाया: 'हम तेरी ज़िरहों में से कुछ गुम पाते हैं, तो क्या उनका तावान अदा करें?' उसने कहा: नहीं, अल्लाह के रसूल! आज मेरे दिल में इस्लाम की वह रग़बत है जो उस दिन न थी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उसने ये ज़िरहें आरयतन इस्लाम लाने से पहले दी थीं मगर उसके बाद मुसलमान हो गया था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/89, 7/18, अबी दाऊद: 6/143, 144, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम आरयतन देने वाला अगर अपना तावान माफ़ कर दे, तो छोड़ना उसका हक़ है। तलब करे, तो देना होगा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ نَاسٍ، مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صلى الله

(3564) आले सफ़वान के बाज़ लोगों से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ज़िरहें आरयतन ली थीं। और ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(3564) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस़: 6/89, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " . ثُمَّ قَالَ " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ " .

(3565) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ दे दिया है तो अब किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं, और कोई औरत अपने घर में से अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर कोई चीज़ ख़र्च न करे।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! तआम भी नहीं? आपने फ़रमाया: 'ये तो हमारे अफ़ज़ल अमवाल में से होता है।' फिर फ़रमाया: 'माँगे की चीज़ वापस करना होगी। और दूध का जानवर, जो अतिया दिया गया हो, लौटाया जाता है। क़र्ज़ अदा करना लाज़िम है और ज़ामिन आदमी ज़िम्मा अदा करेगा।'

(3565) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2398, तिर्मिज़ी, हदीस़: 670, 1265, मुसनद अहमद: 5/267, इब्ने जारूद, हदीस़: 1023.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاَثِينَ دِرْعًا وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا " . قَالَ

(3566) जनाब स़फ़वान बिन यअ़ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'जब मेरा आदमी तेरे पास आये तो उसे तीस ज़िरहें और तीस ऊँट दे देना।' तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ये आ़रयत) ज़िमान होगी या उसे वापस अदा करेंगे? फ़रमाया: 'वापस अदा करेंगे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हब्बान,

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ " بَلْ مُؤَدَّاةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَبَّانُ خَالُ هِلاَلِ الرَّأْيِ .

हिलाल अर्राई के मामूं हैं।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** नसाई, हदीस: 5776, मुसनद अहमद: 4/222, हदीस: 3564 में देखें।

﴿55﴾ باب فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ

बाब : 55 जो कोई किसी की चीज़ ख़राब कर दे, तो उसकी मिस्ल (बराबर) तावान दे

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ " غَارَتْ أُمُّكُمْ " . زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى " كُلُوا " . فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَقَالَ " كُلُوا " . وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى

(3567) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी एक अहलिया के घर में थे कि उम्महातुल मोमिनीन में से किसी दूसरी ने ख़ादिमा के हाथ (उनकी ख़िदमत में) एक प्याला भेजा जिसमें खाना था। घर वाली ने अपना हाथ मारा और प्याला तोड़ दिया। इब्ने मुसन्ना ने बयान किया। तो नबी (ﷺ) ने टूटे हूए दोनों टुकड़े पकड़े और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाया और खाना उसमें डालने लगे और फ़रमाते जाते थे: 'तुम्हारी माँ को ग़ैरत आ गयी है।' इब्ने मुसन्ना ने इज़ाफ़ा किया। 'खाओ।' चुनांचे सबने खाया। यहाँ तक कि वह (अहलिया) प्याला लेकर आ गयी जो उसके घर में था। (हम मुसद्दद की हदीस के अल्फ़ाज़ की तरफ़ रूजूअ करते हैं) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खाओ।' और आपने ख़ादिमा को प्याले के लिये रोके रखा यहाँ तक कि वह खाने से

الرَّسُولِ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ .

फ़ारिग़ हो गये। फिर आपने सही सालिम प्याला ख़ादिमा के हवाले किया और टूटा हूआ घर में रख लिया।

(3567) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2481.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी दूसरे की कोई चीज़ ज़ाया कर देने की सूरत में उसका ऐवज़ या बदल देना लाज़िम है। (2) खाना गिर जाये तो साफ़ सुथरा खाना उठा कर खा लेना चाहिए। (3) किसी अज़ीज़ या साथी की तल्ख़ी वग़ैरह का सबब बयान कर दिया जाये या उम्दा तावील कर दी जाये, तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ، قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أَفْكَلٌ فَكَسَرْتُ الإِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ " إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ " .

(3568) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने कोई औरत नहीं देखी जो सफ़िया (ﷺ) जैसा खाना बनाने वाली हो। उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये खाना तैयार किया और आपकी ख़िदमत में (मेरे घर में) भेज दिया। मुझे उस पर तेश (गुस्सा) आ गया, तो मैंने बर्तन तोड़ दिया। फिर मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका क्या कफ़्फ़ारा है जो मैंने क्या है? आपने फ़रमाया: 'बर्तन के बदले बर्तन और खाने के बदले खाना।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3409.

﴾56﴿ باب الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

बाब : 56
जानवर, जो किसी क़ौम की खेती ख़राब कर जायें

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(3569) जनाब हराम बिन मुहय्यिसा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़िब (ﷺ) की ऊँटनी एक आदमी के बाग़ में दाख़िल हो गयी और उनकी खेती

أَنَّ نَاقَةً، لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ .

ख़राब कर दी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया: 'खेती वालों के ज़िम्मे है कि दिन को उस (खेती) की हिफ़ाज़त करें और जानवरों के मालिकों पर लाज़िम है कि रात को उनकी हिफ़ाज़त करें (बाँध कर रखें।)'

(3569) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/436.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

(3570) हज़रत बरा बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है कि मेरी एक ऊँटनी थी जो बहुत नुक़सान किया करती थी। तो वह एक बाग़ में दाख़िल हो गयी और वहां नुक़सान कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में बात की गयी तो आपने फ़ैसला फ़रमाया: 'दिन के वक़्त बाग़ात की निगरानी और हिफ़ाज़त उनके मालिकों के ज़िम्मे है और रात के वक़्त जानवर जो नुक़सान कर जायें, तो वह उनके मालिकों के ज़िम्मे है (कि उसे पूरा करें।)'

(3570) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2232, हाकिम: 2/47, 48, मौता: 2/747, 748, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।: 3569.

كتاب الأقضية

क़ज़ा की अहमियत व फ़ज़ीलत

सुनन अबू दाऊद की किताबुल क़ज़ा का आग़ाज़ अमले क़ज़ा की अहमियत, ग़र्ज़मंदों और मफ़ाद परस्तों से अमले क़ज़ा को दूर रखने और फ़ैसला करने के हवाले से अहम बुनियादी उसूल व आदाब के बयान से हूआ। इसके बाद शहादत के बारे में इन्तेहाई अहम उसूलों का तज़किरा किया गया। फिर वह अहादीस़ लायी गयी जिनमें बताया गया है कि गवाह न मिलने की सूरत में क्या तरीक़ा इख़्तियार करना चाहिए। इसके बाद इस बारे में रिवायात लायी गयी कि क़र्ज़ वग़ैरह के मामले में हक़दार का हक़ साबित हो जाने के बाद अमलन उसकी हक़ रसी कैसे करायी जाये, इसके बाद वकालत का तज़किरा है और आख़िर में बाज़ इन्तेहाई मुश्किल केसों के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले ज़िक्र किये गये हैं। इनमें से हर फ़ैसले के ज़रिये से कई इन्तेहाई अहम उसूल सामने आते हैं जिनकी क़दम क़दम पर जज को ज़रूरत पड़ती है।

ये किताब बुनियादी तौर पर क़ज़ा और आदाबे क़ज़ा के मुताल्लिक़ है। इसमें वह उसूल बयान किये गये हैं जिनको आजकल क़ानूने ज़ाब्ता या (Procedural Law) की जड़ समझा जाता है। इस हिस्से में बित तफ़्सील क़वानीन का बयान मक़सूद नहीं क्योंकि क़वानीन अलग अलग उनवानात से बयान कर दिये गये हैं। सूल क़वानीन का बयान किताब अलबुयूअ वग़ैरह में, फ़ौजदारी क़वानीन किताब अलहुदूद में। इसी तरह मीरास़, निकाह व तलाक़, हिबा, वस़ीयत, जंग व अमन वग़ैरह के क़वानीन अपने अपने मुताल्लिक़ा उनवानात के तहत बयान कर दिये गये हैं।

मन्सबे क़ज़ा की अहमियत और क़ाज़ी (Judge) **बनने की स़लाहियत :** जज का मन्सब हमेशा एक पुरवक़ार मन्सब समझा गया। इसमें इंसान को हर पेश होने वाले मामले में बहुत ज़्यादा इख़्तियार भी हासिल हो जाता है। इसलिए ये एक 'पुरकशिश' ज़िम्मेदारी है और इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि जो इसकी कशिश का शिकार हो जाता है वह 'ज़िम्मेदारी' वाले उन्सुर (पार्ट) को स़ही तौर पर पेशे नज़र रखने में नाकाम रहता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान जिससे इमाम अबू

दाऊद (रह.) ने किताब के इस हिस्से का आग़ाज किया है इस ज़िम्मेदारी की संगीनी को वाज़ेह करता है। अगर कोई इंसान इसकी तलब और कशिश से बचा रहा लेकिन ज़िम्मेदारी उसके सुपूर्द कर दी गयी तो उसके लिये वह अज़ीम ख़ूश ख़बरी है जो हज़रत अम्र बिन अलआस़ (ﷺ) की रिवायत करदा हदीस़ (3574) में बयान की गयी है।

मुसलमान के लिये ये बात लाज़मी है कि क़ज़ा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी सूरत में क़बूल करे जब वह फ़ैसला वहि–ए–इलाही पर मबनी क़वानीन और इन्साफ़ के मुताबिक़ कर सकता हो। इनसे हट कर दूसरे क़वानीन के तहत जिनसे उमूमन इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे नहीं होते फ़ैसला करने का इम्कान हो तो इस सूरत में ये ज़िम्मेदारी क़बूल करना ही हराम है। (हदीस़: 3576, 3590, 3591) अगर कोई इंसान ख़ूद इस ओहदे का तलबगार होगा तो ज़ाहिर है वह इस ओहदे की माद्दी मन्सबी कशिश ही की बिना पर इसका चाहने वाला होगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे शख़्स को इस ओहदा के लिये ना अहल क़रार दिया है। माद्दी कशिश में घूसख़ोरी बदतरीन है। इस सिलसिले में रिश्वत के साथ हदिये वग़ैरह क़बूल करने को भी सख़्ती से ममनूअ क़रार दिया गया।

बाब : 1
क़ाज़ी का ओहदा तलब करना

(1)
باب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ

(3571) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने क़ाज़ी का ओहदा लिया तो वह छुरी के बग़ैर ही ज़बह कर दिया गया।

(3571) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1325, इब्ने माजा, हदीस़: 2308.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ".

(3572) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे लोगों का क़ाज़ी बना दिया गया उसे छुरी के बग़ैर ज़बह कर दिया गया।'

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "

(3572) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 2308, हाकिम, हदीस़: 4/91.

फ़ायदा : मन्सबे क़ज़ा इन्तेहाई ज़िम्मेदारी और आज़माइश का मन्सब है। इसका तलब करने वाला लालची ही हो सकता है जो इस ओहदे का तलबगार या इससे माली फ़ायदा उठाना चाहता है या जाह व मन्सब का ख़्वाहिशमंद है। ये दोनों बातें ऐसी हैं जिनके सबब इंसान इस ओहदे के लिये ना अहल हो जाता है। ताहम अगर ये मन्सब किसी न चाहने वाले के सुपुर्द कर दिया जाये और वह हक़ व इन्साफ़ पर स़ाबित क़दम रहे तो इसमें बड़ी अज़ीमत और अल्लाह के यहां बड़ा अज्र है।

﴾2﴿
بَابٌ فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ

बाब : 2
क़ाजी जो ख़ता करे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصَحُّ شَىْءٍ فِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ " الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ " .

(3573) जनाब (अ़ब्दुल्लाह) बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ाज़ी तीन तरह के होते हैं: एक जन्नत में है और दो आग में। जन्नत में जाने वाला वह है जिसने हक़ पहचाना और उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया, और जिसने हक़ पहचाना और फिर फ़ैसले में ज़ुल्म किया तो वह आग में है, और जिसने जाहिल होते हुए लोगों के फ़ैसले किये वह भी आग में है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस मौज़ूअ में ये हदीस़ सही तरीन है। यानी इब्ने बुरैदा की हदीस़ की क़ाज़ी तीन तरह के होते हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2315, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1322.

फ़ायदा : जानते बूझते हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना और जाहिल होते हुए लोगों में फ़ैसले करने बैठ जाना, दोनों सूरतों में अपने आपको जहन्नम में झौंकना है। लिहाज़ा वाजिब है कि ये मन्सब अस्हाबे

इल्म और अस्हाबे अज़ीमत ही के सुपूर्द किया जाये और वह भी जुर्अत से काम लें और जन्नत के हक़दार बनें जबकि उन लोगों के पसे मन्ज़र में रहने से ज़ालिम ज़ुल्म करते हैं और जहालत का ग़ल्बा और उसकी इशाअत होती है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " . فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(3574) हज़रत अम्र बिन अलआस (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब कोई हाकिम फ़ैसला करे और ख़ूब सोच विचार और इज्तेहाद से काम ले और दुरूस्त नतीजे पर पहुँचे तो उसके लिये दो गुना अज्र है, और जब कोई ख़ूब सोच विचार और इज्तेहाद से काम ले और उससे ख़ता हो जाये तो उसके लिये एक अज्र है।' (यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन अलहाद ने कहा:) मैंने ये रिवायत अबूबक्र बिन हज़्म को बयान की तो उन्होंने कहा: मुझे अबू सलमा ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत की है।

तख़रीज : बुख़ारी, 7352, व मुस्लिम: 1716.

फ़ायदा : ये ख़ुश ख़बरी उस क़ाज़ी के लिये है जो साहिबे इल्म है, इज्तेहाद करता है, इस मनसब की ज़िम्मेदारियों से ख़ूब वाक़िफ़ है, अल्लाह से डरता है और इस ओहदे का तलबगार नहीं।

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ " .

(3575) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने मुसलमानों में क़ज़ा का मन्सब तलब किया यहाँ तक कि उसे हासिल कर लिया, फिर उसका इन्साफ़ करना ज़ुल्म करने पर ग़ालिब रहा, तो उसके लिये जन्नत है, और जिसका ज़ुल्म उसके अदल पर ग़ालिब रहा, उसके लिये जहन्नम है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/88.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } إِلَى قَوْلِهِ {الْفَاسِقُونَ } هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ .

(3576) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि सूरह मायदा की ये तीनों आयात: (वमल लम यहकुम बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून ... अलफ़ासिक़ून) यहूदीयों के क़बाइल बिलख़ुसूस क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई थी।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/246.

फ़ायदा : इन आयतों में है कि जो फ़ैसला करने वाले अल्लाह की नाज़िल करदा शरीअ़त के मुताबिक़ फ़ैसला न करें वह काफ़िर हैं। ज़ालिम हैं। फ़ासिक़ हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के फ़रमान से पता चलता है कि फ़ैसले के फ़रीक़ ग़ैर मुस्लिम हों तो फिर भी फ़ैसला किताबो सुन्नत के मुताबिक़ करना होगा। चाहे वह उनकी आसमानी किताब के क़वानीन क्यों न हों। उनके ख़ूद साख़्ता क़वानीन के मुताबिक़ फ़ैसला करना हो तो ये मन्सब कोई मुसलमान क़बूल नहीं कर सकता। चे जाये कि मुसलमानों के दरम्यान क़वानीन वहि से हट कर दूसरे क़वानीन के ज़रिये से फ़ैसला किया जाये?

﴾3﴿
بَابٌ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

बाब : 3
क़ज़ा का ओहदा तलब करना और फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَزْرَقِ، قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَأَبُو مَسْعُودٍ

(3577) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन बशीर अल अंसारी अल अज़रक़ कहते हैं (कि ग़ालिबन कूफ़ा में) बाब किंदा की तरफ़ से दो आदमी आये जबकि हज़रत अबू मसऊ़द अंसारी (ﷺ) हल्क़े में तशरीफ़ फ़रमा थे। उन दोनों ने कहा: क्या कोई हममें फ़ैसला नहीं कर देता? हल्क़े में से एक आदमी ने कहा: मैं

الأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ فَقَالاَ أَلاَ رَجُلٌ يُنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ أَنَا . فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ كَفًّا مِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ.

कर देता हूं। तो हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) ने कंकरियों की मुट्ठी भरी और उसे दे मारी और फ़रमायाः बाज़ रहो। फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी नापसन्द समझी जाती थी। (यानी सहाबा किराम में)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/101.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मानी के ऐतबार से सही है यानी जल्दबाज़ी नापसन्दीदा है। इसके अलावा क़ाज़ी, हुकूमत की तरफ़ से मस्नदे क़ज़ा पर बैठने वाला बड़े अहम उमूर का फ़ैसला करने वाला हो या किसी को इत्तफ़ाक़न कोई फ़ैसला करना पड़ जाये दोनों का हुक्म बराबर है यहाँ तक कि इंसान पर लाज़िम है कि अपने घर में बीवी बच्चों के दरम्यान भी हक़ व इन्साफ़ से काम ले।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ " . وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ بِلاَلِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ .

(3578) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने क़ाज़ी का ओहदा तलब किया और उसके लिये लोगों से मदद चाही (सिफ़ारिश करायी) तो ये मन्सब और काम उसी पर डाल दिया जायेगा। (अल्लाह की तरफ़ से उसकी कोई मदद न होगी) और जिसने उसे तलब किया न लोगों से मदद चाही, तो अल्लाह तआला एक फ़रिश्ता नाज़िल फ़रमाता है जो उसे सीधी राह समझाता है।'

वकीअ ने इस रिवायत की सनद यूँ बयान की है: (अन इस्राईल, अन अब्दुल आला, अन बिलाल बिन अबी मूसा, अन अनस अनिन नबी (ﷺ)) और अबू अवाना ने कहा: (अन अब्दुल आला, अन बिलाल बिन मिरदास अलफ़ज़ारी, अन ख़ैसमा अलबसरी अन अनस)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1323, इब्ने माजा, हदीस: 2309, मजमउज़्ज़वाइद: 1/147

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَنْ نَسْتَعْمِلَ - أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ "

(3579) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई इस मन्सब और काम का तलबगार होगा हम उसे हरगिज़ नहीं देंगे।'

(3579) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6963, मुसनद अहमद: 4/409, व मुस्लिम: 1824.

﴾4﴿ بابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

बाब : 4 रिश्वत हराम है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ .

(3580) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रिश्वत देने वाले और लेने वाले को लानत फ़रमायी है।

(3580) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1337, इब्ने माजा, हदीस: 2313, इब्ने जारूद, हदीस: 586, हाकिम: 4/102, 103, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1196 वग़ैरह.

फ़ायदा : किसी दूसरे का हक़ मारने के लिये किसी हाकिम, क़ाज़ी या अहलकार को कुछ देना रिश्वत कहलाता हैं और ये हराम है। लेकिन अगर कोई अहलकार ज़ालिम हो और हक़ दारों के हुक़ूक़ भी उसके पास महफ़ूज़ न रहते हों और वह लोगों से तलब करता हो या उसे देना पड़ता हो तो अस़ल अ़ज़ीमत यही है कि उसे कुछ न दिया जाये और मामला अल्लाह पर छोड़ते हूए उस ज़ालिम से छुटकारे का रास्ता निकाला जाये। और अगर ये मुमकिन न हो और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जायज़ हक़ के लिये शदीद मजबूरी की सूरत में कभी कुछ देना पड़ जाये तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेग़फ़ार करे। लेने वाले के हक़ में ये यक़ीनन रिश्वत और हराम है बल्कि स़ाहिबे हक़ को मजबूर करने की सज़ा का भी मुस्तहिक़ है। वल्लाहु आ़लम!

बाब : 5 हुक्काम, क़ाज़ी और दीगर अहलकारों के लिये हदाया का मसला

﴿5﴾ باب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " .

(3581) हज़रत अर्दी बिन उमैरा किन्दी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगो! तुममें से जिस किसी को हमारी तरफ़ से कोई अमलदारी सौंपी गयी हो, फिर उसने उसके सामानों में से कोई सूई या उससे भी कम या ज़्यादा को छुपा लिया, तो वह तौक़ है जिसे पहने हूए वह क़यामत के रोज़ हाज़िर होगा।' तो काले से रंग का, एक अन्सारी जवान खड़ा हो गया, गोया मैं उसे देख रहा हूं। कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से अपना काम वापस ले लिजिए। आपने पूछा: 'क्या हूआ?' उसने कहा: मैंने आपको सुना है कि आप यूँ यूँ फ़रमा रहे हैं। आपने फ़रमाया: '(हाँ) मैं यही कहता हूं। जिसको हमने कोई काम सौंपा हो तो उसे चाहिए कि उसके सामान, थोड़े हों या ज़्यादा, सब ले आये। और फिर उसमें से जो उसे (हक़ ख़िदमत) दिया जाये वह ले ले और जिससे रोक दिया जाये उससे रूक जाये।'

(3581) तख़रीज : मुस्लिम: 1833.

फ़ायदा : तमाम मिल्ली और इज्तेमाई मामलात की ज़िम्मेदारी इन्तेहाई, अहम है। इसमें महासिल की ज़िम्मेदारी भी शामिल है। इसमें ज़रा सी भी ग़फ़लत और कोताही इंसान के लिये आख़िरत का वबाल

है। ऐसी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वाले को अगर कहीं से हद्ये, तहाइफ़ या दीगर मुनाफ़ा हासिल हों तो वह उसके लिये हलाल नहीं। ऐसी तमाम चीज़ें उसे ख़ज़ाना में जमा करानी होंगी, नीज़ हाकिमे आला पर भी लाज़िम है कि अपने कारिन्दों को उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह करता रहे और आख़िरत में अल्लाह के यहां जबावदेही की याद दिलाता रहे और ख़ूद भी मुन्नबा (अलर्ट) और मोहतात रहे।

बाब : 6
फ़ैसला करने के आदाब

﴿6﴾ باب كَيْفَ الْقَضَاءُ

फ़ायदा : आइन्दा चंद अबवाब में पेश करदा अहादीस में फ़ैसला करने के तरीक़ों के बारे में बहुत उ़म्दा उसूल बताये गये हैं। हक़ीक़तों तक पहुँचने के लिये ज़रूरी है कि जज अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रूजूअ करके फ़हम व फ़रासत की दुआ माँगे, कच्ची बात न करे, फ़ैसला हर सम्भव यक़ीन हासिल होने और पुख़्ता राय क़ायम करने के बाद करे। उसे ये वज़ाहत करनी चाहिए कि उसके फ़ैसले से किसी के लिये दूसरे का हक़ हलाल नहीं होता। और अगर क़ाज़ी देखे कि मामला किसी भी तरह वाज़ेह नहीं हो सकता तो दोनों को सुलह पर आमादा करने की कोशिश करे। क़ज़ा का ये सुनहरी उसूल भी इस्लाम ने दिया है कि क़ाज़ी को यकसूई से फ़ैसला करना चाहिए तैश, ग़म, चिन्तित होकर या ऐसी कैफ़ियत में फ़ैसला नहीं करना चाहिए जिसमें यकसूई हासिल नहीं हो सकती।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ " . قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا

(3582) हज़रत अ़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे यमन का क़ाज़ी बनाकर रवाना फ़रमाया तो मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नवउ़मर हूं और मुझे फ़ैसला करने का इल्म नहीं है। आपने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तआ़ला तुम्हारे दिल को हिदायत देगा और तुम्हारी ज़बान को साबित रखेगा। जब मुक़द्दमे के दो फ़रीक़ तुम्हारे सामने बैठें तो उस वक़्त तक हरगिज़ फ़ैसला न करना जब तक दूसरे से सुन न लेना जैसे कि पहले से सुना हो। बिलाशुब्हा यही चीज़ ज़्यादा लायक़ है कि फ़ैसला तुम्हारे लिये वाज़ेह हो जाये।' हज़रत अ़ली (ﷺ)

شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ .

कहते हैं: चुनांचे मैं वहां क़ाज़ी बना रहा था (फ़रमाया) मुझे उसके बाद फ़ैसला करने में कोई तरद्दुद (परेशानी) नहीं हूआ।

(3582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1331, इब्ने माजा, हदीस: 2310.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन ये वाक़िया कुछ इख़्तिसार के साथ सुनन इब्ने माजा में सही सनद के साथ मरवी है। मौजूदा रिवायत का ज़्यादा हिस्सा ये है कि फ़ैसला दोनों फ़रीक़ों से सुन लेने के बाद करना चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरूस्त है और दीगर कई रिवायात से साबित है। अलबत्ता अगर कोई फ़रीक़ तलब करने पर भी हाज़िर न हो और उसके पास कोई उ़ज़्र भी न हो और वाज़ेह हो जाये कि वह क़ाज़ी और अदालत का सामना करने से जान बुझ कर कतरा रहा है तो क़ाज़ी इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे करते हूए उसकी ग़ैर हाज़िरी में फ़ैसला सुना सकता है। वल्लाहू आलम!

(7) باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

बाब : 7
क़ाज़ी से फ़ैसला करने में ख़ता हो जाये तो?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْءٍ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ "

(3583) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं एक इन्सान हूं, तुम अपने झगड़े मेरे पास लाते हो और हो सकता है कि तुममें से कोई दूसरे के मुक़ाबले में अपनी हुज्जत पेश करने में ज़्यादा चरब ज़बान हो और फिर मैं उससे सुनने के मुताबिक़ फ़ैसला कर दूं, तो जिस किसी के लिये मैं उसके भाई के हक़ का फ़ैसला कर दूं तो वह उससे कुछ न ले। बिलाशुब्हा उसके लिये आग का टुकड़ा काट रहा हूं।'

(3583) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6967, व मुस्लिम: 1713.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ाज़ी का फ़ैसला सिर्फ़ ज़ाहिर में नाफ़िज़ होता है और मुक़द्दमे के दोनों पक्ष अपने तौर पर ख़ूब जान रहे होते हैं कि हक़ किस का है और बातिल पर कौन है। तो जहां मामला साफ़ हो वहां ज़ालिम को अपने भाई का हक़ मारते हूए समझ लेना चाहिए कि वह क़ाज़ी के फ़ैसले के बावजूद आग का टुकड़ा ले रहा है। (2) फ़ैसला करने में क़ाज़ी से ख़ता का सरज़द हो जाना उसके लिये माफ़ है। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस बयान से वाज़ेह हूआ कि वह ग़ैब न जानते थे। (4) ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के बशर होने पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है। (5) रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ फ़ैसले अपने इज्तेहाद से करते थे। उम्मत के क़ाज़ी हमेशा इज्तेहाद ही से फ़ैसले कर सकते हैं और उनके सामने रसूलुल्लाह (ﷺ) का इज्तेहाद और तरीक़–ए–इज्तेहाद बेहतरीन नमूना और हुज्जत है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ . فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ . ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ " .

(3584) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(رضي الله عنها) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दो आदमी आये उनका मीरास़ के मामले में झगड़ा था और उनके पास सिवाए अपने अपने दावे के और कोई गवाह न था। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: और ऊपर दी गई हदीस़ की मिस्ल बयान किया। चुनांचे वह दोनों रोने लगे और हर एक दूसरे से कहने लगा: मेरा हक़ तेरे लिये है। फिर नबी (ﷺ) ने उन दोनों से फ़रमाया: 'जब तुम ऐसा करते हो तो आपस में तक़सीम कर लो और हक़ का क़स़द करो फिर आपस में क़ुरा डाल लो (हिस्से की तअय्युन के लिये) फिर मुमकिना ज़्यादती एक दूसरे से माफ़ करा लो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अलमुक़िन: 1778, इब्ने जारूद, हदीस़: 1000, हाकिम, हदीस़: 4/95.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस क़िस्म के मामलात और मुक़द्दमात में समझोते के सिवा दूसरा कोई हल नहीं होता। (2) दो फ़रीक़ जब किसी इस्तेहक़ाक़ में बराबर हों तो क़ुरे से मामला तय कर लेना चाहिए। (3) मुमकिना ज़्यादती से इसी दुनिया में माफ़ी से तलाफ़ी कर लेना मुनासिब है। इस दुनिया में तो आदमी हस्बे अहवाल कोई माली दबाव या दूसरी मुश्किल व मशक्क़त बर्दाश्त कर सकता है मगर ज़ुल्म की सूरत में कल क़यामत के दिन हिसाब इन्तेहाई कड़ा और सख़्त होगा।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ " إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيهِ " .

(3585) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की। उन दो आदमियों का विरास़त में झगड़ा था और भी चंद दूसरी चीज़ें थीं जिनके निशानात मिट गये थे। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस चीज़ में मुझ पर कुछ नाज़िल न हूआ हो उसमें, मैं अपनी राय से फ़ैस़ला करता हूं।'

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْىَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصِيبًا لأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ .

(3586) इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) ने रिवायत किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने बर सरे मिम्बर फ़रमाया: ऐ लोगो! रसूलुल्लाह (ﷺ) की राय बिल्कुल बरहक़ हूआ करती थी क्योंकि उन्हें अल्लाह तआला समझाता था और हमारी राय ज़न व गुमान और तकल्लुफ़ महज़ होती है।

(3586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ، وَلاَ إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِي حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ .

(3587) अहमद बिन अब्दा अज़्ज़ब्बी कहते हैं कि हमें मुआज़ बिन मुआज़ ने बयान किया। कहा कि मुझे अबू उ़स्मान शामी (हरीज़ बिन उ़स्मान) ने बयान किया और (मुआज़ बिन मुआज़ ने कहा कि) मैं किसी शामी को हरीज़ बिन उ़स्मान से अफ़ज़ल नहीं समझता।

(3587) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, अत्तारीखुल क़बीर, हदीस़: 3/104.

फ़ायदा : ऊपर वाली रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन यही बात नीचे वाली सनद से स़ही तरीक़े से मरवी है। इन तीनों अहादीस़ से स़ाबित होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने इज्तेहाद से फ़ैस़ले फ़रमाते

थे जो ग़लतियों से पाक होते थे और आइन्दा के लिये हुज्जत थे। क्योंकि खुदा नाख़्स्ता किसी कारण अगर कोई ग़लती होती तो अल्लाह तआला बज़रिया वही आपको बा'ख़बर फ़रमा देता। आपके बाद तमाम क़ाज़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत से हक़ीक़तों को समझने चाहिए।

﴿8﴾ باب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي

बाब : 8
मुक़द्दमे के दोनों फ़रीक़ क़ाज़ी के सामने कैसे बैठें?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ .

(3588) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया है कि मुद्दई और मुद्दआ अलैहि (पक्ष और विपक्ष) दोनों क़ाज़ी के सामने बैठें।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/4, मज्मउज़्ज़वाइद: 1/25.

फ़ायदा : रिवायत सनदन ज़ईफ़ अल इस्नाद है। लेकिन सही यही है कि किसी फ़रीक़ को अदालत में कोई फ़ौक़ीयत और तर्जीह न दी जाये। दोनों आमने सामने हों। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल और फ़रामीन से वाज़ेह है।

﴿9﴾ باب الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

बाब : 9
क़ाज़ी का गुस्से की हालत में फ़ैसला करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3589) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपने साहिबज़ादे की तरफ़ लिख भेजा कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई हाकिम (फ़ैसला करने वाला) गुस्से की हालत में दो फ़रीक़ों में फ़ैसला न करे।'

" لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" .

(3589) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7158, व मुस्लिम: 1717.

फ़ायदा : तैश की हालत में इंसान बिलउमूम इन्साफ़ की हद से तजावुज़ कर जाता है तो इस कैफ़ीयत में फ़ैसला ऐन मुमकिन है कि अदल के ख़िलाफ़ हो, लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है। इन्तेहाई ग़म, शदीद फ़िक्रमंदी, किसी बीमारी के सबब तकलीफ़ और दर्द और इसी तरह की कैफ़ियत जिनमें यकसूई मुतास्सिर (प्रभावित) हो गुस्से पर क़यास की जायेंगी।

﴾10﴿
بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

बाब : 10
ज़िम्मी लोगों (कुफ़्फ़ार) में फ़ैसला करना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فَنُسِخَتْ قَالَ { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } .

(3590) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि पहले ये आयत नाज़िल हुई: (फ़इन जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम) 'अगर ये (यहूद) आपके पास आयें तो आप उनमें फ़ैसला फ़रमायें या ऐराज़ कर लें।' फिर इसे मन्सूख़ कर दिया गया और फ़रमाया: (फ़हकुम बयनहुम बिमा अन्ज़लल्लाहु) 'आप इनमें फ़ैसला फ़रमायें उस चीज़ के साथ जो अल्लाह ने नाज़िल की।'

(3590) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } {وَإِنْ حَكَمْتَ

(3591) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि जब ये आयते करीमा: (फ़इन जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम ...) नाज़िल हुई, (उन्होंने सबबे नुज़ूल) बयान किया कि बनू नज़ीर बनू कुरैज़ा के किसी शख़्स को क़त्ल कर देते तो आधी दियत दिया करते और अगर बनू कुरैज़ा बनू

नज़ीर का कोई आदमी क़त्ल कर देते तो पूरी दियत देते थे। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे इनमें बराबर बराबर कर दिया।

(3591) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4737.

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } الآيَةَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ .

बाब : 11
फ़ैसला करने में इज्तेहाद और राय से काम लेना

﴿11﴾ باب اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

(3592) हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) के बाज़ साथियों ने रिवायत किया जो अहले हिम्स में से थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब इरादा फ़रमाया कि हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) को यमन भेजें तो आपने पूछा: 'जब कोई मुक़द्दमा तुम्हारे सामने पेश होगा तो फ़ैसला कैसे करोगे?' उन्होंने कहा: मैं अल्लाह की किताब से फ़ैसला करूंगा। आपने फ़रमाया: 'अगर किताबुल्लाह में न मिला तो?' कहा कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत से। फ़रमाया: 'अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत और किताबुल्लाह में भी न मिला तो?' कहा कि मैं अपनी राय इस्तेमाल करने में कमी नहीं करूंगा। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनका सीना थपकाया और फ़रमाया: 'हम्द है उस अल्लाह की जिसने रसूलुल्लाह के पैयम्बर को इस बात की तौफ़ीक़ दी जिस पर अल्लाह का

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ " .

रसूल ख़ुश है।'

(3592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1327, 1328.

फ़ायदा : ये रिवायत फ़ुक़हा के नज़दीक बहुत ज़्यादा मशहूर है। मगर हक़ीक़त ये है कि सनद के लिहाज़ से बिल्कुल ज़ईफ़ है। अइम्म–ए–जरह व तअदील में कोई भी इसकी तसहीह नहीं करता। इसके ज़ईफ़ के तीन सबब गिनवाये गये हैं। (1) मुरसल है। (2) अस्हाबे मुआज़ मजहूल हैं। (3) हारिस बिन अम्र मजहूल है। इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं: 'ये सही नहीं और जितने तरीक़ मारूफ़ हैं सभी मुरसल हैं।' इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: 'ये हदीस बस इसी सनद से मरवी है जो मेरे नज़दीक मुत्तसिल नहीं है।' इमाम दारकुतनी (रह.) कहते हैं: 'इसका मुर्सल होना ही सहीतर है।' इब्ने हज़म (रह.) कहते हैं: 'ये हदीस सही नहीं क्योंकि रावी हारिस मजहूल है और इसके शुयूख़ की भी ख़बर नहीं कि कौन हैं।' इब्ने ताहिर कहते हैं: इब्ने जोज़ी (रह.) ने कहा: 'ये हदीस क्योंकर सही हो सकती है? इसका मुराद हारिस बिन अम्र पर है और वह ख़ुद मजहूल है, अहले हिम्स से रिवायत करता है जिनकी ख़बर नहीं कि वह कौन हैं।' इसके अलावा अक़ील, सुबकी और इब्ने हजर (रह.) भी यही कहते हैं। अल्लामा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं: मानी के ऐतबार से भी इसमें ज़बरदस्त ख़लल है। इसमें हज़रत मुआज़ (ﷺ) का ये क़ौल ——— बयान किया गया है कि पहले किताबुल्लाह से फ़ैसला करूंगा। अगर इसमें न मिला तो फिर सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ), से अगर उसमें भी न मिला तो फिर राय इस्तेमाल करूंगा।' हालांकि ये तर्तीब और क़ुर्आन व सुन्नत की तफ़रीक़ किसी तरह सही नहीं। बल्कि क़ुर्आन करीम के साथ साथ हदीस व सुन्नत की तरफ़ रूजूअ करना वाजिब है। क्योंकि सुन्नत, क़ुर्आन करीम के मुज्मल का बयान करती है, मुतलक़ तक़ईद और उमूम की तख़्सीस करती है। अलग़र्ज़ ये तर्तीब सही नहीं। बल्कि हर मसला बैक वक़्त क़ुर्आन व सुन्नत में तलाश किया जाये, फिर ख़ैरूल क़ुरून सहाबा, ताबेईन और तबे ताबेईन के फ़तावा व मामूलात को देखा जाये अगर न मिले तो साहिबे इल्म को इस्तेम्बात व इस्तेदलाल और इज्तेहाद का हक़ हासिल है। (माख़ूज़ अज़ सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफाज अल्लामा अल्बानी (रह.), हदीस: 881)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(3593) बाज़ अस्हाबे मुआज़ ने हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें जब यमन भेजा। और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/114, पिछली हदीस देखें।

बाब : 12
मुसालिहत कर लेने का बयान

(3594) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमानों का आपस में सुलह कर लेना जायज़ है। (यानी ये नाफ़िज़ होगी।)'

अहमद (बिन अ़ब्दुल वाहिद) ने मज़ीद कहा: 'सिवाए ऐसी सुलह के जो किसी हराम को हलाल या किसी हलाल को हराम बनाये।'

सुलैमान बिन दाऊद ने इज़ाफ़ा किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुसलमान अपनी शर्तों के पाबन्द हैं।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/366, इब्ने जारूद, हदीस: 637, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1199.

(3595) हज़रत कअ़ब बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में आपने इब्ने अबी हदरद से अपने क़र्ज़ का मुतालबा किया। ये मस्जिद में थे कि उनकी आवाज़ें ऊँची हो गयीं जिन्हें रसूल (ﷺ) ने अपने घर में सुना। पस रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी तरफ़ निकले और अपने हुजरे का परदा उठाया और कअ़ब बिन मालिक को आवाज़ देते हुए कहा: 'ऐ कअ़ब!' उसने

﴿12﴾
بابٌ فِي الصُّلْحِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " . زَادَ أَحْمَدُ " إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً " . وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ " .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ

فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قُمْ فَاقْضِهِ

कहा: मैं हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने अपने हाथ से उसे इशारा फ़रमाया कि अपना आधा क़र्ज़ा छोड़ दो। कअब ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने माफ़ किया। नबी (ﷺ) ने दूसरे से फ़रमाया: 'उठ और उसे अदा कर दे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 471, व मुस्लिम: 1558.

फ़ायदा : क़ाज़ी और हकम के पास ये इख़्तियार है कि वह अवाम के तनाज़ात में उनकी सुलह करा दे। और माली हुक़ूक़ में साहिबे हक़ ख़ुशी से अगर अपना हक़ छोड़ दे तो जायज़ है। सुलह में जब्र नहीं है।

﴾13﴿ باب فِي الشَّهَادَاتِ

बाब : 13
गवाहों का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " . شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ . قَالَ الْهَمْدَانِيُّ وَيَرْفَعُهَا

(3596) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ज़ोहनी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाह न बताऊं? वह जो तलब करने से पहले ख़ूद से अपनी गवाही पेश कर दे।' अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र को हदीस के अल्फ़ाज़ में शक है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (रह.) ने कहा: इससे मुराद ये है कि साहिबे हक़ को इल्म न हो कि उसका गवाह कौन है। हमदानी ने कहा: वह (अज़ ख़ूद) अपने आपको सुलतान के सामने पेश कर दे। इब्ने अस्सरह ने कहा: या इमाम (हाकिम) के सामने पेश कर दे। हमदानी की रिवायत में (अख़बरना) है। इब्ने अस्सरह ने (रावी का नाम) इब्ने अबी

إِلَى السُّلْطَانِ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الإِمَامَ . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ . لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

अम्र ज़िक्र किया है, अब्दुर्रहमान (बिन अबी अम्र नहीं ज़िक्र किया।)

(3596) तख़रीज : मौता, हदीस़: 2/720, व मुस्लिम: 1719.

तौज़ीह : स़ही बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में आया है कि (कुर्बे क़यामत में) ऐसे लोग होंगे जो गवाहियाँ देंगे हालांकि उनसे गवाही तलब नहीं की जायेगी। वह क़समें खायेंगे हालांकि उनसे क़सम तलब नहीं की जायेगी। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2652, व मुस्लिम: 2535) तो इसमें उन लोगों की मज़म्मत है जो झूठे हों, किसी का हक़ मारने या किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिये ये क़समें खायें और आगे बढ़ बढ़ कर गवाहियाँ दें। जबकि ज़ेरे बहस़ हदीस़ में स़ादिक़ और अमीन लोगों की तारीफ़ है जो मजबूर और सादा लोह लोगों की मदद करें या हाकिम और क़ाज़ी के लिये हक़ व इन्स़ाफ़ पसन्दी में मुआविन बनें। ये भी कहा गया है कि इस का ताल्लुक़ उस अमानत और आ़रियत से है जो किसी यतीम की हो, और सिवाए उस गवाह के किसी और के इल्म में न हो और वह ख़ुद से हाकिम के पास जाकर हक़दार का हक़ दिलवा दे तो यक़ीनन वह बेहतरीन गवाह होगा।

﴾14﴿ بَابٌ فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

बाब : 14 जो कोई हक़ीक़त जाने बग़ैर किसी झगड़े में मददगार बने

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ

(3597) यहया बिन राशिद ने बयान किया कि हम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के इन्तेज़ार में बैठे थे यहाँ तक कि वह तशरीफ़ ले आये और बैठे फिर कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जिस शख़्स की सिफ़ारिश अल्लाह की किसी हद की तन्फ़ीज़ में आड़े आई, तहक़ीक़ उसने अल्लाह की मुख़ालिफ़त की और जिसने जानते बूझते

حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " .

बातिल (की हिमायत) में झगड़ा किया तो वह अल्लाह की नाराज़ी में रहेगा यहाँ तक कि उससे बाज़ आ जाये और जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह उसे जहन्नमियों की पीप में डालेगा (वह उसी का मुस्तहिक़ रहेगा) यहाँ तक कि अपनी बात से बाज़ आ जाये।'

(3597) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/70, हाकिम, हदीस: 2/27.

फ़ायदा : इसका मतलब ये भी है कि जब मुक़द्दमा क़ाज़ी तक पहुँच जाये तो फिर सज़ा को लागू करने में रूकावट बनना या सिफ़ारिश करना हराम है। और इसी तरह जाहिली अ़सबियत का शिकार हो जाना या मुसलमानों पर तोहमत लगाना बहुत बड़े और बुरे जराइम हैं।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

(3598) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। फ़रमाया: 'जिसने किसी ज़ुल्म के झगड़े में मुआवनत की तहक़ीक़ वह अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की नाराज़ी के साथ लौटा।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2320.

﴿15﴾ باب فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

बाब : 15
झूठी गवाही का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، - يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ

(3599) हज़रत ख़ुरैम बिन फ़ातिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ायी। जब उससे फ़ारिग़ हुए तो सीधे खड़े हो गये और फ़रमाया: 'झूठी गवाही देना,

النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ " عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ}

अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के बराबर है। तीन बार फ़रमाया। फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमायी: (फ़ज्तनिबुर्रिज्सा मिनल औसानि वज्तनिबू कौलज़्ज़ूर हुनफ़ाआ लिल्लाहि ग़ैरा मुश्रिकीना बिही) 'बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से इज्तेनाब करो, अल्लाह की तरफ़ यकसू रहो इस हाल में कि उसके साथ शरीक करने वाले न हो।'

(3599) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2300, इब्ने माजा, हदीस: 2372.

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन झूठ और झूठी गवाही की मज़म्मत सही हदीसों से साबित है। झूठी गवाही बड़े गुनाहों में शुमार होती है। (सही बुख़ारी, हदीस: 2653)

﴾16﴿ باب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

बाब : 16 किन लोगों की गवाही क़बूल नहीं

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْرُ الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الأَجِيرِ الْخَاصِّ .

(3600) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह (शुऐब) अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ाइन मर्द, ख़ाइन औरत और अपने भाई के साथ कीना और बुग़्ज़ रखने वाले की गवाही रद्द फ़रमायी है। और ऐसे ही जो किसी घर वालों का ख़िदमतगार (नौकर, गुलाम और ताबेअ) हो, उसकी गवाही भी क़बूल नहीं की। अलबत्ता दूसरों के हक़ में क़बूल है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (अलग़िम्र) का मानी बुग़्ज़ व अदावत है। और (अल्क़ानिअ) से मुराद ताबेअ रहने वाला है जैसे कि कोई ख़ास

नौकर होता है।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/181,

इब्ने माजा, हदीस़: 2366 अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 4/198

तौज़ीह : ख़ाइन या ख़ाइना की गवाही बिलकुल कुबूल नहीं की जायेगी। इसमें माली ख़्यानत और ज़बानी ख़्यानत (झूठ) दोनों एक जैसे हैं। लेकिन कीना परवर और बुग़्ज़ की गवाही इस सूरत में मरदूद है जब मामला उनके साथ हो जिनके साथ उसकी दुशमनी हो, अगर सच्चा है तो दूसरे लोगों में मक़बूल होगी। इसी तरह ही नौकर और गुलाम की तरह के ताबेअ़ क़िस्म के लोगों की गवाही अपने वली नेमत के हक़ में क़बूल नहीं। अगर सच्चे हैं तो दूसरों के हक़ में क़बूल है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ زَانٍ وَلاَ زَانِيَةٍ وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ " .

(3601) सुलैमान बिन मूसा ने अपनी सनद से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'किसी ख़्यानत करने वाले मर्द या औरत, ज़ानी मर्द या औरत या अपने भाई के बारे में बुग़्ज़ व अदावत रखने वाले की गवाही जायज़ नहीं।'

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है.

﴾17﴿ باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ

बाब : 17
शहरी के ख़िलाफ़ देहाती की गवाही

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ "

(3602) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'कि किसी देहाती की शहरी के ख़िलाफ़ गवाही जायज़ नहीं।'

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2367, इब्ने जारूद, हदीस़: 1009.

फ़ायदा : बदवी बादिया से है। कि ख़ाना बदोश को कहते हैं जो एक जगह के साकिन नहीं होते बल्कि मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल होते रहते हैं। अगर कोई बदवी समझदार और अ़दूल हो तो ज़ाती तौर पर उसकी गवाही मोतबर होगी, ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान के चाँद की रूयत में बदवी की शहादत क़बूल फ़रमायी। (अबू दाऊद) इस हदीस़ में जो बात समझायी गयी है वह ये है कि बदवी उ़मूमन मुस्तक़िल आबादियों के हालात, आ़दात, रस्म व रिवाज और तौर तरीक़ों से वाक़िफ़ नहीं होते। नीज़ बड़े सादा लोह होते हैं। इसलिए मुशाहिदे में उन्हें ग़लती लगने या अ़दमे फ़हम का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए किसी बस्ती या शहर के रहने वाले के मामले में उनकी गवाही पर ऐतराज़ वाक़े होगा। इस सबब से उसकी गवाही क़बूल नहीं की जा सकती। वह मामलात जिनका फ़हम अहले बादिया के लिये आसान है इसमें उनकी गवाही हर तरह मोतबर है। इस हदीस़ से ये भी साबित हूआ कि किसी भी मामले में गवाही तब मोतबर होगी जब उस मामले के उ़मूमी समझ की ताक़त मौजूद हो। किसी मामले में आ़म इंसान की गवाही मोतबर न होगी जब तक वह उस मामले का समझ न रखता हो।

बाब : 18
दूध पिलाने की गवाही

﴾18﴿
باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

(3603) जनाब इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि मुझे हज़रत उ़क़्बा बिन हारिस़ (ﷺ) ने बयान किया। और मुझे ये रिवायत मेरे एक और साथी ने भी उ़क़्बा से बयान की और अपने साथी की रिवायत मुझे ज़्यादा याद है। कहा कि मैंने उम्मे यहया बिन्ते अबी इहाब से शादी की। तो हमारे पास एक काली औ़रत आई और उसने कहा कि मैंने उन दोनों को दूध पिलाया है। तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे ये वाक़िया बयान किया। तो आपने मुझसे मुँह फेर लिया। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक वह झूठी है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझे क्या

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ، لِي عَنْهُ - وَأَنَا لِحَدِيثِ، صَاحِبِي أَحْفَظُ - قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ . قَالَ " وَمَا يُدْرِيكَ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ " .

ख़बर? हालांकि उसने जो कहना था कह दिया है। उस औरत (अपनी बीवी) को छोड़ दे।'

(3603) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5104.

फ़ायदा : दूध पिलाने के मसले में बिलख़ुसूस अकेली औरत की गवाही और ख़बर मोतबर और काफ़ी है। जैसे कि पैदाइश के वक़्त बच्चे के ज़िन्दा होने के बारे में एक दाया की गवाही मोतबर और काफ़ी होती है, ताहम ख़बर या गवाही देने वाली का मोतमद और भरोसेमंद होना शर्त है। उलमा– ए– किराम ने ख़बर और गवाही में फ़र्क़ किया है। गवाही हमेशा हाकिम और क़ाज़ी के रू ब रू होती है। इस वजह से इन मसाइल की तफ़्सीलात में मुख़्तलिफ़ नज़रियात मौजूद हैं।

(3604) इब्ने अबी मुलैका ने बवास्ता उबैद बिन अबी मरयम हज़रत उक़्बा बिन हारिस (ﷺ) से रिवायत किया। इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि मैंने ये रिवायत हज़रत उक़्बा (ﷺ) से भी सुनी है मगर मुझे उबैद का बयान ज़्यादा ज़ब्त है। और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन ज़ैद ने हारिस बिन उमैर को देखा और कहा: ये अय्यूब के भरोसेमंद शागिर्दों में से है।

(3604) तख़रीज : पिछली हदीस देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، - وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ - فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ نَظَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِ أَيُّوبَ .

बाब : 19
सफ़र में वसीयत के सिलसिले में काफ़िर की गवाही

﴿19﴾ باب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

(3605) जनाब शअबी (रह.) से रिवायत है कि एक मुसलमान की दक़ूक़ा मक़ाम पर वफ़ात हो गयी। उसे कोई मुसलमान न मिला जो उसकी वसीयत पर गवाह होता। तो उसने

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ وَلَمْ

يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلاَ كَذَبَا وَلاَ بَدَّلاَ وَلاَ كَتَمَا وَلاَ غَيَّرَا وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا .

अहले किताब के दो आदमियों को गवाह बनाया। फिर वह दोनों कूफ़ा में हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) के पास आये और उनको इसकी ख़बर दी और उसका तर्का और वसीयत भी पेश की। हज़रत अशअ़री(ﷺ) ने कहा: ये मामला रसूल (ﷺ) के दौर के बाद नहीं हूआ है। तो उन्होंने अ़स्र के बाद उनसे अल्लाह के नाम की क़सम ली कि उन्होंने किसी क़िस्म की ख़्यानत, झूठ या तब्दीली नहीं की है, कुछ छुपाया है न कोई तग़य्युर (चेंजिंग) की है, और इस मय्यत की वसीयत और तर्का यही कुछ है। चुनांचे उन्होंने उनकी गवाही को क़बूल कर लिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/165.

फ़ायदा : अगर किसी मुसलमान को ऐसी जगह मौत का सामना हो जहां उसकी वसीयत के लिये मुसलमान गवाह मौजूद न हों तो क़ुर्आन मजीद में ये तरीक़ा बताया है, इरशादे बारी तआ़ला है: 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! जब तुममें से किसी को मौत आने लगे तो तुम्हारे दरम्यान गवाही होनी चाहिए और वसीयत के वक़्त अपने (मुसलमानों) में से दो इन्साफ़ वाले गवाह बना लो या अगर तुम ज़मीन में सफ़र पर निकले हो और (रास्ते में) मौत की मुसीबत पेश आ जाये तो ग़ैर क़ौम के दो गवाह भी काफ़ी होंगे, फिर अगर तुम्हें कोई शुब्हा हो तो उन दोनों गवाहों को नमाज़ के बाद (मस्जिद में) रोक लो, तो वह अल्लाह की क़सम खा कर कहें कि हम इस गवाही के बदले कोई क़ीमत नहीं ले रहे और कोई हमारा रिश्तेदार भी हो (तो हम उसकी रिआ़यत करने वाले नहीं) और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते, अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चल जाये कि बेशक उन दोनों ने गुनाह का इरतेकाब किया है तो उन दोनों की जगह दो और गवाह उन लोगों में से खड़े हों जिन का हक़ मारा गया हो और जो मरने वाले के ज़्यादा क़रीबी हों, फिर वह दोनों अल्लाह की क़सम खायें कि हमारी गवाही इन (पहले) दोनों की गवाही से ज़्यादा सच्ची है, और हमने कोई ज़्यादती नहीं की, अगर हम ऐसा करें तो ज़ालिमों में शुमार होंगे। इस तरह ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि वह ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम अज़ कम इस बात ही का ख़ौफ़ करेंगे कि कहीं इन (विरसा) की क़समों के बाद उनकी क़समें रद्द न कर दी जायें, और तुम अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह नाफ़रमानी करने वालों को हिदायत नहीं देता।' (अल मायदा: 106 से 108) इस बाब की दोनों

हदीसों से यही पता चलता है कि मुस्लिम गवाहों की ग़ैर मौजूदगी में ग़ैर मुस्लिम गवाह बनाये जा सकते हैं। उनकी गवाही से शक व शुब्हा ख़त्म करने के लिये गवाही के साथ क़सम भी लेनी चाहिए। पहली हदीस़ की इस्नाद में अगर चे कलाम है लेकिन आइन्दा हदीस़ सही बुख़ारी की है। इससे वाज़ेह होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो फ़ैसला फ़रमाया वह बिलकुल फ़रमाने इलाही के मुताबिक़ था।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ ‏.‏ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآيَةَ ‏.‏

(3606) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि बनू सहम का एक शख़्स तमीम दारी और अदी बिन बद्दा की मईयत में सफ़र पर निकला। (दौराने सफ़र) सहमी की वफ़ात हो गयी जहां कि कोई मुसलमान न था। जब वह दोनों उसका तर्का लेकर आये तो (वारिसों ने) चाँदी का एक प्याला गुम पाया जिस पर सोने के पतरे चढ़े हूए थे, तो रसूल (ﷺ) ने उन दोनों से क़सम ली। फिर बाद में वह जाम मक्का में मिल गया। (जिन के पास से मिला) उन्होंने कहा कि हमने ये तमीम और अदी से ख़रीदा है। फिर मरने वाले सहमी के वारिसों में से दो ने क़सम खायी और कहा कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज़्यादा सच्ची है और ये जाम हमारे आदमी का है। चुनांचे उन्हीं के सिलसिले में ये आयत नाज़िल हूई : (या अय्युहल लज़ीना आमनु शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु)

(3606) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2780.

फ़ायदा : इस मरने वाले सहमी का नाम बुदैल बिन अबी मारिया है और इसके दोनों साथी उस वक़्त नसरानी थे जो बाद में मुसलमान हूए। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीना तशरीफ़ ले आये और तमीमदारी ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो इस ख़्यानत को बहुत बड़ा गुनाह जाना फिर वह सहमी के वारिसों के पास गये और पूरी ख़बर बताई और उन्हें अपने हिस्से के पाँच सौ दिरहम अदा किये, ये भी बताया कि बाक़ी पाँच सौ दिरहम अदी बिन बद्दा के पास हैं उनसे भी पाँच सौ लिये गये। (फ़तहुल बारी: 5/501, 502)

बाब : 20
क़ाज़ी को जब एक गवाह की सच्चाई का यक़ीन हो तो एक गवाही पर फ़ैसला करना भी जायज़ है

﴿20﴾ باب إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ

(3607) जनाब उमारा बिन ख़ुज़ैमा से रिवायत है कि उनके चचा ने बयान किया जो नबी (ﷺ) के सहाबा में से थे कि नबी (ﷺ) ने एक बदवी से घोड़ा ख़रीदा और बदवी से कहा कि मेरे साथ आओ ताकि तुम्हारे घोड़े की क़ीमत अदा कर दूं। रसूलुल्लाह (ﷺ) जल्दी जल्दी चले जबकि आराबी आहिस्ता आहिस्ता चला। तो लोग उस बदवी के सामने आये और घोड़े का सौदा करने लगे। उन्हें इल्म नहीं था कि नबी (ﷺ) ने उसे ख़रीद लिया है। तो उस बदवी ने रसूल (ﷺ) को पुकारा और कहा: अगर घोड़ा ख़रीदना है तो ख़रीद लो वरना मैं उसे फ़रोख़्त कर दूंगा। नबी (ﷺ) उसकी आवाज़ सुन कर रूक गये और फ़रमाया: 'क्या मैंने उसे तुमसे ख़रीद नहीं लिया?' बदवी ने कहा: नहीं क़सम अल्लाह की! मैंने तो उसे तुमको नहीं बेचा। आपने फ़रमाया: 'क्यों नहीं, मैंने तुमसे ख़रीद लिया है।' बदवी कहने लगा: चलो गवाह लाओ। तो हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित (رضی اللہ عنہ) बोले: मैं गवाही देता हूं कि तूने ये बेच दिया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ وَهُوَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَشْىَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَلاَ يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلاَّ بِعْتُهُ . فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ فَقَالَ " أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ " . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ

لاَ وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ " . فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا . فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ . فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ " بِمَ تَشْهَدُ " . فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

नबी (ﷺ) ख़ुज़ैमा की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमायाः 'तुम किस तरह गवाही देते हो?' उन्होंने अर्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तस्दीक़ की बिना पर (यानी आप अल्लाह के रसूल हैं झूठ नहीं बोल सकते और आप हमें वह कुछ बताते हैं जो हम मुलाहिज़ा नहीं करते लेकिन इसके बावजूद हम वह सब कुछ तस्लीम करते हैं तो ये क्यों नहीं तस्लीम कर सकते) चुनांचे नबी (ﷺ) ने हज़रत ख़ुज़ैमा (رضي الله عنه) की गवाही को दो आदमियों की गवाही के बराबर क़रार दे दिया।

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4651, मुसनद अहमद: 5/215, 216, हाकिम, हदीस: 2/17, 18.

फ़ायदा : इस वाक़िया को आम क़ायदा क़रार नहीं दिया जा सकता। ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी। और ऐसी सूरत में जब गवाह एक हो तो साहिबे हक़ से क़सम ली जा सकती है जैसे कि बाद की अहादीस में आ रहा है और इस हदीस में हज़रत ख़ुज़ैमा बिन साबित (رضي الله عنه) की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत का बयान है कि वह इन्तेहाई ज़की, फ़तीन और मज़बूत ईमान वाले सहाबी थे। (رضي الله عنه).

﴿21﴾ بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

बाब : 21
एक गवाह और एक क़सम पर फ़ैसला करना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، - قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ

(3608) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गवाह के साथ क़सम लेकर फ़ैसला फ़रमाया। (मुद्दई—दावा करने वाले, से क़सम ली)

(3608) तख़रीज : मुस्लिम: 1712.

(3609) जनाब अ़म्र बिन दीनार (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया। सलमा (बिन शबीब) की रिवायत में है, अ़म्र ने कहा कि '(माली) हुक़ूक़ में' (इस तरह से फ़ैसला किया।)

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/168, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَمْرٌو فِي الْحُقُوقِ .

(3610) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गवाह के साथ क़सम लेकर फ़ैसला फ़रमाया (यानी मुद्दई से क़सम ली।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रबीअ़ बिन सुलेमान मुअज़्ज़िन ने मुझे इस रिवायत में मज़ीद कहा कि हमें इमाम शाफ़ेई (रह.) ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से रिवायत किया। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा कि मैंने सुहैल बिन अबी स़ालेह से ये हदीस़ पूछी तो कहा कि मुझे (मेरे शागिर्द) रबीआ़ अर्राई ने बयान किया और वह मेरे नज़दीक स़िक़ा और भरोसे मंद है, कहा कि मैं (सुहैल) ही ने रबीआ़ को ये हदीस़ बयान की थी। जो मुझे याद नहीं। अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ कहते हैं कि जनाब सुहैल बीमार हो गये थे। जिससे उनकी याददाश्त ख़त्म हो गयी और वह अपनी कई हदीसें भूल गया था। चुनांचे सुहैल इसके बाद यूँ सनद बयान किया करते थे कि रबीया ने मुझसे रिवायत किया कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया।

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2368, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1343, इब्ने जारूद, हदीस़: 1007.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ

(3611) सुलैमान बिन बिलाल ने रबीया से अबू मुस़अ़ब अज़्ज़ोहरी की ऊपर दी गई सनद से इसी के हम मानी रिवायत किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ . قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيتُ سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ . فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ . قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي .

सुलैमान ने कहा कि मैं सुहैल से मिला और उनसे ये हदीस़ दरयाफ़्त की तो उन्होंने कहा: मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा कि मुझे रबीया ने आपके वास्ते से रिवायत की है। तो उन्होंने कहा: अगर रबीया ने तुम्हें बताया है कि उसने मुझसे रिवायत किया है तो उसे बवास्ता रबीया मुझसे रिवायत करो।

तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 10/169, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुद्दई के पास जब एक गवाह हो तो माली मामलात में उससे क़सम लेकर फ़ैसला किया जा सकता है और ये क़सम दूसरे गवाह के क़ायम मुक़ाम होगी। **(2)** मोहद्दिस़ जब अपनी किसी रिवायत को भूल जाये और बिलजज़्म और यक़ीन से कहे कि 'ये मुझ पर झूठ है या मैंने उसे ये रिवायत नहीं किया है वग़ैरह' तो ऐसी रिवायत मरदूद होती है। लेकिन अगर महज़ एहतिमाल का इज़हार करते हूए कहे: 'मुझे ये हदीस़ याद नहीं। या मुझे मालूम नहीं।' और पहले दौर में सुनने वाला स़िक़ा रावी उससे रिवायत करे तो उसकी रिवायत मक़बूल होती है। पिछला इस्नाद और वाक़िया 'जिसने हदीस़ बयान की और (बाद में) भूल गया।' की मिसाल है और मोहद्दिसीन की अमानते इल्मी और रिवायत करने में एहतियात और दिक़्क़त पसन्दी की दलील है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ جَدِّيَ الزُّبَيْبَ، يَقُولُ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ

(3612) हज़रत रूबेब बिन स़ालबा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना एक लश्कर बनू अम्बर की तरफ़ रवाना किया। उन्होंने ताइफ़ के मज़ाफ़ात में रूकबा मुक़ाम पर इस क़बीले को जा पकड़ा और उन्हें नबी (ﷺ) की तरफ़ ले आये। मैं सवार हूआ और उनसे पहले नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँच गया। मैंने कहा: 'ऐ अल्लाह के नबी! आप पर सलामती हो और आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। आपका लश्कर हमारे यहां पहुँचा और उसने हमें पकड़ लिया हालांकि हमने (पहले ही) इस्लाम क़बूल कर लिया था और अपने जानवरों के

كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " مَنْ بَيِّنَتُكَ " . قُلْتُ سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلاَ تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ لَوْلاَ أَنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً " . قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَتْنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ - فَقَالَ لِي " احْبِسْهُ " . فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمَيْنِ فَقَالَ " مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ " . فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

कान भी काट डाले थे। जब बनू अ़बर के लोग पहुँच गये तो नबी (ﷺ) ने मुझसे पूछा: 'क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुम पकड़े जाने से पहले इन दिनों में मुसलमान हो चुके थे?' मैंने अ़र्ज़ किया कि बनू अ़म्बर का एक फ़र्द समुरा और एक दूसरे आदमी का नाम लिया। चुनांचे इस दूसरे ने शहादत दी लेकिन समुरा ने शहादत देने से इंकार किया। पस नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसने गवाही देने से इंकार किया है, लिहाज़ा तुझे अपने दूसरे गवाह के साथ क़सम उठाना होगी।' मैंने कहा: हाँ (उठाऊंगा) तो आपने मुझ से क़सम ली और मैंने कहा कि अल्लाह की क़सम! हम लोग फुलां फुलां रोज़ इस्लाम क़बूल कर चुके थे और अपने जानवरों के कान काट चुके थे। (ये इस्लाम और अ़दमे इस्लाम के दरम्यान फ़र्क़ करने का एक अन्दाज़ था।) तब नबी (ﷺ) ने (अपने मुजाहिदीन से) फ़रमाया: 'जाओ और उनसे निस्फ़ निस्फ़ अमवाल ले लो और इनकी औलादों को हाथ मत लगाओ। (इन्हें ग़ुलाम मत बनाओ) अगर ये बात न होती कि अल्लाह तआ़ला किसी के अ़मल (और उसकी मेहनत) को ज़ाया नहीं फ़रमाता है तो हम तुम से एक रस्सी भी न लेते।' ज़ुबैब ने कहा; फिर मुझे मेरी वालिदा ने बुलाया और बताया कि उस आदमी ने मुझ से मेरी तौशक ली है। मैं नबी (ﷺ) के पास गया यानी आपको ख़बर दी तो आपने मुझे फ़रमाया: 'उसे रोको।' तो मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया और अपनी जगह पर उसके साथ रूका रहा। फिर

لِلرَّجُلِ " رُدَّ عَلَى هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا " . فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي . قَالَ فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ . وَقَالَ لِلرَّجُلِ " اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ " . قَالَ فَزَادَنِي آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ .

नबी (ﷺ) ने हमें खड़े देखा तो फ़रमायाः 'तू अपने क़ैदी के साथ क्या करना चाहता है?' तो मैंने उसको छोड़ दिया। चुनांचे नबी (ﷺ) खड़े हूए और उस आदमी से फ़रमायाः 'उसकी माल की तौशक जो तूने उससे ली है उसको वापस कर दो।' उसने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! वह मुझसे ज़ाया हो गयी है। तो नबी (ﷺ) ने उसकी तलवार उतारी और मुझे दे दी और उसे फ़रमायाः 'जाओ और ग़ल्ले के चंद स़ाअ और मज़ीद भी दो।' चुनांचे उसने मुझे कई स़ाअ जौ भी दे दिये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 1/588.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ग़ालिबन इसे इसलिए लाये हैं कि इसकी तरफ़ ध्यान करायें कि अगर मुद्दई (दावा करने वाला) दो गवाह पेश नहीं कर सकता तो एक गवाह के साथ दो क़सम खायेगा ताकि निस़ाबे शहादत पूरा हो जाये। इससे पहली स़ही रिवायात के अल्फ़ाज़ से भी यही वाज़ेह होता है कि एक गवाह की कमी को क़सम से पूरा किया जा सकता है। अगर एक गवाह भी मौजूद न हो तो क़सम मुदआ अ़लैहि (विपक्ष) के लिये होगी। जिस तरह हदीस़: 3619 में बयान हूआ है।

(22) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

बाब : 22
जब दो आदमी किसी चीज़ का दावा करें लेकिन उनके पास गवाह न हों

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا

(3613) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (رضي الله عنه) से रिवायत है कि दो आदमियों ने नबी (ﷺ) के हुज़ूर एक ऊँट या किसी जानवर का दावा किया लेकिन किसी के पास गवाह नहीं था, तो नबी (ﷺ) ने उसे उन दोनों के बीच

(आधा–आधा) कर दिया।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5426, इब्ने माजा, हदीस: 2330, मुसनद अहमद: 4/402, बैहक़ी, हदीस: 10/257, इब्ने हिब्बान: 1201 वग़ैरह.

بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا .

फ़ायदा : इस्लाम का उसूले शहादत हर तरह की सूरते हाल के लिये फ़ैसले का मुअस्सिर ज़रिया है। अगर मुद्दई के पास एक गवाह है तो दूसरे गवाह की कमी पूरी करने के लिये दो क़सम खायेगा। अगर उसके पास कोई गवाह नहीं और मुदआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया है) क़सम नहीं खाना चाहता तो क़ाज़ी दोनों की रज़ामंदी से सुलह करा सकता है। इस सुलह में मुतनाज़अ माल आधा आधा भी तक़सीम हो सकता है। अगर वह सुलह पर तैयार नहीं होते तो क़ाज़ी ये फ़ैसला भी कर सकता है कि दोनों में से जो कोई क़सम खायेगा माल उसका होगा। अगर फिर भी दोनों क़सम खाने से इंकार करें तो क़ुरा डाला जायेगा और जिसका नाम निकलेगा उसे क़सम खानी होगी या फिर दस्तबरदारी देनी होगी। हदीस: 3613 से लेकर 3619 तक की अहादीस से मंदरजा बाला तमाम उसूल वाज़ेह हो जाते हैं। इस्लाम ने झगड़ों के फ़ैसले के लिये गवाही और हल्फ़ ही को असासी (बुनियादी) हैसियत दी है। किसी और निज़ामे क़ानून में शहादत व हल्फ़ के ये तमाम उसूल बयान नहीं किये गये।

(3614) जनाब सईद (बिन अबी बुरदा) (रह.) ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

(3615) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी सनद से बयान किया जो ऊपर दी गई हदीस के क़रीब क़रीब है। कि नबी (ﷺ) के दौर में दो आदमियों ने एक ऊँट का दावा किया और उन दोनों ने दो दो गवाह पेश कर दिये तो नबी (ﷺ) ने उसे उनके बीच निस्फ़ निस्फ़ कर दिया।

तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/95, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

(3616) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि दो आदमी किसी माल का तनाज़ा लेकर नबी (ﷺ) के पास आये। इनमें से किसी के

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا " .

पास गवाह नहीं था। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम खाने के लिये क़ुरा डाल लो, जिसका भी निकल आये, तुम्हें ये पसन्द हो या न।' (इसका यही हल है कि जो क़सम खायेगा माल ले लेगा।)

तख़रीज : **(सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 2346.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - قَالَ أَحْمَدُ قَالَ - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " . قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ .

(3617) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'अगर दोनों क़सम खाना नापसन्द करें या दोनों ही क़सम खाना चाहें तो क़सम खाने के लिये क़ुरा डाल लें।'

सलमा (बिन शबीब) ने कहा: हमें मामर ने ख़बर दी कि जब दोनों क़सम खाने पर मजबूर कर दिये जायें तो क़ुरा डाल लें (कि कौन क़सम खाये।)

(3617) तख़रीज : (सनद सही) बग़वी, शरहुस्सुन्ना हदीस: 255, मुसनद अहमद: 2/317, वसहीफ़तु हम्माम, हदीस: 97, बुख़ारी, हदीस: 2674.

फ़ायदा : यानी जब दोनों ही क़सम न खाना चाहें तो क़ाज़ी ये फ़ैसला कर सकता है कि क़ुरा अन्दाज़ी की जाये। जिसके नाम का क़ुरा निकल आयेगा उसे क़सम खानी होगी या फिर दस्तबरदार हो जायेगा।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .

(3618) जनाब सईद बिन अबी अरूबा ने हज्जाज बिन मिन्हाल की सनद से इस हदीस के मिस्ल रिवायत किया, कहा कि दो आदमियों ने एक जानवर के सिलसिले में झगड़ा किया और किसी के पास गवाह नहीं था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि क़सम खाने के लिये क़ुरा डालें।

तख़रीज : **(सनद सही)** हदीस: 3616 में देखें, इब्ने माजा: 2329, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 7/353.

बाब : 23
जब मुद्दई (दावेदार) के पास गवाह न हों तो मुद्दआ अलैहि क़सम खाये

﴿23﴾
باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(3619) इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने मुझे लिख भेजा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाया था कि (जब मुद्दई के पास गवाह न हों तो) मुद्दआ अलैहि क़सम खाये।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2514, व मुस्लिम: 1711.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

बाब : 24
क़सम कैसे उठाई जाये?

﴿24﴾ باب كَيْفَ الْيَمِينُ

(3620) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस आदमी से फ़रमाया जिसको आपने क़सम उठवाई कि: 'तू अल्लाह की क़सम खा जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कि तेरे पास इस मुद्दई की कोई चीज़ नहीं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि रावी अबू यहया का नाम ज़्याद है जो कूफ़ी है और सिक़ा है।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 3275 में देखें, नसाई, सुनन कुब्रा: 6007, मुसनद अहमद: 1/253.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ - " احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَىْءٌ " . يَعْنِي لِلْمُدَّعِي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو يَحْيَى اسْمُهُ زِيَادٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ .

फ़ायदा : इस बयान की बहुत अहमियत है। इस तरीक़े से दूसरे का हक़ मारने के लिये हर क़िस्म के हीलों का सद्देबाब (रोकथाम) हो जाता है।

बाब : 25
क्या जब मुद्दआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया हो) ज़िम्मी (काफ़िर) हो तो वह भी क़सम खाये

﴾25﴿
باب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ لِلْيَهُودِيِّ " احْلِفْ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي . فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(3621) हज़रत अशअस़ बिन क़ैस (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मेरे और एक यहूदी के बीच ज़मीन की शराकत दारी थी, जो वह मुझे देने से इंकारी हो गया। तो मैं उसे नबी (ﷺ) की ख़िदमत में ले गया। नबी (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'क्या कोई तुम्हारा गवाह है?' मैंने कहा: नहीं। आपने यहूदी से कहा: 'क़सम उठाओ।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो क़सम उठा लेगा और मेरा माल मार लेगा, तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमा दी: (इनल्लज़ीना यश्तरूना..) 'बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह तआला उनसे न तो बात करेगा और न क़यामत के दिन उनकी तरफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3243 में देखें।

फ़ायदा : काफ़िर के साथ अगर मामला क़सम पर आ ठहरे तो उससे अल्लाह के पाक और अज़ीम नाम ही की क़सम ली जाये। अगर वह झूठी क़सम खा जाये तो स़ब्र करते हुए यक़ीन रखना चाहिए कि वह उस झूठी क़सम के वबाल से बच नहीं सकेगा।

बाब : 26
(विवादित मामले में) किसी से उसके इल्म पर क़सम लेना जबकि वह उसमें मौजूद न रहा हो

﴿26﴾
باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ . قَالَ " هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لاَ وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ . فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ يَعْنِي لِلْيَمِينِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3622) हज़रत अशअस़ बिन क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि बनू किंदा और हज़र मौत के दो आदमी अपनी एक ज़मीन का तनाज़ा (विवाद) लेकर नबी (ﷺ) के पास आये, वह ज़मीन यमन में थी। हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसके वालिद ने मेरी ज़मीन ग़स़ब कर ली थी और वह अब इसके क़ब्ज़े में है। आप (ﷺ) ने उस (हज़रमी) से पूछा: 'क्या तेरा कोई गवाह है?' उसने कहा: नहीं। लेकिन मैं इसे (किन्दी को) अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं क्या ये नहीं जानता कि ये मेरी ज़मीन है और इसके बाप ने मुझसे ग़स़ब कर रखी थी? चुनांचे वह किंदी क़सम खाने के लिये तैयार हो गया। और (इब्ने क़ैस (ﷺ) ने) आगे हदीस़ बयान की। (देखिये, हदीस़: 3244).

तख़रीज : **(सनद हसन)** हदीस़: 3244 में देखें।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ

(3623) हज़रत अलक़मा बिन वाइल बिन हुज्र हज़रमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़र मौत और बनू किंदा के दो आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। हज़रमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी मेरी

رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ " أَلَكَ بَيِّنَةٌ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَلَكَ يَمِينُهُ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَىْءٍ . فَقَالَ " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ " .

ज़मीन पर क़ाबिज़ हो गया है जो कि मेरे वालिद की थी। किंदी ने कहा: ये ज़मीन मेरी है, मेरे क़ब्ज़े में है, मैं ही इसे काश्त कर रहा हूं, इसका इसमें कोई हक़ नहीं है। तो नबी (ﷺ) ने हज़रमी से कहा: 'क्या तेरा कोई गवाह है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो फिर तेरे लिये इसकी क़सम है।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये फ़ाजिर आदमी है, इसे कोई परवाह नहीं कि क्या क़सम खा रहा है। इसे किसी चीज़ का परहेज़ और डर नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे लिये इससे बस यही है।'

(3623) तख़रीज : मुस्लिम: 139.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुद्दआ अलैहि (विपक्ष) मुत्तक़ी हो या फ़ाजिर, क़सम उठा कर मुद्दई के दावे से बरी हो जायेगा। **(2)** मुद्दई, मुद्दआ अलैहि (विपक्ष) से उसके इल्म के हवाले से क़सम का मुतालबा कर सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस मुतालबे पर ऐतराज़ नहीं किया। **(3)** ये दोनों अहादीस पीछे 3244 और 3245 में भी गुज़र चुकी हैं।

﴾27﴿
بَابٌ كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيُّ

बाब : 27
ज़िम्मी काफ़िर से क़सम कैसे ली जाये?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ - وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي لِلْيَهُودِ

(3624) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यहूदीयों से कहा: 'मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूं जिसने मूसा (अलैहि.) पर तौरात नाज़िल फ़रमाई, तुम लोग ज़ानी के बारे में तौरात में क्या पाते हो?' और क़िस्स़-ए-रज्म के बारे में हदीस़ बयान की।

" أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الرَّجْمِ .

(3624) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 488, हदीस: 4450 में देखें, मुसनद अहमद, 2/279.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيهِ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ

(3625) जनाब ज़ोहरी (रह.) ने अपनी सनद से ये हदीस बयान की। कहा कि मुझे मुज़ैना क़बीले के एक आदमी ने बयान किया जो साहिबे इल्म और हाफ़िज़ था, उसने सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 4451 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायात आगे 4450 और 4451 में मुफ़स्सल (सविस्तार) आयेंगी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ يَعْنِي لاِبْنِ صُورِيَا " أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ " . قَالَ ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلاَ يَسَعُنِي أَنْ أُكَذِّبَكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(3626) जनाब इकरिमा (रह.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने इब्ने सौर या (यहूदी) से कहा: 'मैं तुम्हें उस अल्लाह की याद दिलाता हूं जिसने तुम्हें आले फ़िरऔन से निजात दी, तुम्हारे लिये समन्दर को शक़ किया, तुम पर बादलों का साया किया और मन व सलवा नाज़िल किया और तुम्हारे लिये हज़रत मूसा (अलैहि.) पर तौरात नाज़िल फ़रमायी, क्या तुम अपनी किताब में रज्म का हुक्म पाते हो?' उसने कहा: आपने मुझे बड़ी अज़ीम ज़ात की याद दिलायी है और मेरे लिये मुमकिन नहीं कि आपको झुठला सकूं। और हदीस बयान की।

(3626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : इस बाब में तीन रिवायतें हैं जिनमें ग़ैर मुस्लिम ज़िम्मीयों से हल्फ़ (क़सम) उठाने का तरीक़ा बयान किया गया है, ये तीनों अपनी जगह सनदन ज़ईफ़ है लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर बवजहे वुजूदे

शवाहिद काफ़ी क़वी और मज़बूत हो गयी हैं। तरीक़ा ये है कि हर ग़ैर मुस्लिम ज़िम्मी से उसके अपने मज़हब के हवाले से हल्फ़ लिया जाये। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मुसलमानों की अदालत में उनके मज़हब की मुसद्दक़ा बुनियाद ही पर हल्फ़ लिया जाये क्योंकि मूसा (अलैहि.) पर तौरात और ईसा (अलैहि.) पर इन्जील के नुज़ूल की क़ुर्आन ने तसदीक़ की है और इन दोनों को अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम किया है।

﴾28﴿ باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ

बाब : 28 आदमी अपने हक़ के हुसूल के लिये क़सम उठा ले

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، وَمُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " .

(3627) हज़रत औफ़ बिन मालिक (﵁) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दो आदमियों में फ़ैसला किया। तो मुक़द्दमा हार जाने वाले ने पीठ फेरी और कहा: (हस्बियल्लाहु व निअमल वकील) 'मुझे अल्लाह काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है।' तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला आजिज़ी (और मेहनत व कोशिश न करने) पर मलामत फ़रमाता है। तुम्हें चाहिए कि दानाई (मामलात में सोच समझ बूझ, मेहनत और कोशिश) से काम लो, फिर जब कोई मामला तुम पर ग़ालिब आ जाये तो कहो: (हस्बियल्लाहु व निअमल वकील)'

(3627) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/24, 25, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10462, व अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 626.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम हक़ीक़त यही है कि इंसान को अपने हुक़ूक़ का हर लिहाज़ से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मेहनत व कोशिश पर तवक्कल की बुनियाद रखनी चाहिए न कि हाथ पैर तोड़ कर आजिज़ बन कर बैठे रहने पर।

बाब : 29
क़र्ज़ वग़ैरह में मक़रूज़ (कर्ज़दार) को क़ैद कर लेना

﴾29﴿ باب فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ.

(3628) हज़रत अम्र बिन शरीद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मालदार का क़र्ज़ की अदायगी में टाल मटोल से काम लेना उसकी बेइज़्ज़ती और सज़ा को हलाल कर देता है।'

इब्ने मुबारक ने कहा: उसकी बेइज़्ज़ती को हलाल कर देता है। यानी उसके साथ सख़्ती से पेश आया जाये। और उसको सज़ा देना हलाल है। यानी उसे क़ैद किया जा सकता है।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 4693, इब्ने माजा: 2427, इब्ने हिब्बान: 1164, हाकिम: 4/102, बुख़ारी, तालीकेसि: 2401, अलफ़तह: 5/62.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي " الْزَمْهُ " . ثُمَّ قَالَ لِي " يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ "

(3629) हिरमास बिन हबीब ... एक देहाती आदमी था ... वह अपने वालिद से वह उनके दादा से रिवायत करता है कि मैं अपने एक मक़रूज़ (कर्ज़दार) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया तो आपने मुझे फ़रमाया: 'उसके साथ चिमटा रह।' फिर आपने मुझे फ़रमाया: 'ऐ बनू तमीम के भाई! तू अपने क़ैदी के साथ क्या करना चाहता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2428.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये बात सही है कि जब कर्ज़दार आदमी मालदार होते हुए टाल मटोल से काम ले तो जायज़ है कि आदमी उससे चिमट कर अपने हक़ का मुतालबा करे।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ .

(3630) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से वह उनके दादा (मुआविया बिन हीदा क़ुशैरी)(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एक आदमी को तोहमत (शुब्हा) में क़ैद किया था।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1417, नसाई, हदीस: 4879, 4880, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 18891, इब्ने जारूद, हदीस: 1003, हाकिम: 4/102.

फ़ायदा : जिस शख़्स पर इल्ज़ाम हो मगर हक़ीक़त वाज़ेह न हो, तो उसे हक़ीक़त वाज़ेह होने तक तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से मुअख़्ख़र वक़्त के लिये क़ैद करना जायज़ है। ताहम क़ैद का अर्सा बिला वजह ग़ैर मामूली तौर पर लम्बा करना (जैसा कि आजकल मामूल है) शरअन महल्ले नज़र (सही नहीं) है, इससे बहुत से मफ़ासिद (फित्ने) जन्म लेते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ - إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ " . لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ.

(3631) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से वह उनकेदादा (हज़रत मुआविया बिन हीदा क़ुशैरी) (ﷺ) से रिवायत करते हैं इब्ने क़ुदामा ने कहा: मुआविया (ﷺ) का भाई या चचा और मुअम्मल (इब्ने हिशाम) ने कहा: बेशक वह (मुआविया) नबी (ﷺ) के रू ब रू खड़ा हूआ जबकि आप ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। उसने कहा: मेरे हमसायों को किस बिना पर पकड़ा गया है? आप (ﷺ) ने उससे दो बार ऐराज़ फ़रमाया: फिर मुआविया ने कुछ कहा तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसके हमसायों को रिहा कर दो।' मुअम्मल ने अपनी रिवायत में 'ख़ुत्बा देने का' ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/2, 4.

फ़ायदा : उन लोगों को किसी तोहमत में पकड़ा गया था। जब तोहमत साबित न हूई तो उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया।

बाब : 30
किसी को अपना वकील बनाना

﴾30﴿
بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ

(3632) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि मैंने ख़ैबर जाने का इरादा किया तो मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपको सलाम पेश किया और अर्ज़ किया कि मैं ख़ैबर जाना चाहता हूं। आपने फ़रमाया: 'जब तुम मेरे वकील के पास पहुँचो तो उससे पन्द्रह वस्क़ वसूल कर लेना। और अगर वह तुमसे कोई अलामत (निशानी) तलब करे तो अपना हाथ उसके गले पर रख देना।'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ . فَقَالَ " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ "

(3632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 4/154, 155, हदीस: 4259.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम वकील बनना बनाना जायज़ है और सही अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ज़ाती काम अपने वकील के ज़रिये से करवा लिया करते थे। जैसे कि बकरी ख़रीदने का वाक़िया है। (सही बुख़ारी: हदीस: 3642) इसके अलावा उम्माले हुकूमत (हुकूमत के कारिन्दे) सभी रसूलुल्लाह (ﷺ) के नायब और वकील ही हूआ करते थे। आजकल के अदालती निज़ाम में वकालत नागुज़ेर (जरूरी) है, इसके बग़ैर अपना हक़ वसूल करना नामुमकिन है, इस बिना पर साहिबे हक़ के लिये तो अपने हक़ की वसूली के लिये वकील बनाना और किसी शख़्स का उसके लिये वकील बनना जायज़ है। लेकिन किसी दूसरे का हक़ ग़सब करके अदालत से उस पर मुहरे तस्दीक़ साबित कराने के लिये किसी को वकील बनाया और उस ज़ालिम व ग़ासिब की वकालत के लिये किसी का वकील बनना क़तअन जायज़ नहीं है। ऐसी वकालत का सारा मुआवज़ा बिलकुल हराम और नाजायज़ है।

बाब : 31
क़ज़ा से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल

﴿31﴾ باب فِي الْقَضَاءِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ " .

(3633) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा किसी रास्ते के बारे में कोई तनाज़ा (विवाद) हो तो सात हाथ रास्ता छोड़ दो।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1356, इब्ने माजा: 2338, इब्ने जारूद: 1018 व मुस्लिम: 1613.

फ़ायदा : गलियों का तंग होना और रास्ते का तंग करना इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ है। गलियाँ मुनासिब तौर पर खुली होनी चाहिए। सात हाथ के मक़ासिद में से ये भी है कि एक ऊँट आ रहा हो और एक जा रहा हो तो दोनों बा'आसानी गुज़र जायें। लेकिन आजकल मज़ीद कुशादगी ज़रूरी है ताकि मौजूदा दौर की टराफ़िक आ जा सके।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ " . فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ .

(3634) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुमसे कोई भाई इजाज़त चाहे कि तुम्हारी दीवार में लकड़ी गाड़ ले, तो उसे मत रोको।' तो सामेइन ने अपनी गर्दनें झुका लीं। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहने लगे: क्या बात है कि तुम इससे ऐराज़ करने लगे हो। मैं उसे तुम्हारे कंधों पर टिकाऊंगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत इब्ने अबी ख़ल्फ़ की है और कामिल है।

(3634) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1353, इब्ने माजा, हदीस: 2335, बुख़ारी, हदीस: 2463, व मुस्लिम: 1609.

फ़ायदा : हमसायगी के लाज़मी हुक़ूक़ में से ये है कि एहसान का मामला करते हूए दरम्यानी दीवार पर शहतीर या कड़ियाँ रखने और खूंटी गाड़ने से हरगिज़ न रोका जाये। मगर बुनियादी शर्त ये होगी कि कोई किसी के लिये नुक़सान और जुल्म का बाइस न बने। ज़ालिम लोग इस रिआयत की बिना पर हक़्क़े मिल्कियत का दावा करने लगे हैं। नीचे की रिवायत मुलाहिज़ा हो।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ "

(3635) सहाबी ए रसूल हज़रत अबू सिरमा(ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने (अपने मुसलमान भाई को) नुक़सान पहुँचाया अल्लाह उसका नुक़सान करे। और जिसने किसी (मुसलमान) को मशक़्क़त (और परेशानी) से दो चार किया अल्लाह उसे मशक़्क़त (और परेशानी) में डाले।'

(3635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1940, इब्ने माजा, हदीस: 2342.

फ़ायदा : कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिये बिलख़ुसूस किसी तरह भी अज़ीयत, मशक़्क़त या नुक़सान का बाइस न बने वरना अल्लाह के नबी (ﷺ) की बद्दुआ का निशाना बनने का अन्देशा है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ

(3636) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है कि उसके एक अन्सारी के बाग़ में खजूरों के चंद दरख़्त थे और उस अन्सारी के साथ घर वाले भी रिहाइश पज़ीर थे। हज़रत समुरा(ﷺ) अपने दरख़्तों के लिये जाते तो उस (अन्सारी) को बड़ी अज़ीयत (तक़लीफ़) होती और उसे उसका इस तरह आना जाना बुरा लगता था। अन्सारी ने हज़रत समुरा (ﷺ) से चाहा कि ये दरख़्त उसको बेच दे, मगर हज़रत समुरा (ﷺ) ने इंकार किया। फिर मुतालबा किया कि उनके बदले में दूसरे दरख़्त ले ले। तो भी हज़रत

فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى . قَالَ " فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا " . أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ " أَنْتَ مُضَارٌّ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِيِّ " اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ " .

समुरा(ﷺ) ने इंकार किया। फिर वह नबी (ﷺ) के पास आया और ये वाक़िया बताया। नबी (ﷺ) ने भी उससे कहा कि उन्हें उसको फ़रोख़्त कर दे तो उसने इंकार किया। फिर आपने कहा कि उनके बदले में दूसरे दरख़्त ले ले तो भी उसने इंकार कर दिया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये उसको हिबा कर दे तुझे इतना इतना अज्र मिलेगा।' उसको बहुत तर्ग़ीब दी मगर उसने इंकार कर दिया। तब आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू नुक़सान देने वाला है।' और फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अन्सारी से फ़रमाया: 'जाओ और उसकी खजूरों को उखेड़ डालो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/157.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अगर कहीं इस क़िस्म की कोई सूरत हो तो क़ाज़ी को हक़ हासिल है कि इज़ाला–ए–ज़रर के लिये इन्तेहाई शदीद क़दम उठाये।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ . فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى

(3637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने पत्थरीली ज़मीन में से आने वाले पानी के एक नाले के सिलसिले में हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से झगड़ा किया जिससे ये अपने खेतों को सैराब करते थे। अन्सारी ने हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से कहा: पानी को छोड़े और आगे आने दें। हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) ने इंकार किया। (चाहा कि पहले वह ख़ूब सैराब कर लें) तो नबी (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से फ़रमाया: 'ज़ुबैर! पहले तुम पानी ले लो फिर अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ दिया करो।' उस पर

جَارِكَ " . فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ " . فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ } الآيَةَ.

अन्सारी नाराज़ हो गया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! चूंकि ये आपका फूफीज़ाद है (इसलिए आपने ये फ़ैसला किया है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: '(ज़ुबैर!) खेत को पानी दे। फिर उसे रोक ले यहाँ तक कि खेत की मुंडेर तक चढ़ जाये।' हज़रत ज़ुबैर (رضي الله عنه) ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं समझता हूं कि ये आयते करीमा इसी सिलसिले में नाज़िल हूई थी: (फ़ला व रब्बिका ला यूमिनून ...) 'क़सम तेरे रब की! ये लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने तमाम विवादों में आपको अपना क़ाज़ी और फ़ैसल न मान लें, फिर जो फ़ैसला आप कर दें उसके बारे में उनके दिलों में कोई तंगी भी न आये और ख़ूब खूशी से मान लें।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2359, 236, व मुस्लिम: 2357.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ सहाब–ए–किराम बावजूद सहाबी होने के इन्सानी ख़ताओं के मुर्तकिब हो जाते थे। और वह किसी तरह मासूम न थे। इन जुज़वी और इन्फ़ेरादी तक़सीरात (कमियों) के बावजूद रूए ज़मीन पर पाये जाने वाले तमाम तबक़ाते इन्सानी में उन सहाबा का शरफ़ो फ़ज़्ल ग़ैर मुतनाज़ा है (मुसल्लम) कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें अपने नबी (ﷺ) की सोहबत और अपने दीन की नुसरत तक़वीयत और इशाअत के लिये मुन्तख़ब फ़रमाया था। (رضي الله عنهم) **(2)** क़ुदरती नदी नालों और दरयाओं के पानी की तक़सीम का यही शरई हल है कि अव्वलन मुसालिहत से तमाम शुरका ऐतदाल से इस्तेफ़ादा करें। लेकिन अगर कोई बाद वाला हठधर्मी दिखाये तो फिर पहले वाले का हक़ फ़ायक़ है और जायज़ है कि वह अपने खेतों को ख़ूब सैराब करके बाद वाले के लिये पानी छोड़े। **(3)** सूरह निसा की ये आयते मुबारका: (फ़ला व रब्बिक...) मुसलमानों के शरई और मुआशरती तमाम उमूर को मुहीत और शामिल है। और वाजिब है कि क़ुर्आन व सुन्नत के फ़ैसलों को ब'रज़ा व रग़बत तस्लीम किया जाये वरना सिरे से ईमान ही ख़तरे में पड़ सकता है।

(3638) जनाब सालबा बिन अबी मालिक(ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने अपने बड़ों से सुना था, वह बयान करते थे कि बनू क़ुरैज़ा में एक क़ुरैशी का ज़मीन का एक क़तआ था। वादी ए महज़ूर में उन लोगों का पानी के सिलसिले में तनाज़ा हो गया जिसे वह आपस में तक़सीम किया करते थे। वह ये मुक़द्दमा रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले आये। तो आपने उनमें फ़ैसला फ़रमाया कि जब पानी टख़ने टख़ने हो जाये तो फिर ऊपर वाला उसे नीचे वाले की तरफ़ जाने से न रोके।

तख़रीज : **(सनद हसन)** बैहक़ी: 6/154, इब्ने माजा, हदीस: 2481.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ، يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلاً، مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَهْزُورٍ - يَعْنِي السَّيْلَ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ - فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لاَ يَحْبِسُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ .

(3639) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह (शुऐब) अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वादी–ए–महज़ूर में नाले के पानी के सिलसिले में फ़ैसला फ़रमाया था कि पानी रोक लिया जाये यहाँ तक कि टख़ने टख़ने तक आ जाये फिर ऊपर वाला नीचे वाले की जानिब छोड़ दे।

तख़रीज : **(सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस: 2482.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ .

(3640) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि दो आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में झगड़ा लाये। उनका एक खजूर के दरख़्त के इर्द गिर्द अहाते (ज़मीन की हुदूद जो उस दरख़्त के साथ लाज़िम और मुल्हक़ हो सकती है।) के बारे में तनाज़ा था।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، وَعَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ

اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ - فِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَفِي حَدِيثِ الآخَرِ - فَوُجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَاكَ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ .

तो आपने हुक्म दिया कि उस दरख़्त का तूल (लम्बाई) नापा जाये। उसे नापा गया तो वह सात हाथ हूआ। दूसरी हदीस़ में है कि वह पाँच हाथ हूआ। तो आपने उसका फ़ैसला फ़रमा दिया। रावी–ए–हदीस़ अब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मुहम्मद ने कहा: पस आपने उस दरख़्त की एक झाड़ी के बारे में हुक्म दिया, उसी से उसे नापा गया।

(3640) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने हज़म, हदीस़: 8/240.

फ़ायदा : किसी का कहीं दरख़्त हो तो उसके तूल (लम्बाई) बराबर उसके अतराफ़ में उसका ख़ास एहाता होगा जिसमें दूसरा दख़ल नहीं दे सकता।

كتاب العلم

इल्म और अहले इल्म की फ़ज़ीलत

- अल्लाह तआला के बेशुमार व अनगिनत नेमतों में से इल्म एक अज़ीमुश्शान नेमत है इल्म ही की बदौलत दीन व दुनिया की कामयाबी व कामरानी नसीब होती है। दुनिया की क़यादत और आख़िरत की सियादत इल्म ही पर मौक़ूफ़ है। दुनिया में जितने भी नामवर हूए हैं वह अपने इल्म व अमल ही की बदौलत अपने हम असरों पर फ़ौक़ीयत के हक़दार ठहरे। इल्म वह नूर है जिससे जहालत की गुमराहियाँ दूर होती हैं। इंसान हुक़ूकुल्लाह और हुक़ूकुल इबाद को पहचान कर अदायगी के क़ाबिल होता है। अगर इल्म की रोशनी न हो तो इंसान हर दो क़िस्म के हुक़ूकु ज़ाया करके दुनिया व आख़िरत की रूस्वाइयाँ समेट लेता है। इल्म की इसी फ़ज़ीलत की बदौलत परवरदिगारे आलम ने आलिम को जाहिल पर फ़ौकियत दी है इरशाद है: 'क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं बेशक अक़्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं।' (अज़्ज़ुमर: 9/39)

- इल्म की आला व अरफ़ा शान का पता इससे भी चलता है कि अल्लाह तआला ने अपने अम्बिया व रसूल पर इल्म का ख़ुसूसी फ़ज़ल करके उसे बतौर एहसान जतलाया है और इस नेमत के अता करने पर ख़ुसूसी तौर पर उसे ज़िक्र किया है। नबी आख़िरूज़ ज़मा (ﷺ) को ये नेमत अता की तो फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुझ पर किताब व हिकमत उतारी है और तुझे वह सिखाया है जिसे तू जानता नहीं था और अल्लाह तआला का तुझ पर बड़ा भारी फ़ज़ल है।' (अन निसा: 4/113)

- यूसुफ़ (अलैहि.) पर इस नेमत के फ़ैज़ान को इन अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया: 'और जब (यूसुफ़) पुख़्तगी की उमर को पहुँच गये तो हमने उसे क़ूव्वते फ़ैसला और इल्म दिया, हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं।' (यूसुफ़: 12/22)

- ईसा रूहुल्लाह को अपनी नेमत का ज़िक्र करते हूए फ़रमाया: 'ऐ ईसा इब्ने मरयम! मेरा इनाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हूआ, जब मैंने तुम को रूहल कुदुस से ताईद दी। तुम लोगों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उमर में भी, और जबकि मैंने तुम को किताब और हिकमत की बातें और तौरात और इंजील की तालीम दी।' (अलमायदा: 5/110)

- अहले इल्म ही वह ख़ूश नसीब हैं जो हुक़ूकुल्लाह को जानते हैं, लोगों को उनकी तालीम देते हैं और ख़ुद भी अमल पैरा होते हैं, लिहाज़ा वह जानते हैं कि मुश्किल कुशा, गंज बख़्श, दस्तगीर, हाजत रवा और दाता सिर्फ़ वही ज़ाते इलाही है, उनकी इस शहादत को मालिके जहाँ ने निहायत शरफ़ व मन्ज़िलत से नवाज़ा है, इरशाद है: 'अल्लाह तआला, फ़रिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वह इन्साफ़ के साथ हुकूमत कर रहा है। उसके सिवा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं है वह ज़बरदस्त हिकमत वाला है।' (आले इमरान: 3/18)

- इस तरह अल्लाह तआला ने अहले इल्म की गवाही को अपनी गवाही के साथ मिला कर हमेशा हमेशा के लिये अज़ीम व बरतर बना दिया। इल्म वह मुन्फ़रिद नेमत है जिसमें इज़ाफ़े के हुसूल के लिये ताजदारे मदीना को अपने रब से ख़ुसूसी दुआ करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद है: 'और (ऐ नबी) जब तक तुझ पर क़ुर्आन का उतरना पूरा न हो उसके पढ़ने में जल्दी न किया कर और दुआ कर मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा।' (ताहा: 20/114)

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ना सिर्फ़ ख़ुद इल्म में इज़ाफ़े के लिये इल्तज़ायें की हैं बल्कि अपनी उम्मत को भी इल्म के हुसूल के लिये तर्ग़ीब दिलाई है, लिहाज़ा आप का इरशादे गिरामी है: 'बेशक अल्लाह तआला लोगों को ख़ैर की तालीम देने वाले पर अपनी ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल करता है, उसके फ़रिश्ते, और ज़मीन व आसमान में बसने वाली तमाम मख़्लूक़ात यहाँ तक कि चींटी अपने बिल में और मछली (समन्दर में) उसके लिये दुआए ख़ैर करती है।' नीज़ फ़रमाया : 'आलिम की आबिद पर उसी तरह फ़ज़ीलत है जैसे मेरी फ़ज़ीलत तुममें से कम तर शख़्स पर है।' आलिमे रब्बानी के लिये इससे बढ़ कर और क्या फ़ज़ल व करम हो सकता है? क्या इल्म से बढ़कर भी किसी और चीज़ की क़द्रो मन्ज़िलत हो सकती है?

- इल्म की इसी फ़ज़ीलत की बदौलत अहले इल्म ने दिन रात उसके हुसूल के लिये मेहनते शाक़्क़ा की है। हज़ारों मील का सफ़र उसके हुसूल के लिये तै किया है। दुनिया की हर नेमत से बढ़ कर उसका इकराम किया है। तब ये इल्म अपनी तमामतर रोशनियों समेत हम तक मुन्तक़िल हूआ है। अल्लाह तआला हमें इल्म की क़द्र करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाये। आमीन!

बाब : 1
हुसूले इल्म की तर्ग़ीब का बयान

﴾1﴿
بَابُ الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ

(3641) जनाब कसीर बिन क़ैस (रह.) कहते हैं कि मैं दमिश्क़ की मस्जिद में हज़रत अबू अद्दरदा(ﷺ) के पास बैठा हूआ था कि उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा: ऐ अबू अद्दरदा! मैं एक हदीस़ की ख़ातिर मदीनतुर्रसूल से आपकी ख़िदमत में आया हूं। मुझे मालूम हूआ है कि आप उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं। मुझे यहां इसके सिवा और कोई काम नहीं है। तो उन्होंने कहा: बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है फ़रमाते थे: 'जो शख़्स किसी रास्ते में हुसूले इल्म की ख़ातिर चला हो, तो अल्लाह तआला उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर चलायेगा। और बिलाशुब्हा फ़रिशते तालिबे इल्म की रज़ामंदी के लिये अपने पर बिछाते हैं, और स़ाहिबे इल्म के लिये आसमानों में बसने वाले, ज़मीन में रहने वाले और पानी के अंदर मछलियाँ भी मग़फ़िरत तलब करती हैं। और बिलाशुब्हा आ़लिम की आ़बिद पर फ़ज़ीलत ऐसे ही है जैसे कि चौदहवीं के चाँद की सब सितारों पर होती है, बिलाशुब्हा उलमा, अम्बिया के वारिस़ हैं और अम्बिया ने कोई दिरहम व दीनार विरासत में नहीं छोड़े

دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ " .

हैं। उन्होंने इल्म की विरासत छोड़ी है। जिसने उसे हासिल कर लिया उसने बड़ा नसीबा (भारी हिस्सा) पाया।'

(3641) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 223, तिर्मिज़ी, 2682, व मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत को कुछ हज़रात ने शवाहिद की बिना पर हसन क़रार दिया है। **(2)** लफ़्ज़ 'इल्म' का इतलाक़ दरहक़ीक़त किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनके मुताल्लिक़ात पर होता है। इनके अलावा जो दीगर उलूम हैं वह दरअसल फ़न और कसब के हुनर हैं। कहने वाले ने क्या ख़ूब कहा है: 'इल्म ये है कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा और सहाबा ने कहा। यही इल्म व इरफ़ान वाले हैं।' **(3)** इस हदीस में इख़्लास के साथ हुसूले इल्म और साहिबे इल्म की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत का बयान है। **(4)** अम्बिया की अज़मत इस ताल्लुक़ की बिना पर है जो उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हासिल है। और फिर उलमा की शान विरासते अम्बिया की वजह से है। इसलिए वाजिब है कि उलमा इस निस्बत की ख़ूब हिफ़ाज़त करें। और अपने आपको किसी भी दुनियादार से हेच न जानें। **(5)** अल्लाह और नबी (ﷺ) के साथ मोहब्बत का लाज़मी तक़ाज़ा है कि उलमा ए हक़ और तलबाए दीन के साथ मोहब्बत रखी जाये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ لَقِيتُ شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمَعْنَاهُ.

(3642) उस्मान बिन अबी सौदा ने हज़रत अबू अद्दरदा (رضي الله عنه) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

(3642) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلاَّ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .

(3643) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई इल्म हासिल करने के लिये किसी राह पर चलता है तो अल्लाह तआला उसकी वजह से उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान फ़रमा देता है। और जिसे उसके इल्म ने पीछे रखा उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकता।'

(3643) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 351, व मुस्लिम: 2699.

फ़ायदा : इल्म महज़ पढ़ लेने और जान लेने का नाम नहीं है। बल्कि ज़रूरी है कि उसके मुताबिक़ अमल भी हो, वरना ख़ानदानी निस्बतों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा।

﴾2﴿ باب رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

बाब : 2 अहले किताब से रिवायत करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُ أَعْلَمُ " . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ " .

(3644) जनाब इब्ने अबी नमला अपने वालिद (अबू नमला अ़म्मार बिन मुआ़ज़) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां बैठे हूए थे और एक यहूदी भी आपके पास बैठा हूआ था कि एक जनाज़ा गुज़रा। उसने पूछा: ऐ मुहम्मद! (ﷺ) क्या ये (मय्यत) बोलती है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ही बेहतर जानता है।' यहूदी ने कहा: ये बोलती है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अहले किताब जो तुम्हें बयान करें तुम उसकी तस्दीक़ करो न तकज़ीब। बल्कि यूँ कहो। हम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाये। अगर उनकी बात ग़लत हूई तो तुमने (गोया) उसकी तस्दीक़ नहीं की और अगर सच हूई तो उसे झूठलाया नहीं होगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/136, इब्ने हिब्बान:110, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 10160, 19214, जामेअ़ लिमअ़मर, हदीस़: 20059.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम मसला ऐसे ही है कि जो बातें क़ुर्आन व सुन्नत की रू से बसराहत सच हैं उनकी तस्दीक़ की जाये और जो ग़लत हैं उनकी तकज़ीब की जाये और बाक़ी के बारे में ऊपर जवाब दिया गया।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ " إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي " . فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ .

(3645) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने यहूदीयों की तहरीर सीख ली। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! यहूदीयों से जो मैं लिखवाता हूं उस पर मुझे ऐतमाद नहीं है।' चुनांचे मैंने (उनकी ज़बान लिखना पढ़ना) सीख ली,और दो हफ़्ते न गुज़रे कि मैं उसमें ख़ूब माहिर हो गया। फिर आप (ﷺ) को जब कुछ लिखना होता तो मैं ही लिखा करता। और जब कोई ख़त वग़ैरह आता तो आपको पढ़ कर सुनाता था।

(3645) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2715, तालीक़े, बुख़ारी, हदीस: 7195.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ैर मुसलमानों की किसी ज़बान और तहरीर का इल्म हासिल करना दीनी और दुनियावी ग़र्ज़ से नाजायज़ नहीं है, मगर उसे अपनी तहज़ीब व सक़ाफ़त का हिस्सा बना लेना नाजायज़ है। और जब ये इल्म दीनी अग़राज़ से हो तो उसमें अज्र भी है। **(2)** और ये ज़बानें मुसलमानों के उन अफ़राद को सिखायी जायें जिनको उनकी ज़रूरत हो। वरना उसे आम निसाबे तालीम बना देना और लाज़मी क़रार दे देना, दीनी व दुनियावी लिहाज़ से ज़ुल्मे अज़ीम है।

﴿3﴾ باب فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ

बाब : 3
इल्मी बातें ज़ब्ते तहरीर में लाने का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،

(3646) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस (ﷺ) से मनक़ूल है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मैं जो कुछ सुनता वह सब लिख लिया करता था ताकि उसे हिफ़्ज़ कर लूं। तो (कुछ) क़ुरैशीयों ने मुझे मना

قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ " اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ " .

किया। उन्होंने कहा: तू हर बात, जो सुनता है, लिख लेता है, हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक इंसान हैं गुस्से और ख़ुशी (दोनों हालतों) में गुफ़्तगू करते हैं, तो मैंने लिखना छोड़ दिया और ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ की। तो आप (ﷺ) ने अपने ज़ुबाने मुबारक की तरफ़ ऊंगली से इशारा करते हूए फ़रमाया: 'लिखा करो, क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! इससे सिवाए हक़ के और कुछ निकलता ही नहीं है।'

(3646) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/162.

फ़ायदा : रसूल हर हाल में रसूल और हुज्जत होते हैं और उनकी पूरी ज़िन्दगी हर हाल में उम्मत के लिये क़ाबिले इत्तेबा–ए–नमूना होती है और फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) तो सय्यदुल मुर्सल हैं।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ .

(3647) मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन हन्तब से मनक़ूल है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) हज़रत मुआविया (رضی اللہ عنہ) के यहां आये तो उन्होंने उनसे एक हदीस के बारे में पूछा। तो मुआविया (رضی اللہ عنہ) ने एक शख़्स से कहा कि उसे लिख लो, तो हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضی اللہ عنہ) ने उनसे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया था कि हम उनकी कोई हदीस ज़ब्ते तहरीर में न लायें। चुनांचे उन्होंने उसे मिटा दिया।

(3647) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/182, जामेअ अत्तहसील, स: 281.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम एक सही हदीस भी है जिसमें नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मुझसे क़ुर्आन के अलावा कुछ न लिखो। और क़ुर्आन के अलावा कुछ मुझसे लिखा है, तो उसे मिटा

दो। और मुझ से हदीस़ बयान करो, उसमें कोई हर्ज नहीं ...' (स़ही मुस्लिम: 3004) इस हदीस़ में हदीसे रसूल लिखने से मना किया गया है जबकि दूसरी रिवायात से स़हाबा ए किराम के अहादीस़ लिखने का इस्बात होता है और ख़ूद नबी (ﷺ) की तरफ़ से हदीस़ के लिखने का हुक्म मिलता है। उ़लमा ने इनके दरम्यान ये हल निकाला है कि जिन स़हाबा की क़ूव्वते ज़ब्त व हाफ़्ज़ा ज़्यादा थी (और अ़रबों में ये ख़ूबी आ़म थी) उनको आपने हदीस़ लिखने से मना फ़रमाया, ताकि वह किताबत ही पर सारा भरोसा न करें और हिफ़्ज़ व ज़ब्त से बेन्याज़ न हो जायें और लिखने का हुक्म और उसकी इजाज़त उन लोगों को दी जिनकी क़ूव्वते हाफ़्ज़ा कमज़ोर थी। दूसरी तौजीह इसकी ये की गयी है कि इब्तेदा में हदीस़ लिखने से रोक दिया गया था ताकि क़ुर्आन के साथ उसका इख़्तिलात न हो और जब स़हाबा क़ुर्आन के उस्लूब से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो गये और इख़्तिलात (मिलने) का ख़तरा न रहा, तो अहादीस़ लिखने की भी इजाज़त दे दी गयी। तीसरी तत्बीक़ (सॉल्युशन) ये है कि नबी का मतलब ये था कि एक ही स़हीफ़े में क़ुर्आन के साथ हदीस़ न लिखो ताकि पढ़ने वाला इश्तेबा में न पड़े। (शरह नववी) बहर हाल मुमानिअ़त की हदीस़ से ये इस्तेदलाल करना कि हदीस़ की हिफ़ाज़त का एहतिमाम नहीं किया गया, बल्कि उससे रोक दिया गया, बिलकुल ग़लत है। अगर इसका ये मक़सद होता तो फिर आप इसी हदीस़ में हदीस़ बयान करने की इजाज़त क्यों देते? जो हिफ़्ज़ व ज़ब्त के बग़ैर मुमकिन ही नहीं, इसी तरह हदीसे रसूल को अच्छी तरह याद कर के उसे आगे बयान करने वाले के लिये नबी (ﷺ) दुआए ख़ैर क्यों फ़रमाते? बहरहाल ये अम्रे मुसल्लमा है कि आप (ﷺ) की हयाते मुबारका में अहादीस़ ज़ब्ते तहरीर में लाई गयी थीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهُّدِ وَالْقُرْآنِ .

(3648) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ؓ) ने बयान किया कि हम तशहहुद और क़ुर्आन के अ़लावा कुछ न लिखा करते थे।

(3648) तख़रीज : (सनद स़ही)

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ

(3649) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) ने बयान किया कि जब मक्का फ़तह हूआ तो नबी (ﷺ) खड़े हूए। और आपके ख़ुत्बे का ज़िक्र किया। तो अहले यमन का एक आदमी खड़ा हूआ, उसका नाम अबू शाह था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मुझे लिख

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي . فَقَالَ " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ

दीजिए। तो आपने फ़रमाया: 'अबू शाह को लिख दो।'

(3649) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2434, व मुस्लिम: 1355.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَمْرٍو مَا يَكْتُبُوهُ قَالَ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ .

(3650) वलीद (बिन मज़्यद) ने कहा कि मैंने अबू अम्र (औज़ाई (रह.) से पूछा कि उसने क्या चीज़ लिखवाई थी? उन्होंने कहा कि वही ख़ुत्बा जो उसने उस रोज़ आप (ﷺ) से सुना था।

(3650) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : ये और इस क़िस्म की दीगर सही अहादीस़ दलील हैं कि नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी में क़ुर्आन करीम के अलावा फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) भी लिखे गये थे।

﴿4﴾ بابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

बाब : 4
रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधना बहुत बड़ा गुनाह है

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بِشْرٍ - عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

(3651) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर (बिन अव्वाम) (ﷺ) से अर्ज़ किया कि आपको क्या चीज़ रूकावट है कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस तरह अहादीस़ बयान नहीं करते जैसे कि आपके दीगर साथी बयान करते हैं? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम!

صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

मुझे आपके यहां बहुत ही क़द्रो मन्ज़िलत हासिल थी। लेकिन मैंने आपको फ़रमाते हूए सुना है: 'जिसने मुझ पर जान बूझ कर झूठ बोला उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।'

(3651) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 107.

फ़ायदा : कई सहाब–ए–किराम इसी अन्देशे के तहत बहुत कम अहादीस बयान करते थे कि कहीं कोई कमी बेशी न हो जाये और रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधने के मुर्तकिब बन जायें। इसके साथ साथ जिन्होंने अपने हिफ़्ज़ और याददाश्त पर ऐतमाद किया उन्होंने नक़ले शरीयत का बहुत बड़ा फ़रीज़ा सरअंजाम दिया। (ﷺ) अगर कहीं कोई ख़ता हूई भी है तो उसका इज़ाला हो गया है और उनसे ये ख़ता माफ़ है कि जानबुझ कर नहीं हूई। इसमें क़िस्सा गो क़िस्म के मुकर्रिरों के लिये तम्बीह है कि जो दास्तान को ख़ूबसूरत बनाने के लिये ज़ईफ़ व मोज़ूअ रिवायात बयान करने से गुरेज़ नहीं करते।

﴾5﴿ باب الْكَلاَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

बाब : 5
इल्म व मारफ़त के बग़ैर किताबुल्लाह की तफ़्सीर करना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ، - أَخُو حَزْمٍ الْقُطَعِيِّ - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ " .

(3652) हज़रत जुन्दुब (बिन अब्दुल्लाह बजली)(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपनी राय से किताबुल्लाह में कुछ कहा, ख़्वाह दुरूस्त ही कहा हो, तो भी उसने ख़ता की।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2952.

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम मसला यही है कि इल्म व मारफ़त के बग़ैर किताबुल्लाह की तफ़्सीर करना बहुत बड़ी और बुरी जसारत है। और ऐसे ही फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तौज़ीह के लिये भी शरई उलूम में रूसूख़ लाज़मी है।

बाब : 6
बात दोहरा कर बयान करना

﴿6﴾ بَابُ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، هَاشِمِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ رَجُلٍ، خَدَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(3653) जनाब अबू सल्लाम (ममतूरूल हब्शी) से मनक़ूल है, उसने नबी (ﷺ) के एक ख़ादिम से नक़ल किया कि नबी (ﷺ) जब कोई बात करते तो अपनी बात को तीन बार दोहराते। (शरई मसला अपने सुनने वाले को ख़ूब समझाते।)

तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 1/518.

फ़ायदा : जरूरत और मसलिहत के हिसाब से, ख़तीब और वाइज़ को चाहिए कि अपनी बात सामेइन के ख़ूब ज़हन नशीन कराये और बात दोहराने को ऐब न जाने।

बाब : 7
जल्दी जल्दी बातें करना

﴿7﴾ بَابٌ فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَهِيَ تُصَلِّي فَجَعَلَ يَقُولُ اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ . فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ أَلاَ تَعْجَبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُحَدِّثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ

(3654) हज़रत उर्वा (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के हुजरे के पहलू में बैठे जबकि वह नमाज़ पढ़ रही थीं। अबू हुरैरह (رضي الله عنه) कहने लगे: ऐ हुजरे वाली! सुने। दो बार कहा। जब इन्होंने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो कहा: क्या तुम्हें इस शख़्स पर और इसकी बातों पर ताज्जुब नहीं आता, तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) बात करते तो अगर कोई (आपके अल्फ़ाज़) शुमार करना चाहता तो शुमार कर सकता था।

يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ.

(3654) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3567, व मुस्लिम: 2493.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَلاَ يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْمِعُنِي ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ .

(3655) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने कहा: क्या तुम्हें अबू हुरैरह पर ताज्जुब नहीं आता कि वह आये और मेरे हुजरे के पास बैठ कर मुझे सुनाने को, रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीसें बयान करने लगे, जबकि मैं नवाफ़िल पढ़ रही थी, और फिर मेरे नमाज़ मुकम्मल करने से पहले ही उठ कर चल दिये। अगर उन्हें पाती तो मैं उन्हें बताती कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारी तरह तेज़ तेज़ बातें नहीं किया करते थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3568, व मुस्लिम: 2493.

फ़ायदा : तेज़ तेज़ बोलना आम तौर पर भी किसी तरह मम्दूह (अच्छा) नहीं है बिलख़ुसूस दाई, ख़तीब और मुदर्रिस की गुफ़तगू में ठहराव का होना बहुत ही उम्दा सिफ़त है।

﴿8﴾ باب التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا

बाब : 8
फ़तवा देने में एहतियात करना

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْغَلُوطَاتِ .

(3656) हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मुग़ालतों से मना फ़रमाया है।

(3656) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/435.

फ़ायदा : ये किसी तरह दुरूस्त नहीं कि रम्ज़ (इशारे) और पहेली के अन्दाज़ में मसला पूछा जाये या कोई मुफ़्ती मुब्हम और मख़फ़ी अन्दाज़ से जवाब दे।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَفْتَى "ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ - رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ " زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ " وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ " . وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ .

(3657) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे किसी मुफ़्ती ने इल्म के बग़ैर फ़तवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फ़तवा देने वाले पर होगा।' सुलैमान महरी की रिवायत में मज़ीद है: 'जिसने अपने भाई को कोई ऐसा मशवरा दिया जबकि उसे इल्म था कि भलाई उसके ख़िलाफ़ में है तो उसने उसकी ख़यानत की।' ये लफ़्ज़ सुलैमान के हैं।

(3657) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 53, व हाकिम 1/126.

फ़ायदा : जब आम मामलात में भलाई के ख़िलाफ़ मशवरा देना ख़यानत है तो दीनी और शरई मसाइल में ग़लत फ़तवा देना या राजेह की बजाये मरजूह बात बताना तो बहुत बड़ी ख़यानत है।

﴿9﴾ بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

बाब : 9 इल्म की बात छुपाना नाजायज़ है

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(3658) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिससे इल्म की बात पूछी गयी और उसने उसे छुपा लिया (और बताया नहीं) तो अल्लाह तआला क़यामत के रोज़ उसे आग की लगाम देगा।'

عليه وسلم " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(3658) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2649, इब्ने हिब्बान, हदीस: 95.

फ़ायदा : इस का ताल्लुक़, बक़ौल फ़ुज़ैल बिन अयाज़ (रह.) फ़राइज़ से है जिनका सीखना आम मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो आलिम को उनका बताना फ़र्ज़ है। इसके अलावा जो वाजिब नहीं उनका बताना भी वाजिब नहीं। वल्लाहू आलम!

﴿10﴾ باب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

बाब : 10 इशाअते इल्म की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ " .

(3659) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम (मुझसे) सुनते हो और तुमसे सुना जायेगा और फिर जो तुमसे सुनेगा उससे सुना जायेगा।'

(3659) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/321, इब्ने हिब्बान, हदीस: 77, हाकिम: 1/95.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " .

(3660) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह तआला उस शख़्स को ख़ूश व ख़ुर्रम और शादाब रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी फिर उसे हिफ़्ज़ किया और याद रखा ताकि उसे पहुँचाये, बहुत से इल्म व फ़िक़ा के हामिल अपने से बढ़ कर ज़्यादा दाना और फ़क़ीह लोगों को पहुँचाते हैं, और बहुत से इल्म व फ़िक़ा के हामिल ऐसे होते हैं जो दरहक़ीक़त दाना और फ़क़ीह नहीं होते।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2656, इब्ने माजा, हदीस: 4105, इब्ने हिब्बान, हदीस: 72, 73.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साहिबे हदीस को लाज़िम है कि नक़ले अल्फ़ाज़ में हिफ़्ज़ व अमानत को पेशे नज़र रखे, अलबत्ता फ़हम व इस्तेम्बात एक वहबी मल्का है जो अल्लाह तआला मुख़्तलिफ़ तबक़ात में अस्हाबे इल्म को इनायत फ़रमाता रहता है ऐन मुमकिन है कि बराहे रास्त सुनने वाला वह कुछ न समझ सके जो उसके शागिर्द की समझ में आ जाये। (2) ये भी मालूम हुआ कि इल्मे शरीयत का मुराद बराहे रास्त उस्तादों से पढ़ने और सुनने में है, जो शख़्स महज़ किताबें पढ़ कर कोई चीज़ समझता है वह इतना मोतबर (भरोसे के लायक) नहीं जितना कि उस्तादों से पढ़ने और सुनने वाला हो सकता है। महज़ किताबों से पढ़ने वाले को मोहद्दिसीन की इस्तेलाह में 'सहफ़ी' कहा जाता है। (3) हदीस में वारिद फ़िक़ा के अल्फ़ाज़ मारूफ़ इस्तेलाही कलिमात नहीं हैं जो कि बहुत बाद में ईजाद हूए हैं। इससे मुराद फ़हम व इस्तिम्बाते मसाइल का वहबी मल्का है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " .

(3661) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम अल्लाह की! अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तेरी रहनुमाई से किसी एक शख़्स को भी राहे हक़ दिखा दे तो ये तेरे लिये सुर्ख़ ऊँट से अफ़ज़ल है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3701, व मुस्लिम: 2406.

फ़ायदा : इस हदीस में दाई, मुबल्लिग़, उस्ताद और मुरब्बी हज़रात की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है और ये दायरा अपनी औलाद, अज़ीज़ो अक़ारिब हल्क़ा-ए-अहबाब और अजनबी तलबा व सामेईन सब को मुहीत (शामिल) है। इसलिए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा क़ौल व अमल हर तरह से हर हाल में अदा करते रहना चाहिए।

(11) باب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

बाब : 11
बनी इस्राईल से रिवायत करना

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(3662) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बनी इस्राईल (अहले किताब) से रिवायत कर सकते हो इसमें कोई हर्ज नहीं।'

صلى الله عليه وسلم " حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ " .

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 2/474, मुस्नद हुमैदी: 1174, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 9/62.

फ़ायदा : यानी ऐसे मसाइल जिनका (क़ुर्आन व हदीस़ से) सिद्क़ (सच्चा होना) साबित हो तो उसे बिलजज़्म बयान किया जाये या कोई तारीख़ी नोइयत की बात हो कि उसमें सिद्क़ (सच्चा होना) व किज़्ब का ऐहतिमाल हो तो उसे बयान किया जा सकता है लेकिन ऐतमाद से तस़दीक़ नहीं की जा सकती। और जिन मामलात का किज़्ब क़ुर्आन व हदीस़ से साबित हो उनको झुठलाया जाये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلاَّ إِلَى عُظْمِ صَلاَةٍ .

(3663) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) (बाज़ औक़ात) हमें बनी इस्राईल की बातें बयान करते रहते यहाँ तक कि सुबह हो जाती और फिर नमाज़ के ख़याल ही से उठते।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 1/437, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1342, मुसनद अहमद, 4/444.

(12) باب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : 12 ग़ैरूल्लाह के लिये इल्म हासिल करने की मज़म्मत

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . يَعْنِي رِيحَهَا.

(3664) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अल्लाह की रज़ामंदी वाला इल्म इस ग़र्ज़ से हासिल किया कि दुनिया हासिल करे, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन जन्नत की ख़ूशबू नहीं पा सकेगा।'

(3664) तख़रीज : **(सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस़: 252, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 8/543, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 89, हाकिम: 1/89.

फ़ायदा : इल्मे दीन व शरीयत को महज़ दुनियावी माल व मन्सब हासिल करने की ग़र्ज़ से सीखना बहुत बड़ी शक़ावत है। लाज़िम है कि अल्लाह की रज़ा और क़ुर्ब हासिल करने की नियत रखी जाये। अल्लाह अज्ज़ व जल्ल दुनिया की ज़रूरीयात अज़ ख़ूद पूरी फ़रमा देगा। जैसे कि अहले इल्म सहाबा और दीगर सल्फ़ सालेहीन की सीरतों से साबित है।

बाब : 13
वाज़ कहने का बयान

«13» باب فِي الْقَصَصِ

(3665) हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'वाज़ वही कहेगा जो अमीर हो या उसकी तरफ़ से मुक़र्रर किया गया हो या कोई अपनी बड़ाई या शैख़ी का इज़हार करने वाला होगा।'

(3665) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/233, मज्मउज़्ज़वाइद: 1/190.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ "

फ़ायदा : अमीर पर वाजिब है कि अपनी रईयत में अम्र बिलमारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने) की ख़ूब इशाअत करे और ऐसे बासलाहियत अफ़राद मुक़र्रर करे जो कमा हक़्क़हू ये फ़रीज़ा सरअन्जाम दे सकें। इनके अलावा ऐसे लोग, जिनमें इल्म व फ़िक़ा की सलाहियत न हो, उनका अज़ ख़ूद ये मन्सब संभाल लेना बिलज़्मूम फ़साद का बाइस हो सकता है। और दर हक़ीक़त ये मसला हुकूमते इस्लामिया से मुताल्लिक़ है।

(3666) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि मैं ग़रीब मुहाजिरीन की मज्लिस में जा बैठा। वह लोग लिबास में तंगी की बिना पर नंगा हो जाने के डर से एक दूसरे की ओट में बैठे हुए थे और एक क़ारी हम पर पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और बर सरे मज्लिस खड़े हो गये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हूए तो

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ

क़ारी ख़ामोश हो गया, तो आपने सलाम किया और पूछा: 'तुम क्या कर रहे थे?' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क़ारी पढ़ रहा था और हम अल्लाह तआला की किताब सुन रहे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम्द है उस अल्लाह की जिसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किये जिनके बारे में मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने आपको उनके साथ रोके रखूं।' चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान में बैठ गये ताकि अपने आपको हमारे बराबर साबित करें। फिर आपने अपने हाथ से इशारा किया तो उन्होंने हल्क़ा बना लिया और उन सबके चेहरे आपके सामने आ गये। अबू सईद (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे सिवा किसी को पहचाना हो। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ मुहाजिरीन के फ़क़ीर लोगो! तुम्हें क़यामत के रोज़ कामिल नूर की बशारत हो। तुम लोग अग़निया से आधा दिन पहले जन्नत में दाख़िल हो जाओगे और उसकी गिनती पाँच सौ साल है।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ " . قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ - قَالَ - فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَاكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ " .

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/63, इब्ने हिब्बान: 2566, व मुस्लिम: 2979.

(3667) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो लोग नमाज़े फ़ज्र से सूरज निकलने तक अल्लाह का ज़िक्र करें मुझे उनके साथ बैठे रहना ज़्यादा पसन्द है उससे कि औलादे इस्माईल से चार ग़ुलाम आज़ाद

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلاَمِ، - يَعْنِي ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُو ظَفَرٍ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم " لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً".

करूं। और मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा रहूं जो नमाज़े अस्र से सूरज ग़रूब होने तक अल्लाह का ज़िक्र करें ज़्यादा पसन्दीदा है उससे कि चार गुलाम आज़ाद करूं।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस़: 561, अलमुसनद अलजामेअ़: 7/439, हदीस़: 5305.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ मिलना बहुत बड़ी नेकी और नेमत है और क़ुर्आन व सुन्नत का वाज़ कहना सुनना भी अल्लाह के ज़िक्र के मानी में है। नीज़ फ़ज्रे स़ादिक़ से सूरज निकलने तक और इसी तरह अ़स्र से ग़ुरूब तक का वक़्त तक़र्रूबे इलाही का बेहतरीन क़ीमती वक़्त होता है। फ़रमाया: (व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूश्शम्सि क़ब्लल ग़ुरूब) (क़ाफ़: 39) ताहम बाज़ हज़रात ने इसकी तहसीन भी की है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ عَلَىَّ سُورَةَ النِّسَاءِ " . قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ " إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي " . قَالَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ } الآيَةَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلاَنِ.

(3668) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'मुझ पर सूरह निसा की क़िराअत करो।' मैंने अ़र्ज़ किया: मैं आप पर पढ़ूं? हालांकि (क़ुर्आन) आप पर नाज़िल हूआ है। आपने फ़रमाया: 'मैं दूसरे से सुनना चाहता हूं। चुनांचे मैंने क़िराअत की यहाँ तक कि जब मैं आयते करीमा: (फ़कैफ़ा इज़ा जिअ़ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद ...) पर पहुँचा तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि आपकी आँखें आँसूओं से बह रही थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5049, व मुस्लिम: 800.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद सुनना सुनाना सबसे उ़म्दा वाज़ है बशर्ते कि इंसान उसके फ़हम से आशना हो। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) का रोना ग़ालिबन इस बिना पर था कि आप उम्मत पर गवाह होंगे जबकि लोग नामालूम कैसे अ़मल करके आयेंगे। आयते करीमा का तर्जुमा ये है: 'फिर उनका क्या हाल होगा जिस वक़्त हम हर उम्मत में से गवाह लायेंगे और आपको इस उम्मत पर गवाह बनायेंगे।'

كتاب الأشربة

खाने पीने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

✧ **अल अतइमा की लुग़वी तारीफ़ :** 'अतइमा' तआम की जमा है, क़ामूस में इसके मानी किये गये हैं: 'अलबुर्रू वमा यूकलु': गन्दूम और जो चीज़ खायी जाती है उसे 'तआम' कहा जाता है। कुछ उलमा–ए–लुग़त के नज़दीक 'तआम' से मुराद सिर्फ़ खाना ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात पीने वाली चीज़ पर भी 'तआम' का इतलाक़ होता है, जैसे इरशादे बारी तआला है: 'बेशक अल्लाह तआला तुम्हें एक नहर से आज़माने वाला है जिसने उससे पानी पी लिया वह मुझसे नहीं और जिसने उसका पानी न चखा, तो यक़ीनन वह मेरा है।' (अलबक़र: 249)

इस तरह इरशादे नबवी (ﷺ) है:'ज़मज़म खाने वाले का खाना है और बीमार के लिये शिफ़ा है।' (मज्मउज़्ज़वाइद: 3/286 वल मोजम अलकबीर अत्तबरानी: 11/98)

✧ **अशरिबा की लुग़वी तारीफ़ :** 'अशरिबा' शराब की जमा है, यानी हर पीने वाली चीज़ जिसे पिया जाये वह शराब कहलाती है, हमारे यहां उसे मशरूब कहा जाता है।

✧ **खाने पीने की मशरूइयत :** अल्लाह तआला ने इंसानों के लिये बेशुमार नेमतें बतौर ख़ूराक पैदा की हैं। फिर मज़ीद रहमत फ़रमाते हूए हर उस खाने, पीने की चीज़ को हराम क़रार दे दिया जो इंसानी सेहत और अक़्ल के लिये नुक़सानदेह थी और हर वह चीज़ जो मुफ़ीद थी उसे हलाल रखा, ख़्वाह वह दाने हों, फल हों या जानवरों की शक्ल में हों, लिहाज़ा इरशादे रब्बानी है: 'अल्लाह तआला के रिज़्क़ से खाओ और पियो।' (अलबक़र: 249)

खाने और पीने का बुनियादी मक़सद इंसानी बक़ा है ताकि इंसान अपने रब की इताअत और फ़रमाबरदारी के लिये हर दम तैयार हो। उसकी सेहत उसका भरपूर साथ दे ताकि वह इताअत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके, इसलिए सिर्फ़ हलाल और मुफ़ीद चीज़ें खाने की पाबंदी आयद कर दी। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ लोगो! तुम उन चीज़ों में से खाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा हैं।' (अलबक़र: 168)

रहमते दो आलम (ﷺ) ने उम्मत की रहनुमाई करते हूए फ़रमाया: 'खाओ पियो और सदक़ा ख़ैरात करो, बग़ैर इसराफ़ व तकब्बुर व गुरूर किये लिबास पहनो, क्योंकि अल्लाह तआला अपने बंदे पर

अपनी नेमतों का असर देखना पसन्द करता है।' (मुसनद अहमद: 2/181, 182, 182 नीज़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसे किताबुल लिबास के शूरू में मुअल्लक़न बयान किया है।)

✧ **खाने और पीने के चंद नबवी आदाब :**

- खाने और पीने का बुनियादी क़ानून ये है कि वह चीज़ हलाल और पाकीज़ा हो, इरशादे नबवी है: 'हर नशावर चीज़ शराब है और हर शराब हराम है।' (सही मुस्लिम)
- जिन चीज़ों को शरीअत ने हराम क़रार दे दिया है उनसे मुकम्मल इज्तेनाब करना ज़रूरी है। जैसे मुर्दा जानवर का गोश्त खना, ख़िन्ज़ीर, ज़बह के वक़्त बहने वाला ख़ून, क़ब्रों और बूतों की नज़र किया जाने वाला खाना और जानवर, हर कुचली और पन्जे से शिकार करने वाला जानवर वग़ैरह।
- खाने और पीने का मक़सद अल्लाह तआला की इबादत के लिये तक़वियत का हुसूल और भूख मिटाना हो तो ये बाइसे अज्र बन जाता है।
- खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाह और फ़ारिग़ होकर अल्हम्दुलिल्लाह या दीगर मसनून दुआएँ पढ़ना मुस्तहब है।
- खाना खाने से पहले हाथ धोना और बैठ कर खाना अफ़ज़ल व बेहतर है।
- खाने में ऐब निकालना और बातें बनाना ग़लत है, हाँ अगर तबीअत न माने तो न खाये।
- खाना दायें हाथ से और अपने सामने से खाना चाहिए, क्योंकि शैतान बायें हाथ से खाता पीता है।
- अगर खाने के दौरान में लुक़्मा गिर जाये तो उसे साफ़ करके खा लेना चाहिए।
- खाने की दावत क़बूल करनी चाहिए।
- अगर चंद अफ़राद मिलकर खाना खा रहे हों तो उनका ख़्याल रखना चाहिए।
- खाने को ठण्डा करने के लिये फूंकें मारना दुरूस्त नहीं।
- टेक लगाकर या लेट कर खाना दुरूस्त नहीं।
- मुलाज़िमों और ख़ादिमों को साथ बिठाकर खाना खाना अफ़ज़ल है, वरना उन्हें खाने में से कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए।
- खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाट लेना सुन्नत है, अलबत्ता धोना भी दुरूस्त है।
- दावत करने वाले के हक़ में दुआ करनी चाहिए।
- जिन जानवरों का गोश्त खाया नहीं जाता उनका दूध पीना भी हराम है।
- तम्बाकू, सिगरेट, अफ़्यून, चरस और हेरोईन वग़ैरह सख़्त हराम हैं। ऐसा जूस जिसमें जोश और नशा पैदा हो चुका हो उसे पीना हराम है।
- बवक़्ते ज़रूरत खड़े होकर पीना दुरूस्त है।

- पानी वग़ैरह को तीन साँसों में पीना सुन्नत है, हर बार मुँह बर्तन से हटा कर साँस लेना चाहिए।
- अगर बर्तन में कोई चीज़ नज़र आये तो उसे हाथ से या मशरूब बहा कर निकालना चाहिए, फूंक मारना ठीक नहीं।
- खाना या मशरूब पेश करते वक़्त दायें जानिब से शूरू करना चाहिए।
- मशरूब पेश करने वाला सबके आख़िर में ख़ूद नोश करे।

﴾1﴿ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

बाब : 1 शराब की हुरमत का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .

(3669) हज़रत उमर (ﷺ) से मरवी है कि जब शराब की हुरमत नाज़िल हुई तो उस वक़्त ये पाँच चीज़ों से तैयार होती थी यानी अंगूर, खजूर, शहद, गेहूँ और जौ से। और शराब (ख़मर) से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल पर परदा डाल दे। और तीन बातों के मुताल्लिक़ मेरी ख़्वाहिश ये रही है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनकी वज़ाहत करने से पहले हम से जुदा न हूए होते। दादा की विरासत, कलाला का हिस्सा और सूद के बाज़ मसाइल।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4619, व मुस्लिम: 3032.

फ़ायदा : कुछ लोगों का ये कहना कि शराब सिर्फ़ वही होती है जो अंगूर से बने सही नहीं, बल्कि हर वह चीज़ जो किसी भी और जिन्स से तैयार की जाये और जो अक़्ल पर परदा डाल दे ख़मर है और हराम है, चाहे वह किसी चीज़ की भी बनी हूई हो।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ

(3670) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के मुताल्लिक़ आता है कि जब शराब की

إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ } الآيَةَ قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِي أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا .

हुरमत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह! शराब के बारे में हमें साफ़ साफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे सूरह बक़र: की ये आयत नाज़िल हुई: (यस्अलूनक अनिल ख़मर ...) ('ऐ नबी!) लोग आपसे ख़मर (शराब) और जूए के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करते हैं, कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है (और लोगों के लिये (कुछ) फ़ायदा भी है, लेकिन उन दोनों का गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है।') फिर हज़रत उमर (ﷺ) को बुलाया गया और उन्हें ये आयत सुनाई गयी। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! हमें ख़मर के बारे में साफ़ साफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे सूरह निसा की ये आयत नाज़िल हुई: (या अय्यूहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू ...) 'ऐ ईमान वालो! तुम उस वक़्त नमाज़ के क़रीब न जाओ जब तुम नशे में हो।' चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुनादी नमाज़ की इक़ामत के वक़्त ऐलान किया करता था। ख़बरदार! कोई शख़्स नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न आये। हज़रत उमर (ﷺ) के सामने ये आयत पढ़ी गयी तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! हमें शराब के बारे में साफ़ साफ़ हुक्म बयान फ़रमा दे। चुनांचे सूरह मायदा की ये आयत नाज़िल हुई: (फ़हल अन्तुम ...) (यक़ीनन ख़मर हराम है और शैतानी आमाल में से है) क्या तुम उनसे बाज़

आते हो?' तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा:
फिर हम बाज़ आ गये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3049, नसाई, हदीस: 5542, हदीस: 3669 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ { لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } .

(3671) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है कि एक अंसारी ने उनकी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की दावत की और उन्हें शराब पिलाई और ये वाक़िया हुरमते शराब से पहले का है। चुनांचे हज़रत अली (ﷺ) ने उनकी नमाज़े मग़रिब में इमामत कराई और सूरह अल क़ाफिरून की क़िराअत करने लगे मगर वह उन पर ख़लत हो गयी। चुनांचे ये हुक्म नाज़िल हूआ: (ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम ...) 'नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब मत जाओ, हत्ता कि जानने लगो कि तुम क्या कह रहे हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3026.

फ़ायदा : नमाज़ में इंसान को पूरे शऊर के साथ मुतव्वजा होकर खड़े होना चाहिए, इसीलिए नमाज़ में अगर किसी पर नींद का ग़ल्बा हो तो उसके लिये हुक्म है कि वह पहले अपनी नींद पूरी करे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } وَ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} نَسَخَتْهُمَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ} الآيَةَ

(3672) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि आयते करीमा (या अय्यूहल लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अन्तुम सुकारा ...) और (यस्अलुनका अनिल ख़मर वलमयसिरि क़ुल फ़िहिमा ...) इन दोनों को (इन्नमल ख़मर वल मयसिरू वल अन्साबु ...) ने मन्सूख़ कर दिया है।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/285.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

(3673) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है कि मैं हज़रत अबू तलहा (ﷺ) के घर में

زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

अहले मज्लिस को शराब पिला रहा था कि शराब की हुरमत का हुक्म नाज़िल हो गया। और उस दिन हमारी शराब 'फ़ज़ीख़' (कच्ची खजूर से तैयार की हुई शराब) थी। एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा: तहक़ीक़ शराब हराम कर दी गयी है और नबी (ﷺ) के मुनादी ने ऐलान भी कर दिया। पस हमने कहा: ये शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की जानिब से ऐलान कर रहा है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4620, व मुस्लिम: 1980.

फ़ायदा : गोया जिस शराब के लिये हुरमत का हत्मी हुक्म नाज़िल हूआ वह अंगूर की बनी हूई न थी बल्कि कच्ची खजूर की बनी हुई थी।

﴾2﴿ بَابُ الْعِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

बाब : 2
अगर कोई शराब बनाने की ग़र्ज़ से अंगूर निचोड़े

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلاَهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " .

(3674) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने शराब, उसके पीने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, अंगूर निचोड़ने वाले, निचुड़वाने वाले, उसके उठाने वाले और जिसकी तरफ़ उठाई जा रही हो, उन सब पर लानत की है।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** इब्ने माजा, हदीस: 3380.

बाब : 3
शराब को सिरका बना लेना

﴾3﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ " أَهْرِقْهَا " . قَالَ أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ " لاَ " .

(3675) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि यतीमों को विरासत में शराब मिली है। आपने फ़रमाया: 'उसे बहा दो (और ज़ाया कर दो) उन्होंने कहा: क्या मैं उससे सिरका न बना लूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं'

(3675) तख़रीज : मुस्लिम: 1983.

फ़ायदा : शराब इस ग़र्ज़ से रख छोड़ना कि सिरका बन जाये हराम है, अलबत्ता कहीं से सिरका बना बनाया मिल जाये, तो अलग बात है और वह जायज़ है, क्योंकि उसे वह सिरका ही की शक्ल में मिली है।

बाब : 4
शराब किन चीज़ों से बनती है?

﴾4﴿ باب الْخَمْرِ مِمَّا هُوَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا " .

(3676) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अंगूर से शराब है, खजूर से शराब है, शहद से शराब है, गेहूँ से शराब है और जौ से भी शराब है।'

(3676) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1873, इब्ने माजा, हदीस़: 3379.

(3677) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'बिलाशुब्हा अंगूर के शर्बत से, किशमिश, खजूर, गन्दूम (गेहूँ), जौ और मक्की से शराब बनती है, और मैं तुम्हें हर नशावर से मना करता हूं।'

(3677) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 8/289, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1376.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ " .

(3678) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शराब उन दो दरख़्तों से है यानी खजूर और अंगूर से।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद के रावी अबू कसीर अलगुबरी का नाम यज़ीद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़ुफ़ैल अस्सहमी है। बाज़ ने उज़ैना कहा है लेकिन ग़फ़ील ही सही है।

(3678) तख़रीज : मुस्लिम: 1985.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحْمِيُّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُذَيْنَةُ وَالصَّوَابُ غُفَيْلَةُ .

फ़ायदा : इस बाब में तीन अहादीस़ बयान की गयी हैं। पहली दो अहादीस़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़राहतन मुतअ़द्दिद (कई) चीज़ें बयान फ़रमाई जिन से शराब बनाई जाती थी। आपके फ़रमान का मक़स़द भी यही है कि शराब किसी चीज़ से भी बने अगर नशावर है तो ख़मर है और हराम है। तीसरी हदीस़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये बताया है कि शराब जो आ़म तौर पर मिलती है और राइज है वह इन दो फलों से बनी होती है। इन अल्फ़ाज़ से कुछ लोगों ने जो ये मफ़हूम निकाला है कि शराब स़िर्फ़ वही होगी जो इन दो फलों से बनाई जायेगी दुरूस्त नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये मक़स़द न हो सकता है और न था। ये आप (ﷺ) के एक मुख़्तस़र क़ौल को आपकी बयान करदा वज़ाहत से अलग करके अपनी मर्ज़ी का मफ़हूम बनाने की कोशिश है जो किसी तरह भी जायज़ नहीं।

बाब : 5
नशा का बयान

﴾5﴿
باب النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ " .

(3679) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ ख़मर (शराब) है और हर नशावर हराम है, और जो शख़्स इस हालत पर मर गया कि वह शराब पीता था तो वह आख़िरत में नहीं पीयेगा।'

(3679) **तख़रीज :** मुस्लिम: 2003.

फ़ायदा : इसका मफ़हूम ये है कि वह शख़्स उस शराब से महरूम रहेगा जो जन्नत में दाख़िल होने वालों को मयस्सर होगी दूसरे लफ़्ज़ों में वह जन्नत में दाख़िल न होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " . قِيلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا

(3680) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर वह चीज़ जो अक़्ल पर परदा डाल दे वह ख़मर (शराब) है, और हर नशावर हराम है, और जिसने कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल की उसकी चालीस दिन की नमाज़ें काट ली जायेंगी। अगर उसने तौबा की तो अल्लाह उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेगा, अगर उसने चौथी बार पीने का इरादा किया तो अल्लाह पर ये हक़ होगा कि उसे (तीनतुल ख़बाल) पिलाये।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! (तीनतुल ख़बाल) से क्या मुराद है? आपने

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لاَ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"

फ़रमायाः 'ये जहन्नमियों की पीप है। और जिस किसी कम उमर को शराब पिला दी जिसे हलाल हराम की तमीज़ न थी तो अल्लाह पर हक़ होगा कि उसे (तीनतुल ख़बाल) यानी जहन्नमियों की पीप पिलाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीसः 8/288.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कहते हैं कि नशावर चीज़ का असर जिस्म में चालीस दिनों तक रहता है। **(2)** नादान बच्चों को या जिसे पता न हो, उसे कोई नशावर चीज़ पिलाना सख़्त मुआशरती (सामाजिक) और अख़्लाक़ी जुर्म है। जिससे पिलाने वाले की आक़िबत ख़राब हो जाती है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" .

(3681) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस चीज़ की कसीर मिक़्दार (भारी मात्रा) नशावर हो उसकी क़लील मिक़्दार (कम मात्रा) भी हराम है।'

(3681) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 1865, इब्ने माजा, हदीसः 3393, इब्ने जारूद, हदीसः 860, इब्ने हिब्बान, हदीसः 7/379., हदीसः 5358.

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीसे मुबारका में सराहत कर दी गयी कि हर नशावर चीज़ उसकी नोइयत ख़्वाह कुछ हो, वह मिक़्दार में थोड़ी हो या ज़्यादा हराम ही है। और ये कहना या समझना कि अंगूर की हो तो हराम है और दूसरी क़िस्म की हो तो उसका इतनी मिक़्दार में पीना हलाल है जिससे नशा पैदा न हो, फ़रमाने रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ है। इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स और उलमा—ए मोहद्दिसीन के नज़दीक हर होम्योपेथिक, ऐलोपेथिक या यूनानी दवाइयाँ जिनमें एल्कोहल, अफ़्यून, शराब या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है, उससे इलाज करना हराम है और जुम्हूर उलमा का यही मज़हब है, चुनांचे सही बुख़ारी में तालीक़न और मोजम कबीर में मरफ़ूअन हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'इन्नल्लाह लम यजअल शिफ़ा अकुम फ़ीमा हर्रम अलयकुम) (सही बुख़ारी, हदीसः 5614, तबरानीः 9/345) नीज़ इन जैसी दीगर रिवायात और दलीलों से सराहत के साथ मालूम होता है कि पलीद और हराम चीज़ों के साथ इलाज ममनूअ है, कुछ उलमा ने हराम और पलीद चीज़ों के साथ इलाज को जायज़ क़रार दिया है, तो उन्होंने उसे परेशान हाल के लिये मुर्दार और ख़ून के इस्तेमाल के जवाज़ पर क़यास किया है, लेकिन नस के ख़िलाफ़ होने की वजह से ये क़यास कमज़ोर है, लिहाज़ा ये क़यास मअ अल्फ़ारिक़ है क्योंकि मुर्दार

और ख़ून खाने से ज़रूरत ज़ायल हो जाती है और इससे जान की हिफ़ाज़त हो जाती है जबकि हराम और पलीद चीज़ के इस्तेमाल से शिफ़ा यक़ीनी नहीं और ज़रूरी नहीं कि मर्ज़ का इज़ाला हो जाये, बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो ये ख़बर दी है कि ये दवा नहीं, लिहाज़ा इससे इलाज भी सही नहीं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمْصَ يَعْنِي الْجُرْجُسِيَّ .

(3682) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से बित्अ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'हर मशरूब जो नशावर (नशा पैदा करने वाला) हो हराम है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने यज़ीद बिन अब्दुर्रब अलजुरजुसी पर हदीस़ की क़िराअत की। इसकी सनद ये थी। मुहम्मद बिन हरब ने ज़ुबैदी से, उन्होंने ज़ोहरी से अपनी सनद के साथ ये हदीस़ रिवायत की। इसमें मज़ीद है: बित्अ से मुराद शहद की शराब है जो कि अहले यमन इस्तेमाल किया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: मैंने इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से सुना, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह जुरजुसी कैसा अजीब, मोतबर और सिक़ा आदमी था। अहले हिम्स़ में उस जैसा कोई आदमी नहीं था।

(3682) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5585, मौता: 2/845, व मुस्लिम: 2001.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(3683) हज़रत दैलम हिम्यरी (रह.) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने नबी (ﷺ) से सवाल किया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सर्द इलाक़े के लोग हैं, हमें पुर मशक़्क़त काम करना पड़ता है, हम इस गेहूँ से एक मशरूब बनाते हैं जिससे अपने काम में ताक़त हासिल करते और सर्दी का दिफ़ा

إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا . قَالَ " هَلْ يُسْكِرُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَاجْتَنِبُوهُ " . قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ " .

करते हैं। आपने दरयाफ़्त फ़रमायाः 'क्या ये मशरूब नशा देता है?' मैंने कहाः हाँ। आपने फ़रमायाः 'तो उससे बचो।' मैंने अ़र्ज़ किया कि लोग तो उसे नहीं छोड़ेंगे, आपने फ़रमायाः 'अगर वह न छोड़ें तो उस पर उनसे क़िताल करो।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमदः 4/232.

फ़ायदा : किसी हराम चीज़ का आ़दी हो जाना उसके हलाल होने की वजहे ज़ायज नहीं बन सकता। नीज़ साफ़ ख़िलाफ़े इस्लाम मामलात पर ख़लीफ़ा-ए-वक़्त को क़िताल करके भी उनका इज़ाला करना लाज़िम है।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ " ذَاكَ الْبِتْعُ " . قُلْتُ وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ . فَقَالَ " ذَاكَ الْمِزْرُ " . ثُمَّ قَالَ " أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(3684) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने शहद की शराब के मुताल्लिक़ नबी (ﷺ) से मालूम किया तो आपने फ़रमायाः 'यही बित्‌आ है।' मैंने कहा कि जौ और मकई से भी नबीज़ (नशावर मशरूब) बनाया जाता है। आपने फ़रमायाः 'ये मिज़्र है।' फिर आपने फ़रमायाः 'अपनी क़ौम को बता दे कि हर नशावर चीज़ हराम है।'

(3684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6124-4344, व मुस्लिमः 1733.

फ़ायदा : 'नबीज़' खजूर या किशमिश वग़ैरह से बनाया जाने वाला मीठा मशरूब मुतलक़न हराम नहीं है। ये हराम उसी सूरत में होता है जब उसमें तुर्शी और नशा आ जाये।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ "

(3685) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने शराब, जूए, सारंगी और ग़ुबैरा से मना फ़रमाया है और फ़रमायाः 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने सलाम अबू उ़बैद ने कहा कि 'ग़ुबैरा' मकई जवार वग़ैरह से बनाई जाने वाली शराब है जो हब्शा वाले बनाते हैं।

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُبَيْرَاءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ .

(3685) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/221, मुसनद अहमद: 3/158, हदीस: 3696 में देखें।

फ़ायदा : मोसीक़ी का भी एक मानवी नशा होता है। इनमें सारंगी,ढोल, ढोल की क़िस्म की मज़ामीर सभी हराम हैं, सिर्फ़ दुफ़ की रूख़्सत मिलती है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ .

(3686) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर नशावर और सुस्ती लाने (सन कर देने) वाली चीज़ों से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/309.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، - قَالَ مُوسَى هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمٍ الأَنْصَارِيُّ - عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " .

(3687) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'हर नशावर चीज़ हराम है जिस चीज़ का बड़ा प्याला नशावर हो तो उसका एक चुल्लू भी हराम है।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1866, इब्ने जारूद, हदीस: 861, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1388.

फ़ायदा : बल्कि इससे भी कम मात्रा, ख़्वाह क़तरा ही क्यों न हो, हराम है।

﴿6﴾ بَابٌ فِي الدَّاذِيِّ

बाब : 6 बादा क़िस्म की शराब का हुक्म

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ

(3688) मालिक बिन अबी मरयम कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन ग़नम (रह.) आये और

حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلاَءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا "

तिलाअ (अंगूर के शीरे को पका लिया जाये यहां तक कि दो हिस्से ख़ुश्क हो जाये और एक हिस्सा बाक़ी रह जाये तो उसे तिलाअ कहते हैं) का ज़िक्र हूआ तो उन्होंने कहा: हज़रत अबू मालिक अशअरी(ﷺ) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: '(एक वक़्त आयेगा कि) मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पीयेंगे और उसका नाम कुछ और रख लेंगे।'

(3688) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 4020, मुसनद अहमद: 5/342, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1384, इब्ने माजा, हदीस़: 3385.

फ़ायदा : (दाज़ी) एक ख़ास़ क़िस्म का दाना है जो नबीज़ में डाल दिया जाता है, जिससे उसमें शिद्दत आ जाती है और नशावर शराब बन जाती है।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ، عَنِ الدَّاذِيِّ، فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ .

(3689) जनाब अबू मनसूर हारिस़ बिन मनसूर कहते हैं: मैंने जनाब सुफ़ियान स़ोरी (रह.) से सुना जबकि उनसे बादा के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पीयेंगे और उसका नाम कुछ और रख लेंगे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि सुफ़ियान स़ोरी (रह.) ने कहा कि बादा फ़ासिक़ लोगों के पीने की चीज़ है।

(3689) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : 7
शराब के बर्तनों का बयान

﴿7﴾ باب فِي الأَوْعِيَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ، عَبَّاسٍ قَالاَ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

(3690) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, इन दोनों ने कहा: हम गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दू के बर्तन (तुम्बा) सब्ज़ रंग का बर्तन जिसमें रोग़न मिला लिया जाता था, रोग़न ज़िफ़्त लगे बर्तन और चौबी बर्तन से मना फ़रमाया है।'

(3690) तख़रीज : मुस्लिम: 1997.

फ़ायदा : इस्लाम से पहले लोग जिन बर्तनों में शराब बनाया करते थे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें नबीज़ (फलों, खजूर, किशमिश और दीगर ख़ुश्क या तर फलों का पानी के ज़रिये बनाया हूआ आमेज़ा) जो बतौर मशरूब इस्तेमाल होता था बनाकर पीने से मना फ़रमा दिया। इस ग़र्ज़ से उमूमन चार क़िस्म के बर्तन इस्तेमाल किये जाते थे।

❶ **अद्दुब्बा:** बड़े साइज़ के कद्दू जब ख़ुश्क हो जाते तो उनके अंदर का गूदा वग़ैरह निकाल कर सख़्त ख़ोल को बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ़्रीक़ा के मुल्कों में आज भी इसका रिवाज है। वहां ऐसे कद्दू भी पाये जाते हैं जो नीचे से गोल होते हैं और ऊपर की तरफ़ उनकी बहुत लम्बी गर्दन होती है। उनको भी अंदर से ख़ाली करके मशरूब वग़ैरह के बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल सुराही की शक्ल का होता है। फ़ारसी शाइरी में इसीलिए कद्दू का लफ़्ज़ शराब के बर्तन या सुराही के लिये इस्तेमाल होता है। इसके बाहर की सतह सख़्त और नम पुरूफ़ जबकि अंदर की सतह इस्फ़न्जी होती है और अगर इसको शराब के लिये इस्तेमाल किया जाये तो धोने के बावजूद इसकी अंदुरूनी इस्फ़न्जी सतह में ख़ामरा यानी वह माद्दा जो नबीज़ के रस वग़ैरह में ख़मीर उठाने का सबब बन जाता है मौजूद होता है। इसलिए ऐसे बर्तन में फलों का रस तैयार करने या रखने से मना कर दिया गया है।

❷ **हन्तम:** शराब बनाने की ग़र्ज़ से मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों को इस तरह बनाया जाता था कि उनकी मिट्टी गून्धते वक़्त उसमें ख़ून और बाल मिला दिये जाते। इससे उन बर्तनों का रंग स्याही माइल

सब्ज़ हो जाता था। ग़र्ज़ ये होती कि उसकी सतह से हवा का गुज़र बंद हो जाये और तख़्मीर (नशे) का अमल तेज़ और शदीद हो जाये। देखिये: (फ़तहुलबारी) ऐसे बर्तनों के अंदर हवा की बंदिश को यक़ीनी बनाने के लिये कोई रोग़न वग़ैरह भी लगा दिया जाता था। ये बर्तन अपनी साख़्त में गंदे और ग़लीज़ होने के अलावा अंदरूनी सतह पर शराब के ख़मरों को छुपाये रखते थे जिनकी वजह से इसमें भी तेज़ी से तख़्मीर का अमल शूरू हो जाता था।

❸ **मुज़फ़्फ़त:** वह बर्तन जिसके अंदर रोग़न 'ज़िफ़्त' मिलाया गया हो। ये तारकोल से मिलता जुलता मादिनी रोग़न है। (लिसानुल अरब) 'ज़िफ़्त' मिलने का मक़सद भी वही था कि हवा का गुज़र न हो और शराब साज़ी के लिये अमले तख़्मीर जल्द और शिद्दत से शूरू हो जाये। ये भी दूसरे बर्तनों की तरह शराब के ख़ामरों का हामिल होता था। इसके अलावा रोग़न मिलने की वजह से चिपचिपा और गंदा भी होता था।

❹ **नक़ीर :** खजूर के तने को अंदर से खोखला करके बनाया जाता था और उसमें शराब बनाई जाती थी। यानी लोग तो दरख़्त के तने का ऊपर का काफ़ी हिस्सा काट कर उसे खोखला करते लेकिन उसकी जड़ें इसी तरह ज़मीन में रहने देते। ज़ाहिर है उसका सही तौर पर धोना मुमकिन न था, नीज़ उसकी अंदरूनी सतह पर शराब के ख़ामरे और दूसरी गंदगी भी मौजूद रहती थी, इसमें फलों वग़ैरह का मशरूब (नबीज़) बनाया जाता तो वह जल्द शराब में तब्दील हो जाता था। इसका इस्तेमाल भी ममनूअ क़रार दिया गया।

☞ अरब इन बर्तनों में शराब के अलावा नबीज़ भी बनाते थे और इसमें बहुत जल्द तर्शी आ जाती थी, चूंकि ये लोग पहले उन बर्तनों के मशरूबात और शराब के आदी थे तो उन्हें मामूली नशे का एहसास भी न होता था इसलिए हुरमते शराब की इब्तेदा में उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना फ़रमा दिया गया मगर बाद में इजाज़त दे दी गयी थी।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَعْلَى، - يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُولُ

(3691) जनाब सईद बिन जुबैर (रह.) ने कहा कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से सुना, वह बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घड़े की नबीज़ हराम फ़रमाई है। सईद कहते हैं कि मैं उनकी बात से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घड़े की नबीज़ हराम फ़रमाई है, घबरा कर निकल आया और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ . قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ . قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .

पहुँचा। मैं ने पूछाः क्या आपने इब्ने उ़मर (﵁) की बात सुनी है? उन्होंने कहाः वह क्या है? मैंने कहाः वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घड़े की नबीज़ हराम फ़रमाई है। उन्होंने कहा कि सच कहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घड़े की नबीज़ हराम की है। मैंने पूछा कि घड़े से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कि हर वह बर्तन जो मिट्टी से बना हो।

(3691) तख़रीज : मुस्लिमः 1997.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का किसी चीज़ को हराम या हलाल करना उनकी अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ न था बल्कि ये सब अल्लाह की वहि की बिना पर होता था, इरशादे बारी तआला हैः 'वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुय्यूहा' (अन्नज़्मः 3–4) **(2)** मिट्टी से बने बर्तनों में वह बर्तन भी शामिल हैं जिनका ऊपर ज़िक्र है जिस बर्तन में किसी तरह का रोग़न मिल जाता था ख़्वाह सब्ज़ रंग का होता या सुफ़ैद वग़ैरह सब मना थे। (सही बुख़ारीः हदीसः 5596) **(3)** ख़्याल रहे कि नबीज़ वह मशरूब होता है कि खजूर या किशमिश वग़ैरह को पानी में घोल देते हैं, चंद घंटों के बाद पानी मीठा हो जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। ये मशरूब नबीज़ कहलाता है। इसे सिर्फ़ इतना वक़्त रखने की इजाज़त है कि वह असल हालत में रहे, सर्दियों में तीन दिन तक और गर्मियों में सिर्फ़ एक दिन तक।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا، حَدِيثُ سُلَيْمَانَ قَالَ - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا هَذَا

(3692) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) बयान करते हैं कि क़बीला अ़ब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम क़बीला रबीआ़ के लोग हैं। हमारे और आपके दरम्यान मुज़र के कुफ़्फ़ार हाइल हैं। मैं आपके पास सिर्फ़ हुरमत के महीनों में आ सकते हैं। लिहाज़ा आप हमें ऐसी बात फ़रमा दीजिये जिसे हम पकड़ लें और अपने पिछले वालों को भी उसकी दावत दें। आपने

الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً . وَقَالَ مُسَدَّدٌ الإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ " . وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ . وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ .

फ़रमाया: 'मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूं और चार से मना करता हूं। अल्लाह पर ईमान और ला इलाह इल्लल्लाह की शहादत और आपने अपने हाथ से एक अदद की गिरह बनाई (एक का इशारा किया) ... मुसद्दद ने सिर्फ़ ईमान बिल्लाह का ज़िक्र किया ... फिर आपने उन्हें उसकी वज़ाहत फ़रमाई कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना और जो ग़नीमत तुम्हें हासिल हो उसमें से पाँचवां हिस्सा अदा करना। और मैं तुम्हें कद्दू के बर्तन (तूनबे), सब्ज़ बर्तन जिस पर किसी तरह का रोग़न मिल गया हो, रोग़न ज़िफ़्त लगे बर्तन और रोग़ने क़ैर लगे बर्तन से मना करता हूं। इब्ने उबैद ने 'मुक़य्यर' की बजाये 'नक़ीर' (लकड़ी को खोखला करके बनाया हूआ बर्तन) का लफ़्ज़ कहा। जबकि मुसद्दद ने नक़ीर और मुक़य्यर कहा, उन्होंने मुज़फ़्फ़त का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि सनद में मज़कूरा अबू जमरा का नाम नस्र बिन इमरान ज़ुबई है।

(3692) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 523, व मुस्लिम: 17/1995.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हक़ की मारफ़त लाज़मी तौर पर इस बात का तक़ाज़ा करती है कि इंसान उस पर कारबंद हो और दूसरों को उसकी दावत दे और यही फ़ितरते सलीम है जैसे कि उन लोगों ने अपनी इब्तेदाई गुफ़्तगू में ख़ूद से इसका इज़हार किया। (2) दीन व ईमान कुछ अहकाम और कुछ मनाही पर मुश्तमिल है जिसकी पासदारी के बग़ैर इस्लाम और दीन मुकम्मल नहीं हो सकता।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ " أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ " .

(3693) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वफ़दे अब्दुल क़ैस के लोगों से फ़रमाया: 'मैं तुम्हें लकड़ी के खुदे हूए बर्तन, रोग़न ज़िफ़्त लगे बर्तन, सब्ज़ रंग के रोग़न मिले हूए बर्तन और कद्दू के बर्तन (तूनबे) से मना करता हूं और बड़ी मश्क से भी जिसको ऊपर से काटा गया हो और पैंदे की तरफ़ से सूराख़ न हों मना करता हूं, लेकिन अपने मश्क़ीज़े से पिया करो और फिर उसका मुँह बाँध दिया करो।' (यानी इसमें नबीज़ बनाया करो।)

(3693) तख़रीज : मुस्लिम: 1993.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الأَدَمِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " .

(3694) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से वफ़दे अब्दुल क़ैस के क़िस्से में मरवी है कि उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के नबी! (ﷺ) हम किन बर्तनों में पिया करें। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चमड़े के मश्क़ीज़े इस्तेमाल करो जिनके मूँहों पर धागा लपेट कर उन्हें बंद किया जाता है।'

(3694) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/361, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 6833.

फ़ायदा : शायद मुँह बाँधने से अगर उसमें तर्शी पैदा हो तो गैस से वह फूल जाता है तो पता चल जाता है कि इसमें तर्शी आ गयी है। (बज़्लुल मज्हूद)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْقَمُوصِ، زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى

(3695) अबू अलक़मूस़ ज़ैद बिन अली से रिवायत है उसने वफ़दे अब्दुल क़ैस के एक आदमी से नक़ल किया जो उस वफ़द में शरीक था जो रसूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ था ... (रावी हदीस़) औफ़ का

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلاَ مُزَفَّتٍ وَلاَ دُبَّاءٍ وَلاَ حَنْتَمٍ وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ" .

ख़्याल है कि उसका नाम क़ैस बिन नौमान था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लकड़ी के बर्तन, रोग़न ज़िफ़्त वाले बर्तन, कद्दू के बर्तन (तूनबे) या सब्ज़ रोग़न मिले बर्तन में मत पियो, बल्कि चमड़े के मश्कीज़े में पियो जिसका मुँह बाँधा जाता है, अगर नबीज़ में शिद्दत आ जाये (तुर्शी हो जाये) तो उसकी शिदत को पानी डाल कर ख़त्म कर लो, अगर वह ख़त्म न हो तो उसे बहा दो।'

(3695) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : नबीज़ में तुर्शी की इब्तेदा ही हूई हो और मज़ीद पानी डाल कर उसे आम मशरूब बनाना मुमकिन हो तो बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तुर्शी हो जाने या नशावर हो जाने की सूरत में ऐसा नहीं किया जा सकता, फिर उसको बहा देना ही ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ " لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ قَالَ " فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " أَهْرِيقُوهُ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَىَّ أَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ

(3696) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि वफ़दे अब्दुल क़ैस के लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) हम किसमें पियें? आपने फ़रमाया: 'कद्दू के बर्तन (तूनबे), तारकोल लगे बर्तन और लकड़ी के बर्तन में मत पियो, अपने मश्कीज़ों में नबीज़ बनाया करो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मश्कीज़ों में होते हूए भी इसमें शिद्दत आ जाये तो? आपने फ़रमाया: 'इसमें मज़ीद पानी डाल लिया करो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने तीसरी या चौथी बार फ़रमाया: 'उसे बहा डालो।' फिर फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मुझ पर हराम फ़रमाया है या कहा ... हराम की गयी है ... शराब, जूआ और कूबा।' और फ़रमाया: 'हर नशा देने वाली चीज़ हराम है।'

" . قَالَ " وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " . قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ الطَّبْلُ .

सुफ़ियान सोरी कहते हैं कि मैंने अली बिन बज़ीमा से 'कूबा' की वज़ाहत पूछी तो उन्होंने कहा: 'इससे मुराद ढोल है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/274.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मश्कीज़े में डाले हूए रस में ये शिद्दत किसी ख़ामरे की आमेज़िश के बग़ैर फ़ितरी तौर पर पैदा होती थी। **(2)** तीसरी या चौथी बार पूछने से पता चला कि वह ग़ैर मामूली शिद्दत है जो ज़्यादा वक़्त गुज़रने के साथ पैदा होती है। **(3)** जहां शराब एक माद्दी मशरूब हराम है क्योंकि अक़्ल पर परदा डाल देती है वहां मोसिक़ी एक सौती (आवाज़) चीज़ है जो भले चंगे आदमी की अक़्ल को माउफ़ कर देती है। आलाते मोसिक़ी में से एक ढोल भी है जो हराम है, अलबत्ता दुफ़ हलाल है जिस पर एक तरफ़ से चमड़ा मंडा होता है और दूसरी तरफ़ से ख़ाली होता है, उसे हाथ से बजाया जाता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ .

(3697) हज़रत अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें कद्दू के बर्तन (तूनबे) रोग़न लगे हूए सब्ज़ बर्तन, लकड़ी के बर्तन और जौ की शराब से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5173.

फ़ायदा : डॉक्टरों की ज़बान में 'आशे जौ' (जौ का जोश दिया हूआ पानी) इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन अगर इसमें किसी तरह नशे के असरात का अन्देशा हो तो हलाल नहीं है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ

(3698) जनाब सुलेमान बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन बातों से रोका था, अब मैं तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता हूं, मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब उनकी ज़ियारत को जाया करो, बेशक उनकी ज़ियारत में इबरत और नसीहत है। मैंने तुम्हें चमड़ों के बर्तनों के अलावा कई बर्तनों में पीने से मना किया था, तो सब क़िस्म के बर्तनों में पी सकते हो

فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ " .

लेकिन कोई नशावर चीज़ मत पियो। मैंने तुम्हें कहा था कि क़ुर्बानी का गोश्त तीन दिन के बाद इस्तेमाल करना मना है तो अब उसे खा सकते हो और अपने सफ़रों में उससे फ़ायदा उठाओ।'

(3698) तख़रीज : मुस्लिम: 977.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا . قَالَ " فَلاَ إِذًا " .

(3699) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बर्तनों से मना फ़रमाया तो अंसार ने कहा: हमें उन बर्तनों के इस्तेमाल से कोई चारा नहीं है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो फिर कोई हर्ज नहीं। (इस्तेमाल कर सकते हो।' नीचे हदीस़ में ज़्यादा वज़ाहत है।)

(3699) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5592.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّهُ لاَ ظُرُوفَ لَنَا . فَقَالَ " اشْرَبُوا مَا حَلَّ " .

(3700) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने बर्तनों का ज़िक्र फ़रमाया। यानी कद्दू का बर्तन (तूम्बा) रोग़न मिला हूआ सब्ज़ बर्तन, रोग़न ज़िफ़्त लगा हूआ बर्तन और लकड़ी खोद कर बनाया जाने वाला बर्तन, तो एक आ़राबी ने कहा: (इनके अ़लावा) हमारे पास और कोई बर्तन ही नहीं होते तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '(तो फिर स़िर्फ़) वही पियो जो हलाल हो।' (यानी महज़ बर्तन से कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं होती मशरूब के हराम न होने की स़ूरत में उन बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हो।)

(3700) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5593, व मुस्लिम: 2000.

फ़ायदा : इस मरहले में इजाज़त की एक हिकमत ये भी थी कि वह बर्तन जो शराब में इस्तेमाल होने की वजह से फलों के दूसरे मशरूबात में तख़मीर पैदा कर सकते थे अगर वह लोगों के पास मौजूद भी थे तो अब उस क़बाहत से पाक हो चुके थे।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، - يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ " اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ " .

(3701) जनाब शरीक बिन अब्दुल्लाह ने अपनी सनद से रिवायत किया, फ़रमाया: 'जो चीज़ नशा दे उससे इज्तेनाब करो।'

(3701) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 8/310, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

(3702) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मश्कीज़े में नबीज़ बनाया जाता था। मश्कीज़ा न होता तो पत्थर के बड़े प्याले में बना लिया करते थे।

(3702) तख़रीज : मुस्लिम: 1998.

﴿8﴾ باب فِي الْخَلِيطَيْنِ

बाब : 8 दो मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) चीज़ों को मिलाकर नबीज़ बनाना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .

(3703) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किशमिश और खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है और ऐसे ही ताज़ा (पुख़्ता) खजूर और नीम पुख़्ता (गदरी हुई) खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से रोका है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5601, व मुस्लिम: 1986

फ़ायदा : निहाया इब्ने असीर में बयान करदा शरह के मुताबिक़ जाहिली दौर में नशावर नबीज़ बनाने का एक तरीक़ा ये भी था कि किशमिश और खजूर या पुख़्ता ताज़ा खजूर और नीम पुख़्ता खजूर का गूदा पानी में मिलाकर उसे उबाला जाता, फिर उसे इतनी देर के लिये रख दिया जाता था कि उसमें शिद्दत आ जाये। लैस बिन सअ़द से मरवी है कि दो अलग अलग चीज़ें मिलने से बहुत जल्द शिद्दत आ जाती थी और मशरूब नशावर हो जाता था, इसलिए इस तरह की नबीज़ से मना कर दिया गया हदीस़ नम्बर 3706 में बिलवज़ाहत इसी अ़मल को बयान भी किया गया है, इससे रोका भी गया है। अलबत्ता अगर फलों के गूदे या (Concentrate) इस तरह से मिलाये जायें कि तख़्मीर (Fermentation) का अ़मल पैदा न हो तो उसमें हर्ज नहीं जैसा कि हदीस़ नम्बर 3707 और 3708 से वाज़ेह होता है।

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ، وَالرُّطَبِ، وَقَالَ، " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ " . قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(3704) हज़रत अबू क़तादा (ﷻ) से मरवी है वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि किशमिश और खजूर (ख़ुश्क) को मिलाना, नीम पुख़्ता और (ख़ुश्क) खजूर को मिलाना और नापुख़्ता खजूर (जिसने अभी सुर्ख़ या ज़र्द रंग पकड़ा हो) और ताज़ा खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाना मना है। कहा कि इन चीज़ों में से हर एक से अलग–अलग तौर पर नबीज़ बनाओ।

अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने अबू क़तादा से उसने नबी (ﷺ) से हदीस़ बयान की।

(3704) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5602, व मुस्लिम: 1988.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، - عَنْ رَجُلٍ، - قَالَ حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ .

(3705) इब्ने अबी लैला एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने कच्ची खजूर और पुख़्ता खजूर और इसी तरह किशमिश और खजूर को मिलाने से मना फ़रमाया है।

(3705) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस़: 5549, मुसनद अहमद: 4/314.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ .

(3706) कब्शा बिन्ते अबी मरयम कहती हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से पूछा कि नबी (ﷺ) किस चीज़ से मना किया करते थे? उन्होंने कहा: आप हमें मना करते थे कि खजूर को इस क़द्र पकायें कि उसकी गुठली ही ख़त्म हो जाये या किशमिश और खजूर को मिलाने से मना करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/292.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقِي فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقِي فِيهِ الزَّبِيبَ .

(3707) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये किशमिश की नबीज़ बनाई जाती और फिर उसमें खजूर डाल दी जाती थी या खजूर की नबीज़ बनाई जाती और फिर उसमें किशमिश डाल दी जाती थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/307, 308.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ، قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَالَتْ كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

(3708) सफ़िया बिन्ते अतिया कहती हैं कि मैं वफ़दे अब्दुल क़ैस की ख़वातीन के साथ हज़रत आयशा (ﷺ) के पास गयी। हमने आपसे खजूर और किशमिश को मिलाने के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: मैं एक मुट्ठी खजूर और एक मुट्ठी किशमिश लेती और उन्हें पानी में डाल देती फिर उन्हें अपने हाथ से मसलती और नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करती और उन्हें पिलाया करती थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/308.

बाब : 9
नीम पुख़्ता खजूर से नबीज़ बनाना

﴿9﴾
بَابٌ فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمُزَّاءَ الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ . فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .

(3709) जनाब जाबिर बिन ज़ैद और इकरिमा (रह.) के मुताल्लिक़ आता है कि वह दोनों बुस्र (नीम पुख़्ता खजूर) की नबीज़ को ना पसन्द समझते थे और वह ये बात हज़रत इब्ने अब्बास(ﷻ) से बयान करते थे। और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) ने कहा: मुझे अन्देशा है कि ये वही 'मुज़्ज़ाअ' न हो जिससे अब्दुल क़ैस के वफ़द को मना किया गया था। (हिशाम ने कहा:) मैंने क़तादा से पूछा: 'मुज़्ज़ाअ' से क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ रोग़न मले हूए घड़े और रोग़न ज़िफ़्त लगे बर्तन में तैयार करदा नबीज़ को 'मुज़्ज़ाअ' कहते हैं।

(3709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/310, नसाई, हदीस: 5573.

फ़ायदा : मुख़्तलिफ़ इलाक़ों में शराब बनाने का रिवाज भी मुख़्तलिफ़ था और नाम भी मुख़्तलिफ़ थे। मुज़्ज़ाअ का नाम ग़ालिबन अहले हिजाज़ के लिये पहले से मुतआरफ़ (मालूम) न था, इसलिए मुज़्ज़ाअ के बारे में जो बात हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) तक पहुँची वह इतनी ही थी कि ये नशावर मशरूब नीम पुख़्ता खजूर से बनता है। हिशाम ने क़तादा से पूछ कर उसकी मज़ीद तफ़सील बयान कर दी है। अलावा इसके निहाया इब्ने असीर में सराहत है कि 'मुज़्ज़ाअ' वह शराब होती है जिसमें तुर्शी हो। बाज़ ने नीम पुख़्ता और पुख़्ता खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने को भी मुज़्ज़ाअ कहा है। बहरहाल जिस सूरत में भी किसी मशरूब में नशे के असरात आ जायें उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं।

बाब : 10
नबीज़ का बयान

﴿10﴾ باب فِي صِفَةِ النَّبِيذِ

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ " زَبِّبُوهَا " . قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ " انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلاَ تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلاًّ "

(3710) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन (फ़ीरोज़) अद्दैलमी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) आप जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं और किसके पास आये हैं? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की तरफ़ आये हो और उसके रसूल की तरफ़।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर होते हैं हम उनका क्या करें? आपने फ़रमाया: 'उन्हें ख़ुश्क करके ज़बीब यानी किशमिश बना लिया करो।' हमने अ़र्ज़ किया: हम (ज़बीब) किशमिश का क्या करें? आपने फ़रमाया: 'सुबह के वक़्त भिगो दिया करो और रात को पी लिया करो। और रात को भिगो दिया करो और सुबह को पी लिया करो और नबीज़ मश्कीज़ों में बनाया करो, मटकों में नहीं, तहक़ीक़ उसे निचोड़ने में जब ताख़ीर हो जाती है तो ये सिरका बन जाती है।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5739.

फ़ायदा : असल नबीज़ जो हलाल है वही है जिसकी वज़ाहत ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) के अल्फ़ाज़ में आ गयी है। यानी ख़ुश्क फल के गूदे का पानी में मिलाकर बनाया हूआ मशरूब, आपके अल्फ़ाज़ से पता चलता है कि असल और हलाल नबीज़ बग़ैर उबाले या धूप में रखे इस्तेमाल होती थी और बनाये जाने के बाद इतने वक़्त के अंदर कि उसमें नशा या तुर्शी पैदा होने का अमल भी शूरू न होता था। यही मशरूब ज़्यादा देर रख कर और नशावर बनाकर पीने वाले इसे भी नबीज़ ही कहते हैं। कुछ फ़क़ीहों ने इस तरह के

मशरूब को भी हलाल क़रार दिया है। उनके नज़दीक ख़मर वही शराब है जो अंगूर के रस से बनाई जाती है। उनके ख़्याल में बाक़ी सब मशरूब हलाल हैं। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस बाब में असल नबीज़ का तारूफ़, असल नबीज़ की कैफ़ियत और बनने के बाद उसके इस्तेमाल के लिये वक़्त की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हद है, सब कुछ तफ़्सील से बयान कर दिया है। उन्होंने इन अहादीस़ के ज़रिये वाज़ेह कर दिया है कि अंगूर के रस के अलावा दूसरे फलों के गूदे से बनाया जाने वाला मशरूब जब इसमें नशे का अमल शुरू हो जाये या इस अमल के आग़ाज के लिये इसमें ख़ामरे शामिल हो जायें तो वह हराम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاَهُ وَلَهُ عَزْلاَءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .

(3711) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये एक ऐसे मश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी जिसके ऊपर के दहाने को धागे से बाँध दिया जाता और उसके नीचे की तरफ़ सुराख़ थे। सुबह के वक़्त भिगोया जाता तो आप उसे इशा के वक़्त नोश फ़रमा लेते और रात को भिगोया जाता तो आप सुबह को पी लिया करते।

(3711) तख़रीज : मुस्लिम; 2005.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُدْوَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ صَبَبْتُهُ - أَوْ فَرَغْتُهُ - ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ قَالَتْ نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا أَبِي مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ .

(3712) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये सुबह के वक़्त नबीज़ भिगो रखतीं। पस जब शाम होती और आप रात का खाना खाते तो उसे पी लेते। अगर कुछ बच जाता तो मैं उसे गिरा देती थी। फिर रात के वक़्त भिगो रखती, जब सुबह होती और आप खाना खाते तो उस वक़्त पी लेते। बयान किया कि हम मश्कीज़े को सुबह शाम धोते थे। मेरे वालिद (हयान) ने अम्र से कहा: क्या एक दिन में उसे दो दफ़ा धोया जाता था? उन्होंने कहा: हाँ।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/124.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمَ أَوْ يُهَرَاقُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمَ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ .

(3713) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के लिये किशमिश की नबीज़ बनाई जाती थी तो आप उसे उस दिन, अगले दिन और उससे अगले दिन यानी तीसरे दिन की शाम तक इस्तेमाल करते थे, फिर आप हुक्म देते कि ख़ादिमों को पिला दी जाये या गिरा दी जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ख़ादिमों को पिलाने से मक़सूद ये है कि ख़राब होने से पहले पहले उसे इस्तेमाल कर लिया जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सनद में मज़कूरा अबू उमर का नाम यहया बिन उबैद अलबहरानी है।

(3713) तख़रीज : मुस्लिम: 2004.

फ़ायदा : नबीज़ सर्दियों में तीन दिन तक और गर्मियों में सिर्फ़ एक दिन क़ाबिले इस्तेमाल होती है।

बाब : 11
शहद पीने का बयान

﴾11﴿ باب في شراب العسل

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) किताबुल अशरिबा के इब्तेदा में बाबुल ख़मर मिम्मा हिया में हदीस नम्बर 3676 लाये हैं जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान नक़ल किया गया कि शहद से भी शराब तैयार की जाती है। इससे अगले बाब में हदीस नम्बर 3682 और बाद में हदीस नम्बर 3684 में बताया गया है कि 'बित्आ' वह शराब है जो शहद से तैयार की जाती थी। आपने वाज़ेह फ़रमाया कि चाहे किसी चीज़ से बनी हो, हर नशावर मशरूब हराम है। मौजूदा बाब से पहले हलाल नबीज़ के बारे में अहादीस लाई गई हैं और इस बाब में शहद को बतौर मशरूब इस्तेमाल करने और शहद से बने हूए मशरूब की हिल्लत (हलाल होना) बयान की गयी है, इससे मज़ीद वाज़ेह हो जाता है कि हुरमत का असल सबब मशरूब का नशावर होना है। अगर नशावर न हों तो इन तमाम चीज़ों से बने हूए मशरूब हलाल हैं जिनसे ख़मर बनाई जाती है।

(3714) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) (मअमूल के मुताबिक अज़वाजे मुतह्हरात के यहां चक्कर लगाते तो) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) के यहां तशरीफ रखते और उनके यहां से शहद नोश फ़रमाया करते। तो मैंने और हफ़्सा ने आपस में तय किया कि हममें से जिसके पास भी नबी (ﷺ) तशरीफ़ लायें तो वह कहे कि मैं आपसे मग़ाफ़ीर (जंडी के रस) की बू महसूस करती हूं। चुनांचे आप (ﷺ) हममें से एक के पास आये तो उसने ये बात कह दी। तो आपने फ़रमाया: '(नहीं) मैंने तो ज़ैनब के पास शहद पिया है और आइन्दा हरगिज़ नहीं पियूँगा।' चुनांचे सूरह तहरीम की ये आयात नाज़िल हो गयीं। (लिमा तुहरिमु मा अहल्लल्लाहु से इन ततुबा इलल्लाहि) तक (इसका) इशारा आयशा और हफ़्सा (ﷺ) की तरफ़ है और (व इज़ असर्रन्नाबिय्यु इला बअ़ज़ि अज़्वाजिही हदीसा) 'और जब नबी (ﷺ) ने अपनी एक बीवी से राज़दाराना बात की।' तो ये राज़ वही था जो आपने कहा था कि 'बल्कि मैंने शहद पिया है।'

तख़रीज : बुख़ारी: 5267, मुसनद अहमद, 6/221, व मुस्लिम: 1474.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَنَزَلَتْ { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي } إِلَى { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ } لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رضى الله عنهما { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا } لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً "

(3715) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मीठा और शहद बहुत पसन्द था ... और ऊपर दिये गये क़िस्से का कुछ हिस्सा बयान किया ... (और कहा कि) रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ

الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ . فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ . وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ . وَفِي الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ . قَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِي حَفْصَةُ " . فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَغَافِيرُ مُقْلَةٌ وَهِيَ صَمْغَةٌ . وَجَرَسَتْ رَعَتْ . وَالْعُرْفُطُ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ .

को ये बात बहुत गिरां महसूस होती थी कि आपसे कोई नागवार बू आये।

इस हदीस़ में है कि हज़रत सौदा (ﷺ) ने कहा: बल्कि आपने मग़ाफ़ीर (जंडी का रस) पिया है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '(नहीं) बल्कि मैंने तो शहद पिया है जो मुझे हफ़्सा ने पिलाया है।' तो मैंने कहा: (शायद) शहद की मक्खी ने उर्फ़ुत का रस चूसा होगा। (उर्फ़ुत) एक बूटी का नाम है जिस पर शहद की मक्खी बैठती है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 'मग़ाफ़ीर' एक तरह की गूंद सी होती है। और 'जरसत' के मानी हैं 'उसने चूसा होगा' और 'उर्फ़ुत' एक बूटी होती है जिस पर शहद की मक्खी बैठती है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5599, व मुस्लिम: 1474.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शहद अल्लाह तआला की अ़ज़ीम जामेअ़ नेमतों में से है और बेशुमार बीमारियों का तरयाक़ है, इरशादे बारी तआला है: 'इसमें लोगों के लिये शिफ़ा है।' (अन नहल: 69) **(2)** किसी भी हलाल चीज़ को अपने लिये हराम क़रार दे लेना नबी (ﷺ) के लिये भी जायज़ न था। **(3)** ये और इस क़िस्म के दीगर वाक़ियात में अज़वाजे नबी (ﷺ) की आपस में कशाकश इस बात की तस़रीह है कि वह इस दुनिया की मख़्लूक़ थी, मुआशरती ज़िन्दगी के हवाले से उनके जज़्बात फ़ितरी थे। वह मासूम अनिलख़ता न थीं। मगर अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने उन्हें नबी (ﷺ) की दिल बस्तगी और इशाअ़ते दीन के लिये मुंतख़ब फ़रमाया लिया था। इनमें से हर एक की ये पुर ज़ोर तमन्ना और इन्तेहाई कोशिश होती थी कि जिस तरह भी बन पाये वह मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) की उल्फ़त व मोहब्बत और इल्तिफ़ात का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वसूल कर ले और ये ऐन ईमान भी है। इस सूरते हाल में इस अन्दाज़ के मामूली झोल नज़र अन्दाज़ कर देने के लायक़ थे और हैं और जहां ज़रूरी समझा गया तम्बीह भी की गयी। इन अज़वाजे मुतह्हरात का जो क़ल्बी व क़ालबी रब्त व ज़ब्त नबी (ﷺ) के साथ था उसकी बिना पर अल्लाह तआला ने उन्हें मुख़ातब करके फ़रमाया: 'ऐ नबी की बीवियों! तुम आम औरतों की मानिन्द नहीं हो।' (अल अहज़ाब: 32) और नबी (ﷺ) से फ़रमाया: 'ऐ नबी! आप के लिये इन बीवियों के बाद और कोई औरत हलाल नहीं और न आप इनके बदले कोई और ला सकते हैं ख़्वाह उनका हुस्न आपको कितना ही पसन्द क्यों न आये, हाँ लौण्डियाँ जायज़ हैं।' इन्हीं फ़ज़ाइल की बिना पर ये उम्मत की मायें क़रार दी गयी हैं। (ﷺ).

बाब : 12
नबीज़ में जब तेज़ी (नशा) आ जाये

﴾12﴿
بابٌ فِي النَّبِيذِ إِذَا غَلِيَ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ " اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ".

(3716) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़ा रखा करते हैं, चुनांचे (एक रोज़) में आपके लिये इफ़्तार के वक़्त नबीज़ ले आया जो मैंने कद्दू के बर्तन में बनाई थी और उसमें ख़मीर उठा हूआ था (वह जोश मार रही थी) तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे इस दीवार पर दे मार, बिलाशुब्हा ये उन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह और आख़िरत पर इमान नहीं रखते।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5213, इब्ने माजा, हदीस: 3409, दारक़ुतनी: 4/252.

फ़ायदा : नबीज़, हलाल और तय्यब मशरूब है, लेकिन अगर उसमें नशा पैदा हो जाये, तो फिर उसका पीना हराम होगा।

बाब : 13
खड़े होकर पीना

﴾13﴿
بابٌ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

(3717) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी भी शख़्स को, खड़े होकर पीने से मना फ़रमाया है।

(3717) **तख़रीज :** मुस्लिम: 2024.

फ़ायदा : ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की तल्क़ीन है, पानी भी जितना हो सके बैठ कर ही पीना चाहिए। ये मनाही तन्ज़ीही है और बिलावजह खड़े होकर पीना किसी तरह मुनासिब नहीं है। इस मौज़ूअ में कई अहादीस़ आई हैं इन तमाम को पेशे नज़र रखा जाये तो पता चलता है कि इस्लाम आराम से बैठकर पीने की हौस़ला अफ़ज़ाई करता है और रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल भी यही था अलबत्ता अगर ज़रूरत हो तो खड़े होकर पीना भी जायज़ है, जैसे अगली रिवायत से वाज़ेह होता है लेकिन उसे मामूल नहीं बनाया जा सकता।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رِجَالاً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ.

(3718) जनाब नज़ाल बिन सब्रा से रिवायत है कि ह़ज़रत अ़ली (رضی اللہ عنہ) ने पानी मंगवाया और खड़े होकर पिया, फिर कहा: तहक़ीक़ कुछ लोग इसको मकरूह समझने लगे हैं हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि इस तरह कर लिया करते थे जैसे तुमने मुझे करते देखा है। (यानी खड़े होकर पी लिया करते थे।)

(3718) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5615.

फ़ायदा : जामेअ़ तिर्मिज़ी की एक हदीस़ जिसको इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने स़ही कहा है, उसमें है कि 'हज़रत कब्सा (رضی اللہ عنہا) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके यहां गये, घर में मश्कीज़ा लटक रहा था तो आपने उससे खड़े खड़े पानी नोश फ़रमाया ... फिर मैंने इस मश्कीज़े के मुँह का वह हिस्सा (जिससे आप (ﷺ) का दहने मुबारक मस (टच) हूआ था) काट कर रख लिया। (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1892) इस हदीस़ से ये भी पता चलता है कि अगरचे मश्कीज़े को मुँह लगाकर पीने की हौस़ला शिकनी की गयी है और आप (ﷺ) ने उससे रोका है लेकिन ये मनाही हराम नहीं, इसे मामूल बनाये बग़ैर ज़रूरत के वक़्त ऐसा किया जा सकता है जिस तरह अगली हदीस़ में वारिद हूआ। आप (ﷺ) का ये अ़मल उम्मत के लिये आसानी पैदा करने का ज़रिया है। इसी तरह का एक वाक़िया मुसनद अहमद में उम्मे सुलैम (رضی اللہ عنہا) से भी मरवी है। (मुसनद अहमद: 6/376) नीज़ सफ़रे हज में भी नबी (ﷺ) ने ज़मज़म खड़े होकर पिया था। (स़ही बुख़ारी: हदीस़: 1637)

बाब : 14
मश्कीज़े के मुँह से मुँह लगाकर पीना

﴿14﴾
باب الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَلاَّلَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ .

(3719) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि मश्कीज़े के मुँह पर मुँह लगाकर पिया जाये और गंदगी खाने वाले जानवर पर सवारी की जाये और ऐसा जानवर खाया जाये जिसको बाँध कर निशाना मारा गया हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जल्लाला उस जानवर को कहते हैं: जो पाख़ाना खाता हो। (यानी जिसकी ये आदत हो।)

(3719) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1825, नसाई, हदीस: 4453, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1363, हाकिम, 2/34.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मश्कीज़े के मुँह से या नल को मुँह लगाकर बराहे रास्त पीना मकरूहे (तंज़ीही) है। उलमा ने कहा है कि सिर्फ़ इस सूरत में है कि मश्कीज़ा लटका हूआ हो तो बराहे रास्त पीने का जवाज़ साबित हो सकता है। उन्होंने ये राय भी नक़ल की है कि मश्कीज़ा लटका हूआ हो। उसे उतारा न जा सकता हो या बर्तन मयस्सर न हो और हथेली से पीना भी मुमकिन न हो तो इस सूरत में मश्कीज़े से बराहे रास्त पीने में कोई हर्ज नहीं। (फ़तहुलबारी) मश्कीज़े के ख़राब होने के अलावा ये भी मुमकिन है कि मश्कीज़े में या नल में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ दाख़िल हो गयी हो और पीने वाले को उसकी ख़बर भी न हो और फिर अज़ीयत उठाये। **(2)** गंदगी खाने वाले जानवर का दूध, गोश्त और उसकी सवारी सब मना हैं। ज़बह करना हो तो पहले कम अज़ कम तीन दिन तक बाँध कर रखा जाये। (इरवा अलग़लील, रिवायत: 2505) **(3)** किसी पालतू जानवर को निशाना मार कर क़त्ल करना हराम है मगर ये कि वह वहशी बन जाये और शिकार के हुक्म में आ जाये तो जायज़ है।

बाब : 15
मश्क का मुँह उलट कर उससे पीना

﴿15﴾
باب فِي اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ .

(3720) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मश्कीज़ों का मुँह उलट कर उनसे पिया जाये।

(3720) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5625, व मुस्लिमस्स 2023.

फ़ायदा : इससे अगली हदीस़ (3721) में इसके जवाज़ का बयान है, लेकिन वह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए मुमानिअ़त ही को तर्जीह है। ताहम ये मुमानिअत बतौर तन्ज़ीही ही है जैसा कि इससे पहले हदीस़ (3719) के फ़वाइद में वज़ाहत की गयी है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ " اخْنُثْ فَمَ الإِدَاوَةِ " . ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيهَا

(3721) ईसा बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उहूद के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मश्कीज़ा मंगवाया फिर फ़रमाया: 'इसका मुँह उल्टाओ।' फिर आपने इसके मुँह से (मुँह लगाकर पानी) पिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1891.

बाब : 16
शहद पीने का बयान

﴿16﴾ باب فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ

(3722) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि प्याले की टूटी हुई जगह से पिया जाये या मशरूब में फूँक मारी जाये।

ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .

(अहमद बिन हज़म बयान करते हैं कि हमें अबू सईद बिन आराबी ने बयान किया कि मुझे इमाम अबू दाऊद (रह.) से क़ुर्रा बिन अब्दुर्रहमान बिन हैवील बिन कासिर अलमुद की बाबत ये ख़बर पहुँची है कि उन्हें (कासिर अलमुद) 'तोड़ने वाला' इसलिए कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने बादशाह के दरबार में मुद तोड़ दिया था, तो उसी वजह से उन्हें इसी नाम से पुकारा जाने लगा।)

(3722) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/80, इब्ने हिब्बान: 1366.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में क़ोसैन वाले अल्फ़ाज साहिबे बज़्लुल मज्हूद ने हाशिये में ज़िक्र करते हुए उनकी बाबत लिखा है कि सुनन अबू दाऊद के बाज़ नुस्ख़ों में ये मौजूद हैं, हमने अवाम के इस्तफ़ादे के लिये उन्हें तहरीर कर दिया है। **(2)** प्याले या पलेट में टूटी हूई जगह की बिलउमूम कमा हक़्क़हू सफ़ाई नहीं होती है, इसलिए हो सकता है कि वह जगह हौंटों को ज़ख़्मी कर दे या पीते वक़्त मशरूब हौंटों से बाहर गिरने लगे जो किसी तरह मुनासिब नहीं। ऐसे ही पानी, चाहे, दूध या दूसरी ख़ुराक में फूँक मारना किसी तरह जायज़ नहीं। मगर दम के लिये फूँक मारने में इख़्तिलाफ़ है कुछ उलमा उमूम के तहत उसे भी नाजायज़ कहते हैं जबकि कुछ उलमा का मौक़िफ़ है कि दम में सूरह फ़ातिहा और मसनून दुआएँ पढ़ने की वजह से उसमें कुछ तासीर पैदा हो जाती है, इसलिए दम कर के फूँक मारना जायज़ है। ख़्याल रहे कि उलमा–ए–किराम का इस क़िस्म की अहादीस में इन मनहियात को 'नही तन्ज़ीही और मकरूहे तन्ज़ीही' कहने का मफ़हूम ये होता है कि अगर कभी ऐसा हो जाये तो उसके मुर्तकिब को मुर्तकिबे कबीरा न समझा जाये। इरशादे रसूलुल्लाह (ﷺ) हर हाल वाजिबुत्तामील होता है। अगर कोई उसे लायअनी जाने या तहक़ीर करते हूए जानबुझ कर मुख़ालिफ़त करे, तो ये कुफ़्र है।

बाब : 17
सोने चाँदी के बर्तन में (खाना) पीना

﴿17﴾ بابٌ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ

(3723) जनाब इब्ने अबी लैला ने बयान किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) मदाइन में थे, उन्होंने पानी तलब किया तो एक देहक़ान

الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلاَّ أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ " هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ " .

(गाँव का रहने वाला) चाँदी के बर्तन में पानी ले आया। तो उन्होंने उसे फैंक मारा और फिर कहा: मैंने उसे बिला वजह नहीं फैंका बल्कि मैं उसको इससे पहले मना कर चुका हूं, मगर ये बाज़ नहीं आया। और तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हरीर व दीबाज से मना फ़रमाया है (हरीर आम रेशम और दीबाज बारीक रेशम को कहते हैं) और सोने चाँदी के बर्तनों में पीने से रोका है और फ़रमाया है। 'ये चीज़ें उनके लिये दुनिया में हैं और तुम्हारे लिये आख़िरत में।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5632, व मुस्लिम: 2067.

फ़ायदा : रेशम और सोना बतौर ज़ेवर और लिबास औरतों के लिये हलाल हैं, मर्दों के लिये सिर्फ़ चाँदी मुबाह है जबकि सोना और रेशम हराम है। सोने चाँदी के बर्तन सभी के लिये हराम हैं। इसी तरह रेशमी बिछौना भी मर्दों के लिये बिला इख़्तिलाफ़ हराम है और औरतों के लिये बाज़ लोग हलाल समझते हैं बाज़ हराम। (फ़तहुलबारी) लेकिन एहतियात ही बेहतर है।

﴾18﴿ بَابٌ فِي الْكَرْعِ

बाब : 18 ज़मीन के किसी हिस्से में जमा शुदा साफ़ पानी मुँह लगाकर पीना

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ

(3724) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अपने एक सहाबी के साथ एक अंसारी के यहां तशरीफ़ ले गये जबकि वह अपने बाग़ में पानी लगा रहा था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हारे पास ऐसा पानी है जो रात भर

الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا " . قَالَ بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ.

मश्कीज़े में हो (तो ले आओ) वरना हम कूएँ के हौज़ में जमा शुदा पानी ही मुँह लगाकर पी लेते हैं।' उसने कहा: हाँ, मेरे पास मश्कीज़े में रात का पानी मौजूद है।

(3724) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5621, इब्ने माजा, हदीस: 3432.

फ़वाइद व मसाइल : (करअ) के कई मानी हैं, (कराअ) इंसान की पिण्डली या जानवर के अगले पिछले पाँव के ऊपर घुटने तक के हिस्से को कहते हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इब्ने अत्तीन के हवाले से अबू अब्दुल मलिक से नक़ल किया है कि इसके मानी 'दोनों हाथों से पानी पीना हैं' इब्ने अत्तीन ने इसे अहले लुग़त के ख़िलाफ़ क़रार दिया है लेकिन (कराअ) के असल मानी के हवाले से ये मफ़हूम ग़लत नहीं। (कराअ अलअर्ज़) ज़मीन के किनारे को कहते हैं जहां गहरा होने की वजह से बारिश वग़ैरह का साफ़ पानी जमा हो जाता है। (कराअ) पहाड़ या पत्थरीले मैदानों से निकलने वाले पानी को भी कहते हैं। (करीअ अलक़ौम) या (अकरअल क़ौम) के मानी हैं कि लोगों को बारिश वग़ैरह का जमा शुदा पानी मिल गया जो उन्होंने इस्तेमाल किया। (लिसानुल अरब) यहां यही मानी मुराद हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंसारी से फ़रमाया: 'अगर तुम्हारे पास ऐसा पानी हो जो रात भर से मश्कीज़े में है (तो ले आओ) वरना हम हौज़ से जमा शुदा पानी पी लेते हैं।' (करअ) के एक मानी बर्तन या हाथ इस्तेमाल किये बग़ैर जानवरों की तरह मुँह से पानी पीना भी हैं। बहुत से मुतरजेमीन ने इस हदीस का तर्जुमा इसी तरह किया है। इमाम नववी (रह.) ने भी रेयाज़ुस्सालेहीन में इसके यही मानी बयान किये हैं, इसलिए इसे भी ग़लत नहीं कहा जा सकता और इस मफ़हूम के ऐतबार से बवक़्ते ज़रूरत इस तरह पानी पीने के जवाज़ का (सुबूत) होता है।

﴾19﴿
باب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

बाब : 19
(लोगों को) पिलाने वाला कब पीयें?

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

(3725) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ौम को पिलाने वाला सब से आख़िर में पीये।'

سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا " .

(3725) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/354, तिर्मिज़ी, हदीस: 1894, व मुस्लिम: 681.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ " الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ" .

(3726) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) को दूध पेश किया गया जिसमें पानी मिलाया गया था। और आपकी दायें जानिब एक देहाती था और बायें जानिब अबूबक्र(ﷺ) थे। आपने दूध पीया, फिर उस देहाती को दे दिया और फ़रमाया: 'दाहिने वाला, फिर दाहिने वाला।'

(3726) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5619, मौता: 2/926, व मुस्लिम: 2029.

फ़ायदा : इन दोनों हदीसों से वाज़ेह हूआ कि साक़ी ख़ूद आख़िर में पीये। और जिसे मज्लिस में दूध वग़ैरह पेश किया जाये वह औरों की तरफ़ बढ़ाये तो दायें तरफ़ वाले को दे और फिर इसी तरह आगे पेश किया जाये।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاَثًا وَقَالَ " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ " .

(3727) हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब पीते तो तीन साँस लेते और फ़रमाते: 'ये (अन्दाज़) प्यास ख़ूब बुझाता है, हज़्म को क़ूव्वत देता है और तंदुरूस्ती का बाइस है।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5631, व मुस्लिम: 2028.

﴿20﴾ بَابٌ فِي النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيهِ

बाब : 20
पानी में फूँक मारना और बर्तन में साँस लेना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى

(3728) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बर्तन में साँस लेने या उसमें फूँक मारने से मना फ़रमाया है।

الله عليه وسلم أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ .

(3728) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1888, इब्ने माजा, हदीस: 3429.

फ़ायदा : (1) अफ़ज़ल ये है कि इंसान तीन साँस में पीये और बर्तन को मुँह से अलग करके साँस ले। **(2)** खाने पीने की चीज़ में फूँक मारना भी जायज़ नहीं। अगर खाना या मशरूब ज़्यादा गर्म हो तो इन्तेज़ार कर ले और ठण्डा करके खाये पीये। इसी तरह अगर कोई तिन्का वग़ैरह इसमें गिर पड़ा हो तो हाथ से निकाल ले, फूँक न मारे। **(3)** बाज़ उलमा तबर्रूक के लिये कुर्आन करीम या कोई दुआ पढ़ कर दम करने को भी नाजायज़ कहते हैं जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि सूरह फ़ातिहा और मसनून दुआएँ पढ़ने से इसमें कुछ तासीर पैदा हो जाती है, इसलिए वह दम करके फूँक मारने को ममनूअ फूँक में शामिल नहीं करते, बल्कि इसको जायज़ क़रार देते हैं। (तफ़्सील के लिये हदीस नम्बर 3722 के फ़वाइद व मसाइल देखिये)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، - مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ - قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَأَكَلَ تَمْرًا فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي . فَقَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " .

(3729) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (ﷺ) जो क़बीला बनी सुलैम से हैं, का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे वालिद के यहां तशरीफ़ लाये और कुछ देर ठहरे। मेरे वालिद ने आपको खाना पेश किया। उन्होंने ज़िक्र किया कि वह खाना हैस (एक ख़ास क़िस्म का खाना जो खजूर, पनीर, घी और आटे वग़ैरह का मुरक्कब होता है) था जो लाया गया। फिर वह मशरूब लाये जो आपने नोश फ़रमाया, फिर अपने दायें तरफ़ वाले को दे दिया, और आपने खजूरें खायी और गुठलियाँ अपनी शहादत ऊँगली और साथ वाली उंगली की पुश्त पर रखते गये। फिर जब आप वहां से उठे तो मेरे वालिद ने उठ कर आपकी सवारी की लगाम थाम ली और अर्ज़ किया कि मेरे लिये अल्लाह से दुआ फ़रमायें, तो आपने फ़रमाया: (अल्लाहुम्मा बारिक लहूम फीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहम्हुम) 'ऐ

अल्लाह! जो तूने इन्हें इनायत फ़रमाया है इसमें इन्हें बरकत दे, इनकी मग़फ़िरत फ़रमा और इन पर रहमत नाज़िल कर।'

(3729) तख़रीज : मुस्लिम: 2042.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से वाज़ेह हूआ कि नबी (ﷺ) ने खायी हूई खजूरों की गुठलियाँ उसी बर्तन में नहीं डालीं बल्कि अ़लग रखी, क्योंकि नफ़ीस तबीअ़तों पर ये बात बहुत नागवार गुज़रती है, तो इसी तरह पानी के बर्तन में साँस लेना भी दूसरो को बुरा लगता है। (2) मशरूब पीने के बाद आपने दायें तरफ़ वाले को दिया। (3) इ़ज़्ज़तदारों की इ़ज़्ज़त करना जिस तरह मेज़बान ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तकरीम की, पसन्दीदा बात है। (4) मेज़बान अपने मेहमान से दुआ़ की दरख़्वास्त कर सकता है। (5) खाने के बाद दुआ़ करना सुन्नत है और जो दुआ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायी वही दुआ़ करना अफ़ज़ल है।

बाब : 21
दूध पीने की दुआ़

﴿21﴾
باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

(3730) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं मैं (अपनी ख़ाला) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) के घर में था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और आपके साथ हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (رضي الله عنه) भी थे। घर वालों ने दो सांडे भुने हूए पेश किये जो दो लकड़ियों पर रखे हूए थे। रसूल (ﷺ) ने (उन्हें देख कर) थूक दिया तो हज़रत ख़ालिद (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा ख़याल है आप इसे नापसन्द करते हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَزَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ خَالِدٌ إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَجَلْ " . ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ . وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ . فَإِنَّهُ لَيْسَ شَىْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ .

ख़िदमत में दूध पेश किया गया जो आपने नोश फ़रमा लिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई खाना खाये तो यूं दूआ किया करे (अल्लाहुम्मा! बारिक लना फीहा व अत्इम्ना ख़यरन मिन्हु) 'ऐ अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे और इससे उम्दा अता फ़रमा।' और जब उसे दूध पिलाया जाये तो यूं कहे: (अल्लाहुम्मा! बारिक लना फीहि व ज़िद्ना मिन्ह) 'ऐ अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे और मज़ीद इनायत फ़रमा।' दूध के सिवा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने और पीने दोनों से किफ़ायत करे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये अल्फ़ाज़ जनाब मुसद्दद के हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3455.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की है जैसा कि (अस्सहीहा, हदीस: 2320) में इसकी वज़ाहत है और इसी तरह मुसनद अहमद के मुहक़्क़िक़ीन ने भी इस राय को दुरूस्त कहा है वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर न खाया जाता, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये खाना पसन्द न था। **(2)** आम तर्जुमा करने वाले 'ज़ब' के मानी सूसमार और गोह करते हैं, जो किसी तरह सही नहीं। 'सांडा' घास खाने वाला जानवर है। जबकि सूसमार या गोह मैंढक और छिपकली वग़ैरह खाती है गोह के लिये अरब में जो नाम है वह 'वरल' हैं गोह सान्डे से बड़ी होती है जानवरों के जानकार लिखते हैं कि वरल 'ज़ब' और 'वज़ग' छिपकली शक्लो शबाहत में करीब करीब होते हैं और अहादीस़ वाज़ेह करती हैं कि छिपकली वग़ैरह को मार देना चाहिए जबकि ज़ब यानी सांडे का खाना जायज़ है, वरल (गोह, सूसमार) का कोई ज़िक्र नहीं है। **(3)** अल्लाह की हर हर नेमत पर उसका शुक्र करना वाजिब है, बिलख़ुसूस खाने पीने और दूध के बाद मासूर दुआएँ पढ़ना ताकीदी सुन्नत है।

بَابٌ فِي إِيكَاءِ الآنِيَةِ

(22)

बाब : 22
बर्तनों को ढाँप कर रखने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ " .

(3731) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना दरवाज़ा बंद कर और अल्लाह का नाम ले, बिलाशुब्हा शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अपना चराग़ बुझा और अल्लाह का नाम ले। अपना बर्तन ढाँप कर रख ख़्वाह उसमें कोई लकड़ी आड़े तौर पर रख दे और अल्लाह का नाम ले। और अपने मश्कीज़े का तस्मा बाँध कर रख और अल्लाह का नाम ले।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5623, व मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैतान की अदावत और शरारत बहुत मख़्फ़ी और मुसलसल होती है, उसका मुक़ाबला अल्लाह के नाम ही से मुमकिन है, इसलिए मुनासिब मौक़े पर मसनून दुआएँ पढ़ते रहना चाहिए बिलख़ुसूस मामूल के छोटे छोटे कामों पर बिस्मिल्लाह कहना अपनी आदत बना लेना चाहिए। **(2)** हिफ़्ज़ाने सेहत वग़ैरह के उसूलों की पाबंदी करना फ़ितरत है, लेकिन अगर इंसान सुन्नते नबविया पर अमल करने की नियत से ये सब कुछ करे तो ये उमूर तक़र्रूबे इलाही का ज़रिया बन जाते हैं और सवाब भी मिलता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ " فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ

(3732) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस बयान की। (अब्दुल्लाह बिन मसलमा की) ये रिवायत मुकम्मल नहीं है, फ़रमाया: 'शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता, न तस्मा और बंधन ही खोल सकता है और न ढाँपे हूए बर्तन को नंगा कर सकता है, (चराग़ बुझा कर न सोया जाये तो उसका नुक़सान ये है

إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ " . أَوْ " بُيُوتَهُمْ " .

कि) चूहिया लोगों के घरों को जला डालती है।' (बत्ती को घसीट ले जाती है और इस तरह घर में आग लग जाती है।)

तख़रीज : मौता: 2/928, 929, व मुस्लिम: 928.

फ़ायदा : तिब्बी तौर पर साबित है कि रात को रोशनी बुझाकर सोना बहुत ज़्यादा राहत और सुकून का बाइस होता है। चराग़ वग़ैरह जला कर सोने में वह नुक्सान है, जो हदीस़ में बयान हूआ, बिजली या गैस के हिट या कोयले की अंगेठी जलती छोड़ कर सो जाना भी बहुत मुज़िर (नुक्सानदेह) है। बहुत सी ख़बरें सुनने पढ़ने में आई हैं कि इनसे आग लग जाती है और कभी लोग दम घुट कर मर जाते हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ قَالَ " وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ " عِنْدَ الْمَسَاءِ " " فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً " .

(3733) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने मरफ़ूअन बयान किया: 'इशा के वक़्त ... और जनाब मुसद्दद ने रिवायत किया कि ... शाम के वक़्त अपने बच्चों को (घरों में) रोक कर रखा करो। उस वक़्त जिन्न (ज़मीन में) फैल जाते हैं और (बच्चों को) उचक लेते हैं।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3316, मुस्लिम: 2012.

फ़ायदा : शैतानी अस़रात और उनके हमलों से बचने के लिये मसनून अज़कार के साथ साथ इस मज़कूरा हिफ़ाज़ती तदबीर का एहतिमाम करना भी लाज़िमी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ " بَلَى " . قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَّ خَمَّرْتَهُ

(3734) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि (एक बार) हम नबी (ﷺ) के साथ थे कि आपने पानी तलब फ़रमाया, एक शख़्स ने कहा: क्या हम आपको नबीज़ न पेश करें? आपने फ़रमाया: 'क्यों नहीं।' चूनांचे वह भागता भागता गया और एक प्याला ले आया, उसमें नबीज़ थी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने उसे ढाँपा क्यों नहीं? उस पर कोई लकड़ी ही रख लेता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (इमामे

وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الأَصْمَعِيُّ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ.

लुग़त) अस़मई ने इस लफ़्ज़ को (तअरूज़ुहू अलैहि) पढ़ा है। रा के पेश के साथ जबकि दूसरे ज़ेर से पढ़ते हैं।)

(3734) तख़रीज :

फ़ायदा : खाने पीने की चीज़ों को जब कुछ दूरी तक इधर उधर ले जाना हो तो मुनासिब ये है कि ढाँप कर ले जाया जाये।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا . قَالَ قُتَيْبَةُ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ.

(3735) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) के लिये मीठा पानी सुक़ीया के घरों से लाया जाता था। क़ुतैबा ने कहा: 'सुक़ीया' एक चश्मे का नाम था जो मदीने से दो दिन की मसाफ़त पर था।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/100, व हाकिम 4/138.

फ़ायदा : स़ाफ़ और उ़म्दा पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसके लिये एहतिमाम रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है। जायज़ हुदूद में रहते हूए अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाना ज़ुहद (परहेज़गारी) के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता इन नेमतों का शुक्र ज़रूरी है। अजमी और हिन्दी तस़व्वुरात के ज़ेरे अस़र बाज़ सूफ़िया इन फ़ितरी नेमतों से दूर रहने को दीन समझते हैं जबकि ये तस़व्वूर दुरूस्त नहीं।

كتاب الأطعمة

खाने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

फ़ायदा : खाने, पीने, पहनने और सुकना (रिहाईश) वग़ैरह के इंसानी आदात पर मबनी मसाइल में अस़ल हिल्लत (हलाल) है यानी सब ही हलाल हैं, सिवाए उन चीज़ों और उन उमूर के जिनसे शरीयत ने मना कर दिया हो।

﴾1﴿ باب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

बाब : 1 दावत क़बूल करने का बयान

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا " .

(3736) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को वलीमे की दावत दी जाये तो चाहिए कि वह उसमें हाज़िर हो।'

(3736) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5173, मौता: 2/546, व मुस्लिम; 1429.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ زَادَ " فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ " .

(3737) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया और ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी ज़िक्र किया और मज़ीद कहा: 'अगर रोज़ा न रखा हो तो खाने में शरीक हो जाये और अगर रोज़े से हो तो (खिलाने वाले के लिये) दुआ़ करे।'

(3737) तख़रीज : मुस्लिम; 1429.

(3738) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हें तुम्हारा भाई दावत दे तो क़बूल करनी चाहिए, शादी (का वलीमा) हो या उसकी मानिन्द कोई और।'

(3738) तख़रीज : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 19666, हदीस: 3736. में देखें।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .

फ़ायदा : अपने मुसलमान भाई की ख़ुशी में शरीक होना इन्तेहाई फ़ज़ीलत का काम है।

(3739) इब्ने अलमुसफ़्फ़ा ने कहा हमें बक़िया ने बयान किया, उसने कहा हमें ज़ुबैदी ने नाफ़े से बसनद अय्यूब इसी के हम मानी रिवायत किया।

(3739) तख़रीज : मुस्लिम.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ.

(3740) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे दावत दी गयी हो उसे चाहिए कि क़बूल कर ले, फिर अगर चाहे तो खाना खा ले और अगर चाहे तो न खाये।'

(3740) तख़रीज : मुस्लिम: 1429.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .

(3741) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे दावत दी गयी और उसने उसे क़बूल न किया तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की, और जो शख़्स बिन बुलाये किसी दावत में जा पहुँचा, तो वह उनमें चोर बनकर दाख़िल हूआ और लुटेरा बनकर निकला।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (रावी) अबान बिन तारिक़ मजहूल है।

(3741) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 7/68.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

(3742) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहा करते थे कि सबसे बुरा वलीमा वह है जिसमें मालदारों और अमीरों को बुलाया जाये और मसाकीन और फ़क़ीरों को छोड़ दिया जाये और जो दावत में नहीं आया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5177, मौता: 2/546, व मुस्लिम: 1432.

फ़ायदा : इन अहादीसे मुबारका से साबित हूआ कि शरई दावतों का एहतिमाम करना, उन्हें क़बूल करना और उनमें हाज़िर होना इन्तेहाई ताकीदी अमल है। बग़ैर इस इस्तेस्ना के कि दावत देने वाला कौन है? लिहाजा शरई उ़ज्र के बग़ैर उनसे पीछे रहना क़तअन ठीक नहीं जो एक ऐतबार से तक़ब्बुर (घमंड) में शुमार होता है। ऐसे ही मालदारों की दावत क़बूल करना और .फ़क़ीरों से ऐराज़ करना भी बहुत बड़ा ऐब है। नीज़ अहम शर्त ये है कि इन दावतों में शरई उमूर व आदाब की पाबंदी, भाई चारगी और इस्लामी मुहब्बत का इज़हार और इकरामे मुस्लिम मक़सूद हो। रिया 'शोहरा' सिर्फ़ मालदारों और अमीरों को जमा करना, फ़ुक़रा को अहमियत न देना, इसराफ़ व तब्ज़ीर और दीगर शरई मुख़ालिफ़तों का इरतेकाब इन दावतों को मकरूह बना देता है। जिनमें शिरकत जायज़ नहीं। इसके अलावा इस तरह की दावत में शरीक होने वाला भी महज़ लज्ज़त काम व दहन को अपना मतमहे नज़र न बनाये।

﴾2﴿ بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ

बाब : 2
निकाह के मौक़े पर वलीमा करना मुस्तहब है

फ़ायदा : (वलीमा) लुग़त में 'वलम' से माख़ूज़ है जिसका मानी जमा होना है। चूंकि ये दावत मियाँ बीवी के इकट्ठे और जमा होने की ख़ूशी में होती है तो इसलिए इसे 'वलीमा' कहा जाता है। वैसे हर ख़ूशी की दावत को भी 'वलीमा' ही कहते हैं, मगर निकाह की ख़ूशी में ये ज़्यादा मशहूर है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ

(3743) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) की मज्लिस में उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) के निकाह का ज़िक्र आ गया तो उन्होंने कहा: मैंने नहीं देखा कि

جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी किसी बीवी के वलीमा में इस क़द्र एहतिमाम किया हो जितना उनके मौक़े पर वलीमा में किया था। आपने एक बकरी से वलीमा किया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5171, व मुस्लिम: 1428.

फ़ायदा : ये निकाह वहि की बुनियाद पर हूआ था। इसमें वली, हक़ मेहर और गवाहों का कोई एहतिमाम न था। सूरह अहज़ाब में है: 'पस जब ज़ैद ने उस औरत से अपनी ग़र्ज़ पूरी कर ली तो हमने उसे आपके निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे जब वह उनसे अपना जी भर लें।' (अल अहज़ाब: 37)

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ، بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ

(3744) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया(ﷺ) के निकाह में सत्तू और खजूर से वलीमा किया था।

(3744) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1095, इब्ने माजा, हदीस: 1909, बुख़ारी, हदीस: 371, व मुस्लिम: 1365.

फ़ायदा : वलीमा करना मुस्तहब है और जो मयस्सर हो पेश कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि गोश्त ही हो। आजकल वलीमा की सुन्नत पर अमल किया जाता है, लेकिन बड़े लोग इसमें इतना तकलीफ़ करते हैं कि अल्लाह की पनाह! इसराफ़ व तब्ज़ीर (फजूलखर्ची) का ये मुज़ाहिरा इसको शैतानी अमल में तब्दील कर देता है। 'फ़ज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं।' (बनी इस्राईल: 27)

﴾3﴿ بَابٌ فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ

बाब : 3 वलीमे की दावत कितने दिनों तक मुस्तहब है?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ،

(3745) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़स्मान ने क़बील–ए सक़ीफ़ के एक काने आदमी से रिवायत की, उसे मारूफ़ कहा जाता था, यानी उसकी तारीफ़ की जाती थी। अगर

عَنْ رَجُلٍ، أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا - أَىْ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ " . قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ .

उसका नाम ज़ुहैर बिन उ़स्मान नहीं तो मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या नाम था? उसने रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक वलीमा पहले दिन हक़ (लाज़िम) है, दूसरे दिन नेकी है और तीसरे दिन शोहरत पसन्दी और दिखलावा है।'

क़तादा (रह.) ने एक आदमी से नक़ल किया कि जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) को पहले दिन दावत दी गयी तो क़बूल की, दूसरे दिन बुलाया गया तो क़बूल किया, तीसरे दिन बुलाया गया तो क़बूल न किया और कहा: ये लोग शोहरत और दिखलावा चाहते हैं।

(3745) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 6596, मुसनद अहमद, 5/28.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ .

(3746) जनाब क़तादा (रह.) ने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से ये क़िस्सा बयान किया। कहा कि तीसरे दिन बुलाया गया तो दावत क़बूल न की और पैग़ाम लाने वाले को कंकर दे मारा।

(3746) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। शैख़ अ़ब्दुत तव्वाब मुल्तानी (रह.) लिखते हैं कि अगर तीनों दिन खाने वाले लोग एक ही हों तो तीसरे दिन की दावत नाजायज़ है। अगर मुख़्तलिफ़ हों तो अय्याम की कसरत का कोई हर्ज नहीं जो कि सलफ़ से साबित है। सही बुख़ारी में भी इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है। देखिये: (सही बुख़ारी)

बाब : 4
सफ़र से वापस पहुँचने पर खाना खिलाना

﴾4﴿
باب الإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .

(3747) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीना तशरीफ़ लाये तो आपने एक ऊँट या गाय ज़बह की थी।

(3747) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 3089.

फ़ायदा : शायद ये ग़ज़्व-ए-तबूक से वापसी का वाक़िया हो। (बज़्लुल मज्हूद)

बाब : 5
ज़ियाफ़त (मेहमानी) का बयान

﴾5﴿
باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ

(3748) हज़रत अबू शुरैह कअबी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स का अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे, ख़ूब ख़िदमत और मदारात एक दिन रात है, मेहमानी तीन दिन होती है, उसके बाद सदक़ा है। मेहमान के लिये हलाल नहीं कि अपने मेज़बान के पास डेरा डाल ले कि उसके लिये मशक़्क़त और बोझा बन जाये।'

عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " . فَقَالَ يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि बसनद हारिस बिन मिस्कीन, अशहब से मरवी है कि इमाम मालिक (रह.) से नबी (ﷺ) के फ़रमान: (जाइज़तुहू यौमुन व लैलुन) का मफ़हूम पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन रात उसकी ख़ूब इज्ज़त अफ़ज़ाई करे, उसे तोहफ़ा दे और उसका ख़ूब ख़्याल करे और तीन दिन तक मेहमानी है।

(3748) तख़रीज : मौता: 2/929, बुख़ारी, व मुस्लिम: 1726.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (जाइज़ा) का एक मफ़हूम ये भी बयान किया गया है कि मेहमान के रवाना होते वक़्त भी उसे इस क़द्र दे कि एक दिन रात की मसाफ़त आसानी से तय हो जाये। (फ़तहुलबारी: 6135) **(2)** मेहमान के लिये लाज़िम है कि अपने मेज़बान के अहवाल का ख़्याल रखे और उसके लिये अज़ियत या मशक़्क़त का बाइस न बने। **(3)** मेज़बान अगर मुतालबा करे या कोई इज़तिरारी कैफ़ियत हो तो तीन दिन से ज़्यादा भी ठहर सकता है, मगर ये ख़िदमत मेज़बान की तरफ़ से सदक़ा होगी।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ " .

(3749) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेज़बानी तीन दिन है जो उसके अलावा हो, वह सदक़ा है।'

(3749) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 2/354.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .

(3750) हज़रत अबू करीमा (मिक़्दाम बिन मादी करिब) (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक रात की ज़ियाफ़त हर मुसलमान पर हक़ लाज़िम (वाजिब) है। जो शख़्स किसी के सहन में उतरे तो ज़ियाफ़त उस पर क़र्ज़ है, मेहमान चाहे तो वसूल कर ले और अगर चाहे तो छोड़ दे।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3677.

(3751) हज़रत मिक़्दाम (बिन मअदी करिब) अबूकरीमा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी क़ौम का मेहमान हो फिर वह ज़ियाफ़त से महरूम रहे तो उसकी नुसरत करना हर मुसलमान पर वाजिब है यहाँ तक कि वह उनसे अपनी एक रात की ज़ियाफ़त हासिल कर ले। उसकी खेती से और माल से।'

(3751) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 4/131, अज़्ज़हबी तल्ख़ीसुल मुस्तदरक, 4/132, अत्तल्ख़ीसु अलहबीर: 4/159.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ " .

(3752) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) आप हमें रवाना फ़रमाते हैं, हम किसी क़ौम के यहां पड़ाव करते हैं और वह हमारी मेहमानी नहीं करते तो आपकी क्या राय है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया: 'अगर तुम किसी क़ौम के यहां पड़ाव करो तो अगर वह तुम्हारे लिये उस चीज़ का कहें जो मेहमान के लायक़ है तो उसे क़बूल कर लो, अगर वह ऐसा न करें तो उनसे अपना मेहमानी का हक़ वसूल करो जो लायक़ और मुनासिब हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसमें दलील है कि इंसान अपना हक़ वसूल कर सकता है।

(3752) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6137, व मुस्लिम: 1727.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ " إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّىْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا .

﴾6﴿
باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

बाब : 6
दूसरे का माल बतौर ज़ियाफ़त खाने की हुरमत मन्सूख़ हो चुकी है

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ قَالَ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } { أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ } إِلَى قَوْلِهِ { أَشْتَاتًا } كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي لأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ . وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُولُ الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي . فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ

(3753) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने सूरह अन्निसा की आयत (29) की तफ़्सीर में फ़रमाया (ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम ...) 'तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से मत खाओ, सिवाए इसके कि आपस की रज़ामंदी से तिजारत हो।' इस आयत के उतरने पर लोग एक दूसरे के यहां खाना खाने में हर्ज समझते थे। फिर सूरह नूर की आयत: 61 ने इसको मन्सूख़ कर दिया। फ़रमायाः (लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू मिम बुयूतिकुम... अशतातन) 'तुम पर कोई हर्ज नहीं कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाईयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामूओं के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो या अपने दोस्तों के घरों से, इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि तुम सब साथ मिलकर खाओ या अलग अलग।' (इसी तरह) कोई मालदार अपने अहल कि किसी फ़र्द को खाने की

يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ .

दावत देता तो वह कहता कि मैं उसके खाने में हर्ज समझता हूं, कोई और मिस्कीन उसका मुझ से ज़्यादा हक़दार है। चुनांचे इस आयत के ज़रिये से हलाल ठहराया गया है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वह खा लिया करें और (ऐसे ही) अहले किताब का खाना भी हलाल कर दिया गया।

तख़रीज : **(सनद हसन)** बैहक़ी, हदीस: 7/274.

फ़ायदा : सूरह निसा की आयत से बाज़ सहाबा ने ये समझा कि तिजारत के बग़ैर किसी के यहां खाना खाना, अक्ल बिलबातिल (नाजायज़) है। इसी तरह बाज़ मालदार अपने ग़रीब रिश्तेदार के यहां खाने में हर्ज समझते थे, सूरह नूर की आयत से इन दोनों शुब्हों का इज़ाला करके वाज़ेह कर दिया गया कि तुम तिजारत के बग़ैर भी एक दूसरे के यहां खाना खा सकते हो। इसी तरह मालदार शख़्स अपने ग़रीब रिश्तेदार के घर खाना खा सकता है, सिर्फ़ एक शर्त है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। इसके अलावा अहले किताब का खाना भी तुम्हारे लिये हलाल है।

﴾7﴿
بَابٌ فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ

बाब : 7
(बतौर फ़ख़्र व रिया) मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने वाले का खाना

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لاَ يَذْكُرُ

(3754) इकरिमा (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहा करते थे: बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुक़ाबला बाज़ी में आकर खिलाने वालों का खाना खाने से मना फ़रमाया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जरीर के अक्सर शागिर्द इस रिवायत में इब्ने अब्बास (ﷺ) का नाम ज़िक्र नहीं करते। अलबत्ता हारून

فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

नव्वी ने इनका नाम लिया है। हम्माद बिन ज़ैद ने भी इब्ने अ़ब्बास का ज़िक्र नहीं किया। (यानी उनकी रिवायत मुरसल हुई।)

(3754) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/274, हाकिम: 4/128, 129.

फ़ायदा : मुक़ाबला बाज़ी में खिलाने वाले का मक़सद महज़ फ़ख़्र व रिया और शोहरत का हासिल करना हो तो ऐसे खाने में शरीक नहीं होना चाहिए।

﴿8﴾ باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرَى مَكْرُوهًا

बाब : 8
ऐसी दावत में जाना जिसमें कोई ग़ैर शरई बात हो

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً، أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ مَعَنَا . فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَىِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ . فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّكَ فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ

(3755) हज़रत सफ़ीना अबू अ़ब्दुर्रहमान (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) की दावत की और उनके लिये खाना तैयार किया (और उनके घर भेज दिया) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने कहा: अगर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) को बुला लें और वह भी हमारे साथ तनावुल फ़रमा लें (तो बहुत ख़ूब हो) चुनांचे उन्होंने आप (ﷺ) को दावत दी और आप तशरीफ़ ले आये। आपने अपना हाथ दरवाज़े की चौखट पर रखा और एक मुनक़्क़श (नक्शा निगार वाला) परदा देखा जो घर की एक जानिब में लगाया गया था, तो आप (ﷺ) वापस हो लिये। सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) ने हज़रत अ़ली (ﷺ) से अ़र्ज़ किया: नबी (ﷺ) से मिलें और मालूम करें कि किस चीज़ ने आपको वापस लौटाया है। हज़रत अ़ली (ﷺ) कहते हैं कि मैं आप (ﷺ)

لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا " .

के पीछे गया और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आप किस वजह से वापस आ गये हैं? आपने फ़रमाया: 'मुझे लायक़ नहीं या कहा कि नबी को लायक़ नहीं कि नक़्श व निगार वाले घर में दाख़िल हो।'

(3755) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3360.

फ़ायदा : (1) घरों में दीवारों को ग़ैर ज़रूरी रंगारंग मुनक़्क़श (नक्शो निगार वाले) परदों वग़ैरह से मुज़य्यन करना इस्लामी सक़ाफ़त के मनाफ़ी है। (2) और इसी तरह जिस दावत में किसी ग़ैर शरई बात का इरतेकाब हो उसमें भी शिर्कत दुरूस्त नहीं। बिलख़ुसूस ऐसी शख़्सियात के लिये जो अवाम के यहां शरई उमूर में मोतबर हों, उनकी शिर्कत और फिर मुन्करात (गलत कामों) पर उनकी ख़ामोशी एक लिहाज़ से रज़ामंदी समझी जा सकती है जो उनके हक़ में बहुत बड़ा ऐब है। (3) और ऐसे घर जिनकी तामीर ही मुन्करात व फ़वाहिश और ग़ैर शरई कामों के लिये होती है, वहां जाना हराम है।

﴿9﴾ باب إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ

बाब : 9 जब दो दाई इकट्ठे हो जायें तो कौन ज़्यादा हक़दार है?

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ "

(3756) एक सहाबी से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब दो शख़्स दावत देने वाले इकट्ठे हो जायें तो उसकी दावत क़बूल कर जिसका दरवाज़ा उनमें से ज़्यादा क़रीब हो क्योंकि जिसका दरवाज़ा ज़्यादा क़रीब हो उसी की हमसायगी ज़्यादा क़रीब होती है। और अगर उनमें से एक पहले आया है तो पहले आने वाले की क़बूल कर।'

(3756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/408, अत्तल्ख़ीसुलहबीर: 3/196.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर सही अहादीस़ से भी ये तर्तीब स़ाबित है और अक्स़र उलमा का अमल भी इसी पर है।

बाब : 10
जब नमाज़ तैयार हो और रात का खाना भी

﴿10﴾ باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْعَشَاءُ

(3757) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी का रात का खाना रख दिया गया हो और नमाज़ की इक़ामत भी हो गयी हो तो (नमाज़ के लिये) न उठे यहाँ तक कि खाने से फ़ारिग़ हो जाये।' मुसद्दद ने मज़ीद कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (ﷺ) के लिये रात का खाना रख दिया जाता ... या शाम का खाना तैयार हो जाता ... तो वह खाने से फ़ारिग़ हो जाने तक न उठते ख़्वाह इक़ामत सुन लेते या इमाम की क़िराअत सुन रहे होते।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ .

(3757) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 673, मुसनद अहमद: 2/20, व मुस्लिम: 559.

फ़ायदा : नमाज़ ऐसी इबादत है जिसमें रब ज़ूलजलाल से मुनाजात होती है तो इंसान को अपने फ़ितरी जरूरियात से फ़ारिग़ होकर पूरी यकसूई से नमाज़ अदा करनी चाहिए। खाने पर पहुँचने से पहले नमाज़ का बोझ उतारने की कोशिश क़तअन मुनासिब नहीं। इसी तरह पेशाब पाख़ाने के तक़ाज़े हैं, ज़रूरी है कि इंसान पहले इन उमूर से फ़ारिग़ हो ले, ऐसा न हो कि ध्यान खाने वग़ैरह की तरफ़ लगा हो और नमाज़ में यकसूई हासिल न हो पाये।

(3758) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खाने या किसी और वजह से

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَلًّى، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُؤَخَّرُ الصَّلاَةُ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ " .

नमाज़ को मुअख़्ख़र (ताख़ीर) न किया जाये।'

(3758) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 2/23.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ، يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ .

(3759) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैद बिन उमैर ने कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) के दौर की बात है कि मैं अपने वालिद (उ़बैद बिन उमैर) के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के साथ बैठा हूआ था कि अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा: हमने सुना है कि (नमाज़ से पहले) अ़शाइये (रात के खाने) से इब्तेदा की जाये। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने कहा: अफ़सोस तुम पर! भला उनका अ़शाया क्या होता था? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप के अ़शाये की तरह होता था? (यानी क्या तरह तरह के खाने होते थे?)

(3759) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/73.

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (ﷺ) वाली रिवायत (3758) सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैद बिन उमैर वाली रिवायत सही है और पिछली हदीस़ के मफ़हूम की ताईद करती है। बाब की पहली हदीस़ में नमाज़ से पहले खाने और दो अहादीस़ खाने के लिये नमाज़ को मुअख़्ख़र (लेट) न करने की ताकीद करती हैं। अ़ल्लामा ख़त्ताबी (रह.) दोनों की वज़ाहत करते हूए फ़रमाते हैं कि अगर खाने की तलब बहुत ज़्यादा हो और दस्तरख़्वान भी लगा दिया गया हो तो पहले खाना खा लिया जाये। लेकिन अगर ये कैफ़ियत न हो, खाने में तकल्लुफ़ात हों और बहुत ज़्यादा देर लगती हो और नमाज़ का वक़्त या जमाअ़त निकल जाने का अन्देशा हो तो पहले नमाज़ पढ़ ली जाये।

बाब : 11
खाने के वक़्त हाथ धोने का बयान

﴿11﴾ باب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ " إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ " .

(3760) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (﵄) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल ख़ला से निकले तो आपको खाना पेश किया गया। सहाबा ने कहाः क्या आपके लिये वज़ू का पानी न ले आयें? आपने फ़रमायाः 'मुझे वज़ू का हुक्म उसी वक़्त है जब मैं नमाज़ के लिये खड़ा होंऊ।'

(3760) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः 1847, नसाई, 132.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर हाथ साफ़ हों तो खाने के वक़्त दोबारा धोने का एहतिमाम कोई सुन्नत नहीं है। **(2)** बैतुल ख़ला में फ़रागत के बाद हाथ अच्छी तरह साफ़ करना ज़रूरी हैं, खाने के लिये उन्हें दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं। **(3)** हर वक़्त बावज़ू रहना मुस्तहब है मगर वाजिब नहीं। **(4)** खाने के वक़्त वज़ू का एहतिमाम बेहतर है ज़रूरी नहीं।

बाब : 12
... खाने से पहले हाथ धोने का बयान

﴿12﴾ باب فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله

(3761) हज़रत सलमान फ़ारसी (﵁) ने कहाः मैंने तौरात में पढ़ा कि खाने से पहले वज़ू कर लेना बाइसे बरकत होता है। मैंने ये बात नबी (ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः 'खाने की बरकत वज़ू में है कि

عليه وسلم فَقَالَ " بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ " . وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

खाने से पहले किया जाये और बाद में भी।' और जनाब सुफ़ियान खाने से पहले वुज़ू करना मकरूह समझते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ये रिवायत ज़ईफ़ है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1846.

﴿13﴾ بَابٌ فِي طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

बाब : 13 अचानक खाने के मौक़े पर (बग़ैर हाथ धोये) खाना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، - يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً .

(3762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक पहाड़ी की घाटी की तरफ़ से तशरीफ़ लाये। आप क़ज़ा ए–हाजत से आये थे और हमारे सामने ढाल पर खजूरें रखी थीं। हमने आपको दावत दी तो आपने हमारे साथ मिलकर तनावुल फ़रमाईं और पानी को हाथ भी नहीं लगाया।

(3762) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/397, हदीस: 15345.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लामा ख़त्ताबी लिखते हैं कि अगर दावत देने वाले ने पैशगी दावत न दे रखी हो तो अचानक उसके खाने में शरीक होना नापसन्द समझा जाता है मगर ये कि आसार व क़राइन से वाज़ेह हो कि साहिबे तआम फ़राख़ दिली से पेशकश कर रहा है तो शरीक हो जाये। **(2)** इन दोनों रिवायात (हाथ धोने वाली और न धाने वाली) ज़ईफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत हैं। इस बिना पर खाने के वक़्त हाथ धोने ज़रूरी नहीं। हाँ अगर वह साफ़ न हों तो फिर धोने ज़रूरी होंगे।

बाब : 14
खाने में ऐ़ब जोई मकरूह है

﴾14﴿
باب في كراهية ذم الطعام

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

(3763) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी किसी खाने में ऐ़ब नहीं निकाला। आपकी तबीयत चाहती तो तनावुल फ़रमाते अगर नापसन्द करते तो छोड़ देते।

(3763) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5409, व मुस्लिम: 2064.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इंसान अल्लाह की नेमत खाये बिना रह भी न सके और फिर उसकी ऐ़ब जोई भी करे ये बहुत बुरी ख़स़लत है। अगर खाना तैयार करने वाले की कमी हो तो उसको मुनासिब अन्दाज़ से समझा देना चाहिए। (2) इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल भी किया जा सकता है कि इंसान ने किसी शख़्स़ या इदारे से कोई मुआहिदा तय किया हो और तय शुदा उमूर व शराइत पर मामला चल रहा हो तो मुनासिब नहीं कि उस इदारे या अफ़राद पर बिला वजह तअ़न व तशनीअ़ करे। या तो बख़ैर व ख़ूबी साथ निभाये या भले अन्दाज़ से जुदा हो जाये। ताहम नस़ीहत और ख़ैर ख़्वाही का इस्लामी, शरई और अख़्लाक़ी हक़ अच्छे तरीक़े से अदा किया जाना चाहिए।

बाब : 15
इकट्ठे मिलकर खाना खाने का बयान

﴾15﴿
باب في الاجتماع على الطعام

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَصْحَابَ

(3764) वहशी बिन हरब अपने वालिद से और वह (वहशी के) दादा स़हाबी (वहशी बिन हरब)(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि अस़्हाबे नबी (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम खाते हैं मगर सैर नहीं होते। आपने

النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلاَ تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ ‏.‏

फ़रमाया: 'शायद तुम लोग अलग–अलग होकर खाते हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'इकट्ठे होकर खाया करो और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो, इसमें तुम्हारे लिये बरकत पैदा कर दी जायेगी।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: जब तुम किसी दावत में शरीक हो और अशाया (खाना) सामने रख दिया जाये तो जब तक घर वाला इजाज़त न दे मत खाओ।

(3764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3286, इब्ने हिब्बान, 1345.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ अल इस्नाद है और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की है और जिन्होंने इसे हसन क़रार दिया है वह इस हदीस से नीचे दिये गये मसाइल अख़ज़ करते हैं। **(2)** खाने पर इकट्ठे होने में उल्फ़त व मुहब्बत के साथ साथ बरकत बढ़ती है। दोस्तों में अगर कोई अन बन हो तो दूर हो जाती है। आम इज्तेमात के अलावा घरों में भी इसका एहतिमाम होना चाहिए। इस तरह बरकत के अलावा नौख़ैज़ बच्चों को आदाबे मज्लिस की तरबियत मिलती है। **(3)** बाज़ उलमा ने इससे ये भी इस्तेदलाल किया है कि इस हदीस में एक ही बर्तन में खाने की तर्ग़ीब है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने जिस अहम बात की तरफ़ तवज्जोह दिलाई है वह खाने के आदाब का अहम हिस्सा है।

﴾16﴿ بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

बाब : 16 खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ

(3765) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना, 'इंसान जब अपने घर में दाख़िल होते हुए अल्लाह का नाम लेता है और फिर अपने खाने पर भी अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान कहता

فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ"

है: तुम्हारे लिये यहां न रात का कोई ठिकाना है और न रात का खाना। और जब इंसान दाख़िल होते वक़्त अल्लाह का ज़िक्र न करे तो शैतान कहता है: तुम्हें रात का ठिकाना मिल गया और जब खाने पर भी अल्लाह का नाम न ले तो कहता है: तुम्हें रात के ठिकाने के साथ साथ खाना भी मिल गया।'

(3765) तख़रीज : मुस्लिम: 2018.

फ़ायदा : शैतान और उसके चैले–चपाटे नज़र नहीं आते। इरशादे बारी तआला है: 'बेशक शैतान और उसका लश्कर तुम्हें ऐसे मक़ाम से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते।' (अल आराफ़: 27) और उनके हमले इन्तेहाई मख़्फ़ी, शदीद और मुसलसल हैं। उनसे बचाव का यक़ीनी तरीक़ा अल्लाह का नाम लेना है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا وَقَالَ " إِنَّ الشَّيْطَانَ

(3766) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ खाने में शरीक होते तो हममें से कोई खाने में हाथ न डालता जब तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शुरू न कर लेते। चुनांचे एक मर्तबा हम आपके साथ खाने में शरीक थे कि एक बदवी आया गोया उसे धकेला जा रहा था, पस वह आगे बढ़ा कि खाने में अपना हाथ डाले तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक छोटी बच्ची आई गोया उसे (भी) धकेला जा रहा था, उसने भी आगे बढ़ कर अपना हाथ खाने में डालना चाहा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका हाथ भी पकड़ लिया और फ़रमाया: 'जिस खाने पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो शैतान उसे अपने लिये हलाल समझ लेता है। वह उस बदवी को

لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا " .

लाया ताकि उसके ज़रिये से खाना हासिल कर सके, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उस बच्ची को लाया ताकि उसके ज़रिये से खाना ले सके, तो मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा उसका हाथ, उन (दोनों) के हाथों के साथ मेरे हाथ में है।'

(3766) तख़रीज : मुस्लिम: 2017.

फ़ायदा : शैतान जब नबी (ﷺ) की खाने की मज्लिस में हमलावर होने से बाज़ नहीं आया तो आम मुसलमानों का क्या हाल होगा? मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे बचाव का मोतमद तरीक़ा इरशाद फ़रमा दिया है और वह है खाना शुरू करते वक़्त (बिस्मिल्लाह) का पढ़ना।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيَّ - عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " .

(3767) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई खाना खाने लगे तो चाहिए कि अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र करे, अगर शुरू में भूल जाये तो चाहिए कि यूं कहे: (बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरह) 'अल्लाह के नाम से इस (खाने) के शुरू में और आख़िर में भी।'

(3767) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1858, इब्ने माजा, हदीस: 3264, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1341, हाकिम: 4/108.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(3768) हज़रत उमैया बिन मख़शी (ؓ) एक सहाबी थे उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा थे जबकि एक आदमी खाना खा रहा था उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। यहाँ तक कि जब

الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ، أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ جَدُّ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ .

उसके खाने से एक लुक़्मा बाक़ी रह गया तो उसने उसे अपने मुँह की तरफ़ उठाते हूए कहा: (बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आख़िरह) 'अल्लाह के नाम से इस (खाने) के शुरू में और आख़िर में भी।' तो नबी (ﷺ) हंसने लगे और फ़रमाया: 'शैतान इसके साथ खाये जा रहा था जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो जो कुछ उसके पेट में था उसने वह सब क़ै कर के निकाल दिया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जाबिर बिन सुब्ह, सुलेमान बिन हरब के नाना हैं।

(3768) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/336, नसाई, सुनन कुब्रा हदीस: 10113, अमलुल यौम वल्लैला: 282, हाकिम: 1/108, 109, मज्मउज़्ज़वाइद: 5/22.

फ़ायदा : भूल जाने की सूरत में यही दुआ पढ़नी चाहिए जैसे कि इससे पहले वाली हदीस में गुज़रा है। मालूम रहे कि शयातीन की कई क़िस्में हैं। उनमें से कुछ खाते, पीते और मुबाशरत भी करते हैं। उनका खाना पीना बायें हाथ से होता है तमाम शैतानों से बचाव अल्लाह के ज़िक्र से मुमकिन है।

﴾17﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مُتَّكِئًا

बाब : 17 सहारा लेकर (टेक लगाकर) खाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا " .

(3769) हज़रत अबू जुहैफ़ा (वहब बिन अब्दुल्लाह) (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं सहारा लेकर (टेक लगाकर) नहीं खाता।'

(3769) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5398.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ .

(3770) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे (किसी काम से) भेजा। फिर मैं आपके पास वापस हाज़िर हूआ तो मैंने देखा कि आप खजूरें खा रहे थे और इक़आ की हालत में बैठे हूए थे।

(3770) तख़रीज : नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 6744, व मुस्लिम: 2044.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ .

(3771) जनाब शुऐब बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) को कभी नहीं देखा गया कि आपने तकिया लगाकर खाना खाया हो या दो आदमियों ने भी आपकी ऐड़ियाँ रौंदी हों (ऐसे नहीं हूआ कि आप तकब्बूराना अंदाज़ से आगे आगे चलें और लोग आपके पीछे हों।)

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 244.

तौज़ीह : (इक़आ) यानी इस तरह ज़मीन पर बैठ जाना कि पिण्डलियाँ सामने खड़ी हों। इस सूरत में बाज़ औक़ात पीछे सहारा भी लेना पड़ता है। लिहाज़ा इससे ये इस्तेशहाद किया जा सकता है कि बीमारी और कमज़ोरी वग़ैरह की सूरत में सहारा लेना जायज़ है। फ़तहुलबारी में है कि एक रिवायत में (मुक़्इन) की बजाये (मुहतफ़िज़) का लफ़्ज़ आया है यानी उकडूं बैठे हूए थे। बहर हाल आम रिवायात से साबित है कि सहारा लेकर (टेक लगाकर) खाना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ख़ूब जम कर और बिखर कर बैठने को भी (इत्तका) में शुमार करते हैं जैसे कि आलती पालती मारकर बैठना कि इस सूरत में इंसान बहुत ज़यादा खाना खा लेता है। मगर ये कि कोई उ़ज़्र हो। उ़लमा–ए–किराम (ग़ज़ाली वग़ैरह) अफ़ज़ल सूरत ये बताते हैं कि घुटनों के बल बैठे या दायाँ घुटना खड़ा किया हो और बायें पर बैठ जाये। जैसे कि बाज़ दूसरी रिवायात से साबित होता है।

बाब : 18
प्याले के ऊपर के हिस्से से खाना (दुरूस्त नहीं)

﴿18﴾ باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا "

(3772) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जब कोई खाना खाने लगे तो प्याले के ऊपर (दरम्यान) से न खाये बल्कि नीचे (एक जानिब) से खाये। बिलाशुब्हा बरकत उसके ऊपर की तरफ़ से उतरती है।'

(3772) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1805, इब्ने माजा, हदीस: 3277.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ - يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا - فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا

(3773) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) का एक बहुत बड़ा तश्त था, जिसे ग़र्रा कहा जाता था, उसे चार आदमी उठाते थे। जब चाश्त का वक़्त हूआ और उन्होंने ज़ुहा की नमाज़ पढ़ ली तो इस तश्त को लाया गया जबकि उसमें सरीद बनाया गया था (यानी शोरबे में रोटी भिगोई गयी थी) सब लोग उसके गिर्द जमा हो गये। जब लोगों की कसरत हो गयी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घुटने टेक लिये। एक बदवी ने कहा: बैठने का ये कैसा अंदाज़ है? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ने मुझे नेक ख़ू बंदा बनाया है, न कि मुतकब्बिर (घमंडी) सरकश।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसके अतराफ़ (किनारों) से

عَنِيدًا " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا " .

खाओ और चोटी को छोड़ दो, इसमें बरकत होगी।'

(3773) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3263, हाकिम: 4/107.

﴾19﴿
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ

बाब : 19
जिस दस्तरख़्वान पर मकरूहात (नापसंदीदा चीज़ों का) का इस्तेमाल हो उस पर नहीं बैठना चाहिए

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ .

(3774) जनाब सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खाने के मुताल्लिक़ दो बातों से मना फ़रमाया है। एक ऐसे दस्तरख़्वान पर बैठना जिस पर शराब पी जाये, दूसरे पेट के बल औंधे लेट कर खाना।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये हदीस़ जाफ़र ने ज़ोहरी से नहीं सुनी ये रिवायत मुन्कर है।

(3774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 4/129, बैहक़ी: 7/266.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(3775) हारून बिन ज़ैद बिन अबी अज़्ज़रक़ा ने कहा हमें मेरे वालिद ने बयान किया उन्होंने कहा हमें जाफ़र ने बयान किया कि उसे ज़ोहरी से ये हदीस़ पहुँची।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4520.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन माना सही है यानी दूसरी सही रिवायात से ये मज़मून साबित

है। इस बिना पर ऐसा दस्तरख़्वान या ऐसी मज्लिसे जहां हराम हो, उनमें शिर्कत नाजायज़ और हराम है सिवाए इसके कि शरीक होकर गलत कामों से रोकने और सही कामों के हुक्म देने का फ़रीज़ा अदा करे।

बाब : 20
दायें हाथ से खाने का हुक्म

﴿20﴾
باب الأكل باليمين

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " .

(3776) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई खाये तो अपने दायें हाथ से खाये और जब पीये तो अपने दायें हाथ से पीये, बिलाशुब्हा शैतान अपने बायें हाथ से खाता और अपने बायें से पीता है।'

(3776) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/8, व मुस्लिम: 2020.

फ़ायदा : दायें हाथ से खाना पीना वाजिब है। नीज़ बुरे लोगों की मुशाबहत से बचना भी लाज़िम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ادْنُ بُنَىَّ فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ " .

(3777) हज़रत उमर बिन अबी सलमा (ﷺ) रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे क़रीब हो जाओ, अल्लाह का नाम लो, (बिस्मिल्लाह पढ़ो) दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ।'

(3777) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/27.

फ़ायदा : बच्चों और ख़ादिमों वग़ैरह के साथ बैठ कर खाना सुन्नते नबवी है, नीज़ बच्चों और कम इल्म लोगों को शरई आदाब की तालीम देना ज़रूरी है। बिलखुसूस खाने के बारे में पिछली तीन बातें बहुत अहम हैं।

बाब : 21
गोश्त खाने का बयान

﴾21﴿
باب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ .

(3778) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'गोश्त छुरी से काट कर मत खाओ, क्योंकि ये अजमीयों का तरीक़ा है, बल्कि दाँतों से काट कर और नोच कर खाओ, इस तरह ये ज़्यादा लज़्ज़त देता है और खूब हज़्म होता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत क़वी नहीं है।

(3778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस रिवायत के ज़ईफ़ होने का तज़किरा इसलिए भी फ़रमाया कि पता चल जाये कि ये रिवायत सहीहैन की उस रिवायत के मुक़ाबले में नहीं आ सकती जिसमें छुरी से काटने का जवाज़ साबित होता है। (औनूल माबूद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने पाँच मुख़्तलिफ़ अबवाब में ये हदीस़ बयान की है, उन्होंने इस रिवायत से 'छुरी से काट कर गोश्त खाने के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है।' देखिये (फ़तहुलबारी)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ فَقَالَ " أَدْنِ الْعَظْمَ

(3779) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ खाना खा रहा था और अपने हाथ से हड्डी पर से गोश्त जुदा कर रहा था। पस आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'हड्डी उठा कर अपने मुँह से लगाओ (यानी नोच कर खाओ) बेशक इस तरह ये ज़्यादा लज़ीज़ लगता है और हज़्म ख़ूब होता है।'

مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: उ़स्मान ने सफ़वान से नहीं सुना और ये रिवायत मुरसल है।

(3779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/401, हाकिम: 4/112, 113.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُرَاقُ الشَّاةِ .

(3780) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को बकरी की ऐसी हड्डी बहुत पसन्द थी जिस पर से गोश्त उतार लिया गया हो और थोड़ा बाक़ी हो।'

(3780) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 6654, शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस़: 168.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ . قَالَ وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ .

(3781) जनाब अबू दाऊद (अत्तयालिसी) (रह.) ने इसी सनद से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) को दस्ती का गोश्त बहुत पसन्द था। बयान किया कि आपको दस्ती के गोश्त ही में ज़हर देने की कोशिश की गयी थी और ये कारस्तानी यहूदीयों ने की थी।

(3781) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस़ 168, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

बाब : 22
कद्दू खाने का बयान

﴾22﴿ بَابٌ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ - قَالَ أَنَسٌ - فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3782) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है कि एक दर्ज़ी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को खाने पर बुलाया जो उसने तैयार किया था। हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा: मैं भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उस खाने में गया था। पस उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जौ की

إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ . قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ .

रोटी और शोरबा पेश किया जिसमें कद्दू और ख़ुश्क गोश्त था। हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा: मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) प्याले के अतराफ़ से कद्दू के टुकड़े तलाश कर रहे थे, चुनांचे उस दिन के बाद मैं कद्दू को बहुत पसन्द करने लगा हूं।

(3782) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5436, मौता: 2/546, 547, व मुस्लिम: 2041.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाब–ए–किराम (ﷺ) की रसूलुल्लाह (ﷺ) से इन्तेहाई मोहब्बत का ये मज़हर था कि शरई उमूर के अलावा आम आदात में भी वह आप (ﷺ) की इक़्तेदा करते थे और आप भी बिला इम्तियाज़ (बग़ैर भेदभव) उनकी दावतें क़बूल फ़रमाते थे। नीज़ दर्ज़ी का पेशा इख़्तियार करने में कोई ऐब नहीं। **(2)** दूसरी हदीस में जो आया है कि खाना अपने सामने से खाना चाहिए तो उन अहादीस में हल यूं है कि जब खाने में तरह–तरह की चीज़ें हों और कोई निस्बतन कम दर्जे की चीज़ तलाश करके खाना चाहे जैसे खाने में शरीक साथी भी नागवार न समझें तो जायज़ है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों की इस तरह तरबियत फ़रमाई कि खाने की निस्बत कम क़ीमत चीज़ भी शौक से खानी चाहिए क्योंकि हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं जिनको नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता। अब ग़िज़ाओं के नये जानकारों ने इस बात को ख़ुसूसन सब्जियों के फ़ायदे को अपने तरीक़े पर वाज़ेह कर के रिसालत मा'ब (ﷺ) की सुन्नत की हिकमत को उजागर किया है।

(23) بَابٌ فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ

बाब : 23
सरीद खाने का बयान

फ़ायदा : सरद, बुनियादी तौर पर तोड़ने, टुकड़े करने का मानी देता है। शोरबे में रोटी के टुकड़े भिगो लिये जायें तो उसे 'सरीद' कहते हैं जबकि खजूर, घी और पनीर वग़ैर के मुरक्कब को 'हैस' कहते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

(3783) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि रोटी का सरीद और हैस का सरीद नबी (ﷺ) को सब खानों से ज़्यादा पसन्द था।

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّرِيدَ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدَ مِنَ الْحَيْسِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

इमाम अबू दाऊद (रह.)ने बयान किया कि ये ज़ईफ़ है।

(3783) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 1/393, हाकिम: 4/116.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम दीगर सही अहादीस़ से सरीद की फ़ज़ीलत साबित है। जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा (رضي الله عنها) की दीगर औरतों पर फ़ज़ीलत ऐसे है जैसे सरीद को दीगर खानों पर।' (सही बुख़ारी, हदीस़: 5419, व मुस्लिम: 2446) और ऊपर ज़िक्र हूआ है कि आपके एक दर्ज़ी सहाबी ने भी अपनी एक दावत में आपको सरीद ही पेश किया था। (सही बुख़ारी, हदीस़: 5420) और ये एक हलका, ताक़त देने वाला और हाज़्मा दुरूस्त करने वाला खाना होता है।

﴾24﴿ بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

बाब : 24
किसी खाने से बिलावजह बेज़ारी मकरूह है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ . فَقَالَ " لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَىْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ " .

(3784) जनाब क़बीस़ा बिन हुल्ब ताई अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना जबकि एक आदमी ने आपसे सवाल किया था कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनके खाने में मैं हर्ज समझता हूं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई (हलाल) चीज़ तेरे सीने में शक व शुब्हा डाले, इससे तू नस़रानीयों (राहिबों) के मुशाबा हो जायेगा।'

(3784) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1565, इब्ने माजा, हदीस़: 2830.

फ़ायदा : शरअ़न हलाल और पाकीज़ा चीज़ों में बिलावजह अक़्ली तौर पर शक व शुब्हा करना जायज़ नहीं। ये नस़रानी राहिबों का काम था कि ख़्वामख़्वाह शुकूक व शुब्हात में पड़ कर चीज़ों को अपने लिये हराम ठहरा लेते थे। किसी चीज़ के बारे में कोई शुब्हा महसूस हो तो सिक़ा अहले इल्म की

तरफ़ रूजूअ करके सही नतीजा हासिल करना चाहिए कि ये चीज़ हलाल है या हराम। हाँ कोई चीज़ तबअ़न मरग़ूब न हो तो उससे परहेज़ करने में हर्ज नहीं।

बाब : 25
नजासत (गन्दगी) ख़ोर जानवर के गोश्त खाने और उसके दूध पीने की मुमानिअ़त का बयान

(25)
باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ، وَأَلْبَانِهَا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا.

(3785) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नजासत ख़ोर जानवर खाने और उसका दूध पीने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : **(सनद हसन)** तिर्मिज़ी, हदीस: 1824.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ .

(3786) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने नजासत ख़ोर जानवर के दूध से मना फ़रमाया है।

(3786) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3719 में देखें, इब्ने जारूद, हदीस: 887, व इब्ने हिब्बान.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا .

(3787) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नजासत ख़ोर ऊँट पर सवारी करने और उसका दूध पीने से मना फ़रमाया है।

(3787) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2557, 2558 में देखें।

फ़ायदा : जल्लाला उस जानवर को कहते हैं जो नजासत खाये। इमाम इब्ने हज़्म (रह.) नजासत ख़ोर मुर्ग़ी को इसमें शामिल नहीं करते लेकिन अक्सरियत के मुताबिक़ मुर्ग़ी समेत तमाम परिन्दे भी अगर नजासत ख़ोर हों तो जल्लाला ही में आयेंगे। अबू इस्हाक़ अल्मरवज़ी, इमामुल हरमैन, बग़वी और ग़ज़ाली (रह.) ने नजासत ख़ोर मुर्ग़ी के अंडे को नजासत ख़ोर बकरी गाय वग़ैरह के दूध पर क़यास किया है। बल्कि हर उस जानवर को जल्लाला के हुक्म में शामिल किया है जिसकी परवरिश नजिस ख़ूराक पर हो, जैसे ऐसा बकरी का बच्चा जिसकी परवरिश कुतिया के दूध पर की गयी हो। देखिये: (फ़तहुल बारी)

- आजकल मुर्ग़ियों की ख़ूराक में हैवानी प्रोटीन को भी शामिल किया जाता है। ख़ून वग़ैरह तो पाकिस्तान जैसे मुसलमान ममालिक में भी फ़ैड में डाला जाता है। ग़ैर मुस्लिम ममालिक में हराम जानवरों के गोश्त के अज़्ज़ा (पार्टस) भी फ़ैड में इस्तेमाल होते हैं। क्या इस क़िस्म की मुर्ग़ी जल्लाला कहलायेगी? हाँ अगर उसकी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा हराम और नजिस अज़्ज़ा पर मुश्तमिल हो या उससे गोश्त अंडे वग़ैरह में बदबू पैदा हो जाये तो यक़ीनन हराम होगी। किसी जानवर के जल्लाला होने न होने के हवाले से यही दो बातें अहम हैं। बाज़ फ़ुक़हा ने ये कहा कि अगर उसकी ग़िज़ा का ज़्यादा हिस्सा नजिस है तो जल्लाला है, ताहम इमाम लैस़ (रह.) के नज़दीक अगर जानवर सिर्फ़ नजासत खाता है तो जलाला है। राफ़ई वग़ैरह का ख़्याल है कि ग़िज़ा की मिक़्दार (मात्रा) अहम नहीं अस़ल अहमियत गोश्त, दूध वग़ैरह में बू पैदा होने न होने की है। अगर ये चीज़ें बू से पाक हैं तो इस्तेमाल कर ली जायें और अगर बदबूदार हैं तो ममनूअ हैं।
- वेटरनरी डाक्टरों और फ़ैड साज़ों के मुताबिक़ मग़रिबी ममालिक की मुर्ग़ीयों की फ़ैड में किसी हद तक मिली जुली हैवानी प्रोटीन शामिल होती हैं। ऊमूमी तजुर्बा ये है कि उनके गोश्त में कोई नागवार बू भी पाई नहीं जाती इसलिए ये मुर्ग़ियाँ जल्लाला के हुक्म में शामिल न समझी जायेंगी। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि मुसलमान अपने इस्तेमाल के लिये ख़ूद फ़ॉर्म बनायें कुफ़्फ़ार से ऐसी चीज़ों की दरआमद पर इंहिस़ार ख़त्म करें। इस बात पर फ़ुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है कि अगर ऐसे जानवर को बाँध कर उसे सिर्फ़ चारा वग़ैरह खिलाया जाता रहे तो कुछ अर्से के बाद उसका गोश्त दूध वग़ैरह नजासत के अस़रात से पाक हो जाता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने स़ही सनद से हज़रत इब्ने ऊमर (ﷺ) का अमल नक़ल किया है कि वह जल्लाला मुर्ग़ी को तीन रोज़ बंद रखा करते थे। बड़े जानवरों गाय, ऊँट वग़ैरह के बारे में हज़रत अता और दीगर फ़ुक़हा चालीस दिन बंद रख कर चारा खिलाने के बाद उसका गोश्त खाने की इजाज़त देते हैं। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की मरफ़ूअ हदीस़ का भी ज़िक्र किया जाता है जिसमें जल्लाला की हुरमत और हिल्लत के लिये जानवर को चालीस रोज़ तक महबूस रखने का हुक्म है लेकिन ये

रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता सही अहादीस में शराब पीने वाले इंसान की चालीस रोज़ तक नमाज़ क़बूल न होने की सराहत मौजूद है। (सुनन नसाई, हदीस: 5671, 5672, तिर्मिज़ी, हदीस: 1862) जिससे ये इस्तेदलाल किया जा सकता है कि नजिस चीज़ के इस्तेमाल के असरात चालीस रोज़ के बाद अज्साम से ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ फ़ुक़हा जैसे इमाम नववी (रह.) कहते हैं कि असल वजहे मना चूंकि बदबू है इसलिए जब ये ज़ाइल हो जाये तो जानवर का गोश्त और दूध वग़ैरह शरअन क़ाबिले इस्तेमाल होगा। देखिये: (औनूल माबूद) ये हुक्म ग़ालिबन नजासतज़दा कूएँ के पानी को साफ़ करने के हुक्म से मुशाबा है कि नजासत ज़ाइल (खत्म) करने के बाद उस वक़्त तक पानी निकाला जाता रहे, यहाँ तक कि वह बू, रंग और ज़ायक़े में बिल्कुल साफ़ हो जाये।

- नजासत ख़ोर ऊँटनी वग़ैरह पर सवारी करना भी उसी वक़्त जायज़ होगा। जब उसके जिस्म (पसीने वग़ैरह) से नजासत की बदबू बिल्कुल ज़ाइल हो जायेगी। तहारत और पाकीज़गी का ये आला मैयार सिर्फ़ इसी दीन का बताया हूआ है। ख़ूद अल्लाह तआला ने ये सिफ़त बयान फ़रमायी: 'पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराते हैं और तमाम गंदगियों को हराम क़रार देते हैं।' (अल आराफ़: 157)

बाब : 26
घोड़े का गोश्त खाने का मसला

﴾26﴿
باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

(3788) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ैबर वाले दिन गधे के गोश्त से मना फ़रमाया और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी थी।

(3788) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:4219, व मुस्लिम: 1941.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ .

(3789) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि हमने ख़ैबर के रोज़ घोड़े, ख़च्चर और गधे ज़बह किये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़च्चरों और गधों से

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ

فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ .

मना फ़रमा दिया लेकिन घोड़ों से मना नहीं फ़रमाया।

(3789) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/356, व मुस्लिम: 1941.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَيْوَةُ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ - زَادَ حَيْوَةُ - وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لاَ بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَنْسُوخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَذْبَحُهَا.

(3790) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घोड़े, ख़च्चर और गधे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है। हैवा बिन शुरैह ने मज़ीद कहा: दरिन्दों में से हर नाबदार (कुचली वाले) जानवर से भी मना फ़रमाया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक का भी यही क़ौल है (यानी घोड़ा ना पसंदीदा है)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ... घोड़े के गोश्त में कोई हर्ज नहीं मगर उस पर अ़मल नहीं है। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: और ये (रिवायत जिसमें घोड़े के गोश्त खाने की मुमानिअ़त है) मनसूख़ है। नबी (ﷺ) के सहाबा की एक जमाअ़त ने घोड़े का गोश्त खाया है। उनमें हज़रत इब्ने ज़ुबैर, फ़ज़ाला बिन उ़बैद, अनस बिन मालिक, अस्मा बिन्ते अबी बक्र, सुवैद बिन ग़फ़ला और अ़ल्क़मा (ﷺ) का नाम आता है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में क़ुरैशी लोग घोड़ा ज़बह किया करते थे।

(3790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3198, नसाई, हदीस: 4336.

तौज़ीह : घोड़े का गोश्त हलाल और तय्यब है। हमारे यहां इसका चलन में न होना अलग बात है। देखिये: (सही मुस्लिम: 1941, 1942) और ये आख़री रिवायत (ख़ालिद बिन वलीद) (ﷺ) ज़ईफ़ है। इसे इमाम अहमद, बुख़ारी, मूसा बिन हारून, दारक़ुतनी, ख़त्ताबी, इब्ने अ़ब्दुल बर और अ़ब्दुल हक़

(रह.) वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। अल्लामा अल्बानी (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद में दर्ज किया है। बाज़ अहले इल्म सूरह नहल की आयते मुबारका: '(अल्लाह ने) घोड़ों, ख़च्चरों और गधों को पैदा किया कि तुम उन पर सवारी करो और ये तुम्हारे लिये बाइसे ज़ीनत भी हैं।' (अन नहल: 8) से ये दलील लेते हैं कि ये जानवर खाने के लिये नहीं हैं (लिहाज़ा हराम हैं।) इन हज़रात का इस्तेदलाल सही नहीं। क्योंकि आयते करीमा का ये मफ़हूम हरगिज़ नहीं कि ये जानवर महज़ सवारी और ज़ीनत ही के लिये हैं, दीगर फ़वाइद हासिल करना नाजायज़ हैं। चूंकि मज़कूरा फ़वाइद अहम तर थे इसलिए क़ुर्आन करीम ने उनका ज़िक्र फ़रमाया है जैसे कि सूरह मायदा में है: 'तुम पर मुरदार, ख़ून और ख़िन्ज़ीर का गोश्त हराम किया गया है।' (अलमायदा: 3) इसमें ख़िन्ज़ीर के सिर्फ़ गोश्त का ज़िक्र हूआ है क्योंकि अहम चीज़ यही है, हालांकि दीगर चीज़ें चर्बी, हड्डी और दूसरे अज्ज़ा का भी यही हुक्म है और उनके हराम होने पर तमाम मुसलमानों का इज्मा है। इस मज़कूरा सियाक़ में घोड़े पर बोझ लादने का ज़िक्र भी नहीं है तो क्या घोड़े पर बोझ लादना नाजायज़ समझ लिया जाये? ये बात अक़्ल व नक़ल के सरासर ख़िलाफ़ होगी। इसी तरह उससे इसके हराम होने का इस्तेदलाल भी क़तअन दुरूस्त नहीं। शूरू आयात में है: 'उसी ने चौपाये पैदा किये जिनमें तुम्हारे लिये गर्म लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफ़े हैं और कई तुम्हारे खाने के काम आते हैं।' (अन्नहल: 5) तो यहां अहम फ़वाइद का ज़िक्र कर दिया गया है और बाक़ी को छोड़ दिया गया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मआलिमुस्सुनन व औनूल माबूद)

बाब : 27
ख़रगोश खाने का बयान

﴿27﴾ باب فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ

(3791) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं एक नोख़ेज़ मज़बूत लड़का था। मैंने एक ख़रगोश शिकार किया, फिर मैंने उसे भून लिया। तो हज़रत अबू तलहा (ﷺ) ने मुझे उसका पिछला धड़ देकर नबी (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। मैं उसे आपके पास ले आया तो आपने उसे क़बूल फ़रमा लिया।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا حَزَوَّرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا .

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2572, व मुस्लिम: 1953.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) का इस हदिये को क़बूल फ़रमा लेना इसके हलाल होने की दलील है।

(3792) अबू ख़ालिद बिन हुवैरिस़ का बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) मक़ामे स़फ़ा में थे। मुहम्मद (बिन ख़ालिद) ने वज़ाहत की कि ये जगह मक्का में है। पस एक आदमी ख़रगोश लेकर आया जो उसने शिकार किया था। उसने कहा: ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा: ये जानवर रसूलुल्ला (ﷺ) के पास लाया गया था जबकि मैं (आपके पास) बैठा हूआ था तो आप (ﷺ) ने न उसे खाया और न खाने से मना फ़रमाया और कहा कि उसे हैज़ आता है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ - قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةَ - وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُولُ قَالَ قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ.

(3792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/321, फ़तहुलबारी: 9/662.

फ़ायदा : फ़तहुल बारी में मनक़ूल एक रिवायत में अल्फ़ाज़ तुदमि हैं। (फ़तहुलबारी) 'इसे ख़ून आता है' अव्वल तो ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। ताहम इसकी अगर कोई हक़ीक़त है तो माहिरीने इल्मे हैवानात के मुताबिक़ सिर्फ़ इतनी है कि ख़रगोश का पेशाब गाहे बगाहे रंगदार हो जाता है, कभी तेज़ सुर्ख़ और कभी नारंगी। मारूफ़ हैज़ या ख़ून नहीं है। (Pathology of Laboratory: by Deon H. Percy Stephen, P- 180).

बाब : 28
सांडा खाने का बयान

﴿28﴾ باب في أَكْلِ الضَّبِّ

(3793) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि उनकी ख़ाला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में घी, सांडे और पनीर का हदिया भेजा। आपने घी और पनीर खा लिया मगर सांडे को तबीअत के न

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ خَالَتَهُ، أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا

فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الأَقِطِ وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

चाहने पर छोड़ दिया। ताहम उसे आपके दस्तरख़्वान पर खाया गया, अगर हराम होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर हरगिज़ न खाया जाता।

तख़रीज: बुख़ारी: 2575, व मुस्लिम: 1947.

फ़ायदा : हदीस़ नम्बर: 3730 के फ़वाइद मुलाहिज़ा हों। वहां तफ़्सील ज़िक्र कर दी गयी है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ . قَالَ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ .

(3794) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ؓ) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ؓ) से रिवायत करते हैं कि वह (ख़ालिद) (ؓ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ؓ) के घर गये उन्हें भूना हूआ सांडा पेश किया गया। आपने अपना हाथ बढ़ाया तो बाज़ ख़्वातीन ने जो सय्यदा मैमूना (ؓ) के घर में थीं कहा: नबी (ﷺ) जो खाने लगे हैं उन्हें इसके मुताल्लिक़ बता दो। पस सहाबा ने कहा: ये सांडा है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ उठा लिया। हज़रत ख़ालिद (ؓ) कहते हैं मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं', लेकिन ये मेरे वतन में नहीं पाये जाते इसलिए मैं तबई कराहत की बिना पर इससे बचता हूं।' ख़ालिद ने कहा: फिर मैंने उसे अपनी तरफ़ खींच लिया और खा लिया जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) देख रहे थे।

(3794) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5537, मौता: 2/968, व मुस्लिम: 1945.

(3795) हज़रत साबित बिन वदीआ (ﷺ) से रिवायत है कि हम एक लश्कर में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, हमें सांडे मिले। मैं उनमें से एक भून कर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले आया और आपके सामने रखा। आपने एक टुकड़ा लिया और उससे उसकी उंगलियाँ शुमार कीं। फिर फ़रमाया: 'बनू इस्राईल की एक क़ौम को ज़मीन के जानवरों की शक्ल में मस्ख़ कर दिया गया था, मुझे नहीं मालूम वह कौन से जानवर थे।' कहा कि फिर आपने न उसे खाया और न मना किया।

(3795) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3238, नसाई, हदीस: 4325, फ़तहुलबारी: 9/663, व मुस्लिम: 1949, 1951.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا - قَالَ - فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَىُّ الدَّوَابِّ هِيَ " . قَالَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ

(3796) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन शिब्ल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सांडे का गोश्त खाने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/326.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ .

फ़ायदा : मुमानिअत वाली ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। जबकि ऊपर दी गई अहादीस सही हैं। और उनसे यही बात साबित होती है कि नबी (ﷺ) ने गो अपनी तबई कराहत की वजह से उसे खाना पसन्द नहीं फ़रमाया, लेकिन आपने सहाबा को उसके खाने से मना भी नहीं फ़रमाया। चुनांचे जिसे पसन्द हो खा ले जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्तरख़्वान पर उसे खाया गया है और जिसे पसन्द न हो न खाये।

बाब : 29
हुबारा का गोश्त खाना

﴾29﴿
بَابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

फ़ायदा : हुबारा राख के रंग का लम्बी गर्दन वाला परिन्दा जो बहुत तेज़ और दूर तक उड़ता है, और बहुत ज़्यादा सादा तबीअत का परिन्दा है। हुबारा तुलूर (Bustard) की एक क़िस्म है जो एशिया के सहराओं और जज़ीरतुल अरब में मिलती है। इसे (Hubara Bustard) कहा जाता है। ये लम्बी उड़ान करने वाले हलाल परिन्दों में से सबसे वज़नी होता है। अरब इसका शिकार करने पाकिस्तान आते हैं।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى

(3797) बुरैह बिन उमर बिन सफ़ीना अपने वालिद से वह (उनके बाप उमर बिन सफ़ीना) उनके दादा से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ 'हुबारा' का गोश्त खाया था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1828.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम अगर ये ज़ूमिख़लब (नाख़ुन से शिकार करने वालों) में से नहीं है तो हलाल है।

बाब : 30
ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवरों का खाना

﴾30﴿
بَابٌ فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا .

(3798) जनाब मिल्क़ाम बिन तलिब अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा: मैं नबी (ﷺ) की सोहबत में रहा हूं मगर मैंने आपसे हशरातुल अर्ज़ (ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवरों) की हुरमत के बारे में कुछ नहीं सुना।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/326

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ، فَتَلاَ ‏{‏ قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا‏}‏ الآيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ " ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ ‏.‏

(3799) ईसा बिन नुमैला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैं हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के पास था कि उनसे ख़ारपश्त (सिहा) के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने सूरह अल अनआम की ये आयत तिलावत फ़रमाई: (क़ुल्ला अजिदू फ़ी मा उहिया इलय्या मुहर्रमा ...) 'कह दीजिए कि बज़रिया वहि जो अहकाम मेरे पास आये हैं उनमें से मैं किसी खाने वाले के लिये कोई चीज़ जिसे वह खाना चाहे हराम नहीं पाता सिवाए इसके कि वह मुरदार हो या बहता हूआ ख़ून हो या ख़िन्ज़ीर का गोश्त, बेशक वह जिन चीज़ों के हराम होने की सराहत नहीं उन्हें खाने का हुक्म नापाक है या वह फ़िस्क़ है कि (ज़बह करते वक़्त) उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, फिर जो शख़्स मजबूर हो जाये, (बशर्ते कि) वह सरकशी करने वाला और हद से गुज़रने वाला न हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख़्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।' मज्लिस में से बड़ी उमर के एक आदमी ने कहा: मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सुना, वह कहते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसका ज़िक्र हूआ था तो आपने फ़रमाया: 'ख़बीस़ जानवरों में से एक ख़बीस़ जानवर है।' हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा: अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़रमाया है तो फिर बात वही (सही) है जो आप (ﷺ) ने फ़रमाई है जिसका हमें इल्म नहीं।

(3799) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 2/381, बैहक़ी, हदीस़: 9/326.

फ़ायदा : ख़ारपश्त की हिल्लत और हुरमत की बाबत उ़लमा में इख़्तेलाफ़ है, बाज़ ने इसे हलाल और बाज़ ने हराम क़रार दिया है। ताहम शैख़ इब्ने बाज़ (रह.) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि ज़्यादा स़ही क़ौल है कि ये हलाल है क्योंकि हैवानात के बारे में अस़ल हिल्लत है और उनमें स़िर्फ़ वही हराम हैं जिनको शरीयत ने हराम क़रार दिया हो और इसकी बाबत शरीयत में ऐसी कोई दलील वारिद नहीं जिससे ये मालूम होता हो कि ये जानवर हराम है। ये ख़रगोश और हिरन की तरह नबातात खाता है और कुचली से शिकार करने वाले दरिन्दों में से भी नहीं है, लिहाज़ा इसके हराम होने की कोई वजह नहीं। ये मज़कूरा हैवान सिहा की क़िस्मों में से एक क़िस्म है इसे 'दलदल' के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जबकि मज़कूरा रिवायत उ़लमा–ए–मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है। (फ़तावा इस्लामिया, जिल्दः सोम)

बाब : 31
जिन चीज़ों के हराम होने की स़राहत नहीं (उनका हुक्म)

﴿31﴾
بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

(3800) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि इस्लाम से पहले लोग कई चीज़ों को खाते और कई को नापसन्द करते हूए छोड़ देते थे। तो अल्लाह तआ़ला ने अपना नबी मबऊ़स़ फ़रमाया, अपनी किताब नाज़िल की, हलाल को हलाल और हराम को हराम ठहराया। तो जिसको उसने हलाल किया वह हलाल है, और जिसको उसने हराम किया वह हराम है और जिसके बारे में ख़ामोशी इख़्तेयार की वह माफ़ है और सूरह अनआ़म की आयत तिलावत फ़रमाईः (क़ुल्ला अजिदू फ़ी मा ऊहिया इलय्या मुहर्रमा ...) 'कह दीजिए कि बज़रिया वहि जो अहकाम मेरे पास आये हैं उनमें से मैं किसी खाने वाले के लिये कोई चीज़ जिसे वह खाना चाहे हराम नहीं पाता सिवाए इसके कि वह मुरदार हो या बहता हूआ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ الْمَكِّيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

وَتَلاَ { قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

ख़ून हो या ख़िन्ज़ीर का गोश्त, बेशक वह जिन चीज़ों के हराम होने की सराहत नहीं उन्हें खाने का हुक्म नापाक है या वह फ़िस्क़ है कि (ज़बह करते वक़्त) उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, फिर जो शख़्स मजबूर हो जाये, (बशर्ते कि) वह सरकशी करने वाला और हद से गुज़रने वाला न हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख़्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।'

(3800) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 4/115.

फ़ायदा : आदात के उमूर में अस्ल हिल्लत है सिवाए इसके कि उनके हराम होने का हुक्म हो। और ये हुक्म सिर्फ़ वहि के ज़रिये ही से मालूम हो सकता है, न कि ख़्वाहिशे नफ़्स से। लिहाज़ा जिन चीज़ों के हराम होने की शरीयत में सराहत नहीं है उलमा-ए-किराम, उसूले शरीयत और उन चीज़ों के ख़्वास व सिफ़ात की बिना पर उनका हुक्म बताते हैं। लिहाज़ा हर इलाक़े के सिक़ा (भरोसेमंद) उलमा की तरफ़ रूजूअ करना चाहिए मज़ीद आयते करीमा की तफ़्सीर के लिये तफ़्सीर अहसनुल बयान वग़ैरह देखी जाये।

﴿32﴾ بَابٌ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

बाब : 32
लगड़बगड़ा (Hyena) खाना कैसा है?

फ़ायदा : (अज़्ज़बुअ) लगड़बगड़ा (Hyena) ये एक (ज़ूनाब) कुचली वाला मुरदार ख़ोर जानवर है जो अफ़्रीक़ा, अरब, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफ़ग़ानिस्तान और वस्त ऐशिया में पाया जाता है। नर का वज़न तक़रीबन एक मन और मादा का वज़न इससे तक़रीबन दस पाऊंड कम होता है। बसा औक़ात ये थोड़ी उमर वाले और छोटे क़द वाले (ज़िन्दा) जानवरों जैसे बकरी वग़ैरह पर हमला करके उठा ले जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

(3801) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से लगड़बगड़े के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: 'वह शिकार है अगर उसे मुहरिम शिकार करे तो उसको एक मेंढा

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ " هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ"

फ़िद्या देना होगा।'

(3801) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 851, हदीस: 1791, नसाई, हदीस: 2839, इब्ने माजा, हदीस: 3236, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2645, 2646, इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 1068, इब्ने जारूद, हदीस: 438, 439, हाकिम: 1/456.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से एक तो ये मालूम हूआ कि लगड़बगड़े का खाना हलाल है, क्योंकि उसे नबी (ﷺ) ने 'शिकार' क़रार दिया है यानी जिसका शिकार करके खाना जायज़ है। **(2)** दूसरा, ये मालूम हूआ कि हालते एहराम में मुहरिम अगर किसी जानवर का शिकार कर लेगा, तो उसे उस जानवर की मिस्ल (बराबर) फ़िद्या ज़रूरी होगा। और ये मिस्लियत ज़ाहिरी जिस्म के डील डोल (क़द व क़ामत) के हिसाब से होगी, न कि क़ीमत के ऐतबार से। जिसे लगड़बगड़ा और मेंढा जसामत के ऐतबार से एक दूसरे के मुशाबा हैं। **(3)** लगड़बगड़ा भी ज़ूनाब (कुचलियों से शिकार करने वाला) जानवर है, और हर ज़ूनाब दरिन्दा हदीस की रू से हराम है। फिर उसे इस हदीस में क्यों हलाल क़रार दिया गया है? इमाम ख़त्ताबी (रह.) ने इसका जवाब ये दिया है कि कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस्सुबाइ के ऊमूम से इसकी तख़्सीस हो गयी है। और इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने कहा है कि लगड़बगड़ा (ज़ब्बअ़) भी अगरचे दरिन्दा ही है, लेकिन हर दरिन्दे में हुरमत की दो वजहें हैं। एक कुचलियों का होना और दूसरा आ़दी दरिन्दा होना। और दरिन्दगी का वस्फ़ कुचलियाँ होने के मुक़ाबले में ज़्यादा अहम और ख़ास़ है। इसलिए कि दोनों वस्फ़ रखने वाले जानवरों के खाने से खाने वाले के अंदर भी दरिन्दगी वाली क़ूव्वत आ जाती हे, जैसे शैर, चीता और लौमड़ी वग़ैरह हैं और लगड़बगड़ा कुचलियों वाला तो है लेकिन इसमें दरिन्दगी वाली वह क़ूव्वत नहीं है जो मज़कूरा जानवरों में है, इसलिए इसको हलाल क़रार दे दिया गया है। वल्लाहू आलम! (तफ़्सील के लिये देखिये: औनूल माबूद)

﴾33﴿
باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

बाब : 33
दरिन्दों का गोश्त खाना हराम है

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

(3802) हज़रत अबू स़ालबा ख़ुशनी (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचलियों वाला दरिन्दा खाने से मना फ़रमाया है।

الْخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ .

(3802) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5530, मौता, हदीस: 2/496, व मुस्लिम: 1932.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

(3803) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर कुचली वाले दरिन्दे और हर पंजेदार परिन्दे के खाने से मना फ़रमाया है।

(3803) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़ायदा : वह परिन्दे जो अपने पंजों यानी नाख़ूनों से अपना शिकार पकड़ें और चीर फाड़ कर खायें वह हराम हैं जैसे कि शाहीन, बाज़ और गिद्ध वग़ैरह, इसी तरह दरिन्दों में नेशदार (कुचलियों से शिकार करने वाले) दरिन्दे हराम हैं जैसे शेर, भेड़िया वग़ैरह।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ " .

(3804) हज़रत मिक़्दाम बिन मअ़दीकरिब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! कुचलियों वाला दरिन्दा, पालतू गधा और किसी ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा पड़ा माल हलाल नहीं हैं सिवाए इसके कि उसका मालिक उस माल से बेपरवा हो, और जो कोई किसी क़ौम के पास जाये और वह उसकी मेहमानी न करें तो उसके लिये जायज़ है कि उनसे अपनी मेहमानी के बराबर कुछ ले ले।'

(3804) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 9/332, हदीस: 460 में देखें, इब्ने हिब्बान, हदीस: 97.

फ़ायदा : जब किसी काफ़िर का गिरा पड़ा माल उठाना जायज़ नहीं तो मुसलमान का माल उठाना कहीं ज़्यादा मना हुआ। हाँ अगर माल मामूली हो कि उसके मालिक को उसकी चाहत न हो तो अलग बात है। इसी तरह ऐलान करने की नियत से भी उठाया जा सकता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ،

(3805) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के रोज़

عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

हर कुचली वाला दरिन्दा और पंजेदार परिन्दा खाना मना फ़रमाया।

(3805) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3234, नसाई, हदीस: 4353.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ " .

(3806) हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व ए–ख़ैबर में शरीक था। चुनांचे यहूदी (रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास) आये और शिकायत की कि लोग (मुसलमान) उनके बाड़ों पर चढ़ दौड़े हैं (यानी माल मवेशी लूट लिये हैं) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुआहिद (ज़िम्मी) लोगों का माल हलाल नहीं सिवाए इसके कि शरई और उसूली हक़ हो, तुम पर पालतू गधे, घोड़े, ख़च्चर, कुचलियों वाले दरिन्दे और पंजेदार परिन्दे हराम हैं।'

(3806) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3790, मुसनद अहमद: 4/89.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम घोड़े की बाबत देखिये अहादीस: 3788 और 3790.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.

(3807) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने बिल्ली की क़ीमत से मना फ़रमाया है।

इब्ने अब्दुल मलिक की रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने बिल्ली के खाने और उसकी क़ीमत के खाने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3480 में देखें।

बाब : 34
पालतू गधों का गोश्त खाना?

﴿34﴾ باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

(3808) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के रोज़ हमें गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया और हुक्म दिया कि हम घोड़ों का गोश्त खायें।

अ़म्र ने कहा: मैंने ये रिवायत अबू अश्शअ़सा को बताई तो उन्होंने कहा कि हकम (बिन अ़म्र) ग़िफ़ारी (बसरा में) हमारे पास थे वह भी यही कहते थे। मगर इस 'बहर' ने इसका इंकार किया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) मुराद हैं।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 3788 में देखें।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) के इल्म व फ़ज़्ल की बिना पर उन्हें (बहरूल उम्मत या हिब्रूल उम्मत) कहा जाता है। और गधों के बारे में उनका ये क़ौल शायद वज़ाहत के साथ हदीस न पहुँचने के सबब था। सहीहैन में शअ़बी के हवाले से उनका क़ौल मरवी है कि मुझे मालूम नहीं कि (ख़ैबर के मौक़े पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस वजह से गधों का गोश्त खाने से मना किया था कि लोग सवारियों से महरूम न हो जायें या उनको हराम क़रार दिया था। लेकिन बिल आख़िर जब उन्हें वजाहत के साथ हुरमत की अहादीस पहुँची और हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ؓ) से भी उनकी बहस हूई तो यक़ीन के साथ वह उनकी हुरमत के क़ायल हो गये थे। (फ़वाइद इब्ने अलक़य्यिम (रह.).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي

(3809) हज़रत ग़ालिब बिन अब्जर (ؓ) बयान करते हैं कि हम क़हत से दो चार हो गये। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ न थी जो मैं अपने घर वालों को खिला सकता। सिर्फ़ चंद गधे ही थे जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पालतू

مَالِي شَيْءٌ أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . فَقَالَ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ " . يَعْنِي الْجَلاَّلَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابْنُ مَعْقِلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرَ أَوِ ابْنَ أَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

गधों का गोश्त हराम फ़रमा दिया था। चुनांचे मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हम क़हत में मुब्तला हैं और मेरे पास कोई माल नहीं जो मैं अपने घर वालों को खिला सकूं सिवाए मोटे मोटे गधों के और आपने पालतू गधों का गोश्त हराम क़रार दिया है? आपने फ़रमाया: 'अपने घर वालों को अपने मोटे गधों में से खिला दो, मैंने उन्हें इसलिए हराम किया है कि ये बस्ती की गन्दगी खाते हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में मज़कूरा अ़ब्दुर्रहमान ये इब्ने मअ़क़िल है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस हदीस़ को शौबा ने उ़बैद अबू अलहसन से रिवायत किया है, उन्होंने अ़ब्दुलर्रहमान बिन मअ़क़िल से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन बशर से उन्होंने मुज़ैना के कुछ लोगों से, (उन्होंने बयान किया) कि क़बीला-ए-मुज़ैना के सरदार अब्जर या इब्ने अब्जर ने नबी (ﷺ) से सवाल किया था।

(3809) तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) इब्ने सअ़द अत्तबक़ात: 6/86

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ، أَحَدُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُوَيْمٍ وَالآخَرُ غَالِبُ بْنُ الأَبْجَرِ . قَالَ مِسْعَرٌ أُرَى غَالِبًا

(3810) इब्ने मअ़क़िल क़बीला-ए-मुज़ैना के दो आदमियों से रिवायत करते हैं, उनमें से एक दूसरे से रिवायत करता है। एक अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन उवैम है और दूसरा ग़ालिब बिन अब्जर। मिसअ़र ने कहा: मेरा ख़याल है कि ये ग़ालिब ही था जो नबी (ﷺ) के पास आया था। और ये रिवायत बयान की।

الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ .

(3810) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 18/266, हदीस: 666, फ़तहुलबारी: 9/656. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا .

(3811) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने ख़ैबर के रोज़ पालतू गधों के गोश्त, गन्दगी (नजासत) खाने वाले जानवरों की सवारी और उनका गोश्त खाने से मना फ़रमाया था।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4452.

﴾35﴿ باب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

बाब : 35
टिड्डी खाने का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَسَأَلْتُهُ، عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ

(3812) अबू याफ़ूर कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) से सुना जब कि मैंने उनसे टिड्डी के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ छः या सात ग़ज़्वात में शिर्कत की है। हम उसे खाया करते थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे साथ होते थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5495, व मुस्लिम: 1952.

फ़ायदा : ये एक पंख वाला कीड़ा है जो फ़सलों को तबाह करता है, हलाल होने की वजह से इसे ज़बह किये बग़ैर खाया जाता है। मारूफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे लिये मरे हूए (बग़ैर ज़बह) दो जानवर हलाल किये गये हैं एक मछली दूसरा टिड्डी।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3218)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ

(3813) जनाब सलमान फ़ारसी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से टिड्डी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया: '(ये) अल्लाह के बहुत बड़े

أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ " أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

लश्करों में से है, न मैं उसे खाता हूं और न हराम ठहराता हूं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को मअ़मर ने अपने वालिद से, उसने अबू उ़स्मान से और उसने नबी (ﷺ) से रिवायत किया। इस सनद में सलमान का ज़िक्र नहीं।

(3813) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 6/251, हदीस़: 6129.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَ " أَكْثَرُ جُنْدِ اللَّهِ " . قَالَ عَلِيٌّ اسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ .

(3814) हज़रत सलमान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया। आपने ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द फ़रमाया ... आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह का बहुत बड़ा लश्कर है।'

अ़ली (बिन अ़ब्दुल्लाह) ने कहा है कि अबू अलअ़वाम (अलजज़ार) का नाम 'फ़ाइद' है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत को हम्माद बिन सलमा ने अबू अलअ़व्वाम से, उसने अबू उ़स्मान से, उसने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है और सलमान का ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3219.

﴿36﴾ بَابٌ فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

बाब : 36
जो मछली मर कर ऊपर तैर आये उसका खाना (कैसा है?)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ

(3815) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'समन्दर जो बाहर फैंक दे या पानी पीछे हट जाने की सूरत में जो ज़मीन पर रह जाये उसे

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

खा लो और जो उसमें मर गयी हो और ऊपर तैर आये तो उसे मत खाओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को सुफ़ियान स़ोरी, अय्यूब और हम्माद ने अबू अज़्ज़ुबैर से रिवायत किया है और उन्होंने उसे हज़रत जाबिर पर मौक़ूफ़ किया है। और दूसरी सनद से ये रिवायत मुसनद मरफ़ूअ बयान की गयी है जो ज़ईफ़ है। यानी इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया अबू अज़्ज़ुबैर से, उन्होंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से।

(3815) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3247.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मरने वाली मछली हलाल है। जैसा कि स़ही बुख़ारी व मुस्लिम में जैशुलख़ब्त का मारूफ़ वाक़िया मज़कूर है हज़रत अबू उ़बैदा (ﷺ) की ज़ेरे क़यादत उस लश्कर को इब्तेदा में इन्तेहाई मशक़्क़त का सामना करना पड़ा, बड़ी सख़्त भूख बरदाश्त करना पड़ी, मगर बाद में उन्हें समन्दर के किनारे बहुत बड़ी मछली मिल गयी जिसको वह दो हफ़्ते तक खाते रहे और बाज़ लोग इसका कुछ हिस्सा बचा कर मदीने भी ले आये जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़्वाहिश पर आप (ﷺ) को भी पेश किया गया और आपने उसे तनावुल फ़रमाया। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 4360) आगे हदीस़: 3840 में इसकी तफ़्सील आ रही है।

(37) بَابٌ فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ

बाब : 37 मजबूर के लिये मुरदार खाना (मुबाह है)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا

(3816) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने (मदीना के क़रीब) हर्रा मुक़ाम पर पड़ाव किया। उसके साथ उसके बीवी बच्चे भी थे। (वहाँ के) एक आदमी ने उससे कहा कि मेरी ऊँटनी गुम हो

فَأَمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا . فَأَبَى فَنَفَقَتْ فَقَالَتِ اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ . فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَكُلُوهَا " . قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا " . قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .

गयी है अगर तुम्हें मिले तो उसे पकड़ लेना। चुनांचे वह उसे मिल गयी मगर उसका मालिक न मिला। फिर वह ऊँटनी बीमार हो गयी। तो उस शख़्स की बीवी ने कहा कि इसको नहर (ज़बह) कर लो। मगर वह न माना और बिल आख़िर वह मर गयी। तो औरत ने कहा कि इसका चमड़ा उतार लो कि हम उसकी चर्बी और गोश्त ख़ुश्क कर लें और खायें। तो आदमी ने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लूं। चुनांचे वह आपकी ख़िदमत में आया और आपसे पूछा तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हें उससे बेपरवाह कर दे?' उसने कहा: 'नहीं, आपने फ़रमाया: 'तब तुम उसे खा सकते हो।' फिर उस ऊँटनी का मालिक आ गया तो उसने उसे सारी तफ़्सील बताई तो उसने कहा: तुमने उसे नहर (ज़बह) क्यों न कर लिया? उसने जवाब दिया मुझे तुम से हया आई। (कि कहीं तुम ये न समझो कि उसने हीले बहाने से ऊँटनी काट खाई है।)

(3816) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/104, बैहक़ी: 9/356.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब आदमी बहुत ज़्यादा लाचार हो जाये और खाने को कुछ न पाये तो उसके लिये मुरदार खाना जायज़ हो जाता है। **(2)** ये फ़ितरी और शरई हया थी कि इन्तेहाई मजबूरी के आलम में भी ये शख़्स दूसरे का माल खाने का रवादार न हूआ, और ये ईमान का हिस्सा है। **(3)** ये शख़्स ऐसा पक्का, सच्चा, खरा, पाबन्दे शरीयत मोमिन और रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुतीअ व फ़रमाबरदार था कि इस लाचारी की कैफ़ियत में भी उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त ली और इस हालत में भी लोगों से माँगने की ज़िल्लत क़बूल नहीं की।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ " مَا طَعَامُكُمْ " . قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ . قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً . قَالَ " ذَاكَ - وَأَبِي - الْجُوعُ " . فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ وَالصَّبُوحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ .

(3817) हज़रत फ़ुजैअ आमेरी (ﷺ) का बयान है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और पूछाः क्या हमारे लिये मुरदार हलाल नहीं है? आपने फ़रमायाः 'तुम्हारा तआम क्या है?' हमने कहाः ग़बूक़ और सबूह। अबू नुऐम कहते हैं कि उक़्बा (बिन वहब) ने मुझे इसकी वज़ाहत की कि एक प्याला दूध सुबह और एक प्याला दूध रात को। कहाः मेरे बाप की क़सम! ये तो बड़ी सख़्त भूख है। चुनांचे आप (ﷺ) ने उनके लिये इस हालत में मुरदार को हलाल क़रार दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि दिन के आख़िर में पी जाने वाली चीज़ को ग़बूक़ और दिन के शुरू में पी जाने वाली को सबूह कहते हैं।

(3817) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानीः 18/321, हदीसः 829, बैहक़ी, 9/357.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर सही अहादीस की रोशनी में अगर अरसे-ए-दराज़ से यही हालत है तो ये कैफ़ियत हलाकत या शदीद बीमारी का सबब बन सकती है, इसीलिए ये ऐसा इज़्तेरार है जिसमें हराम हलाल हो जाता है।

﴾38﴿ بَابٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

बाब : 38 एक वक़्त में दो क़िस्म के खाने जमा करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

(3818) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मेरा जी चाह रहा है कि गेहूँ की सफ़ेद रोटी खाऊं जो घी और दूध में गुंधी

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ " فِي أَىِّ شَىْءٍ كَانَ هَذَا " . قَالَ فِي عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ " ارْفَعْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِيَانِيَّ .

गयी हो।' तो लोगों में से एक शख़्स उठा और पकवा कर ले आया और आपकी ख़िदमत में पेश कर दी। आपने पूछा: 'ये घी किस चीज़ में था?' उसने कहा कि सांडे की खाल की कुप्पी में, आपने फ़रमाया: 'इसे उठा लो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: सनद में मज़कूर अय्यूब, अय्यूब सख़्तयानी नहीं है।

(3818) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3341.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है और इस क़िस्म की चीज़ों की ख़्वाहिश करना नबी (ﷺ) के मिज़ाज के ख़िलाफ़ था। वैसे एक वक़्त में खाने की एक से ज़्यादा चीज़ें मुहैया हों तो उनके खाने में क़तअन कोई ऐब नहीं। बुनियादी ज़रूरत ये है कि चीज़ें हलाल और तय्यब हों, नीज़ ये कि इस्राफ़ भी न हो। आइन्दा हदीस़: 3835 वमा बाद में इसका ज़िक्र आ रहा है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी ये रिवायत ज़िक्रकी है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र (رضي الله عنه) को देखा कि आप ताज़ा खजूर ककड़ी के साथ खा रहे थे। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5449) इसी तरह सरीद और हैस भी कई किस्म के खानों का मुरक्कब होता है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) खाया करते थे।

﴿39﴾ باب فِي أَكْلِ الْجُبْنِ

बाब : 39
पनीर का बयान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ .

(3819) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि तबूक में नबी (ﷺ) को जुबना यानी पनीर पेश किया गया तो आपने छुरी मंगवाई और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसे काटा।

(3819) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/6.

फ़ायदा : जो चीज़ें कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन ने तैयार की हों और उनमें हराम की आमेज़िश का शक न हो तो वह हलाल और तय्यब हैं, क्योंकि चीज़ों में अस़ल हिल्लत (हलाल होना) ही है। हुरमत (हराम होने)

के लिये शरई दलील ज़रूरी है, लेकिन इक़्तेसादी नुक़्ता-ए-नज़र से बतौर मुसलमान होने के हमें ग़ैर मुसलमानों की तैयार करदा चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और अहले इस्लाम की बनाई हुई चीज़ों को फ़रोग़ देना चाहिए।

﴿40﴾ باب فِي الْخَلِّ

बाब : 40 सिरका का बयान

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ " .

(3820) हज़रत जाबिर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सिरका बेहतरीन सालन है।'

(3820) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1842, इब्ने माजा, हदीस: 3317.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ "

(3821) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'सिरका बेहतरीन सालन है।'

(3821) तख़रीज : मुस्लिम: 2052.

﴿41﴾ باب فِي أَكْلِ الثُّومِ

बाब : 41 लहसुन खाने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ " . وَإِنَّهُ

(3822) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने लहसुन या प्याज़ खाया हो वह हमसे अलग रहे ... या फ़रमाया कि हमारे मस्जिद से अलग रहे ... उसे चाहिए कि अपने घर में बैठा रहे।' (एक बार) आपके सामने तबाक़ पेश किया गया, उसमें कई तरह की सब्ज़ीयाँ थीं। आपने

أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ " قَرِّبُوهَا " . إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ " كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي " . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ

उसमें बू महसूस की और दरयाफ़्त फ़रमाया तो जो सब्ज़ीयाँ उसमें थीं सब बताई गयीं। आपने फ़रमाया: 'इसे उस शख़्स के करीब कर दो।' (यानी उस सहाबी के जो आपके पास था।) जब उसने आपको देखा (कि आपने नहीं खाया) तो उसने भी उसे खाना पसन्द न किया। आपने फ़रमाया: 'तुम खाओ, क्योंकि मैं (बहुत क़रीब से) उससे बात करता हूं जिससे तुम नहीं करते।'
अहमद बिन सालेह ने लफ़्ज़ 'बद्र' की वज़ाहत करते हूए फ़रमाया कि इब्ने वहब ने इसका तर्जुमा 'तबक़' (तबाक़) किया है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 855, व मुस्लिम: 564.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लहसुन और प्याज़ अगर कच्ची खाई जाये तो उससे बड़ी नागवार बू आती है जिससे साथ वाले लोग और फ़रिश्ते अज़ीयत महसूस करते हैं, इसलिए इस कैफ़ियत में मस्जिद में आने से सख़्ती से मना किया गया है। और इस पर क़यास है तम्बाकू या ऐसी सब्ज़ीयाँ जिनके नतीजे में नागवार डकार आती है और ये भी कि मुँह को गंदा रखना मिस्वाक न करना इन्तेहाई क़बीह आदत है। **(2)** हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) के जिस सहाबी का ज़िक्र आया है वह हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) हैं। (सही मुस्लिम: 2053) में इसकी सराहत है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثُّومُ وَالْبَصَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَتُحَرِّمُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(3823) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लहसुन और प्याज़ का ज़िक्र किया गया, और कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! इन तमाम में से लहसुन (की बू) ज़्यादा सख़्त है तो क्या आप इसे हराम क़रार देते हैं? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम इसे खाओ और तुममें से जो इसे खाये तो वह इस मस्जिद के क़रीब न आये यहां तक कि उससे इसकी बदबू ख़त्म हो जाये।'

(3823) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1669, इब्ने हिब्बान, हदीस: 318.

وسلم " كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلاَ يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ " .

(3824) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मनक़ूल है, रावी का ख़याल है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं, फ़रमाया: 'जिसने क़िब्ले की तरफ़ थूका तो क़यामत के दिन वह शख़्स इस हाल में आयेगा कि उसका थूक उसकी आँखों के दरम्यान लगा होगा, और जिसने ये नापसन्दीदा सब्ज़ी खाई हो वह हरगिज़ हमारी मस्जिद के क़रीब न आये, आप (ﷺ) ने ये बात तीन बार फ़रमायी।

(3824) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/76, इब्ने अबी शैबा: 2/365, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 965, 1314, 1663, इब्ने हिब्बान, हदीस: 332.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَفَلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا " . ثَلاَثًا

फ़वाइद व मसाइल : (1) मस्जिद के आदाब के अलावा क़िब्ले के एहतराम में ये चीज़ भी इन्तेहाई अहम है कि उसकी सिम्त में थूका न जाये, नमाज़ की हालत हो या नमाज़ से बाहर ये बात सराहत से कही गयी लेकिन लोग इसकी परवा नहीं करते, हालांकि नबी (ﷺ) ने एक शख़्स को इस जुर्म की पादाश में इमामत से माज़ूल फ़रमा दिया था। देखिये: (गुज़िश्ता हदीस: 482) **(2)** मस्जिदे नबवी की ताज़ीम व हुरमते हरमे मक्की का एक अहम पहलू ये है कि आदमी किसी तरह भी दूसरों के लिये अज़ीयत का बाइस न बने। दीगर मसाजिद का अदब भी यही है जैसे कि अगली हदीस में है।

(3825) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ये सब्ज़ी खायी हो (लहसुन और प्याज़) तो वह हरगिज़ मस्जिदों के क़रीब न जाये।'

(3825) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 853,, मुसनद अहमद: 2/20, 21, व मुस्लिम: 561.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ"

(3826) हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एक दिन लहसुन खाया

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ،

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِيحَ الثُّومِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قَالَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا " . أَوْ " رِيحُهُ " . فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِّي يَدَكَ . قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " .

फिर मस्जिदे नबवी में हाज़िर हूआ। मेरी एक रकअत फ़ौत हो गयी थी। जब मैं मस्जिद में दाख़िल हूआ तो रसूल (ﷺ) ने लहसुन की बू महसूस फ़रमाई। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ मुकम्मल की तो फ़रमाया: 'जो शख़्स ये सब्ज़ी खाये वह हरगिज़ हमारे क़रीब न आये यहाँ तक कि उसकी बू ख़त्म हो जाये।' फिर जब मैंने अपनी नमाज़ पूरी की तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! आप मुझे अपना हाथ ज़रूर पकड़ायेंगे। चुनांचे मैंने आपका दस्ते मुबारक लेकर अपनी क़मीस़ की आसतीन में से ले जाकर अपने सीने पर रखा तो उस वक़्त मेरा सीना बँधा हूआ था। आपने फ़रमाया: 'बेशक तुम माज़ूर हो।'

(3826) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/249, हदीस़: 4/252, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1672, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 319.

फ़ायदा : यानी बीमारी के इलाज की ख़ातिर लहसुन इस्तेमाल करने पर आपने उनको माज़ूर जाना।

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، - يَعْنِي الْعَطَّارَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وَقَالَ " مَنْ أَكَلَهُمَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا " . وَقَالَ " إِنْ

(3827) हज़रत मुआविया बिन क़ुर्रा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन दो सब्ज़ीयों से मना किया है और फ़रमाया है: 'जिसने ये खाई हों वह हरगिज़ हमारी मस्जिद के क़रीब न आये।' और फ़रमाया: 'अगर तुमने उन्हें ज़रूरी ही खाना हो तो पका कर उनकी बू ख़त्म कर लिया करो।'
रावी ने कहा कि उन सब्ज़ीयों से मुराद प्याज़ और लहसुन है।

كُنْتُمْ لاَ بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا " . قَالَ يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ .

(3827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/19, नसाई, हदीस: 6681.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ .

(3828) हज़रत अली (ﷺ) ने बयान किया कि लहसुन खाने से मना किया गया है सिवाए इसके कि पका हूआ हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में मज़कूरा रावी 'शरीक' से मुराद शरीक बिन हम्बल है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1808.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ح، وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ، خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ، فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ .

(3829) अबू ज़्याद ख़यार बिन सलमा ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हज़रत आयशा (ﷺ) से प्याज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा: आख़री खाना जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तनावुल फ़रमाया उसमें प्याज़ शामिल थी।

(3829) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 6/89, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 6679.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन खाने में अच्छी तरह पकी हूई प्याज़ या लहसुन जिससे उनकी बू ख़त्म हो जाये इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं है।

(42) باب فِي التَّمْرِ

बाब : 42
खजूर का बयान

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ".

(3830) हज़रत यूसुफ़बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि आपने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखी और फ़रमाया: 'ये इसका सालन है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3260 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अलबत्ता जिन इलाक़ों में खजूर बकसरत होती है वहां लोग इसके साथ बिलइत्तिकाफ़ रोटी खाते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तकल्लुफ़ात से कोसों दूर थे।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ "

(3831) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضی اللہ عنہا) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिस घर में खजूर न हो वह घर वाले भूखे हैं।'

(3831) **तख़रीज :** मुस्लिम: 2046.

फ़ायदा : अल्लामा तीबी (रह.) कहते हैं कि इस फ़रमान में जिन इलाक़ों में खजूर ज़्यादा होती है वहां के लोगों को बिलख़ुसूस तर्ग़ीब दी गयी है कि इससे ख़ूब इस्तेफ़ादा क्या करें और दीगर मुसलमानों को भी चाहिए कि इस मुबारक फल से फ़ायदा उठाया करें। नीज़ इसकी काश्त बढ़ाना माद्दी लिहाज़ से भी बहुत नफ़ाबख़्श है।

﴾43﴿ بَابٌ فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

बाब : 43
कीड़ा लगी खजूर को खाते वक़्त साफ़ करने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

(3832) हज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के सामने पुरानी खजूर पेश की गयी तो आप उसे खोल खोल कर अच्छी तरह जायज़ा लेते और सुरसुरियाँ निकाल देते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3333.

फ़ायदा : 'सूस' पहले सीन पर ज़बर पढ़ें तो ये मस्दर होगा, इससे मुराद खजूर या ग़ल्ले का वह दाना होगा जिसमें कीड़ा वग़ैरह लग गया हो। अगर पहले सीन पर पेश पढ़ें तो ख़ूद कीड़ा या सुरसुरी मुराद होगी। मतलब ये है कि कीड़ा वग़ैरह लगने से खजूर या ग़ल्ला नजिस नहीं हो जाता और जहां तक हो सके साफ़ करके इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसमें नबी (ﷺ) की तवाज़ोअ का भी बयान है कि आपमें नख़ुव्वत न थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(3833) इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से मरवी है कि (बाज़ औक़ात) नबी (ﷺ) को ऐसी खजूर भी पेश कर दी जाती थी जिसमें कीड़ा लगा होता था। और ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

(3833) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी शोबुल ईमान, हदीस़: 5886, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।.

﴿44﴾ بَابُ الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

बाब : 44
दो दो खजूरें इकट्ठी खाना

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ .

(3834) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो दो या तीन तीन खजूरें इकट्ठी उठा कर खाने से मना फ़रमाया है मगर ये कि तुम अपने साथियों से इजाज़त ले लो।

(3834) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/7, बुख़ारी: 5446, व मुस्लिम: 2045.

फ़ायदा : ये इरशाद आदाबे मज्लिस और आदाबे तआम से मुताल्लिक़ है कि जब इज्तेमाई तौर पर बैठे हूए खाना या खजूरें वग़ैरह खा रहे हों तो इंसान को अपने शर्फ़ और दूसरों के हुक़ूक़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए।

बाब : 45
खाने में दो क़िस्म की चीज़ें इकट्ठी खाना

﴿45﴾ باب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الأَكْلِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ.

(3835) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ककड़ी और ताज़ा खजूर मिलाकर खाया करते थे।

(3835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5447, व मुस्लिम: 2043.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ " نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا " .

(3836) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तरबूज और ताज़ा खजूर मिलाकर खाया करते थे और फ़रमाते: 'हम इस (खजूर) की गर्मी का इस (तरबूज) की ठण्डक से और इसकी ठण्डक का इसकी गर्मी से तोड़ करते हैं।'

ख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1843.

फ़ायदा : इस हदीस से चीज़ों की तबीअतों और ख़्वास के नज़रिया की ताईद होती है जो कि पुराने हकीमों में मारूफ़ है। दर हक़ीक़त ख़्वास चीज़ों के हवाले से ठण्डक और गर्मी से मुराद वह ठण्डक और गर्मी नहीं जो थरमामीटर से नापी जा सकती है बल्कि इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंसान को जिस्म में जो कैफ़ियत महसूस होती है उसको ठण्ड़क या गर्मी से तश्बीह देकर इसके इज़हार करने का तरीक़ा ज़माना–ए क़दीम से डॉक्टरों और आम इंसानों में राइज है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ी डाक्टर भी इस खाने को जिसमें मिर्ची और मसाले ज़्यादा शामिल कर दिये जायें (Very Hot) कहते हैं ख़्वाह वह खाना हरारत के हवाले से ठण्डा ही क्यों न हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي

(3837) सुलैम बिन आमिर ने बुस्र के दो बेटों से रिवायत किया जो क़बीला बनू सुलैम से थे (और उनका नाम अब्दुल्लाह और

سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَىْ، بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ .

अ़तिया नक़ल हूए हैं) उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां तशरीफ़ लाये तो हमने आपकी ख़िदमत में मक्खन और खजूर पेश की और आप मक्खन ओर खजूर पसन्द फ़रमाया करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3334.

फ़ायदा : खाने में दो चीज़ें या दो क़िस्म के खाने जमा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि फ़ुज़ूलख़र्ची और तरफ़्फ़ो यानी महज़ ख़ूशहाली और ख़ूश ख़ूराकी का इज़हार न हो।

﴿46﴾ باب الأكل في آنية أهل الكتاب

बाब : 46
अहले किताब (यहूद व नसारा) के बर्तनों में खाना?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

(3838) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत (साथ) में जिहाद पर जाते थे तो हम मुश्रिकों से बर्तन और मशकीज़े ले लेकर इस्तेमाल कर लेते थे और आप (ﷺ) उसे ऐ़ब न समझते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/379.

फ़ायदा : मुश्रिकीन या अहले किताब के मुताल्लिक़ जब ये यक़ीन हो कि उनके बर्तन पाक साफ़ हैं और किसी हराम चीज़ से आलूदा नहीं हैं तो उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं। हाँ अगर शुब्हा हो तो उन्हें धोकर पाक करना चाहिए ख़ुसूसन ईसाई, यहूदी और मुश्रिक ममालिक में ग़ालिब गुमान होता है कि वह लोग हराम चीज़ों से परहेज़ नहीं करते तो वहां एहतियातन धो लेना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ،

(3839) हज़रत अबू सअलबा ख़ुशनी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि हम अहले किताब की

عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا "

हमसायगी में रहते हैं जबकि वह अपनी हाण्डियों में ख़िन्ज़ीर पकाते और अपने बर्तनों में शराब पीते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें कोई और बर्तन मिल जायें तो उनमें खाओ और पीयो और अगर उनके अलावा कोई और न मिलें तो उन्हें पानी से अच्छी तरह धोकर उनमें खा पी लिया करो।'

(3839) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 1/33.

﴾47﴿ بَابٌ فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ

बाब : 47
समन्दरी जानवरों का हुक्म

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ

(3840) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें (एक मुहिम में) रवाना फ़रमाया और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह (رضي الله عنه) को हमारा अमीर मुक़र्रर फ़रमाया, हमने क़ुरैश का एक क़ाफ़िला पकड़ना था। आपने हमें ज़ादेराह (रास्ते के ख़र्च) के तौर पर एक थैला खजूरों का इनायत फ़रमाया, हमें इसके अलावा और कुछ न मिला तो हज़रत अबू उबैदा(رضي الله عنه) हमें एक एक दाना खजूर दिया करते थे हम उसे चूसते रहते जैसे कि बच्चा चूसता है, फिर उस पर पानी पी लेते तो वह हमें एक दिन रात तक के लिये किफ़ायत करता था। और हम अपनी लाठियों से दरख़्तों से पत्ते झाड़ते, उन्हें पानी में भिगो लेते, फिर उन्हें खा जाते

تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ وَلاَ تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ " . فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَ .

थे। उन्होंने बयान किया कि हम साहिले समन्दर के साथ साथ चले तो हमें एक बहुत बड़े टीले जैसी चीज़ नज़र आई। हम उसके पास पहुँचे तो वह एक जानदार चीज़ थी जिसे अम्बर कहा जाता है। हज़रब अबू उबैदा (ﷺ) ने कहा: ये मुरदार है जो हमारे लिये हलाल नहीं, फिर कहने लगे: नहीं, बल्कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के भेजे हूए हैं और अल्लाह की राह में निकले हैं और इसके मोहताज भी हैं लिहाज़ा तुम इसे खा सकते हो। चुनांचे हम वहां उसके पास एक महीना तक रहे, हमारी तादाद तीन सौ थी (उसमें से खाते रहे) यहाँ तक कि हम फ़रबा हो गये। फिर जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए तो हमने आपसे इसका ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'वह रिज़्क़ था जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये निकाला था, क्या उसमें से कुछ तुम्हारे पास है तो हमें भी खिलाओ?' चुनांचे हमने उसमें से रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा जिसे आपने तनावुल फ़रमाया।

(3840) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2483, व मुस्लिम: 1935.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अम्बर' बहुत बड़ी व्हेल मछलियों की एक क़िस्म है। इसके उभरे हूए सिर से तेल (Sperm Oil) निकलता है जो मशीनरी को चिकनाता है (Lubricant) और उसकी अंतड़ियों से मारूफ़ ख़ूशबू 'अम्बर' हासिल होती है। बहुत बड़ी मछली जब पानी की शहज़ोर मौज़ों के ज़रिये से साहिल के कम गहरे हिस्सों पर आकर फँस जाती है और मौज़ों की वापसी के वक़्त वापस नहीं जा सकती तो किनारे पर ही इसकी मौत वाक़ेअ हो जाती है।

↳ मरने वाले जानदारों केजिस्म में गलने सड़ने (Decomposition) का अमल अंतड़ियों वग़ैरह से

शूरू होता है कि इसमें फ़ोज़लात होते हैं। इस बड़ी व्हेल की अंतड़ियों में इन्तेहाई ख़ूशबूदार चिकना माद्दा अम्बर मौजूद होता है जो अंतड़ियों से गलने सड़ने के अमल को शूरू नहीं होने देता। इसलिए इसका गोश्त निस्बतन ज़्यादा अर्से के लिये महफ़ूज़ रहता है। बहीरा–ए–कुलज़ुम के दोनों तरफ़, अरब और अफ़्रीक़ा में गोश्त की दूसरी किस्मों के अलावा मछली को धूप में ख़ुश्क करने का तरीक़ा क़दीम ज़माने से मौजूद था और अब तक मौजूद है। इन इलाक़ों की मंडियों में आज भी बड़ी मिक़्दार में सूखी मछली बिकती है जो बिल्कुल ख़ुश्क लकड़ी की तरह महसूस होती है। अब आस्टेलिया वग़ैरह में जदीद तरीक़ों के मुताबिक़ बड़ी मिक़्दार में मछली को ख़ुश्क करके इन इलाक़ों समेत दुनिया भर में फ़रोख़्त किया जाता है।

(2) तीन सौ सहाबा ने एक महीने तक इस महफ़ूज़ शुदा ताक़तबख़्श ग़िज़ा को इस्तेमाल किया और साथ ले आये जो बारगाहे रिसालत मा'ब में भी पेश की गयी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: तंग दस्ती के आलम में जिहाद के इस मौक़े पर ऐसी ग़िज़ा की फ़राहमी अल्लाह की तरफ़ से ख़ुसूसी इनआम है' सहाबा–ए–किराम (ؓ) ने इशाअते इस्लाम में जिस अजीमत की मिसालें क़ायम की हैं दुनिया की कोई तहरीक इसकी नज़ीर पेश करने से क़ासिर है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, इताअते अमीर और सब्र जाँ फ़शानी के बग़ैर दीन व दुनिया का कोई काम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। **(3)** इस वाक़िया से साबित हूआ कि समन्दरी जानवर मछली के हुक्म में हैं, यानी वह अज़ ख़ूद मर जायें तब भी हलाल हैं, जैसा कि गुज़िश्ता हदीस: 3815 में गुज़रा है। **(4)** नीज़ मुबारक चीज़ से हिस्सा लेने की ख़्वाहिश करना मायूब नहीं है।

बाब : 48
घी में अगर चूहा गिर जाये तो?

﴿48﴾
بَابٌ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

(3841) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ؓ) से रिवायत है कि घी में चूहा गिर गया, नबी (ﷺ) को बताया गया तो आपने फ़रमाया: '(चूहा और) उसके साथ साथ जो है वह गिरा दो और बाक़ी खा लो।'

(3841) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5538.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً، وَقَعَتْ، فِي سَمْنٍ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا" .

फ़ायदा : ईर्द गिर्द का घी जहां तक मुतास्सिर हो उसे निकालने के बाद बाक़ी घी इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अगली दोनों अहादीस़ में जमे हूए और पिघले हूए घी में फ़र्क़ बयान किया गया है। मोहद्दिसीन बल्कि ख़ूद इमाम बुख़ारी (रह.) ने आगे आने वाली हदीस़ को कई कारणों और वहमों के हवाले से ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन अक्सर फ़ुक़हा ने यही कहा है कि घी जमा हूआ हो तो ईर्द गिर्द के घी समेत चूहा निकाल कर बाक़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पिघला हूआ हो तो उसे खाने में इस्तेमाल न किया जाये। हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का फ़तवा भी यही है। कुछ मोहद्दिसीन ने घी या तेल चाहे पिघला हूआ हो उसमें ईर्द गिर्द से सारा मुतास्सिरा तेल निकाल कर बाक़ी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ख़ूरदनी तेल मलेशिया वग़ैरह से बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में आता है। इन जहाज़ों में चूहे वग़ैरह मुस्तक़िल बसैरा बना कर रहते हैं अगर एक चूहा गिरने से सारा तेल ज़ाया करना पड़े तो ये नाक़ाबिले तलाफ़ी नुक़सान होगा। इमाम बुख़ारी (रह.) की राय भी इसकी ताईद करने वाली है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، - وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ " . قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3842) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब घी में चूहा गिर जाये तो अगर वह जमा हूआ हो तो चूहा और उसके ईर्द गिर्द जो हो उसे गिरा दो और अगर वह सियाल (पिघला हूआ) हो तो उसके क़रीब मत जाओ।'

हसन (बिन अ़ली) ने कहा कि अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया मअ़मर ने ये रिवायत कई दफ़ा बसनदे ज़ोहरी, उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन मैमूना(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान की

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/265, इब्ने जारूद, हदीस़: 871, हदीस़: 5538 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

(3843) अहमद बिन स़ालेह ने बयान किया कि हमें अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें अ़ब्दुर्रहमान बिन बूज़वैह ने मअ़मर से ख़बर दी, उन्होंने ज़ोहरी से, उन्होंने

उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से। इसी (हदीस़) के मिस्ल रिवायत की जो ज़ोहरी ने इब्ने मुसय्यब से रिवायत की है।

(3843) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 4265, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

बाब : 49
मक्खी अगर खाने में गिर जाये तो?

﴾49﴿ باب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

(3844) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारे किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे उसी में डूबो लो, बिलाशुब्हा इसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफ़ा होती है, और ये अपने बीमारी वाले पर से अपना बचाव करती है, लिहाज़ा इसे सारी को डूबो लेना चाहिए।'

(3844) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 105, मुसनद अहमद: 2/229, 230, बुख़ारी, हदीस़: 3320, तहावी मुश्किलुल आसार: 4/283.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : नई मेडिकल साइंस में ये बात मुसल्लमा है कि मक्खी अपने जिस्म के कुछ अज्ज़ा (हिस्सों) में ऐसे जरासीम उठाये फिरती है जो बीमारी पैदा करने वाले हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आज से चौदह सौ साल पहले इस बात की ख़बर दे दी जब इंसान जदीद तिब्ब और जरासीम वग़ैरह उठाये फिरने वाले जानदारों के मुताल्लिक़ कुछ भी नहीं जानता था। इसके साथ नबी (ﷺ) ने मज़ीद

बताया कि इस मक्खी के जिस्म में वह दिफ़ाई हिस्सा मौजूद होता है जो इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ (बचाव) फ़राहम करता है। ये बात जदीद तजुरबात से और ज़्यादा वाज़ेह हो गयी है हर क़िस्म की वैक्सीन जिस्म के अंदर इसी निज़ामे दिफ़ाअ को मज़बूत करती है जिसके सबब बीमारी के जरासीम जिस्म तक पहुँच जाने के बावजूद बीमारी पैदा करने में नाकाम रहते हैं। इस बारे में अज़हर युनिवर्सिटी के शोअबा–ए–हदीस़ के मुदीर डाक्टर मुहम्मद ऐम अस्समही ने एक आर्टीकल में तहरीर किया कि मक्खी अपने साथ एक बीमारी के जरासीम (Pathogens) और उनका तरयाक़ (entiodote) बीमारी के ख़िलाफ़ दिफ़ाअ को मज़बूत करने वाला उन्सुर उठाये फिरती है। जब वह किसी माया (Liquid) पर बैठती है तो उसमें वह जरासीम मुन्तक़िल कर देती है जबकि फ़ितरी तौर पर जिस्म के उन हिस्सों को डूबने से बचाती है जिनमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अ़नास़िर होते हैं। मक्खी पूरी डूब जाये तो वह तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अ़नास़िर (तरयाक़) भी माया में मुन्तक़िल होकर बीमारी के ख़तरे को कम कर देते हैं। (देखिये हाशिया स़ही बुख़ारी, हदीस़: 3320, अज़ डाक्टर मुहम्मद मोहसिन ख़ान)

बाब : 50
खाने का लुक़्मा नीचे गिर जाये तो?

﴿50﴾
بابٌ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

(3845) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब खाना तनावुल फ़रमा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाट लेते और फ़रमाते: 'जब किसी का लुक़्मा गिर जाये तो चाहिए कि उससे लगी आलूदगी को दूर करके उसे खा ले और उसे शैतान के लिये न छोड़े।' और आप (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम प्लेट को उंगली से स़ाफ़ कर लिया करें और फ़रमाया: 'तुममें से

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ وَقَالَ " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِي أَىِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ " .

किसी को मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में उसके लिए बरकत डाली गयी है।

(3845) **तख़रीज :** मुस्लिम: 2034.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ और अगली दोनों अहादीस़ की रू से खाने के बाद उंगलियाँ चाट लेना या चटवा लेना सुन्नत है। (2) गिरा हूआ लुक़्मा उठा कर साफ़ करके खा लेना चाहिए। (3) क़ाबिले इस्तेमाल खाने को ज़ाया करना शैतान को देना है। (4) अपनी प्लेट में खाना उतना ही लेना चाहिए जितनी ज़रूरी हो और फिर आख़िर में बर्तन को ख़ूब साफ़ करना चाहिए। ये कोई मायूब काम नहीं, बल्कि ऐन सुन्नत है और इसमें ग़ुरूर व तकब्बुर का इलाज भी है। इसी तरह रोटी के टुकड़े भी ज़ाया करना जायज़ नहीं, नामालूम किस में बरकत हो।

बाब : 51
ख़ादिम अपने मालिक के साथ मिलकर खाना खा सकता है

﴿51﴾ باب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ ".

(3846) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा ख़ादिम तुम्हारे लिये खाना तैयार करके तुम्हें पेश करे, जबकि वह उसकी गर्मी और धूवाँ बरदाश्त करता रहा हो तो चाहिए कि उसे अपने साथ बिठा कर खिलाये, अगर खाना कम और उसके तलबगार ज़्यादा हों तो (भी) मुनासिब है कि एक दो लुक़्मे उसके हाथ पर रख दे।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2557, व मुस्लिम: 1663.

फ़ायदा : ग़ुलामों और ख़ादिमों के साथ हुस्ने मामला और उनकी हर मुमकिन दिलजोई इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त का हिस्सा है। उनका दिल तोड़ना, उनको हक़ीर समझनी या उनकी तहक़ीर करना बहुत बड़ा ऐब है और शरअन भी दुरूस्त नहीं है।

बाब : 52 खाने के बाद रूमाल से हाथ साफ़ करना

﴾52﴿ باب فِي الْمِنْدِيلِ

(3847) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई खाना खाये तो उस वक़्त तक अपना हाथ रूमाल से न पौंछें जब तक कि उसे चाट न ले या चटवा ना ले।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5456, व मुस्लिम: 2031.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا"

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की नफ़ासत तबअ का तक़ाज़ा था कि आप खाना खाते हूए पाँचों उंगलियों की बजाये तीन यानी अंगूठा और दो उंगलियों को इस्तेमाल फ़रमाते। (देखिये, हदीस: 3848) खाना खाने के लिये है और जो उंगलियों पर लगा रह जाये उसे ज़ाया करने का कोई जवाज़ नहीं उसका खा लेना ही मुनासिब तरीन है। ख़ानदान में मोहब्बत और अपनाइयत के जो रिश्ते होते हैं उनकी वजह से घर के अफ़राद एक दूसरे का बचा हूआ खाना खाते हैं जो कि इन्तेहाई प्यारा ओर पसन्दीदा अमल है। नीज़ खाना खाते हूए अगर सालन वग़ैरह उंगलियों को लग जाये तो वह अपने बच्चों को या अपनी बीवी को या दीगर अफ़राद को चटवा दे तो ये अमल जायज़ और मुबाह है। (2) उंगलियाँ चाट कर या चटवा कर रूमाल से हाथ साफ़ कर लेना जायज़ है और शरअन ये ज़रूरी नहीं कि हाथ फ़ौरी तौर पर पानी ही से धोये जायें, अलबत्ता सोने से पहले धो लेना ज़्यादा बेहतर है। (देखिये, हदीस: 3852)

(3848) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) खाना तीन उंगलियों से खाया करते थे ओर अपना हाथ उस वक़्त नहीं पौंछते थे जब तक कि उसको चाट नहीं लेते थे।

(3848) तख़रीज : मुस्लिम: 2032.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا .

बाब : 53
खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़े?

﴿53﴾ باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا " .

(3849) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दस्तरख़्वान उठा लिये जाने के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्हम्दु लिल्लाहि कसीरन तय्यबन मुबारक फ़ीहि ग़ैरा मुक्फ़िय्यिन वला मुवद्दइन मुस्तग़नन अन्हु रब्बना) 'हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बरकत डाली गयी है इसमें, न किफ़ायत किया गया (कि मज़ीद की ज़रूरत न रहे) और न उसे विदाअ (छोड़ा) किया गया है और न उससे बेन्याज़ हूआ जा सकता है ऐ हमारे रब।'

(3849) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3456, बुख़ारी, हदीस: 5458.

फ़ायदा : (ग़ैरा मुक्फ़िय्यिन) इंसान एक दफ़ा खाने के बाद फिर से उसका तलबगार होता है, इससे मुस्तग़नी नहीं हो सकता, लिहाज़ा खाने जैसे नेमत का शुक्र भी इसी तरह का होना चाहिए जो उसके मुहत्तम बिश्शान हो और ये नबी-ए-करीम (ﷺ) की बताई हूई दआओं ही के ज़रिये से मुमकिन है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ "

(3850) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब खाने से फ़ारिग़ होते तो ये पढ़ा करते थे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन) 'सब तारीफ़ेंउस अल्लाह ही के लिये हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया।'

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " .

(3850) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/32, तिर्मिज़ी, हदीस: 191, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10121.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन सही अहादीस में दीगर दुआएँ मज़कूर हैं इनमें से कोई भी दुआ माँगी जा सकती है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " .

(3851) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कुछ खाते पीते तो यूं कहा करते थे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वग़हु व जअल लहु मख़रजन) 'हम्द उस अल्लाह की जिसने खिलाया, पिलाया, उसे ख़ूश गवार बनाया ओर उसके बाहर निकलने का निज़ाम भी बना दिया।'

(3851) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 10117, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 285, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1351.

फ़ायदा : यूं तो हर हर नेमत अल्लाह तआला का फ़ज़ल व एहसान है, लेकिन ऊपर दी गई चारों नेमतें अपने ज़िम्न में मज़ीद बेशुमार नेमतें लिये हूए हैं जो बजाये ख़ूद क़ाबिले हम्द हैं।

﴿54﴾ باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

बाब : 54 खाने के बाद हाथ धो लेने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

(3852) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स इस हाल में सो गया कि उसके हाथ पर चिकनाई लगी रह गयी और उसने उसको धोया नहीं और फिर उसे कुछ हो गया तो अपने आप ही को मलामत करे।'

فَأَصَابَهُ شَىْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ " .

(3852) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3297, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1354.

फ़ायदा : खाने के बाद हाथ धोना मुस्तहब है बिलख़ुसूस सोने से पहले। चिकनाई की बू पाकर कोई कीड़ा मकोड़ा भी काट सकता है और ये खाना ख़राब होकर किसी बीमारी का सबब भी बन सकता है, इसलिए खाने के बाद सिर्फ़ हाथ ही नहीं बल्कि मुँह भी साफ़ करना चाहिए जिसका ज़िक्र दूसरी अहादीस में मिलता है। इस्लाम हर हालत में नज़ाफ़त और पाकीज़गी की ताकीद करता है।

﴿55﴾ باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

बाब : 55 साहिबे दावत के लिये दुआ करना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ " أَثِيبُوا أَخَاكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِثَابَتُهُ قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ " .

(3853) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि अबू अलहैसम बिन तैहान (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के लिये खाने का एहतिमाम किया और आपको और आपके सहाबा को बुलाया। चुनांचे जब वह फ़ारिग़ हो गये तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने भाई को इसका ऐवज़ पेश करो।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका ऐवज़ और बदल क्या हो? आपने फ़रमाया: 'जब किसी के घर जाया जाये, उसका खाना खाया जाये, पानी पीया जाये तो उसके लिये दुआ की जाये। यही उसका ऐवज़ और बदल है।'

(3853) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 3756.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही अहादीस में मेज़बान के लिये दीगर दुआयें भी मज़कूर हैं जिनमें से सही मुस्लिम की ये दुआ मज़कूर है: (अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम फग़फ़िरू लहुम फर हमहुम) दूसरे नुस्ख़े में है: (वग़फ़िरलहुम वरहमहुम) 'ऐ अल्लाह! तूने इन अहले खाना को जो कुछ दिया है, उसमें बरकत अता फ़रमा, उनकी ग़लतियाँ कोताहियाँ माफ़ फ़रमा और उन पर रहम फ़रमा।' (सही मुस्लिम, हदीस: 2042) नीज़ मेज़बान ख़ूद भी दुआ के लिये कह सकता है।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ " .

(3854) हज़रत अनस (ﷺ) रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) जनाब सअद बिन उबादा (ﷺ) के यहां तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने रोटी और रोग़ने ज़ैतून पेश किया, चुनांचे आप (ﷺ) ने उसे तनावुल फ़रमाया, फिर नबी (ﷺ) ने यूं फ़रमाया: (अफ़तर इन्दकुम अस्साइमून व अकला तआमुकुमुल अब्रार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका) 'रोज़ेदार तुम्हारे यहां इफ़तार किया करें, नेक सालेह लोग तुम्हारा खाना खाया करें और फ़रिश्ते तुम्हें दुआयें दिया करें।'

(3854) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/138, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7907, नववी रियाज़ुस सालेहीन, हदीस: 1268.

तौज़ीह : इन कलिमात का तर्जुमा जुम्ला इंनशानिया के तौर पर हो तो ये दुआ है जैसे कि ऊपर तर्जुमे से ज़ाहिर है और जो हज़रात इन कलिमात का तर्जुमा बतौर ख़बर करते हैं तो इस सूरत में ये कलिमात दुआ नहीं बनते 'यानी रोज़ेदारों ने तुम्हारे यहां रोज़ा इफ़तार किया। सालेह लोगों ने खाना खिलाया और फ़रिश्तों ने दुआयें दीं।' इस सूरत में इसका मिसदाक़ ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) और दीगर शुर्का ए दावत थे। ताहम ये दुआइया कलिमात भी बन सकते हैं, जैसा कि पहले तर्जुमे से वाज़ेह है, इसलिए इन कलिमात को दुआ के तौर पर पढ़ना भी सही है।

كتاب الطب

इलाज की मशरूईयत

अतिब्ब की तारीफ़: लुग़त में तिब्ब के मानी जिस्मानी व ज़हनी इलाज और दवा–दारू के हैं।

अल्लाह तआला ने इंसान को अपना ख़लीफ़ा बनाया है। उसे तमाम मख़्लूक़ात से अशरफ़ बना कर तमाम मख़्लूक़ात को उसके ताबेअे फ़रमान बना दिया है। इंसान को पैदा करने का मक़सद अपनी इबादत क़रार दिया है। अल्लाह तआला की इबादत में हमा वक़्त मसरूफ़ रहने के लिये सेहत व तंदुरूस्ती की बहुत सख़्त ज़रूरत थी लिहाज़ा परवरदिगारे आलम ने बेशुमार नेमतें पैदा कीं। हलाल और मुफ़ीद चीज़ों को खाने की इजाज़त देकर मुज़िरे सेहत (स्वास्थ्य के लिये हानिकारक), मुज़िरे इज्ज़त व आबरू चीज़ों से मना कर दिया। अलबता फिर भी अगर अल्लाह की मशीयत (चाहत) से बीमारी आ जाये तो उसका इलाज करना मशरूअ है। अल्लाह तआला ने हर बीमारी का इलाज भी पैदा किया है, जैसा कि फ़रमाने नबवी (ﷺ) है: 'अल्लाह तआला ने हर बीमारी की शिफ़ा (इलाज और दवा) नाज़िल की है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5678)

बीमारी के मुवाफ़िक़ दवा का इस्तेमाल अल्लाह तआला की मशीयत से शिफ़ा का बाइस बनता है, लिहाज़ा हर शख़्स को सेहत के हवाले से नीचे दी गई चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए: **(1)** सेहत की हिफ़ाज़त। **(2)** स्वास्थ्य के लिये हानिकारक चीज़ों से बचाव। **(3)** फ़ासिद माद्दों का इख़राज।

इन तीन चीज़ों को तिब्बे इस्लामी में बुनियादी हैसियत हासिल है। इनका जिक्र क़ुर्आन मजीद में भी इशारतन मौजूद है।

इरशादे बारी तआला है: 'जो शख़्स बीमार हो या मुसाफ़िर हो तो वह (रोज़ों की) गिनती दीगर अय्याम में पूरी कर ले।' (अल बक़र: 185) चूंकि बीमारी में रोज़ा रखने से बीमारी के बढ़ने का ख़दशा था नीज़ सफ़र चूंकि थकावट और इंसानी सेहत के लिये ख़तरे का सबब था, लिहाज़ा इन दो हालतों में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दे दी गयी ताकि इंसानी सेहत की हिफ़ाज़त सम्भव बनाई जा सके।

दूसरे मक़ाम पर इरशाद है: 'तुम अपनी जानों को हलाक मत करो।' (अन–निसा: 29) इस आयते करीमा से सख़्त सर्दी में तयम्मुम की मशरूईयत का इस्तेम्बात किया गया है, चूंकि सख़्त सर्दी में पानी का इस्तेमाल मुज़िरे सेहत हो सकता था इसलिए। तयम्मुम की इजाज़त दे दी गयी।

तीसरे मक़ाम पर इरशाद है: 'या (मुहरिम के) सर में तकलीफ़ हो तो वह फ़िदया दे (और सर मुन्डवा ले)' (अल बक़र: 196) अब इस आयत में मुहरिम शख़्स को बवक़्ते तकलीफ़ सर मुंडवाने की इजाज़त दे दी गयी ताकि फ़ासिद माद्दों से निजात हासिल हो सके जो कि सेहत के लिये मुज़िर (नुकसानदेह) हैं। इस तरह से शरीयत ने इंसानी सेहत का मुकम्मल ख़्याल रखा है।

तिब्बे नबवी (ﷺ) के चंद लाजवाब इलाज: तिब्बे नबवी में ऐसे नादिर और बेमिसाल इलाज मौजूद हैं जो मुतअद्दिद (कई) बीमारियों का शाफ़ी इलाज हैं।

ज़मज़म: इरशादे नबवी है: 'ज़मज़म को जिस मक़सद और नियत से पीया जाये ये उसी के लिये मोअस्सिर हो जाता है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3062) बेशुमार लोग इस नुस्ख़े से मूज़ी (खतरनाक) बीमारियों से निजात पा चुके हैं।

शहद : इरशादे बारी तआला है: 'इनके पेट से मशरूब निकलता है, जिसके रंग मुख़्तलिफ़ हैं, इसमें लोगों के लिये शिफ़ा है।' (अन्नहल: 69)

कलौंजी: रसूल अकरम (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'स्याह दाने (कलौंजी) में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफ़ा है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 5688)

आज की जदीद तिब्ब और साइंसी तहक़ीक़ात नबी–ए–करीम (ﷺ) के इन इरशादात की तस्दीक़ कर चुकी हैं। और लातादाद मरीज़ उनसे शिफ़ायाब हो रहे हैं।

बाब : 1
इलाज कराने की तर्ग़ीब

﴿1﴾ باب فِي الرَّجُلِ يَتَدَاوَى

(3855) हज़रत उसामा बिन शरीक (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा (तो देखा कि) आप के सहाबा (आपकी मज्लिस में) ऐसे बैठे थे गोया उनके सरों पर परिन्दे हों, (यानी इन्तेहाई बा'अदब और पुरसुकून थे) चूनांचे मैंने सलाम किया और बैठ गया। इधर उधर से बदवी लोग आये और उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَا

هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ " تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ "

दवा दारू कर लिया करें? आपने फ़रमाया: 'दवा किया करो, बिलाशुब्हा अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने कोई बीमारी पैदा नहीं की मगर उसकी दवा भी पैदा की है, सिवाए एक बीमारी के यानी बुढ़ापा (उसका कोई इलाज नहीं।)'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/278, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7003, इब्ने माजा, हदीस: 3436, तिर्मिज़ी, हदीस: 2038, हाकिम: 4/399.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इलाज कराने की तल्क़ीन फ़रमाई है ये इलाज करना कराना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं। और ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इलाज कराया है। **(2)** बुढ़ापा ज़िन्दगी का एक फ़ितरी मरहला है जिसमें कुवा मुज़महिल (कमज़ोर) हो जाते हैं। अगर बुढ़ापा तारी हो जाये तो उसको वापस नहीं किया जा सकता। इसके बारे में कहा गया है।

जो जाकर न आये वह जवानी देखी।
और जो आकर न जाये वह बुढ़ापा देखा।।

☞ इंसान को बवक़्ते ज़रूरत दवाईयों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वह बिल्कुल ही आजिज़ न हो जाये। **(3)** सहाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में इन्तेहाई पुरसुकून होकर बैठते थे और यही अदब तलबा–ए आम के लिये है कि अपने उस्ताद के सामने बा'अदब होकर बैठा करें

﴾2﴿ بَابٌ فِي الْحِمْيَةِ

बाब : 2
परहेज़ इख़्तियार करने का बयान

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَامِرٍ - وَهَذَا لَفْظُ أَبِي عَامِرٍ - عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ

(3856) हज़रत उम्मे मुन्ज़िर (सलमा) बिन्ते क़ैस अन्सारिया (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ लाये आपके साथ हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) भी थे जो बीमारी से उठे थे और कमज़ोर थे। हमारे यहां खजूरों के ख़ोशे लटक रहे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे और

قَيْسٍ الأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِعَلِيٍّ " مَهْ إِنَّكَ نَاقِهٌ " . حَتَّى كَفَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . قَالَتْ وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَجِئْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ هَارُونُ الْعَدَوِيَّةِ .

उनसे खाने लगे और हज़रत अ़ली (ﷺ) भी खाने के लिये उठे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'रूक जाओ! तुम अभी कमज़ोर हो।' चूनांचे हज़रत अ़ली (ﷺ) (खाने से) रूके रहे। उम्मे मुन्ज़िर कहती हैं कि मैंने जौ और चुक़न्दर पकाये और आप (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया 'अ़ली! लो ये तुम्हारे लिये मुफ़ीद है।' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: (मेरे शैख़) हारून (बिन अ़ब्दुल्लाह) ने (अपने शैख) अबू दाऊद से उम्मे मुन्ज़िर के बारे में नक़ल किया कि ये 'अ़दविय्या' (बनू अ़दी की ख़ातून) हैं।

(3856) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2037, इब्ने माजा, हदीस: 3442, हाकिम: 4/407.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इंसान को जिन चीज़ों के बारे में मालूम हो कि वह उसके लिये नुक़सानदेह हैं या बीमारी का सबब बन सकती हैं उसे उनसे परहेज़ करना चाहिए। बीमार इंसान को सेहतयाबी के लिये ख़ुसूसी तौर पर परहेज़ करना चाहिए। और मुआलिज को भी चाहिए कि अपने ज़ेरे इलाज मरीज़ को ज़रूरी परहेज़ की निशानदेही करे और मरीज़ उस पर अ़मल करे। **(2)** सय्यदा सलमा उम्मे मुन्ज़िर (ﷺ) उन बा'सआदत सहाबिया में से हैं जिन्हें बैते रिज़वान में शुमूलियत का शर्फ़ हासिल हूआ था।

﴿3﴾ بابٌ فِي الْحِجَامَةِ

बाब : 3
सींगी लगवाने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ " .

(3857) हज़रत अबू हूरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारी दवाओं में जिनसे तुम इलाज करते हो अगर कोई बेहतर दवा है तो (उनमें से एक) सींगी लगवाना है।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3476, सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 1399.

फ़ायदा : जिस्म के किसी हिस्से में ख़ून का दबाव बढ़ जाने या उसमें जोश आ जाने की सूरत में जिल्द को निश्तर के साथ गोद कर ख़ास अन्दाज़ से ख़ून खींचा जाता था और ये अरब में एक मारूफ़ तरीक़-ए-इलाज था जो तिब्बे क़दीम में ख़ुसूसन अरबों के यहां हमेशा से मुस्तामल (इस्तेमाल किया जाता) रहा है। अब मग़रिब में भी कुछ अस्पतालों में इस तरीक़–ए–इलाज से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है और इसकी तालीम व तर्बीयत का निज़ाम भी क़ायम किया जा रहा है। इस तरीक़-ए-इलाज से ख़ून की गर्दिश (सर्कुलेशन), इंसान के जिस्म के अंदर क़ायम बरक़ी मिक़्नातीसी सिस्टम की ख़राबियाँ दुरूस्त हो जाती हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، حَدَّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ مَوْلاَهُ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ، سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلاَّ قَالَ " احْتَجِمْ " . وَلاَ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلاَّ قَالَ " اخْضِبْهُمَا " .

(3858) हज़रत सलमा (ﷺ) (ज़ौजा अबू राफ़ेअ)(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ादिमा थीं, बयान करती हैं कि जो कोई रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सरदर्द की शिकायत लेकर आता तो आप उसे फ़रमाते: 'सींगी लगवाओ' और जो कोई पाँव के दर्द की तकलीफ़ बताता तो आप फ़रमाते: 'मेहन्दी लगाओ।'

(3858) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3476, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1399.

फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मर्दों को बग़र्ज़े इलाज पाँव में मेहन्दी लगा लेना जायज़ है।

﴾4﴿ بَابٌ فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

बाब : 4 किस जगह सींगी लगवाई जाये

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ

(3859) हज़रत अबू कब्शा अंमारी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी–ए–करीम (ﷺ) अपने सर के बालाई हिस्से और दोनों कंधों के

ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، - قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ " .

दरम्यान सींगी लगवाया करते थे और फ़रमाते थे: 'जिस किसी ने इन मक़ामात से ख़ून के कुछ हिस्से बहा दिये तो वह किसी बीमारी के लिये कोई और दवा न भी ले तो उसे कोई ज़रर (नुक़्सान) नहीं पहुँचेगा।'

(3859) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3484.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ ثَلاَثًا فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ . قَالَ مَعْمَرٌ احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أُلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلاَتِي . وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ .

(3860) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने तीन मर्तबा सींगी लगवाई गर्दन की दोनों जानिब की रगों पर और कंधों के दरम्यान (कमर के ऊपर शुरू में)

मअ़मर कहते हैं: मैंने सींगी लगवा ली तो मेरा हाफ़िज़ा जाता रहा यहाँ तक कि मुझे नमाज़ में फ़ातिहा पढ़ने में भी लुक़्मा दिया जाता था। उन्होंने अपनी खोपड़ी पर (ग़लत जगह पर) सींगी लगवाई थी।

(3860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2051, इब्ने माजा, हदीस: 3483.

फ़ायदा : सींगी लगवाना एक मुफ़ीद और क़ाबिले अमल तरीक़–ए–इलाज है मगर उस शख़्स के लिये जिसे माहिरे फ़न डाक्टर मशवरा दे, ग़लत जगह या ना जानने वाले से सींगी लगवाने में नुक़सान का अन्देशा है।

﴿5﴾ بَاب مَتَى تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

बाब : 5 किन तारीख़ों में सींगी लगवाना मुस्तहब है?

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(3861) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सतरह, उन्नीस और इक्कीस तारीख़ (क़मरी) को सींगी लगवाये उसे हर बीमारी से शिफ़ा

صلى الله عليه وسلم " مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " .

होगी।'

(3861) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 9/340, हाकिम: 4/210.

फ़ायदा : इन तारीख़ों का ताल्लूक़ अम्रे ग़ैब से है। हम इसकी कोई तौजीह (मतलब) नहीं कर सकते। इन पर ईमान रखना वाजिब है। इन तारीख़ का एहतिमाम करना मुस्तहब है और पुराने ज़माने के डॉक्टरो का भी इज्मा है कि दूसरा निस्फ़ पहले की निस्बत बेहतर है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ، بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي، كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ أَبَاهَا، كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ، يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَرْقَأُ .

(3862) हज़रत कय्यिसा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) से रिवायत है कि उनके वालिद हज़रत अबू बक्र(ﷺ) मंगल के रोज़ सींगी लगवाने से मना किया करते थे। उनका ख़याल था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मंगल का दिन ख़ून का दिन है, इसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि उसमें ख़ून नहीं रूकता।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/340.

﴿6﴾ باب فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ

बाब : 6
फ़सद खुलवाने (रग से खून निकलवाना) और सींगी लगवाने की जगह का बयान

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .

(3863) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दर्द की वजह से अपनी सुरीन पर सींगी लगवाई थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/305, नसाई, हदीस: 7597, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2660, अबी दाऊद, हदीस: 1837 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : बग़र्ज़े इलाज सतर का कोई हिस्सा खोलना पड़े, तो जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .

(3864) हज़रत जाबिर (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) की तरफ़ एक मुआलिज भेजा जिसने उनकी रग काटी।

(3864) तख़रीज : मुस्लिम: 2207.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सही मुस्लिम में भी है लेकिन इसमें इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है कि 'रग काटने के बाद उस जगह को दाग़ा।' (देखिये: सही मुस्लिम, अस्सलाम: 2207) **(2)** इस्लामी मुआशरे में ऐसे अफ़राद मुहैया किये जाने ज़रूरी हैं जो उनकी बुनियादी अहम ज़रूरियात में उनके काम आयें बिलख़ुसूस तबीब और डाक्टर। **(3)** मुआलिज माहिरे फ़न के इलाज और उस्लूबे इलाज पर ऐतमाद किया जाना चाहिए। **(4)** जब तक मुमकिन हो ख़फ़ीफ़ दर्जा से इलाज शूरू करना चाहिए। फ़ायदा न हो तो उसके बाद का दर्जा इख़्तियार किया जाये। यानी पहले इलाज बिलग़िज़ा फिर दवा, पहले मुफ़रद फिर मुर्कब। फिर सींगी और आख़िर में रग काटना और उसके बाद है दाग़ देना।

﴾7﴿ باب فِي الْكَيِّ

बाब : 7
दाग़ने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أَنْجَحْنَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ .

(3865) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दाग़ने से मना फ़रमाया है, पस हमने दाग़ लगवाई मगर ये कामयाब रहे न मुफ़ीद साबित हूये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इमरान मलाइका (फ़रिश्तों) का सलाम सुना करते थे। जब उन्होंने दाग़ लगवाई तो ये सिलसिला रूक गया। फिर जब छोड़ दिया तो फिर से सलाम सुनने लगे।

(3865) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/444, व मुस्लिम: 1226.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(3866) हज़रत जाबिर (बिन अ़ब्दुल्लाह) (ﷺ) से मनक़ूल है कि हज़रत सअ़द बिन मुआज़ को तीर लगने के बाइस जो ज़ख़्म

आया था, नबी (ﷺ) ने उसको दाग़ लगवाया था।

عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ .

तख़रीज:मुसनद अहमद: 3/363, व मुस्लिम: 2208

फ़ायदा : दाग़ लगवाना सब से आख़री इलाज है। इससे पहले दीगर तरीक़े ज़रूर आज़माये जायें कोई चार–ए–कार बाक़ी न रहे तो दाग़ने की इजाज़त है। ऊपर दी गई हदीस़ में मना का मानी यही है कि जहाँ तक हो सके इससे परहेज़ किया जाना चाहिए।

बाब : 8
नाक में दवा डालने का बयान

﴿8﴾ باب فِي السَّعُوطِ

(3867) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नाक में दवा डाली थी।

(3867) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़ 5691, व मुस्लिम: 1202.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَطَ .

फ़ायदा : स़ही क़ौल के मुताबिक़ रोज़े की हालत में आँखों और कानों में दवाई के क़तरे डालने से रोज़ा फ़ासिद नहीं होता, क्योंकि उसे उ़र्फ़े आ़म या इस्तेलाहे शरीयत में खाना पीना नहीं कहते और न इस हालत में दवाई खाने पीने के रास्ते ही में दाख़िल की जाती है, अलबत्ता अगर दिन की बजाये रात को दवाई इस्तेमाल कर ली जाये तो इसमें ज़्यादा एहतियात है और इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

बाब : 9
मंतरों का बयान

﴿9﴾ باب فِي النُّشْرَةِ

(3868) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से नुश्रा के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया तो आपने फ़रमाया: 'ये शैतानी अ़मल है।'

(3868) **तख़रीज : (सनद हसन)** बुख़ारी, तारीखे कबीर, हदीस़: 7/53, मुसनद अहमद: 3/294.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ " هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " .

तौज़ीह : जिन्न या जादू उतारने के लिये शिर्किया और जाहिलाना मंतर पढ़ना पढ़ाना नुश्रा कहलाता है जो हराम और नाजायज़ है। इस मक़सद के लिये आयाते क़ुर्आनिया, मासूर दूआएँ और मसनून अज़कार इख़्तियार किये जायें जो जायज़ और मतलूब अ़मल है जैसे कि ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) पर जादू हूआ तो मुअव्वज़तैन (क़ुल्ल अऊज़ुबि रब्बिल फ़लक) और (क़ुल्ल अऊज़ुबिरब्बिन्नास) नाज़िल की थीं।

बाब : 10
तिर्याक़ का बयान

﴿10﴾ باب فِي التِّرْيَاقِ

फ़ायदा : ऐसी दवाईयाँ जो ज़हर की सुम्मियत (जहरीलापन) दूर करने वाली हों 'तिर्याक़' कहलाती है। इनमें से कुछ में हराम चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التِّرْيَاقَ .

(3869) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'मुझे कोई परवाह नहीं जो चाहे करता फिरूं अगर मैं तिर्याक़ पीयूँ या मुन्के लटकाऊं या अपनी तरफ़ से शेअ़र कहूं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि तिर्याक़ का इस्तेमाल न करना नबी (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी। और तिर्याक़ के इस्तेमाल में उ़लमा की एक जमाअ़त ने रूख़्सत दी है।

(3869) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/223, मज्मउज़्ज़वाइद, 5/103, मज्मउल बहरैन, हदीस़: 4184.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अफ़रादे उम्मत के लिये मुसलमान मुत्तक़ी तबीब के मशवरे से महज़ जान बचाने के लिये बशर्ते कि जान का बच जाना यक़ीनी हो तो तिर्याक़ जैसी मश्कूक चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ है। क्योंकि इरशादे बारी तआ़ला है: 'फमनिज़्तुर्रा गैरा बागिव वला आदिन ......' (अलबक़र: 173) **(2) तमीमा:** 'कोड़ियों, दरिन्दों के नाख़ूनों, उनकी हड्डियों वग़ैरह को कहा जाता है, जो जिस्म पर लटकाई जाती हैं (सिंधी) कोड़ियों वग़ैरह को लटकाने की ग़र्ज़ ये

होती है कि ये आफ़त और बीमारियों को दफ़ा करती हैं। ये ऐतक़ाद शिर्क पर मबनी है। (ख़त्ताबी) क़ाज़ी अबूबक्र अलअ़रबी ने तिर्मिज़ी की शरह में कहा है कि क़ुर्आन मजीद (या उसकी कोई आयत) लटकाना सुन्नत का तरीक़ा नहीं। सुन्नत, क़ुर्आन का पढ़ना है और ये अल्लाह तआला का ज़िक्र है लटकाना न सुन्नत है, न उसे ज़िक्र ही कहा जा सकता है। जबकि अ़ल्लामा सिंधी और अ़ल्लामा ख़त्ताबी वग़ैरह क़ुर्आन या अस्मा–ए–हुस्ना वग़ैरह लटकाने को मना के हुक्म में शामिल नहीं समझते। अ़ल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि क़ुर्आन मजीद की आयात (या अदइया) के ज़रिये से इस्तेआज़ा दर हक़ीक़त अल्लाह ही से इस्तेआज़ा है। उनका ख़याल है कि जिन लोगों ने किसी हार या क़लादा के अंदर तअव्वूज़ लटकाने से मना किया है तो इस वजह से कि ऐसे तावीज़ कुछ औक़ात अ़रबी की बजाये दूसरी ज़बानों में लिखे होते हैं जिनका मफ़हूम समझना मुमकिन नहीं होता और ख़तरा है कि इनमें जादू वग़ैरह न हो। तफ़्सील के लिये देखिये: (औ़नूल माबूद, किताब अत्तिब्ब, बाब फ़ित्तिर्याक़) **(3)** क़ुर्आन मजीद की रू से शेअ़र कहना पैग़म्बर की शान नहीं, इरशादे बारी तआला है: 'और नहीं सिखाया हमने उनको शेअ़र कहना और ये उनके लायक़ नहीं।' (यासीन: 69) किसी और का ऐसा शेअ़र नक़ल करना जो हक़ का तर्जुमान हो या सच्चाई पर मबनी हो या दिफ़ा–ए–इस्लाम के लिये कहे गये अश्आ़र सुनना अलग बात है उन पर शेअ़र गोई का इतलाक़ नहीं होता। (अनन्नबिय्यु ला कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब) वग़ैरह का आपकी ज़बान से जारी हो जाना बिला क़सद शेअ़री जुमले थे।

बाब : 11
मकरूह अदवियात (दवाईयों) का इस्तेमाल

﴿11﴾
بَابٌ فِي الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ.

(3870) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़बीस़ दवाओं के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

(3870) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2045, इब्ने माजा, हदीस़: 3459, हाकिम: 4/410.

फ़ायदा : 'ख़बीस़' से मुराद हराम चीज़ें हैं, इनसे इलाज करना हराम है। ख़याल रहे कि मर्ज़े इस्तिक़ा में 'ऊँटों का पेशाब' बतौर दवा ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तजवीज़ फ़रमाया था इसलिये इसको ख़बीस़ दवाइयों में शुमार नहीं किया जा सकता।

(3871) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान (ﷺ) से मरवी है कि एक मुआलिज ने नबी (ﷺ) से मैंढक के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया कि क्या उसे दवा में डाल लिया करे तो नबी (ﷺ) ने उस (तबीब) को मैंढक के क़त्ल करने से मना कर दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا

(3870) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4360, हाकिम: 4/411.

फायदा : मैंढक को क़त्ल करने से मना फ़रमाया है तो मालूम हूआ कि उसका दवा वग़ैरह में इस्तेमाल भी हराम है। अगरचे ये पानी का जानवर है मगर हफ़्तों और महीनों पानी के बग़ैर भी ज़िन्दा रहता है इसलिए मछली के हुक्म से ख़ारिज है।

(3872) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने ज़हर पिया (तो आख़िरत में) उसका ज़हर उसके हाथ में होगा जिसे वह जहन्नम की आग में हमेशा अब्दल अबाद तक पीता रहेगा।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا"

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 2044, मुसनद अहमद: 2/254, बुख़ारी: 5778, व मुस्लिम: 109.

फायदा : मुहलिक (हलाक करने वाली) चीज़ों का इस्तेमाल भी मकरूह और हराम है। नीज़ ख़ूदकुशी करने वाले को अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ न फ़रमाया तो वह अब्दी तौर पर (हमेशगी के लिए) जहन्नम में रहेगा और हलाकत के आला (या दवा) के ज़रिये उसे मुसलसल अज़ाब मिलता रहेगा।

(3873) हज़रत तारिक़ बिन सुवैद या सुवैद बिन तारिक़ (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से शराब के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आप (ﷺ) ने मना फ़रमाया, उसने फिर सवाल किया तो आपने मना फ़रमाया, तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! ये दवा है, नबी (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ

फ़रमाया: 'नहीं, बल्कि ये बीमारी है।'

(3873) तख़रीज : मुस्लिम: 1984.

فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " .

फायदा : शराब और उससे मख़्लूत चीज़ों से इलाज हराम है। लेकिन अफ़सोस है कि ग़ैर मुस्लिम मुआलिजीन ने हराम और मकरूह चीज़ों से मुरक्कब (मिली हुई) दवाइयों को इस क़द्र आम किया है और उनकी शोहरत कर दी है कि अवाम व ख़्वास उनके इस्तेमाल में कोई कराहत महसूस नहीं करते। मुसलमान हुक्काम, इदारों और तन्ज़ीमों का शरई और दीनी फ़रीज़ा है कि इस मैदान में ख़ालिस (शुद्ध) हलाल और पाकीज़ा दवाइयों से मुतारिफ़ करें और आम मुसलमान को भी सब्र व तहम्मुल से काम लेते हूए हराम और मश्कूक दवाइयों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और उनकी बजाये पाकीज़ा और ग़ैर मश्कूक दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'और जो अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करेगा, अल्लाह उसके लिये (तंगी से निकलने की) कोई राह पैदा फ़रमा देगा।' (अत्तलाक़: 2) और अगर कोई मुख़्लिस डॉक्टर किसी मर्ज़ में अपने बेबसी का इज़हार करे और शराब ही को इलाज समझे तो जान बचाने के लिये, बशर्ते कि जान का बच जाना यक़ीनी हो तो इस सूरत में उसका इस्तेमाल जायज़ होगा। जैसा कि अल्लाह का फ़रमान है: 'जो बहुत मजबूर हो जाये, और हद से आगे बढ़ने वाला न हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।' (अलबक़र: 173)

(3874) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने बीमारी उतारी है तो दवा भी नाज़िल फ़रमाई है और हर बीमारी के लिये दवा है, लिहाज़ा दवा इस्तेमाल किया करो लेकिन हराम से इलाज न करो।'

(3874) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/5, इब्ने अलमुलक्क़िन तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 2847, हदीस: 3855 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " .

फायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दूसरी अहादीस़ से इस बात की ताईद होती है कि हराम चीज़ें जैसे शराब और नशावर चीज़ें और ज़हरों वग़ैरह से इलाज जायज़ नहीं।

बाब : 12
अ़ज्वा खजूर का बयान

﴿12﴾ باب فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

फायदा : मदीना मूनव्वरा के इलाक़े में पाई जाने वाली एक ख़ास क़िस्म की उ़म्दा खजूर का नाम 'अ़ज्वा' है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ " إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ " .

(3875) हज़रत सअ़द (बिन अबी वक़्क़ास़)(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं बहुत सख़्त बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी एयादत के लिये तशरीफ़ लाये। आपने अपना दस्ते मुबारक मेरी छाती के दरम्यान रखा, यहाँ तक कि मैंने उसकी ठण्डक अपने दिल में महसूस की। तो आपने फ़रमाया: 'तुम दिल के मरीज़ हो, बनू सक़ीफ़ के हारिस़ बिन कलदा के पास जाओ, वह डाक्टरी करता है, उसे चाहिए कि मदीना की अ़ज्वा खजूरों में से सात खजूरें लेकर उन्हें गुठलियों समेत कूट ले और फिर तुम्हें खिला दे।'

(3875) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अत्तबकात इब्ने सअ़द: 3/146, 147.

मल्हूज़ : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन अ़ज्वा खजूर में शिफ़ा होने के बारे में मुतअ़द्दिद (कई) सही अहादीस़ मौजूद हैं, इनमें से हज़रत आ़यशा (ﷺ) की रिवायत भी है जो स़ही मुस्लिम में मरवी है। दूसरी ज़हर और जादू से बचाव के लिये अगली हदीस़ में अ़ज्वा का ज़िक्र है, जो स़हीहैन में मरवी है। ताहम दवाई तैयार करना और मुनासिब ख़ूराकों से इस्तेमाल करना महारत का काम है, इसलिए माहिर तबीब की तरफ़ मुराजअ़त ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(3876) जनाब आ़मिर बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सुबह को अ़ज्वा खजूर के सात दाने खा ले उसे उस

عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ " .

दिन कोई ज़हर या जादू नुक़सान नहीं देगा।'

(3876) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5769, व मुस्लिम: 2047.

फायदा : अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) लिखते हैं कि अज्वा खजूर का ये फ़ायदा नबी–ए–करीम (ﷺ) की दुआ की बरकत की वजह से है।

﴾13﴿ باب فِي الْعِلاَقِ

बाब : 13
हल्क़ की तकलीफ़ का इलाज उंगली से गले उठा कर करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ " عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ .

(3877) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं अपने बेटे को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूई। (चूंकि उसके हल्क़ में तकलीफ़ थी तो) मैंने उसके लटके हूए गले उंगली से ऊपर किये थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अपने बच्चों के गले लटकने का इलाज उंगली से क्यों करती हो? ऊदे हिन्दी इख़्तियार कर लो, इसमें सात बीमारियों की शिफ़ा है। इनमें से एक 'ज़ातुल जन्ब' (पहलू का दर्द भी) है (जिसमें ये मुफ़ीद है) हल्क की तकलीफ़ में इसे नाक में टपकाया जाता है और पहलू के दर्द में पानी के साथ खिलाया जाता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ऊद से मुराद कुस्त है।

(3877) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5713, व मुस्लिम: 2214.

फायदा : बच्चों को बिलउमूम कवा गिरने या गले पड़ने की तकलीफ़ होती रहती है। तिब्ब–ए–नबवी में इसका इलाज कुस्त है। कुस्त को हिन्दी में 'कट' और लातीनी में इसे (Costas Arabicus) कहते हैं। ये निहायत ख़ुशबूदार और लम्बी बूटी की जड़ है।

﴾14﴿ باب فِي الأَمْرِ بِالْكُحْلِ

बाब : 14 सुरमे का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ " .

(3878) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कपड़े सफ़ेद पहना करो, ये तुम्हारे सब लिबासों में बेहतर लिबास है, इसमें अपनी मय्यतों को कफ़न दिया करो और तुम्हारे सुरमों में से बेहतरीन सुरमा इस्मिद है जो बीनाई को तेज़ करता और पलकों के बाल उगाता है।'

(3878) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 994, इब्ने माजा, हदीस: 3566.

फायदा : 'इस्मिद' ख़ास अस्फ़हानी सुरमा है जो सुर्ख़ी माइल होता है और हिजाज़ में मिलता है।

﴾15﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

बाब : 15 नज़र लग जाने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَيْنُ حَقٌّ " .

(3879) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से बयान किया, आपने फ़रमाया: 'नज़र लग जाना हक़ है।'

तख़रीज: बुख़ारी: 5740, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (जामेअ मामर): 19778, मुसनद अहमद: 2/319, व मुस्लिम: 2187

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ

(3880) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि जिस शख़्स की नज़र लगती उसे हुक्म दिया जाता था कि वुज़ू करके (वुज़ू का पानी) दे, फिर उस से बीमार को (जिसे नज़र लगी हो) गुस्ल कराया जाता था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 9/351.

फायदा : अगर इंसान किसी दूसरे के लिये नेक ख़्वाहिशात का इज़हार करे तो नेक ख़्वाहिश का मुस्बत (सकारात्मक–पॉजिटिव) असर दूसरे पर होता है। इसी तरह बुरी ख़्वाहिश, हसद वग़ैरह के मनफ़ी असरात भी शिद्दत से दूसरों पर मुरत्तब होते हैं। जदीद नफ़सियात में ये बात वाज़ेह की गयी है कि एक इंसान अपने इरादे, ख़्वाहिश और तवज्जह के ज़रिये से दूसरे पर बहुत जल्द असर अंदाज़ हो सकता है। नज़र लगने की सूरत भी यही है कि किसी की ख़ूबी देख कर कुछ नफ़्सों में जो जज़्ब–ए–हसद पैदा हो जाता है, अगर वह सख़्त हो और हसद महसूस करने वाला सख़्त और मज़बूत इरादे का रूझान रखता हो तो इस हसद की वजह से दूसरे पर बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। उमूमन चूंकि दूसरे की ख़ूबियाँ आँखों से देखी जाती हैं और देखते ही फ़ौरन हसद का जज़्बा पैदा होता है इसलिए उसको अक्सर ज़बानों में 'नज़र लगने' या उसके हम मानी अल्फ़ाज़ से ताबीर किया जाता है।

☞ हाफ़िज़ इब्ने अल क़य्यिम (रह.) की किताब 'तिब्बे नबवी' के अंग्रेजी तर्जुमे के एडीटर नौ मुस्लिम स्कॉलर अब्दुर्रहमान (Raymond, J. Monderola, Fordham, U.S.A., University.) ने इस हवाले से एक दिलचस्प नोट लिखा है। उसका ख़ुलासा ये है कि बुराई की कुव्वत मुख़्तलिफ़ चीज़ों या लोगों को ख़ुफ़िया तौर पर अपना आला–ए–कार बनाकर उनके ज़रिये से इंसानों को नुक़सान पहुँचाती है। मग़रिबी मुआशरे में इसका मुज़ाहिरा स्कूल के कमसिन बच्चों की तरफ़ से अपने हम जमाअतों के इज्तेमाई क़त्ल, एक इंसान की तरफ़ से बग़ैर दुश्मनी के एक बाद एक कई बीसीयों क़त्ल, बच्चों पर मुजरिमाना तशद्दुद और ऐसी फ़िल्मों की सूरत में सामने आता है जिसमें हक़ीक़त का रंग भरने के लिये इंसानों को वाक़ेअतन (वास्तव में) क़त्ल करके फ़िल्में (Snuff Movies) बनाई जाती हैं। अगर ये न माना जाये कि बुराई की कुव्वत इंसान को अपना आला–ए–कार बनाकर ये काम कराती है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ इंसान की अपनी फ़ितरत में शामिल है। मुसलमानों को यही बताया गया है कि बुराई की इन कुव्वतों से अल्लाह की पनाह हासिल करें। (Medicine of Prophet by Ibn. Qayyim Al-Jauziyah, footnote 157).

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस ग़र्ज़ से बहुत सी दुआएँ बताई और माँगी हैं। इन दुआओं में से एक दुआ ये है: (अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामति, मिन कुल्लि शैतानिव वमिन कुल्लि ऐनिल लाम्मतिन) (सही बुख़ारी, हदीस: 3371) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये भी हुक्म है कि जिस किसी की नज़र लग जाती हो वह अच्छी चीज़ या इंसान को देखते ही उसके लिये बरकत की दुआ करे। (मौता, इमाम मालिक) अगर किसी शख़्स पर नज़रे बद के असरात सख़्त हों तो उसका इलाज ये बताया गया है कि जिस शख़्स की नज़र लगी हो वह वुज़ू करे और तहबन्द वग़ैरह का वह हिस्सा जो कमर के साथ लगा होता है उसे धोये। (फ़तहुलबारी) और मुस्तामल (इस्तेमाल किया हुआ) पानी मुतास्सिरा शख़्स पर फेंका जाये। (मौता, हवाला मज़कूरा) अबू दाऊद की ये हदीस अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इसकी ताईद करने वाली सही रिवायतें मौजूद हैं जिस तरह कि मौता की रिवायत जिसका ऊपर हवाला दिया गया है।
- ये एक रूहानी इलाज है। ये कैसे कामयाब होता है इसका जानना ज़रूरी नहीं लेकिन इतनी बात समझी जा सकती है कि वुज़ू के ज़रिये से इंसान को जानबूझकर या अनजाने सरज़द होने वाले मनफ़ी उमूर के असरात से निजात हासिल हो जाती है। इन मनफ़ी उमूर के नतीजे से पनाह हासिल करने का एक तरीक़ा है कि जिसकी नज़र लग गई उसने जब ख़ूद वुज़ू के ज़रिये से इन उमूर से पनाह हासिल की और वुज़ू के पानी ने उनका इज़ाला कर दिया तो जिस दूसरे इंसान पर इसके मनफ़ी जज़्बे का असर हूआ हो अगर वह अपने ऊपर यही पानी गिरा ले तो ये असर बदर्जा–ए–औला ख़त्म हो जायेगा।

बाब : 16
दूध पिलाती औरत से मुबाशरत का मसला

(3881) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'अपनी औलादों को मख़्फ़ी तरीक़े से क़त्ल मत करो। बिलाशुब्हा दूध पीने के अय्याम में औरत से मुबाशरत का असर ये होता है कि बच्चा (बड़ा होकर जब घुड़ सवारी करता है तो)

﴿16﴾ باب فِي الْغَيْلِ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ

घोड़े से गिर जाता है।'

الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ " .

(3881) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 2012, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1304.

मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बिलमुक़ाबिल नीचे की हदीस़ सही है। यानी अस़र होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए शरअ़न इसकी कोई मनाही नहीं।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُدَامَةَ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " . قَالَ مَالِكٌ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .

(3882) हज़रत आयशा (ﷺ) हज़रत जुदामा असदिया (ﷺ) से बयान करती हैं, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'मेरा इरादा हूआ कि दूध पिलाने के अय्याम में मुबाशरत से मना कर दूं मगर मुझे याद दिलाया गया कि रूमी और फ़ारसी लोग ऐसा करते हैं मगर उनके बच्चों को कोई नुक़स़ान नहीं होता है।'

इमाम मालिक (रह.) ने फ़रमाया: 'ग़ैला' ये है कि जिस ज़माने में औरत बच्चे को दूध पिलाती हो उसका शौहर उससे मुबाशरत करे।

तख़रीज : मौता: 2/607, 608, व मुस्लिम: 1442.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हूआ कि अय्यामे रज़ाअ़त (दूध पिलाने के दिनों) में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है।

﴿17﴾ بَابٌ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

बाब : 17 तावीज़ गंडे लटकाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ

(3883) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'दम झाड़ कंडे मंके और जादू की चीज़ें या तहरीरें शिर्क हैं।' इनकी

يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أَخِي، زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ " . قَالَتْ قُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا "

अहलिया ने कहा: आप ये क्यों कर कहते हैं? अल्लाह की क़सम! मेरी आँख दर्द की वजह से गोया निकली जाती थी तो मैं फ़लां यहूदी के पास जाती और वह मुझे दम करता था। जब वह दम करता तो मेरा दर्द रूकजाता था। हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा: ये शैतान की कारिस्तानी होती थी। वह तेरी आँख में अपनी उंगली मारता था, तो जब वह (यहूदी) दम करता तो (शैतान) बाज़ आ जाता था। हालांकि तुझे यही कुछ कहना काफ़ी था जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कहा करते थे: (अज़हिबिल बासा रब्बन्नासि, इश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी, ला शिफ़ाअ इल्ला, शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरू सक़मन) 'ऐ लोगों के रब! दूख दूर कर दे, शिफ़ा इनायत फ़रमा, तू ही शिफ़ा देने वाला है, तेरी शिफ़ा के सिवा कहीं कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा इनायत फ़रमा जो कोई दुख बाक़ी न रहने दे।'

(3883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3530, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1412, हाकिम, हदीस: 4/417, 418.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रूक़्या' यानी दम झाड़ फूँक जो कुफ़्रिया और शिर्किया कलिमात पर मुश्तमिल हों करना कराना हराम और शिर्क है, अलबत्ता क़ुर्आन करीम की आयात और मसनून दुआओं से दम करना सुन्नत और बाइसे अज्र है। नीज़ ऐसे कलिमात जिनमें शिर्क व कुफ़्र का कोई शक शुब्हा न हो और तजुर्बे से मुफ़ीद साबित हुए हों, उनसे दम करना जायज़ है। **(2)** (अत्तमाइम जमा तमीमा): 'यानी वह मुन्के जो अरब लोग अपने बच्चों को नज़रे बद से बचाने के लिये पहनाते थे तमीमा और तमाइम कहलाते हैं।' इस मानी में वह कोड़ियाँ, मुंके, पत्थर, लोहा, छल्ले, अंगूठियाँ, लकड़ी और धागे वग़ैरह सब चीज़ें शामिल हैं जो जाहिल लोग बग़र्ज़े इलाज पहनते पहनाते हैं। इसमें वह तावीज़ात भी आते हैं जो कुफ़्रिया, शिर्किया और ग़ैर शरई तहरीरों पर मुश्तमिल हों, लेकिन ऐसे तावीज़ात जो आयाते

क़ुर्आनियाँ और मसनून दुआओं पर मुश्तमिल हों उन्हें 'तमीमा' कहना क़ुर्आन व सुन्नत की हतक है। इस पाकीज़ा कलाम को ये बुरा नाम देना नारवा (बेजा) ग़ुलू है। इसमें शुब्हा नहीं कि क़ुर्आन करीम या दुआएँ लिख कर लटकाना रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी तरह साबित नहीं हालांकि उस दौर में काग़ज़, क़लम, स्याही और कातिब सभी मुहय्या थे और मरीज़ भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आते थे मगर आपने कभी किसी को ये तरीक़–ए–इलाज इरशाद नहीं फ़रमाया। आपने उन्हें दम किया या मुख़्तलिफ़ अज़कार बताये या कोई माद्दी इलाज तजवीज़ फ़रमा दिया। आयात या दुआओं को बतौर तावीज़ लटकाना दूर की बात और इख़्तिलाफ़ी मसला है। (इब्ने क़य्यिम) उलमा–ए–सुन्नत का एक गिरोह इसका क़ाइल व फ़ाइल रहा है और दूसरा इन्कारी। (मुलाहिज़ा हो आइन्दा हदीस: 3893) उलमा–ए–रासिख़ीन की और हमारी तर्जीह यही है कि इससे एहतराज़ किया जाये। मगर कलामुल्लाह या मसनून दुआओं को 'तमीमा' जैसा बुरा नाम देना बहुत बड़ा ज़ुल्म है। **(3)** (तिवला) : मोहब्बत के टोटके तावीज़ और गंडे जादू की क़िस्म हैं और शिर्क हैं। **(4)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) की बात से ये भी पता चलता है कि शिर्किया व कुफ़्रिया तरीक़ों से लोगों को जो फ़ायदा होता है वह दरहक़ीक़त शैतानी असर होता है। **(5)** वाजिब है कि हर मुसलमान ईमान व यक़ीन के साथ मसनून आमाल इख़्तियार करे और यक़ीन रखे कि जल्द या बदेर शिफ़ा हो जायेगी। अगर न हो तो दिक़्क़ते नज़र (गहराई) से अपना जायज़ा ले कि दुआ क़बूल न होने का क्या सबब है और फिर सब्र से भी काम ले और अल्लाह के यहां अज्र और बलन्द दर्जात का उम्मीदवार रहे।

(3884) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ؓ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दम झाड़ सिर्फ़ नज़रे बद में है या ज़हरीले डंक में।'
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2057.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ " .

फ़ायदा : दीगर सही रिवायात में ये अल्फ़ाज़ हैं कि दम झाड़ नज़रे बद, बुख़ार या ज़हरीले डंक में है। नीज़ सही अहादीस से साबित होता है कि दम झाड़ जो अस्मा–ए–इलाही और मसनून दुआओं में से हों, सभी बीमारियों में मुफ़ीद होते हैं। बद नज़री और ज़हरीले डंक में उनकी अहमियत और तासीर ज़्यादा होती है।

बाब : 18
दम झाड़ का बयान

﴿18﴾ باب مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

(3885) जनाब यूसुफ़ बिन मुहम्मद या मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास अपने वालिद से वह उनके दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत स़ाबित बिन क़ैस(ؓ) के यहां आये ... अहमद ने कहा: जबकि वह मरीज़ थे ... तो आप (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई: (इक्शिफ़िल बासा रब्बन्नासि अन स़ाबितिब्नि क़ैसिब्नि शम्मासी) 'ऐ लोगों के पालने वाले! इस तकलीफ़ को स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास से दूर फ़रमा दे।' फिर आपने वादी-ए-बतहान की मिट्टी ली, उसे एक प्याले में डाला, फिर उस पर पानी फूँक कर डाला और फिर उसे उस पर छिड़क दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इब्ने अस्सरह ने रावी का नाम यूसुफ़ बिन मुहम्मद ज़िक्र किया है और यही स़ही है।

(3885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा: 10856, 10889, व अमलुल यौम वल्लैला, हदीस़: 1017, 1040, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1418.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ، - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ، - وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ أَحْمَدُ - وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ " اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ " . عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ .

मल्हूज़ : ये रिवायत पानी वग़ैरह पर दम करने के लिये बतौर दलील पेश की जाती है। इब्ने हिब्बान ने इसको स़ही कहा है लेकिन यूसुफ़ बिन मुहम्मद को इनके अलावा किसी ने स़िक़ा नहीं कहा।

(3886) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ؓ) का बयान है कि हम जाहिलीयत में दम झाड़ किया करते थे तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ " اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا " .

रसूल! (ﷺ) आप का इस बारे में क्या ख़याल है? आपने फ़रमाया: 'अपने दम मुझे बताओ, दम करने में कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि शिर्क न हो।'

(3886) **तख़रीज :** मुस्लिम: 2200.

फ़ायदा : ऐसे दम जिनके अल्फ़ाज़ मफ़हूम व मानी में वाज़ेह हों, शिर्क का शायबा न हो और तजुर्बे से मुफ़ीद साबित हुए हों तो उनसे फ़ायदा हासिल करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي " أَلاَ تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ" .

(3887) हज़रत शिफ़ा बिन्ते अब्दुल्लाह (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये जबकि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (رضي الله عنها) के पास थी तो आपने मुझसे फ़रमाया: 'तुम इसे नमला (बच्चों की पस्लियों पर निकलने वाली फुन्सियों) का दम क्यों नहीं सिखा देती हो जैसे कि उसे लिखना सिखाया है।'

(3887) **तख़रीज :** (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/372, नसाई, सुनन कुब्रा: 7543, हाकिम, हदीस: 4/414.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये दम क्या था? किसी मुस्तनद हदीस में इसके अल्फ़ाज़ नक़ल नहीं हुए। ताहम इससे ये मालूम हूआ कि अगर कोई दम तजुर्बे से मुफ़ीद साबित हो चुका हो और उसमें शिर्किया अल्फ़ाज़ न हों और उनका मानी व मफ़हूम वाज़ेह हो तो उस दम को इख़्तियार किया जा सकता है। वल्लाहू आलम! (2) औरतों को लिखना पढ़ना सिखाना जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي الرَّبَابُ، قَالَتْ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ،

(3888) जनाब सहल बिन हुनैफ़ (رضي الله عنه) कहते हैं कि हम एक नदी के पास से गुज़रे तो मैं उसमें दाख़िल हो गया और गुस्ल किया। बाहर निकला तो बुख़ार चढ़ा हूआ था। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताई गई तो आपने फ़रमाया: 'अबू साबित को कहो कि

يَقُولُ مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذْ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَالرُّقَى صَالِحَةٌ فَقَالَ " لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ .

उसे दम कर दे।' (रबाब कहती है) कि मैंने (सहल बिन हुनैफ़ से) अर्ज़ किया: आक़ा! क्या दम मुफ़ीद होते हैं? फ़रमाया: 'दम बद नज़री' साँप के काटे और बिच्छु के डंक ही में मुफ़ीद होते हैं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (अल्हुमतु) का लफ़्ज़ साँप और हर डंसने वाले तक्लीफ़देह जानवर पर बोला जाता है।

(3888) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: 3/486, नसाई, हदीस़: सुनन कुब्रा: 10086, 10873, हाकिम: 4/413.

मल्हूज़ : बक़ौल स़ाहिबे बज़्लुल मज्हूद (क़ालत फ़कुल्तु या सय्यदी) के जुमले में 'क़ालत' का लफ़्ज़ किसी नासिख़ की ग़लती है और बरिवायत मौता इमाम मालिक राजेह ये है कि हज़रत सहल को आमिर बिन रबीया की नज़र लगी थी तो उनसे उनके वुज़ू का पानी लेकर उन पर छिड़का गया था। (मौता, इमाम मालिक)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، - قَالَ الْعَبَّاسُ - عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ " . لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ .

(3889) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दम इन चीज़ों ही से होता है बद नज़री, ज़हरीले जानवर के डंक और बहते ख़ून से।'

(3889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम, हदीस़: 4/413, इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 7/393.

फ़ायदा : 'बहते ख़ून से दम' का मफ़हूम ये है कि जारी ख़ून रूक जाता है। इमाम सिंधी (रह.) फ़रमाते हैं: इस इबारत में गोया सवाल का जवाब है कि दम के बाद क्या होगा, तो उसका जवाब यूँ दिया कि 'बहता ख़ून रूक जायेगा।' (औनूल माबूद)

बाब : 19
दम कैसे किया जाये?

﴿19﴾ باب كَيْفَ الرُّقَى

(3890) हज़रत अनस (ﷺ) ने जनाब साबित बिनानी से कहा: क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) का (सिखाया हूआ) दम न करूं? उन्होंने कहा: क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा: (अल्लाहुम्मा! रब्बन्नासि, मुज़हिबलबास, इश्फ़ि अन्तश्शाफ़ी, ला शाफ़िया इल्ला अन्ता, इश्फ़िही शिफ़ाअन ला युग़ादिरू सक़मन) 'ऐ अल्लाह! लोगों के पालने वाले, दुखों के दूर करने वाले! शिफ़ा इनायत फ़रमा, तू ही शाफ़ी है, तेरे सिवा कोई शिफ़ा नहीं दे सकता, इसे शिफ़ा दे ऐसी शिफ़ा जो कोई बीमारी न रहने दे।'

(3890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5742.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ - يَعْنِي - لِثَابِتٍ أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ بَلَى . قَالَ فَقَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا "

(3891) हज़रत उस्मान बिन अबी अलआस(ﷺ) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि मुझे बड़ा सख़्त दर्द हो रहा था, क़रीब था कि मुझे हलाक कर दे। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दर्द की जगह पर सात बार अपना दाहिना हाथ फेरो और यूँ कहो: (अऊज़ुबिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु) 'मैं अल्लाह की इज़्ज़त और क़ुदरत की पनाह चाहता हूं इस तकलीफ़ से जिसमें मैं मुब्तला हूँ।' चुनांचे मैंने ऐसे ही

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ

وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

किया तो अल्लाह ने मेरी तकलीफ़ दूर कर दी। तब से मैं अपने घर वालों और दूसरों को ये दम बताता आ रहा हूँ।

(3891) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2080, मौता: 2/942, इब्ने माजा, हदीस़: 3522, व मुस्लिम: 2202.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ " .

(3892) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'तुममें से जिसको कोई तकलीफ़ हो जाये या उसका भाई बीमार हो जाये तो उसे यूँ दम करे: (रब्बुनल्लाहुल्लज़ी फ़िस्समाइ तक़द्दसा इस्मुका अम्रूका फिस्समाइ वल अर्ज़ि कमा रहमतुका फिस्समाइ फ़ज्अल रहमतका फिल अर्ज़ इग़्फ़िर हूबना व ख़तायाना अन्ता रब्बुत्तय्यिबीन अन्ज़िल रहमतम मिर रहमतिका व शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका अ़ला हाजल वजइ) 'हमारा रब अल्लाह है जो आसमान में है। (ऐ अल्लाह!) तेरा नाम मुक़द्दस है, आसमान और ज़मीन में तेरा हुक्म नाफ़िज़ है, तेरी रहमत जिस तरह आसमान में (आ़म) है ज़मीन में भी (आ़म) कर दे, हमारे गुनाह और ख़ताएँ माफ़ कर दे, तू पाक लोगों का रब है, अपनी रहमत और शिफ़ा का एक हिस्सा इस बीमारी पर नाज़िल फ़रमा दे।' तो वह शिफ़ा पा जायेगा।'

(3892) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा हदीस़: 10877: 1038, हाकिम, हदीस़: 1/344, 4/218, 219.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दम के बारे में और बहुत सी सही अहादीस़ में मसनून दम मौजूद हैं और ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित हैं, लिहाज़ा ये कोशिश की जाये कि मरीज़ पर वही कुछ दम किया जाये जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित हो। ताहम मानी के लिहाज़ से इस रिवायत के अल्फ़ाज़ अच्छे हैं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ .

(3893) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) डर या घबराहट के मौक़े पर उन्हें ये कलिमात सिखाया करते थे: (अऊज़ुबिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन ग़ज़बिहि व शर्रि इबादिहि व मिन हमज़ातिश शयातीनि व अय यहज़ुरून) 'मैं अल्लाह के कामिल कलिमात की पनाह में आता हूं, उसकी नाराज़ी से, उसके बंदों की शरारतों से, शैतानों के वस्वसों से और इस बात से कि वह मेरे पास आयें।' चुनांचे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) अपने समझदार बच्चों को ये कलिमात सिखा दिया करते थे और जो ना समझ होते, उन्हें लिख कर उनके गले में डाल देते।

(3893) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3528, हाकिम, हदीस़: 1/548.

फ़ायदा : हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ कहा है, ताहम शैख़ अल्बानी (रह.) इसकी बाबत लिखते हैं कि इस रिवायत में दुआ के कलिमात हसन दर्जा के हैं, अलबत्ता हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) का अ़मल कि वह इसे लिख कर बच्चों के गलों में डाल दिया करते थे। ज़ईफ़ है। देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद) इसलिए इससे गले वग़ैरह में तावीज़ लटकाने के जवाज़ पर इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،

(3894) जनाब यज़ीद बिन अबू उ़बैद कहते हैं कि मैंने हज़रत सलमा (बिन अक़्वा) (رضي الله عنه) की पिण्डली पर तलवार

قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَفَثَ فِيَّ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ .

लगने का निशान देखा। मैंने पूछा कि ये कैसा निशान है? तो उन्होंने बताया कि ये मुझे ख़ैबर के रोज़ लगी थी और लोग कहने लगे कि सलमा तो गया! तो मुझे नबी (ﷺ) के पास लाया गया। आपने मुझ पर तीन बार फूँक मारी (जिस में हल्का सा लुआबे दहन भी था) तो उसके बाद से अब तक मुझे इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई।

(3894) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4206.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ " تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا " .

(3895) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि जब कोई शख़्स बीमार हो जाता तो नबी (ﷺ) अपना लुआब लेते, फिर उसे मिट्टी लगाते और यूँ फ़रमाते: (तुर्बतु अर्ज़िना बिरीक़ति बअ्ज़िना युश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना) 'मिट्टी हमारी ज़मीन की, हमारे एक के लुआब के साथ, शिफ़ा पाये हमारा मरीज़, हमारे रब के हुक्म से।'

(3895) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5745, व मुस्लिम: 2194.

फवाइद व मसाइल : (1) सही बुख़ारी में इस दुआ की इब्तेदा में (बिस्मिल्लाह) का लफ़्ज़ आया है। जबकि (बिरीक़तिन) के बजाये (व रीक़तुन) का लफ़्ज़ आया है। (सही बुख़ारी, हदीस़: 5746) **(2)** अ़ल्लामा नववी (रह.) फ़रमाते हैं कि दम करने वाला अपनी ऊँगली अपने लुआब से तर करके उस पर मिट्टी लगा ले और फिर तकलीफ़ वाली जगह पर या मरीज़ पर फेरे और ये कलिमात कहता जाये।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ

(3896) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त तमीमी अपने चचा (अलाक़ा बिन सहार सलीती अत्तमीमी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि वह नबी (ﷺ) के पास आये और इस्लाम क़बूल किया। फिर वापस लौटे तो एक क़ौम के

صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ تُدَاوِيهِ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " هَلْ إِلاَّ هَذَا " . وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ "

पास से गुज़रे, उनके यहां एक पागल आदमी था जो ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके घर वालों ने उनसे कहा: तहक़ीक़ हमें ख़बर मिली है कि तुम्हारा ये स़ाहिब (रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ैर के साथ आया है। तो क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिससे तुम इसका इलाज कर दो? चुनांचे मैंने उसको सूरह फ़ातिहा से दम किया तो वह ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे सौ बकरियाँ दीं तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपको ख़बर दी। आपने पूछा: 'क्या बस यही?' मुसद्दद ने दूसरे मौक़े पर कहा: 'क्या तुमने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा था?' मैंने कहा: नहीं। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ले लो। क़सम मेरी उमर की! लोग बातिल दम झाड़ से खाते हैं, जबकि तुम ऐसे दम से खा रहे हो जो हक़ है।'

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 3420 में देखें, मुसनद अहमद: 5/210, इब्ने हिब्बान: 1129, 1130.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपनी उमर की क़सम खाना आपकी ख़ुसूस़ियत है। क़ुर्आन मजीद में है: (अलहिज्र: 72) 'तेरी उमर की क़सम! वह तो अपनी बदमस्ती में सरगर्दान हैं।' तफ़्स़ील के लिये गुज़िश्ता हदीस़: 3420 के फ़वाइद व मसाइल मुलाहिज़ा हों।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ - قَالَ - فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(3897) जनाब ख़ारिजा बिन स़ुल्त अपने चचा (हज़रत अलाक़ा बिन स़हार स़लीती) (رضي الله عنه) से रिवायत करते हैं कि वह एक क़ौम के पास से गुज़रे ('और एक मरीज़ को) तीन दिन तक सुबह व शाम सूरह फ़ातिहा से दम करते रहे। जब वह उसे पूरी पढ़ लेते तो अपना लुआब जमा करके मरीज़ पर फूँक देते। उससे

ثَلاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

वह गोया अपने बंधन से खुल गया। इस पर उन लोगों ने उनको कुछ माल दिया तो वह नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए ... और फिर ऊपर की हदीस़ मुसद्दद की मानिन्द रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 3420 में देखें.

फायदा : स़हाब–ए–किराम (ﷺ) में इस्लाम लाने के बाद पहले ही दिन से अपने रिज़्क़ में हलाल हराम के इम्तियाज़ का दाइया और जज़्बा पैदा हो जाता था। और वह उसमें इन्तेहाई एहतियात करते थे और यही चीज़ दुआओं की क़बूलियत व तास़ीर का इन्तेहाई अहम उ़न्सुर (हिस्सा) है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، مِنْ أَسْلَمَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ . قَالَ " مَاذَا " . قَالَ عَقْرَبٌ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " .

(3898) जनाब सुहैल बिन अबू स़ालेह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने क़बील–ए–असलम के एक शख़्स़ से सुना, उसने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा हूआ था कि आपके स़हाबा में से एक स़हाबी आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आज रात डंक लगने की वजह से मैं सुबह तक सो नहीं सका हूं। आपने पूछा: 'क्या था?' उसने बताया कि बिच्छू था। आपने फ़रमाया: 'अगर तुम शाम के वक़्त ये दुआ पढ़ लेते: (अऊ़ज़ुबिकलिमा तिल्लाहित्ताम्मति मिन शर्रिमा ख़लक़) 'मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के साथ पनाह लेता हूं हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा फ़रमाई है।' तो तुम्हें इन्शाअल्लाह कोई ज़रर (नुक़्सान) न पहुँचता।'

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 10430, मुसनद अहमद, हदीस़: 3/448, मौता, 2/951.

फायदा : अस़ल शरई और मसनून 'तअव्वुज़' यही अज़कार हैं जो बंदे को अपने रब से जोड़ देते हैं और इंसान अपने अल्लाह की हिफ़ाज़त और अमान में आ जाता है। इनमें बुनियादी बात ईमान,

यक़ीन, रिज़्क़े हलाल और सच्चाई है। और ये तअव्वूज़ सुबह व शाम दोनों वक़्त पाबन्दी से पढ़ना चाहिए और बच्चों पर दम करने चाहिए, लिख कर लटकाने का रिवाज बहुत बाद में हूआ है। अहदे ख़ैरूल कुरून में इसका सुबूत नहीं मिलता।

حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، - يَعْنِي ابْنَ مُخَاشِنٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ قَالَ فَقَالَ " لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغْ " . أَوْ " لَمْ تَضُرَّهُ " .

(3899) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास एक शख़्स लाया गया जिसे बिच्छू ने डंक मारा था। आपने फ़रमाया: 'अगर उसने (अऊज़ुबिकलिमा तिल्लाहित्ताम्मति मिन शर्रिमा ख़लक़) के कलिमात पढ़े होते तो उसे डंक न लगता' या फ़रमाया: 'उसे दुख न पहुँचता।' (इस दुआ के मानी ऊपर ज़िक्र हो चुका है)

(3899) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 10435.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَىْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً . فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ

(3900) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि अस्हाबे नबी (ﷺ) का एक गिरोह एक सफ़र में था कि उन्होंने एक अरब क़बीला के पास पड़ाव किया। उन लोगों में से किसी ने कहा: हमारे सरदार को किसी चीज़ ने डस लिया है तो तुममें से किसी के पास कोई चीज़ है जो हमारे इस आदमी के लिये मुफ़ीद हो? सहाबा में से किसी एक ने कहा: हाँ, अल्लाह की क़सम! मैं दम किया करता हूं, लेकिन बात ये है कि हमने तुम लोगों से मेहमानी तलब की थी तो तुमने इंकार कर दिया था। सो मैं भी दम नहीं करूंगा यहाँ तक कि तुम मुझे इसका ऐवज़ दो। चुनांचे उन्होंने बकरियों का एक रैवड़ देना तस्लीम किया, तो वह उसके पास गये

حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ . قَالَ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا . فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرَهُ . فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمُ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ " .

और उस पर सूरह फ़ातिहा से दम किया। इस बीच में वह उस पर लुआब भी फूँकते जाते थे यहाँ तक कि वह ठीक हो गया गोया कि बंधन से खुल गया हो। चुनांचे उन लोगों ने मुआवज़ा जो तय किया था पूरे का पूरा दे दिया, तो साथियों ने कहा: इसे आपस में तक़सीम कर लो। मगर दम करने वाले ने कहा: नहीं, तक़सीम मत करो यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुचेंगे और आपसे मशवरा करेंगे। चुनांचे वह अगली सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हूए और सारा क़िस्सा बयान किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हें कहाँ से ख़बर मिली थी कि ये दम है? तुमने ख़ूब किया, इन्हें आपस में तक़सीम कर लो और मेरा हिस्सा भी रखो।'

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 3418 में देखें।

फवाइद व मसाइल : (1) मुसाफ़िर मेहमान की ज़ियाफ़त वाजिब है बिलख़ुसूस जहां और वसाइल मुहय्या न हों। (2) मुश्रिक का इलाज और उसे दम करना जायज़ है। (3) अगर कोई हक़्क़े ज़ियाफ़त से बुख़्ल करे तो उससे अपना हक़ वसूल कर लेना जायज़ है। (जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस़: 3748 वग़ैरह में गुज़रा है) (4) दम करने के लिये मुआवज़ा तय कर लेना जायज़ है। (5) मश्कूक रिज़्क़ से परहेज़ करना वाजिब है। (6) सूरह फ़ातिहा एक शानदार तीर बहदफ़ दम है। इस सूरत को सूरह शिफ़ा भी कहते हैं। (7) दम का ताल्लुक़ दम करने वाले के ईमान, यक़ीन और अज़ीमत से है और इसी तरह दम करवाने वाला भी। इसलिए अगर इज्तेहादी और क़ियासी दम झाड़ शरई उसूल व ज़वाबित के मनाफ़ी न हों तो उससे इस्तेफ़ादा में कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

(3901) जनाब ख़ारिजा बिन सुल्त तमीमी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि हम लोग नबी (ﷺ) के पास से रवाना हूए और एक अरब क़बीला के यहां पड़ाव किया। उन्होंने

السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ . قَالَ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ - قَالَ - فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطَوْنِي جُعْلاً فَقُلْتُ لاَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ" .

कहा: तहक़ीक़ हमें ख़बर मिली है कि तुम उस आदमी के पास से कोई ख़ैर लेकर आये हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई दवा या दम है कि हमारे यहां एक पागल है जो ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ है? हमने कहा: हाँ। चुनांचे वह उस मजनून को जो ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ था ले आये। मैं उस पर तीन रोज़ तक सुबह शाम सूरह फ़ातिहा पढ़ता रहा। जब मैं सूरत मुकम्मल करता, तो अपना लुआब जमा करता और उस पर फूँक देता था। उसने कहा: फिर गोया कि वह अपने बंधन से खुल गया। और उन्होंने मुझे उसका मुआवज़ा दिया। मैंने कहा: नहीं, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त कर लूँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खा लो। मेरी उमर की क़सम! लोग तो बातिल दमों का ऐवज़ खाते हैं और तुम हक़ दम का बदल खा रहे हो।'

(3901) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3420, 3897 में देखें, मुसनद अहमद: 5/211, हदीस: 22180, नसाई, सुनन कुब्रा हदीस: 10871.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

(3902) उम्मूल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ؓ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बीमार हो जाते तो मुअव्वज़ात (कुल हुवल्लाहू अहद, कुल अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़ कर अपने ऊपर फूँक लेते थे। फिर जब आपकी तकलीफ़ बढ़ गयी तो मैं उन्हें आप पर पढ़ती और आप (ﷺ) का

हाथ पकड़ कर आपके जिस्म पर फेरती इस उम्मीद से कि उनमें बरकत है।

(3902) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5016, मौता: 2/942, 943, व मुस्लिम: 2192.

फवाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन करीम रूहानी और अक़ीदे की बीमारियों की शिफ़ा होने के साथ साथ जिस्मानी बीमारियों की भी शिफ़ा है। (2) हदीस में मज़कूर बरकत क़िराअते क़ुर्आन या रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक की है या दोनों ही मुराद हो सकती हैं। (3) बीवी अपने शौहर को दम कर सकती है। (4) अगर कोई औरत किसी ग़ैर महरम मर्द को दम करे तो हाथ न फेरे।

﴾20﴿ باب في السُّمْنَةِ

बाब : 20 किसी नहीफ़ को मोटा करने की तदबीर

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ .

(3903) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मेरी वालिदा ने चाहा कि मैं कुछ मोटी हो जाऊं ताकि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर भेजा जा सके। मगर मुझे उनकी हस्बे मंशा किसी चीज़ से फ़ायदा न हूआ यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ककड़ी और खजूर मिलाकर खिलाई तो उससे मैं ख़ूब मोटी ताज़ी हो गयी।

(3903) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 6725, इब्ने माजा, हदीस: 3324.

كتاب الكهانة و التطير

कहानत और बदफ़ाली से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴾21﴿ باب فِي الْكَاهِنِ

बाब : 21
ग़ैब की बातें बताने वाले (काहिन) के पास जाना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَتَى كَاهِنًا " . قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ " فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ " امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ " .

(3904) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी काहिन के पास गया जो ग़ैब की ख़बरें देता हो और फिर उसकी तस्दीक़ की, या अपनी बीवी के पास उसके अय्यामे हैज़ में गया, या उसकी दुबुर में मुबाशरत की तो वह मुहम्मद (ﷺ) पर नाज़िल करदा दीन से बरी हुआ।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 135, इब्ने माजा, हदीस: 639, हाकिम: 1/8, व मुस्लिम: 2230.

फ़वाइद व मसाइल : (1) काहिनों (ज्योतिषी) यानी मुस्तक़बिल (भविष्य) की ख़बरें बताने वालों, नजूमियों, दस्त शनासों और इस क़िस्म के लोगों के पास जाना, उनसे ख़बरें दरयाफ़्त करना और फिर उनकी तस्दीक करना हराम है। (2) अय्यामे हैज़ में मुबाशरत हराम है, हाँ अगर किसी को अपने ऊपर ज़ब्त हो या बड़ी उमर का आदमी हो तो उसके लिये बीवी के साथ लेटने में कोई हर्ज नहीं। (3) ग़ैर फ़ितरी तरीक़े से मुबाशरत भी हराम है।

बाब : 22
इल्मे नुजूम का बयान

﴾22﴿ باب فِي النُّجُومِ

(3905) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नुजूम का कोई इल्म सीखा उसने जादू का एक हिस्सा सीखा, चुनांचे जो इसमें अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है बढ़ा ले।'

(3905) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3726, मुसन्नफ़ इब्ने, अबी शैबा: 8/414.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ " .

फ़ायदा : इल्मे नुजूम से मुराद वह इल्म है जिसके ज़रिये से ग़ैब की ख़बरें और औक़ात के अच्छाई, बुराई या मामलात के मुफ़ीद या ग़ैर मुफ़ीद वग़ैरह होने की बातें बताई जाती हैं। इसके अलावा वह लोग उनके मुअस्सिर होने का ऐतक़ाद भी रखते थे। हालांकि न उनसे मुस्तक़बिल के हालात मालूम हो सकते थे और न वह मुअस्सिर ही होते थे। इसलिए शरीयत ने इस कहानत से लोगों को रोका और उस पर सख़्त वईद बयान फ़रमाई। ताहम अगर सितारों के ज़रिये से औक़ात मालूम किये जायें या रास्ते और समतें मुतअय्यन की जायें तो ये बिलइत्तेफ़ाक़ जायज़ है। हदीस के आख़री जुम्ले में तहदीद और इंज़ार (डराने) का मानी है।

(3906) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुक़ामे हुदैबिया में हमें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई जबकि रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आप(ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या कहा है?' सहाबा ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: मेरे बंदों में से कुछ मुझ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " . قَالُوا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ " .

पर ईमान लाये हैं और कुछ काफ़िर हो गये हैं। जिन्होंने ये कहा कि हमें अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से बारिश मिली है, तो वह मुझ पर ईमान लाये और सितारे के काफ़िर हूए हैं। और जिन्होंने कहा कि हमें फ़लां फ़लां सितारे से बारिश मिली है, तो वह मुझ से काफ़िर हूए और सितारे पर ईमान लाये।'

(3906) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 846, मौता, 1/192, व मुस्लिम: 71.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सितारों वग़ैरह को ज़मीन या मख़्लूक़ में बिज़ातिही मुअस्सिर (प्रभावी) समझना शिर्क है। **(2)** हर क़िस्म के वाक़ियात व हवादिस सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मशीयत व इरादा से ज़हूर पज़ीर होते हैं। **(3)** दाई–ए–हक़ मुर्शिद और उस्ताद को चाहिए कि अवाम को वाक़ियाते आलम में तदब्बुर का दर्स दिया करे और उससे तौहीद का इस्बात करे और शिर्क व तागूतों की तर्दीद किया करे।

﴾23﴿ بَابٌ فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

बाब : 23
रमल यानी लकीरें खींच कर कोई नतीजा निकालना और परिन्दों को उड़ा कर फ़ाल लेना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ، - قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ حَيَّانُ بْنُ الْعَلاَءِ - حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ " . الطَّرْقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ .

(3907) जनाब क़तन बिन क़बीसा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमा रहे थे: 'इयाफ़ा तियरा और तर्क़ जादू और कहानत में से हैं।' तर्क़ से मुराद परिन्दे उड़ाना और इयाफ़ा से मुराद लकीरें खींचना है।

(3907) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 3/477, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 11108, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1426.

फ़ायदा : (तियरह) के मानी हैं कि परिन्दों की आवाज़ों या किसी भी पसन्दीदा या नापसन्दीदा चीज़ को देख कर फ़ाल या बदफ़ाली लेना। और ज़ाहिर है कि शरीयत में इनकी कोई अस़ल नहीं है।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الأَرْضِ .

(3908) औफ़ (बिन अबी जमीला आराबी) कहते हैं कि 'इयाफ़ा' से मुराद परिन्दे उड़ाना और 'तर्क़' से मुराद ज़मीन पर लकीरें खींचना है।

(3908) तख़रीज : (सनद स़ही)

तौज़ीह : दौरे जाहिलीयत में ऐसे होता था कि आदमी घर से निकलता तो किसी परिन्दे को अपनी दायें जानिब उड़ता देखता तो उसे अपने लिये सअ़द (बाइस़े बरकत) समझता और अगर वह बायें जानिब जा रहा होता तो उसे नहस (बे बरकत) समझता। इस मक़सद के लिये वह लोग कभी परिन्दे को अज़ ख़ुद भी उड़ाते थे। किसी भी स़ाहिबे ईमान के लिये ये अ़मल नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ "

(3909) हज़रत मुआ़विया बिन हकम सुलमी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) हममें कुछ लोग हैं जो लकीरें खींचते हैं (उनसे कुछ नतीजे निकालते हैं) तो आपने फ़रमाया: '(अल्लाह के) अम्बिया में से एक नबी लकीरें खींचा करते थे। चुनांचे जिसकी लकीरें उसके मुवाफ़िक़ हों वह दुरूस्त है।'

तख़रीज : हदीस़: 930 में देखें, व मुस्लिम: 537.

तौज़ीह : लकीरों का इल्म किसी ज़माने में एक नबी के पास था, मगर बाद में ये जारी नहीं रह सका। तो अब कोई क्योंकर दावा कर सकता है कि ये बिल्कुल वही है जो उस नबी के पास था, बल्कि उसके वहम और मुश्तबा होने का यक़ीन है। इसलिए इससे बचना वाजिब है।

﴾24﴿ بابٌ فِي الطِّيَرَةِ

बाब : 24
बद शगूनी का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ،

(3910) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ " . ثَلاَثًا " وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ " .

फ़रमाया: 'बद शगूनी शिर्क है। बद शगूनी शिर्क है।' तीन बार फ़रमाया। और हममें से हर एक को कोई न कोई वहम हो ही जाता है, मगर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसे तवक्कुल की बरकत से ख़त्म कर देता है।

(3910) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1614, इब्ने माजा, हदीस: 3538, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1467, हाकिम: 1/18.

फ़ायदा : ज़हन में बेसाख़्ता अगर किसी बद शगूनी का कोई वहम आये तो ये माफ़ है। चाहिए कि बंदा इसके ख़िलाफ़ करते हुए अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल पर तवक्कल करे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ " . فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ " فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ " . قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ " . قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا أَنَّ

(3911) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई मर्ज़ मुतअ़द्दी (छुतछात) नहीं, न बद शगूनी है, न सफ़र का महीना मनहूस है न मुर्दे की खोपड़ी में से कोई उल्लू वग़ैरह निकलता है।' एक बदवी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उन ऊँटों केमुताल्लिक़क्या कहेंगे जो रेगिस्तान में हिरनियों के मानिन्द होते हैं, मगर उनमें कोई ख़ारिशज़दा ऊँट आ मिलता है तो सब को ख़ारिश वाला कर देता है? आपने फ़रमाया: 'भला पहले को किसने बीमारी लगाई थी?' मअ़मर ने कहा कि ज़ोहरी ने एक आदमी के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से रिवायत किया कि उन्होंने नबी (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'किसी बीमार को सेहतमंद के साथ हरगिज़ न मिलाओ।' तो उस आदमी ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से कहा: क्या आपने हमें ये हदीस बयान नहीं की है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई बीमारी मुतअ़द्दी (छुतछात)

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ " . قَالَ لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ . قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ .

नहीं होती, न कोई सफ़र का महीना मनहूस है और न किसी मुर्दे की खोपड़ी से उल्लू निकलता है।' तो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने जवाब दिया: मैंने तुम्हें ऐसी कोई हदीस़ बयान नहीं की। ज़ोहरी ने कहा कि अबू सलमा ने कहा: हदीस़ तो उन्होंने बयान की थी और मैंने नहीं सुना कि हज़रत अबू हुरैरह को इस हदीस़ के सिवा कभी कोई हदीस़ भूली हो।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5770, व मुस्लिम: 2220

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आराबी के ऐतराज़ का जवाब देते हूए समझाया कि सब कुछ अल्लाह तआला की चाहत से होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि एक ख़ारिशज़दा ऊँट ने बाक़ी ऊँट भी ख़ारिशज़दा कर दिये हैं, बल्कि सब कुछ अल्लाह की तरफ़ से और उसकी मशीयत से होता है। एक रेवड़ में कितने ही ऊँट होते हैं जो इस मर्ज़ से महफ़ूज़ भी रहते हैं। **(2)** बीमार ऊँट को सेहतमंद के साथ मिलाने की मुमानिअत, इस ग़र्ज़ से कि कम इल्म लोग लायानी वहम में मुब्तला न हों। **(3)** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का पहले हदीस़ बयान करके इसका इंकार करना, कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि भूल जाना बशरी तक़ाज़ा है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ صَفَرَ "

(3912) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई बीमारी मुतअद्दी (छुतछात) नहीं होती, न किसी मुर्दे से कोई उल्लू निकलता है, न किसी सितारे की कोई तास़ीर है और न सफ़र का महीना मनहूस है।'

(3912) तख़रीज : मुस्लिम: 2220.

तौज़ीह : (1) अहले अरब के वहमों में ये बात भी थी कि अगर कोई क़त्ल हो जाये और उसका बदला न लिया जाये तो उस मुर्दे की खोपड़ी से एक परिन्दा (उल्लू) निकलता है जो उसके ऊपर मंडलाता रहता है और आवाज़ लगाता है: प्यास, प्यास। अगर बदला ले लिया जाये तो वह मुतमइन हो जाता है, वरना नहीं। इस वहम की बिना पर लोग जैसे भी बन पड़ता बदला लेने पर जोर लगाते थे। **(2)** कुछ लोग सफ़र के महीने को मनहूस जानते थे और इसमें अहम काम सरअंजाम नहीं देते थे। इसका एक दूसरा मफ़हूम अगली रिवायत: 3914 में आ रहा है।

(3913) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई जिन भूत नहीं (कि जंगलों में मुख़्तलिफ़ शक्लों से लोगों को राह से भटकाये।')
(3913) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ غُولَ " .

(3914) इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मेरी मौजूदगी में हारिस़ बिन मिस्कीन के सामने हदीस़ पढ़ी गई, अशहब ने तुम्हें बतलाया कि इमाम मालिक (रह.) से (ला सफ़र) का मफ़हूम पूछा गया तो उन्होंने कहा: दौरे जाहिलीयत में लोग माहे स़फ़र को एक साल हलाल क़रार दे लेते थे और एक साल हराम, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'स़फ़र में तब्दीली स़ही नहीं।'
(3914) तख़रीज : (सनद स़ही)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ، قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ " لاَ صَفَرَ" . قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَفَرَ " .

(3915) मुहम्मद बिन राशिद ने (हाम) की वज़ाहत में कहा: अहले जाहिलीयत समझते थे कि मुर्दा जब दफ़न किया जाता है तो उसकी क़ब्र से एक उल्लू निकलता है। (स़फ़र) के मुताल्लिक़ पूछा तो कहा: अहले जाहिलीयत (इस महीना) स़फ़र को मनहूस समझते थे, तो नबी (ﷺ) ने इसकी नफ़ी फ़रमा दी। मुहम्मद बिन राशिद ने कहा: हमने कई लोगों से सुना है कि इससे मुराद 'पेट का दर्द' है और वह उसे मुतअ़द्दी (छुतछात वाली बीमारी) समझते थे तो फ़रमाया गया कि

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ - قَوْلُهُ " هَامَ " . قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ . قُلْتُ فَقَوْلُهُ صَفَرَ . قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَفَرَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ

فِي الْبَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي فَقَالَ " لاَ صَفَرَ " .

'कोई स़फ़र नहीं।'

(3915) तख़रीज : (सनद हसन)

तौज़ीह : 'नेक फ़ाल' जैसे कि नबी (ﷺ) ने सुलह हुदैबिया के मौक़े पर अहले मक्का के नुमाइन्दे 'सुहैल बिन अम्र' की आमद पर फ़रमाया था: 'अब तुम्हारा मामला 'सहल' (आसान) हो गया है।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 2731–2732)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ " .

(3916) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं होता और न कोई बद फ़ाली है, अलबत्ता नेक शगूनी मुझे भली लगती है। नेक शगूनी (की एक सूरत ये है कि) आदमी कोई अच्छा कलिमा सुन ले।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5756, व मुस्लिम: 2224.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ " أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ " .

(3917) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई कलिमा सुना जो आपको पसन्द आया तो आपने फ़रमाया: 'हमने तुम्हारी फ़ाल तुम्हारे मुँह (के अल्फ़ाज़) से ली है।'

(3917) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: 2/388.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ . قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الْهَامَةُ الَّتِي تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ .

(3918) जनाब अ़ता (रह.) ने बयान किया कि लोग कहते हैं: 'स़फ़र से मुराद पेट का दर्द है।' जुरैज ने पूछा कि 'हामा' क्या है? तो कहा कि लोग समझते हैं ये परिन्दा इंसानी रूह होता है जो चीख़ता चिल्लाता रहता है। हालांकि ये इंसानी रूह नहीं होता बल्कि कोई ज़मीनी जानवर है।

(3918) तख़रीज : (सनद स़ही)

(3919) जनाब उर्वा बिन आमिर, अहमद क़ुरशी से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) की मज्लिस में (तियरा) 'बदफ़ाली' का ज़िक्र हूआ तो आपने फ़रमाया: 'इनमें बेहतर नेक शगूनी है। और ये (बदफ़ाली के औहाम) किसी मुलसमान को (अपने काम से मत रोकें, अगर कोई शख़्स कोई नापसन्दीदा चीज़ देखे तो चाहिए कि यूँ कहे: (अल्लाहुम्मा ला याती बिलहसनाति इल्ला अन्ता, वला यद फ़उस्सय्यिआति इल्ला अन्ता, वला हौला वला क़ूव्वता इल्लाबिका) 'ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई किसी तरह की कोई भलाई नहीं ला सकता और तेरे सिवा कोई किसी बुराई को रोक नहीं सकता, बुराई का दूर होना और भलाई का हासिल होना तेरी मदद ही से मुमकिन है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 8/139.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، - قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ " .

(3920) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) कभी किसी चीज़ से बद शगूनी नहीं लिया करते थे। आप जब किसी शख़्स को आमिल बनाकर भेजते तो उसका नाम दरयाफ़्त फ़रमाते। सो अगर उसका नाम पसन्द आ जाता तो ख़ूश होते और ख़ूशी का असर चेहरे पर ज़ाहिर होता और अगर नाम पसन्द न आता तो उसका असर भी आपके चेहरे पर ज़ाहिर होता। और आप जब किसी (नई) बस्ती में दाख़िल होते तो उसका नाम

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَىْءٍ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُئِيَ

بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ .

पूछते, अगर उसका नाम पसन्द आता तो ख़ूश होते और ख़ूशी का असर चेहरे पर दिखाई देता और नाम पसन्द न आता तो उसकी कराहत का असर (भी) आपके चेहरे पर ज़ाहिर होता।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 5/347, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 8822, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1430, इब्ने माजा, हदीस: 3536.

फ़ायदा : 'नाम' बच्चों के हों या शहरों के, हमेशा उम्दा अल्फ़ाज़ व मानी के हामिल होने चाहिए। नीज़ अपनी ख़िदमत और काम वग़ैरह के लिये अच्छे नाम वाले अफ़राद का एहतिमाम करना मुस्तहब है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لاَحِقٍ، حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَىْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ "

(3921) हज़रत सअद बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'किसी मुर्दे से कोई उल्लू नहीं निकलता, न कोई मर्ज़ मुतअद्दी होता है और न बद शगूनी है, अगर हो भी तो घोड़े, औरत और घर में हो सकती है।'

(3921) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 1/174, इब्ने हिब्बान, हदीस: 6094.

तौज़ीह : बद शगूनी और बदफ़ाली अगर हो भी, तो इन मज़कूरा तीन चीज़ों में मुमकिन है, लेकिन ये कोई यक़ीनी नहीं। बख़िलाफ़ इस अक़ीदे के जो अहले जाहिलीयत में मारूफ़ था। सवारी, बीवी और घर अगर दीन व दुनिया में फ़ायदेमंद न हों तो उनके बदल लेने में कोई हर्ज नहीं। नामुवाफ़िक़ और ख़राब सवारी को अपने लिये दर्दे सर बनाये रखना या बीवी झगड़ालू हो, ख़िदमतगार न हो और न दीनी उमूर में मुआविन ही हो तो हर वक़्त के हुज़्नो मलाल को पालते रहना और इसी तरह घर जो तंग हो, माहौल ख़राब हो, हमसाये अच्छे न हों तो उसमें अटके रहना किसी तरह क़रीने (ठीक) नहीं।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ

(3922) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बद शगूनी घर, बीवी और घोड़े में होती है।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जनाब हारिस बिन मिस्कीन के सामने हदीस पढ़ी गयी

وَالْفَرَسِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ .

जबकि मैं हाज़िर था, उन्हें कहा गया कि आप को इब्ने क़ासिम ने ख़बर दी, जबकि इमाम मालिक (रह.) से घोड़े और घर की बद शगूनी के बारे में पूछा गया? तो उन्होंने फ़रमाया: कितने ही घरों में लोगों ने रिहाइश इख़्तियार की तो वह हलाक हो गये, फिर दूसरे क़याम पज़ीर हूए तो वह भी हलाक हो गये। यही इसकी तौज़ीह है जैसे कि हम समझते हैं। और अल्लाह ख़ूब जानता है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने रिवायत किया कि हज़रत उ़मर(ﷺ) ने फ़रमाया: घर की चटाई उस औ़रत से कहीं बेहतर है जो बांझ हो।

तख़रीज : (सनद सही़) बुख़ारी, हदीस: 5093, मौता: 2/973, बैहक़ी: 8/140, व मुस्लिम: 2225.

मल्हूज़ : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) की ये हदीस: (अश्शुअमु फ़ी ...) दो तरह से मरवी है। एक में हतमी तौर पर नुहूसत का ज़िक्र है। दूसरी में: (इन काना शुअमु ...) के अल्फ़ाज़ के साथ मरवी है। इसका मतलब ये है कि अगर नुहूसत हो सकती है तो इन तीन चीज़ों में हो सकती है, यानी इनका बाइसे मनहूस होना यक़ीनी नहीं है, ताहम इम्कान ज़रूर है। और वह नुहूसत यही है कि औ़रत बदज़बान हो, घोड़ा सरकश वग़ैरह हो, इसी तरह घर की नहूसत ये है कि पड़ौसी अच्छे न हों, वग़ैरह।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ " .

(3923) जनाब फ़रवा बिन मुसैक़ (ﷺ) ने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) हमारे यहां एक ज़मीन है जिसे (अब्यन) कहा जाता है। इसमें हमारे खेत हैं और ये हमारे ग़ल्ला उगाने की जगह है, मगर वबा वाली है, या कहा कि बड़ी सख़्त वबा वाली जगह है। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दो। वबा वाली जगह में रहने से आदमी हलाक हो जाता है।'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 3/451.

(3924) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) हम एक घर में थे, उसमें हम बहुत से अफ़राद थे और वहां हमारे उम्माल (काम करने वाले) भी बहुत थे। फिर हम एक दूसरे घर में मुन्तक़िल हूए तो हमारे अफ़राद कम हो गये और अमवाल में भी क़िल्लत हो गयी। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दो, ये बुरा घर है।'

(3924) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़ : 918.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَرُوهَا ذَمِيمَةً " .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें ये घर छोड़ने का हुक्म इसलिए दिया कि तजुर्बे से उस घर का बे बरकत होना स़ाबित हो गया था। इसका मतलब ये है कि जब भी और जहां भी इस क़िस्म की सूरत सामने आये, तो वहां इस हुक्मे नबवी के मुताबिक़ अमल कर लेना बेहतर है। और कुछ शारेहीन ने कहा है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें घर बदलने का हुक्म इसलिए दिया ताकि वह इस वहम का शिकार न हों कि उन्हें ये नुक़सान इस घर की वजह से पहुँचा है।

(3925) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जोज़ामी का हाथ पकड़ा और अपने साथ खाने के प्याले में डाल दिया और फ़रमाया: 'अल्लाह पर ऐतमाद और तवक्कुल (भरोसा) करते हूए खाओ।' (हम भी तुम्हारे साथ खाते हैं।)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1817, इब्ने माजा, हदीस़: 3542, हाकिम: 4/136, 137.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ " كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ " .

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम स़ाहिबे ईमान व यक़ीन के लिये मुबाह है कि बीमार आदमी के साथ मिलकर खाये और एक मुसलमान घराने और मुआशरे में किसी मरीज़ को ग़ैर मुसलमानों, ख़ुसूसन हिन्दूओं की तरह, बिल्कुल अछूत बना छोड़ना हराम है।

كتاب العتق

गुलाम आज़ाद करने की अहमियत और फ़ज़ीलत

- इंसानी तारीख़ में गुलाम बनाने और रखने का तसव्वुर पुरानी है। ये वह सामाजिक रिवाज है जो जाहिलीयत पर मबनी है, जिसके बाइस एक आज़ाद फ़र्द दूसरे शख़्स की गुलामाना मिल्कियत में दाख़िल हो जाता है। ईरानी, रूमी, बाबिली और यूनानी तहज़ीबी इंसानी तारीख़ की क़दीम तरीन (प्राचीन) तहज़ीब हैं। ये लोग गुलाम रखने और गुलाम बनाने के क़ाइल व फ़ायल रहे हैं यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब (धर्मों) में भी इस क़बीह रस्म पर अमल दरआमद होता रहा है। उस दौर में कई तरीक़ों से आज़ाद इंसानों को गुलाम बना लिया जाता था, जैसे, मंडियों में ख़रीद व फ़रोख़्त के ज़रिये से, वालिदैन का ख़ूद बच्चों को फ़रोख़्त कर देना, ज़ालिमाना तरीक़ पर उनका अग़वा, कर्ज़दार को गुलाम बनाने की रस्म, मआशी अग़राज़ के लिये बिला मुआवज़ा मज़दूरों का हुसूल, हवस परस्ती और ऐश पसन्दी के लिये आज़ाद औरतों को बांदियाँ बनाना, नीज़ जंग की सूरत में मग़लूब और मफ़्तूह फ़ौज और क़ौम के अफ़राद को क़ब्ज़े में लेकर गुलाम बनाना या फिर महज़ लूट मार के ज़रिये से दूसरी अक़वाम और क़बाइल के लोगों को गुलामी के ज़ंजीरों में जकड़ लेना... ये सब ज़ालिमाना इक़दामात गुलामसाज़ी के लिये मुद्दतों इस्तेमाल होते रहे। और फिर उन गुलामों के साथ जो जानवरों की तरह सुलूक रवा रखा जाता था वह इंसानियत के लिए कलंक रहा है। इस सिलसिले में मुख़्तलिफ़ तहज़ीबों और सलतनतों में उन गुलामों से जो सुलूक रवा रखा जाता रहा है, उसका बयान और मुताला बहुत रूह फ़रसा है। कम और मुज़िरे सेहत ग़िज़ा खिलाना, पाँवों में बैड़ियाँ डालना, जिस्म को आग से दाग़ना, ग़ैर मुनासिब मेहनत व मशक़्क़त रवा रखना, उल्टा लटका देना, सख़्त मार पीट करना, कमर पर भारी पत्थर रख कर मशक़्क़त लेना, अपनी बांदियों से पेशा करना, गुलामों के पेट चाक करके उनके अंदर पाँव रख कर हरारत हासिल करना, भूखे दरिन्दों के सामने फैंक कर उनकी बेबसी का तमाशा देखना, अपनी अफ़वाज में ख़तरे वाले मामलात में शिर्कत करने के लिये उनको इस्तेमाल करना जैसे ग़ैर इंसानी और ग़ैर अख़्लाक़ी इक़दाम शामिल हैं।
- बिल आख़िर इस्लाम आया और उसने बड़ी हुकूमत के साथ इस रिवाज के ख़ात्मे के लिये तदरीजी इक़दामात इख़्तियार किये, चुनांचे अब दुनिया से क़दीम गुलामी के असरात तक़रीबन ख़त्म हैं। मगर ज़हनी, फ़िकरी और इक़्तेसादी गुलामी के जाल फैलाने का मज़मूम रवैया बड़ी इस्तेमारी क़ूव्वतों के यहां जारी है, जो महज़ अपनी अस्करी और टेक्नोलॉजीकल क़ूव्वत के बाइस कमज़ोर क़ौमों के

साथ दरिन्दगी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। इस्लाम ने इंसानी शर्फ़ की तौहीन के तमाम रास्तों को ख़त्म किया। गुलाम बनाने की सिर्फ़ एक सूरत को नागुज़ैर तारीख़ी मजबूरी की हालत में बाक़ी रखा है, यानी कुफ़्फ़ार के साथ ऐलानिया जंग और उसकी अस़ल वजह 'अदले का बदला' है। जिसे कुर्आन करीम की इस्तेलाह में: 'बुराई का बदला वैसी ही बुराई है।' (अश्शूरा:40) कहते हैं: इस ऐलानिया जंग में हाथ आने वाले कुफ़्फ़ार के मुताल्लिक़ भी इस्लामी शरीयत में चार पाँच तरह के मामलात हो सकते हैं। (1) एहसान करते हूए बिलाऐवज़ छोड़ देना। (2) ऐवज़ और बदल लेकर छोड़ देना। (3) जंगी क़ैदियों के साथ तबादला कर लेना। (4) गुलाम बना लेना। (5) या मस़लिहत हो तो क़त्ल कर देना। सिर्फ़ इस एक सूरत के सिवा गुलाम लौण्डी बनाना क़तअन हराम है ... और फिर उन गुलामों को जो हुक़ूक़ इस्लाम ने दिये हैं किसी मज़हब व मिल्लत में इनका कोई तस़व्वुर नहीं। यहाँ तक कि ख़िताब और तकल्लुम में इन्हें अ़ब्दी और अमती (मेरा बंदा, मेरी बांदी) कहना भी नाजायज़ है, बल्कि फ़ताया और फ़ताती के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने की तालीम दी गयी है। बिलख़ुसूस मुसलमान गुलामों को 'भाई और ख़ादिम' क़रार दिया गया और कोई ऐसी मशक़्क़त लेने से रोक दिया गया है जो उनकी ताक़त से ज़्यादा हो। खाने, पीने और लिबास में उनसे बराबरी का मामला करने की तल्क़ीन की गयी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'वह तुम्हारे भाई और ख़ादिम हैं। अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा मातहत बना दिया है। तो जिस किसी का भाई किसी के मातहत हो तो चाहिए उसे वही खिलाये जो ख़ूद खाता है उसे वही पहनाये जो ख़ूद पहनता है और उन्हें उनकी ताक़त से ज़्यादा किसी काम की तकलीफ़ मत दो और अगर मुकल्लफ़ करो तो फिर उनकी मदद भी करो।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1661)

☞ इस्लाम के अ़लावा दूसरी तहज़ीबों और मज़ाहिब में गुलामी के अस़रात का मुताला करें, तो एक हैरत अंगेज़ नतीजा सामने आता है। कुर्आन मजीद की किसी एक आयत में भी गुलामों की ख़रीद व फ़रोख़्त का कोई तस़व्वुर मौजूद नहीं। अलबत्ता उनके साथ हुस्ने सुलूक और उनके हुक़ूक़ की तरफ़ तवज्जोह ज़रूर दिलाई गयी है। जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ़ अ़हदे नबवी के 82 ग़ज़्वात व सराया में 6564 मुख़ालिफ़ीन क़ैदी या गुलाम बनाये गये उनमें से 6342 क़ैदियों को नबी(ﷺ) ने अपने उस्व–ए–हस्ना के अख़्लाक़ी पहलू के बाइस़ स़हाबा की मुशावरत से बग़ैर किसी मुआवज़े या शर्त के आज़ादी का परवाना अ़ता फ़रमाया। इन तमाम क़ैदियों में से सिर्फ़ दो क़ैदी ऐसे थे, जिन्हें उनके साबिक़ा जुर्मों के बदले में क़त्ल किया गया। 215 क़ैदियों के बारे में तारीख़ के औराक़ ख़ामोश हैं। मगर इस्लाम की आ़म माफ़ी की तालीम के बाइस़ यक़ीन है कि उनसे भी हुस्ने सुलूक का मामला किया गया होगा। इस्तेशराक़ ने इस्तेरक़ाक़ (गुलाम बना लेने) के हवाले से मुसलमानों के बारे में जो इल्ज़ाम तराशी की है, उसकी हक़ीक़त मज़कूरा आदाद व शुमार से बख़ूबी समझी जा सकती है। इस तरह बांदियों या मिल्के यमीन के बारे में शरीयत के कायदे क़ानून इस दर्जा हकीमाना हैं कि कोई

अहमक़ ही उन पर उँगली उठा सकता है। आलमी तहज़ीबों और मज़ाहिब की तारीख़ में ये शर्फ़ सिर्फ़ इस्लाम को हासिल है उसने गुलामी की मुरव्वजा (प्रचलित) रस्म को इस दर्जा दुरूस्त किया कि जिस पर अमल दरआमद ने वह सेहतमंद रिवायत क़ाइम की कि दूसरी तहज़ीबों और मज़ाहिब से भी इसके असरात के ख़ात्मे का इज़हार मिलता है। मुसलमानों में ये गुलाम इस दर्जा तमद्दुनी तरक़्क़ी कर गये और उन्होंने इल्मी सतह पर वह कमाल हासिल कर लिया कि इस्लामी रियासतों के बड़े बड़े मनासिब उनकी तहवील में आ गये। अहदे सहाबा और उमवी और अब्बासी अहद में इसकी तफ़्सीली मिसालें देखी जा सकती हैं।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस दुनिया से रूख़सत होते वक़्त भी इस मज़लूम तब्क़ा के हुक़ूक़ की निगहदाश्त की तालीम दी है। इस ज़िम्न में हज़रत उमर (رضي الله عنه) का ये इरशाद भी रस्मे गुलामी पर किसी क़द्र ज़र्ब कारी की हैसियत रखता है: 'तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया है, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना था।'
- इस्लामी मुआशरे में गुलामों को ये शर्फ़ व एहतराम किस बिना पर हासिल हूआ? ये इस्लामी तालीमात व हिदायात ही का नतीजा था और ये हिदायात ऐसी अब्दी हैं कि अगर किसी दौर में फिर किसी वजह से गुलामी की कोई सूरत पैदा हूई, तो इस्लाम की तालीमात उस वक़्त भी उनकी चाराजोई के लिये मौजूद होंगी। जैसे गुलामों को आज़ाद करना इस्लाम में बहुत बड़ी फ़ज़ीलत और अज्र व सवाब का काम है। मुख़्तलिफ़ कोताहियों की तलाफ़ी और कफ़्फ़ारात में गुलामों को आज़ाद करना दीन का हिस्सा बना दिया गया है ताकि ये इंसानी तब्क़ा भी सरबलन्द हो जाये। जैसे क़सम तोड़ देना, बीवी से ज़िहार कर लेना, रमज़ान के दिन में मुबाशरत करना या कफ़्फ़ारा ए–क़त्ल वग़ैरह में गुलामों को आज़ाद करने की तर्ग़ीब दी गई है, बल्कि कुछ औक़ात तो हाकिम को भी हक़ हासिल होता है कि किसी के गुलाम को जब्रन आज़ाद कर दे। यानी जब मालिक उस पर ना रवा ज़ुल्म करता हो। ऐसे ही कोई महरम रिश्तेदार किसी का गुलाम बन जाये तो अज़ ख़ूद आज़ाद हो जायेगा। बहरहाल इस्लामी तारीख़ का ये बेहद खूबसूरत कारनामा है कि इंसानी तारीख़ में मौजूद सदियों की इस बदतरीन रस्म को ग़ैर महसूस अंदाज़ में इस तरह ख़त्म किया कि अब तक़रीबन बिल्कुल नापैद है। उसके अलावा ये कि जो गुलाम उस वक़्त थे उनको मुसलमनों ने वह इज्ज़त दी जो शायद ही कहीं दी गयी हो। उन्हें आज़ाद मुसलमानों के इमाम, मुफ़्ती, क़ाज़ी, अमीर लश्कर और हाकिम तक बनाया गया और उन्हें कलीदी मनासिब तफ़वीज़ किये गये। बर्रे सग़ीर की इस्लामी तारीख़ में ख़ानदाने गुलामाँ के नाम से जो अहदे हुकूमत मिलता है वह इस्लामी रियासत व मुआशरत में गुलामों की सूरते हाल की एक रोशन मिसाल है। अब ग़ैर मुसलमानों का ये शौर व ग़ौग़ा करना कि इस्लाम गुलाम बनाने का हामी या दाई है जहालत और तअस्सुब के सिवा कुछ नहीं।

كتاب العتق

ग़ुलामों की आज़ादी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ

बाब : 1 ऐसा मुकातब जो अपनी किताबत का कुछ हिस्सा अदा कर चुका हो और बाक़ी से आजिज़ आ जाये या वफ़ात पा जाये

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَةَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ " .

(3926) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुकातब पर जब तक उसकी किताबत (तय शुदा रक़म) का एक दिरहम भी बाक़ी हो वह ग़ुलाम है।'
तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 10/324.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(3927) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस ग़ुलाम ने सौ औक़िया पर किताबत का वादा किया हो, और सब अदा कर दिया हो सिर्फ़ दस

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوا هُوَ وَهَمٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ .

औक़ीये बाक़ी रह गये हों तो वह गुलाम है, और जिस गुलाम ने सौ दीनार पर किताबत की हो और सब अदा कर चुका हो सिर्फ़ दस दीनार बाक़ी हों तो वह गुलाम है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अम्र बिन शुऐब का शागिर्द) अब्बास अलजुरैरी, ये वहम है बल्कि ये कोई और शैख़ है।

(3927) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/184, तिर्मिज़ी, हदीस: 1260, इब्ने माजा, हदीस: 2519, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 5026.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ " .

(3928) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया: 'तुममें जब किसी का गुलाम मुकातब हो जाये और उसके पास इस क़द्र माल हो जो वह अदा कर सकता हो तो तुम्हें चाहिए कि उससे परदा करो।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1261, इब्ने माजा, हदीस: 2520, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1214, हाकिम: 2/219, हदीस: 4112 में देखें।

﴾2﴿ بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ

बाब : 2
मुकातब की फ़रोख़्त का मसला जब कि मुआहिद-ए-किताबत फ़स्ख़ कर दिया गया हो

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رضى الله عنها

(3929) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि हज़रत बरीरा (ﷺ) उनके पास आई, वह उनसे अपने मुआहिद-ए-किताबत के सिलसिले

أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ " .

में मदद चाहती थी और अपनी किताबत में से कुछ भी अदा नहीं कर पाई थी, तो सय्यदा आयशा(ﷺ) ने उससे कहा: अपने घर वालों के पास जाओ, अगर वह पसन्द करें कि तेरी किताबत मैं अदा कर दूं और तेरा वला मुझे हासिल हो तो मैं ये करने को तैयार हूं। उसने जाकर अपने घर वालों (मालिकों) से बात की तो उन्होंने इंकार कर दिया और कहा: अगर वह (आयशा)(ﷺ) तुझ पर ख़र्च कर के सवाब लेना चाहें तो ले लें, मगर वला हमारे ही लिये रहेगा। सय्यदा आयशा (ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र की, तो आपने उनसे फ़रमाया: 'उसे ख़रीद लो और फिर आज़ाद कर दो। वला उसी का होता है जो आज़ाद करे।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए और फ़रमाया: 'लोगों को क्या हूआ है कि ऐसी ऐसी शर्तें करते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं जो कोई ऐसी शर्त करे जो अल्लाह की किताब में न हो तो उसका कोई ऐतबार नहीं, अगरचे सौ शर्तें ही क्यों न हों। अल्लाह की शर्त बरहक़ और मज़बूत है।' (यानी उसके अलावा बातिल हैं)

(3929) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2561, हदीस: 2717, व मुस्लिम: 1504.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(3930) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि बरीरा (ﷺ) अपनी किताबत के सिलसिले में मदद लेने के लिये आई और कहा: तहक़ीक़ मैंने अपने

- رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ لِتَسْتَعِينَ فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي . فَقَالَتْ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ الزُّهْرِيِّ زَادَ فِي كَلاَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِهِ " مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

घर वालों से नौ औक़िया पर मुकातिबत कर ली है, हर साल एक औक़िया अदा किया करूंगी। चुनांचे आप मेरी कुछ मदद करें। सय्यदा आयशा (ﷺ) ने कहा: अगर तेरे घर वाले (मालिक) पसन्द करें तो तेरी ये सारी रक़म मैं एक ही बार उन्हें दे देती हूं और तुम्हें आज़ाद कर देती हूं और तेरा वला मेरे लिये होगा। तो वह उनके पास गयी। और (हिशाम ने) ज़ोहरी की रिवायत के मानिन्द बयान किया।

इस रिवायत में नबी (ﷺ) के फ़रमान के आख़िर में ये इज़ाफ़ा है: 'लोगों को क्या हूआ है? एक कहता है कि ऐ फुलां! तुम आज़ाद कर दो और वला मेरा रहा, हालांकि वला उसका होता है जो आज़ाद करे।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2233 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुलाम को आज़ाद करने पर गुलाम और उसके मालिक के बीच जो रब्त व निस्बत क़ाइम होती है उसे 'वला' कहते हैं (वाव के फ़तह के साथ) और उसकी हैसियत शरीअत में 'नसब' की मानिन्द होती है। आज़ाद करने वाले को मौल–ए–मुअतिक़ (ता के ज़ेर के साथ। यानी आज़ाद करने वाला) और आज़ाद किये जाने वाले को मौल–ए–मुअ्तक़ कहते हैं। (ता के ज़बर के साथ यानी आज़ाद किया जाने वाला) नीज़ वह माल जो कोई गुलाम या आज़ाद करदा गुलाम छोड़ मरे वह भी वला ही कहलाता है। **(2)** इस मौज़ूअ की अहादीस में हज़रत आयशा (ﷺ) महज़ मुकातिबत की रक़म अदा न करना चाहती थीं बल्कि उसे ख़रीद कर आज़ाद करना चाहती थीं। जैसा कि इन अहादीस में आया है। पहली हदीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (इब्ताई फ़अतिक़ी) 'उसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो।' और दूसरी हदीस में है: (अन अउद्दहा अद्दतन वाहिदतन) 'मैं यकमुश्त अदा कर दूं।' इस तौज़ीह से मुकातिबत का मुआहिदा मनसूख़ शुमार होगा। **(3)** वाज़ व नसीहत के लिये हकीमाना उस्लूब (तरीक़ा) इख़्तियार करना चाहिए। किसी को बर सरे आम बराहे रास्त ख़िताब करके टोकना ख़िलाफ़े मसलिहत होता है। **(4)** सुन्नत के मुताबिक़ किये जाने वाले

तमाम आमाल 'किताबुल्लाह' में से हैं। क्योंकि सुन्नत क़ुर्आने करीम की तौज़ीह व तशरीह है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'और जो कुछ रसूल तुम्हें दे दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे रूक जाओ।' (अलहश्र: 7) 'जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।' (अन्निसा: 80) 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद मत करो।' (मुहम्मद: 33)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً مَلاَّحَةً تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها - فَجَاءَتْ تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِتَابَتِهَا فَلَمَّا قَامَتْ عَلَى الْبَابِ فَرَأَيْتُهَا كَرِهْتُ مَكَانَهَا وَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَرَى مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا جُوَيْرِيَةُ

(3931) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि जुवैरिया बिन्ते हारिस़ बिन मुस़तलिक़ हज़रत स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास(ﷺ), या उनके चचाज़ाद के हिस्से में आयी। चुनांचे जुवैरिया ने अपने बारे में मुकातबत कर ली। ये बहुत ख़ूबसूरत ख़ातून थी और हर आँख को भली लगती थी। सय्यदा आयशा (ﷺ) कहती हैं कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई कि अपनी मुकातबत के सिलसिले में आप (ﷺ) से कुछ मदद ले। जब ये दरवाज़े पर खड़ी हुई और मैंने उसको देखा तो मुझे उसका खड़ा होना पसन्द न आया। मैं जान गयी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी इसी तरह देखेंगे जैसे कि मैंने देखा है। (यानी वह बहुत ख़ूबसूरत है।) उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हारिस़ की बेटी जुवैरिया हूं, मेरा मामला आपसे मख़फ़ी नहीं है (कि जंगी क़ैदी हूं और लौण्डी बनाई गयी हूं) मैं स़ाबित बिन क़ैस बिन शम्मास के हिस्से में आई हूं। मैंने उनसे अपने बारे में मुकातबत कर ली है। मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुई हूं

بِنْتُ الْحَارِثِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَإِنِّي وَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى نَفْسِي فَجِئْتُكَ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ " . قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ " . قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ قَالَتْ فَتَسَامَعَ - تَعْنِي النَّاسَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَزَوَّجَ جُوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ يُزَوِّجُ نَفْسَهُ .

और मेरी दरख़्वास्त है कि मुकातबत के सिलसिले में मेरी मदद फ़रमायें, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम उससे बेहतर मामला पसन्द नहीं करती हो?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या है? आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हारी तरफ़ से तुम्हारी किताबत अदा कर देता हूं और तुमसे शादी कर लेता हूं।' उसने कहा: मैं रज़ामंद हूं। सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं: फिर लोगों ने ये ख़बर सुनी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जुवैरिया (ﷺ) से शादी कर ली है। चुनांचे उन सबने जो क़ैदी उनके क़ब्ज़े में थे सब छोड़ दिये और उनको आज़ाद कर दिया। वह कहने लगे: ये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के ससुराली रिश्तेदार हैं। हमने नहीं देखा कि इससे बढ़कर कोई और औरत अपने ख़ानदान के लिये ज़्यादा बरकत वाली साबित हुई हो। उसकी वजह से क़बील–ए–बनू मुस्तलिक़ के एक सौ घराने आज़ाद किये गये थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस़ दलील है कि वली अपना निकाह ख़ूद कर सकता है।

(3931) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: 6/277, इब्ने जारूद, हदीस़: 705.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ज़्व–ए–बनी मुस्तलिक़ पाँच या छः हिजरी में हूआ था। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की शादियों की एक हिकमत ये भी रही है कि इस तरह आप उन क़बाइल को अपना हलीफ़ और क़रीबी बना लेते थे और फिर उनकी दुशमनी उल्फ़त में बदल जाती थी।

बाब : 3
किसी को मशरूत तौर पर सशर्त आज़ाद करना

﴾3﴿ باب فِي الْعِتْقِ عَلَى الشَّرْطِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ . فَقُلْتُ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَىَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَىَّ .

(3932) हज़रत सफ़ीना (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) का गुलाम था। चुनांचे उन्होंने कहा: मैं तुम्हें इस शर्त पर आज़ाद करती हूं कि तुम ज़िन्दगी भर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत करते रहोगे। मैंने कहा: आप अगर मुझसे ये शर्त न भी करें तो मैं जीते जी रसूलुल्लाह(ﷺ) से जुदा न होऊंगा। चुनांचे उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और मुझ से ये शर्त कर ली।

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2526, इब्ने जारूद, हदीस: 976, हाकिम: 2/213, 214.

फ़ायदा : गुलाम को क़ाबिले अमल उम्दा शर्त पर आज़ाद करना जायज़ है। और क्या उम्दा शर्त थी जो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने रखी और हज़रत सफ़ीना (ﷺ) ने क़बूल की।

बाब : 4
जिसने (मुश्रिक) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो

﴾4﴿ باب فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، - الْمَعْنَى - أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، -

(3933) जनाब अबू मलीह (आमिर) अपने वालिद (उसामा बिन उमैर) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने एक गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया। फिर ये बात

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ " . زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ .

नबी (ﷺ) को बताई तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का कोई शरीक नहीं।' इब्ने कसीर ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा: फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी आज़ादी को दुरूस्त क़रार दिया।

(3933) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/75, नसाई, हदीस: 4970.

फ़ायदा : जुज़वी तौर पर आज़ाद किये गये गुलाम को कामिल आज़ादी देने की सूरत निकालनी ज़रूरी है जैसे कि नीचे की अहादीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلاَمٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ .

(3934) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया, (जबकि गुलाम दो अफ़राद में मुश्तरक (शामिल) था) तो नबी (ﷺ) ने उसकी आज़ादी को दुरूस्त क़रार देते हुए उस आज़ाद करने वाले पर बक़िया की क़ीमत का तावान भी डाल दिया (ताकि वह कामिल तौर पर आज़ाद हो जाये।)

(3934) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।, हदीस: 3938.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ " . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ .

(3935) जनाब क़तादा अपनी सनद से नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जिसने ऐसे गुलाम को आज़ाद कर दिया हो जो कि उसके और दूसरे के बीच मुश्तरक (शामिल) हो, तो उस (आज़ाद करने वाले) पर लाज़िम है कि उसको छुटकारा दिलाये।' और ये इब्ने सुवैद के लफ़्ज़ हैं।

(3935) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।, व मुस्लिम: 1502.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ " . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ.

(3936) जनाब क़तादा ने अपनी सनद से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी ग़ुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस (ग़ुलाम) को उसके माल से आज़ाद किया जायेगा, अगर उसके पास माल हो।' इब्ने मुसन्ना ने इस सनद में (क़तादा के शैख़) नज़र बिन अनस का नाम नहीं लिया। और ये अल्फ़ाज़ इब्ने सुवैद के हैं।

(3936) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद: 14/274, हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : 'उसी के माल से आज़ाद किया जायेगा' ... इसकी वज़ाहत अगली हदीस़ में मुलाहिज़ा हो।

﴿5﴾ باب مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

बाब : 5
उन हज़रात का बयान जो इस हदीस़ में ग़ुलाम से मेहनत मशक़्क़त कराने का ज़िक्र करते हैं

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، - يَعْنِي الْعَطَّارَ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

(3937) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने ममलूक का कोई हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस पर लाज़िम है कि उसे पूरे को आज़ाद करे, अगर उसके पास माल हो। वरना ग़ुलाम से मेहनत कराई जाये जो उस पर ज़्यादा सख़्त और शाक़ न हो।'

(3937) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद: 14/274, हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ - أَوْ شَقِيصًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا " فَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ .

(3938) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस किसी ने (मुश्तरक) गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस गुलाम की आज़ादी उस (आज़ाद करने वाले) के माल से होगी बशर्ते कि उसके पास माल हो, अगर उसके पास माल न हो तो गुलाम की मुतवस्सित (दरम्यानी) क़ीमत लगाई जाये, फिर उससे अपने मालिक के लिये क़ीमत के मुताबिक़ मेहनत कराई जाये जो ज़्यादा सख़्त और भारी न हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: (नसर बिन अली और अली बिन अब्दुल्लाह) दोनों की रिवायत में है: (फस्तुस्इया ग़ैरा मश्कूकिन अलैहि) जबकि ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ अली बिन अब्दुल्लाह के हैं (कि उनमें (कुव्वमिल अब्दु क़ीमत अदलिन) का भी बयान है।)

(3938) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2527, व मुस्लिम: 1503.

फ़ायदा : इस हदीस में तर्ग़ीब है कि अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला बाक़ी भी आज़ाद करके मुकम्मल फ़ज़ीलत हासिल करे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ

(3939) मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा: हमें यहया और इब्ने अबू अदी ने सईद बिन अबी अरूबा से बयान किया, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: रौह बिन उबादा ने बसनद सईद बिन अबू अरूबा रिवायत किया,

جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَمَعْنَاهُ وَذَكَرَا فِيهِ السِّعَايَةَ .

मगर उसमें मेहनत कराने का ज़िक्र नहीं। इसी तरह जरीर बिन हाज़िम और मूसा बिन ख़लफ़ दोनों ने क़तादा से बसनद यज़ीद बिन ज़रीअ़ इस हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और इन दोनों ने मेहनत कराने का ज़िक्र किया है।

तख़रीज : **(सनद सही)** हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इन अहादीस़ का ख़ुलासा ये है कि अगर मालिक के लिये बाक़ी हिस्सा आज़ाद करना मुमकिन न हो तो गुलाम ही से मेहनत कराई जाये। ताकि वह अपनी क़ीमत अदा करके आज़ाद हो जाये।

﴿6﴾ باب فِيمَنْ رَوَى أَنَّهُ، لاَ يَسْتَسْعِي

बाब : 6
उन हज़रात का बयान जो इस हदीस़ में गुलाम से मेहनत न कराने का ज़िक्र करते हैं

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .

(3940) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी (मुश्तरक–शामिल) ममलूक में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस (आज़ाद करने वाले) पर गुलाम की आ़दिलाना क़ीमत लगाई जाये और वह अपने शरीकों के हिस्से उन्हें अदा कर दे और उसकी तरफ़ से गुलाम को आज़ाद किया जाये। वरना उससे जो आज़ाद हो गया, सो हो गया।'

(3940) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2522, मौता: 2/772, व मुस्लिम: 1501.

फ़ायदा : आज़ाद करने वाले को तर्ग़ीब व तशवीक़ दी गयी है कि अगर वह ये माली बोझ बर्दाश्त कर सकता है तो कर ले, उसमें बड़ी फ़ज़ीलत है।

(3941) जनाब नाफ़ेअ ने बवास्ता हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। अय्यूब कहते हैं कि जनाब नाफ़ेअ कभी तो (फ़क़द अतक़ मिन्हु मा अतक़) के लफ़्ज़ ज़िक्र करते और कभी न करते।

(3941) तख़रीज : मुस्लिम: 1501.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ " فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ .

(3942) अय्यूब ने नाफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने उमर(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की।

अय्यूब ने कहा: मुझे नहीं मालूम की हदीस़ में ये जुम्ला: (वइल्ला अतक़ मिन्हु मा अतक़) नबी (ﷺ) का फ़रमाया हूआ है या नाफ़ेअ की तरफ़ से है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2524, व मुस्लिम: 1667.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَيُّوبُ فَلاَ أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ شَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ وَإِلاَّ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

(3943) नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अपने ममलूक का हिस्सा आज़ाद कर दिया हो तो उस पर लाज़िम है कि उसे पूरे को आज़ाद करे अगर उसके पास उसकी क़ीमत के बक़द्र माल हो, अगर उसके पास माल न हो तो उसका वही हिस्सा आज़ाद हूआ (जो किया गया।)'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2523, व मुस्लिम: 1667

ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है, हदीस़: 3942.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبُهُ" .

(3944) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से इब्राहीम बिन मूसा की (ऊपर दी गई) रिवायत के हम मानी रिवायत किया।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . انْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى " وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ " . عَلَى مَعْنَاهُ .

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ "

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةً لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ " .

(3944) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 2525, हदीस: 3942 में देखें, व मुस्लिम: 1667.

(3945) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई रिवायत मालिक (3940) के हम मानी बयान किया। मगर इसमें: (व इल्ला फ़क़द अतक़ मिन्हु मा अतक़) का ज़िक्र नहीं। इसकी हदीस: (व ऊतिक़ अलैहल अब्दु) पर मुकम्मल हुई है जो इसके हम मानी है।

(3945) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 2503.

(3946) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी मुश्तरक गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो उसका बाक़ी हिस्सा भी उसके माल से आज़ाद किया जायेगा जबकि उसके पास गुलाम की क़ीमत के बक़द्र माल मौजूद हो।'

तख़रीज: अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3941 में देखें व मुस्लिम: 1501

(3947) जनाब सालिम अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि 'जब कोई गुलाम दो आदमियों में मुश्तरक हो और उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो अगर वह मालदार हो तो उसकी तरफ़ से गुलाम की क़ीमत लगाकर उसे आज़ाद कर दिया जाये, क़ीमत लगाने में कमी की जाये न ज़्यादती।'

(3947) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस: 2521, व मुस्लिम: 1667 हदीस: 3940 में देखें।

(3948) इब्ने अत्तलिब (मल्क़ाम) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स जिसने (मुश्तरक) ममलूक में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो नबी(ﷺ) ने उसे बाक़ी का ज़ामिन और ज़िम्मेदार नहीं बनाया था।

इमाम अहमद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी (इब्ने अत्तलिब) 'ता' के साथ है। और शोबा (रह.) क़द्रे तोतले थे 'ता' (दो नुक़्ते वाले) को 'स़ा' (तीन नुक़्ते वाले) से नुमायाँ न कर सकते थे।

(3948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 4969, अतराफ़ुल मुसनद: 1/648, हदीस़: 1308, इत्तिहाफ़ुल महरा: 2/654, हदीस़: 2449, जामेअ़ अलमसानीद वस सुनन: 2/369, हदीस़: 3798 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنِ التَّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَحْمَدُ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ - يَعْنِي التَّلِبَّ - وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ .

बाब : 7
जो कोई अपने किसी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये

﴿7﴾ باب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

(3949) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (رضي الله عنه) ने बयान किया जैसे कि हम्माद का ख़्याल है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई अपने महरम रिश्तेदार का मालिक बन गया हो तो वह आज़ाद है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मुहम्मद बिन बक्र बुरसानी ने बवास्ता हम्माद बिन सलमा, क़तादा से, और आ़सिम ने बवास्ता हसन बस़री समुरा (رضي الله عنه) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऊपर दी गई

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِيمَا يَحْسِبُ حَمَّادٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ " . قَالَ أَبُو

دَاوُدَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُحَدِّثْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَدْ شَكَّ فِيهِ .

हदीस़ के मिस्ल रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को सिर्फ़ हम्माद बिन सलमा ने (मरफ़ूअ या मुत्तस़िल) बयान किया है और इसमें उसे शक भी है।

(3949) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1365, इब्ने माजा, हदीस़: 2524, इब्ने जारूद, हदीस़: 973, हाकिम: 2/214.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हसन बस़री (रह.) का हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से सिमाअ स़ाबित होने में अइम्मा–ए–हदीस़ का इख़्तिलाफ़ है। ताहम ये हदीस़ हसन और कुछ लोगों के हिसाब से स़ही है। (2) (ज़ारहिम महरम) से यहां मुराद बाप, दादा और औलाद और उनकी औलाद है। इनमें मिल्कियत स़ाबित होते ही ये अज़ ख़ूद आज़ाद हो जायेंगे, अलबत्ता दीगर रिश्तेदारों के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

(3950) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़रमाया: जो अपने किसी क़रीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये तो वह आज़ाद है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/89.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

(3951) जनाब हसन (बस़री) (रह.) ने कहा: जो कोई अपने किसी क़रीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाये तो वह आज़ाद है।

(3951) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 20079.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَعِيدٌ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ.

(3952) जनाब क़तादा ने जाबिर बिन ज़ैद और हसन (बस़री) से इसके मिस्ल बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि सईद, हम्माद की निस्बत ज़्यादा हिफ़्ज़ वाले हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 10/89, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 6/32, हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : 8
उम्मे वलद को आज़ाद करना

﴿8﴾ باب فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ

(3953) सलामा बिन्ते माक़िल बयान करती हैं और ये बनू ख़ारिजा क़ैसे ऐलान की ख़ातून थीं। कहती हैं कि अय्यामे जाहिलीयत में मेरा चचा मुझे लेकर आया और हुबाब बिन अम्र के हाथ बेच दिया जो अबू यसर बिन अम्र का भाई था, तो मैंने उस के बेटे अब्दुर्रहमान बिन हुबाब को जन्म दिया। फिर वह (हुबाब) फ़ौत हो गया तो उसकी बीवी ने कहा: अल्लाह की क़सम! अब तुझे हुबाब के क़र्ज़े में बेच दिया जायेगा, तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूई और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बनू ख़ारिजा क़ैसे ऐलान की ख़ातून हूं। अय्यामे जाहिलीयत में मेरा चचा मुझे मदीने लाया था और हुबाब बिन अम्र, जो कि अबू यसर बिन अम्र का भाई है, के हाथ फ़रोख़्त कर दिया था। मैंने उसके बेटे अब्दुर्रहमान बिन हुबाब को जन्म दिया है। और अब उसकी बीवी कह रही है अल्लाह की क़सम! तुझे इस (हुबाब) के क़र्ज़े की अदायगी में फ़रोख़्त कर दिया जायेगा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'हुबाब का वली और वारिस कौन है?' बताया गया कि उसका भाई अबू यसर बिन अम्र है। तो आपने उसको बुला भेजा और

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ مَعْقِلٍ، - امْرَأَةٍ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلاَنَ - قَالَتْ قَدِمَ بِي عَمِّي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ ثُمَّ هَلَكَ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ عَيْلاَنَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي أَبِي الْيَسَرِ بْنِ عَمْرٍو فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحُبَابِ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الآنَ وَاللَّهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ وَلِيُّ الْحُبَابِ " . قِيلَ أَخُوهُ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ

عَمْرٍو فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ " أَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدِمَ عَلَىَّ فَأْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا " . قَالَتْ فَأَعْتَقُونِي وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقِيقٌ فَعَوَّضَهُمْ مِنِّي غُلاَمًا .

फ़रमाया: 'उसे आज़ाद कर दो और जब तुम्हें मालूम हो कि मेरे पास ग़ुलाम आये हैं तो मेरे पास आना मैं तुम्हें उसका ऐवज़ दे दूंगा।' सलामा कहती हैं कि फिर उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ग़ुलाम आये तो आपने उनको मेरे ऐवज़ एक ग़ुलाम इनायत फ़रमा दिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/360.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا .

(3954) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के दौर में उम्मे वलद लौण्डियों को फ़रोख़्त किया था, फिर जब हज़रत उमर (ﷺ) का दौर आया तो उन्होंने हमें मना कर दिया, तो हम रूक गये।

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 10/347, हाकिम: 2/18, 19, इब्ने माजा, हदीस: 2517.

फ़ायदा : उम्मे वलद लौण्डी को बेचना जायज़ है, या नहीं? इसमें उलमा की दोनों ही राय हैं। कुछ जवाज़ के क़ाइल हैं और कुछ अदमे जवाज़ के। इमाम शौकानी (रह.) की राय है कि एहतियात के तौर पर उसका अदमे जवाज़ ही राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) वल्लाहू आलम!

﴾9﴿ بَاب فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

बाब : 9 मुदब्बर ग़ुलाम की फ़रोख़्त का मसला

फ़ायदा : जब कोई मालिक अपने ग़ुलाम या लौण्डी के बारे में कह दे कि ये मेरी वफ़ात के बाद आज़ाद है तो उसे 'मुदब्बर' कहते हैं। ('बा' पर ज़बर और तश्दीद के साथ)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ

(3955) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने रिवायत किया कि एक शख़्स ने

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبِيعَ بِسَبْعِمِائَةٍ أَوْ بِتِسْعِمِائَةٍ .

अपने गुलाम के बारे में कह दिया कि वह उसकी वफ़ात के बाद आज़ाद होगा, जबकि उसके पास उस गुलाम के सिवा कोई और माल न था, चुनांचे उस गुलाम के बारे में नबी(ﷺ) ने हुक्म दिया तो उसे सात सौ या नो सौ में फ़रोख़्त किया गया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2230, व मुस्लिम: 997.

फ़ायदा : गुलाम के बारे में ये वसीयत करना कि ये मेरी वफ़ात के बाद आज़ाद होगा बिल्कुल मुबाह और जायज़ है। मगर वारिसों के हालात के पेशे नज़र अगर वह बिल्कुल ही मफ़लूकुल हाल हों तो ऐसी वसीयत को फ़स्ख़ भी किया जा सकता है। क़ाज़ी और हाकिम को इख़्तियार है कि वह उसे फ़स्ख़ कर दें।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا زَادَ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ

(3956) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने ये हदीस बयान की और मज़ीद कहा ...यानी नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू इसकी क़ीमत का ज़्यादा हक़दार (और मोहताज) है, जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इसको आज़ाद किये जाने से बेपरवाह है।' (उसे कोई एहतियाज नहीं।)

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा: 5001.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِيهِ " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(3957) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि अबू मज़कूर नामी एक अंसारी ने अपने गुलाम के बारे में कह दिया कि मेरी मौत के बाद वह आज़ाद होगा ... उस गुलाम का नाम याक़ूब था ... और उस अन्सारी का उसके सिवा कोई और माल न था। तो रसूल (ﷺ) ने उस गुलाम को बुलवाया और फ़रमाया: 'इसे कौन ख़रीदता है?' तो जनाब नुऐम बिन अब्दुल्लाह बिन नहहाम ने उसको आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया, चुनांचे

النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ " . أَوْ قَالَ " عَلَى ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا

आप (ﷺ) ने ये रक़म अबू मज़कूर के हवाले की और फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई ज़रूरतमंद हो तो चाहिए कि (ख़र्च करने की) अपने से इब्तेदा करे, अगर कुछ बच जाये तो अपने अयाल पर ख़र्च करे, अगर उनसे बचे रहे तो अपने क़राबतदारों पर ख़र्च करे।' आप (ﷺ) के अल्फ़ाज़: (अला ज़ी क़राबतिही) थे ये: (अला ज़ी रहिमिही) और अगर बच रहे तो इधर उधर ख़र्च कर दे।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रास: 5001

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई गुलाम 'मुदब्बर' किया जा चुका हो और हालात व ज़ुरूफ़ उसकी इजाज़त न देते हों तो उसकी आज़ादी को मन्सूख़ किया जा सकता है और उसको फ़रोख़्त करना जायज़ है। **(2)** ख़ूद ज़रूरतमंद होते हूए सदक़ा करना अगरचे बाइसे फ़ज़ीलत अमल है, मगर देखा जाये कि क्या ऐसे हालात का मुक़ाबला करना ऐसे लोगों के लिये मुमकिन भी है या नहीं?

﴿10﴾ بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الثُّلُثُ

बाब : 10
जिसने अपने गुलाम मौत के वक़्त आज़ाद कर दिये हों जबकि उनकी मजमूई क़ीमत उसके तिहाई माल से ज़्यादा हो

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(3958) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी वफ़ात के वक़्त अपने छः गुलाम आज़ाद कर दिये। उस शख़्स के पास उनके सिवा कोई और माल न था। तो नबी (ﷺ) को जब ये ख़बर मिली तो आपने उसे बड़ी सख़्त बात फ़रमाई। फिर उन गुलामों को बुलवाया और उन्हें तीन हिस्सों

وسلم فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .

में तक़सीम किया। फिर उनमें क़ुरआ अंदाज़ी करके दो को आज़ाद कर दिया और चार को ग़ुलाम ही रहने दिया।

(3958) तख़रीज : मुस्लिम: 1668.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किताबुल वसाया' में ये गुज़रा है कि किसी शख़्स को अपने तिहाई माल से ज़्यादा में वसीयत करने की इजाज़त नहीं है, इसी बुनियाद पर ऊपर दिया गया वाक़िया में उस शख़्स की वसीयत को मन्सूख़ करके शरीयत के मुताबिक़ अमल किया गया। **(2)** अमीरूल मोमिनीन और मुसलमान उम्माल का फ़रीज़ा है कि मुसलमान अवामुन नास के तमाम मामलात पर निगाह रखें कि कहीं भी शरीयत की मुख़ालिफ़त न होने पाये। **(3)** ग़लत वसीयत को मन्सूख़ (ख़त्म) करके शरीयत के मुताबिक़ अमल करना कराना चाहिए।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلْ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا .

(3959) जनाब अबू क़िलाबा ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। मगर उसमें ये जुम्ला नहीं है: 'आपने उसे बड़ी सख़्त बात फ़रमाई।'

तख़रीज : **(सनद सही)** हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - هُوَ الطَّحَّانُ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - " لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ " .

(3960) जनाब अबू ज़ैद से रिवायत है कि एक अन्सारी ने (अपनी मौत के वक़्त अपने ग़ुलाम आज़ाद कर दिये) ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया और कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मैं उसके दफ़न किये जाने से पहले हाज़िर होता तो वह मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न न किया जाता।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, 4973.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً،

(3961) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक शख़्स ने अपनी मौत के वक़्त छः ग़ुलाम आज़ाद कर दिये जबकि उसका उनके सिवा कोई और माल न था, तो

أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً

नबी (ﷺ) को जब ये ख़बर पहुँची तो आपने उन गुलामों में क़ुरआ अंदाज़ी करके दो को आज़ाद कर दिया और चार को गुलाम रखा।

(3961) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 4977, व मुस्लिम: 1668.

﴿11﴾ باب فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

बाब : 11
जिसने अपने मालदार गुलाम को आज़ाद किया हो (तो माल किस का होगा)?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ " .

(3962) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने गुलाम आज़ाद किया हो और उसके पास माल भी हो तो गुलाम का माल गुलाम ही का रहेगा मगर ये कि मालिक ने उसकी शर्त कर ली हो (कि माल उसे नहीं दिया जायेगा।)'

(3962) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 2529, बुख़ारी, हदीस़: 2379.

﴿12﴾ باب فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

बाब : 12
ज़िनाज़ादे को आज़ाद करना?

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

(3963) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़िनाज़ादा तीनों में से सबसे बुरा है। 'और हज़रत अबू

هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ " . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ.

हुरैरह (ﷺ) ने कहा: मैं एक कोड़ा अल्लाह की राह में दे दूं वह उससे बेहतर है कि किसी ज़िनाज़ादे को आज़ाद करूं।

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 4930, मुसनद अहमद: 2/311, हाकिम: 2/214.

फ़ायदा : ज़िनाज़ादे का बुरा होना उसी सूरत में है जब वह माँ बाप की मानिन्द बदकारी जैसे क़बीह आमाल करे। वरना उसमें उसका कोई जुर्म नहीं और आम शरई क़ायदा ये है कि: 'कोई जान किसी का बौझ नहीं उठायेगी।' (अल अनआम: 15) नीज़ इस हदीस का सबबे वुरूद एक ख़ास वाक़िया है कि एक मुनाफ़िक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) को ईज़ा दिया करता था, तो उस मौक़े पर आपको बताया गया कि वह ज़िनाज़ादा है। तब आपने ऊपर वाली बात कही। तफ़्सील के लिये देखिये: (सिलसिलतुल अहादीसुस सहीहा लिलअल्बानी (रह.), हदीस: 672)

﴿13﴾ بَابٌ فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ

बाब : 13
गुलाम आज़ाद करने का सवाब

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ . قُلْنَا إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَتَيْنَا

(3964) ग़रीफ़ बिन दैलमी कहते हैं कि हम हज़रत वासिला बिन अस्क़अ (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और उनसे कहा: हमें हदीस बयान कीजिए जिसमें कोई कमी बेशी न हो, तो वह ग़ुस्सा हो गये और कहने लगे: बिलाशुब्हा तुममें कई ऐसे हैं जो क़ुर्आन की क़िराअत करते हैं और उसमें कमी बेशी कर जाते हैं, हालांकि क़ुर्आन उसके अपने घर में लटका हूआ होता है? हमने कहा: हमारा मक़सद है कि ऐसी हदीस बयान फ़रमायें जो आपने नबी (ﷺ) से सुनी हो। उन्होंने कहा: हम अपने एक आदमी के सिलसिले में

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ - يَعْنِي - النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ " أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुए जो क़त्ल की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक़ हो चुका था, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसकी तरफ़ से गुलाम आज़ाद कर दो, अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसके हर हर अ़ज़्व (पार्ट) के बदले उसका एक एक अ़ज़्व (पार्ट) आग से आज़ाद फ़रमा देगा।'

(3964) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/490, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 4891, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1206, हाकिम: 2/212.

फ़ायदा : क़त्ल के सिलसिले में सिर्फ़ गुलाम आज़ाद कर देना काफ़ी नहीं है। अलबत्ता मुसलमान गुलाम को आज़ाद करने की मज़कूरा फ़ज़ीलत और तर्ग़ीब सही अहादीस से साबित है जैसे कि अगले बाब में आ रहा है। नीज़ सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तआ़ला उसके हर हर अ़ज़्व के बदले में उसका एक एक अ़ज़्व (पार्ट) आग से बचा देगा।' (सही बुख़ारी, हदीस: 2517)

(14) بَابٌ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

बाब : 14
कौन सी गर्दन (लौण्डी, गुलाम आज़ाद करना) ज़्यादा अफ़ज़ल है?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ

(3965) जनाब अबू नजीह सुलमी (अ़म्र बिन अ़ब्सा) (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमने नबी (ﷺ) की मईयत में ताइफ़ के महल का घेराव किया। मुआ़ज़ (बिन हिशाम) कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वह कहते थे कि ... एक क़िले का मुहासरा किया ...

حَاصَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَصْرِ الطَّائِفِ - قَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بِقَصْرِ الطَّائِفِ بِحِصْنِ الطَّائِفِ كُلُّ ذَلِكَ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

और मफ़हूम सब का एक है। अबू नजीह ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने अल्लाह की राह में तीर चलाया उसके लिये एक दर्जा है।' और पूरी हदीस़ बयान की। और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को आज़ाद किया तो अल्लाह तआला उसकी एक एक हड्डी को उस आज़ाद करदा की एक एक हड्डी के बदले जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव का ज़रिया बना देगा। और जिस औरत ने किसी मुसलमान औरत को आज़ाद किया तो यक़ीनन अल्लाह तआला उसकी एक एक हड्डी को उसकी आज़ाद करदा की एक एक हड्डी के बदले जहन्नम से तहफ़्फ़ुज और बचाव का ज़रिया बना देगा।'

(3965) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1638, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1645, हाकिम: 2/90, 121, 3/50, बैहक़ी: 9/161.

फ़ायदा : (1) जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में एक तीर मारना, एक गोली चलाना या एक गोला फैंकना भी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत और दर्जे का बाइस़ है। **(2)** गुलाम और लौण्डी को आज़ाद करना फ़ज़ीलत का काम है मगर वह मुसलमान हो तो बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है और मज़कूरा ज़मानत हासिल करने का एक उम्दा ज़रिया है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ

(3966) जनाब शुरहबील बिन सिम्त कहते हैं कि मैंने हज़रत अम्र बिन अब्सा (ﷺ) से अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी हदीस़ सुनायें

عَامِرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ " .

जो आपने नबी (ﷺ) से सुनी हो, तो उन्होंने बयान किया कि मैंने आप (ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने किसी मुसलमान गर्दन को आज़ाद किया तो वह उसके लिये आग से बचाव के लिये फ़िद्या होगी।'

(3966) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3144, मुसनद अहमद: 4/386.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيثًا، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَى مُعَاذٍ إِلَى قَوْلِهِ " وَأَيُّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً " . زَادَ " وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَالِمٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ شُرَحْبِيلَ مَاتَ شُرَحْبِيلُ بِصِفِّينَ .

(3967) जनाब शुरहबील बिन सिम्त कहते हैं कि मैंने कअ़ब बिन मुर्रा या मुर्रा बिन कअ़ब (ﷺ) से कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनायें जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो तो उन्होंने ऊपर दी गई हदीस मुआज़ बिन हिशाम (3965) के हम मानी बयान की ... और मज़ीद कहा: 'जिस शख़्स ने दो मुसलमान औरतों को आज़ाद किया वह उसके लिये जहन्नम से आज़ादी का बाइस होंगी। उनकी हर दो हड्डियों को उसकी एक हड्डी का ऐवज़ बना दिया जायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सालिम ने शुर हबील से नहीं सुना, शुरहबील की वफ़ात सिफ़्फ़ीन में हूई थी।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3146, इब्ने माजा, हदीस: 2522, तिर्मिज़ी, हदीस: 1634.

बाब : 15
सेहत व आफ़ियत के दिनों में गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत

﴾15﴿ باب فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ " .

(3968) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मौत के वक़्त आज़ाद करता है उसकी मिसाल उस शख़्स की सी है जो पेट भर जाने के बाद हदिया दे।'

(3968) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2123, नसाई, हदीस: 3644, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1219, हाकिम: 2/213, फ़तह: 5/374.

फ़ायदा : अगरचे मौत के क़रीब तिहाई माल तक का सदक़ा या वसीयत करना जायज़ है मगर अफ़ज़ल ये है जैसे कि सही बुख़ारी में है: हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी(ﷺ) से पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! सदक़ा कौन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में सदक़ा करे कि तू सेहतमंद हो, हरीस हो (यानी ज़िन्दगी और माल का), ग़नी रहना चाहता हो और फ़क़ीर हो जाने से डरता हो और सदक़ा करने में सुस्ती न करे कि जब जान हल्क़ में आन अटके तो कहने लगे कि फ़लां के लिये इतना है और फ़लां के लिये इस क़द्र, हालांकि वह तो (हक़्क़े विरासत की वजह से) फ़लां का हो चुका।' (सही बुख़ारी, हदीस: 2748) क़ुर्आन मजीद में इरशादे बारी तआला है: '(अहले ईमान दूसरे हाजतमंदों को) अपने से तर्जीह देते हैं अगरचे उन्हें ख़ुद ज़रूरत होती है।' (अलहश्र: 9)

كتاب الحروف والقراءات

क़ुर्आन करीम की बाबत लहजों और क़िराअतों का बयान

- क़ुर्आन मजीद बनी नोअ़ इंसान के लिये सरचश्म-ए-हिदायत है जो अ़रबी ज़बान में नाज़िल हूआ है। अहले अ़रब अपने मख़्सूस अहवाल व जुरूफ़ के तहत अपने अपने क़बाइली नज़्म में इस क़द्र पुख़्ता थे कि उस दौर में उनके लिये दूसरे क़बीले का उस्लूब नुत्को तकल्लुम (बोलचाल) इख़्तियार करना भी मुश्किल होता था। तो रब्बे ज़ूलजलाल वल इकराम ने अपनी किताब में ये आसानी फ़रमा दी कि हर क़बीला अपनी आसानी के मुताबिक़ जो उस्लूब चाहे, इख़्तियार कर ले। और उसे 'सात हुरूफ़' में नाज़िल फ़रमा दिया। इससे उन्हें इसके पढ़ने, समझने और हिफ़्ज़ करने में बहुत आसानी रही और इसमें इस किताब का 'एजाज़' भी था।
- (उन्ज़िलल क़ुर्आनु अ़ला सब्अ़ति अ़हरूफ़) 'क़ुर्आन करीम सात हुरूफ़ (क़िराअतों और लहजों) पर नाज़िल किया गया है।' कि तौज़ीह में अगरचे काफ़ी बहस़ है, मगर राजेह मफ़हूम ये है कि जहां कहीं किसी लफ़्ज़ या तरकीब में किसी क़बीले के लिये कोई मुश्किल थी वहां क़ुर्आन को उनके उस्लूब में नाज़िल फ़रमा कर उन्हें इसमें क़िराअत करने की इजाज़त दे दी गयी थी। ये मफ़हूम नहीं कि हर हर आयत या हर हर लफ़्ज़ सात हुरूफ़ पर मुश्तमिल है। जैसे बक़ौल अ़ल्लामा इब्ने जरीर तबरी (रह.) एक मानी व मफ़हूम के लिये सात हुरूफ़ तक नाज़िल किये गये हैं, जैसे एक मफ़हूम 'आओ' के लिये मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं हल्लुमा, अक़्बिल, तआ़ल, इलय्या, क़स्दी, नहवी, क़ुरबी वग़ैरह। इन सबके मानी एक दूसरे से बेहद क़रीब हैं।
- या दूसरी तौजीह ये है कि मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में बलिहाज़ इनके मुफ़रद, तस़निया, जमा या मुज़क्कर, मुअन्नस़, मुख़ातब या ग़ाइब, फ़ैअ़ल या इस्म होने में फ़र्क़ आया है। या बलिहाज़े ऐराब मरफ़ूअ़, मनसूब और मजरूर होने में या मुक़द्दम मुअख़्ख़र होने में या कई हुरूफ़ की कमी बेशी में सात तरह के इख़्तिलाफ़ात हैं। या बलिहाज़ नुत्क़ो ब अदायगी इज़हार, इदग़ाम, हम्ज़, तसहील या इश्माम वग़ैरह में इख़्तिलाफ़ है। अलग़र्ज़ इन मुतनव्वअ़ (तरह-तरह) इख़्तिलाफ़ात से क़ुर्आन के मानी में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क़ नहीं और इस इख़्तिलाफ़ का ये मानी भी नहीं कि हर क़ौम या क़बीला मज़मूने क़ुर्आन को अपनी ताबीर देने में मुख़्तार था। नहीं, बल्कि ये सब अल्फ़ाज़ क़िराआत बसनाइदे स़हीहा रसूलुल्लाह (ﷺ) से मनक़ूल हूई हैं और इब्तेदाई तीन अदवार यानी

रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर और हज़रत अबूबक्र व उमर (رضی اللہ عنہما) के दौर में आज़ादी से क़िराअत होती रही, फिर जब दौरे उस्मानी में ममलकते इस्लामिया की हुदूद बहुत ज़्यादा लम्बी चौड़ी हो गयीं और अज्मी लोग भी मुसलमान हो गये जो इन इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ की हक़ीक़त और सहूलत से आशना न थे तो उनके आपस में तनाज़आत (झगड़े) होने लगे, तो हज़रत उस्मान(رضی اللہ عنہ) ने इन क़िराअत को लुग़ते क़ुरैश तक महदूद व मख़्सूस कर दिया जो अरब की मौतबर, टक्साली और मक़बूल लुग़त थी और सहाब–ए–किराम (رضی اللہ عنہم) ने इस पर इज्मा कर लिया और उम्मत एक बहुत बड़े और संगीन इख़्तिलाफ़ से महफ़ूज़ हो गयी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

बाब : 1

...

باب (1)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }

(3969) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सूरह बक़रा की आयत : 125 यूँ) क़िराअत फ़रमाई: (वत्तख़िज़ू मिम मक़ामि इब्राहीमा मुसल्ला) ('ख़ा' के नीचे ज़ेर के साथ सेग़ा अम्र पढ़ा) 'और मक़ामे इब्राहीम को जाये नमाज़ बना लो।'

(3969) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 856, व हदीस: 862, नसाई, हदीस: 2964, इब्ने माजा, हदीस: 1008.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस लफ़्ज़ में दूसरी क़िराअत 'ख़ा' पर ज़बर यानी सेग़ा–ए–माज़ी के साथ है और मानी हैं: 'और लोगों ने मक़ामे इब्राहीम को जाय नमाज़ बना लिया।' **(2)** मक़ामे इब्राहीम बैतुल्लाह में वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहि. बैतुल्लाह की तामीर करते रहे और इसमें आपके क़दम नक़्श हैं।

حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً، قَامَ مِنَ

(3970) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा(رضی اللہ عنہا) का बयान है एक शख़्स ने रात को क़याम किया और क़िराअते क़ुर्आन में अपनी आवाज़ बलन्द की। सुबह हुई तो

اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَرْحَمُ اللَّهُ فُلاَنًا كَائِنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह फ़ुलां पर रहम फ़रमाये! उसने आज रात मुझे कितनी ही आयात याद दिला दीं जिनसे मुझे ज़हूल हो रहा था।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1331 में देखें।

फ़ायदा : (1) ये हदीस पीछे (हदीस: 1331) में गुज़र चुकी है। इसके फ़वाइद व मसाइल भी मुलाहिज़ा हों। और रसूलुल्लाह (ﷺ) को आरज़ी तौर पर भूल का लाहिक़ हो जाना आपके मक़ामे नबूवत के मनाफ़ी नहीं है। आपने फ़रमाया है: 'जैसे तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 401, व सही मुस्लिम: 572) **(2)** किसी पर्दा नशीन की शक्ल देखे बग़ैर उसकी आवाज़ पहचान कर गवाही क़बूल करना जायज़ है। और इसी तरह क़ाज़ी नाबीना हो तो उसका आवाज़ पहचान कर मुद्दई और मुद्दआ अलैहि के बयानात सुन कर फ़ैसले करना जायज़ और दुरूस्त है। मगर कुल्ली निस्यान कि हाफ़ज़ा ही ख़राब हो जाये नबी के लिये ये नामुमकिन है। **(3)** हदीस में वारिद लफ़्ज़ (कायन) कई नुस्ख़ों में 'काइन' 'क़ायम के वज़न पर' नक़ल हूआ है और इस्तेदलाल ये है कि कुर्आन मजीद में वारिद (व कअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातला मअहू रिब्बिय्यून) (आले इमरान: 146) में एक क़िराअत 'काइन' 'क़ायम के वज़न' भी है। (तर्जुमा आयत) 'बहुत से नबीयों से हमरिकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफ़ें पहुँची लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत हारी, न सुस्त रहे और न दबे और अल्लाह तआला सब्र करने वालों ही को चाहता है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، حَدَّثَنَا مِقْسَمٌ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(3971) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि आयते करीमा (वमा काना लिनबिय्यिन अय्यगुल्ला ...) इस सिलसिले में नाज़िल हूई थी कि बद्र के दिन एक सुर्ख़ रंग का कपड़ा गुम हो गया था तो कई लोगों ने कह दिया कि शायद नबी (ﷺ) ने ले लिया हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। 'ये नामुमकिन है कि कोई नबी ख़्यानत करे, और जो कोई ख़्यानत करेगा तो जो उसने ख़्यानत की होगी उसके साथ क़यामत के दिन हाज़िर होगा, फिर हर शख़्स को पूरा पूरा बदला दिया

قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغُلَّ مَفْتُوحَةُ الْيَاءِ .

जायेगा और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जायेगा।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि लफ़्ज़ (यग़ुल्ल) 'या' पर ज़बर के साथ है।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 3009, अलवाहिदी असबाबुन नुज़ूल सफ़ा-107, तफ़्सीर इब्नेकसीर: 1/430

फ़ायदा : (यग़ुल) फ़ेअल मुज़ारेअ मारूफ़ (मसदर ग़ुलूल) का तर्जुमा ऊपर ज़िक्र हूआ है। जबकि उसकी दूसरी क़िराअत बसूरत मुज़ारेअ मजहूल यानी 'या' पर पेश और 'ग़ैन' पर ज़बर के साथ है। इस क़िराअत में इसका तर्जुमा होगा: 'नबी का ये मक़ाम नहीं कि उसकी ख़यानत की जाये।' अगर उसे मस्दर इग़लाल से समझा जाये तो इसका मफ़हूम होगा: 'नबी का ये मक़ाम नहीं कि उसकी तरफ़ ख़यानत की निस्बत की जाये।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْهَرَمِ " .

(3972) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने (एक दुआ में) फ़रमाया: (अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिनल बुख़िल वलहरम) 'ऐ अल्लाह! मैं बख़ील और आजिज़ कर देने वाले बुढ़ापे से तेरी पनाह चाहता हूं।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1540 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद में वारिद 'और वह लोगों को बख़ीली की तल्क़ीन करते हैं।' (अल हदीद: 24) में लफ़्ज़ (बुख़्ल) 'बा' के पेश और 'ख़ा' के सुकून के साथ है। जबकि अनसार की लुग़त में ये लफ़्ज़ 'बा' और ख़ा' दोनों के ज़बर के साथ है। इसके अलावा 'बा' के ज़बर और 'ख़ा' के सुकून और दोनों के पेश के साथ भी पढ़ा जाता है। **(2)** (हरम) आजिज़ कर देने वाला बुढ़ापा कि इंसान बेहद आजिज़ हो जाये। अक़्ल व शऊर और सेहत साथ छोड़ जाये और दूसरों के लिये भी बोझ बन जाये।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي

(3973) हज़रत लक़ीत बिन सबिरा (ﷺ) ने बयान किया कि बनी मुन्तफ़िक़ का वफ़द जो नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया था मैं उसमें शरीक था ... और हदीस बयान की ... नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: ये 'मत समझना' (कि ये बकरी हमने तुम्हारी ख़ातिर ज़बह की

وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - " لاَ تَحْسِبَنَّ " . وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ .

है) और हदीस़ बयान की। और नबी (ﷺ) ने (ला तहसिबन्ना) ('सीन' की ज़ेर से) फ़रमाया,(ज़बर के साथ) (ला तहसबन्ना) नहीं फ़रमाया था।'

तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 142 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस़ किताबुत तहारत, हदीस़: 142 गुज़र चुकी है और ये कलिमा सूरह आले इमरान की आयत: 188 में (ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ ...) में दोनों तरह पढ़ा गया है यानी सीन के ज़बर और ज़ेर के साथ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَحِقَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ فَنَزَلَتْ { وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ

(3974) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी अपनी चंद बकरियाँ लिये जा रहा था कि मुसलमान उस पर जा पहुँचे तो उसने कहा: 'अस्सलामुअलैकुम' मगर मुसलमानों ने उसे क़त्ल कर दिया और उन चंद बकरियों पर क़ब्ज़ा कर लिया। तो उस पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई: (व ला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलामा लस्ता मुअमिनन तब्तग़ूना अरज़ल हयातिद्दुनिया) ' और जो शख़्स तुम्हें सलाम कहे उसके बारे में ये मत कहो कि तू साहिबे ईमान नहीं है। तुम दुनिया की ज़िन्दगानी के माल के मुतलाशी हो? 'इस आयत में इन्हीं चंद बकरियों की तरफ़ इशारा है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4591, व मुस्लिम: 3025.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस आयते करीमा में ये लफ़्ज़ (अस्सलाम) अलिफ़ के साथ और दूसरी क़िराअत में अलिफ़ के बग़ैर है। (सलम) के मानी होंगे कि 'जो शख़्स तुम्हारी इताअत का इज़हार करे उसके बारे में यूँ मत कहो कि साहिबे ईमान नहीं है।' **(2)** अस्सलामुअलैकुम का लफ़्ज़ इस्लामी शेआर है। उसके बोलने पर उसे झूठा समझ कर क़त्ल करना या उसको काफ़िर समझना दुरूस्त नहीं, मगर ये कि ऐसा समझने की वाज़ेह दलील हो।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ كَانَ يَقْرَأُ .

(3975) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ये आयत यूँ पढ़ा करते थे: (ला यस्तविल काइदूना मिनल मूमिनीना ग़ैरा उलिज़्ज़ररि) 'मोमिन में से (जिहाद से) बैठे रहने वाले इस हाल में कि उन्हें कोई उ़ज़्र न हो और जिहाद पर जाने वाले बराबर नहीं हो सकते।' यानी ग़ैर के ज़बर के साथ। सईद (बिन मन्सूर) ने (कान यक़रउ) का लफ़्ज़ नहीं कहा।

(3975) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2507 में देखें, मुसनद अहमद, हदीस: 5/190.

फ़ायदा : इस आयते करीमा में लफ़्ज़ (ग़ैरा) ज़बर के साथ अहले हरमैन, नाफ़ेअ, इब्ने आमिर और कुसाई की क़िराअत है और ये हाल या ये मुस्तस़ना है। जबकि इब्ने कसीर, अबू अ़म्र, हमज़ा और आ़सिम इसे मरफ़ूअ पढ़ते हैं जो कि क़ाइदून की सिफ़त है। और क़िराअत ज़ेर के साथ भी है, मगर शाज़ है। इस सूरत में ये 'मोमिनीन' की सिफ़त या उससे बदल होगा।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ } .

(3976) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यूँ क़िराअत की (अल ऐनु बिल ऐन) (पेश के साथ) यानी सूरह मायदा की आयत: 45 में (व कतब्ना अ़लैहिम फ़ीहा अन्नन्नफ़्सा बिन्नफ़्सि वल ऐनु बिल ऐन) पढ़ा।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2929.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ } .

(3977) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने क़िराअत फ़रमाई: (वकतब्ना अ़लैहिम फ़ीहा ...) (यानी अन्न को मुख़फ़्फ़फ़ और अल ऐनु को मरफ़ूअ पढ़ा।)

तख़रज : (सनद ज़ईफ़) हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ { اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ } فَقَالَ { مِنْ ضُعْفٍ } قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ فَأَخَذَ عَلَيَّ كَمَا أَخَذْتُ عَلَيْكَ .

(3978) अ़तिया बिन सअ़द औफ़ी कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) पर क़िराअत की और यूँ पढ़ा: (अल्लाहुल्लाज़ी ख़लक़कुम मिन ज़अफ़िन) (ज़ाद पर फ़तह के साथ) तो उन्होंने फ़रमाया: (मिन ज़ुअफ़िन) पढ़ो। (यानी ज़ाद पर पेश है) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ये आयत इसी तरह पढ़ी थी जैसे कि तूने मुझ पर पढ़ी है तो आपने मेरी गिरफ़्त फ़रमाई जैसे कि मैंने तुम्हारी गिरफ़्त की है।

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तिर्मिज़ी, हदीस: 2936.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद के कलिमात बिलाशुब्हा अ़रबी ज़बान के हैं और इनको इनके किसी भी लहजा में पढ़ना जायज़ है। मगर मतलूब वही है जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इख़्तियार फ़रमाया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - عَنْ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ { مِنْ ضُعْفٍ }

(3979) जनाब अ़तिया ने हज़रत अबू सईद (ﷺ) से उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (मिन ज़ुअफ़िन) नक़ल किया है। (यानी ज़ाद पर पेश के साथ)

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ { بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بِالتَّاءِ .

(3980) अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा की रिवायत है कि हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) ने कहा: (बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्तफ़रहू) यानी स़ेग़-ए-ख़िताब के साथ। जबकि हमारी मारूफ़ क़िराअत स़ेग़-ए-ग़ायब के साथ 'फ़ल्यफ़रहू' है। 'कह दीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी है। चुनांचे इसी पर तुम्हें/इन्हें ख़ुश होना चाहिए।

तख़रीज : **(सनद हसन)** तफ़्सीर इब्ने जरीर: 11/88.

(3981) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने क़िराअत फ़रमाई : (बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्तफ़्रहू हुवा ख़ैरूम मिम्मा तज्मऊन) यानी फ़ल्तफ़्रहू ..... और ... तज्मअ़न ... दोनों स़ेग़–ए–ख़िताब के साथ पढ़े। जबकि हफ़्स़ की क़िराअत में ग़ायब के स़ेग़े में 'फ़ल्यफ़्रहू' और 'यज्मअ़न' है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ { بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ } .

(3981) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/122, तिर्मिज़ी, हदीस़: 3793.

(3982) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) बयान करती हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) को क़िराअत करते हूए सुना: (इन्नहू अ़मिला ग़ैरा स़ालिहिन) यानी 'अ़मिल' फ़ेअ़ल माज़ी और 'ग़ैरा' मफ़ऊले बयानी मन्सूब।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ { إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ }

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2932.

फ़ायदा : इस आयते करीमा में जुम्हूर की क़िराअत यूँ है: (इन्नहु अ़मलुन ग़ैरू स़ालिहिन) यानी 'अ़मलु' इन्ना की ख़बर मरफ़ूअ। और ग़ैरू इसकी स़िफ़त है, लिहाज़ा वह भी मरफ़ूअ है। ये आयते करीमा हज़रत नूह अ़लैहि. के बेटे के बारे में है कि 'उसके अ़मल स़ालेह नहीं हैं।' फ़ेअ़ल माज़ी में इसका तर्जुमा होगा। 'उसने ग़ैर स़ालेह (बुरे) अ़मल किये हैं।'

(3983) जनाब शहर बिन हौशब कहते हैं कि मैंने उम्मे सलमा (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये आयत किस तरह पढ़ा करते थे: (इन्नहु अ़मलुन ग़ैरू स़ालिहिन) तो उन्होंने फ़रमाया: आपने इसको (इन्नहू अ़मिला ग़ैरू स़ालिहिन) पढ़ा था। (यानी स़ेग़–ए–माज़ी के साथ)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ { إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } فَقَالَتْ قَرَأَهَا { إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ

} قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ ثَابِتٍ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ .

हारून नहवी और मूसा बिन ख़लफ़ ने साबित (बिनानी) से इसी तरह रिवायत किया है जैसे कि अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा है।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ " رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْ صَبَرَ لَرَأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ قَالَ { إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي } " . طَوَّلَهَا حَمْزَةُ .

(3984) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से नक़ल किया कि नबी (ﷺ) जब दुआ फ़रमाते तो पहले अपने आप से इब्तेदा फ़रमाते और कहते: (रहमतुल्लाहि अ़लैना वअ़ला मूसा) 'अल्लाह की रहमत हो हम पर और मूसा पर। अगर वह स़ब्र कर लेते तो वह अपने साथी (ख़िज़र) से बहुत अ़जीबो ग़रीब चीज़ देखते, लेकिन उन्होंने ख़ूद ही कह दिया: अगर इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ मत रखें। आप मेरी तरफ़ से मअ़ज़रत को पहुँच चुके। हमज़ा अज़्ज़य्यात ने लफ़्ज़ 'लदुनी' को तूल देकर यानी दाल के पेश और नून के शद के साथ सक़ील करके पढ़ा। (ये मज़मून सूरह कहफ़, आयत: 76 का है।)

(3984) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3385, हाकिम: 2/574, व मुस्लिम: 2380.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَهَا { قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي } وَثَقَّلَهَا .

(3985) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया कि आपने (क़द बलग़्तु मिल्लदुन्नी) की क़िराअत में 'लदुना' को स़क़ील करके पढ़ा (शद के साथ)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2933.

(3986) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते थे कि हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) ने मुझे इसी तरह पढ़ाया जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें पढ़ाया था यानी (फ़ी ऐनिन हमिअतिन) ('हा' पर फ़तह 'मीम' पर कसरा और उसके बाद हमज़ा।)

(3986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2934, हदीस: 2386 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَقْرَأَنِي أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ كَمَا أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏{‏ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ‏}‏ مُخَفَّفَةً ‏.‏

फ़ायदा : इब्ने आमिर 'हम्ज़ा' कुसाई और अबूबक्र की क़िराअत में ये लफ़्ज़ (हामियतुन) वारिद है। (हमिअतुन) का मानी 'कीचड़' और (हामियतुन) 'गर्म' को कहते हैं। (मज़ीद देखिये, आइन्दा हदीस: 4002)

(3987) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जन्नत के आला दर्जात के हामिल अहले इल्लिय्यीन का एक शख़्स ऊपर से जन्नतों पर झाँकेगा तो जन्नत उसके चेहरे से दमक उठेगी गोया कोई चमकता दमकता सितारा हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हदीस की रिवायत ऐसे ही है (दुर्रिय्युन) यानी दाल मज़मूम और हमज़ा के बग़ैर। और अबूबक्र और उमर (ﷺ) यक़ीनन इन्हीं में से हैं और बड़ी फ़ज़ीलत वाले हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/27, 50, तिर्मिज़ी, हदीस: 3658, इब्ने माजा, हदीस: 96, मज्मउज़्ज़वाइद: 9/54.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو النَّمَرِيَّ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ، أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتُضِيءُ الْجَنَّةُ لِوَجْهِهِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَهَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ ‏"‏ دُرِّيٌّ ‏"‏ ‏.‏ مَرْفُوعَةُ الدَّالِ لاَ تُهْمَزُ ‏"‏ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ‏"‏ ‏.‏

फ़ायदा : सूरह नूर की आयते करीमा (कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन) (अन्नूर: 35) में ये लफ़्ज़ 'दुर्रिय्युन' की मारूफ़ क़िराअत दाल के पेश 'रा' और 'या' की शद के साथ है। जबकि हमज़ा और अबूबक्र इसे दाल के पेश और हमज़ा के साथ पढ़ते हैं और अबू उमर और कुसाई दाल के कसरा और हमज़ा के साथ।

(3988) हज़रत फ़रवा बिन मुसैक गुतैफ़ी (ﷺ) कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ, और हदीस़ बयान की। क़ौम में से एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) आप हमें बतायें कि सबा इलाक़े का नाम है या औरत का? आपने फ़रमाया: 'ये इलाक़े का नाम है न किसी औरत का, बल्कि अरब का आदमी था जिसके दस बेटे थे जिनमें से छ: यमन चले गये थे और चार ने शाम में सकूनत इख़्तियार कर ली थी।' उस्मान बिन अबी शैबा ने ग़तफ़ी की बजाये ग़तफ़ानी कहा और सनद में 'हद्द़सना अलहुसैन बिन अल हकम अन्नख़ई' कहा।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3222.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيُّ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْغُطَيْفِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنْ سَبَإٍ مَا هُوَ أَرْضٌ أَمِ امْرَأَةٌ فَقَالَ " لَيْسَ بِأَرْضٍ وَلاَ امْرَأَةٍ وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ أَرْبَعَةٌ " . قَالَ عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ مَكَانَ الْغُطَيْفِيِّ وَقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ النَّخَعِيُّ .

(3989) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से वहि वाली हदीस़ बयान की और कहा कि इस सिलसिले में अल्लाह का ये फ़रमान है: (हत्ता इज़ा फुज़्ज़िआ अन कुलूबिहिम) 'हत्ता कि जब उन फ़रिश्तों के दिलों से घबराहट दूर की जाती है।'

(3989) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4800–4801.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.- قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ الْوَحْىِ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } .

फ़ायदा : लफ़्ज़ (फुज़्ज़िआ) फ़ के पेश, ज़ा मुशद्दद के कसरा के साथ है। जबकि एक क़िराअत में (फ़रग़) मरवी है। (यानी 'र' ग़ैर मनक़ूत और 'ग़' मनक़ूत के साथ।) इब्ने आमिर और याक़ूब की क़िराअत में (ज़ मनक़ूत के साथ) (फ़ज़्अ) बसेग़ा माज़ी आया है।

(3990) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) से मरवी है, वह फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की क़िराअत थी (बला क़द

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، سَمِعْتُ أَبَا

جَعْفَرٍ، يَذْكُرُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { بَلَى قَدْ جَاءَتْكِ آيَاتِي فَكَذَّبْتِ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنَ الْكَافِرِينَ } قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ الرَّبِيعُ لَمْ يُدْرِكْ أُمَّ سَلَمَةَ .

जाअत्कि आयाती फ़कज़्ज़ब्ति बिहा वस्तक्बर्ति व कुन्ति मिनल काफ़िरीन) (अज़्ज़ुमर: 59) (यानी वाहिद मुअन्नस़ मुख़ातब के सेग़ों में 'काफ़' और 'ता' के कसरा के साथ।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ मुर्सल है। रबीअ़ (बिन अनस) ने सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) को नहीं पाया।

(3990) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : रिवायत ज़ईफ़ुल इस्नाद है। जुम्हूर की मारूफ़ रिवायत मुज़क्कर के सेग़ों के साथ है जिन क़ुर्रा ने मुअन्नस़ के सेग़ों के साथ पढ़ा है, वह बलिहाज़ लफ़्ज़ (नफ़स) है जो मुअन्नस़ समाई है। आयते करीमा के मानी हैं: 'हाँ क्यों नहीं, बिलाशुब्हा तेरे पास मेरी आयात आईं तो तूने उन्हें झुठलाया और तकब्बुर किया और तू काफ़िर था।'

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله تعالى عنها - قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهَا { فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ } .

(3991) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पढ़ते हुए सुना: (फरूहुन व रैहानुन) (अलवाक़िआ: 89) यानी लफ़्ज़ रूह में 'रा' के पेश के साथ।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2938.

फ़ायदा : जुम्हूर की मारूफ़ क़िराअत 'रा' के फ़तह के साथ है जिसके मानी 'राहत और आराम' किये जाते हैं। अगर (रूह) 'रा' के पेश के साथ पढ़ा जाये तो मानी होंगे: 'इसकी रूह फूलों और नेमतों में होगी।' 'या' इसके लिए रहमत, ज़िन्दगी और बक़ा होगी और नेमतें होंगी।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، - قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَمْ أَفْهَمْهُ جَيِّدًا - عَنْ صَفْوَانَ، - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ ابْنِ يَعْلَى - عَنْ

(3992) जनाब स़फ़वान बिन यअ़ला अपने वालिद यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना। आप मिम्बर पर खड़े पढ़ रहे थे: (वनादौ या मालिकु) 'जहन्नमी पुकारेंगे ऐ मालिक! (दारोग़ा–ए–जहन्नम।)

أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ { وَنَادَوْا يَا مَالِكُ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بِلاَ تَرْخِيمٍ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मक़सद है कि तरख़ीम के बग़ैर पढ़ा। (यानी इसे मुख़्तसर करके 'या मालि' नहीं पढ़ा।)

(3992) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4819, मुसनद अहमद: 4/223, व मुस्लिम: 871.

फ़ायदा : तफ़्सीर रूहुल मआनी (14/158) में है कि हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने मसऊ़द(ﷺ) और इब्ने वस़ाब और आमश की क़िराअत में ये लफ़्ज़ तरख़ीम के साथ 'या मालि' पढ़ा गया है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } .

(3993) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे पढ़ाया है (इन्नी अनर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन) 'बिलाशुब्हा मैं ही रिज़्क़ देने वाला, क़ूव्वत वाला और ज़ौरावर हूँ।'

(3993) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 294, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1762.

फ़ायदा : सूरह अल ज़ारियात की आयते करीमा: 58 में जुम्हूर की क़िराअत में 'इन्नी अना' की जगह: 'इन्नल्लाह हुवा ... ' है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَؤُهَا { فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ } يَعْنِي مُثَقَّلاً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَضْمُومَةَ الْمِيمِ مَفْتُوحَةَ الدَّالِ مَكْسُورَةَ الْكَافِ

(3994) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) पढ़ा करते थे: (फ़हल मिम मुद्दकिरिन) यानी शद के साथ। 'भला कोई है जो नसीहत पकड़े।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये लफ़्ज़ मीम के पेश, दाल के ज़बर और ज़ेर के साथ है।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4869, व मुस्लिम: 823.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ {أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ }

(3995) हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा आप पढ़ रहे थे: (अयहसबु अन्ना मालहू अख़लदा) (अलहुमज़ा: 3) (यानी शूरू में हमज़ा इस्तेफ़हाम के साथ।)

तख़रीज: (सनद हसन) नसाई, सुनन कुब्रा: 11698, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1773, हाकिम: 2/256.

मल्हूज़ : जुम्हूर की रिवायत में हमज़ा के बग़ैर है और (यहसबु) का लफ़्ज़ शामी, हमज़ा और आसिम की क़िराअत में सीन के फ़तह के साथ और दूसरों के यहां कसरा के साथ है। मानी आयत: 'क्या वह समझता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा ज़िन्दा रखेगा?'

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَمَّنْ أَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَعْضُهُمْ أَدْخَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ رَجُلاً .

(3996) जनाब अबू क़िलाबा उस शख़्स से रिवायत करते हैं जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पढ़ाया था: (फ़ यौमइज़िल ला युअज़्ज़बु अज़ाबहू अहद वला यूसिकु वसाक़हू अहद) (अलफ़ज्र: 25, 26) यानी (युअज़्ज़बु) और (यूसकु) मजहूल सेग़ों के साथ।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि कुछ रावियों ने ख़ालिद और अबू क़िलाबा के दरम्यान एक रावी का इज़ाफ़ा किया है।

(3996) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/71, हाकिम: 2/255.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ أَنْبَأَنِي مَنْ، أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَنْ أَقْرَأَهُ مَنْ أَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذَّبُ } . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأَ عَاصِمٌ وَالأَعْمَشُ وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَزِيدُ بْنُ الْقَعْقَاعِ وَشَيْبَةُ بْنُ نَصَّاحٍ وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ وَأَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَلاَءِ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ وَقَتَادَةُ

(3997) जनाब अबू क़िलाबा कहते हैं कि मुझे उस शख़्स ने बताया जिसको नबी (ﷺ) ने पढ़ाया था। या कहा ... मुझे उस शख़्स ने पढ़ाया जिसको उस शख़्स ने पढ़ाया जिसे नबी (ﷺ) ने पढ़ाया था: (फ यौमइज़िल ला युअज़्ज़बु) ज़ाल के ज़बर, यानी मजहूल सेग़े के साथ।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आसिम, आमश, तलहा बिन मुसर्रिफ़, अबू जाफ़र यज़ीद बिन क़ाक़ाअ, शैबा बिन नसाह। नाफ़ेअ बिन अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह बिन कसीर दारी, अबू अम्र बिन अलअला, हमज़ा ज़य्यात, अब्दुर्रहमान आरज, क़तादा, हसन बसरी, मुजाहिद, हुमैद आरज, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और

وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ الأَعْرَجُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ {لاَ يُعَذِّبُ } {وَلاَ يُوثِقُ } إِلاَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ فَإِنَّهُ { يُعَذَّبُ } بِالْفَتْحِ .

अ़ब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र ये सभी हज़रात (ला युअज़्ज़िबु वला यूसिक़ु) पढ़ते हैं ('ज़ाल' और 'सा' के कसरा, यानी मारूफ़ सेग़े के साथ।) मगर मरफ़ूअ हदीस में (युअज़्ज़बु) 'ज़ाल' के ज़बर के साथ मरवी है।

(3997) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا ذَكَرَ فِيهِ "جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ". فَقَرَأَ { جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ} . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ خَلَفٌ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ أَرْفَعِ الْقَلَمَ عَنْ كِتَابَةِ الْحُرُوفِ مَا أَعْيَانِي شَيْءٌ مَا أَعْيَانِي جِبْرَائِلُ وَمِيكَائِلُ .

(3998) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक हदीस बयान फ़रमाई। इसमें जिब्रील और मीकाल का ज़िक्र था तो आपने (उनके तलफ़्फ़ुज़ में) 'जिब्राइल और मीकाइल फ़रमाया।'

(3998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/9.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ ذُكِرَ كَيْفَ قِرَاءَةُ جِبْرَائِلَ وَمِيكَائِلَ عِنْدَ الأَعْمَشِ فَحَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاحِبَ الصُّورِ فَقَالَ " عَنْ يَمِينِهِ جِبْرَائِلُ

(3999) मुहम्मद बिन ख़ाज़िम ने बयान किया कि जनाब आ़मश की मज्लिस में जिब्राइल और मीकाइल के तलफ़्फ़ुज़ की बहस चल पड़ी तो आ़मश ने बसनद सअ़द ताई, अ़तिया औ़फ़ी से उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूर फूँकने वाले फ़रिश्ते (इस्राफ़ील) का ज़िक्र किया और फ़रमाया: 'उसकी दायें जानिब 'जिब्राइल' और उसकी बायें जानिब 'मीकाइल' हैं।'

وَعَنْ يَسَارِهِ مِيكَائِلُ " .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि ख़ल्फ़ कहते हैं: चालीस साल होने को आये हैं कि मैंने लिखने से क़लम नहीं उठाया है मगर मुझे जो उलझन 'जिब्राइल' और 'मीकाइल' के ज़ब्त में हूई है किसी और कलिमा में नहीं हूई।

(3999) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/9, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : (1) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। जब्राईल के तलफ़्फ़ुज़ में नो लुग़ात हैं। **(2)** जिब्राईल : जीम की ज़ेर और ज़बर के साथ। **(3)** जिब्राईल: जीम पर ज़बर, हमज़ा की ज़ेर और लाम तशदीद के साथ। **(4)** जिब्राईल: रा के बाद अलिफ़। **(5)** जिब्राईल: अलिफ़ के बाद दो 'या' **(6)** जिब्राईल: रा के बाद हमज़ा और या। **(7)** जिब्राइल: जीम और रा की ज़बर, हमज़ा की ज़ेर और लाम मुख़फ़्फ़फ़। **(8)** जिब्राईल: जीम पर ज़बर और ज़ेर और आख़िर में नून। तफ़्सील के लिए देखिए: (तहज़ीबुल अस्मा वल्लुग़ात, लिन्नववी)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ مَعْمَرٌ وَرُبَّمَا ذَكَرَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَقْرَءُونَ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } وَأَوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } مَرْوَانُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَالزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

(4000) जनाब ज़ोहरी (रह.) बसा औक़ात इब्ने मुसय्यब से रिवायत करते थे, उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ), अबूबक्र उमर और उस्मान (ﷺ) (मालिकि यौमिद्दीन) पढ़ा करते थे (सूरह फ़ातिहा में, मालिक बरवज़न फ़ाइल) और मरवान सबसे पहला शख़्स है जिसने ये (मलिकि यौमिद्दीन) पढ़ा। (अलीफ़ के बग़ैर बरवज़न फ़इल)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये सनद ज़ोहरी अ़न अनस और ज़ोहरी अ़न सालिम अ़न अबीह की बनिस्बत ज़्यादा सही है।

(4000) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2928.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। 'मालिक' का मानी साहिबे मिल्कियत और 'मलिक' का मानी बादशाह है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ - أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا - قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ الْقِرَاءَةُ الْقَدِيمَةُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } .

(4001) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत का ज़िक्र किया: (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मलिकियौव मिद्दीन) आप अपनी क़िराअत में एक एक लफ़्ज अलग अलग करके पढ़ते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं मैंने इमाम अहमद (रह.) से सुना, वह फ़रमाते थे: क़दीम क़िराअत (सल्फ़ की क़िराअत) (मालिकियौ मिद्दीन) ही है।

(4001) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2927, मुसनद अहमद: 6/288.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम माना सही है, क्योंकि दीगर सही अहादीस में यही चीज़ बयान हूई है कि कुर्आन मजीद की क़िराअत में चाहिए कि हर हर आयत पर वक़ूफ़ किया जाये और ठहर ठहर कर पढ़ा जाये। इन्तेहाई तेज़ पढ़ना और आयात पर वक़ूफ़ न करना मसनून तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَقَالَ " هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ هَذِهِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ "

(4002) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सवारी पर पीछे बैठा हूआ था जबकि आप गधे पर सवार थे और सूरज गुरूब होने वाला था। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम जानते हो कि ये कहां गुरूब होता है?' मैंने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: (फ़इन्नहा तग़रूबु फ़ी ऐनिन हामिया) 'ये एक गर्म चश्मे में गुरूब होता है।'

(4002) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3199, हदीस: 4802, 4803, व मुस्लिम: 159.

फ़ायदा : ये हदीस सहीहुल इस्नाद है और सूरह कहफ़ आयत: 86 में मज़कूरा (ऐनिन हमिअतिन) की दूसरी क़िराअत (ऐनिन हामियतिन) है। (देखिये गुज़िश्ता रिवायत: 3986)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ مَوْلًى، لاِبْنِ الأَسْقَعِ - رَجُلَ صِدْقٍ - أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ الأَسْقَعِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُمْ فِي صُفَّةِ الْمُهَاجِرِينَ فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ أَىُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " { اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } " .

(4003) हज़रत वासिला बिन अस्क़अ (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) उनके पास आये और चबूतरे पर तशरीफ़ लाये जो मुहाजिरीन के लिये मख़सूस था, तो एक आदमी ने आपसे पूछा कि क़ुर्आन करीम की कौन सी आयत सबसे बड़ी है? आपने फ़रमाया: (अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्युम ...) (यानी आयतल कुर्सी)

(4003) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी, हदीस: 1/451, हदीस: 1460 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) आयतल कुर्सी अपनी फ़ज़ीलत और तासीर के लिहाज़ से सबसे बड़ी है वरना तिवालत में आयते मुदायना (या अय्युहल लज़ीना ...) (अलबक़र: 282) इससे ज़्यादा लम्बी है। **(2)** क़ुर्आन मजीद सारा ही अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की जानिब से है मगर मज़ामीन के ऐतबार से कुछ आयात को दूसरी पर फ़ज़ीलत हासिल है। **(3)** लफ़्ज़ (अलक़य्यूम) में दूसरी क़िराअत (अलक़य्याम) और अलक़य्यिम) भी मनक़ूल है।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَرَأَ { هَيْتَ لَكَ } فَقَالَ شَقِيقٌ إِنَّا نَقْرَؤُهَا { هِئْتُ لَكَ } يَعْنِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ .

(4004) जनाब शक़ीक़ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने पढ़ा: (हैत लक) ('हा' पर ज़बर के साथ) शक़ीक़ ने कहा हम इसे (हिअत लक) पढ़ते हैं (यानी 'हा' के नीचे ज़ेर के साथ) तो इब्ने मसऊद (ﷺ) ने कहा: जैसे मुझे पढ़ाया गया उसी तरह मुझे पढ़ना ज़्यादा महबूब है।

(4004) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4692.

फ़ायदा : सूरह यूसुफ़ की आयत: 23 में मज़कूरा बाला कलिमे की ये दो क़िराअतें वारिद हैं। जुम्हूर की क़िराअत (हैत लक) 'हा' पर ज़बर के साथ है और ये अ़ज़ीज़े मिस्र की बीवी का बोल है जो उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहि. से कहा था मानी: 'लो आ जाओ'

(4005) जनाब शक़ीक़ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से कहा गया कि लोग ये आयते करीमा (व क़ालत हीत लक) पढ़ते हैं (यानी 'हा' की ज़ेर के साथ) तो उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा मुझे इसी तरह पढ़ना ज़्यादा महबूब है जैसे कि मुझे सिखाया गया है। (व क़ालत हैत लक) (यानी 'हा' पर ज़बर के साथ)

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ {وَقَالَتْ هِيتَ لَكَ } فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ كَمَا عُلِّمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ { وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ }

(4006) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बनू इस्राईल से फ़रमाया: (उदख़ुलुल बाब सुज्जदव वक़ूलू हित्ततुन तुग़फ़र लकुम ख़तायाकुम) (अलबक़र: 58) यानी तुग़फ़र 'ता' के पेश से बसेग़ा वाहिद मुअन्नस ग़ायब मजहूल।

तख़रीज : (सनद सही) सहीफ़तु हम्माम, हदीस: 116, बुख़ारी, हदीस: 3403, व मुस्लिम: 3015.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ { ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ } ".

फ़ायदा : जुम्हूर की क़िराअत (नग़फिरू लकुम) है (यानी 'नून' के फ़तह से बसेग़ा जमा मुतकल्लिम) इस सूरत में मानी होंगे। 'सज्दा करते हूए दरवाज़े में दाख़िल हो जाओ और लफ़्ज़ (हित्ततुन) पुकारते जाओ हम तुम्हारी ख़तायें माफ़ कर देंगे।'

(4007) जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने इब्ने अबी फ़ुदैक से, उन्होंने हिशाम बिन सअद से, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की मानिन्द रिवायत किया।

(4007) **तख़रीज : (सनद हसन)** ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْنَا {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي مُخَفَّفَةً حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَاتِ .

(4008) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﵺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर वही नाज़िल हूई तो आपने हमें ये आयात पढ़ कर सुनाई। (सूरह अन्ज़ल्ना हा वफ़रज़नाहा)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आपने (फ़र ज़नाहा का कलिमा 'रा' की) तख़फ़ीफ़ से पढ़ा हत्ता कि इन आयात पर पहुँचे (जिन में सय्यदा आयशा तय्यबा की बराअत का मज़मून है।)

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4735 में देखें।

फ़ायदा : ये आयत सूरह नूर की इब्तेदा में है, इसमें 'फ़रज़्नाहा' जुम्हूर की मारूफ़ क़िराअत है और मानी हैं: 'हमने इसे फ़र्ज़ किया है।' जबकि इब्ने कसीर और अबू उमर की क़िराअत में 'रा' की तशदीद के साथ (फ़र्रज़्नाहा) है और मफ़हूम है: 'हमने इसे ख़ूब वाज़ेह और मुफ़स्सल (विस्तारपुर्वक) बयान किया है।'

كتاب الحمّام

हम्मामात (इज्तेमाई ग़ुस्ल ख़ानों) से मुताल्लिक़ मसाइल

फ़ायदा : पहले ज़माने में शहरों में, बिलख़ुसूस मशरिक़े वुस्ता में मख़्सूस अन्दाज़ से इज्तेमाई ग़ुस्ल ख़ाने बनाये जाते थे जहां मौसम के मुताबिक़ पानी वग़ैरह मुहय्या होता था और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो मालिश और ग़ुस्ल से क़ाबिले इलाज होतीं, उनका इलाज भी क्या जाता था। इनमें मर्द औरतें सभी आते थे और पर्दे का कोई ख़याल न रखा जाता था। इस्लाम ने मर्द–औरत के मिलाप और बेपर्दगी को हराम क़रार दिया और इन इज्तेमाई ग़ुस्ल ख़ानों की बाबत भी इस्लाही हिदायात बयान फ़रमाईं। नीचे के अबवाब और अहादीस़ का ताल्लुक़ उन्हीं इस्लाहात से है।

(1) باب الدُّخُولِ فِي الْحَمَّامِ

बाब : 1 हम्माम में जाने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ .

(4009) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम्मामात (इज्तेमाई और अवामी ग़ुस्ल ख़ानों) में जाने से मना फ़रमाया। मगर बाद में मर्दों को इजाज़त दे दी कि चादर बाँध कर जा सकते हैं। (दूसरों के सामने नंगा न हों)

(4009) तख़रीज : **(सनद हसन)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 2802, इब्ने माजा, हदीस़: 3749.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(4010) जनाब अबू मलीह (आमिर बिन उसामा) (रह.) से रिवायत है कि शाम की कुछ औरतें सय्यदा आयशा (ﷺ) के पास

جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - جَمِيعًا - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتُنَّ قُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ . قَالَتْ لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ نَعَمْ . قَالَتْ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَهُوَ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ جَرِيرٌ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

आईं। उन्होंने पूछा कि तुम किन लोगों में से हो? उन्होंने कहा: हम अहले शाम में से हैं। उन्होंने कहा: शायद तुम उस इलाक़े की हो जहां की औरतें हम्मामात में जाती हैं? औरतों ने कहा: हाँ! तो सय्यदा आयशा (ﷺ) ने कहा: आगाह रहो! बेशक मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो कोई औरत अपने घर के अलावा कहीं और अपने कपड़े उतारती है वह अपने और अल्लाह तआला के बीच जो (इज़्ज़त व करामत का) परदा है, उसको फाड़ देती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये जरीर की रिवायत है और ज़्यादा कामिल है। मगर जरीर ने अबू मलीह (काला काला रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। (मुर्सल बयान किया)

(4010) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2803, इब्ने माजा, हदीस: 3750.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमान औरत का अपने घर से बाहर पर्दे के बारे में ग़फ़लत बर्तना हराम है, इसीलिए उनका अवामी गुस्ल ख़ानों में जाना हराम है। इसी पर मौजूदा दौर की एक नाफ़रमानी और फ़ितना 'ब्यूटी पार्लरों' को क़यास किया जा सकता है। **(2)** औरत और अल्लाह के बीच परदा हट जाने का मफ़हूम ये है कि वह अपनी इज़्ज़त व करामत को ख़ुद से दाव पर लगा देती है और रूस्वा और ज़लील होने से किसी तरह नहीं बच सकती।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

(4011) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब तुम्हारे लिये अजम के इलाक़े फ़तह होंगे और तुम वहां ऐसे घरौंदे पाओगे जिन्हें 'हम्मामात' कहा जाता होगा। तो मर्द उनमें हरगिज़ न जायें इल्ला ये कि चादरें बाँध

إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَّامَاتُ فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلاَّ بِالأُزُرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ " .

कर (बापरदा होकर जायें) और औरतों को उनसे मना करना सिवाए इसके कि कोई बीमारी हो या निफ़ास में हो।'

(4011) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3748, हदीस: 62, 270 में देखें।

﴿2﴾ باب النَّهْيِ عَنِ التَّعَرِّي

बाब : 2 नंगा और बरहना होना हराम है

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ بِلاَ إِزَارٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " .

(4012) हज़रत यअ़ला बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि वह एक खुली जगह में कपड़ा बाँधे बग़ैर नहा रहा था तो आप मिम्बर पर चढ़े और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इन्तेहाई हया वाला और परदा पोश है, हया और परदा पोशी को पसन्द करता है, सो तुममें से जब कोई ग़ुस्ल करने लगे, तो परदा कर ले।'

(4010) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 406, हदीस: 1819 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) खुली जगह में बेलिबास होकर ग़ुस्ल करना हराम है। वाजिब है कि कपड़ा बाँध कर नहाये। यहाँ तक कि मय्यत को बेलिबास करना भी जायज़ नहीं। **(2)** दावत देने वाले हज़रात पर वाजिब है कि जब लोगों में और मुआशरे में कोई ख़िलाफ़े शरअ़ बात देखें तो उस पर लोगों को मुतन्नबा करें। **(3)** अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के अस्मा–ए–हुस्ना व सिफ़ाते उ़ल्या में से एक 'सित्तीर' भी है। (स की ज़ेर और त की शद के साथ।) यानी 'बंदों के उ़यूब की बहुत ज़्यादा पर्दापोशी करने वाला।'

(4013) स़फ़वान बिन यअ़ला अपने वालिद से वह नबी (ﷺ) से यही हदीस़ रिवायत करते हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 407.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الأَوَّلُ أَتَمُّ

(4014) जनाब ज़ुरआ अपने वालिद अ़ब्दुर्रहमान बिन जरहद से रिवायत करते हैं और ये जरहद (رضي الله عنه) अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से थे। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां बैठे हूए थे और मेरी रान नंगी हो रही थी, तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान क़ाबिले सतर होती है।' (यानी इसे छुपाना चाहिए।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2797, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 353, बुख़ारी, हदीस़: 371.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " .

फ़ायदा : मर्द की रान सतर में शामिल है, इसलिए चाहिए कि खेल वग़ैरह में लम्बा जांगिया पहना जाये। इसी तरह तंग और जिस्म पर फ़िट लिबास या जिससे जिस्म झलकता हो, वह भी जायज़ नहीं।

(4015) हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: अपनी रान को नंगा मत कर और किसी दूसरे की रान को मत देख, ज़िन्दा हो या मुर्दा।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं इस हदीस़ में ज़ुअ़फ़ (कमज़ोरी) है।

(4015) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 3140 में देखें, बैहक़ी: 2/228.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَىٍّ وَلاَ مَيِّتٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ نَكَارَةٌ

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम ये बात स़ही है कि उ़ज़्रे शरई के बग़ैर रान नंगी करना या किसी की रान देखना जायज़ नहीं।

﴿3﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّي

बाब : 3
नंगा होने का मसला

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلاً فَبَيْنَا أَمْشِي فَسَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً " .

(4016) हज़रत मिस्वर बिन मख़्रमा (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैं (एक बार) एक भारी पत्थर उठाये चला जा रहा था कि मेरा कपड़ा गिर गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'अपने ऊपर कपड़ा ले लो और बरहना होकर मत चलो।'

(4016) **तख़रीज :** मुस्लिम: 341.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ " .

(4017) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से वह दादा (मुआविया बिन हीदा) से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें हमारे सतरों के बारे में क्या फ़रमाते हैं, क्या इख़्तियार करें और क्या छोड़ें? (यानी किससे छुपायें और किससे न छुपायें?) आपने फ़रमाया: 'अपनी शर्मगाह (और सतर) की हिफ़ाज़त करो, सिर्फ़ बीवी या लौण्डी से इजाज़त है।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब लोग आपस में मिल जुल बैठे हों तो? आपने फ़रमाया: 'जहां तक हो सके कोई तेरा सतर हरगिज़ न देखे।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से जब कोई अकेला हो तो? आपने फ़रमाया: 'लोगों की निस्बत अल्लाह उसका ज़्यादा हक़दार है कि उससे हया की जाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2794, बुख़ारी, हदीस: 278, इब्ने माजा, हदीस: 1920.

फ़ायदा : तन्हाई में भी बिला वजह नंगा होकर बैठना नाजायज़ है और ताज्जुब है कि हमारे यहां के जाहिल और बिदअती व मुश्रिक लोग नंग धंड़ग बेदीन और बेशऊर लोगों को वलीयुल्लाह (अल्लाह के वली) समझते हैं। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ " .

(4018) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू सईद ख़ुदरी अपने वालिद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई मर्द किसी दूसरे मर्द का सतर न देखे और न कोई औरत किसी दूसरी औरत का सतर देखे। न कोई मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे और न कोई औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में लेटे।'

(4018) तख़रीज : मुस्लिम: 338.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिला ज़रूरते शरई किसी मर्द को दूसरे मर्द का और किसी औरत को दूसरी औरत का सतर देखना हराम है। इसी तरह किसी मर्द का अजनबी औरत को या किसी औरत का अजनबी मर्द के सतर को देखना और भी ज़्यादा हराम और बदतर है। **(2)** बिला ज़रूरत दूसरों या दो औरतों का एक कपड़े में लेटना जायज़ नहीं, ख़्वाह कपड़े भी पहने हूए हों। यहाँ तक कि बच्चे जब दस साल की उमर को पहुँच जायें तो उन्हें अलग लिटाना और सुलाने का हुक्म है, बिस्तर या चारपाई कम हों तो उनका बन्दोबस्त किया जाये।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا " . قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا .

(4019) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई मर्द दूसरे मर्द के साथ या कोई औरत दूसरी औरत के साथ हरगिज़ न लेटे, मगर बेटा या बाप हो तो जायज़ है।' रावी ने कहा कि तीसरी बात भी ज़िक्र की थी जो मैं भूल गया।

(4019) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीसः 2174 में देखें।

كتاب اللباس

लिबास की अहमियत और अहकाम व मसाइल

➪ इस्लाम शर्म व हया और इफ़्फ़त व इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) की ज़मानत देता है। शर्म व हया की हिफ़ाज़त के लिये इस्लाम ने निज़ामे सतर व हिजाब इंसानियत को दिया है, लिबास जहां ज़ैब व ज़ीनत का बाइस है वहां शर्म व हया की हिफ़ाज़त में मुअस्सिर तरीन हथियार भी है, लिहाज़ा इस्लाम ने अपने मानने वालों को इन मक़ासिद के हुसूल के लिये लिबास पहनने का हुक्म दिया है, इरशादे बारी तआला है: 'ऐ औलादे आदम! तुम हर नमाज़ के वक़्त अपनी ज़ीनत इख़्तियार करो।' (अल आराफ़: 31) इसलिए हर वह लिबास जो शर्म व हया की ज़मानत फ़राहम करे और हुस्न व जमाल का बाइस बने उसको पहनने की इजाज़त दी गयी है। इन दो ख़ूबियों वाले लिबास की बदौलत मुस्लिम उम्मत दूसरे लोगों पर मुमताज़ दिखाई देती है। दूसरी कोई भी तहज़ीब या मज़हब इस्लामी निज़ामे हया और लिबास जैसा मुन्फ़रिद और आला निज़ाम पेश करने से बेबस है, इरशादे बारी तआला है: 'ऐ बनी आदम! बेशक हमने तुम्हारे लिये ऐसा लिबास पैदा किया है जो तुम्हारी शर्मगाह छुपाता है और ज़ीनत का बाइस भी है और तक़वे का लिबास ये उससे बढ़ कर है।' (अल आराफ़: 26)

मुहसिने इंसानियत, रहमते दो आलम (ﷺ) ने अपनी उम्मत को लिबास के मुताल्लिक़ शानदार आदाब सिखाये हैं जिन्हें इख़्तियार करके मुसलमान हुस्न व आराइश, शर्म व हया की हिफ़ाज़त और उख़रवी सआदत हासिल कर सकता है, इन सुनहरी आदाब को मल्हूज़ रखना हर मुसलमान की ख़ूशबख़्ती है। जबकि इन आदाब को तर्क करके अक़वामे मग़रिब की नफ़्स परस्ती की पैरवी करना और उन जैसा लिबास ज़ैब तन करना, उन जैसी शक्ल व शबाहत इख़्तियार करना, सरासर गुमराही और ज़लालत है। अल्लाह तआला सब मुसलमानों को महफ़ूज़ फ़रमाये। आमीन!

ताजदारे मदीना (ﷺ) की ज़बाने अक़्दस से इरशाद होने वाले चंद आदाब नीचे दिये जा रहे हैं:

मुसलमानों का लिबास दो बुनियादी ज़रूरियात के लिये होता है। सतरपोशी और ज़ीनत का इज़हार, लिहाज़ा ऐसा लिबास जो फ़ख़्र व मबाहात या ग़ुरूर व तकब्बुर की अलामत समझा जाता हो या जिससे सतरपोशी की ज़रूरियात पूरी न होती हो उसे पहनना ग़लत और नाजायज़ होगा। इरशादे नबवी है: 'खाओ, पीयो, पहनो और सदक़ा ख़ैरात करो मगर इस्राफ़ और तकब्बुर किये बग़ैर।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3608, मुसनद अहमद: 2/182)

मर्दों के लिये सोना और रेशमी लिबास पहनना हराम है। जबकि औरतों के लिये ये दोनों चीज़ें हलाल हैं, लिहाज़ा वह अपनी ज़ैब व ज़ीनत के लिये इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। रसूले अकरम (ﷺ) का इरशाद है: 'मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशमी लिबास और सोना पहनना हराम कर दिया गया है और औरतों के लिये हलाल है।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1720)

लिबास को इतना लम्बा रखना कि वह ज़मीन पर घसीटता रहे ये तकब्बुर और बड़ाई की अलामत है। लिहाज़ा ऐसा लिबास पहनना भी हराम क़रार दे दिया गया। इरशादे नबवी (ﷺ) है: 'जो कपड़ा टख़नों से नीचे चला जाये वह जहन्नम में ले जाता है।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 5787)

शरीयते इस्लामिया ने अपने पैरोकारों के लिये सफ़ेद लिबास को पसन्द किया है जो वक़ार की अलामत है, इरशादे नबवी है: 'सफ़ेद लिबास पहनो, ये ज़्यादा पाक स़ाफ़ होता है और अपने मुर्दों को इसी में कफ़न दो।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 2810)

मुसलमान औरतों को ऐसा लिबास पहनने का हुक्म दिया गया है जो ज़्यादा सतरपोश, ज़्यादा बाहया और ज़्यादा बावक़ार हो। लिहाज़ा मग़रिबज़दा फ़ैशन की पैरवी में तंग व चुस्त, बारीक और शफ़्फ़ाफ़ लिबास पहनना मुसलमान औरतों के लिये जायज़ नहीं। ऐसा लिबास पहनने वालियों को ख़ुसूसन रसूले अकरम (ﷺ) ने डराया है। इरशादे गिरामी है: 'जहन्नम के दो गिरोह मैंने नहीं देखे (यानी अभी नमूदार नहीं हुए(उनमें एक गिरोह औरतें हैं जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। (निहायत बारीक और शफ़्फ़ाफ़ लिबास ज़ैब तन करेंगी जिनसे जिस्म के पार्टस् वाज़ेह नज़र आयेंगे।) ये औरतें जन्नत की ख़ुशबू तक न पायेंगी, हालांकि जन्नत की ख़ुशबू दूर दूर तक आयेगी। (स़ही मुस्लिम)

इस्लामी लिबास का एक अहम उसूल मर्दोज़न के लिबास में नुमायां फ़र्क़ का होना है। लिहाज़ा जो मर्द औरतों जैसा या औरतें मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं उनके लिये सख़्त वईद व धमकी है।

- सोने की अंगूठी, चैन या घडी वग़ैरह पहनना मर्दों के लिये हराम है। अलबत्ता चाँदी इस्तेमाल कर सकता है।
- ऐसा तंग और बंद लिबास पहनना जिसमें से बवक़्ते ज़रूरत हाथ बाहर न निकल सकें, मना है।
- एक जूता पहन कर चलता मना है।
- लिबास या जूता वग़ैरह पहनते वक़्त दायें तरफ़ से पहनना शूरू करे और उतारते वक़्त बायें जानिब से शूरू करे।
- नया लिबास पहनते वक़्त अल्लाह तआला की इस नेमत के शुक्र के इज़हार के लिये दुआ पढ़ना चाहिए।
- मुसलमान भाई को नया लिबास पहने देख कर मसनून दुआ देनी चाहिए।
- कंघी करते वक़्त दायें जानिब से शूरू करना और सर के दरम्यान से माँग निकालना सुन्नत है।

كتاب اللباس

लिबास से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

बाब : 1
नया लिबास पहने तो कौन सी दुआ पढ़े?

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ " . قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى .

(4020) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कोई नया कपड़ा हासिल करते तो उसका नाम लेते यानी क़मीस या पगड़ी वग़ैरह और ये दुआ पढ़ते: (अल्लाहुम्मा लकल्हम्दु, अन्ता कसौतनीहि, अस्अलुका मिन ख़ैरिही व ख़ैरि मा सुनिआ लहू व अऊज़ुबिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिआ लहू) 'ऐ अल्लाह! तेरी ही तारीफ़ है, तूने मुझे ये पहनाया है, मैं तुझ से इसकी ख़ैर और भलाई का सवाल करता हूं और उस भलाई का जिसके लिये इसे बनाया गया है, मैं इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूं और उस शर से जिसके लिये इसे बनाया गया है।'

अबू नज़रा ने कहा: नबी (ﷺ) के सहाबा में से जब कोई नया कपड़ा पहनता तो उसे यूँ दुआ दी जाती: (तुब्ली व युख़िलफ़ुल्लाहु तआला) 'अल्लाह करे तुम इसे ख़ूब (इस्तेमाल करके) पुराना करो और अल्लाह इसके बाद और भी इनायत फ़रमाये।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1767.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नया कपड़ा पहनने पर ऊपर दी गई दुआ पढ़ना मसनून और मुस्तहब है। इसी तरह कपड़ा पहनने वाले को भी दुआ दी जाये। (2) कपड़ा हो या कोई और चीज़ ... हर एक में भलाई और बुराई के दोनों पहलू होते हैं। कपड़े में भलाई ये है कि इंसान के लिये सतर और ज़ीनत हो। मौसम के मुताबिक़ मुफ़ीद हो। इंसान उसे पहन कर ख़ैर के कामों में मशग़ूल हो तो ये उसकी भलाई है और उसके बर ख़िलाफ़ में उसकी बुराई है। मज़ीद ये भी हो सकता है कि इंसान उसे पहन कर दिखलावा करे और इतराता फिरे, तो और भी बदतर है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

(4021) मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें ईसा बिन यूनुस ने बयान किया बवास्ता जुरैरी के, उन्होंने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالثَّقَفِيُّ سَمَاعُهُمَا وَاحِدٌ .

(4022) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें मुहम्मद बिन दीनार ने बयान किया बवास्ता जुरैरी के उन्होंने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अ़ब्दुल वह्हाब स़क़फ़ी ने अपनी सनद में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। और हम्माद बिन सलमा ने कहा: अ़न अलजुरैरी अ़न अबी अलअ़ला अ़निन्नबी (ﷺ).

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हम्माद बिन सलमा और (अ़ब्दुल वह्हाब) सक़फ़ी दोनों का सिमाअ़ एक जैसा है। (दोनों मुर्सल बयान करते हैं।)

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(4023) जनाब सहल अपने वालिद मुआज़ बिन अनस (ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स खाना खाने के बाद यूँ दुआ करे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हाज़त्तआम व रज़क़नीहि मिन ग़ैरि हौलिम मिन्नी व ला कुव्वतिन) 'हम्द उस अल्लाह की जिसने मुझे ये खाना खिलाया और बग़ैर मेरी किसी कोशिश व क़ूव्वत के मुझे ये रिज़्क़ इनायत फ़रमाया।' तो उसके अगले और पिछले सब गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।' फ़रमाया: 'और जो कोई कपड़ा पहने फिर ये दुआ करे: (अल्हम्दुल्लिाहिल्लज़ी कसानी हाज़स्सौबा व रज़क़नीहि मिन ग़ैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वतिन) 'हम्द उस अल्लाह की जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया और बग़ैर मेरी किसी कोशिश और क़ूव्वत के मुझे ये इनायत फ़रमाया।' तो उसके अगले और पिछले (सब) गुनाह बख़्श दिये जाते हैं।'

حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " .

(4023) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3458, इब्ने माजा, 3285, हाकिम: 4/192, 193.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ हसन दर्जे की है, मगर इसमें (वमा तअख़्ख़र) 'पिछले गुनाह' के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। (अल्लामा अल्बानी) (रह.) **(2)** खाना खा कर और लिबास पहनते हूए ऊपर दी गई दुआओं या दूसरी मसनून दुआयें पढ़ना इन्तेहाई मुस्तहब अमल है। इससे ये नेमतें इंसान के लिये बाबरकत हो जाती हैं और बंदा उनके शर (ख़राबी) से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रहता है। बल्कि मज़ीद इनआमाते रब्बानी का मुस्तहिक़ क़रार पाता है। क्योंकि इरशादे बारी है: 'अगर तुम शुक्र करोगे तो यक़ीनन मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा।' (इब्राहीम: 7)

बाब : 2
नया लिबास पहनने वाले को दुआ देना

﴿2﴾ باب فِيمَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ الأَذَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِكِسْوَةٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ " مَنْ تَرَوْنَ أَحَقَّ بِهَذِهِ " . فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ " ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ " . فَأُتِيَ بِهَا فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ " أَبْلِي وَأَخْلِقِي " . مَرَّتَيْنِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيصَةِ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ وَيَقُولُ " سَنَاهْ سَنَاهْ يَا أُمَّ خَالِدٍ " . وَسَنَاهْ فِي كَلاَمِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ

(4024) हज़रत उम्मे ख़ालिद बिन्ते ख़ालिद बिन सईद बिन आस़ (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास कुछ कपड़े लाये गये, उनमें एक छोटी सी धारीदार ऊनी चादर भी थी। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारा क्या ख़याल है कि इसका ज़्यादा हक़दार कौन है?' तो स़हाबा ख़ामोश रहे। फिर आपने फ़रमाया: 'उम्मे ख़ालिद को मेरे पास लाओ।' उसे लाया गया तो ये आपने उसे औढ़ा दी। फिर फ़रमाया: (अब्ली व अख़्लिक़ी) 'अल्लाह करे तुम इसे ख़ूब पहनो और पुराना करो।' आपने ये दो बार फ़रमाया। और आप (ﷺ) उस चादर की सुर्ख़ या ज़र्द धारियाँ देखने लगे और फ़रमाते जाते थे: (सनाह सनाह उम्मे ख़ालिद) और ये लफ़्ज़ हब्शी ज़बान में 'ख़ूबस़ूरत' के मानी में आता है। (यानी बहुत ख़ूबस़ूरत बहुत ख़ूबस़ूरत है ऐ उम्मे ख़ालिद!)

(4024) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5823

फ़ायदा : (1) नया कपड़ा पहनने वाले को मज़कूरा दुआ देना मसनून और मुस्तहब है। इसमें ज़िम्नन कपड़ा पहनने वाले के लिये स़ेहत व आ़फ़ियत और लम्बी ज़िन्दगी की दुआ है कि वह इससे ख़ूब इस्तेफ़ादा करे यहाँ तक कि वह पुराना हो जाये। रिवायत में मज़कूर स़ेग़े मुअन्नस़ (फ़िमेल) के लिये हैं। मुज़क्कर (मेल) के लिये यूँ भी कहे जा सकते हैं: (अब्लि व अख़्लिक़)

﴿3﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ

बाब : 3
क़मीस़ पहनने का बयान

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصُ .

(4025) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को तमाम कपड़ों में से क़मीस़ ज़्यादा पसन्द थी।

(4025) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1762.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَمِيصٍ .

(4026) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़मीस़ से बढ़ कर और कोई कपड़ा ज़्यादा पसन्द नहीं था।

(4026) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, शोअबुल ईमान, हदीस़: 6241, अलआदाब, हदीस़: 736.

फ़ायदा : इसकी वजह ये मालूम होती है कि चादर ओढ़ने की निस्बत क़मीस़ में पर्दा ज़्यादा होता है और चादर की तरह उसे लपेटने और संभालने का एहतिमाम भी नहीं करना पड़ता। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ كَانَتْ يَدُ كُمِّ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسْغِ .

(4027) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़मीस़ की आस्तीन (आपके) पुंहचे (गट्टे) तक हूआ करती थी।

(4027) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1765.

बाब : 4
क़बा (पहनने) का बयान

﴿4﴾ باب مَا جَاءَ فِي الأَقْبِيَةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، - الْمَعْنَى - أَنَّ اللَّيْثَ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ " خَبَأْتُ هَذَا لَكَ " . قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ - زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ - مَخْرَمَةُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُسَمِّهِ .

(4028) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़बायें तक़सीम कीं मगर मख़रमा को कुछ न दिया। तो मख़रमा ने कहा: ऐ बेटे! चलो हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में चलते हैं। तो मैं उनके साथ चल पड़ा। फिर उन्होंने मुझ से कहा: अंदर जाओ और आप (ﷺ) को बुलाओ। चुनांचे मैंने आपको बुलाया तो आप तशरीफ़ ले आये और आप उन्हीं क़बाओं में से एक औढ़े हूए थे। आपने फ़रमाया: 'ये मैंने तुम्हारे लिये छुपा कर रखी थी।' पस मख़रमा ने उसे देखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मख़रमा राज़ी है।' कुतैबा ने सनद में 'इब्ने अबी मुलैका' कहा और उसका नाम नहीं लिया।

(4028) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2599, व मुस्लिम: 1058.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाब–ए–किराम (ﷺ) की ज़रूरियात और उनका मिज़ाज ख़ूब समझते थे और उनका बख़ूबी ख़्याल रखते थे। आज भी और ता क़यामत तमाम उम्मत के लिये बिलउमूम और मज़हबी व दीनी रहनुमाओं के लिये बिलख़ुसूस अपने रूफ़क़ा–ए–कार के लिये भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ात बेहतरीन नमूना है। इरशादे बारी तआला है: (लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना) (अलअहज़ाब: 21)

बाब : 5
शोहरत वाला लिबास पहनना

﴿5﴾ بابٌ فِي لُبْسِ الشُّهْرَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ يَرْفَعُهُ - قَالَ " مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ " . زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ " ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ "

(4029) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (﵁) से मरफ़ूअन रिवायत है (आप (ﷺ) ने) फ़रमाया: 'जिसने शोहरत वाला लिबास पहना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत के दिन उसे उसी जैसा लिबास पहनायेगा।' अबू अवाना से मज़ीद रिवायत हुआ है: 'फिर उसके लिये उसमें आग भड़केगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3607.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ .

(4030) मुसद्दद ने अबू अवाना से रिवायत किया कि (अल्लाह उसे क़यामत के रोज़) 'ज़िल्लत का लिबास पहनायेगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : 'लिबासे शोहरत' से मुराद ऐसा लिबास है जिसके रंग या मख़्सूस तराशी वग़ैरह की वजह से वह दूसरों से मुनफ़रिद और नुमायाँ नज़र आये, लोग उसको ख़ास नज़रों से देखें और पहनने वाला उसकी वजह से इतराने और तकब्बुर करने लगे। तो ऐसा लिबास 'लिबासे शोहरत' कहलाता है जो किसी मुसलमान को ज़ैब नहीं देता, बिलख़ुसूस जब वह अंग्रेजों का लिबास हो तो उसका इस्तेमाल करना और भी बदतर है, लिहाज़ा इस नियत से इस क़िस्म का लिबास पहनना शरअन नाजायज़ और हराम होगा। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(4031) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﵞ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये जबकि आप बालों की बनी हुई कजावों जैसे नक़्श वाली स्याह रंग की चादर ओढ़े हुए थे।

और हुसैन ने सनद यूँ बयान की (हद्दसना यहया

الله عليه وسلم " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "

बिन ज़करिया) यानी इब्ने अबी ज़ायद की बजाये असल नाम व नसब ज़िक्र किया।

(4031) तख़रीज : मुस्लिम.

फवाइद व मसाइल : ग़ैर मुस्लिमों का लिबास जो उनका मज़हबी और क़ौमी शिआर हो मुसलमानों के लिये उसको इख्तियार करना हराम है इसके अलावा दूसरे मख़सूस आदात का यही हुक्म है ये हदीस इस बात पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि अहले ईमान और अहले इस्लाम किसी भी मामले में काफ़िरों मुश्रिकों मुनाफ़िकों और बिदअती हज़रात की मुशाबहत न करें वह मामला दीन का हो या दुनिया का मगर ये कि इसके सिवा कोई चारा न हो इसी तरह दीन से दूर महज़ दुनिया दार और बेदीन लोगों की मुशाबहत से भी बचना ज़रूरी है इसी में हमारी कामयाबी और नजात है। वल्लाहु आलम।

﴾6﴿ بَابٌ فِي لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ

बाब : 6
ऊन और बालों का लिबास पहनना

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ . وَقَالَ حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا . - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاَءِ الزُّبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَكْسَى أَصْحَابِي

(4032) हज़रत अतिया बिन अब्द सुलमी (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से लिबास माँगा तो आपने मुझे कतान के दो कपड़े इनायत फ़रमाये। फिर मैंने अपने आपको देखा तो मैं अपने साथियों में उम्दा लिबास वाला था।

(4032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/185, मुसनद अश्शामिय्यीन: 2/415, हदीस: 1610.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ .

(4033) जनाब अबू बुर्दा से रिवायत है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा: ऐ बेटे! अगर तुम हमें देखते जबकि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ होते थे और हम पर बारिश हो जाती तो तुम समझते कि हमसे भेड़ों की सी बू आती है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मक़सद है कि ऊन के लिबास की वजह से।

(4033) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2479, इब्ने माजा, हदीस: 3562.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम ऊन का लिबास पहनना जायज़ है, लेकिन अगर नियत ये हो कि लोगों के सामने अपनी 'सूफ़ियत' का इज़हार हो, तो ये दिखावा है और हराम है।

बाब : ...
क़ीमती लिबास पहनना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَلِكَ، ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاَثَةٍ وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا .

(4034) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि शाह ज़ी यज़न (बनू हिम्यर) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में एक हुल्ला (कपड़ों का जोड़ा) हदिया भेजा जो उसने तैंतीस ऊँटों या ऊँटनियों के बदले में ख़रीदा था। पस आप (ﷺ) ने उसे क़बूल फ़रमा लिया।

(4034) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 2497, मुसनद अहमद: 3/221.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए ये सारा वाक़िया ही मश्कूक है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(4035) इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बीस से कुछ ऊपर ऊँटनियाँ देकर एक जोड़ा ख़रीदा और फिर ज़ी यज़न की तरफ़

وسلم اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ قَلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ .

हदिया भेज दिया।

(4035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। ताहम उम्दा और क़ीमती लिबास ... अगर इस्राफ़ की हद तक न पहुँचता हो और दूसरे लोगों पर बड़ाई का इज़हार न हो, तो मुबाह है और बिलख़ुसूस जब अल्लाह की नेमते माल का इज़हार और शुक्र करना मक़सूद हो।

﴿7﴾ باب لِبَاسِ الْغَلِيظِ

बाब : 7
... मोटा लिबास पहनना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - الْمَعْنَى - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ .

(4036) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) के यहां हाज़िर हूआ तो उन्होंने हमें एक मोटा तहबंद दिखाया जैसे कि यमन में बनते हैं और एक ऊनी चादर जिसे 'मुलब्बदा' कहते हैं (बवजह पैवंद लगे होने के या मोटा होने के उसे मुलब्बदा कहा गया है) उन्होंने अल्लाह की क़सम उठाई और कहा: बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात इन दो कपड़ों में हूई थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3108, व मुस्लिम: 2080.

फायदा : मोटे लिबास से तबीअत में कूव्वत व मजबूती और मरदाना सिफ़ात उजागर होती हैं। चुनांचे अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) अपने उम्माल (कारकुनान) को मोटा लिबास पहनने का पाबंद किया करते थे। जबकि बारीक व मुलायम लिबास से तबीअत में नज़ाकत बढ़ती है। ताहम हस्बे अहवाल व मसालेह ऊनी, सूती, मोटा या बारीक लिबास पहनना मुबाह है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ،

(4037) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हरूरिया (ख़ारजियों) का ज़हूर हूआ और मैं हज़रत अली (ﷺ) की ख़िदमत में आया, तो उन्होंने

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - فَقَالَ ائْتِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ . فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ - قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً جَمِيلاً جَهِيرًا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ قَالَ مَا تَعِيبُونَ عَلَيَّ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اسْمُ أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيُّ.

(मुझसे) कहा कि मैं उन लोगों के पास जाऊं। तो मैंने एक ख़ूबसूरत यमनी हुल्ला (जोड़ा) पहना। अबू ज़ुमैल ने कहा: हज़रत इब्ने अ़ब्बास बड़े ख़ूबरू और वजीह (खुबसूरत) जवान थे। इब्ने अ़ब्बास ने बताया कि मैं उन लोगों के पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे मरहबा कहा और बोले ऐ इब्ने अ़ब्बास! ये हुल्ला कैसा है? (यानी आपने इसे क्योंकर ज़ैब तन किया है?) तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझ पर क्या ऐतराज़ करते हो, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन्तेहाई ख़ूबसूरत हुल्ला ज़ैब तन किये देखा है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू ज़ुमैल का नाम सिमाक बिन वलीद हनफ़ी है।

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/179.

फायदा : मस़लिहत के पेशे नज़र उम्दा और क़ीमती लिबास पहनना मुस्तहब है। बशर्ते कि इंसान के ख़ुदराई (घमंड) और तकब्बुर में मुब्तला हो जाने का अन्देशा न हो।

﴾8﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَزِّ

बाब : 8
ख़ज़ का लिबास पहनना

फायदा : ऊन और रेशम से मिलकर बने हुए लिबास को ख़ज़ कहा जाता है। (इब्ने अलअसीर) जबकि अ़ल्लामा मुन्ज़िरी (रह.) का कहना है कि ख़रगोश के बालों से बने लिबास को 'ख़ज़' कहते हैं। और अस़लन ये लफ़्ज़ नर ख़रगोश पर बोला जाता है। कुछ मौक़े पर मुतलक़न रेशम के मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ालिस़ रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है। मख़्लूत और मुरक्क़ब में इख़्तिलाफ़ है, जबकि कई स़हाबा व ताबेईन से मरवी है कि वह हज़रात इस क़िस्म का लिबास इस्तेमाल करते थे। जिन रिवायात में मना का बयान है वह इस मानी में है कि ग़ैर मुस्लिम और बे'दीन लोगों से मुशाबहत न हो। ख़रगोश या इस क़िस्म की दीगर चीज़ों से बने लिबास पहनना जायज़ है। जैसे कि आज कल का मस़नूई रेशम है।

(4038) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द अपने वालिद सअ़द (राज़ी अशतकी) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने बुख़ारा में एक शख़्स को देखा जो अपने सफ़ेद ख़च्चर पर सवार था और उसके सर पर स्याह ख़ज़ की पगड़ी थी। उसने कहा: ये मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहनाई थी। ये लफ़्ज़ उ़स्मान (बिन मुहम्मद अन्माती) के हैं और इसकी रिवायत में 'अख़बरना' के लफ़्ज़ हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3321.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ فَقَالَ كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِهِ .

(4039) अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़नम अशअ़री ने कहा कि मुझे जनाब अबू आ़मिर या अबू मालिक(ﷺ) ने रिवायत किया और अल्लाह की क़सम, क़सम दूसरी बार, उन्होंने मुझ से झूठ नहीं कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'यक़ीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग आयेंगे जो ख़ज़ और रेशम को हलाल समझेंगे।' फिर कुछ बयान किया। इसके बाद फ़रमाया: 'कई इनमें से क़यामत तक के लिये बंदर बना दिये जायेंगे और कई ख़िन्ज़ीर।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अस्हाबे रसूल (ﷺ) में से बीस या ज़्यादा के मुताल्लिक़ मरवी है कि वह ख़ज़ पहनते थे। इनमें हज़रत अनस बिन मालिक और बरा बिन आ़ज़िब (ﷺ) का नाम भी है।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 5590.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ - وَاللَّهِ يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَبَنِي - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ " . وَذَكَرَ كَلاَمًا قَالَ " يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعِشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَكْثَرُ لَبِسُوا الْخَزَّ مِنْهُمْ أَنَسٌ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ .

फवाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में मरवी लफ़्ज़ 'अलख़ज़' ('हा' और 'ज़ा' दोनों मनक़ूत) के तीन मानी हैं जो ऊपर मज़कूर हूए हैं। ख़ालिस रेशम मर्दों के लिये बिलइज्मा हराम है। 'अलख़ज़ वल हरीर' के बीच अत्फ़ तफ़्सीर या नोइयत के मानी में है। मख़्लूत या किसी दूसरी नोइयत का हो तो उससे एहतराज़ अफ़ज़ल है ताकि ग़ैर मुसलमानों और बे'दीन लोगों से मुशाबहत न हो। (2) इस लफ़्ज़ 'अलख़ज़' की एक रिवायत 'अलहिर' भी है यानी 'हा' मकसूर और 'रा' दोनों बिला नुक़्ता इसके मानी हैं: फ़र्ज यानी औरत की शर्मगाह। मफ़हूम ये हूआ कि वह लोग ज़िनाकारी और रेशम के लिबास को हलाल जानेंगे। (3) ऐसे लोगों को 'मस्ख़' किया जाना यानी उनकी शक्लों का बदल दिया जाना अगर हक़ीक़तन हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये कोई मुश्किल नहीं और अगर मअनन मुराद हो तो मौजूदा हालात में अबाहियत पसन्द लोगों में बंदरों और सूवरों की ख़ुसिसीयात मुशाहिदा की जा सकती हैं कि लोग ग़ैर मुस्लिमों की नक़ाली में बेबाक और बे'ग़ैरती और दय्यूसियत में भी कोई आर महसूस नहीं करते। फ़इलल्लाहिल मुश्तकी!

बाब : 9
रेशम पहनने का मसला

﴿9﴾ باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

फायदा : हरीर – रेशम ख़ास क़िस्म का नफ़ीस और नर्म व मुलायम कपड़ा, जिसका तागा एक मख़्सूस कीड़े से हासिल किया जाता है। यही हक़ीक़ी और ख़ालिस रेशम होता है। दीगर सब किस्में इसकी हमशक्ल होती हैं या मसनूई न कि हक़ीक़ी असली रेशम।

(4040) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने देखा कि मस्जिद के दरवाज़े के पास एक धारीदार रेशमी हुल्ला (जोड़ा) फ़रोख़्त किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) अगर आप इसे ख़रीद लें और जुमा के दिन और वफ़ूद के इस्तिक़बाल के मौक़े पर जब वह आपके पास आते हैं, ज़ैब तन फ़रमाया करें (तो बहुत ख़ूब रहे।) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो वह लोग

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी क़िस्म के हुल्ले आ गये तो आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को भी इनमें से एक हुल्ला इनायत फ़रमाया। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे ये अता फ़रमा रहे हैं, हालांकि आपने उतारिद वाले हुल्ले के बारे में ऐसे ऐसे फ़रमाया था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने ये तुम्हें तुम्हारे अपने पहनने के लिये नहीं दिया है।' चुनांचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने उसे अपने मुश्रिक भाई को जो मक्के में था, दे दिया।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़ 3612, मौता: 2/917, 918, व मुस्लिम: 2068.

फवाइद व मसाइल : **(1)** जुमा, ईद, इस्तिक़बाले वफ़ूद और दीगर अहम तक़रीबात (त्यौहार) में उम्दा लिबास पहनना मुस्तहब है। **(2)** अस़ली रेशम मर्दों के लिये हराम है, मस़नूई (बनावटी) हो तो मुबाह है। **(3)** कुफ़्फ़ार का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। **(4)** रेशम और सोना वग़ैरह जो कुछ ऐतबार से हलाल और दूसरे ऐतबार से हराम हैं, इन चीज़ों का हदिये में लेना देना और तिजारत करना हलाल है। **(5)** ग़ैर मुस्लिम रिश्तेदारों से भी सिला रहमी का मामला रखना चाहिए मगर ख़ालिस़ मोहब्बत अहले ईमान ही का हक़ है। **(6)** हज़रत उमर (ﷺ) के उस भाई का नाम उस्मान बिन हकीम आया है जो उनका माँ जाया भाई था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ . وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ وَقَالَ "

(4041) जनाब सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान करते हैं। उन्होंने (हुल्ला सियरा की बजाये) हुल्ला इस्तबरक़ कहा। (इस्तबरक़ मोटे रेशम को कहते हैं।) इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको दीबाज (बारीक रेशम) का एक हुल्ला

تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ " .

भिजवाया और फ़रमाया: 'इसे फ़रोख़्त करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लो।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3054, व मुस्लिम: 3054.

फायदा : रेशम मोटा हो या बारीक सब का हुक्म एक है। और नबी (ﷺ) ने इसे फ़रोख़्त करने का हुक्म इसलिए दिया था कि फ़ी नफ़्सिही वह हलाल था, भले मर्दों के लिये इसका पहनना हराम था। गोया ऐसी चीज़ें जो एक ऐतबार से हलाल और एक ऐतबार से हराम हों उनकी तिजारत जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً .

(4042) अबू उस्मान अन्नहदी से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने उतिया बिन फ़रक़द को लिखा कि नबी (ﷺ) ने रेशम से मना फ़रमाया है मगर ये कि इस इस क़द्र हो यानी दो, तीन, चार उंगली के बराबर।

(4042) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5829, व मुस्लिम: 2069.

फ़ायदा : मर्दों के लिये रेशम में से सिर्फ़ इस क़द्र मुबाह है। लेकिन औरतों के लिये पूरी तरह से हलाल है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَأَتَيْتُهُ فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ " إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا " . وَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

(4043) हज़रत अली (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को धारीदार हुल्ला हदिया दिया गया, जो आपने मुझे भिजवा दिया। मैं उसे पहन कर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो मैंने आपके चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। फिर आपने फ़रमाया: 'मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम ख़ूद इसे पहन लो।' चुनांचे आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने उसे अपने ख़ानदान की औरतों में तक़सीम कर दिया।

(4043) तख़रीज : मुस्लिम: 2071.

बाब : 10
रेशम पहनने की कराहत

﴿10﴾ باب مَنْ كَرِهَهُ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

(4044) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि क़स्सी पहना जाये। (वह रेशम कपड़ा जो मिस्र से मंगवाया जाता था) या ज़ाफ़रानी ज़र्द रंग के कपड़े पहने जायें या सोने की अंगूठी पहनी जाये या रूकूअ की हालत में क़ुर्आन की क़िराअत की जाये।

तख़रीज : मौता: 1/80, व मुस्लिम: 2078.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا قَالَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

(4045) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की और कहा कि आपने रूकूअ और सज्दे में क़िराअते क़ुर्आन से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2832, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا زَادَ وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ .

(4046) इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह ने ये रिवायत बयान की (हज़रत अ़ली ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मना फ़रमाया है) इसमें ये मज़ीद बयान किया: मैं ये नहीं कहता कि तुम लोगों को मना किया है।

(4046) तख़रीज : (सनद स़ही) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 16/114, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन आहादीस़ से हज़रात अ़ली, इब्ने उ़मर, हुज़ैफ़ा, अबू मूसा और इब्ने अज़्ज़ुबैर (ﷺ) और ताबेईन में से हसन बस़री और इब्ने सीरीन वग़ैरह का इस्तेदलाल है कि रेशम और

सोना मर्दों और औरतों सभी के लिये नाजायज़ है। मगर दीगर सही हादीसों की रोशनी में रेशम और सोना औरतों के लिये हलाल और मर्दों के लिये हराम है। (2) ज़ाफ़रान उनका रंग और खुशबू औरतों के लिये मुबाह है लेकिन मर्दों के लिए नहीं। (3) रूकूअ और सज्दा तस्बीह और दुआ का मक़ाम है न कि तिलावते कुर्आन का। मगर ये कि कुर्आनी दुआएँ बनिस्बत दुआ सज्दे में पढ़े, तो जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ، أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ تَذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ .

(4047) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि शाहे रूम ने नबी (ﷺ) को बारीक रेशम का एक चौग़ा हदिया भेजा। आपने उसे पहना। मैं गोया उसकी लहराती आस्तीनों को देख रहा हूं। फिर आपने उसे हज़रत जाफ़र (ﷺ) के यहां भेज दिया। उन्होंने उसे पहना और आपकी ख़िदमत में आये। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने ये तुम्हें तुम्हारे पहनने के लिये नहीं दिया है।' इसे अपने भाई नजाशी के पास भेज दो।' (यानी शाहे हब्शा के यहां भेज दो।)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/229.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ أَرْكَبُ الأُرْجُوَانَ وَلاَ أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ " . قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ . قَالَ وَقَالَ " أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لاَ لَوْنَ لَهُ أَلاَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيحَ لَهُ " . قَالَ سَعِيدٌ أُرَاهُ

(4048) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं सुर्ख़ रंग की अरग़वानी ज़ीन पोश पर सवार नहीं होता, न ज़र्द रंग का लिबास पहनता हूं और न ऐसी क़मीस़ पहनता हूं जिसकी आस्तीन रेशम से काढ़ी गई हों।' हसन बस़री (रह.) ने रिवायत बयान करने के दौरान में अपनी क़मीस़ के दामन की तरफ़ इशारा किया और मज़ीद कहा: 'ख़बरदार! मर्दों की ख़ूशबू (ज़ीनत) में महक होती है रंग नहीं होता और ख़बरदार! औरतों की ख़ूशबू (ज़ीनत) में रंग होता है महक नहीं होती।'

قَالَ إِنَّمَا حَمَلُوا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْتَطَيَّبْ بِمَا شَاءَتْ .

सईद बिन अबी अ़रूबा ने कहा: मोहद्दिसीने किराम औरतों की ख़ुशबू के मुताल्लिक़ मज़कूरा फ़रमान को इस मानी में लेते हैं कि जब वह घर से बाहर निकलें तो ऐसी ख़ुशबू न लगायें जो महक वाली हो (कि दूसरों को उनकी तरफ़ मुतवज्जा करे), लेकिन जब अपने शौहर के पास हो तो जैसी चाहे ख़ुशबू लगा ले।

(4048) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/442, तिर्मिज़ी, हदीस: 2788, हाकिम: 4/191.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है, अलावा इसके मज़कूरा मसाइल दीगर सही रिवायात से भी साबित हैं। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमाना कि 'मैं ये काम नहीं करता हूं' इसमें लतीफ़ अन्दाज़ से उम्मत के लोगों को इन कामों से मुमानिअ़त है जो बिलाशुब्हा अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से मोहब्बत की वजह से उनकी मुख़ालिफ़त का सोच भी नहीं सकते। (3) मर्दों के लिये जायज़ नहीं कि ऐसे पॉवडर और क्रीमें इस्तेमाल करें जो उनके रंग व रूप को निखारने वाली हों। ये सिर्फ़ औरतों के लिये जायज़ हैं। (4) महक वाली ख़ुशबूएँ और इत्र मर्दों के लिये हैं और औरत जब तक घर के अंदर हो शौहर की दिलदारी के लिये इस्तेमाल कर सकती है, बाहर जाना हो तो उसे ख़ूब साफ़ कर ले। (5) इस्लाम अपने मुआशरे में ऐसे किसी अमल की इजाज़त नहीं देता जो बज़ाहिर मामूली ही सही मगर धीरे धीरे बहुत बड़े फ़ितने का बाइस हो सकता हो। बिलख़ुसूस असमत व इफ़्फ़त का बिगाड़ और मुआशरे में फ़साद, अल्लाह की रहमत से दूरी और उसके शदीद इक़ाब का बाइस बनता है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، - يَعْنِي الْهَيْثَمَ بْنَ شَفِيٍّ - قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ، لِي يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِنُصَلِّيَ بِإِيلْيَاءَ

(4049) अबूल हुसैन हैसम बिन शफ़ी का बयान है कि मैं और मेरा एक साथी जिसकी कुनियत अबू आमिर थी और क़बीला मुआफ़िर से ताल्लुक़ रखता था, हम रवाना हुए कि बैतुल मक़्दिस में जाकर नमाज़ पढ़ें। उन दिनों उन लोगों का वाइज़ क़बील–ए–अज़्द का एक आदमी था जिसे अबू रैहाना कहा जाता था और वह सहाबी था। अबूल हुसैन ने कहा कि मेरा साथी मुझसे पहले मस्जिद में चला गया, मैं उसके बाद पहुँचा

وَكَانَ قَاصَّهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدِفْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلَنِي هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ قُلْتُ لاَ . قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَرُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْخَاتَمِ .

और उसके साथ जा बैठा। उसने मुझसे पूछा: क्या तुमने अबू रैहाना के वाज़ से कुछ सुना है? मैंने कहा: नहीं। उसने कहा: मैंने उसे कहते हूए सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दस बातों से मना फ़रमाया है: (1) दाँत बारीक करवाने से (उनमें क़द्रे ख़ला आ जाये और ख़ूबसूरत नज़र आयें) (2) जिस्म गुदवाने से (कि उसमें नक़्श व निगार बनाये जायें या नाम वग़ैरह लिखा जाये) (3) बाल नोचने से (पलकों और चेहरे के कि ख़ूबसूरत नज़र आये) (4) किसी मर्द का किसी दूसरे मर्द के साथ लेटने से जबकि उन्होंने कपड़े न पहने हूए हों। (5) किसी औरत का दूसरी औरत के साथ लेटने से जबकि उन्होंने कपड़े न पहने हों। (6) अजमीयों (ग़ैर मुसलमानों) की तरह कपड़ों के नीचे रेशमी अस्तर लगाने से। (7) या ये कि कोई अजमीयों की तरह अपने कंधों पर रेशमी चादर डाले। (8) लूट मार करने से। (9) चीतों की खाल बतौर गद्दी या सीट इस्तेमाल करने से और (10) अंगूठी पहनने से सिवाए इसके कि कोई मन्सबदार हो। (तो उसके लिये जायज़ है।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ में अंगूठी का ज़िक्र मुन्फ़रिद है।

(4049) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 5094, इब्ने माजा, हदीस़: 3655.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम बयानकर्दा मसाइल दीगर स़ही रिवायात से स़ाबित हैं। और अंगूठी से मुराद वह ख़ास़ मुहर वाली अंगूठी है जो अस्हाबे हुकूमत और मन्सबदार लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के लिये मख़सूस़ होती है। वरना आम अंगूठी पहनना जायज़ है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ .

(4050) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि सुर्ख़ अरग़वानी रंग के ज़ीन पोशों से मना किया गया है।

(4050) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5187, अलबज़्ज़ार: 2/176.

फ़ायदा : चूंकि ये ज़ीन पोश बिलख़ुसूस रेशमी और ख़ालिस सुर्ख़ रंग के होते थे इसलिए ममनूअ हैं।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .

(4051) हज़रत अली (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मना फ़रमाया कि सोने की अंगूठी पहनूँ या क़स्सी (रेशमी) लिबास इख़्तियार करूँ या ज़ीन पोश सुर्ख़ रंग का हो।

(4051) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2808, नसाई, हदीस: 5168–5170.

फ़ायदा : सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत का लाज़मी तक़ाज़ा है कि उनकी सीरते हस्ना की पैरवी की जाये क्योंकि वह हर तरह से रसूलुल्लाह (ﷺ) के पैरवी करने वाले थे।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ " اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلاَتِي وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَانِمٍ .

(4052) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मुनक़्क़श ऊनी चादर में नमाज़ पढ़ी। आपकी नज़र उसके नक़ूश पर पड़ी तो जब नमाज़ से सलाम फेरा तो फ़रमाया: 'मेरी ये मुनक़्क़श चादर अबू जहम के पास ले जाओ, उसने मुझे अभी नमाज़ के दौरान में मशग़ूल कर दिया था मेरे लिये सादा (अनबजानी) चादर ले आओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा, बनू अदी बिन कअब बिन ग़ानिम के फ़र्द थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5817, व मुस्लिम: 556.

फ़ायदा : कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह तआला की इबादत के दौरान में मशग़ूलियत का बाइस़ हो उससे परहेज़ करना लाज़िम है। बिलख़ुसूस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मुनक़्क़श (नक़्शो निगार वाला) लिबास भी हारिज होता था। इसीलिए आपने मुसलमानों को मस्जिदों के सिलसले में हुक्म दिया है कि उनको मुनक़्क़श न बनाया जाये। इसी तरह सूर्ख़ रंग के लिबास से भी बचना चाहिए।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَهُ وَالأَوَّلُ أَشْبَعُ .

(4053) उ़स्मान बिन अबी शैबा और उनके दूसरे साथी बयान करते हैं कि सुफ़ियान ने बवास्ता ज़ोहरी, उ़र्वा से, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (ﷺ) से ऊपर की हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। और ऊपर की हदीस़ ज़्यादा जामेअ़ है।

(4053) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 914 में देखें, बुख़ारी व मुस्लिम.

﴾11﴿
باب الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ وَخَيْطِ الْحَرِيرِ

बाब : 11
कपड़े पर कोई नक़्श हों या रेशम की कढ़ाई हुई हो, तो रूख़स़त है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي السُّوقِ اشْتَرَى ثَوْبًا شَامِيًّا فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا أَحْمَرَ فَرَدَّهُ فَأَتَيْتُ أَسْمَاءَ

(4054) अ़ब्दुल्लाह अबू उ़मर से रिवायत है और ये सय्यदा अस्मा दुख़्तरे अबूबक्र (ﷺ) के ग़ुलाम थे, उन्होंने बयान किया कि मैंने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) को बाज़ार में देखा कि उन्होंने एक शामी कपड़ा ख़रीदना चाहा, फिर देखा कि इसमें सुर्ख़ धागे पड़े हैं तो उन्होंने वापस कर दिया। फिर मैं सय्यदा अस्मा (ﷺ) के पास आया और उन्हें ये वाक़िया बताया तो उन्होंने लौण्डी को

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ .

बुलाया और कहा: मेरे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) का जुब्बा ले आओ। तो वह एक तयालिसा का (मोटा ऊनी) जुब्बा ले आई जिसका दामन, दोनों कफ़ और दोनों तरफ़ के चाक मोटे रेशमी धागे से कढ़े हूए थे।

(4054) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3594, हदीस: 3416 में देखें, मुस्लिम: 2069.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्दा और ख़ूबसूरत लिबास अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हलाल करदा नेमतों में से है। उसे इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि उसकी नेमत का इज़हार और शुक्र अदा हो। **(2)** जायज़ है कि मर्द चार उंगली के बराबर रेशम इस्तेमाल कर ले। **(3)** कपड़ों पर सादा क़िस्म के नक़्श जो ज़्यादा पुरकशिश न हों, जायज़ हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

(4055) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ उसी कपड़े से मना फ़रमाया है जो ख़ालिस रेशमी हो। लेकिन अगर रेशमी धागे से कढ़ाई हूई हो या उसका ताना रेशमी हो तो उसका कोई हर्ज नहीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/218, हदीस: 1028 में देखें, मुसनद अहमद; 1/313.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इसकी आख़री हिस्से 'रेशमी धागे से कढ़ाई हूई हो' से ये साबित होने वाला इस्तेसना सही नहीं।

﴿12﴾ بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ

बाब : 12 किसी उज़्र की वजह से रेशम पहनना

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

(4056) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और ज़ुबैर बिन अव्वाम (ﷺ) को

قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَلِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا .

रेशम की क़मीसें पहनने की इजाज़त दी थी जबकि वह सफ़र में थे और उन्हें ख़ारिश हो गई थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2919, व मुस्लिम: 2076.

फ़ायदा : इस क़िस्म की सूरत में इलाज की ग़र्ज़ से मर्दों के लिये भी रेशम पहनना जायज़ है।

﴾13﴿ بابٌ فِي الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

बाब : 13 औरतों के लिये रेशम पहनना जायज़ है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، - يَعْنِي الْغَافِقِيَّ - أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .

(4057) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने बयान किया कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने रेशम लिया और अपने दायें हाथ में पकड़ा और सोना लिया और अपने बायें हाथ में पकड़ा, फिर फ़रमाया: बिलाशुब्हा ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।'

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 5147, इब्ने माजा, हदीस़: 3595, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1720.

फ़ायदा : ताहम बतौर इलाज इनका इस्तेमाल मुबाह है जैसे कि ऊपर की हदीस़ में रेशम का ज़िक्र हुआ है या उ़मूमी हालात में चार उंगली के बराबर इस्तेमाल किया जा सकता है। और सोने का दाँत लगवाना भी जायज़ है या जैसे कि रिवायात में आता है कि एक आदमी की नाक कट गई थी तो उसे सोने की नाक लगवा लेने की इजाज़त दी गयी। (हदीस़: 4232)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ،

(4058) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने सय्यदा उम्मे कुलसूम दुख़्तरे रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि उन्होंने

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدًا سِيَرَاءَ . قَالَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ .

सियरा की एक चादर ओढ़ी हूई थी। यानी धारीदार रेशमी चादर जिसमें चार ख़ाने से बने हूए थे।

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5299, बुख़ारी, हदीस: 5842.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، - يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ، وَنَتْرُكُهُ، عَلَى الْجَوَارِي . قَالَ مِسْعَرٌ فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ .

(4059) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम लड़कों पर से (रेशम) उतार लिया करते थे और बच्चों पर रहने देते थे। मिस्अर कहते हैं कि मैंने इस रिवायत के बारे में अम्र बिन दीनार से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने ला'इल्मी का इज़हार किया।

(4059) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुलबर, अत्तमहीद: 14/559.

फ़ायदा : बच्चे अपने बचपने की वजह से अगरचे शरई अहकाम के मुकल्लफ़ नहीं होते मगर वालिदैन और सरपरस्त यक़ीनन मुकल्लफ़ होते हैं तो उन्हें चाहिए कि शरई हुदूद का पाबंद होते हूए जहाँ तक हो सके बच्चों से भी अमल करवायें और अल्लाह के यहां अज्र के मुस्तहिक़ बनें।

﴿14﴾ باب فِي لُبْسِ الْحِبَرَةِ

बाब : 14
नक़्शदार कपड़े पहनना

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قُلْنَا لأَنَسٍ - يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ - أَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحِبَرَةُ .

(4060) जनाब क़तादा कहते हैं कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को कौनसा लिबास सबसे ज़्यादा पसन्द था? तो उन्होंने कहा कि नक़्शदार (या धारीदार)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2079, व मुस्लिम.

फ़ायदा : ये (हिबरा) 'धारीदार चादरें 'बिलख़ुसूस यमन में बनती थी। इनकी पसन्दीदगी की वजह ग़ालिबन इनकी मज़बूती और मटियाला रंग होना थी।

बाब : 15
सफ़ेद कपड़ों की फ़ज़ीलत

﴿15﴾ باب فِي الْبَيَاضِ

(4061) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद कपड़े पहना करो, बिलाशुब्हा ये तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर हैं और इन्हीं में अपनी मय्यतों को कफ़न दिया करो। और तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है जो नज़र को तेज़ करता और (पलकों के) बाल उगाता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3878 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ " .

फ़ायदा : मुस्तहब है कि इंसान सफ़ेद कपड़े पहना करे और मय्यत को भी सफ़ेद कफ़न दिया जाये।

बाब : 16
पुराने (मैले कुचैले और घटीया) कपड़े पहनने (की कराहत) और कपड़े धोने का बयान

﴿16﴾
باب فِي غَسْلِ الثَّوْبِ وَفِي الْخُلْقَانِ

(4062) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां तशरीफ़ लाये। आपने एक आदमी को देखा कि उसके बाल बिखरे बिखरे से थे।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، نَحْوَهُ عَنْ حَسَّانَ

بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ " أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ " . وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ " أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ " .

आपने फ़रमाया: 'क्या इसे कोई चीज़ नहीं मिलती कि उससे अपने बालों को संवार ले?' और आपने एक दूसरे आदमी को देखा जिसके कपड़े मैले हो रहे थे। आपने फ़रमाया: 'क्या इसे कोई चीज़ नहीं मिलती कि उससे अपने कपड़े धो ले?'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5238.

फ़ायदा : लाज़िम है कि मुसलमान अपने जिस्म और अपने लिबास की सफ़ाई सुत्थराई का ख़्याल रखा करे। मैला कुचैला रहना और बालों को न संवारना पारसाई है न सादगी बल्कि जहालत और ग़फ़लत की अलामत है जो किसी बावक़ार मुसलमान के लायक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई साफ़ सुथरा दीन है और अपने पैरोकारों से भी सफ़ाई का तक़ाज़ा करता है, नीज़ अल्लाह तआला ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती ही को पसन्द फ़रमाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व जमील है और जमाल यानी हुस्न व ख़ूबसूरती को पसंद फ़रमाता है।' (मुसनद अहमद: 4/133, 134)

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ " أَلَكَ مَالٌ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مِنْ أَىِّ الْمَالِ " . قَالَ قَدْ أَتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . قَالَ " فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ " .

(4063) जनाब अबूल अहवस (औफ़) अपने वालिद (मालिक बिन नज़ला) (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और मैंने घटिया कपड़े पहने हूए थे। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास माल है?' मैंने कहा: हाँ। आपने पूछा किस क़िस्म का? मैंने अ़र्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे ऊँट, बकरियाँ, घोड़े और ग़ुलाम हर तरह का माल इनायत फ़रमाया हूआ है। आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो उसकी नेमत और एहसान का असर तुझ पर नज़र आना चाहिए।'

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5226.

फ़ायदा : मुस्तहब है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक़ मुनासिब लिबास वग़ैरह इस्तेमाल करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, मगर लाज़िम है कि बहुत ज़्यादा मालदारी का इज़हार भी न हो क्योंकि इस तरह दीगर मुसलमानों में हसरत और महरूमी के जज़्बात पैदा हो सकते हैं जो नापसन्दीदा काम है।

﴾17﴿ بَابٌ فِي الْمَصْبُوغِ بِالصُّفْرَةِ

बाब : 17 ज़र्द रंग के कपड़े पहनना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ

(4064) जनाब ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) अपनी दाढ़ी ज़र्द रंग से रंगा करते थे यहां तक कि उनके कपड़े भी इस रंग से भर जाते थे। उनसे कहा गया कि आप ज़र्द रंग से क्यों रंगते हैं? उन्होंने कहा: तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि वह इसी से (अपने बाल या कपड़े) रंगते थे और उन्हें इससे बढ़कर और कोई रंग ज़्यादा प्यारा न था और वह अपने सब कपड़े इसी से रंगते थे यहाँ तक कि पगड़ी भी।

(4064) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5088.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहां ज़र्द रंग से मुराद 'वर्स' है। ये ज़र्द रंग की घास होती है जो क़द्रे जाफ़रान से मिलती–जुलती होती है। **(2)** सहाबा किराम (ﷺ) नबी (ﷺ) की इक़्तेदा पसन्द करते थे और मुहिब्बाने रसूल को ऐसे ही होना चाहिए। मगर सूरते हाल अब बहुत बिगड़ती जा रही है कि लोग फ़राइज़ और वाजिबाते शरइया (वाजिब चीज़ो) की कोई परवा नहीं करते। वला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाहि!

बाब : 18
ज़र्द रंग के कपड़े पहनना

﴾18﴿ باب فِي الْخُضْرَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ - حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْنِ .

(4065) हज़रत अबू रिम्सा (रिफ़ाआ बिन यस्रिबी) (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ नबी (ﷺ) के यहां गया तो मैंने आप पर सब्ज़ रंग की धारीदार दो चादरें देखीं।

(4065) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1573, तिर्मिज़ी, हदीस: 2812, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1522, इब्ने जारूद, हदीस: 770.

फ़ायदा : सब्ज़ रंग एक पसन्दीदा रंग है। कुर्आन मजीद ने अहले जन्नत के रेशम के सब्ज़ लिबास का ज़िक्र फ़रमाया है: 'उनकी ऊपर की पोशाक बारीक सब्ज़ रेशम और मोटे रेशम की होगी।' (अद्दहर: 21) मगर सब्ज़ या किसी और रंग को बतौर शेआर व अलामत हमेशा के लिये इख़्तियार कर लेना क़तअन सही नहीं। सिर्फ़ सफ़ेद रंग की तर्ग़ीब साबित है।

बाब : 19
सुर्ख़ (लाल) रंग का बयान

﴾19﴿ باب فِي الْحُمْرَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَنِيَّةٍ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَعَلَىَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ

(4066) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस़) (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक घाटी से नीचे उतरे। आप मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए तो देखा कि मैंने एक इकहरी चादर ली हूई थी जो हल्के ज़र्द रंग से रंगी हूई थी। आपने पूछा: 'तुमने ये कैसी चादर अपने ऊपर ली हूई है?' मैं आपकी नापसन्दीदगी की वजह

فَقَالَ " مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ " . فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ " . فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ".

समझ गया। फिर मैं अपने घर वालों के पास आया और वह अपना तन्नूर (चुल्हा) दहका रहे थे तो मैंने उस चादर को उसमें दे मारा। फिर मैं अगले दिन आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अ़ब्दुल्लाह! उस चादर का क्या हूआ?' मैंने आपको बतलाया तो आपने फ़रमाया: 'तूने उसे अपने घर वालों में से किसी को क्यों न दे दिया? औरतों को तो उसमें कोई हर्ज नहीं।'

(4066) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 708, बैहक़ी, हदीस़: 6323, इब्ने माजा, हदीस़: 3603.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ الْغَازِ - الْمُضَرَّجَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُشَبَّعَةٍ وَلاَ الْمُوَرَّدَةُ

(4067) हिशाम बिन अलग़ाज़ ने वज़ाहत की (अलमुज़र्रजा) से मुराद ये है कि वह चादर न बहुत सुर्ख़ रंग की थी और न गुलाबी।

(4067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ شُفْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ أُرَاهُ - وَعَلَىَّ ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُوَرَّدٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَانْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ " . فَقُلْتُ أَحْرَقْتُهُ . قَالَ " أَفَلاَ كَسَوْتَهُ بَعْضَ أَهْلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ

(4068) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स़ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे देखा बलफ़्ज़े अबू अ़ली अल लूलूई मेरा ख़याल है कि मुझ पर कुसुम के रंग का गुलाबी कपड़ा था। आपने फ़रमाया: 'ये क्या है?' तो मैं चला गया और उसे जला डाला, तो नबी (ﷺ) ने पूछा: 'तुमने अपने कपड़े का क्या किया?' मैंने कहा: मैंने उसे जला डाला है। आपने फ़रमाया: 'वह तूने अपने घर वालों में से किसी को क्यों न पहना दिया?'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायत को स़ौर ने ख़ालिद से रिवायत किया तो (मुवर्रद)

خَالِدٍ فَقَالَ مُوَرَّدٌ وَطَاوُسٌ قَالَ مُعَصْفَرٌ .

कहा। (गुलाबी सी रंग की चादर थी।) और ताऊस ने (मुअ़सफ़र) कहा है (कुसुम के रंग से रंगी हूई थी।)

(4068) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : ज़ाफ़रानी और उ़स्फ़ुर का रंग औरतों की ज़ीनत का हिस्सा है, इसलिए मर्दों को जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَابَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ - حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ .

(4069) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास से गुज़रा जिस पर सुर्ख़ रंग के दो कपड़े थे, उसने आपको सलाम किया मगर आपने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2807.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम ये वाज़ेह है कि अगर कोई शख़्स किसी शरई मुख़ालिफ़त का मुर्तकिब हो रहा हो तो ज़बानी नसीहत के अ़लावा एक अन्दाज़ ये भी है कि उसके सलाम का जवाब न दिया जाये ताकि उसे ख़ूब नसीहत हो और वह अपने ग़लत अ़मल से बाज़ आ जाये जैसा कि ग़ज़्व–ए–तबूक से अ़मदन (जानबुझकर) पीछे रह जाने वालों के साथ किया गया था।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ " . فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الأَكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا

(4070) हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रवाना हूए। आपने हमारी सवारियों और ऊँटनियों पर ज़ीन पोश देखे जिनमें सुर्ख़ रंग की ऊन के धागे थे। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं नहीं देख रहा कि ये सुर्ख़ रंग तुम पर ग़ालिब आ रहा है?' चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस फ़रमान पर हम इस क़द्र जल्दी से उठे कि उससे हमारे कुछ ऊँट भी भाग खड़े हूए और हमने अपनी वह चादरें उनसे उतार लीं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/46.

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ - يَعْنِي ابْنَ زُرْعَةَ - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ الأَبَحِّ السَّلِيحِيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ عَلِمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَرِهَ مَا فَعَلَتْ فَأَخَذَتْ فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ فَاطَّلَعَ فَلَمَّا لَمْ يَرَ شَيْئًا دَخَلَ .

(4071) बनू असद की एक ख़ातून का बयान है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ौजा मुहतरमा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ज़ैनब (رضي الله عنها) के यहां थी और हम गेरू (एक किस्म की रंगने वाली चीज़) के साथ उनके कपड़े रंग रहे थे। हम ये काम कर रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये। जब आपने गेरू देखा तो लौट गये। सय्यदा ज़ैनब (رضي الله عنها) ने ये बात देखी तो जान गयीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये काम पसन्द नहीं आया है तो उन्होंने कपड़ों को धो डाला और सब सुर्ख़ी को छुपा दिया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और अंदर झाँका, पस जब आपने कुछ न देखा तो अंदर आ गये।

(4071) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

﴿20﴾ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब : 20
सुर्ख़ (लाल) रंग की रूख़सत का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ

(4072) हज़रत बरा बिन आज़िब (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल आपके कानों की लौ तक आते थे। और मैंने आपको देखा कि आप सुर्ख़ रंग का जोड़ा पहने हूए थे। इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत मन्ज़र मैंने कभी नहीं देखा।

حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ .

(4072) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3551, व मुस्लिम: 2337, हदीस: 4183 में देखें।

फ़ायदा : नीचे आने वाली हदीस में वज़ाहत है कि आपका ये सुर्ख़ जोड़ा ख़ालिस सुर्ख़ रंग का नहीं था बल्कि उसमें सुर्ख़ रंग की धारियाँ थीं जिसे 'बर्द' कहा जाता है। अल्लामा इब्ने अलक़य्यिम (रह.) ने ज़ादुल मआद में इसकी यही तौजीह पेश की है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ - رضى الله عنه - أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ .

(4073) जनाब हिलाल बिन आमिर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने नबी (ﷺ) को मिना में देखा, जब कि आप अपने ख़च्चर पर से ख़ुत्बा दे रहे थे और आपने सुर्ख़ रंग की धारीदार चादर ली हुई थी। हज़रत अली (رضي الله عنه) आपके आगे थे जो आपकी बात लोगों तक पहुँचा रहे थे।

(4073) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1956 में देखें, मुसनद अहमद, 3/477.

﴿21﴾ بَابٌ فِي السَّوَادِ

बाब : 21
स्याह (काले) रंग के लिबास का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ .

(4074) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि मैंने नबी (ﷺ) के लिये एक चादर को स्याह रंग से रंग दिया, आपने उसे पहना, मगर जब उसमें पसीना आया तो आपने उसमें ऊन की बू महसूस की तो उतार फैंका। रावी ने कहा कि आप (ﷺ) को उम्दा ख़ूशबू ही पसन्द आती थी।

(4074) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/132, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9661.

बाब : 22
कपड़े की किनारी का मसला

﴿22﴾ بَابٌ فِي الْهُدْبِ

(4075) हज़रत जाबिर बिन सुलैम (ﷺ) से मरवी है कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप घुटनों को उठाये कपड़ा लपेटे बैठे थे और शमले (चादर) की किनारी आपके क़दमों पर पड़ रही थी।

(4075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/236, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9691.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ وَقَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम कपड़े के किनारों में अगर कुछ धागे बतौर ज़ीनत के बढ़ाये गये हों और उन्हें ख़ास अन्दाज़ में टाँका गया हो तो उसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं है।

बाब : 23
पगड़ी बाँधने का बयान

﴿23﴾ بَابٌ فِي الْعَمَائِمِ

(4076) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल नबी (ﷺ) मक्के में दाख़िल हूए तो आप पर काले रंग की पगड़ी थी।

(4076) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1735, मुस्लिम: 1358.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(4077) जनाब जाफ़र बिन अम्र बिन हुरैस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर देखा, आप पर स्याह पगड़ी थी, उसके

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى

اللہ علیہ وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

किनारे को आपने अपने कंधों के दरम्यान लटकाया हूआ था।

(4077) तख़रीज : मुस्लिम: 1359.

फ़ायदा : पगड़ी का इस्तेमाल मुस्तहब है। प्राचीनकाल से शुरफ़ा (शरीफ़ लोग) पगड़ी बाँधते आये हैं, यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि फ़रिश्तों को भी पगड़ी बाँधे देखा गया था। (मुस्तदरक हाकिम: 3/361) इसकी सूरतें मुख़्तलिफ़ हो सकती हैं। नीज़ स्याह रंग के लिबास में भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन माहे मुहर्रम में और किसी मुसीबत के वक़्त में स्याह रंग का लिबास पहनने से परहेज़ करना ज़रूरी है क्योंकि स्याह रंग और स्याह लिबास को सोग के इज़हार की अलामत बना लिया गया है, जैसा कि कुछ लोग अशरा–ए–मुहर्रम में ऐसा करते हैं, जब कि इज़हारे सोग के इस तरीक़े या अलामत की कोई शरई बुनियाद नहीं है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُكَانَةَ، صَارَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ " .

(4078) अबू जाफ़र बिन मुहम्मद बिन अली बिन रूकाना अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रूकाना ने नबी (ﷺ) से कुश्ती की थी तो नबी (ﷺ) ने उसको पछाड़ दिया था। रूकाना ने कहा: मैंने नबी (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: हमारे और मुश्रिकीन के दरम्यान टोपियों पर पगड़ियाँ बाँधने का फ़र्क़ है।'

(4078) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1784.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرَّبُوذَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ عَمَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي .

(4079) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे पगड़ी बाँधी और उसके किनारों को मेरे आगे की तरफ़ और पीछे की जानिब लटका दिया।

(4079) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6253.

बाब : 24
कपड़े में पूरे तौर पर लिपट जाना (जायज़ नहीं)

﴿24﴾
بَابٌ فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ.

(4080) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो अंदाज़ से कपड़ा लपेटने से मना फ़रमाया है। एक ये कि आदमी कपड़ा इस तरह लपेटे कि उसकी शर्मगाह आसमान की जानिब खुली रहे। दूसरा यूँ कि कपड़ा लपेटे और उसका एक किनारा बाहर निकाल कर अपने कंधे पर डाल ले।

(4080) तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 2/380, हदीस: 3377 में देखें, व मुस्लिम: 1511.

फ़ायदा : इन सूरतों के नाजायज़ और हराम होने की वजह बेपर्दगी है। दूसरी सूरत की एक तौजीह ये हो सकती है कि कुछ औक़ात मुतकब्बिर क़िस्म के लोग अपनी चादरों के किनारे अपने कंधों पर डाल कर इतराते हुए चलते हैं तो उनकी मुशाबहत से मना किया गया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

(4081) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मनक़ूल है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सम्मा के तौर पर कपड़ा लपेटने से मना किया है। (यानी इंसान पूरी तरह से उसमें लिपट जाये और हाथ पाँव कुछ भी बाहर न हो) और एक कपड़े को अपनी कमर और घुटनों पर लपेटने से भी मना किया है।

(4081) तख़रीज : मुस्लिम: 2099.

बाब : 25
क़मीस़ के बटन खूले रखना

﴿25﴾ باب فِي حَلِّ الأَزْرَارِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ ابْنُ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلٍ الْجُعْفِيُّ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ - قَالَ - فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ أَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ . قَالَ عُرْوَةُ فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلاَ ابْنَهُ قَطُّ إِلاَّ مُطْلِقِي أَزْرَارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلاَ حَرٍّ وَلاَ يُزَرِّرَانِ أَزْرَارَهُمَا أَبَدًا .

(4082) जनाब मुआविया बिन क़ुर्रा अपने वालिद से बयान करते हैं, वह कहते हैं कि मैं क़बील–ए–मुज़ैना की जमाअत के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ था। हमने आपके साथ बैत की जबकि आपकी क़मीस़ की घुन्डियाँ (बटन) खुली हूई थीं। कहते हैं कि हमने भी आपसे बैत की। फिर मैंने अपना हाथ आपकी क़मीस़ के दामन में डाल दिया और मुहरे नबवत को छूआ। उ़र्वा कहते हैं कि बाद में मैंने मुआविया और उनके स़ाहिबज़ादे को जब भी देखा सर्दी होती या गर्मी उनकी क़मीस़ों की घुन्डियाँ (बटन) खुली होती थीं और वह उन्हें कभी बंद न करते थे।

तख़रीज : (सनद स़ह़ी) इब्ने माजा, हदीस़: 3578, तिर्मिज़ी, हदीस़: 59, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 100.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बटन खुले रखना अगर बतौर तवाज़ो और इत्तेबा–ए–नबी (ﷺ) हो तो मुस्तहब और बाइस़े अज्र है। मगर हमारे यहां कुछ इलाक़ों में ये अ़मल बतौर तकब्बूर (घमंड) भी होता है जिसमें ये लोग अपना गिरैबान भी खुला रखते हैं, लिहाज़ा उनकी मुशाबहत से बचना ज़रूरी है। **(2)** स़हाब–ए–किराम (رضی اللہ عنہم) और नबी (ﷺ) की आ़दात को भी अपने अ़मल का हिस्स़ा बना लेते थे जो यक़ीनन मोहब्बत का इज़हार होता था।

बाब : 26
सर और कुछ चेहरा ढाँपने (डहाटा बाँधने) का बयान

﴿26﴾ باب فِي التَّقَنُّعِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ .

(4083) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि (मक्का के दिनों का ज़िक्र है) ऐन दोपहर के वक़्त हम अपने घर में बैठे हूए थे कि किसी ने हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से कहा: ये सर और चेहरा ढाँपे (डहाटा बाँधे) रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ला रहे हैं और ऐसे वक़्त में आ रहे हैं जो आपका मामूल नहीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और अंदर आने की इजाज़त चाही, आपको इजाज़त दी गई तो आप अंदर आ गये।

(4083) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/198, बुख़ारी, हदीस़: 5807.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया सफ़रे हिजरत की तैयारी के दिनों का है। **(2)** मर्द के लिये मुबाह है कि मौसम या अहवाल की मुनासिबत से सर और चेहरा ढाँप ले तो कोई हर्ज नहीं। कभी हया से भी ऐसा हो सकता है। **(3)** दूसरे के घर में ख़्वाह वह कितना ही क़रीबी क्यों न हो इजाज़त लेकर अंदर जाना चाहिए।

बाब : 27
तहबन्द, स़लवार और पैंट वग़ैरह का टख़ने से नीचे लटकाना (नाजायज़ है)

﴿27﴾
باب مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الإِزَارِ

(4084) हज़रत अबू जुरय जाबिर बिन सुलैम(ﷺ) कहते हैं कि मैंने एक शख़्स को देखा कि लोग उसकी बात ख़ूब सुनते और मानते थे। वह जो भी कहता उसे क़बूल करते थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये अल्लाह के रसूल (ﷺ) हैं। मैं भी हाज़िर हो गया और कहा (अलैकस्सलामु या रसूलल्लाह (ﷺ) 'आप पर सलामती हो ऐ अल्लाह के रसूल!' मैंने ये दो बार कहा: आपने फ़रमाया: (ये लफ़्ज़) (अलैकस्सलामु) मत कहो। ये मय्यत का तहिया और सलाम है। बल्कि यूँ कहो: (अस्सलामुअलैक)' मैंने कहा: (क्या) आप अल्लाह के रसूल हैं? आपने फ़रमाया: 'मैं उस अल्लाह का भेजा हूआ हूं कि जब तुम्हें कोई दुख पहुँचे और तुम उसे पुकारो, तो वह उसे तुमसे दूर कर दे, अगर तुम्हें ख़ुश्क साली का सामना हो, तुम उससे दुआ करो तो वह तुम्हारी खेतियाँ उगा दे। जब तुम किसी स़हरा या वीरान और बन्जर ज़मीन में हो और तुम्हारी सवारी गुम हो जाये और तुम उसे पुकारो तो वह उसे तुम्हें वापस लौटा दे।'

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي غِفَارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، - وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ - عَنْ أَبِي جُرَىٍّ، جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لاَ يَقُولُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ . قَالَ " لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ . فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ " . قَالَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ

رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ " . قُلْتُ اعْهَدْ إِلَيَّ . قَالَ " لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا " . قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً . قَالَ " وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ " .

मैंने अ़र्ज़ किया कि मुझे कोई वसीयत फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'किसी को गाली न देना।' कहते हैं कि इसके बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी किसी आज़ाद को न ग़ुलाम को, ऊँट को न बकरी को। आपने फ़रमाया: 'किसी नेकी को हक़ीर मत जानना, अपने भाई से बात करो तो खुले चेहरे से बात किया करो बिलाशुब्हा ये नेकी है, और अपनी चादर आधी पिण्डली तक ऊँची रखा करो, और अगर न कर सको तो टख़नों तक कर सकते हो। (टख़नों से नीचे) चादर लटकाने से बचना। बेशक ये तकब्बुर है और अल्लाह तआ़ला तकब्बुर को पसन्द नहीं करता। और अगर कोई शख़्स तुम्हें बुरा भला कहे और तुम्हें तुम्हारी किसी बात पर जो वह जानता हो आ़र दिलाये तो तुम उसके ऐ़ब पर जो उसमें हो उसे आ़र मत दिलाना, बिलाशुब्हा उसका वबाल उसी पर होगा।'

(4084) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2722, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 10149–10156, फ़तहुल बारी: 11/5, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह के रसूल (ﷺ) का मक़ाम व मन्स़ब स़हाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) ख़ूब जानते और पहचानते थे कि आप जो फ़रमायें उसे सुना और माना जाये। और अब भी यही है कि हर स़ाहिबे ईमान को रसूलुल्लाह (ﷺ) का जो भी फ़रमान मालूम हो जाये उसको अपने अ़मल में लाने की पूरी कोशिश करे। **(2)** सुन्नत ये है कि क़ब्रिस्तान में जाते हूए कब्र वालों को (अस्सलामुअ़लैकुम या अहलल क़ुबूर) कहा जाये। हदीस़ में जो मज़कूर हूआ है वह शायद ज़माने जाहिलीयत का अन्दाज़ था कि वह (अ़लैक अस्सलाम) कहते थे। **(3)** मुसलमान को अपनी हर छोटी बड़ी और ज़ाहिरी बातिनी हाजत के लिये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी चाहिए कि वही सुनने और क़बूल करने वाला है। **(4)** किसी स़ाहिबे ईमान को ज़ैब नहीं देता कि किसी चीज़ को गाली दे। **(5)**

किसी भी नेकी को कभी हक़ीर और मामूली नहीं जानना चाहिए। (6) अपने मुसलमान भाईयों से हमेशा हँसी ख़ूशी, कुशादा दिली और ख़न्दा पेशानी से मिलना चाहिए। (7) मर्द को चाहिए कि अपने लिबास में मर्दाना सिफ़ात का इज़हार करे जिनमें से एक ये है कि तहबंद और सलवार वग़ैरह टख़नों से ऊँची हो। (8) चादर सलवार का टख़नों से नीचे होना तकब्बुर की पहचान है या औरतों की। और अगर कोई ये कहे कि मैं तकब्बुर से ऐसे नहीं करता हूं तो उसका ये कहना ही तकब्बुर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सरीह फ़रमान को अपने अमल में लाने की बजाये बे मतलब का उज़्र करता है। (9) इस क़िस्म के बज़ाहिर आम और छोटे आमाल पर इख़्लास से अमल करना दलील है कि ये शख़्स साहिबे ईमान है अगर चे ये आमाल छोटे नहीं हैं क्योंकि इनकी बरकत से दीगर बड़े फ़ज़ाइल हासिल होने की उम्मीद होती है और जो इन पर अमल नहीं करता उससे क्या तवक़्क़ोअ रखी जाये कि वह बड़ी भारी नेकियाँ कमा लेगा। (10) अपने मुसलमान भाई को उसके ऐब पर आर न दिलाना, बहुत बड़ी अज़ीमत (धेर्य) का काम है। अलबत्ता किसी मुनासिब भले अन्दाज़ से नसीहत ज़रूर करे।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ جَانِبَىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لأَتَعَاهَدُ ذَلِكَ مِنْهُ . قَالَ " لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ" .

(4085) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) ने कहा कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाया, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' तो हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मेरे तहबंद का एक पल्लू ढीला हो जाता और लटक जाता है और मैं उसका ख़्याल भी बहुत रखता हूं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उनमें से नहीं हो जो तकब्बुर से ऐसा करते हों।'

(4085) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5784.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैठे बैठे या काम काज में तहबंद या सलवार वग़ैरह का ढीला हो जाना और टख़नों से नीचे चले जाना उस तकब्बुर में शुमार नहीं जिसका ज़िक्र ऊपर की हदीस में हूआ है। (2) सहाब–ए–किराम (ﷺ) तालीमाते नबविया की रोशनी में इन्तेहाई हस्सास थे कि किसी भी वक़्त उनसे कोई मुख़ालिफ़त न होने पाये। इसी वजह से हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने वज़ाहत चाही थी। इससे उन्हें और दीगर आम मुसलमानों के लिये राहत हो गयी और शिद्दत न रही। मगर आख़री जुम्ले को अपने लिये दलील समझ लेना किसी तरह जायज़ नहीं जैसा कि ऊपर वज़ाहत गुज़री है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ " إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ " .

(4086) हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से मनक़ूल है कि इत्तेफ़ाक़ से एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था और उसका तहबंद टख़नों से नीचे लटक रहा था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'जाओ और वज़ू करो।' चुनांचे वह गया और वुज़ू करके आया। फिर आया तो आपने फ़रमाया: 'जाओ और वज़ू करो।' तो एक आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह थी कि आपने उसको वुज़ू करने का हुक्म दिया फिर आप ख़ामोश हो रहे? आपने फ़रमाया: 'ये शख़्स तहबंद लटकाये नमाज़ पढ़ रहा था और अल्लाह तआला (टख़ने से नीचे कपड़ा) लटकाने वाले (मर्द) की नमाज़ क़बूल नहीं करता।'

(4086) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 638 में देखें, बैहक़ी, हदीस़:-6121.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नववी (रह.) ने रियाज़ुस्सालेहीन में इस हदीस़ को स़ही मुस्लिम की शर्त पर स़ही कहा है। **(2)** मर्दों के लिये तहबंद और स़लवार का लटकाना बहुत क़बीह और गुनाह का काम है जो उनकी इबादत की क़बूलियत पर अस़र अंदाज़ हो जाता है। नमाज़ में और नमाज़ के अ़लावा हर हाल में इससे बचना वाजिब है। (तफ़्स़ील के लिये देखिये: साबिक़ा हदीस़: 638 के फ़वाइद व मसाइल) और औ़रतों को नमाज़ में पाँव ढाँपना लाज़िम है (देखिये: साबिक़ा अहादीस़: 1639 और 640) और जब ग़ैर महरम की नज़र पड़ती हो तो उसका एहतिमाम और भी ज़्यादा ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

(4087) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन क़िस्म के अफ़राद से क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनकी तरफ़ देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ

الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " . قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا أَعَادَهَا ثَلاَثًا . قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ " الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " . أَوِ " الْفَاجِرِ " .

अल्लाह के रसूल! (ﷺ) वह कौन होंगे, बहुत घाटे और ख़सारे में पड़े ये लोग? आपने अपनी बात तीन बार दोहराई। मैंने अ़र्ज़ किया: वह कौन लोग हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! वह बहुत घाटे और ख़सारे में पड़े? आपने फ़रमाया: 'कपड़ा लटकाने वाला (मर्द जो टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाये) एहसान करके जतलाने वाला और वह जो झूठी क़सम से अपना माल बेचें।'

फ़ायदा : एहसान करके एहसान जतलाना, झूठी क़सम से माल बेचना और मर्दों के लिये टख़नों से नीचे कपड़ा लटकाना हराम और कबीरा गुनाह हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ " الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ " .

(4088) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये रिवायत बयान की। और ऊपर की हदीस़ रिवायत ज़्यादा कामिल है। कहा कि (अलमन्नान) से मुराद ऐसा आदमी है जो जब भी कोई चीज़ दे तो एहसान जतलाये।

तख़रीज : मुस्लिम, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : (मन्नान) के दो मानी हो सकते हैं। अगर ये (अलमिन्ना) से माख़ूज़ हो तो इसका मफ़हूम है 'एहसान जतलाने वाला, और मारूफ़ है (अलमिन्नतु तहदिमुस्सनीअ़ता) 'एहसान जतलाना नेकी को ज़ाया कर देता है' और सदक़ात में इससे अज्र ज़ाया हो जाता है। और अगर उसका माद्दा (अलमन्ना) हो तो उसका मफ़हूम 'कमी करना' है जैसे कि आयते करीमा में है: 'आपके लिये बहुत बड़ा अज्र है जिसमें कोई कमी नहीं।' (अलक़लम: 3) और (मन्नान) ऐसा आदमी जो हक़ की अदायगी में कमी करे और नाप तोल में ख़्यानत करे। (मआ़लिमुस सुनन व औ़नुल माबूद)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ

(4089) क़ैस बिन बिश्र तग़लिबी ने कहा मुझे मेरे वालिद ने बयान किया, और वह हज़रत अबूद्दरदा(ﷺ) के पास बैठा करते थे। बयान किया कि दमिश्क़ में नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक साहब होते थे जिन्हें इब्ने हन्ज़ला कहा जाता था। वह तन्हाई पसन्द

التَّغْلِبِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، - وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي الدَّرْدَاءِ - قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ فَطَعَنَ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرُ فَقَالَ مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

आदमी थे, लोगों के साथ बहुत कम बैठते थे। या तो नमाज़ पढ़ते होते या जब फ़ारिग़ हो जाते तो तस्बीह व तकबीर में मशग़ूल रहते और फिर अपने घर वालों के पास चले जाते। वह हमारे पास से गुज़रे जबकि हम हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) के पास बैठे हूए थे। तो अबूद्दरदा (ﷺ) ने उनसे कहा: कोई एक बात बयान कर दीजिए जिसमें हमारा फ़ायदा हो जाये, उसमें आपका कोई नुक़सान नहीं। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक जमाअत को भेजा। जब वह वापस आई तो उनमें से एक आदमी उस मज्लिस में आ गया जहां रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ रखते थे। तो उसने अपने पहलू में बैठे हूए आदमी से कहा: काश कि तुम हमें देखते जब हम दुशमन से भिड़ गये थे और फ़लां ने नेज़ा मारा और कहा: लो ये मुझ से और मैं ग़िफ़ारी जवान हूं! तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? साथ वाले ने कहा: मैं तो समझता हूं कि इसका अज्र ज़ाया हो गया। ये बात दूसरे ने सुनी तो कहा: मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। उन दोनों की तकरार होने लगी यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुन लिया तो फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! कोई हर्ज की बात नहीं कि उसे अज्र व सवाब मिले और उसकी तारीफ़ भी हो।' तो मैंने हज़रत अबूद्दरदा (ﷺ) को देखा कि इस बयान से वह बहुत ख़ूश हूए। चुनांचे वह अपना सर उठाते और पूछते थे: क्या भला ये फ़रमान आपने ख़ूद

الله عليه وسلم فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ " . فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُ نَعَمْ . فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . قَالَ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِضُهَا " . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ . قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَدِيُّ لَوْلاَ طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ . ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو

रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था? तो वह कहते कि हाँ। और ये बात उन्होंने उनसे बार बार पूछी। (इस दौरान में वह उनके क़रीब भी होते जा रहे थे) यहाँ तक कि मैं समझा कि शायद ये उनके घुटनों पर बैठ जायेंगे। वह स़हाबी एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) ने उनसे कहाः कोई एक बात बयान कर दीजिए जिसमें हमारा फ़ायदा हो और आपका कोई घाटा नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि रसूल (ﷺ) ने हमें फ़रमायाः 'घोड़े पर ख़र्च करने वाला ऐसे है जैसे उसने अपना हाथ स़दक़ा में खोल रखा हो और बंद न करता हो।' वह स़हाबी एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) ने उनसे कहाः कोई कलिम-ए-ख़ैर फ़रमा दीजिए, उसमें हमारा फ़ायदा होगा और आपका कोई ख़सारा नहीं, तो उन्होंने बयान किया कि रसूल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ख़ुरैम असदी बेहतरीन आदमी है अगर उसके पट्टे (सर के बाल) लम्बे न हों और अपने तहबंद को न लटकाये।' ये बात ख़ुरैम को पहुँची तो उन्होंने जल्दी से छुरी पकड़ी और अपने बालों को कानों तक काट लिया और अपने तहबंद को आधी पिण्डली तक ऊँचा कर लिया। वह स़हाबी एक और दिन हमारे पास से गुज़रे तो हज़रत अबूद्दरदा (رضي الله عنه) ने उनसे कहाः कोई एक बात फ़रमायें जो हमारे लिये नफ़ामंद हो और उसमें आपका कोई नुक़सान नहीं, तो उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना,

الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَتَّى تَكُونُوا كَالشَّامَةِ فِي النَّاسِ .

आप फ़रमाते थे: 'तुम लोग अपने भाईयों के पास पहुँचने वाले हो। चुनांचे अपनी सवारियों को दुरूस्त कर लो, अपने लिबास की इस्लाह कर लो यहाँ तक कि ऐसे हो जाओ गोया कि तुम उनमें से बहुत नुमायां अफ़राद हो। बिलाशुब्हा अल्लाह तआला बे हयाई (की बात या काम) और अमदन ऐसा करने को पसन्द नहीं फ़रमाता है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं अबू नुऐम ने हिशाम से रिवायत करते हूए ये लफ़्ज़ यूँ कहे: (हत्ता तकूनू कश्शामति फ़िन्नास)

(4089) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/179, हाकिम: 4/183.

﴿28﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ

बाब : 28
तकब्बुर और बड़ाई की बुराई का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ مُوسَى عَنْ سَلْمَانَ الأَغَرِّ، - وَقَالَ هَنَّادٌ عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ هَنَّادٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ " .

(4090) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है बड़ाई मेरी (ऊपर की) चादर है और अज़मत मेरी (नीचे की) चादर है, चुनांचे जो कोई इनमें से किसी एक को भी खींचने की कोशिश करेगा (मेरा शरीक होने की कोशिश करेगा) मैं उसे जहन्नम में झौंक दूंगा।'

(4090) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 4174, व मुस्लिम: 2620.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रिदा' उस चादर को कहते हैं जो इंसान अपने जिस्म के ऊपर के हिस्से पर औढ़ता है और 'इज़ार' नीचे की चादर को कहते हैं जो बतौर तहबंद इस्तेमाल होती है। (2) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तमाम तर सिफ़ात पर हमारा ईमान है और हम उन्हें बिला कैफ़ और बिला तशबीह तस्लीम करते हैं। कमाले किब्रीयाई और अ़ज़मत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को लायक है। और उन्हें 'रिदा' और इज़ार' से ताबीर करने का मफ़हूम ... वल्लाहु आ़लम बक़ौल अ़ल्लामा मुन्ज़िरी ... ये है कि जिस तरह मख़्लूक़ में से कोई ग़ैर को अपनी रिदा या इज़ार में शरीक नहीं करता तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का मक़ाम बे इन्तेहा बलन्द व बाला है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَسْمَلِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ

(4091) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस के दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हूआ वह जन्नत में दाख़िल नहीं होगा और जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान हूआ वह जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि क़स्मली ने आ़मश से इसी की मिस्ल रिवायत किया है।
(4091) तख़रीज : मुस्लिम: 91.

फ़ायदा : 'तकब्बुर' जो अल्लाह तआ़ला के इंकार और उसके साथ शरीक ठहराने के मानी में हो ... किसी सूरत माफ़ नहीं है और आ़म अन्दाज़ का तकब्बुर जो लोगों की तबीयत में होता है कि वह दूसरों पर बड़ाई का इज़हार करते हैं जैसे कि अगली हदीस़ में इसका ज़िक्र आ रहा है ... वह भी एक बदतरीन खस़्लत है। अगर अल्लाह तआ़ला माफ़ न फ़रमाये तो उसकी सज़ा भी जन्नत से महरूमी है और 'ईमान' ख़्वाह मामूली ही हो उसकी जज़ा जन्नत है। अगर गुनाहों पर सज़ा हूई तो इन्शाअल्लाह बिल आख़िर बफ़ज़्ले तआ़ला जन्नत में दाख़िल कर लिया जायेगा। गोया 'मोमिन जहन्नम में दाख़िल नहीं होगा' का मतलब, हमेशा के लिये दाख़िल न होना है। आ़रज़ी तौर पर बतौर सज़ा दाख़िल होना मुमकिन है।

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى

(4092) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स़ नबी (ﷺ) के पास आया और वह एक ख़ूबसूरत आदमी था। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ख़ूबसूरती पसन्द है

الله عليه وسلم - وَكَانَ رَجُلاً جَمِيلاً - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ - إِمَّا قَالَ بِشِرَاكِ نَعْلِي . وَإِمَّا قَالَ بِشِسْعِ نَعْلِي - أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَلِكَ قَالَ " لاَ وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ " .

और मुझे ये हासिल भी है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि मैं नहीं चाहता कि कोई जूते के तस्मे में भी मुझ से बढ़ जाये। और उसने लफ़्ज़ (बिशिराकि नअ़ली) कहा या (बिशिस्इ नअ़ली) क्या ये कैफ़ीयत तकब्बुर और बड़ाई में से है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं, तकब्बुर ये है जो हक़ को ठुकराये और लोगों को हक़ीर जाने।'

(4092) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 556, हाकिम: 4/181, 182.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लोगों को अपने से हक़ीर जानना और हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद उसे ठुकरा देना और उस पर अ़मल न करना इन्तेहाई कबीरा गुनाह है। **(2)** ज़ाहिरी ज़ैब व ज़ीनत की चीज़ों की ख़्वाहिश और उन्हें इख़्तियार करना ममनूअ नहीं है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: 'कहिये किस ने हराम किया अल्लाह की ज़ीनत को जो उसने पैदा की अपने बंदों के लिये और खाने की पाकीज़ा चीज़ें, कहिये ये नेमतें असल में ईमान वालों के लिये हैं दुनिया की ज़िन्दगी में, और क़यामत के दिन ख़ास उन्हीं के वास्ते हैं।' (अलआराफ़: 32)

(29) بَابٌ فِي قَدْرِ مَوْضِعِ الإِزَارِ

बाब : 29
मर्द की चादर सलवार कहां तक होनी चाहिए?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ

(4093) जनाब अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से तहबंद के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। तो उन्होंने कहा कि साहिबे इल्म व ख़बर से तुम्हारा वास्ता पड़ा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुसलमान का तहबंद आधी

السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " .

पिण्डली तक होता है। आधी पिण्डली से टख़नों तक के बीच में कोई हर्ज नहीं और जो टख़नों से नीचे हो वह आग में है, जिसने तकब्बुर से अपना तहबंद घसीटा अल्लाह तआला उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।'

तख़रीज : **(सनद सही)** इब्ने माजा, हदीस: 3573.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्दों का अपनी सलवार, तहबंद या पाजामे वग़ैरह को टख़नों से नीचे रखना हराम है। और अपनी ग़फ़लत और जाहिलीयत की लायानी तावीलात में उलझना तकब्बुर है। **(2)** टख़नों से नीचे ... पाँव ... या ... लटकने वाला कपड़ा ... जहन्नम में हैं और कपड़ा अपने पहनने वाले को भी साथ घसीट लेगा। **(3)** अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बंदे की तरफ़ न देखना इज़हारे ग़ज़ब की अलामत है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

(4094) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्बाल' यानी (हद से ज़्यादा) कपड़ा लटकाना तहबंद, क़मीस और पगड़ी सभी में (ममनूअ) है। जिसने तकब्बुर से इनमें से कुछ भी लटकाया तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला उसकी तरफ़ नज़र नहीं करेगा।'

(4094) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3576, नसाई, हदीस: 5336.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ .

(4095) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) कहा करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो कुछ तहबंद के बारे में फ़रमाया है क़मीस के बारे में भी उसका यही हुक्म है।

तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 2/110.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ . قُلْتُ لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتَزِرُهَا .

(4096) जनाब इकरिमा (रह.) कहते हैं कि मैंने सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को तहबंद बाँधे देखा कि उनके तहबंद का अगला हाशिया उनके पाँव के पुश्त को छू रहा होता और पीछे की जानिब से ऊपर को उठा होता था। मैंने कहा कि आप तहबंद इस अन्दाज़ से क्यों बाँधते हैं? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह बाँधते देखा है।

(4096) तख़रीज : (सनद सही) बग़वी, अल अनवार, हदीस: 767, नसाई, सुनन कुब्रा: 9681.

फ़ायदा : सहाबा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की आम आदात में भी आप (ﷺ) की पैरवी करते थे। और अब मौजूदा वक़्त की हालत क्या है कि सरीह शरई अहकाम व फ़रामीन की मुख़ालिफ़त करके भी बड़े आला दर्जे के 'मोमिन' बनते हैं।

﴾30﴿ باب لِبَاسِ النِّسَاءِ

बाब : 30
औरतों के लिबास का बयान

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

(4097) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने लानत फ़रमाई है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत इख़्तियार करें और उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबिहत इख़्तियार करें।

(4097) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5885.

फ़ायदा: 'लानत' कोई मामूली कलिमा नहीं है। किसी भी ईमानदार और साहिबे इल्म व ख़बर के लिये इससे बढ़ कर और कोई ज़ज्र व तौबीख़ या धमकी नहीं। इसके लफ़्ज़ी मानी ये हैं: 'अल्लाह की रहमत से दूरी' और वह भी सय्यदुल मुर्सलीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन (ﷺ) की ज़बान से, इसलिए अहले ईमान को अपनी आदात का जायज़ा लेते रहना चाहिए और छोटे बच्चे बच्चियों के मामला में भी मुतन्नबा होना चाहिए कि अगरचे वह ख़ुद मुकल्लफ़ नहीं होते लेकिन वालिदैन तो ईमान व शरीअ़त के मुकल्लफ़ हैं, इसलिए बड़े तो बड़े, छोटे लड़कों को लड़कियों वाला लिबास या लड़कियों को लड़कों वाला लिबास पहनाना नाजायज़ और हराम है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

(4098) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत फ़रमाई है ऐसे मर्द पर जो औरत जैसा लिबास पहने और ऐसी औरत पर जो मर्दों जैसा लिबास पहने।

(4098) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/325, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 9253, इब्ने माजा, हदीस: 1455, हाकिम: 4/194.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ - وَبَعْضُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ . فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ .

(4099) जनाब इब्ने अबी मुलैका से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) से कहा गया कि (जो) औरत (मर्दों के लिये मख़सूस) जूता पहनती है, (इसके मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है?) तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्दों की तरह बनने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलहुमैदी, हदीस: 273.

फ़ायदा : औरतों के लिये जब लिबास और जूते तक में मर्दों की मुशाबिहत लानत का काम है तो दीगर उमूर नशिस्त व बर्ख़ास्त, अन्दाज़े गुफ़्तगू, बाल और बे हिजाबी वग़ैरह सभी इसमें शामिल हैं।

﴿31﴾ بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ}

बाब : 31
फ़रमाने इलाही (युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना) की तफ़्सीर

फ़ायदा : सूरह अहज़ाब की आयत: 59 में है: 'ऐ नबी! अपनी बीवियों, साहिबज़ादियों और मोमिनों की औरतों से कह दीजिए कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें ये (बात) उसके ज़्यादा क़रीब है कि वह पहचान ली जायें और उन्हें ईज़ा (तकलीफ़) न पहुँचाई जाये और अल्लाह तआला बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है।' (जिलाबीब) जलबाब की जमा है, और ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जो

आम ओढ़नी के ऊपर ली जाती है जिससे पूरा बदन ढक जाये।' अपने ऊपर चादर लटकाने' से मुराद ये है कि घर से बाहर निकलते वक़्त घूँघट निकाल ले जिससे चेहरे का बेश्तर हिस्सा छुप जाये और नज़रें झुका कर चलने से रास्ता भी नज़र आता जाये। बुर्क़ा (निकाब) इसी जिलबाब की तरक़्क़ी याफ़्ता सूरत है।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ - أَوْ حُجُوزٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ - فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا .

(4100) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने अन्सार की औरतों का ज़िक्र किया। उनकी तारीफ़ की और उनके अच्छे आमाल बयान किये और कहा: जब सूरह नूर नाज़िल हुई तो उन औरतों ने पर्दों के कपड़े या मर्दों की चादरें लीं। अबू कामिल को लफ़्ज़ हुजूरिन या हुजूज़िन में शक हूआ है ... और उन्हें फाड़ कर अपने लिये पर्दे की चादरें बना लिया।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 6/188.

फ़ायदा : मोमिनात के मुताल्लिक़ सही साबित है कि उन्होंने सूरह नूर में वारिद अहकामे पर्दा पर बख़ूबी अमल किया। जो कि आयत नम्बर: 31 में मज़कूर हैं: (कुल लिल्मूमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना...)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ.

(4101) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने बयान किया कि जब औरतों के मुताल्लिक़ ये हुक्म नाज़िल हूआ (युदनीना अलैहिन्ना मिन ...) 'वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।' तो अंसारी औरतें जब बाहर निकलतीं तो ऐसे लगता कि उनके सरों पर कव्वे बैठे हों। उन स्याह चादरों की वजह से जो वह अपने सरों पर लेने लगी थी।

(4101) तख़रीज : (सनद हसन) तफ़्सीरे अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2/101, हदीस: 2377.

बाब : 32
आयते करीमा (वल यज़्रिब्ना बिख़ुमुरिहिन्ना अ़ला जुयूबिहिन्ना) की तफ़्सीर

﴿32﴾ باب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}

(4102) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ﷺ) ने बयान किया कि अल्लाह तआ़ला साबिक़ मुहाजिर ख़्वातीन पर रहम फ़रमाये। जब अल्लाह का ये हुक्म नाज़िल हूआ (वल यज़्रिब्ना बिख़ुमुरिहिन्ना अ़ला जुयूबिहिन्ना) तो उन्होंने ऊन की मोटी मोटी चादरें फाड़ कर अपनी औढ़नियाँ बना लीं। इब्ने स़ालेह ने (अकन्फ़ की बजाये) अक्सफ़ा मुरूतिहिन्ना कहा है।

(4102) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/234, बुख़ारी, हदीस़: 4758.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شَقَقْنَ أَكْنَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا .

फ़ायदा : ये सूरह नूर में आयते हिजाब (31) का एक हिस्सा है। मानी है 'उन औरतों को चाहिए कि अपने गिरेबानों पर अपनी औढ़नियों के बुक्कल मारे रहें।'

(4103) इब्ने शिहाब ने ये रिवायत अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत की है।

(4103) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

बाब : 33
औरत अपनी ज़ीनत से क्या कुछ खुला रख सकती है?

﴿33﴾ باب فِيمَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا " . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رضى الله عنها .

(4104) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि (उनकी बहन) अस्मा दुख़्तरे अबूबक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां आयीं और उन्होंने बारीक कपड़े पहने हूए थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे अपना मुँह मोड़ लिया और फ़रमाया: 'ऐ अस्मा! बच्ची जब जवान हो जाये तो जायज़ नहीं कि उससे कुछ नज़र आये सिवाए इसके और इसके आपने अपने चेहरे और हाथों की तरफ़ इशारा फ़रमाया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत मुर्सल है। ख़ालिद बिन दूरैक ने सय्यदा आयशा(ﷺ) को नहीं पाया। और सईद बिन बशीर क़वी नहीं है।

(4104) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/226, 7/86, मरासीले, अबी दाऊद, हदीस़: 437.

फ़ायदा : कुछ उलमा इस हदीस़ से औरत के लिये चेहरा नंगा रखने का सुबूत पेश करते हैं (यानी दलील के तौर पर पेश करते हैं), जो स़ही नहीं। क्योंकि बहुत सम्भव है कि ये इरशाद हिजाब के अहकाम नाज़िल होने से पहले का हो। नीज़ ये रिवायत मुर्सल है जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने वाज़ेह फ़रमाया है और इसका एक रावी सईद बिन बशीर अज़दी ज़ईफ़ है। देखें: (तक़रीबुत तहज़ीब) नीज़ अगली (हदीस़: 2106) में है कि सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) अपने पाँव छुपाने के लिये मुज़तरिब होती थीं और हदीस़: 4117 में आ रहा है कि सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने भी अपनी चादर का पल्लू लम्बा करने का पूछा तो आप (ﷺ) ने एक बालिश्त बताया। इस पर उन्होंने उज़्र किया कि इस तरह तो

पाँव नंगे होंगे ... जब उम्मत की ये मायें जो तमाम औरतों के लिये इन्तेहाई अज़ीम क़ाबिले क़द्र नमूना हैं उनका ये हाल है कि वह पाँव नंगे होने से परेशान होती हैं तो किस तरह बावर किया जा सकता है कि वह चेहरा नंगे करने को जायज़ समझती होंगी और किसी के लिये (औरत हो या मर्द) उसका चेहरा ही सुन्दरता का केन्द्र होता है। जबकि उम्मत के मर्दों को हुक्म दिया गया कि ज़रूरत की चीज़ें तलब करनी हो तो मुँह उठाये घरों के अंदर मत घुस जाया करो बल्कि, 'यानी ओट के पीछे से तलब किया करो।' (अल अहज़ाब: 53) कई सही और सरीह अहादीस में है: 'ग़ैर महरम को अजनबी औरतों के यहां जाना जायज़ नहीं।' और शौहर के रिश्तेदार मर्दों का घर में बेबाकाना अंदर आ जाना भी जायज़ नहीं, बल्कि 'मर्द के रिश्तेदार देवर और जैठ वग़ैरह औरत के लिये मौत हैं।' (जामेअ तिर्मिज़: हदीस: 1171) (मसला हिजाब और चेहरे के पर्दे की तफ़्सील और शाफ़ी बहस तफ़सीर अज़वाउलबयान, अज़ अल्लामा मुहम्मद अमीन शन्कीती (रह.), सूरह अहज़ाब में मुलाहिज़ा हो।)

बाब : 34
गुलाम के लिये जायज़ है कि वह अपनी मालिका के बालों को देख सकता है

﴾34﴿ بَاب فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، مَوْهَبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

(4105) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से सींगी लगवाने की इजाज़त चाही। तो आपने अबू तय्यबा को फ़रमाया कि उसे सींगी लगाये। रावी ने कहा: मेरा ख़्याल है कि हज़रत जाबिर (ﷺ) ने बताया कि वह उनका रज़ाई भाई था या नाबालिग़ लड़का था।

(4105) तख़रीज : मुस्लिम: 2206.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाबालिग़ बच्चे जो अभी औरतों की पोशीदा बातों से आगाह न हूए हों और ज़रख़रीद गुलाम का एक ही हुक्म है। लिहाज़ा बवक़्ते ज़रूरत औरत के लिये जायज़ है कि अपनी ज़ीनत उसके सामने ज़ाहिर कर सकती है। (2) ख़्वातीन के इलाज मुआलिजा के लिये इस्लामी

मुआशरे में ख़्वातीन तबीबात (लेडी डॉक्टर) का एहतिमाम करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अजनबी मर्द डॉक्टरों के सामने न होना पड़े। (3) औरत के बाल उसकी बातिनी ज़ीनत का हिस्सा है जो वह किसी ग़ैर महरम के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकती।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ، سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تَلْقَى قَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ "

(4106) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) के लिये एक गुलाम लाये जो आपने उनको हिबा किया था। हज़रत अनस(ﷺ) ने कहा: फ़ातिमा (ﷺ) पर ऐसा कपड़ा था कि वह अगर उसे सर पर लपेटती तो उनके पाँव तक न पहुँचता था, और अगर पाँव को छुपातीं तो सर पर न रहता था। पस जब नबी (ﷺ) ने उसकी इस उलझन को देखा तो फ़रमाया: 'तुम्हारे लिये कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे सामने सिर्फ़ तुम्हारे वालिद हैं और तुम्हारा गुलाम।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 7/95.

फ़ायदा : गुलाम से परदा वाजिब नहीं, बल्कि रूख़्सत है।

﴾35﴿ باب فِي قَوْلِهِ { غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ }

बाब : 35
फ़रमाने इलाही (ग़ैरि उलिल इर्बति) की तफ़्सीर

फ़ायदा : सूरह नूर की आयते हिजाब (31) में जिन लोगों से परदा न करने का बयान है उनमें (ग़ैरि उलिल इर्बति) का भी ज़िक्र है। यानी ऐसे बड़े बूढ़े मर्द जिन्हें अब औरतों की कोई ख़्वाहिश न हो। लेकिन बड़ी उमर के बावजूद अगर महसूस हो कि फ़िक्री तौर पर ये आदमी औरत से दिलचस्पी रखता है तो उससे परदा करना लाज़मी है। इंसान की गुफ़्तगू और तौर तरीक़े से उसके ज़ौक़ व मिज़ाज का अन्दाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे कि नीचे की हदीस में मज़कूर है।

(4107) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि एक हिजड़ा, नबी (ﷺ) की बीवियों के घरों में आता जाता था और लोग उसके बारे में समझते थे कि उसमें औरतों की तरफ़ कोई मैलान नहीं और ये (ग़ैरि उलिल इर्बति) में से है। एक दिन नबी (ﷺ) हमारे यहां तशरीफ़ लाये और वह आपकी किसी बीवी के पास बैठा हूआ था और वह एक औरत की तारीफ़ में यूँ कह रहा था कि वह जब सामने से आती है तो उसके पेट पर चार बल पड़ते हैं और जब कमर फेर कर जाती है तो आठ से वापस होती हैं (यानी पहलूओं की तरफ़ से चार चार बल नज़र आते हैं जो उसके मोटापन और ख़ूबसुरत होने की अलामत हैं) तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं नहीं समझता था कि ये भी उन औरतों की मख़्फ़ी बातें जानता है, आइन्दा ये तुम्हारे यहां हरगिज़ न आया करे।' चुनांचे उसे रोक दिया गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا " . فَحَجَبُوهُ .

तख़रीज : नसाई, हदीस़: 2181, व मुस्लिम: 2181.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐसे हिजड़े जिनमें मर्दाना मैलानात (दिलचस्पियाँ) हों उन्हें घरों में नहीं आने देना चाहिए और यही हुक्म है ऐसे लोगों का जो नामर्द या मक़्तूउज़्ज़कर हों, इसी तरह नो उमर क़रीबुल बुलूग़ का भी यही हुक्म है। (2) नीज़ जदीद आलात टी.वी., वी.सी.आर., फ़िल्में या गाने बजाने वाली चीज़ें जो शहवानी जज़्बात को भड़कायें उनका घरों में रखना और इस्तेमाल फ़ितने फ़साद का बाइस़ है। लिहाज़ा मुसलमानों पर लाज़िम है कि अपने घरों को इन फ़वाहिश से पाक रखें।

(4108) ज़ोहरी ने उर्वा से उन्होंने सय्यदा आयशा (ﷺ) से इस हदीस़ के हम मानी रिवायत की है। तख़रीज : मुस्लिम: 2181, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمَعْنَاهُ .

(4109) इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) उर्वा से, उन्होंने सय्यदा आयशा (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की। इसमें मज़ीद ये है कि और उसे (मदीना तय्यबा से) निकाल दिया। चुनांचे वह मक़ामे बैदा में रहता था। और हर जुमा आता और खाने पीने की चीज़ें माँग कर ले जाया करता था।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَأَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ ‏.‏

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(4110) जनाब औज़ाई ने इस क़िस्से में बयान किया कि कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! (अगर उसे घरों से रोक दिया गया तो) ये भूख से मर जायेगा। तो आपने उसे इजाज़त दी कि हर हफ़्ते दो बार आ जाया करे, लोगों से सवाल करे और लौट जाया करे।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلَ ثُمَّ يَرْجِعَ

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 4107 में देखें।

बाब : 36
अल्लाह के फ़रमान: (व क़ुल लिल्मुअ्मिनाति यग़्ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना) की तफ़्सीर

﴾36﴿ باب فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

(4111) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने आयते करीमा (व क़ुल लिल्मुअ्मिनाति यग़्ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना) की तफ़्सीर में फ़रमाया: (ये आम हुक्म था। फिर बड़ी उमर की बूढ़ी औरतों के हक़ में) उसे मन्सूख़

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ‏{‏ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ

أَبْصَارِهِنَّ } الآيَةَ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا } الآيَةَ .

करके उन्हें इस हुक्म से मुस्तस्ना (अलग) करते हूए फ़रमाया: (वल्क़वाइदु मिनन्निसाइ ...) यानी बड़ी उमर की बूढ़ी औरतें जिन्हें अब निकाह की ख़्वाहिश न हो... (उन पर पर्दे के अहकाम की पाबन्दी नहीं है।)

(4111) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/93.

फ़ायदा : इस आयते करीमा के अगले अल्फ़ाज़ बड़े अहम हैं, इरशादे बारी तआला है: 'अगर वह अपने कपड़े उतार रखें तो उन पर कोई गुनाह नहीं बशर्ते कि अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर करने वाली न हों। ताहम इसमें एहतियात करें तो बहुत अफ़ज़ल है।' (सूरह नूर: 60) जब बड़ी उमर की औरतों को इज़हारे ज़ीनत हराम और नाजायज़ है तो जवान दो शेज़ाओं के लिये और ज़्यादा हराम है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً أَلاَ تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ

(4112) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने बयान किया कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद थी जबकि सय्यदा मैमूना(ﷺ) भी वहीं थीं कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) आ गये। और ये उन दिनों की बात है जबकि हमें पर्दे के अहकाम दे दिये गये थे। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उससे पर्दा करो।' हमने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये नाबीना नहीं है, हमें देखता नहीं और पहचानता भी नहीं? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो क्या तुम भी अंधी हो, तुम उसे नहीं देखती हो?!'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: ये हुक्म अज़वाजे नबी (ﷺ) के लिये ख़ास था। जबकि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) को इब्ने उम्मे मक्तूम (ﷺ) के यहां इद्दत गुज़ारने का कहा गया था और नबी (ﷺ) ने उसे फ़रमाया था: 'इब्ने उम्मे मक्तूम के यहां इद्दत गुज़ारो वह नाबीना आदमी है, तुम उसके यहां अपने कपड़े उतार सकोगी।'

مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ

(4112) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2778, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 3928 में देखें।

फ़ायदा : अगर ये रिवायत हसन है, जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने कहा है, तो फिर इसकी ये तौजीह स़ही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाई है कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम से पर्दे का जो हुक्म दिया गया था, वह सिर्फ़ अज़वाजे मुतह्हरात (ﷺ) के लिये ख़ास़ था, आम मुसलमान ख़्वातीन के लिये ये ज़रूरी नहीं है और कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। बहरहाल दोनों सूरतों में ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا " .

(4113) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई अपने गुलाम की अपनी बांदी से शादी कर दे तो अब उस बांदी के सतर की तरफ़ न देखे।'

(4113) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/226.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ وَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ .

(4114) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई अपनी ख़ादिमा की अपने ग़ुलाम या नौकर से शादी कर दे तो अब उस ख़ादिमा की नाफ़ से लेकर घुटने से ऊपर तक के हिस्स़े को मत देखे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सनद में रावी (दाऊद बिन सव्वार) का स़ही नाम 'सव्वार बिन दाऊद मुज़नी स़ैरफ़ी है। इस में वकीअ़ को वहम हूआ है।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/187.

फ़ायदा : मालिक को हक़ हासिल है कि अपनी बांदी से जिन्सी फ़ायदा हासिल करे। मगर जब वह अपने इस हक़ से दस्तबरदार हो गया और उसकी शादी कर दी तो उसके लिये इस बांदी के ख़ास़ सतर को देखना भी हराम हो गया।

बाब : 37
औढ़नी कैसे ले?

﴿37﴾ باب في الاختمار

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ " لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ " لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ " . يَقُولُ لاَ تَعْتَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ لاَ تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ .

(4115) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) का बयान है कि नबी(ﷺ) उसके यहां आये और वह सर पर औढ़नी लपेट रही थीं। तो आपने फ़रमाया: 'एक बल दो। दो नहीं।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसका मफ़हूम ये है कि औढ़नी को इस तरह मत लपेटे की मर्दों की पगड़ी महसूस हो। कपड़े को दो बल मत दे।

(4115) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/296, हाकिम: 4/194, 195.

फ़ायदा : औरतों को मर्दों के साथ किसी तरह की मुशाबिहत जायज़ नहीं।

बाब : 38
औरतों के लिये बारीक लिबास का बयान

﴿38﴾ باب في لبس القباطي للنساء

फ़ायदा : 'क़बाती' जमा 'कुबतिया' (क़ाफ़ पर पेश के साथ) मिस्र में बनने वाले बारीक सफ़ेद कपड़े को कहते थे। इसकी निस्बत मिस्री क़ौम 'क़िब्त' (क़ाफ़ के ज़ेर) की तरफ़ है। अहले मिस्र को 'क़िब्ती' (क़ाफ़ की ज़ेर से) और उनके यहां बनने वाले कपड़े को ख़िलाफ़े क़यास 'कुबतिया' कहा गया है। (यानी क़ाफ़ पर पेश के साथ) (अन्निहाया)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

(4116)हज़रत दिह्या बिन ख़लीफ़ा कल्बी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मिस्र के सफ़ेद बारीक कपड़े लाये गये तो आपने उनमें से एक कपड़ा मुझे भी इनायत

أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ دِحْيَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبَاطِيَّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ " اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ " . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ " وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لاَ يَصِفُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.

फ़रमाया और कहा: 'इसके दो टुकड़े कर लो, एक की तुम क़मीस़ बना लो और दूसरा अपनी अहलिया को दे दो, वह उसको अपनी ओढ़नी बना ले।' फिर जब मैंने पुश्त फेरी तो आपने फ़रमाया: 'अपनी बीवी को कहना कि उसके नीचे कोई और कपड़ा लगा ले कि उसके जिस्म को ज़ाहिर न करे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को यहया बिन अय्यूब ने रिवायत किया तो (मूसा बिन जुबैर के उस्ताद का नाम) अ़ब्बास बिन उ़बैदुल्लाह बिन अ़बबास बयान किया।

(4116) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 4/225, हदीस़: 4199, हाकिम: 4/187.

फ़ायदा : ऐसा बारीक लिबास जो सर के बाल या जिस्म को ज़ाहिर करे पहनना जायज़ नहीं मगर ये कि सतर का ख़ास़ एहतिमाम किया गया हो।

﴿39﴾ بَابٌ فِي قَدْرِ الذَّيْلِ

बाब : 39 औ़रत अपनी चादर का पल्लू किस क़द्र लम्बा रखे?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُرْخِي

(4117) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब तहबंद का ज़िक्र किया तो उम्मे सलमा(ﷺ) ने औ़रत के मुताल्लिक़ पूछा कि वह उसे किस क़द्र लम्बा करे? आपने फ़रमाया: 'एक बालिश्त लटका ले।' हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने कहा: इससे तो उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया:

'एक हाथ लटका ले और उससे ज़्यादा करे।'

شِبْرًا " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ " .

(4117) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद: 24/147, मौता: 2/915, नसाई, हदीस: 5340, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1451.

फ़ायदा : औरत को घर से बाहर अपने टख़ने और पाँव भी पर्दे में रखने का एहतिमाम करना वाजिब है।

(4118) नाफ़ेअ ने सलमान बिन यसार से, उन्होंने सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से यही हदीस बयान की है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत इब्ने इस्हाक़ और अय्यूब बिन मूसा ने बवास्ता नाफ़ेअ सय्यदा सफ़िया (ﷺ) से बयान की है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ .

(4118) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5341, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

(4119) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्महातुल मोमिनीन को इजाज़त दी की अपनी चादरों के पल्लू एक बालिश्त लम्बे रखा करें। फिर उन्होंने मज़ीद लम्बे करने की इजाज़त चाही तो आपने एक और बालिश्त बढ़ाने का फ़रमाया। चुनांचे वह हमें इसका कहतीं तो हम उनके लिये इन चादरों के पल्लू एक एक हाथ लम्बे रखते।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا ثُمَّ اسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا .

(4119) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 4117 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3581.

फ़ायदा : औरतों के लिये चादरों की ये लम्बाई मर्दों की क़मीसों के मुक़ाबले में है, न कि ज़मीन के मुक़ाबले में। (औनूल माबूद)

﴾40﴿ باب فِي أُهُبِ الْمَيْتَةِ

बाब : 40
मुर्दा जानवरों की खाल का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ وَوَهْبٌ - عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ أُهْدِيَ لِمَوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . قَالَ " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا " .

(4120) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ﷺ) ने बयान किया कि हमारी एक बांदी को सदक़ा की एक बकरी हदिया की गई फिर वह मर गयी। नबी (ﷺ) उसके पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'तुमने इसके चमड़े को क्यों नहीं लिया, इससे कोई फ़ायदा उठा लेते?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये मुर्दार है। आपने फ़रमाया: 'हराम तो उसका खाना है।'

(4120) तख़रीज : मुस्लिम: 363.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ قَالَ فَقَالَ " أَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرِ الدِّبَاغَ .

(4121) मामर ने बवास्ता ज़ोहरी बयान किया, (लेकिन) ज़ोहरी की इस हदीस की सनद में सय्यदा मैमूना (ﷺ) का ज़िक्र नहीं है। इसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमने उसके चमड़े से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया?' और उसमें रंगने का ज़िक्र नहीं किया।

(4121) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : हलाल जानवर अगर मर जाये तो उसका खाना हराम है। मगर चमड़े को रंग कर इस्तेमाल कर लेना बग़ैर किसी शक व शुब्हा के जायज़ है। जेसे कि अगली रिवायत में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الأَوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَعُقَيْلٌ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الدِّبَاغَ وَذَكَرَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَفْصُ بْنُ الْوَلِيدِ ذَكَرُوا الدِّبَاغَ .

(4122) मामर कहते हैं कि जनाब (इब्ने शिहाब) ज़ोहरी (रह.) (हलाल जानवर के चमड़े को) रंगने का इंकार करते थे। उनका कहना था कि हर हाल में फ़ायदा उठाना जायज़ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ज़ोहरी की इस रिवायत में ओज़ाई, यूनुस और उ़क़ैल ने रंगने का ज़िक्र नहीं किया। जबकि ज़ुबैदी ने उसका ज़िक्र किया है। ऐसे ही सईद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ और हफ़्स बिन वलीद ने भी रंगने का ज़िक्र किया है।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4120 में देखें।

फ़ायदा : जनाब ज़ोहरी के क़ौल का मतलब ये है कि हलाल मुर्दा जानवर के बे रंगे चमड़े को बेचना जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ " .

(4123) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'चमड़े को जब रंग लिया जाये तो वह पाक हो जाता है।'

(4123) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 366.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

(4124) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मुर्दार के चमड़े से फ़ायदा उठाया जाये ... (यानी) जब उसे रंग लिया जाये।

(4124) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3612, नसाई, हदीस: 4257, मौता: 2/498, इब्ने हिब्बान: 1/17.

फ़ायदा : हलाल जानवर अगर मुर्दार हो जाये तो उसका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ " دِبَاغُهَا طُهُورُهَا "

(4125) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (ﷺ) से रिवायत है कि ग़ज़्व–ए–तबूक के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) एक घर में आये तो एक मशकीज़ा लटके देखा। तो आपने पानी तलब फ़रमाया: तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) ये मशकीज़ा मुर्दार (जानवर के चमड़े का) है। आपने फ़रमाया: 'इसको रंग दिया जाना इसकी पाकीज़गी है।'

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) नसाई: 4348, अत्तल्ख़ीसु-लहबीर: 1/49, हाकिम: 4/141, देखिये हदीस 4123

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا . فَقَالَتْ أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ . مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا " . قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ

(4126) आलिया दुख़्तरे सुबैअ़ बयान करती हैं कि उहुद की जानिब मेरी बकरियाँ होती थीं। हूआ ये कि वह मरना शूरू हो गयीं तो मैं उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ﷺ) के पास आई और उनसे इसका ज़िक्र किया। सय्यदा मैमूना (ﷺ) ने मुझ से कहा: अगर तु उनकेचमड़े उतार लिया करो तो उनसे फ़ायदा उठाओगी। कहती हैं कि मैंने पूछा: क्या ये हलाल हैं? उन्होंने कहा: हाँ। कुरैश के कुछ लोग रसूल (ﷺ) के पास से गुज़रे, वह एक बकरी घसीटे जा रहे थे जैसा कि गधा हो। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम इसका चमड़ा ही उतार लेते।' उन्होंने कहा: ये मुर्दार है। आपने फ़रमाया: 'उसे पानी और करज़ पाक कर देता है।' (क़रज़ कीकर की मानिन्द एक दरख़्त होता है जो चमड़ा साफ़ करने में इस्तेमाल होता है।)

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 4253, इब्ने अल मुलक़िन तोहफ़तुल मोहताज: 1/220, हदीस: 131

फ़ायदा : दर्ज ज़ैल बाब के बाद वाले बाब में दरिन्दों की खालों से मुमानिअत की अहादीस़ से स़ाबित होता है कि सिर्फ़ हलाल जानवरों की खाल ही रंगने से पाक होती है न कि हराम जानवरों और दरिन्दों की खालें।

(41) باب مَنْ رَوَى أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

बाब : 41 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि मुर्दार के चमड़े से फ़ायदा हासिल न किया जाये

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ " أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " .

(4127) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़कैम से रिवायत है उन्होंने कहा: क़बील–ए–जुहैना के इलाक़े में हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक ख़त पढ़ कर सुनाया गया जबकि मैं नो उमर जवान लड़का था: 'ये कि मुर्दार के चमड़े या उसके पट्ठों से फ़ायदा मत उठाओ।'

(4127) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3613, नसाई, हदीस़: 4254, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1729, मुसनद अहमद: 4/311, बैहक़ी: 1/18.

फ़ायदा : ज़ाहिर है कि रंगे बग़ैर मुर्दार का चमड़ा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। इसके अ़लावा दीगर अज्ज़ा (पार्टस) का हुक्म मुर्दार ही का है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَىَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ

(4128) हकम बिन उ़तैबा कहते हैं कि मैं और कई लोग अ़ब्दुल्लाह बिन उ़कैम के यहां गये, वह क़बील–ए–जुहैना के फ़र्द थे। हकम ने कहा: दूसरे लोग अंदर चले गये जबकि मैं दरवाज़े पर बैठा रहा। चुनांचे जब वह मेरे पास वापस आये तो उन्होंने मुझे बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़कैम ने उन्हें बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी वफ़ात से एक महीना पहले क़बील–ए–जुहैना की तरफ़

أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لاَ يَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَإِذَا دُبِغَ لاَ يُقَالُ لَهُ إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ .

एक ख़त लिखा था: 'मुर्दार के चमड़े या उसके पट्ठों से फ़ायदा मत उठाओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नज़र बिन शुमैल ने कहा कि बेरंगे चमड़े को (इहाब) कहते हैं। रंग दिये जाने के बाद उसे (इहाब) नहीं कहते बल्कि (शन्न) और (क़िर्बा) कहते हैं।

(4128) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 1/15, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

﴾42﴿ بَابٌ فِي جُلُودِ النُّمُورِ وَالسِّبَاعِ

बाब : 42
चीतों और दरिन्दों के चमड़ों का बयान

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ " . قَالَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لاَ يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ لَنَا أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ كَانَ يَنْزِلُ الْحِيرَةَ .

(4129) हज़रत मुआविया (ﷺ) से रिवायत है, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़ज़ (रेशम) के कपड़े और चीते की खाल को अपनी गद्दी मत बनाओ।' (उन्हें बतौर ज़ीन या ज़ीन पोश इस्तेमाल न करो।) इब्ने सीरीन ने कहा: हज़रत मुआविया (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायते हदीस़ में मुत्तहम (बेऐतबार) नहीं थे। (उनकी सियासी आरा से किसी को इख़्तिलाफ़ हो तो अलग बात है वरना फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) के नक़ल में निहायत क़ाबिले ऐतमाद थे।)

(4129) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3656, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस़: 811.

फ़ायदा : चीते और तमाम दरिन्दों की खालों का यही हुक्म है कि उन्हें इस्तेमाल करना नाजायज़ है, ख़्वाह रंगी हुई भी हों। इनका लिबास बनाना या बतौर सीट इस्तेमाल करना जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ " .

(4130) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस जमाअ़त में चीते की खाल हो उसके साथ (रहमत के) फ़रिश्ते नहीं चलते।'

(4130) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : शरीअ़त की मुख़ालिफ़त, एक गंदा अ़मल है। जो अपने ज़ाहिरी और बातिनी बुरे असरात से ख़ाली नहीं रहती।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الأَسْوَدِ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ أَهْلِ قِنَّسْرِينَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَتَرَاهَا مُصِيبَةً قَالَ لَهُ وَلِمَ لاَ أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ فَقَالَ " هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ " . فَقَالَ الأَسَدِيُّ جَمْرَةٌ أَطْفَأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ فَقَالَ الْمِقْدَامُ أَمَّا أَنَا فَلاَ أَبْرَحُ الْيَوْمَ حَتَّى أُغِيظَكَ وَأُسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُ . ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ أَنَا صَدَقْتُ فَصَدِّقْنِي وَإِنْ أَنَا كَذَبْتُ فَكَذِّبْنِي قَالَ أَفْعَلُ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ

(4131) जनाब ख़ालिद बिन मअ़दान से रिवायत है कि हज़रत मिक़्दाम बिन मादीकरिब, अ़म्र बिन अस्वद और क़बील–ए–बनू असद का एक आदमी जो अहले क़िन्नस्रीन में से था, हज़रत मुआ़विया बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) के यहां आये। मुआ़विया ने मिक़्दाम से कहाः क्या तुम्हें मालूम है कि हसन बिन अ़ली (ﷺ) वफ़ात पा गये हैं? तो मिक़्दाम ने (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) पढ़ा। तो एक आदमी ने उनसे कहाः क्या तुम इसको मुसीबत समझते हो? उन्होंने कहाः मैं उनकी वफ़ात को मुसीबत क्यों न समझूं जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको अपनी गोद में बिठाया था और कहा थाः 'ये (हसन) मुझसे है और हुसैन अ़ली से!' असदी आदमी ने कहाः दहकता कोयला था जिसे अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने बुझा दिया। मिक़्दाम ने कहाः मगर (मैं तो ऐसी बात नहीं कहता जो उस असदी ने कही है।) मैं आज तुम्हें गुस्सा दिला के रहूंगा और वह कुछ सुनाऊंगा जो तुम्हें बुरा लगे। फिर कहाः ऐ मुआ़विया! अगर मैं सच कहूं तो मेरी तस्दीक़

بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ قَالَ خَالِدٌ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ وَفَرَضَ لاِبْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ وَلَمْ يُعْطِ الأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ وَأَمَّا الأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ .

करना और अगर ग़लत कहूं तो तर्दीद कर देना। मुआविया ने कहा: ऐसे ही करूंगा। मिक़्दाम ने कहा: मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूं क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है? कहा: हाँ। मिक़्दाम ने फिर कहा: मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूं क्या तुम्हें ख़बर है कि, रसूल (ﷺ) ने रेशम पहनने से रोका है? उन्होंने कहा: हाँ। हज़रत मिक़्दाम ने कहा: मैं तुम्हें अल्लाह की क़सम देकर कहता हूं, क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरिन्दों की खालें पहनने और उन पर सवार होने से रोका है? कहा: हाँ। मिक़्दाम ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने ये सब कुछ तुम्हारे घर में देखा है ऐ मुआविया! उस पर मुआविया ने कहा: ऐ मिक़्दाम! मुझे मालूम था कि मैं तुझ से हरगिज़ नहीं बच सकूंगा। ख़ालिद बिन मअदान ने बयान किया कि फिर मुआविया (ﷺ) ने मिक़्दाम के लिये इस क़द्र इनाम का हुक्म दिया जो उसके दूसरे दो साथियों के लिये नहीं था और उनके बेटे के लिये दो सौ वालों में हिस्सा मुक़र्रर कर दिया। चुनांचे हज़रत मिक़्दाम (ﷺ) ने उसे अपने साथियों में तक़सीम कर दिया। मगर असदी ने जो वसूल किया उसमें से किसी को कुछ न दिया। मुआविया को ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा: मिक़्दाम खुले हाथ के सख़ी आदमी हैं और असदी अपने माल की ख़ूब हिफ़ाज़त करने वाला है।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाब–ए–किराम (ﷺ) हक़ बात कहने में बड़े बेबाक थे। हज़रत मिक़्दाम(ﷺ) को हज़रत मुआविया की इमारत से कोई ख़ौफ़ न आया और बेधड़क हक़ बात कह दी। **(2)** इस मुकालमे के शूरू में जो आया है: 'एक आदमी ने कहा' इसके क़ायल शायद हज़रत मुआविया (ﷺ) ही हों। जिसे अदबन मुबहम रखा गया है। (औनुल माबूद) **(3)** बनू उमैया और अहले बैत के ख़ानदानों में सियासी उमूर में उनके ख़ास रूजहानात थे। ये तारीख़े इस्लाम का इन्तेहाई परेशान कुन दौर था जो गुज़र गया। अब हम तमाम सहाब–ए–किराम (ﷺ) के लिये दुआगो हैं और किसी के मुताल्लिक़ अपने दिल में कोई कुछ नहीं रखते। एक मुअर्रिख़ को वाकिये के हिसाब से किसी भी जानिब मैलान का हक़ हासिल है मगर ख़्याल रहे कि दूसरी जानिब भी जलीलुल क़द्र सहाबा हैं...(ﷺ) (रब्बनग़् फ़िर लना व लि इख़्वानिना ...) (अलहश्र: 10) **(4)** दरिन्दों की खालें और उनकी गद्दियाँ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और ऐसे ही मर्दों के लिये सोना और रेशम भी मुबाह नहीं। **(5)** हज़रत मुआविया (ﷺ) के मुताल्लिक़ जो ज़िक्र हूआ कि उनके घर में रेशम और दरिन्दों की खालें इस्तेमाल होती थी तो शायद फ़रामीने रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई तावील करते होंगे। वल्लाहू आलम!

(4132) जनाब अबू मलीह बिन उसामा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरिन्दों की खालें इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया है।

(4132) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4258, तिर्मिज़ी: 5/1770, इब्ने जारूद, हदीस: 875, हाकिम: 1/148, बैहक़ी: 1/21.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى، - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

फ़ायदा : दरिन्दों की खालें रंगी हूई हों या बेरंगी सबका यही हुक्म है।

बाब : 43
जूते पहनने का बयान

﴾43﴿ بابٌ فِي الانْتِعَالِ

(4133) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: हम एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ थे। आपने फ़रमाया: 'जूते ख़ूब पहना करो, बिलाशुब्हा आदमी जब तक जूता पहने हो तो (गोया) वह सवार होता है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله

عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ " أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ ".

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अ़दी, अल कामिल: 4/1587, बुख़ारी, तारीख़े कबीर, 8/44, व मुस्लिम.

फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं कि सफ़र में बिलख़ुसूस जूता उ़म्दा और नुमायाँ होना चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ.

(4134) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के जूते में दो पट्टियाँ होती थीं।

(4134) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5857.

फ़ायदा : एक पट्टी अंगूठे के साथ से और दूसरी दरम्यानी और साथ वाली उंगली के दरम्यान से होती हूई पाँव की पुश्त पर अ़र्ज़ में लगी पट्टी से जा मिलती थी जिसे शिराक कहा जाता है। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

(4135) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि आदमी खड़े होकर जूता पहने।

(4135) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, शौबुल ईमान, हदीस़: 6273.

फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये हुक्म उन जूतों से मुताल्लिक़ है जिन्हें हाथ की मदद से पहनना होता है और जो जूते बिला तकलीफ़ पहने जा सकते हों उनके लिये बैठने की कोई वजह नहीं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا " .

(4136) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स एक जूते में मत चले, चाहिए कि दोनों पहने या दोनों उतार दे।'

(4136) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5855, मौता: 2/916, व मुस्लिम, हदीस़: 2097.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(4137) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो जब तक

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ " .

उसे दुरूस्त न कर ले एक जूते में न चले, न एक मौज़े में चले और न बायें हाथ से खाये।'

(4137) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 2099.

फ़ायदा : एक जूता पहनने से जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ने के अलावा आदमी बुरा भी लगता है। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ .

(4138) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: सुन्नत ये है कि आदमी जब बैठे तो अपने जूते उतार ले और अपने पहलू में रख ले।

(4138) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 1190.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا يُنْتَعِلُ وَآخِرَهُمَا يُنْزَعُ " .

(4139) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई जूता पहने तो दायें (तरफ़) से इब्तेदा करे और जब उतारे तो बायें से शूरू करे, दायाँ पाँव पहनने में पहले और उतारने में आख़री होना चाहिए।'

(4139) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5856, मौता: 2/916.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ

(4140) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने तमाम कामों में जहां तक हो सकता दायें जानिब को पसन्द फ़रमाते थे। वुज़ू करने, कंघी करने और जूता पहनने में।

मुस्लिम बिन इब्राहीम ने मिस्वाक का भी बयान

وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ . قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ .

किया मगर (फ़ी शानिहि कुल्लिही) 'तमाम कामों' का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को मुआज़ ने शोबा से रिवायत किया तो इसमें मिस्वाक का ज़िक्र नहीं किया।

(4140) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 168, व मुस्लिम, हदीस : 268.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ " .

(4141) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम लिबास पहनो या वज़ू करो तो अपनी दायें जानिब से शुरू किया करो।'

(4141) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 402, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 178, इब्ने हिब्बान, हदीस: 147, 1452.

फ़ायदा : हर अच्छे काम में दायें जानिब का ख़्याल रखना एक इस्लामी अदब और शेआर है।

﴿44﴾ باب فِي الْفُرُشِ

बाब : 44 बिस्तरों का बयान

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفُرُشَ فَقَالَ " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ "

(4142) सय्यदा जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिस्तरों का ज़िक्र किया, तो फ़रमाया: 'एक बिस्तर आदमी का, दूसरा बीवी का और तीसरा मेहमान का है और चौथा शैतान के लिये है।'

(4142) तख़रीज : मुस्लिम: 2084.

फ़ायदा : घर के अफ़राद और मेहमानों की आमद के लिहाज़ से बिस्तरों का एहतिमाम करना हक़ है। इससे ज़्यादा इस्राफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची), फ़ख़्र व मबाहात और बाइसे वबाल है।

(4143) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) के घर गया तो मैंने आपको देखा कि आप एक तकीये का सहारा लिये हूए थे। अब्दुल्लाह बिन जर्राह ने कहा: आप अपने बायें पहलू से सहारा लिये हूए थे।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को इस्हाक़ बिन मनसूर ने भी इस्राईल से रिवायत किया (तो कहा कि) आप बायें पहलू से सहारा लिये हूए थे।

(4143) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2770, मुसनद अहमद: 5/102.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ - زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ - عَلَى يَسَارِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ .

फ़ायदा : तकीये का सहारा लेकर बैठना मुबाह है। कोई तकब्बुर की बात नहीं है। नीज़ इस मक़सद के लिये घर में हस्बे ज़रूरत तकिये हों तो कोई हर्ज नहीं।

(4144) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने यमन से आये हूए कुछ रूफ़्क़ा-ए-सफ़र को देखा जिनकी सवारियों के पालान चमड़े के थे, तो उन्होंने कहा: जो शख़्स चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे जो नबी (ﷺ) के रूफ़्क़ा-ए-सफ़र के बहुत ज़्यादा मुशाबा (मिलते-जुलते) हों तो वह इन्हें देख ले।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/120.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رِحَالُهُمُ الأَدَمُ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ كَانُوا بِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلاَءِ .

(4145) हज़रत ज़ाबिर (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे पूछा: 'क्या तुम्हारे अनमात (हाशियादार बिस्तर या उनकी चादरें) हैं?' मैंने अर्ज़ किया: हमारे लिये अनमात कहाँ? आपने फ़रमाया: 'अनक़रीब तुम अनमात

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا " . قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا الأَنْمَاطُ قَالَ " أَمَا إِنَّهَا

سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ " .

(ख़ूबसूरत नफ़ीस हाशियादार बिस्तर या चादरें) हासिल करोगे।'

(4145) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5161, व मुस्लिम, हदीस : 2083.

फ़ायदा : मुसलमान का बिस्तर भी साफ़ सुथरा और नफ़ीस हो तो ज़ुहद (पारसाइ) के ख़िलाफ़ नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ - الَّتِي يَنَامُ عَلَيْهَا بِاللَّيْلِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ .

(4146) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक तकिया था। इब्ने मनीअ ने कहा ... तकिया चमड़े का था जिस पर आप रात को सोते थे, फिर रिवायत के अगले अल्फ़ाज़ बयान करने में दोनों रावी मुत्तफ़िक़ हैं ... इसमें खजूर की छाल भरी हूई थी।

(4146) तख़रीज : मुस्लिम: 2082.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ .

(4147) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गद्दा चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हूई थी।

(4147) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 4151, व मुस्लिम, 2082.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا حِيَالَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(4148) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा(ﷺ) ने बयान किया कि मेरा बिछौना नबी (ﷺ) की जाय नमाज़ के सामने होता था।

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 957.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जायज़ है कि शौहर और बीवी का अपना अपना अलग बिस्तर हो। (2) नमाज़ी के आगे अगर कोई सोया हूआ हो तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : 45
पर्दे लटकाने का बयान

﴿45﴾باب فِي اتِّخَاذِ السُّتُورِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ رضى الله عنها فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ قَالَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلاَّ بَدَأَ بِهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ مَا لَكِ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَىَّ فَلَمْ يَدْخُلْ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا . قَالَ " وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالرَّقْمَ " . فَذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ قُلْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَأْمُرُنِي بِهِ . قَالَ " قُلْ لَهَا فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَى بَنِي فُلاَنٍ " .

(4149) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) के यहां तशरीफ़ ले गये, उनके दरवाज़े पर पर्दा देखा तो आप अंदर दाख़िल न हूए। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) कहते हैं: बहुत कम ऐसे होता कि आप घर जायें (और उनके यहां न जायें) और फिर उनके यहां से इब्तेदा करते। हज़रत अ़ली (ﷺ) आये तो सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) को देखा कि ग़मगीन हैं। पूछा कि तुम्हें क्या हूआ है? उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) मेरे यहां आये थे मगर अंदर दाख़िल नहीं हूए। चुनांचे हज़रत अ़ली (ﷺ) आप (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा को ये बात बड़ी गिराँ गुज़री है कि आप उसके यहां गये मगर अंदर दाख़िल नहीं हूए। आपने फ़रमाया: 'मैं क्या और दुनिया क्या? (मुझे दुनिया से क्या सरोकार?) मैं क्या नक़्शदार पर्दे क्या?' (मेरा उनसे क्या वास्ता) चुनांचे वह फ़ातिमा (ﷺ) के पास गये और उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की बात बताई। पस उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछें कि मेरे लिये क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: 'उसे कहो कि उसे बनी फ़ुलां के पास भेज दे।'

(4149) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2613.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ سِتْرًا مَوْشِيًّا .

(4150) इब्ने फ़ज़ल ने अपने वालिद से ये हदीस़ बयान की तो कहा: परदा नक़्शदार था।

तख़रीज : बुख़ारी, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : मुक़र्रब लोगों को कुछ मुबाह चीज़ें भी नारवा होती हैं और अहले ख़ाना के पर्दे के लिये कपड़ा लटकाना अगर वाक़ेई ज़रूरत हो तो उसका एहतिमाम करना वाजिब है। मगर बे मक़सद ज़ैब व ज़ीनत के लिये दीवारों पर पर्दे लटकाना बे'मतलब का काम है जो इस्राफ़ (फ़ुज़ूलख़र्ची) और तब्ज़ीर में आता है, वाज़ेबी पर्दे के लिये भी सादा कपड़े पर क़नाअत करनी चाहिए। मुसलमान को ग़ैर ज़रूरी ज़ीनते दुनिया में मशग़ूल हो जाना किसी तरह ठीक नहीं।

﴾46﴿
باب فِي الصَّلِيبِ فِي الثَّوْبِ

बाब : 46
कपड़े पर स़लीब का निशान हो तो (मिटाना वाजिब है)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ .

(4151) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घर में कोई भी चीज़ देखते जिस पर स़लीब का निशान होता तो उसे काट डालते थे।

(4151) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5952.

फ़ायदा : घर में, कपड़े पर ग़ैर जानदार चीज़ों की तस्वीर हो तो कोई हर्ज नहीं। मगर स़लीब का निशान बे'रूह ही सही चूंकि इसकी इबादत होती है इसलिए इसका ख़त्म करना वाजिब है। इसी तरह ऐसे दरख़्त और पहाड़ वग़ैरह जिनकी लोग इबादत करते हों, उनकी तस्वीर लटकाना भी दुरूस्त नहीं है।

बाब : 47
तस्वीर से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴾47﴿ باب فِي الصُّوَرِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

(4152) सय्यदना अ़ली (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस घर में तस्वीर या कुत्ता या जुन्बी हो, उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।'

(4152) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 227 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3650, नसाई, हदीस: 262.

फ़ायदा : ये हदीस पीछे नम्बर 227 में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा हो।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تِمْثَالٌ " . وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ . فَانْطَلَقْنَا فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا وَكَذَا فَهَلْ

(4153) हज़रत अबू तलहा अन्सारी (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस घर में कुत्ता हो या बुत वहां फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।' ज़ैद बिन ख़ालिद ने अबू तलहा से कहा: चलो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से इस बारे में पूछते हैं। चुनांचे हम चल दिये। हमने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! अबू तलहा हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) से यूँ यूँ बयान करते हैं। क्या आपने भी नबी (ﷺ) को ये बयान करते सुना है? उनेंने कहा: नहीं। लेकिन मैं तुम्हें वह बताती हूं जो मैंने उन्हें करते हुए देखा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने एक सफ़र में तशरीफ़ ले गये। मुझे आपकी वापसी का इन्तेज़ार था। मैंने अपना

سَمِعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ فَأَخَذْتُ نَمَطًا كَانَ لَنَا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْعَرْضِ فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَأَى النَّمَطَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ شَيْئًا وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَأَتَى النَّمَطَ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَاللَّبِنَ " . قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ .

एक हाशियादार पर्दा लिया और उसे शहतीर के साथ लटका दिया। जब आप तशरीफ़ लाये तो मैंने इस्तिक़बाल किया और अ़र्ज़ किया: (अस्सलामु अ़लैक या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) हम्द उस अल्लाह की जिसने आपको इज़्ज़त और इकराम से नवाज़ा है। आपने घर पर नज़र डाली तो वह हाशियादार पर्दा देखा और मुझे कोई जवाब न दिया। मुझे आपके चेहरे पर नागवारी महसूस हुई। फिर आप उस हाशियादार पर्दे की तरफ़ आये और उसे उतार फैंका, फिर फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह ने हमें हमारे रिज़्क़ में ये हुक्म नहीं दिया कि ईंटों और पत्थरों को कपड़े पहनाते फिरें।' कहती हैं चुनांचे मैंने उसको फाड़ कर दो तकिये बना लिये और उनमें खजूर की छाल भर दी। तो उस पर आपने मुझे कुछ नहीं कहा।

(4153) **तख़रीज :** मुस्लिम, हदीस: 2106.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर उस पर्दे में कोई जानदार तस्वीरें समझी जायें तो फाड़ देने से ज़ाइल हो गयीं और उन्हें तकिये वग़ैरह में इस्तेमाल करना जायज़ हो गया। (2) बे मक़सद तौर पर दीवारों पर पर्दे लटकाना इस्राफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची है जो क़तअ़न हराम है। (3) कुत्ता अगर रखवाली के लिये हो तो जायज़ है, वरना नहीं। (4) जीवित चीज़ की तस्वीर या उनके बुत घरों और दुकानों वग़ैरह में रखने हराम हैं। उनकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते। (5) ये हदीस ग़ैर शरई और मुन्कर काम करने वाले को उसके सलाम का जवाब न देने पर भी दलालत करती है। (6) ये हदीस सिद्दीक़े अकबर(﵁) की बेटी सिद्दीक़ा व अ़फ़ीफ़-ए-कायनात उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (﵂) की अ़ज़मत और फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है कि वह हर हाल में रसूलुल्लाह (ﷺ) को राज़ी और ख़ूश रखने के लिये मुस्तइद रहती थीं और आपकी रज़ामंदी आपकी इताअ़त ही से हासिल हो सकती थी ... और है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهْ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَقَالَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ .

(4154) जरीर ने सुहैल से अपनी सनद से इसी मज़कूरा हदीस़ की मिस्ल रिवायत किया। इसमें है कि ज़ैद बिन ख़ालिद ने कहा: मेरी अम्मा जान! इस (अबू तलहा अन्सारी) ने मुझे नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की है। इस रिवायत की सनद में सईद बिन यसार के मुताल्लिक़ है कि ये बनू नजार के गुलाम थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ .

(4155) हज़रत अबू तलहा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।' जनाब बुस्र बिन सईद ने कहा: फिर ऐसे हुआ कि (इस हदीस़ के रावी यानी हमारे शैख़) ज़ैद बिन ख़ालिद बीमार हो गये और हम उनकी एयादत को गये तो देखा कि उनके दरवाज़े पर पर्दा है और उसमें तस्वीर थी। मैंने उ़बैदुल्लाह ख़ूलानी से कहा, जो कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ؓ) के परवर्दा थे, भला ज़ैद ने गुज़िश्ता दिन तस्वीरों के मुताल्लिक़ हदीस़ बयान नहीं की थी? तो उ़बैदुल्लाह ने कहा: तो क्या तुमने सुना नहीं था जबकि उन्होंने कहा था: मगर ये कि किसी कपड़े पर कोई नक़्श व निगार हो।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5958, व मुस्लिम: 2015.

फ़ायदा : बुनियादी बात यही है कि ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीरों और सलीब या माबूदाने बातिला के निशानात को बतौर ज़ीनत लटकाना नाजायज़ है। लेकिन अगर कपड़े पर या किसी ऐसी हालत में हों जहां उनकी अहानत हो रही हो तो मुबाह है। ताहम बचना फिर भी अफ़ज़ल है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا .

(4156) सय्यदना जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुक्म दिया जबकि आप ख़ूद वादी–ए–बतहा में ठहरे हूए थे कि काबा में जायें और उसमें मौजूद सब तस्वीरों को मिटा डालें। चुनांचे नबी (ﷺ) उन तस्वीरों के मिटा दिये जाने तक उसमें दाख़िल नहीं हूए थे।

(4156) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 7/268, तिर्मिज़ी, हदीस: 1749.

फ़ायदा : कुछ लोग केमरे की तस्वीरों को जायज़ कहते हैं और उन तस्वीरों को ही नाजायज़ समझते हैं जिनका जिस्म ठोस और सायादार हो तो इस हदीस में उनकी तर्दीद है कि दीवारों पर बनी तस्वीरों का कोई जिस्म न था और उन्हें मिटाने का हुक्म दिया गया। उर्फ़ और लुग़त के मफ़हूम में जो चीज़ तस्वीर है वह बफ़रमाने नबी (ﷺ) हराम है। ख़्वाह उनका जिस्म और साया हो या न हो। शीशे में आने वाला अक्स उर्फ़न तस्वीर नहीं कहलाता, मगर उसे केमरे वग़ैरह से महफ़ूज़ कर लेना तस्वीर कहलाता है। और यही हुक्म विडियो फ़िल्म वग़ैरह का है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ

(4157) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ जिब्राईल अलैहि. ने आज रात मुझ से मुलाक़ात का वादा किया

السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي " . ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

था, मगर मुलाक़ात को न आये।' मुझे ख़याल आया कि हमारी चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला मौजूद है (कहीं ये ही मानेअ न हुआ हो) तो उसके निकालने का हुक्म दिया। फिर आपने पानी लिया और अपने हाथ से उस जगह छिड़क दिया। फिर जिब्राईल अ़लैहि से मुलाक़ात हुई तो उन्होंने कहा: 'बेशक हम उस घर में दाख़िल नहीं होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो।' फिर सुबह हुई तो नबी (ﷺ) ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि आप छोटे बाग़ों के कुत्तों को भी मारने का हुक्म देते थे, अलबत्ता बड़े बाग़ों के कुत्तों को छोड़ देते थे।

(4157) तख़रीज : मुस्लिम: 2015.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي

(4158) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिब्राईल अ़लैहि. मेरे पास आये और मुझे कहा: मैं गुज़िश्ता रात आपके यहां आया था मगर अंदर आने से मेरे लिये ये अम्र मानेअ (रूकावट) था कि (आपके घर के) दरवाज़े पर तस्वीरें थीं और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और कुत्ता भी था, चुनांचे आप घर में तस्वीर के मुताल्लिक़ हुक्म दीजिये कि उसका सर काट दिया जाये और दरख़्त की

الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ " . فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّضَدُ شَىْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيرِ .

मानिन्द हो जाये और पर्दे के मुताल्लिक़ हुक्म फ़रमायें कि उसे काट कर दो तकिये बना लिये जायें जो फैंके जायें और पाँव से रौंदे जायें और कुत्ते के मुताल्लिक़ फ़रमाये कि उसे निकाल बाहर किया जाये।' चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही किया। ये कुत्ता, हसन या हुसैन (ﷺ) का था जो उनके तख़्त के नीचे था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया और उसे निकाल बाहर किया गया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (अन्नज़द) से मुराद वह शय है जिस पर कपड़े रखे जाते हैं और वह चारपाई के मुशाबा होती है।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2806, नसाई, हदीस: 5367, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1487.

फ़ायदा : शरीअत का कोई भी हुक्म अपनी बरकतों से ख़ाली नहीं। जिस शख़्स का आइना–ए–दिल ईमान व अमले सालेह से जिस क़द्र ज़्यादा शफ़ाफ़ होगा उसे उसी क़द्र उसकी ख़ैरात व बरकात का हिस्सा भी मिलेगा। वरना यक़ीनन महरूमी है और बावजूद उमूमी अमाले हसना के, बरकात से महरूम रहना और फ़ितनों की यलग़ार होना इन मुन्करात ही का नतीजा है जो हमसे जानते बूझते या ग़फ़लत से सरज़द होती रहती हैं। वल्लाहु आलम!

كتاب الترجل

बालों और कंघी चोटी के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب النَّهْيِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ

बाब : 1 बहुत ज़्यादा कंघी चोटी (और ज़ैब व ज़ीनत) की मुमानिअत का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا .

(4159) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कंघी करने से मना फ़रमाया है सिवाए इसके कि एक दिन छोड़ कर हो।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1756, नसाई, हदीस: 5058, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1480.

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में कुछ ज़ुअफ़ है, ताहम वह सुनन नसाई की सही रिवायत से दूर हो जाता है जिसमें है। 'अल्लाह के नबी (ﷺ) हमें इरफ़ा से मना फ़रमाते थे, हमने पूछा: इरफ़ा क्या है? तो आपने फ़रमाया: 'रोज़ाना कंघी करना।' (सुनन नसाई, हदीस: 5061) गोया रोज़ाना कंघी करना और बनना संवरना ममनूअ है। इसके अलावा मुसलमान मर्द या औरत का अपनी ज़ैब व ज़ीनत ही में मगन रहना शरई ज़ौक़ व मिज़ाज के ख़िलाफ़ है और इस हदीस में मज़कूर ये नफ़ी बिलख़ुसूस उस दौर की सक़ाफ़त के पेशे नज़र है कि वह लोग लम्बे बाल रखते थे और फिर उन्हें खोलने संवारने में ख़ास मेहनत करनी पड़ती थी और वक़्त भी बहुत सर्फ़ होता था। और आज कल भी औरतों ही में नहीं, मर्दों में भी बनाव सिंगार का शौक़ और रिवाज रोज़ अफ़ज़ूँ है, इसलिए बनने संवरने का ये बेजा शौक़े यक़ीनन नापसन्दीदा है, नीज़ इस्राफ़ व तब्ज़ीर का भी मिस्दाक़ है जो एक शैतानी काम है, इसलिए इसकी इजाज़त ज़रूर है लेकिन ऐतदाल (लिमिटेशन) के साथ और एक दिन छोड़ कर।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْمَازِنِيُّ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمِصْرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ . قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا وَأَنْتَ أَمِيرُ الأَرْضِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ . قَالَ فَمَا لِي لاَ أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا .

(4160) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के अस्हाब में से एक आदमी हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बैद (ﷺ) के यहां गया जबकि वह मिस्र में (अमीर) थे। वहां पहुँचे तो उनसे कहा: मैं तुम्हें बिला वजह मिलने नहीं आया हूं बल्कि मैंने और तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक हदीस़ सुनी थी, मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हें ख़ूब याद होगी। उन्होंने कहा: कौनसी हदीस़? फ़रमाया: फ़ुलां फ़ुलां! फिर कहा और क्या वजह है कि मैं तुम्हें परागन्दा सर देख रहा हूं हालांकि तुम इस इलाक़े के अमीर हो? हज़रत फ़ज़ाला (ﷺ) ने कहा: तहक़ीक़ रसूल (ﷺ) हमें बहुत ज़्यादा असबाबे ऐश जमा करने और बहुत ज़्यादा ज़ैब व ज़ीनत से मना फ़रमाया करते थे। फिर पूछा, क्या वजह है कि तुम्हारे जूते नहीं हैं? कहा कि नबी (ﷺ) हमें हुक्म फ़रमाया करते थे कि कभी कभी नंगे पाँव भी रहा करें।

(4160) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/22, बैहक़ी, हदीस़: 6468, नसाई, हदीस़: 5241.

फ़ायदा : ये रिवायत भी मानन (मानी के हिसाब से) स़ही है, क्योंकि स़ही रिवायात में हर वक़्त ज़ैब व ज़ीनत ही में लगे रहने से मना ही फ़रमाया गया है, जैसा कि पहले की हदीस़ के फ़वाइद में वज़ाहत की गयी है। इस बुनियाद पर हक़ीक़ी ज़ुहद यही है कि इंसान वसाइल होते हुए असबाबे ऐश और दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत में मगन न हो जाये। बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला की नेमतें इस्तेमाल भी करे मगर कभी कभी उनसे अलग भी रहे ताकि इंसान ख़ूदपसंदी का आ़दी न बन पाये।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ تَسْمَعُونَ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ " . يَعْنِي التَّقَحُّلَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيُّ .

(4161) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से मरवी है कि सहाबा–ए–किराम ने एक दिन आप (ﷺ) के सामने दुनिया का (असबाब ऐश व इश्रत का) ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम सुनते नहीं हो? क्या तुम सुनते नहीं हो? बिलाशुब्हा सादगी ईमान का हिस्सा है, बिलाशुब्हा सादगी ईमान का हिस्सा है।' यानी ज़ैब व ज़ीनत और ऐशो इश्रत को छोड़ देना।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने रावी–ए–हदीस़ के मुताल्लिक़ कहा कि ये अबू उमामा बिन स़अलबा अंस़ारी हैं ...(ﷺ)

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़ 4118.

﴾2﴿ باب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ

बाब : 2 ख़ूशबू इस्तेमाल करना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا

(4162) सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास एक ख़ास़ मुरक्कब ख़ूशबू थी आप उससे ख़ूशबू लगाया करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 215.

फ़ायदा : 'सुक्का' का एक दूसरा तर्जुमा भी किया गया है, यानी शीशी बोतल जिसमें ख़ूशबू रखी जाती थी।

﴾3﴿ باب فِي إِصْلاَحِ الشَّعْرِ

बाब : 3
बालों को बना संवार कर रखने का बयान

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ "

(4163) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने बाल रखे हों तो चाहिए कि उन्हें बना संवार कर रखे।'

(4163) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 6455, हाफ़िज़ फ़िल फ़तह: 1/368.

फ़ायदा : बाल रखे हों तो उन्हें संवार कर रखना लाज़िम है मगर बाक़ायदा एहतिमाम के साथ धोने और तेल कंघी के लिये एक दिन का वक़्फ़ा होना चाहिए।

﴾4﴿ باب فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

बाब : 4
औरतों के लिये मेहन्दी का बयान

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ عَائِشَةَ (ﷺ) فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ رِيحَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ .

(4164) करीमा बिन्ते हम्माम बयान करती हैं कि एक औरत ने सय्यदा आयशा (ﷺ) से मेहन्दी के मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब दिया: इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन मैं उसे नापसन्द करती हूं, क्योंकि मेरे हबीब (ﷺ) को इसकी बू नापसन्द थी।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उस औरत का मक़सद सर के बालों को मेहन्दी लगाना था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 5093.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَتْنِي غِبْطَةُ بِنْتُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةُ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ، عَنْ جَدَّتِهَا، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ ‏"‏ ‏.‏

(4165) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से रिवायत है कि हिन्द दुख़्तरे उत्बा ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! (ﷺ) मुझ से बैत ले लिजिए! आपने फ़रमाया: 'मैं उस वक़्त तक तुम्हारी बैत नहीं लूंगा जब तक कि तुम अपनी हथेलियों को रंग न लो, ये तो गोया दरिन्दे की हथेलियाँ हैं।'

(4165) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 7/86, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/236.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए औरतों के लिये हाथों का मेहन्दी से रंगना ज़रूरी यानी फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, जैसा कि इस रिवायत से मुतबादिर होता है, ताहम मर्दों से इम्तियाज़ के लिये औरत का मेहन्दी लगाना दूसरे दलाइल से साबित है, इसलिए इसके इस्तेहाब (पसन्दीदा अमल होने) में कोई शक नहीं मगर इसका इस्तेमाल इस तरह जायज़ नहीं जैसे आज कल हाथों, कलाईयों और पाँव पर भी बेल बूटे बनाये जाते हैं कि जिसे न भी देखना हो वह भी देखे। ये सूरते हाल बिल्कुल हराम है कि औरत ग़ैरों के लिये ख़्वामख़्वाह कशिश का बाइस बनती है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ ‏"‏ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ بَلِ امْرَأَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ ‏.‏

(4166) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि एक औरत ने पर्दे के पीछे से अपने हाथ से रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ इशारा किया, उसके पास आपके लिये एक ख़त था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ खींच लिया और फ़रमाया: 'मुझे नहीं मालूम कि ये हाथ मर्द का है या औरत का?' उसने कहा: औरत का, आपने फ़रमाया: 'अगर तू औरत होती तो अपने नाख़ूनों को रंग लेती।' यानी मेहन्दी लगाती।

(4166) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5092, अत्तल्ख़ीस अलहबीर: 2/237.

फ़ायदा : मुस्तहब है कि औरत के कम अज़ कम नाख़ुन मेहन्दी से रंगे हूए हों ताकि मर्दों से नुमायां रहे। नाख़ुन पालिश भी लगाई जा सकती है, मगर कुछ उलमा किराम कहते हैं कि इससे तहारत हासिल नहीं होती क्योंकि पालिश पानी को जिस्म तक नहीं पहुँचने देती लेकिन मेहन्दी में ये बात नहीं है, इसलिए नाख़ुन पालिश से इज्तेनाब ज़रूरी है। ये रिवायत कुछ हज़रात के नज़दीक 'हसन' है।

बाब : 5
बालों को मज़ीद (कुछ और) बाल लगा कर लम्बा करना

﴿5﴾ باب في صِلَةِ الشَّعْرِ

(4167) हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत अमीर मुआविया (ﷺ) बिन अबू सुफ़ियान (ﷺ) से सुना जिस साल कि उन्होंने हज किया। उन्होंने मिम्बर पर से अपने मुहाफ़िज़ के हाथ से बालों का एक गुच्छा पकड़ा और कहा: ऐ अहले मदीना! तुम्हारे उलमा कहां हैं? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि आप इस तरह की चीज़ों से मना फ़रमाते थे। आपने फ़रमाया: 'बनी इस्राईल तभी हलाक हूए जब उनकी औरतों ने इनका इस्तेमाल शूरू कर दिया।'

(4167) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3468, मौता, हदीस: 2/947, व मुस्लिम: 2127.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बालों को दूसरे बाल लगा कर लम्बा करना हराम है जैसे कि आज कल विग का रिवाज है। **(2)** अल्लाह की शरीअत और अम्बिया अलैहि. की तालीम से बग़ावत की बिना पर क़ौमें हलाक कर दी जाती हैं।

(4168) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत फ़रमाई है उस औरत पर जो किसी के बालों में बाल जोड़े और उस औरत पर जो ये काम

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

करवाये, और उस औरत पर जो जिस्म गोदे और उस पर जो अपना जिस्म गुदवाये।

(4168) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5947, व मुस्लिम: 2124.

फ़ायदा : जिन गुनाहों पर लानत की वईद सुनाई गई हो वह कबीरा गुनाह कहलाते हैं ऐसे गुनाह ख़ास तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते तौबा भी इस शर्त के साथ कि इंसान उनसे दूर रहने का अ़ज़्म भी करे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ . زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَاصِلاَتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى

(4169) (इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बवास्ता मुहम्मद बिन ईसा और उ़स्मान बिन अबी शैबा रिवायत किया) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने कहा: 'लानत की है अल्लाह ने उन औ़रतों पर जो जिस्म गोदें और गुदवायें।' मुहम्मद बिन ईसा ने कहा: और जो बाल जोड़ कर लम्बे करें। उ़स्मान ने कहा: और जो चेहरे के बाल उखेड़ें... फिर दोनों शैख़ रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं ... और जो हुस्न की ख़ातिर दाँतों में ख़ला करवायें, अल्लाह की ख़िल्क़त को तब्दील करें। ये बात बनू असद की एक औ़रत को पहुँची जिसे उम्मे याक़ूब कहा जाता था। उ़स्मान ने ये इज़ाफ़ा बयान किया: और उसने पूरा क़ुर्आन पढ़ रखा था ... फिर दोनों शैख़ रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं ... वह ख़ातून हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द के पास आई और कहा: मुझे आपसे ये बात पहुँची है कि आपने उन औ़रतों पर लानत की है जो जिस्म गोदें और गुदवायें। मुहम्मद ने कहा: और जो बाल जोड़ कर लम्बे करें। और उ़स्मान ने कहा: और जो चेहरे के बाल उखेड़ें। फिर दोनों रिवायत में मुत्तफ़िक़ हैं। और जो दाँतों में

. فَقَالَ وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ . فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ . قَالَ فَادْخُلِي فَانْظُرِي . فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ . فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا .

ख़ला करवायें। उ़स्मान ने कहा: ज़ीनत की ख़ातिर, अल्लाह की ख़िल्क़त को बदलने वालियाँ हैं। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) ने कहा: मुझे क्या हूआ कि मैं उन पर लानत न करूं जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत की है और ये अल्लाह की किताब में भी वारिद है। वह बोली: तहक़ीक़ मैंने पूरा क़ुर्आन जो दो गत्तों के दरम्यान में है पढ़ा है मुझे तो इसमें ये हुक्म नहीं मिला है, उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! अगर तूने पढ़ा होता तो यक़ीनन पा लेती। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी: (व मा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू) 'और रसूल जो कुछ तुम्हें दे दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे रूक जाओ।' औ़रत ने कहा: मैं उनमें से कई चीज़ें तुम्हारी बीवी पर भी देखती हूं। उन्होंने कहा: अंदर जाओ और देख लो। चुनांचे वह अंदर गई और फिर बाहर आ गई। उन्होंने पूछा: क्या देखा है? ... उ़स्मान ने कहा... औ़रत ने कहा: मैंने कुछ नहीं देखा, तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा: अगर ये होता तो हमारे साथ न होती।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5931, व मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़कूरा मामलात बाइसे लानत और कबीरा गुनाह हैं, इनसे बचना वाजिब और इनका इरतेकाब हराम है। (2) दावते दीन का काम करने वालों को लोग इन्तेहाई बारीक नज़र से देखा करते हैं और चाहते हैं कि वह अपने क़ौल के ख़ूद अव्वलीन आ़मिल और नमूना हों, बिलाशुब्हा इसके बग़ैर उनकी दावत ग़ैर मैयारी हो जाती है, इसलिए मुबल्लिग़ और दाई हज़रात व ख़्वातीन को ख़ूद बाअ़मल होना चाहिए। और उन्हें हमेशा इस सख़्त तरीन क़ुर्आने वईद को मद्दे नज़र रखना चाहिए: (या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़्अ़लून...) (अस्सफ़: 2,3)

(3) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ﷺ) इस मैयार पर पूरे उतरते थे और उन्होंने अपने ईमानी जज़्बात का इज़हार करते हूए फ़रमाया: अगर उनकी बीवी ख़िलाफ़े शरीअ़त कामों की मुर्तकिब होती तो उनके अहल में न होती। (4) सूरह हश्र की आयत: 7 पूरी शरीअ़त की जामेअ़ आयत है और हुज्जियते हदीस़ की बुनियादी दलील भी।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تَرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلاَنَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا .

(4170) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि लानत की गई है उस औ़रत पर जो बाल जोड़े और जुड़वाये, जो चेहरे के बाल उखेड़े और उखड़वाये और जो जिस्म गोदे या गुदवाये बग़ैर किसी बीमारी के।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (वाशिमा) वह है जो चेहरे की जिल्द पर सुरमे या स्याही से तिल वग़ैरह बनाती हो और (मुस्तव शिमा) वह है जो ये काम करवाती हो।

(4170) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : अगर किसी बीमारी वग़ैरह के कारण से किसी औ़रत के बाल झड़ जायें तो मुनासिब हद तक विग वग़ैरह इस्तेमाल कर सकती है। वल्लाहु आ़लम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ، عَنْهُ شُعُورُ النِّسَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ الْقَرَامِلُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

(4171) जनाब सईद बिन हुबैर (रह.) ने कहा कि धागों से बनी चोटी (मूबाफ़) में कोई हर्ज नहीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि गोया सईद (रह.) की राय ये थी कि बिलख़ुसूस औ़रतों के बाल (और बाल लगाकर) जोड़ना ही मना है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और ऐसे ही इमाम अहमद (रह.) कहते थे कि धागों की चोटी का कोई हर्ज नहीं है।

(4171) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये क़ौल सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मूबाफ़ (धागों की बनी चोटी) के इस्तेमाल में कोई हर्ज मालूम नहीं होता जैसा कि इमाम अहमद (रह.) के क़ौल से भी वाज़ेह है। वल्लाहू आलम!

बाब : 6
ख़ूशबू वापस करना दुरूस्त नहीं

﴿6﴾ باب فِي رَدِّ الطِّيبِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - الْمَعْنَى - أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ "

(4172) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे ख़ूशबू पेश की जाये तो वह उसे वापस न करे। बिलाशुब्हा उसकी महक उम्दा होती है और उसमें कोई बोझ भी नहीं होता।'

(4172) तख़रीज : नसाई, हदीस: 5261, व मुस्लिम: 2253.

फ़ायदा : ख़ूशबूदार, फूल या इत्र कोई बड़ा भारी बोझ नहीं होता जो नाक़ाबिले बरदाश्त हो और कोई इतना बड़ा एहसान भी नहीं होता कि उसका ऐवज़ देना कुछ मुश्किल हो। या ऐवज़ न देने से कोई गिला शिका करे तो ऐसी चीज़ को रद्द क्यों किया जाये। (अल्लामा वहीदुज़्ज़मान)

बाब : 7
औरत बाहर जाते हुए ख़ूशबू न लगाये

﴿7﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَتَطَيَّبُ لِلْخُرُوجِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4173) सय्यदना अबू मूसा (ﷺ) रिवायत करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई औरत ख़ूशबू लगाकर किसी क़ौम पर से गुज़रती है ताकि वह उसकी ख़ूशबू पा लें तो

قَالَ " إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا " . قَالَ قَوْلاً شَدِيدًا .

वह ऐसी और ऐसी है।' आपने बड़ी सख़्त बात फ़रमाई।

(4173) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2786, नसाई, हदीस़: 5129.

फ़ायदा : औरत को ख़ूशबू लगाकर बाहर निकलना हराम है। सुनन नसाई और जामेअ़ तिर्मिज़ी की रिवायात में ऐसी औरत के लिये ज़ानिया और बदकार होने का ज़िक्र है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 5129 व जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 2786)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يُنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الإِعْصَارُ غُبَارٌ .

(4174) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को एक औरत मिली उन्होंने उससे इत्र की ख़ूशबू महसूस की और उसकी चादर का पल्लू गुबार भी उड़ाता आ रहा था। उन्होंने उससे कहा ऐ जब्बार की बंदी! क्या तू मस्जिद से आई है? उसने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: तो क्या उसी के लिये तूने ख़ूशबू लगाई थी? कहने लगी, हाँ। उन्होंने कहा: मैंने अपने महबूब अबुल क़ासिम (ﷺ) से सुना है आप फ़रमाते थे: 'जो औरत इस मस्जिद के लिये ख़ूशबू लगाकर आयेगी नमाज़ क़बूल नहीं यहाँ तक कि वापस जाये और इस एहतिमाम से गुस्ल करे जैसे कि वह जनाबत से करती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़राया: (इस़ार) का मफ़हूम है (गुबार)

(4174) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 4002, बैहक़ी: 3/133, 134.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** जहां फ़ितने का अन्देशा न हो वहां अजनबी औरत से बराहे रास्त ख़िताब करके अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अदा करना (नसीहत करना) हक़ है। बिलख़ुसूस बड़ी उमर के बुज़ुर्गों के लिये ये अमल कोई ऐब शुमार नहीं होता। **(2)** औरतों को जायज़ नहीं कि ख़ूशबू लगाकर बाहर निकलें ख़्वाह मस्जिद ही जाना हो।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ " . قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ " عِشَاءَ الآخِرَةِ " .

(4175) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने रिवायत किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत ने ख़ूशबू की धूनी ली हो, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ में शरीक न हो।'
इब्ने नुफ़ैल ने (इशा अलआख़िरा) के लफ़्ज़ रिवायत किये।

(4175) तख़रीज : मुस्लिम: 444.

फ़ायदा : ऊद लौबान की ख़ूशबू का एक अन्दाज़ अरब में ये है कि वह लोग इसकी धूनी लेते हैं। इससे उसकी ख़ूशबू उनके जिस्म और कपड़ों में बस जाती है। जो बहुत हल्की होती है और भली लगती है, जब हल्की ख़ूशबू हराम है तो तेज़ ख़ूशबू और भी ज़्यादा क़बीह होगी।

﴿8﴾ بَابٌ فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

बाब : 8
मर्दों के लिये ज़ाफ़रान का इस्तेमाल

फ़ायदा : (ख़लूक़) से मुराद ऐसी ख़ूशबू है जो ज़ाफ़रान और दीगर ख़ूशबूओं से मुरक्कब (मिलकर बनी) हो। और उस पर सुर्ख़ी और ज़र्दी ग़ालिब हो। कुछ अहादीस़ में इसकी एबाहत और कुछ में नहीं वारिद है, इसलिए कई उ़लमा नही की अहादीस़ को दूसरी अहादीस़ के लिये नासिख़ समझते हैं। (औ़नूल माबूद)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلاً وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَاىَ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ

(4176) सय्यदना अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) ने बयान किया कि मैं (सफ़र से वापस आया और) रात को अपने घर वालों के यहां पहुँचा जब कि मेरे हाथ फट चुके थे, तो उन्होंने मुझे ज़ाफ़रान लगा दी। मैं सुबह के वक़्त नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और सलाम अ़र्ज़ किया तो आपने मुझे जवाब दिया न ख़ूश आमदेद कहा बल्कि फ़रमाया: 'जाओ और

صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي فَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " . فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَىَّ مِنْهُ رَدْعٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ " . فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلاَ الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلاَ الْجُنُبَ " . قَالَ وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

इसे अपने आपसे धोकर आओ।' चुनांचे मैं गया और उसे धो डाला और आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि उसका कुछ असर और दाग़ मुझ पर बाक़ी रह गया था। मैंने सलाम पेश किया तो आपने मुझे जवाब दिया न ख़ूश आमदेद कहा और फ़रमाया: 'जाओ और इसे अपने आपसे धोकर आओ।' चुनांचे मैं गया और उसे (दोबारा) धोकर हाज़िरे ख़िदमत हूआ और सलाम कहा तो आपने मुझे जवाब दिया और ख़ूश आमदेद भी कहा। और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा फ़रिश्ते काफ़िर के जनाज़े पर ख़ैर के साथ हाज़िर नहीं होते और न ऐसे आदमी के पास आते हैं जिसने ज़ाफ़रान लगाई हो और न जुन्बी के पास आते हैं।' अलबत्ता जुन्बी के लिये रूख़सत दी कि जब वह सोना या खाना पीना चाहे तो वुज़ू कर ले।

(4176) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 225 में देखें, बैहक़ी: 5/36.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस रिवायत में मज़कूर बातें दीगर सही अहादीस से साबित हैं, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को भी (1/91) में हसन कहा है। **(2)** नही अनिल मुन्कर का एक अन्दाज़ ये भी है कि गुनाह के मुर्तकिब के सलाम का जवाब न दिया जाये और बात चीत तर्क कर दी जाये। मगर ज़ाहिर है कि सलाम छोड़ देना एक सज़ा है और उसके लिये पहले मुताल्लिक़ा शख़्स का उज़्र दूर कर देना ज़रूरी है यानी दीन समझने में मेहनत की गई हो तभी ये सज़ा देनी चाहिए और फिर ये अन्दाज़ वहीं कामयाब और मुफ़ीद होता है जब मुताल्लिक़ा फ़र्द दीनी ऐतबार से ख़ूब समझदार और हस्सास हो। नासमझ आदमी इससे कुछ और ही मफ़हूम लेगा। **(3)** मर्दों को ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ

(4177) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) ने बयान किया कि मैंने ज़ाफ़रान लगाई, और मज़कूरा वाला क़िस्सा बयान किया। और

عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، - زَعَمَ عُمَرُ أَنَّ يَحْيَى، سَمَّى ذَلِكَ الرَّجُلَ فَنَسِيَ عُمَرُ اسْمَهُ - أَنَّ عَمَّارًا قَالَ تَخَلَّقْتُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . وَالأَوَّلُ أَتَمُّ بِكَثِيرٍ فِيهِ ذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ وَهُمْ حُرُمٌ قَالَ لاَ الْقَوْمُ مُقِيمُونَ.

पहली हदीस़ ज़्यादा कामिल है। इस रिवायत में धोने का ज़िक्र है। इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने अ़म्र बिन अ़ता से पूछा: क्या वह उस वक़्त एहराम में थे? उन्होंने कहा: नहीं, मुक़ीम थे।

(4177) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/320, बैहक़ी, हदीस़: 5/36.

फ़ायदा : कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को भी हसन कहा है, लिहाज़ा मालूम हूआ कि ज़ाफ़रान की मुमानिअ़त महज़ एहराम की वजह से न थी बल्कि मर्दों के लिये आ़म हालात में भी ममनूअ़ है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْبٍ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدَّيْهِ، قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا مُوسَى، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلاَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَىْءٌ مِنْ خَلُوقٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيَادٌ .

(4178) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला उस आदमी की नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता जिसके जिस्म पर मामूली सी ख़लूक़ भी लगी हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं सनद में वारिद रबीअ़ बिन अनस के नाना दादा से मुराद ज़ैद और ज़ियाद हैं।

(4178) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्दुल बर, अत्तमहीद: 2/182, 183, मुसनद अहमद: 4/403.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ وَقَالَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

(4179) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि मर्द ज़ाफ़रान लगायें। और इस्माईल (बिन इब्राहीम) से ये लफ़्ज़ मरवी है: (अय यतज़ अ़फ़र रजुल)

(4179) तख़रीज : मुस्लिम: 2101.

फ़ायदा : औरतों के लिये घर के अंदर ख़ाविन्द के सामने ज़ाफ़रान या दीगर ख़ुशबूओं का इस्तेमाल जायज़ है।

(4180) सय्यदना अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन क़िस्म के लोगों के पास फ़रिश्ते नहीं आते हैं। काफ़िर की लाश और जिसने ख़लूक़ (ज़ाफ़रान से मुरक्कब ख़ुशबू) लगाई हो और जुन्बी आदमी, मगर ये कि वज़ू कर ले।'

(4180) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बज़्ज़ार: 1/355, मज्मउज़्ज़वाइद: 5/72, 176.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ " .

(4181) हज़रत वलीद बिन उ़क़्बा (इब्ने अबी मुईत) ने कहा: जब अल्लाह के नबी (ﷺ) ने मक्का फ़तह किया तो अहले मक्का अपने बच्चों को आपके पास लाने लगे। आप उनके लिये बरकत की दुआ फ़रमाते और उनके सरों पर हाथ फेरते। मुझे भी आपके पास लाया गया, मगर मुझ पर ख़लूक़ (मुरक्कब ज़ाफ़रान) लगी थी। तो आपने इस वजह से मेरे सर पर हाथ न फेरा।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/32.

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ قَالَ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ.

(4182) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया जबकि उस पर ज़र्द रंग का निशान था। और बहुत कम ऐसे होता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी पर कोई नापसन्दीदा चीज़ देखें और बराहे रास्त उसे कुछ कहें। जब वह चला गया तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम इसे कह दो कि अपने पर से इसे धो डाले (तो बहुत बेहतर हो।)'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْعَلَوِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَىْءٍ يَكْرَهُهُ - فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ " لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ

(4170) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/133, सुनन कुबरा, हदीस: 1064, हदीस: 4789.

बाब : 9
बालों का बयान

(4183) हज़रत बरा (ﷺ) ने बयान किया कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने ज़ुलफ़ें रखी हों, सुर्ख़ जोड़ा पहना हो और रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर ख़ूबसूरत हो। मुहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद कहा: आप (ﷺ) की ज़ुलफ़ें कंधों तक आती थीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस्राईल ने अबू इस्हाक़ से रिवायत किया कि आप (ﷺ) के बाल आपके कंधों को छूते थे और शोबा ने कहा कि कानों की लौ तक आते थे।

(4183) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4072 में देखें, बैहक़ी: 1/223, व मुस्लिम: 2337.

(4184) हज़रत बरा (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने बाल रखे हूए थे जो आपके कानों की लौ तक आते थे।

(4184) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4072 में देखें, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

(4185) सय्यदना अनस (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल आपके कानों की लौ तक आते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इसमें शोबा को वहम हूआ है।

(4185) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5064, तिर्मिज़ी, हदीस: 29.

﴿9﴾ باب مَا جَاءَ فِي الشَّعْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ وَقَالَ شُعْبَةُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ .

(4186) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल आपके कानों के दरम्यान तक आते थे।

(4186) तख़रीज : मुस्लिम: 2338.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُونَ الْجُمَّةِ .

(4187) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल 'वफ़रा' से ज़ायद और 'जुम्मा' से कम होते थे।

(4187) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1755, इब्ने माजा, हदीस: 3635.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सर के बाल जब कानों की लौ तक आयें तो (वफ़रा) और जब कंधों तक पहुँचें तो (जुम्मा) कहलाते हैं। और उनके दरम्यान को (लिम्मा) से ताबीर करते हैं। **(2)** मर्दों को ऊपर बयान किये गये मुख़्तलिफ़अन्दाज़ों में बाल रखना जायज़ है, बशर्ते कि मक़सद नबी (ﷺ) की इत्तेबाअ हो।

﴿10﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

बाब : 10
माँग निकालने का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ - يَعْنِي - يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ .

(4188) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अहले किताब अपने बालों को ऐसे ही सीधा (पीछे की तरफ़) छोड़ दिया करते थे जब कि मुश्रिकीन माँग निकाला करते थे। और रसूल (ﷺ) को जिन उमूर में कोई हुक्म न दिया गया होता, आप उनमें अहले किताब की मुवाफ़िक़त करना पसन्द फ़रमाते थे, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने बाल सीधे रखने शूरू किये मगर बाद में माँग निकालने लगे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5917, व मुस्लिम: 2336.

फ़ायदा : वाज़ेह हूआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का माँग निकालना अल्लाह के हुक्म से था अगरचे मुश्रिकीन भी निकाला करते थे। पस मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार की वही मुशाबिहत नाजायज़ है जो उनकी दीनी और ख़ास क़ौमी अलामत हो।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرِقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوخِهِ وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(4189) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैं जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के बालों में माँग निकालने लगती तो आपके सर के बीचों बीच से निकालती और आपकी पेशानी के बालों को आपकी आँखों के सामने लटकाती (यानी फिर उन्हें आधो आध कर देती।)

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/90.

फ़ायदा : टेढ़ी माँग निकालना उस्वा–ए–रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ और मुश्रिकीन व कुफ़्फ़ार की मुवाफ़िक़त और मुशाबिहत है, इसलिए मुसलमानों को इस बुरी आदत से बाज़ रहना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख़्स किसी क़ौम की मुशाबिहत इख़्तियार करेगा तो वह उन्हीं में से होगा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4031)

﴾11﴿ باب فِي تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

बाब : 11
बालों को बहुत ज़्यादा लम्बा कर लेना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ، - هُوَ أَخُو قَبِيصَةَ - وَحُمَيْدُ بْنُ خُوَارٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله

(4190) हज़रत वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो मेरे बाल बहुत लम्बे थे, चुनांचे जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे देखा तो फ़रमाने लगे: 'नहूसत है, नहूसत है।' चुनांचे मैं वापस गया और उन्हें काट डाला और फिर अगले दिन हाज़िरे ख़िदमत हूआ तो आपने

عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ طَوِيلٌ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ذُبَابٌ ذُبَابٌ " . قَالَ فَرَجَعْتُ فَجَزَزْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ ".

फ़रमायाः 'मैंने तुझे कोई बुरी बात नहीं कही थी और अब ये बेहतर है।'

(4190) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3636, नसाई, हदीस़: 5055.

फ़ायदा : लम्बे बाल रखे जा सकते हैं जैसे कि गुज़िश्ता बाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) के बालों के बयान में गुज़रा है। मगर मर्दों के बालों का कंधों से नीचे होना जायज़ नहीं।

﴾12﴿ باب فِي الرَّجُلِ يَعْقِصُ شَعْرَهُ

बाब : 12
मर्द अपने लम्बे बालों को गूंध ले तो जायज़ है

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تَعْنِي عَقَائِصَ .

(4191) सय्यदना उम्मे हानी (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाये तो उनके बालों की चार लटें थीं जो गूंधी हूई थीं।

(4191) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1781, इब्ने माजा, हदीस़: 3631.

﴾13﴿ باب فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

बाब : 13
सर मुंडवा देना जायज़ है

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ

(4192) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है कि (हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब(ﷺ) की शहादत के मौक़े पर) नबी (ﷺ) ने आले जाफ़र को तीन दिन तक कुछ न कहा, फिर उनके पास आये और फ़रमायाः 'आज के बाद मेरे भाई पर मत रोना।' फिर फ़रमायाः 'मेरे भतीजों को मेरे

جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ " لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ " . ثُمَّ قَالَ " ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي " . فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ " ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ " . فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا .

पास बुलाओ।' पस हमें लाया गया, गोया हम चिड़िया के बच्चे थे। (यानी हमारे सरों के बाल बिखरे हुए थे) तो आपने फ़रमाया: 'मेरे पास हज्जाम (नाई) को बुलाओ।' तो आपने उससे कहा और उसने हमारे सर मूंड़ डाले।

(4192) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5229, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस: 1642.

फ़ायदा : बच्चों के बाल मूंड देने में कोई हर्ज नहीं, इसी तरह मर्दों को भी जायज़ है।

﴿14﴾ باب فِي الذُّؤَابَةِ

बाब : 14
बच्चों की ज़ुल्फ़ों का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ، - قَالَ أَحْمَدُ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا - قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ .

(4193) हज़रत इब्ने उमर (﵁) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने 'क़ज़अ' से मना फ़रमाया है। और क़ज़अ से मुराद ये है कि बच्चे के सर से कुछ बाल मूंड दिये जायें और कुछ छोड़ दिये जायें।

(4193) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5920, मुसनद अहमद: 2/4, 39, व मुस्लिम: 2120.

फ़ायदा : हमारे यहां आज कल 'बर्गर कट' के नाम से जो आधा सर मूंड दिया जाता है, इस हदीस की रोशनी में जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَتُتْرَكَ لَهُ ذُؤَابَةٌ .

(4194) हज़रत इब्ने उमर (﵁) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने 'क़ज़अ' से मना फ़रमाया है और वह ये है कि बच्चे का सारा सर मूंड दिया जाये और कोई एक लट बाक़ी रखी जाये।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहम: 2/101.

फ़ायदा : अहले बिदअ़त में ये मुरव्वज (प्रचलित) है कि वह अपने कुछ पीरों और बुज़ुर्गों के नाम से कुछ बाल नहीं काटते एक लट बाक़ी रखते हैं तो उनका ये अ़मल हराम है, क्योंकि ये ग़ैरूल्लाह के नाम पर नज़र मानना है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ " احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ " .

(4195) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने एक बच्चे को देखा कि उसके कुछ बाल मूंड दिये गये थे और कुछ छोड़े हूए थे तो आपने उन्हें इससे मना फ़रमाया और कहा: 'उसके सारे बाल मूंड दो या सारे रखो।'

(4195) तख़रीज .: (सनद सही) नसाई, हदीस: 5051, मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस : 19564, मुसनद अहमद: 2/88, मुस्लिम, हदीस: 2120.

फ़ायदा : मुसलमानों को मुश्रिकीन और कुफ़्फ़ार की तक़लीद व नक़्क़ाली से एतराज़ करना वाजिब है। बच्चों का मामला उनके वालिदैन और सरपरस्त से मुताल्लिक़ है। उन पर लाज़िम है कि बच्चों के लिबास और हजामत में इस्लामी कल्चर को मलहूज़े ख़ातिर रखा करें। और ये मामला जब बच्चों में नाजायज़ है तो बड़ों के लिये बतरीक़े औला नाजायज़ होगा।

﴾15﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ

बाब : 15
ज़ुल्फ़ें बढ़ा लेने की रूख़सत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لاَ أَجُزُّهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُ بِهَا

(4196) सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरी लम्बी लम्बी ज़ुल्फ़ें थीं। मेरी वालिदा ने मुझ से कहा: उन्हें मत काटो, रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें (प्यार से) खींचते थे और पकड़ लिया करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6485.

(4197) हज्जाज बिन हस्सान ने बयान किया कि हम हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के यहां गये। मेरी बहन मुग़ीरा ने बयान किया कि तुम उन दिनों नो उमर बच्चे थे और तुम्हारे बालों की दो लटें थीं तो उन्होंने तुम्हारे सर पर हाथ फेरा और तुम्हारे लिये बरकत की दुआ की और फ़रमाया: इन्हें मूंड डालो या कतर डालो। बिलाशुब्हा ये यहूदियों की अलामत है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6483.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي الْمُغِيرَةُ، قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَّكَ عَلَيْكَ وَقَالَ " احْلِقُوا هَذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَذَا زِيُّ الْيَهُودِ " .

बाब : 16
मूँछे कतरवाने का बयान

﴿16﴾ باب فِي أَخْذِ الشَّارِبِ

फ़ायदा : मूँछों के बालों का वह हिस्सा जो होटों के ऐन ऊपर होता है (शवारिब) कहलाता है। और अतराफ़ को (इस्बाल) कहते हैं। नीचे की हदीसें शवारिब से मुताल्लिक़ हैं।

(4198) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं: 'फ़ितरी उमूर पाँच हैं, या फ़रमाया कि पाँच बातें फ़ितरत से हैं: ख़तना कराना, ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ून तराशना और मूँछें कतरवाना।'

(4198) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5889, व मुस्लिम: 257.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ" .

फ़ायदा : (1) 'उमूरे फ़ितरत' यानी वह आमाल जिनका इख़्तियार करना इस क़द्र अहम है कि गोया वह जिबिल्ली और ख़िलक़ी उमूर हों। नीज़ तमाम अम्बिया–ए–किराम ने भी इनका इल्तेज़ाम किया है जिनकी इक़्तेदा का हमें हुक्म दिया गया है। (2) सही मुस्लिम की एक रिवायत में दस उमूर का ज़िक्र है। जो ये हैं: मूँछें कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी देना, नाख़ून तराशना, जोड़ों का धोना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई करना, इस्तिन्जा करना और कुल्ली करना।

(सही मुस्लिम: 261) **(3)** इन सब उमूर का इख़्तियार करना वाजिब है और ये इस्लामी शरई शिआर भी हैं। और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का हुक्म है 'दीन में पूरे के पूरे दाख़िल हो जाओ।' (अलबक़र: 208) कुछ अहकाम को मान लेना और कुछ को छोड़ देना अहले ईमान का शेवा नहीं हो सकता। इन उमूर में तक़सीर करना कबीरा गुनाह है। **(4)** ज़ेरे नाफ़ के लिये उस्तरा इस्तेमाल करना और बग़लों के बालों को नोचना ही सुन्नत है। अगरचे दूसरे तरीक़ों से भी ये अ़मल हो सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى .

(4199) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है: बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मूँछें मूंडवाने और दाढ़ियाँ बढ़ाने का हुक्म दिया है।

(4199) तख़रीज : मौता: 2/947, बुख़ारी, हदीस: 5892, 5893, व मुस्लिम: 259.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلْقَ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وُقِّتَ لَنَا وَهَذَا أَصَحُّ .

(4200) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने रिवायत किया, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमारे लिये हद मुक़र्रर कर दी थी कि ज़ेरे नाफ़ की सफ़ाई, नाख़ुन तराशने, मूँछें काटने और बग़लों के बाल उखेड़ने का अ़मल चालीस दिन में एक बार (ज़रूर) कर लिया जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायत को जाफ़र बिन सलमान ने बवास्ता अबू इमरान हज़रत अनस से रिवायत किया, मगर नबी (ﷺ) का ज़िक्र नहीं किया। और कहा: 'हमारे लिये ये हद मुक़र्रर की गई थी।' और ये ज़्यादा सही है। (और सदक़ा दक़ीक़ी क़वी रावी नहीं है।)

(4200) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2758, मुस्लिम, हदीस: 258.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम चालीस दिन की मुद्दत की बाबत सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। देखिये: (सही मुस्लिम, बाब ख़िसालुल फ़ित्रा: 258) इसके अ़लावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को भी सही क़रार दिया है। देखिये: (सही अबू दाऊद, किताब व बाब मज़कूर)

लिहाज़ा मालूम हूआ कि चालीस दिन की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा है। इससे आगे बढ़ना जायज़ नहीं।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ.

(4201) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम लोग हज और उमरे के अलावा दाढ़ियों को छोड़ रखते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (अल इस्तिहदाद) का मफ़हूम ज़ेरे नाफ़ बालों की सफ़ाई है।

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) हाफ़िज़ अल फ़तह: 10/350

फ़ायदा : यानी हज और उमरे में हम कुछ काट लिया करते थे, उनके अलावा किसी और मौक़े पर हम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये रिवायत ही सही नहीं है। इसलिए हज और उमरे के मौक़े पर भी दाढ़ी का काटना जायज़ नहीं है।

﴿17﴾ باب فِي نَتْفِ الشَّيْبِ

बाब : 17
सफ़ेद बाल नोचने का मसला

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - الْمَعْنَى - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ " . قَالَ عَنْ سُفْيَانَ " إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى " إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " .

(4202) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बाल मत नोचा करो, जिस किसी मुसलमान के बाल हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें क़यामत के दिन ये उसके लिये नूर का बाइस होंगे।' और यहया की रिवायत में है ... 'अल्लाह तआला एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता है और एक गुनाह दूर करता है।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/175, तिर्मिज़ी, हदीस: 2821, इब्ने माजा, हदीस: 3721, नसाई, हदीस: 5071.

फ़ायदा : सफ़ेद बाल दाढ़ी में हों या सर में, उन्हें उखेड़ना जायज़ नहीं है और न काला रंग जायज़ है जैसे कि अगले बाब में मज़कूर है।

बाब : 18
ख़िज़ाब लगाने का बयान

﴿18﴾ بابٌ فِي الْخِضَابِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ " .

(4203) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई अपने बालों को नहीं रंगते पस तुम उनकी मुख़ालिफ़त किया करो।' (यानी रंगा करो।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5899, व मुस्लिम: 2103.

फ़ायदा : इससे इस्तेदलाल करते हूए कुछ उलमा ने कहा है कि सफ़ेद बालों को मेहन्दी वग़ैरह से रंगना वाजिब है। लेकिन दूसरे उलमा ने इस अम्र को इस्तेहबाब पर महमूल किया है, यानी रंगना बेहतर है, लेकिन बालों को सफ़ेद ही रहने देना, ये भी जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ " .

(4204) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि फ़तहे मक्का के रोज़ (हज़रत अबूबक्र(ﷺ) के वालिद) अबू क़हाफ़ा को लाया गया तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सग़ामा बूटी की मानिन्द सफ़ेद थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्हें किसी रंग से बदल दो और स्याही से बचो।'

(4204) तख़रीज : मुस्लिम: 2102.

फ़ायदा : सर या दाढ़ी के सफ़ेद बालों को काले रंग का ख़िज़ाब लगाना नाजायज़ है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ

(4205) सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ सबसे बेहतर चीज़ जिससे ये सफ़ेद बाल रंगे जाते हैं मेहन्दी और कतम है।'

الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .

(4205) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1753, इब्ने माजा, हदीस: 3622, नसाई, हदीस: 5083, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1475, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस : 20174.

फ़ायदा : (कतम) एक ख़ास पहाड़ी बूटी है जो बिलख़ुसूस यमन में पाई जाती है। इसके पत्ते बतौर ख़िज़ाब इस्तेमाल किये जाते हैं और इसका रंग स्याही माइल होता है ख़ालिस स्याह नहीं होता। इस हदीस से मालूम हूआ कि मेहन्दी और कतम या उनका मुरक़्क़ब ख़िज़ाब जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ - قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعُ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

(4206) हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) का बयान है कि मैं अपने वालिद के साथ नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ मैंने देखा कि आपके बाल कानों तक थे, उनमें मेहन्दी के रंग की झलक थी और आप दो सब्ज़ चादरें औढ़े हूए थे।

(4206) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4065 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ . قَالَ " اللَّهُ الطَّبِيبُ بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا " .

(4207) अयाद बिन लक़ीत ने हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) से ये हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने आपसे अर्ज़ किया: ये जो आप की कमर पर है मुझे दिखायें, मैं तबीब (मुआलिज) हूं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तबीब तो अल्लाह है, तुम रफ़ीक़ (तसल्ली देने वाले और नर्मी करने वाले) हो। तबीब वह है जिसने उसे पैदा किया है।'

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) के वालिद का इशारा आप (ﷺ) की कमर पर मुहरे नबूवत की तरफ़ था जिसकी हक़ीक़त से वह उस वक़्त तक वाक़िफ़ नहीं हूए थे।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

(4208) हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद नबी (ﷺ) के पास

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي فَقَالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ " مَنْ هَذَا " . قَالَ ابْنِي . قَالَ " لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ " . وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ .

आये। आपने एक शख़्स से या मेरे वालिद से (मेरे मुताल्लिक़ पूछा) कि 'ये कौन है?' उन्होंने कहा: ये मेरा बेटा है। आपने फ़रमाया: 'ये तेरा क़सूर नहीं उठायेगा।' (यानी हर शख़्स अपने आमाल का ख़ूद ज़िम्मेदार और जवाबदेह है।) और आपने अपनी दाढ़ी मेहन्दी से रंगी हूई थी।

(4208) तख़रीज : (सनद सही) उस्दुल गाबा: 5/193, 194, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : कुर्आन मजीद में है: 'कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठायेगी।' (बनी इस्राईल: 15) ये क़ायदा आख़िरत के अलावा दुनिया में भी है। जुर्म की सज़ा असल मुजरिम ही को देनी चाहिए न कि उसके अज़ीज़ व अक़ारिब को। ये जो हमारे यहां बसा औक़ात पूलीस वाले असल मुजरिम की बजाये या मुजरिम के फ़रार हो जाने पर उसके बाप या बेटे या किसी दूसरे अज़ीज़ रिश्तेदार को पकड़ लेते हैं तो ये शरअन नाजायज़ है, नीज़ अख़्लाक़ी और क़ानूनी तौर पर भी इसका कोई जवाज़ नहीं लेकिन चूंकि उन लोगों के दिलों में अल्लाह का कोई डर ख़ौफ़ है न अख़्लाक़ी और क़ानूनी तक़ाज़ों का कोई लिहाज़, इसलिए ये लोग ऐसी क़बीह और गंदी हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के लिये अल्लाह तआला के यहां निहायत ही दर्दनाक अज़ाब है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ وَلَكِنْ قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

(4209) सय्यदना अनस (ﷺ) से नबी (ﷺ) के ख़िज़ाब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि आपने अपने बाल नहीं रंगे। लेकिन हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (ﷺ) ने रंगे हैं।

(4209) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5895, व मुस्लिम: 2341.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर या दाढ़ी में इस क़द्र सफ़ेदी नहीं आई थी कि बा'क़ायदा रंगने की ज़रूरत पड़ती। चंद गिनती के बाल ज़रूर सफ़ेद हूए थे जिन्हें रंगा भी गया था मगर सय्यदना अनस(ﷺ) ने चूंकि रंगते नहीं देखा इसलिए इंकार फ़रमाया। दीगर सहाबा ने रंगते देखा है तो बयान भी किया है।

बाब : 19
ज़र्द रंग से बाल रंगना

﴾19﴿ باب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ الصُّفْرَةِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(4210) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) सब्ती (रंगी हुई खाल से बने हूए) जूते इस्तेमाल किया करते थे और अपनी दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान भी लगाते थे। चुनांचे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का भी यही अमल था।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5246.

फ़ायदा : कुछ उलमा ने इन अहादीस की रोशनी में वर्स और ज़ाफ़रान की नही को तन्ज़ीह पर महमूल किया है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " . قَالَ فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا " . قَالَ فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ " هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ " .

(4211) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास से एक आदमी का गुज़र हूआ जिसने अपने बाल मेहन्दी से रंगे हूए थे तो आपने फ़रमाया: 'ये क्या ख़ूब है!' फिर दूसरा आदमी गुज़रा जिसने मेहन्दी और कतम (बूटी) से रंगे हूए थे। आपने फ़रमाया: 'ये इससे बढ़ कर उम्दा है।' फिर एक और गुज़रा, जिसने ज़र्द रंग से रंगे हूए थे, आपने फ़रमाया: 'ये इन सब से उम्दा है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3627.

बाब : 20
काले ख़िज़ाब का हुक्म

﴿20﴾ باب مَا جَاءَ فِي خِضَابِ السَّوَادِ

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " .

(4212) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो स्याह रंग से अपने बाल रंगेंगे जैसे कबूतरों के सीने होते हैं, ये लोग जन्नत की ख़ुशबू नहीं पायेंगे।'

(4212) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 5078 (शरहुस्सुन्ना: 12/92, हदीस़: 3180)

फ़ायदा : बालों की सफ़ेदी को स्याही में बदलना हराम है। मर्दों और औरतों सब के लिए एक ही हुक्म है। मेहन्दी या कतम से जायज़ है।

बाब : 21
हाथी दाँत से फ़ायदा उठाना

﴿21﴾ باب مَا جَاءَ فِي الاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُنَبِّهِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ

(4213) सय्यदना स़ौबान मौला रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र के लिये रवाना होते तो अपने अहल के जिस फ़र्द से सबसे आख़िर में मुलाक़ात करते वह सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) होतीं। और जब वापस आते तो सबसे पहले सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) ही के यहां तशरीफ़ लाते। आप अपने एक ग़ज़्वा से

أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَّكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ " يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلاَنٍ " . أَهْلِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ " إِنَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلاَدَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ " .

वापस आये जबकि सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) ने अपने दरवाज़े पर टाट या पर्दा लटकाया हूआ था और हज़रत हसन और हुसैन(ﷺ) को चाँदी के कंगन पहनाये हूए थे। आप (ﷺ) तशरीफ़ लाये मगर अंदर नहीं गये। तो सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) को गुमान हूआ कि आपके अंदर न आने का सबब यही है जो उन्होंने देखा है। चुनांचे उन्होंने पर्दा फाड़ दिया और बच्चों से कंगन उतार लिये और उनके सामने ही उन्हें तोड़ डाला तो वह रोते हूए रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चले गये। आपने उन दोनों से वह ले लिये और फ़रमाया: 'ऐ स़ौबान! इन्हें फुलां घर वालों के पास ले जाओ।' जो अहले मदीना में से थे। आपने फ़रमाया: 'ये लोग (फ़ातिमा, अ़ली, हसन, हुसैन) (ﷺ) मेरे अहले बैत हैं, मुझे ये बात पसन्द नहीं कि ये अपनी नेकियों की जज़ा इसी दुनिया में खा लें। ऐ स़ौबान! फ़ातिमा के लिये अ़सब (मन्कों) का एक हार और हाथी दाँत के दो कंगन ख़रीद लाना।'

(4213) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/275.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ़ है, ताहम हाथी के दाँतों की बाबत स़ही बुख़ारी में इमाम ज़ोहरी (रह.) से मनक़ूल है: 'हाथी दाँत और दीगर मुर्दारों की हड्डियों के सिलसिले में सल्फ़ के कई उ़लमा को मैंने पाया कि हाथी दाँत वग़ैरह से बनी कंघियाँ इस्तेमाल करते और उनसे बने बर्तनों में तेल डालते और उसमें कोई हर्ज न समझते थे। इब्ने सीरीन और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि हाथी दाँत की तिजारत में कोई हर्ज नहीं।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 235)

كتاب الخاتم

अंगूठियों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ

बाब : 1
अंगूठी बनवाना जायज़ है

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إِلَى بَعْضِ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " .

(4214) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इरादा किया कि अजमी बादशाहों को ख़त लिखें। तो आपको बताया गया कि वह लोग मुहर के बग़ैर ख़त नहीं पढ़ते। तो आपने चाँदी की अंगूठी बनवाई जिसमें ये कलिमात कंदा थे: (मुहम्मद रसूलुल्लाह)

(4214) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5872.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी महज़ ज़ीनत के लिये नहीं थी बल्कि बतौर मुहर इस्तेमाल होती थी।

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ زَادَ فَكَانَ فِي يَدِهِ

(4215) क़तादा ने हज़रत अनस (ﷺ) से ऊपर की हदीस़ ईसा बिन यूनुस के हम मानी रिवायत की। इसमें इज़ाफ़ा है। फिर ये अंगूठी आप (ﷺ) के हाथ में रही यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गयी, फिर हज़रत अबूबक्र (ﷺ) के हाथ में रही यहाँ तक कि उनकी

حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى قُبِضَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ بِئْرٍ إِذْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَأَمَرَ بِهَا فَنُزِحَتْ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ .

वफ़ात हो गयी, फिर हज़रत उमर (ﷺ) के हाथ में रही यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गयी, फिर हज़रत उस्मान (ﷺ) के हाथ में आई। और फिर वह एक कूएँ के किनारे बैठे थे कि इत्तेफ़ाक़न उसमें गिर गई। तो उन्होंने हुक्म दिया और उसका सारा पानी निकाला गया। मगर लोग उसे तलाश करने से आजिज़ रहे।

(4215) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस 6342, ये हदीस ऊपर गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ .

(4216) हज़रत अनस (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) की अंगूठी चाँदी की थी और इसका नगीना हब्शी था।

(4216) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5868, व मुस्लिम: 2094.

फ़ायदा : हब्शी नगीने का मफ़हूम ये है कि उसकी बनावट का अन्दाज़ हब्शी था या पत्थर हब्शे का था। काले रंग की वजह से उसे हब्शी कहा गया है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ كُلُّهُ فَصُّهُ مِنْهُ .

(4217) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) की अंगूठी सारी की सारी चाँदी की थी, उसका नगीना भी उसी से ही था।

(4217) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1740, नसाई, हदीस: 5203.

حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4218) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने बयान किया कि (पहले पहल) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की जानिब रखना शुरू किया और उसमें (मुहम्मद रसूलुल्लाह) के अल्फ़ाज़

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ " لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُثْمَانُ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ عَلَى عُثْمَانَ حَتَّى سَقَطَ الْخَاتَمُ مِنْ يَدِهِ .

कंदा करवाये तो सहाबा ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। जब आपने ये देखा कि लोगों ने भी (वैसी ही अंगूठियाँ) बनवा ली हैं तो आपने अपनी अंगूठी उतार फैंकी और फ़रमाया: 'मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा।' फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनवाई उसमें भी (मुहम्मद रसूलुल्लाह) के अल्फ़ाज़ नक़्श करवाये। आपके बाद ये अंगूठी हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने पहनी, फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने पहनी। फिर उनके बाद हज़रत उस्मान (ﷺ) ने पहनी यहाँ तक कि अरीस नामी कूएँ में गिर गई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सय्यदना उस्मान (ﷺ) से उस वक़्त तक लोगों ने कोई इख़्तिलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि अंगूठी उनके हाथ से गिर गई। (उसके बाद इख़्तिलाफ़ात ने भी सर उठा लिया।)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5866, व मुस्लिम.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . وَقَالَ " لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ .

(4219) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने इस ख़बर में बयान किया नबी (ﷺ) ने अपनी अंगूठी में (मुहम्मद रसूलुल्लाह) के कलिमात कंदा करवाये और फ़रमाया: 'कोई शख़्स मेरी इस अंगूठी के नक़्श की तरह अपनी अंगूठी का नक़्श न बनवाये। फिर हदीस बयान की।

(4219) तख़रीज : मुस्लिम: 2091.

फ़ायदा : इस नक़्श की हैसियत चूंकि सरकारी थी, इसलिए इस जैसे नक़्श की अंगूठी बनवाने से रोक दिया गया। इस नक़्श की सरकारी हैसियत की वजह से ही बाद में इसे ख़ुल्फ़ा-ए-सलासा भी

इस्तेमाल करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उ़स्मान (ﷺ) से वह गुम हो गई तो उन्होंने उसी नक़्श जैसी वाली अंगूठी दोबारा बनवाई, अलबत्ता कुछ अइम्मा के नज़दीक हज़रत उ़स्मान (ﷺ) से अंगूठी के गुम होने वाली रिवायत सही नहीं है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا وَنَقَشَ فِيهِ " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ " . قَالَ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ أَوْ يَتَخَتَّمُ بِهِ .

(4220) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की। (इब्ने उ़मर ने) फ़रमाया: (फिर वह अंगूठी गुम हो गई) तो लोगों ने उसे तलाश किया मगर न पा सके। तो हज़रत उ़स्मान(ﷺ) ने एक (नई) अंगूठी बनवाई जिसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के कलिमात नक़्श करवाये। चुनांचे वह उसी से मुहर किया करते थे, या उसे पहना करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 5220.

﴿2﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْخَاتَمِ

बाब : 2 अंगूठी न पहनने का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعَ النَّاسُ فَلَبِسُوا وَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَرَحَ النَّاسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ كُلُّهُمْ قَالَ مِنْ وَرِقٍ .

(4221) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) के हाथ में स़िर्फ़ एक दिन चाँदी की अंगूठी देखी, तो लोगों ने भी बनवाकर पहन लीं। नबी (ﷺ) ने वह उतार फैंकी तो लोगों ने भी उतार फैंकीं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को ज़ोहरी से ज़्याद बिन सअ़द, शुऐब और इब्ने मुसाफ़िर ने रिवायत किया और इन सब का बयान है कि अंगूठी चाँदी की थी।

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 4216 में देखें।

मल्हूज़ : कुछ शारेहीन (इमाम नववी वग़ैरह) ने कहा है कि नबी (ﷺ) ने जो अंगूठी फैंकी थी, वह सोने की थी, जैसा कि दूसरी रिवायतों से साबित है, इसलिए उसे चाँदी की अंगूठी कहना, इमाम ज़ोहरी का वहम है। वल्लाहू आलम! (औनूल माबूद)

बाब : 3
सोने की अंगूठी का बयान

﴾3﴿
بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ

(4222) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) बयान किया करते थे कि नबी (ﷺ) को दस बातें नापसन्द थीं (हराम समझते थे): ज़र्द रंग की मुरक्कब ख़ुशबू यानी ख़लूक़, सफ़ेद बालों का (स्याह) रंग तब्दील कर देना, चादर घसीटना, सोने की अंगूठी पहनना, बग़ैर मौक़े मुनासिब के ज़ीनत का इज़हार करना, गोटियों से खेलना, शरई मुअव्वज़ात के सिवा दूसरे दम झाड़, मन्के कोड़ियाँ वग़ैरह लटकाना, ग़ैर हलाल में मनी डालना और छोटे बच्चे में ख़राबी डालना, मगर आप (ﷺ) उसे हराम न कहते थे। (मुराद है अय्यामे रज़ाअत में बच्चे की माँ से मुबाशरत करना।)

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस को मुसनद रिवायत करने में अहले बसरा मुन्फ़रिद हैं। वल्लाहू आलम!

(4222) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5091.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ عَشْرَ خِلاَلٍ الصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ - وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرِ مَحِلِّهِ أَوْ عَنْ مَحِلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

बाब : 4
लोहे की अंगूठी का बयान

﴿4﴾ بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الْحَدِيدِ

(4223) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी (ﷺ) के पास आया जबकि उसने पीतल की अंगूठी पहनी हूई थी। आपने उससे फ़रमाया: 'मुझे क्या है कि मैं तुझसे बुतों की बू पाता हूं?' तो उसने वह अंगूठी उतार फैंकी। वह दोबारा आया तो लोहे की अंगूठी पहने हूआ था, आपने फ़रमाया: 'क्या बात है कि मैं तुझ पर दोज़खों का ज़ेवर देखता हूं?' तो उसने वह भी उतार फैंकी। फिर उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस चीज़ से अंगूठी बनवाऊं? आपने फ़रमाया: 'चाँदी की बनवाओ मगर मिस्क़ाल से कम रखना।'

मुहम्मद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने 'अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम' का नाम ज़िक्र नहीं किया (बल्कि अलसलमी अलमर्वजी कहा) जबकि हसन बिन अ़ली ने 'अलसलमी अलमर्वज़ी नहीं कहा (बल्कि सिर्फ़ अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम कहा।)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1785, नसाई, हदीस: 5198, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1467.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ " مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ " . فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ " مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ " . فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ " اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً " . وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ . وَلَمْ يَقُلِ الْحَسَنُ السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ .

फ़ायदा : इस मिक़्दार की हद तक चाँदी की अंगूठी मर्द के लिये जायज़ है।

(4224) ईसा बिन हारिस़ बिन मुऐक़ीब ने अपने दादा मुऐक़ीब (ؓ) से रिवायत किया

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى،

وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، وَجَدُّهُ، مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو ذُبَابٍ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ . قَالَ فَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِهِ قَالَ وَكَانَ الْمُعَيْقِيبُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

... ख़्याल रहे कि ईसा के नाना का नाम 'अबू ज़ुबाब' है ... उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) की अंगूठी लोहे की थी जिस पर चाँदी का मुलम्मा किया गया था। कहा कि बसा औक़ात वह अंगूठी मेरे हाथ में होती थी। रावी ने कहा कि हज़रत मुऐक़ीब (ؓ) नबी (ﷺ) की अंगूठी के मुहाफ़िज़ थे।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5208.

फ़ायदा : लोहे की अंगूठी को जिस चीज़ से मुलम्मा किया गया वह उसी के हुक्म में होगी, सोना हो या चाँदी। और मर्दों के लिये चाँदी जायज़ है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ " . قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - شَكَّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عَنِ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَقُلْنَا لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ قَالَ

(4225) हज़रत अली (ؓ) से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ये दुआ किया करो (अल्लाहुम्मा इहदिनी व सद्दिद्नी) 'ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत दे और सीधा रख।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया 'हिदायत' में रास्ते पर सीधा चलने और 'सिदाद' में तीर का निशाने पर लगने के मानी पेशे नज़र रखा करो।' फिर शहादत वाली या दरम्यानी उंगली की तरफ़ इशारा करते हूए कहा कि आपने मुझे इसमें या इसमें अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया। ये शक आसिम को हूआ है ... और आपने मुझे क़सिय्या और मीसरा से भी मना फ़रमाया।

अबू बुर्दा (ؓ) कहते हैं कि हमने हज़रत अली(ؓ) से पूछा कि 'क़सिय्या' से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: इससे मुराद नारंगी की

ثِيَابٌ تَأْتِينَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الأُتْرُجِّ قَالَ وَالْمِيثَرَةُ شَيْءٌ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ .

तरह मुनक़्क़श कपड़े हैं जो हमारे पास शाम या मिस्र से आते थे और 'मीसरा' से मुराद वह गद्दियाँ हैं जो औरतें अपने शौहरों के लिये बनाती थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5838, व मुस्लिम: 2078.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई दुआ एक मुख़्तसर और जामेअ़ दुआ है और दुआओं में अदना से आला मरातिब तक तमाम मानी को अपने ज़हन में रखना मुस्तहब है यानी दुनिया की नेमतों के साथ आख़िरत और आख़िरत के साथ दुनिया की नेमतों का तसव्वूर। **(2)** हदीस में फ़रमाई गई हिदायत से कुछ लोगों ने 'तसव्वूरे शैख़' का जवाज़ पैदा करने की कोशिश की है जो किसी तरह जायज़ नहीं बल्कि हराम है। इबादात में तसव्वूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का मतलूब है इल्ला ये कि दरूद शरीफ़ पढ़ते हूए या किसी के लिये मग़फ़िरत वग़ैरह की दुआ करते हूए जो तसव्वूर आता है वह एक अलग चीज़ है। **(3)** शहादत की उँगली या बीच वाली उंगली में अंगूठी पहनना दुरूस्त नहीं है। **(4)** (क़सिय्या) या (क़ज़) की मुमानिअ़त रेशम की वजह से और (मीसरा) की मुमानिअ़त सुर्ख़ (लाल) रंग और अज्मी लोगों की मुशाबिहत की बिना पर है।

﴿5﴾ باب مَا جَاءَ فِي التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ

बाब : 5
अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाये या बायें में?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله تعالى عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ شَرِيكٌ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

(4226) सय्यदना अ़ली (ﷺ) ने (मरफ़ूअ़न) और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने (मुर्सलन) बयान किया कि नबी (ﷺ) अंगूठी दायें हाथ में पहना करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5206.

फ़ायदा : सुन्नत और मुस्तहब ये है कि अंगूठी दायें हाथ में पहनी जाये और छंगलियां या साथ वाली उंगली में पहनी जाये।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأُسَامَةَ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ فِي يَمِينِهِ.

(4227) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) बायें हाथ में अंगूठी पहना करते थे और उसका नगीना अंदर हथेली की जानिब हूआ करता था।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने इस्हाक़ और उसामा बिन ज़ैद ने नाफ़ेअ से मज़कूरा सनद से ये रिवायत किया: 'दायें हाथ में पहना करते थे।'

(4227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 6375.

फ़ायदा : बायें हाथ वाली रिवायत ज़ईफ़ है। सही और महफ़ूज़ दायें हाथ का बयान है।

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى .

(4228) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) अपनी अंगूठी बायें हाथ में पहना करते थे।

(4228) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 6363.

फ़ायदा : ये एक सहाबी का अमल है जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का अमल ऊपर बयान हूआ है। और वही क़ाबिले इत्तेबाअ है जैसा कि अगली रिवायत में भी आ रहा है। मुमकिन है नबी (ﷺ) के अमल से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बे ख़बर रहे हों, वरना वह कभी भी इसके बरअक्स अमल न करते।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلَى الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَاتَمًا فِي خِنْصَرِهِ الْيُمْنَى فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ هَكَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ عَلَى ظَهْرِهَا .

(4229) मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने रिवायत किया कहा कि मैंने सल्त बिन अब्दुल्लाह बिन नोफ़िल बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि उन्होंने अपने दायें हाथ की छंगलियां में अंगूठी पहनी हूई थी। मैंने कहा: ये क्या? उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को देखा कि वह अपनी अंगूठी इसी तरह पहना करते थे। और उसका नगीना बाहर की

قَالَ وَلاَ يَخَالُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ قَدْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ كَذَلِكَ .

तरफ़ रखते थे। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के मुताल्लिक़ ख़याल किया जाता है कि वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी अंगूठी ऐसे ही पहना करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1742.

फ़ायदा : मुस्तहब और मसनून ये है कि अंगूठी दायें हाथ की छंगलियां में पहनी जाये।

﴾6﴿ باب مَا جَاءَ فِي الْجَلاَجِلِ

बाब : 6 घूंघरू वाले पाज़ैब पहनना

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلاَةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رِجْلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانًا " .

(4230) आ़मिर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का बयान है कि हमारी एक लौण्डी ज़ुबैर की एक लड़की को हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के यहां ले गई। उस लड़की के पाँव में घूंघरू थे। चुनांचे हज़रत उ़मर (ﷺ) ने उनको काट डाला और फ़रमाया: मैंने रसूल (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'हर घण्टी के साथ शैतान होता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तर्ग़ीब वत्तरहीब: 4/76.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ بُنَانَةَ، مَوْلاَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ،

(4231) बुनाना हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन हय्यान अन्सारी की लौण्डी बयान करती है कि मैं उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा (ﷺ) के यहां बैठी हुई थी कि उनके पास एक

قَالَتْ بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلاَجِلُ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لاَ تُدْخِلْنَهَا عَلَىَّ إِلاَّ أَنْ تَقْطَعُوا جَلاَجِلَهَا وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ "

लड़की भेजी गयी जिसने आवाज़दार घूंघरू पहने हूए थे। तो उन्होंने कहा: इसे मेरे पास मत लाओ वरना इसके घूंघरू काट डालो। उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जिस घर में घण्टी हो उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/242.

फ़ायदा : छोटे बच्चों से लाड प्यार एक फ़ितरी तक़ाज़ा है और शरई हक़ भी मगर शरई तक़ाज़ों को पेशे नज़र रखना फ़र्ज़ है। और घण्टी वाले ज़ेवरात से बचना चाहिए यहाँ तक कि जानवरों की गर्दनों या पाँव में भी घण्टियाँ नहीं होनी चाहिए। ये दोनों रिवायात अगरचे सनदन ज़ईफ़ हैं। ताहम घूंघरू वग़ैरह का इस्तेमाल दीगर सहीह रिवायत की रू से ममनूअ है, इसीलिए कुछ हज़रात ने हदीस (4231) की तहसीन भी की है, क्योंकि नफ़्से मसला साबित है।

﴿7﴾ باب مَا جَاءَ فِي رَبْطِ الأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

बाब : 7
दाँतों को सोने से बंधवाना जायज़ है

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ، عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

(4232) अ़ब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा ने बयान किया कि कुलाब की लड़ाई में मेरे दादा अ़रफ़जा बिन असअ़द की नाक कट गई थी। तो उन्होंने चाँदी की बनवाई मगर उसमें बू पड़ गई, तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने सोने की नाक बनवा ली।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1770, नसाई, हदीस: 5165, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1466.

फ़ायदा : (कुलाब) काफ़ पर पेश के साथ। कूफ़ा और बसरा के बीच एक जगह का नाम है। दौरे जाहिलीयत में यहां दो मअ़रके हूए थे। एक बार बनू बक्र और बनू तग़लिब के दरम्यान और दूसरी बार बनू तमीम और अहले हिज्र के बीच रन पड़ा था। अ़रफ़जा इसी दूसरी बार में शरीक हूए थे। इस हदीस

से इस्तेदलाल ये है कि सोने के दाँत वग़ैरह बनवाना जायज़ है। ख़्वाह मर्द बनवाये या औरत मगर ज़ेवर सिर्फ़ औरतों के लिये जायज़ है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، بِمَعْنَاهُ . قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لأَبِي الأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ قَالَ نَعَمْ .

(4233) यज़ीद बिन हारून और अबू आसिम दोनों ने कहा: हमें अबू अल अशहब ने बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा से उन्होंने अरफ़जा बिन असअद से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। यज़ीद ने कहा कि मैंने अबू अल अशहब से पूछा: क्या अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा ने अपने दादा अरफ़जा को पाया था? उन्होनें कहा: हाँ?

(4233) तख़रीज : **(सनद हसन)** बैहक़ी: 2/425, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ بْنِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَرْفَجَةَ، بِمَعْنَاهُ

(4234) अब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा ने अरफ़जा बिन असअद से उन्होंने अपने वालिद से बयान किया कि अरफ़जा (... की नाक कट गई थी) ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया।

(4234) तख़रीज : **(सनद हसन)** बैहक़ी: 2/426, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

﴾8﴿ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

बाब : 8
औरतों को सोना पहनना कैसा है?

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

(4235) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) के पास नजाशी के यहां से कुछ ज़ेवरात आये जो उसने आपको हदिया किये थे। उनमें सोने

عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ - قَالَتْ - فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَى أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ " تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " .

की एक अंगूठी भी थी जिसका नगीना हब्शी अन्दाज़ का था। वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे लकड़ी से थामा और आप उससे ऐराज़ करने वाले थे। या आपने उसे अपनी उंगली से पकड़ा फिर (अपनी नवासी) ज़ैनब की बेटी उमामा दुख़्तरे अबी अलआस़ को बुलाया और फ़रमाया: 'बेटा! ये तुम पहन लो।'

(4235) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3644.

फ़ायदा : अगर औरतों के लिये सोना पहनना नाजायज़ होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नवासी उमामा को हरगिज़ न पहनाते। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا

(4236) सय्यदना अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने महबूब (बेटे, बेटी या बीवी वग़ैरह) को आग का हल्क़ा पहनाना पसन्द करता हो तो वह उसे सोने का हल्क़ा पहना दे और जिसे पसन्द हो कि वह अपने महबूब के गले में आग का तौक़ डाले तो वह उसे सोने की हंसली पहना दे और जिसे पसन्द हो कि वह अपने महबूब को आग का कंगन पहनाये तो वह उसे सोने का कंगन पहना दे। लेकिन तुम लोग चाँदी इख़्तियार करो और उससे दिल बहलाओ।'

(4236) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/378, 4/414.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتٍ،

(4237) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) की हमशीरा (फ़ातिमा या ख़ौला) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ औरत! क्या

तुम्हें ज़ेवर बनाने के लिये चाँदी काफ़ी नहीं है। ख़बरदार! जिस औरत ने सोने का ज़ेवर पहना और उसे ज़ाहिर किया तो उसे उसी से अज़ाब दिया जायेगा।'

(4237) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5140, 5141.

لِحُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ " .

(4238) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत ने अपने गले में सोना पहना क़यामत के रोज़ उसे उसी की मिस्ल आग पहनाई जायेगी। और जिस औरत ने अपने कान में सोने की बाली पहनी तो क़यामत के दिन उसे उसी के मिस्ल आग की बाली पहनाई जायेगी।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5142.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

फ़ायदा : पिछली दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं, लेकिन दीगर सही अहादीस़ से स़ाबित है कि औरत को अपने गले, कान या हाथों में सोने का ज़ेवर पहनना जायज़ है, इसलिए मना की रिवायत ज़ईफ़ या मन्सूख़ है।

(4239) हज़रत मुआवयिा बिन अबू सुफ़ियान(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चीतों के चमड़े की गद्दी या ज़ीन पोश पर बैठने से मना फ़रमाया है और सोना पहनने से भी मना किया है मगर ये कि मामूली हो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू क़िलाबा की हज़रत मुआविया (ﷺ) से मुलाक़ात नहीं है।

(4239) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 5153, नसाई, हदीस: 5162.

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ.

फ़ायदा : सोने के बारे में तमाम रिवायात के मजमूए से चंद बातें वाज़ेह होती हैं। पहला ये कि उसका जवाज़ तो ज़रूर है लेकिन हमारे मुआशरे में इसके इस्तेमाल की जो सूरतें हैं, वह सख़्त महल्ले नज़र हैं, मसलन (जैसे) ज़ेवरात बनाने और इस्तेमाल करने का शौक़ तो आम है लेकिन इसकी ज़कात अदा करने की तरफ़ तवज्जो बहुत कम है, चंद फ़ीसद औरतें ही इसका एहतिमाम करती हैं, ज़ाहिर बात है कि इस तरह का ज़ेवर जहन्नम ही का ईंधन है। सानियन (दूसरा) बड़े लोगों की ख़्वातीन को नये नये ज़ेवरात बनाने का इतना शौक़ होता है कि वह ख़ानदान की हर तक़रीब और हर शादी पर कपड़ों की तरह ज़ेवरात का भी नया सैट तैयार करवाना ज़रूरी समझती हैं, इसी तरह कई कई सौ तोला सोना ज़ेवरात की शक्ल में अमीरों के घरों में पड़ा है जिसकी मजमूई मालियत अरबों से मुतजाविज़ हो कर शायद खरबों तक पहुँचती हो। यूँ क़ौम का इतना बड़ा सरमाया किसी मस्रफ़ में नहीं आता। अगर कम अज़ कम इतने बड़े सरमाये की ज़कात ही निकाली जाती रहे तो ग़रीब अवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है और इसके इन्जिमाद के मुज़रात कुछ कम हो सकते हैं। सालिसन (तीसरा) शादी के मौक़े पर हस्बे इस्तेताअत ज़ेवरात का बनाना ज़रूरी समझ लिया गया है और इसके बग़ैर शादी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इस तसव्वुर ने भी कम तर हैसियत के लोगों को मुसीबत में डाला हूआ है। इन तमाम मफ़ासिद (बिगाड़) का हल यही है जो इस हदीस में और दीगर रिवायात में बयान हूआ है कि सोने के इस्तेमाल को कम से कम किया जाये, चंद तोला सोना (साढ़े सात तोला से कम) ज़कात से भी मुस्तस्ना है। जिसके पास साढ़े सात तोला या उससे ज़्यादा हो, वह ज़कात की अदायगी का एहतिमाम करे, इसी तरह उसे शादी के लिये ज़रूरी न समझा जाये और इसके लिये भी जिहाद किया जाये। व मा अलैना इल्लल बलाग़!

كتاب الفتن والملاحم

फ़ितनों और जंगों का बयान

फ़ितन : फ़ितनतुन की जमा है जिसके लुग़वी (डिक्शनरी) मानी हैं: आज़माइश, इम्तेहान और इख़्तियार।

मलहम : मल्हमतुन की जमा है जिसके लुग़वी (डिक्शनरी) मानी हैं: जंग व जदल और ख़ून रेज़ी। बाद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से फ़ितन से मुराद हर मकरूह चीज़ और मुसीबत लिया जाने लगा जैसे शिर्क, कुफ्र, क़त्ल व ग़ारत गिरी, वग़ैरह। जबकि इनसे मुराद वह ख़ुसूसी हालात हैं जो क़यामत से पहले पेश आयेंगे।

रसूले अकरम (ﷺ) ने इन पेश आने वाले हालात का ख़ुसूसी तज़किरा फ़रमाया है ताकि आपकी उम्मत इन हालात में अपना बचाव कर सके, ना सिर्फ़ अपना बचाव बल्कि दूसरों की रहनुमाई का फ़रीज़ा भी सरअंजाम दे सके। ये फ़ितने निहायत बर्क़ रफ़्तारी से पेश आयेंगे, ऐसे ऐसे हैरान कुन फ़ितने होंगे कि इनसे महफ़ूज़ रहना बहुत मुश्किल होगा। एक शख़्स सुबह को मोमिन होगा तो रात को इन फ़ितनों की सहर अंगेज़ी का शिकार होकर काफ़िर हो चुका होगा। रात को मोमिन था तो सुबह तक ईमान की दौलत से महरूम हो जायेगा, इसलिए सरदारे दो जहाँ (ﷺ) ने इन फ़ितनों का ज़िक्र किया और इनसे बचाव की तदबीर बयान फ़रमायी। क़यामत से क़ब्ल (पहले) रूनुमा होने वाले फ़ितनों में चंद एक नीचे दिये गये हैं:

- हज़रत उ़स्मान ग़नी (رضي الله عنه) का बाग़ियों के हाथों मज़लूमा शहीद होना।
- मुसलमानों की बाहमी जंगें जैसा कि जंगे जमल और सिफ़्फ़ीन में हज़ारों मुसलमान शहीद हूए।
- बातिल फ़िक्रों का ज़हूर जिससे इस्लामी शान व शौकत और रौब व दबदबा को यक़ीनी नुक़सान हूआ। जैसे ख़्वारिज, मौतज़ला, रवाफ़िज़ और क़ादयानी वग़ैरह।
- दज्जाल का फ़ितन–ए–अज़ीम जो बेशुमार मख़्लूक़ की गुमराही का सबब बनेगा।
- याजूज माजूज का ज़हूर जो कुर्रे–ए–अर्ज़ (पूरी जमीन) पर बेहद तबाही का बाइस़ बनेंगे।
- दरया–ए–फ़ुरात का अपने ख़ज़ाने उगलना।
- उ़लमा–ए–किराम की वफ़ात से इल्म का उठ जाना।
- औ़रतों की तादाद ज़्यादा होना और मर्दों की कमी होना।
- झूठे नबीयों का ज़हूर।

كتاب الفتن والملاحم
फ़ितनों और जंगों का बयान

﴿1﴾ باب ذِكْرِ الْفِتَنِ وَدَلاَئِلِهَا

बाब : 1 फ़ितनों का बयान और उनके दलाइल

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابُهُ هَؤُلاَءِ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّىْءُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ .

(4240) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें (ख़ुत्बा देने के लिये) खड़े हूए। आपने अपने उस मक़ाम पर क़यामत तक जो होने वाला था सब बयान किया और उसमें से कुछ न छोड़ा। याद रखने वाले ने उसे याद रखा और भूलने वाले ने उसे भुला दिया। यक़ीनन मेरे उन साथियों (रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा) को वह याद होगा और जब उन वाक़ियात में से कोई पेश आता है तो मुझे वह सब याद आ जाता है जैसे किसी को किसी के चले जाने के बाद उसका चेहरा याद रहता है फिर एक मुद्दत बाद जब उसे देखता है तो उसे पहचान लेता है।

(4240) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6604, व मुस्लिम: 2891.

(4241) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस उम्मत में चार फ़ितने होंगे और उनके बाद दुनिया फ़ना हो जायेगी।'
(4241) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنٍ فِي آخِرِهَا الْفَنَاءُ " .

(4242) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे। आपने फ़ितनों और आज़माइशों का ज़िक्र फ़रमाया और बहुत तफ़्सील से बयान किया यहाँ तक कि आपने अहलास के फ़ितने का भी ज़िक्र किया। तो कहने वाले ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अहलास का फ़ितना क्या है? आपने फ़रमाया: 'भागम भाग और ग़ारत गिरी! फिर वुसअत व फ़राख़ी (माल व ज़र) का फ़ितना आयेगा जिसका ज़हूर मेरे अहले बैत के एक फ़र्द के पाँव तले से होगा। उसका दावा होगा कि वह मुझसे है हालांकि वह मुझसे नहीं होगा। बिलाशुब्हा मेरे वली और दोस्त सिर्फ़ मुत्तक़ी लोग हैं। फिर लोग एक आदमी पर सुलह कर लेंगे जैसे कि सुरीन हो पस्ली पर! (यानी ना मअक़ूल और ना अहल होगा जिस तरह कि सुरीन एक पस्ली पर नहीं टिक सकती।) फिर एक फ़ितना उठेगा घटा टोप अंधेरा, इस उम्मत में से कोई नहीं बचेगा मगर उसे उसका तमाचा पड़ कर रहेगा। पस जब समझा जायेगा कि ये फ़ितना ख़त्म हो गया

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الأَحْلاَسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الأَحْلاَسِ قَالَ " هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَىْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لاَ تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً

فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لاَ نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لاَ إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ" .

वह और बढ़ जायेगा। आदमी सुबह करेगा तो मोमिन होगा और शाम होगी तो काफ़िर हो जायेगा यहाँ तक कि लोग दो ख़ैमों (फ़रीक़ों) में तक़सीम हो जायेंगे। एक ख़ैमा ईमान का ... जिसमें कोई निफ़ाक़ नहीं होगा ... और दूसरा निफ़ाक़ का जिसमें कोई ईमान न होगा ... और जब ये अहवाल हों तो दज्जाल का इन्तेज़ार करना। आज आया कि कल।'

(4242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/133, हाकिम: 4/466, 467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहले फ़ितने को (अहलास) से ताबीर किया गया है। ये (हिल्स) की जमा है। जिसके मानी टाट और चटाई के हैं जो घर में बिछी रहती है और जल्दी उठाई नहीं जाती। इस फ़ितने को इससे मुशाबिहत दी गई कि इसकी मुद्दत तवील होगी और इसमें मैल कुचैल और कालिक भी होगी। **(2)** माल व दौलत और फ़राख़ दस्ती ... में अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र न हो और माल का हक़ अदा न किया जाये तो ये बहुत बड़ा फ़ितना है। **(3)** जाहिल, नाअहल और ना माक़ूल लोगों को अपना हाकिम बनाना और उन पर राज़ी रहना भी एक फ़ितना है जो किसी के लिये किसी ख़ैर का बाइस नहीं बन सकते। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के नज़दीक, दोस्त और वली वही लोग हैं जो उसूले कुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ मुत्तक़ी हों। **(5)** लोगों का दो ख़ैमों और फ़रीक़ों में तक़सीम होना ... जैसे कि मौजूदा दौर में दायें बाज़ू और बायें बाज़ू की इस्तेलाह राइज रही है। जो शायद आगे चल कर मज़ीद हक़ीक़ी मानों में इस्तेमाल हो। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا

(4243) सय्यदना हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضی اللہ عنہ) ने बयान किया कि क़सम! मैं नहीं जानता कि मेरे साथी हक़ीक़तन भूल गये हैं या भोले बने हुए हैं। अल्लाह की क़सम! दुनिया ख़त्म होने तक आने वाले फ़ितनों के क़ाइदीन (लीडर) जिनके साथ तीन सौ या उससे ज़्यादा लोग होंगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी को नहीं छोड़ा

وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ .

है। आपने उनके नाम, उनके बापों के नाम और उनके क़बीलों तक के नाम बता दिये हैं।

(4243) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : इस हदीस़ से अहले बिदअ़त ने ये इस्तेदलाल करने की कोशिश की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आ़लिमुल ग़ैब थे। उनका ये दावा उनकी जहालत की दलील है। इल्मे ग़ैब सरासर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की ख़ास़ सिफ़त है। रसूलुल्लाह (ﷺ) जो कुछ भी ग़ैब की ख़बरें देते थे वह सब अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से वह्य होता था। क़ुर्आन मजीद में है: 'वह ग़ैब का जानने वाला है और वह अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तलअ़ (बा'ख़बर) नहीं करता, सिवाए उस पैग़म्बर के जिसे वह पसन्द कर ले ...' (अलहज: 26, 27) मुल्ला अ़ली क़ारी (रह.) शरह फ़िक़्ा अकबर में लिखते हैं: 'अम्बिया किराम कुछ ग़ैब नहीं जानते सिवाए इसके जो अल्लाह तआ़ला उन्हें ख़बर दे। और उ़लमा–ए अहनाफ़ ने स़राहत की है कि जो शख़्स़ नबी (ﷺ) के आ़लिमुल ग़ैब होने का अक़ीदा रखे वह काफ़िर है। क्योंकि ये बात अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के फ़रमान के ख़िलाफ़ है: 'कह दीजिए कि आसमानों वालों और ज़मीन वालों में से सिवाए अल्लाह के कोई ग़ैब नहीं जानता।' (अन्नमल: 65) और कुछ ने स़राहत की है कि बातिल को झुठलाना दीन के ज़रूरी उमूर में से है। चुनांचे इल्मे ग़ैब स़िर्फ़ और स़िर्फ़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के लिये ख़ास़ है। और बहुत सी नुस़ूस़ (दलीलें) इस हक़ीक़त को वाज़ेह करती हैं, जैसे: 'और अल्लाह ही के पास हैं तमाम मख़्फ़ी चीज़ों के ख़ज़ाने, उनको कोई नहीं जानता सिवाए अल्लाह के, और वही जानता है जो कुछ ख़ुश्की में है और जो कुछ दरयाओं में है ...' (अलअनआ़म: 59) 'बिलाशुब्हा अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म वही बारिश बरसाता है, और माँ के पेट में जो है उसे जानता है, कोई नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, न किसी जान को ये मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला ही कामिल इल्म और स़ही ख़बरों वाला है।' (लुक़मान: 34) अलग़र्ज़ अल्लाह के सिवा किसी और के लिये किसी तरह जायज़ नहीं कि उसे इल्मे ग़ैब से मुत्तस़िफ़ माना जाये। और यही वजह है कि जब नबी (ﷺ) के सामने वह अब्यात पढ़े गये जिनमें ये मज़मून था कि 'हम में वह नबी है जो कल की बात जानता है ...' तो आपने फ़ौरन उनको रोक दिया और फ़रमाया कि इसे छोड़ दो और पहले वाली बात कहो। अलमुख़्तस़र किसी सूरत जायज़ नहीं कि अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी और को आ़लिमुल ग़ैब कहा जाये। ग़ैब की जितनी भी ख़बरें आप (ﷺ) ने दी हैं वह सब अल्लाह तआ़ला के इत्तिलाअ़ करने से दी हैं। ग़ैब पर मुत्तलअ़ होने का वह्य और इल्हाम के अ़लावा और कोई ज़रिया नहीं है। इसके अ़लावा बहरूर राइक़ में है कि अगर कोई अ़क़्दे निकाह में यूँ कहे कि अल्लाह और उसके रसूल की गवाही से ये निकाह हूआ, तो निकाह नहीं होगा। बल्कि ऐसा आदमी काफ़िर होगा क्योंकि उसने

नबी (ﷺ) के आलिमुल ग़ैब होने का अक़ीदा रखा।

(4244) सुबैअ बिन ख़ालिद ने बयान किया कि जिस ज़माने में (ख़ूज़स्तान में) तुस्तर का इलाक़ा फ़तह हूआ मैं कूफ़ा आया। मैं यहां से ख़च्चर हासिल करना चाहता था। मैं मस्जिद में चला गया तो मैंने वहां चंद आदमी देखे जिनकी क़ामत व जसामत मुतवस्सित (दरम्यानी) क़िस्म की थी, और (साथ ही) एक और आदमी भी बैठा हूआ था, जिसे देख कर आप कह सकते थे कि ये हिजाज़ी आदमी है। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो लोगों ने नापसन्दीदगी के से अन्दाज़ से देखा और कहा: क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो? ये रसूल (ﷺ) के सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं(رضي الله عنه)... फिर हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि दीगर सहाबा रसूल (ﷺ) से ख़ैर के मुताल्लिक़ पूछा करते थे और मैं आपसे शर के मुताल्लिक़ सवाल किया करता था (कि कहीं इसमें मुलव्विस (लिप्त) न हो जाऊं) तो उन लोगों ने उनको ग़ौर से देखा। हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) ने कहा: मैं ख़ूब समझता हूं जो तुम्हें बुरा लगता है। मैंने अर्ज़ किया था: ऐ अल्लाह के रसूल! ये ख़ैर जो अल्लाह ने हमें इनायत फ़रमाई है क्या इसके बाद शर होगा जैसे कि इससे पहले था? आपने फ़रमाया: 'हाँ' मैंने अर्ज़ किया: तो इससे बचाव क्या है? आपने फ़रमाया: 'तलवार' क़ुतैबा ने अपनी रिवायत में कहा: मैं (हुज़ैफ़ा) ने अर्ज़ किया: क्या तलवार से कोई फ़ायदा होगा? फ़रमाया:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ أَتَيْتُ الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَجْلُبُ مِنْهَا بِغَالاً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقَالُوا أَمَا تَعْرِفُ هَذَا هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقَالَ إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ إِنِّي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللَّهُ أَيَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ " نَعَمْ " . قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " السَّيْفُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ قَالَ " إِنْ كَانَ لِلَّهِ خَلِيفَةٌ فِي الأَرْضِ فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ وَإِلاَّ فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ " . قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ " . قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ " .

'हाँ' मैंने अ़र्ज़ किया कि क्या? फ़रमाया: 'सुलह होगी जिसमें (बबातिन—अन्दर) ख़्यानत होगी धोखा होगा।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! इसके बाद क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'अगर ज़मीन में अल्लाह का कोई ख़लीफ़ा हो और तुम्हारी कमर पर मारे और तुम्हारा माल छीन ले तब भी उनकी इताअ़त करना। वरना इस हाल में मर जाना कि तुम (जंगल में) किसी दरख़्त की जड़ चबाकर गुज़ारा करने वाले हो।' मैंने अ़र्ज़ किया: फिर क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'दज्जाल आयेगा, उसके पास नहर होगी और आग। जो उसकी आग में पड़ा उसका अज्र स़ाबित हूआ और उसके गुनाह ख़त्म हूए और जो उसकी नहर में पड़ा उसके गुनाह स़ाबित हूए और अज्र ज़ाया हो गये।' मैंने अ़र्ज़ किया: फिर क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'फिर क़यामत आ जायेगी।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/404, हाकिम: 4/432, 433, नसाई, सुनन कुब्रा: 8032.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की अजीब हिकमत है कि वह अपने बंदों के दिलों में मुख़्तलिफ़ मैलानात पैदा फ़रमा देता है जिसमें उनके लिये ख़ैर और बरकत होती है। आम स़हाबा ख़ैर के मुताल्लिक़ सवाल करते थे तो हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) शर के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करते थे, उससे उनके अ़लावा उम्मत को भी बहुत फ़ायदा हूआ। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) हालात के मुताबिक़ हर एक को उसकी हालत के मुताबिक़ जवाब इरशाद फ़रमाते थे। **(3)** जिस शख़्स़ को जिस चीज़ की रग़बत होती है वह उसमें दूसरों से फ़ाइक़ हो जाता है। चुनांचे हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के राज़दां और आइन्दा के बहुत से उमूर से आगाह थे। **(4)** फ़ितने में तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) के लिये तलवार का इस्तेमाल उसी सूरत में होगा जब ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन या मोमिन मुख़्लिस़ क़ाइद जिहाद करेगा। इस सूरत में अहले ईमान पर लाज़िम होगा कि उसका साथ दें। **(5)** अगर ज़मीन में मुसलमान ख़लीफ़ा न हो तो अपने दीन और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये जंगल में अकेले पड़े रहना और फ़ितना परदाज़ों से

अलग रहना वाजिब होगा ख़्वाह कैसी ही मशक़्क़त आये। (6) दज्जाल की ज़ाहिरी आसाइशें दर हक़ीक़त हलाकत होंगी और ज़ाहिरी हलाकत आफ़रीनयाँ अहले ईमान के लिये बाइसे निजात होंगी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ " بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ " . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ " عَلَى أَقْذَاءٍ " . يَقُولُ قَذًى . " وَهُدْنَةٌ " . يَقُولُ صُلْحٌ " عَلَى دَخَنٍ " . عَلَى ضَغَائِنَ .

(4245) ख़ालिद बिन ख़ालिद यशकुरी ने ये हदीस़ रिवायत की। इसमें है कि हज़रत हुज़ैफ़ा(ﷺ) ने कहा कि ... तलवार के बाद (क्या होगा?) आपने फ़रमाया: 'कुछ लोग बाक़ी बचेंगे जिनके दिलों में फ़साद होगा। बज़ाहिर सुलह करेंगे मगर बातिन में धोखा होगा...' फिर हदीस़ बयान की।

कहा कि जनाब क़तादा (रह.) इस हदीस़ को अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के अहदे ख़िलाफ़त में पेश आने वाले फ़ितन–ए–इर्तेदाद पर महमूल किया करते थे। (अक़ज़ा–कजन) की जमा है। उस तिनके को कहते हैं जो आँख में पड़ जाता है। (हुदना) का मानी सुलह ... और (दख़न) का मानी है सीने का बुग़ज़ जलन और घुटन।

(4245) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/403, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़ : 20711.

फ़ायदा : इन अलामात (निशानियों) को किसी एक फ़ितने से मख़्सूस करना मुश्किल है। हर फ़ितने में मौक़ा ब मौक़ा इस क़िस्म के हालात पेश आते रहे हैं ... और आइन्दा भी आयेंगे। फ़ितन–ए इरतेराद, शहादते उस्मान, सबाई फ़ितना, फ़ितन–ए–ख़ल्के क़ुर्आन और तातारीयों का हमला वग़ैरह ... सभी इसी में आते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ

(4246) नस़र बिन आस़िम लैस़ी ने बयान किया कि हम बनू लैस़ के चंद लोग ख़ालिद बिन ख़ालिद यशकुरी के यहां गये। उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं? हमने बताया कि बनू लैस़ से हैं। हम आपकी ख़िदमत में हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) की हदीस़ मालूम करने के लिये हाज़िर हूए हैं। तो उन्होंने वह हदीस़ बयान की, कहा

أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا بَنُو لَيْثٍ أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ " فِتْنَةٌ وَشَرٌّ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ " يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ " هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ قَالَ " لاَ تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ

कि हम (बनू लैस़ के लोग) हज़रत अबू मूसा(ﷺ) के साथ वापस लौटे। जबकि कूफ़ा में जानवर (ख़च्चर वग़ैरह) महंगे थे। तो मैं और मेरे साथी ने हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से इजाज़त चाही तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। तो मैंने अपने साथी (नस़र बिन अ़ास़िम) से कहा कि मैं मस्जिद जाता हूं और जब मंडी शूरू होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाख़िल हूआ तो देखा कि वहाँ एक हल्क़ा लगा हूआ है, गोया उनके सर कटे हूए (हमातन गोश), एक आदमी की बात बड़े ग़ौर से सुन रहे हैं। मैं भी उनमें जा खड़ा हूआ तो एक आदमी मेरे पहलू में आ खड़ा हूआ। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहाः क्या तुम बस़रा के हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहाः मैं जान गया हूं, अगर तुम कूफ़ा के होते तो इस शख़्स़ के बारे में न पूछते। चुनांचे मैं उस गुफ़्तगू करने वाले के क़रीब हो गया (और वह हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) थे) तो मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से सुना, बयान कर रहे थे कि लोग तो रसूल (ﷺ) से ख़ैर के बारे में पूछते थे और मैं शर के बारे में सवाल करता था। और मुझे यक़ीन था कि मैं ख़ैर से महरूम नहीं रहूंगा। मैंने अ़र्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस ख़ैर के बाद शर है? आपने फ़रमायाः 'ऐ हुज़ैफ़ा! अल्लाह की किताब सीख (और पढ़ा कर) और जो उसमें है उसकी पैरवी कर।' आपने ये तीन बार फ़रमायाः कहते हैं कि मैंने फिर दरयाफ़्त किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस ख़ैर के बाद शर है? आपने फ़रमायाः 'ऐ हुज़ैफ़ा! अल्लाह की किताब सीख (और

شَرٌّ قَالَ " فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ " .

पढ़ा कर) और जो उसमें है उसकी इत्तेबा कर।' और हदीस़ बयान की ... उसमें है ... हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस ख़ैर के बाद शर होगा? आपने फ़रमायाः 'फ़ितना होगा और फ़साद होगा।' कहते हैं : मैंने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस शर के बाद खैर होगी? आपने फ़रमायाः 'ऐ हुज़ैफ़ा! अल्लाह की किताब सीखो और जो उसमें है उसकी इत्तेबा करते रहो।' तीन बार फ़रमाया। कहते हैं: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस शर के बाद ख़ैर होगी फ़रमायाः सुलह होगी ख़्यानत वाली इत्तेफ़ाक़ व इज्तेमा होगा मगर कदूरत वाला'... मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (अल्हुदनतु अ़लद्दख़न) से क्या मुराद है? आपने फ़रमायाः 'लोगों के दिल पहले की सी कैफ़ियत पर वापस नहीं आयेंगे।' कहते हैं, मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इस ख़ैर के बाद शर होगा? फ़रमायाः 'फ़ितना होगा अंधा और बहरा। और उसके क़ाइद दोज़ख़ के दरवाज़ों की तरफ़ दावत देने वाले होंगे ... तो ऐ हुज़ैफ़ा! अगर तुम इस हाल में मर जाओ कि तुम किसी दरख़्त की जड़ को चबाने वाले हो तो ये कैफ़ियत तुम्हारे लिये इससे बेहतर होगी कि उनमें से किसी की इत्तेबा करो।'

(4246) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/386, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस़: 8032.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ بَدْرٍ الْعِجْلِيِّ،

(4247) सुबैअ बिन ख़ालिद ने हज़रत हुज़ैफ़ा(ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की। आप (ﷺ) ने फ़रमायाः 'अगर तुम उन अय्याम में कोई ख़लीफ़ा न पाओ तो भाग

عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً فَاهْرَبْ حَتَّى تَمُوتَ فَإِنْ تَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌّ " . وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ " لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَتَجَ فَرَسًا لَمْ تُنْتَجْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ " .

जाना यहाँ तक कि मर जाओ। और अगर तुम्हारी मौत इस हाल में आये कि तुम किसी दरख़्त की जड़ चबाने वाले हूए (तो ये बेहतर होगा।)' कहते हैं, मैंने अ़र्ज़ किया: इसके बाद क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'अगर किसी ने चाहा कि उसकी घोड़ी बच्चा जने, तो वह बच्चा नहीं जन पायेगी कि क़यामत आ जायेगी।' (यानी बहुत जल्द ऐसा होगा।)

(4247) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/403, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : अय्यामे फ़ितना (के दिनों) में फ़ितना परदाज़ लोगों से अलग रहना और उन तहरीकों से अपने आपको जुदा रखना और कुर्आन की तालीमात पर अ़मल पैरा होना ही वाहिद ज़रिया–ए–निजात है और कुर्आन करीम की तालीमात उस्व–ए–रसूल को मुस्तलज़िम हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الآخَرِ " . قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ

(4248) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी इमाम की बैत की हो और अपने हाथ का माल और दिल का फल (अपना क़ौल व क़रार) उसको दे दिया हो तो फिर हिम्मत भर उसकी इताअ़त करे। अगर कोई दूसरा (अमीर बन कर) आये और उससे झगड़ा करे तो उस दूसरे की गर्दन मार दो।' (अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं) मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से पूछा: क्या भला ये हदीस़ आपने ख़ुद रसूल (ﷺ) से सुनी है? फ़रमाया: (क्यों नहीं) उसे मेरे कानों ने सुना और दिल ने याद रखा है। मैंने कहा: ये आपका चचाज़ाद मुआ़विया हमें हुक्म देता है कि यूँ करें और यूँ करें?

कहा: अल्लाह की इताअत में उसकी इताअत करो और अल्लाह की नाफ़रमानी में उसकी नाफ़रमानी करो।

يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ . قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .

(4248) तख़रीज : मुस्लिम: 1844.

फ़ायदा : इमामुल मुस्लिमीन की बैत, ताईद और इताअत वाजिब है और शरई उमूर में उसकी मुख़ालिफ़त हराम है। अल्लाह की नाफ़रमानी में किसी मख़्लूक़ की कोई इताअत नहीं।

(4249) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) ने रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हलाकत है अरबों के लिये, उस शर से जो क़रीब आया चाहता है, कामयाब है वह जिसने अपना हाथ रोके रखा।'

(4249) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/441, हाकिम: 4/439.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ " .

(4250) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब मुसलमानों को मदीना में महसूर कर लिया जायेगा और उनकी अमलदारी ज़्यादा से ज़्यादा (ख़ैबर के क़रीब) मक़ामे सलाह तक होगी।'

(4250) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 2/40, हाकिम: 4/511.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدُ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحَ

(4251) ज़ोहरी ने बयान किया कि 'सलाह' ख़ैबर के क़रीब एक मक़ाम का नाम है।

(4251) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ وَسَلاَحُ قَرِيبٌ مِنْ خَيْبَرَ .

(4252) हज़रत सौबान (ﷺ) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ

عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ " . أَوْ قَالَ " إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَلاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي

अल्लाह तआला ने मेरे लिये ज़मीन को लपेटा और मैंने उसकी मशरिक़ों और मग़रिबों को देखा और बिलाशुब्हा मेरी उम्मत की अमल दारी वहां तक पहुँचेगी जहां तक उसे मेरे लिये लपेटा गया है, और मुझे सुर्ख़ व सफ़ेद (सोना चाँदी) दो ख़ज़ाने दिये गये हैं। और मैंने अपने रब तआला से सवाल किया है कि मेरी उम्मत को आम क़हत से हलाक न फ़रमाये और उन पर उनके अपने अंदर के अलावा वह बाहर से कोई दुशमन मुसल्लत न हो जो उन्हें हलाक कर के रख दे। तो मेरे रब ने मुझे फ़रमाया: 'ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैं जब कोई फ़ैसला करता हूं तो उसे रद्द नहीं किया जाता। मैं (तेरी उम्मत के) उन लोगों को आम क़हत से हलाक नहीं करूंगा और उनके अपने अंदर के अलावा बाहर से कोई दुशमन मुसल्लत नहीं करूंगा जो उन्हें हलाक कर के रख दे अगरचे सब मुल्कों वाले उन पर चढ़ दौड़ें (तो उन्हें हलाक नहीं कर सकेंगे।) अलबत्ता ये आपस में एक दूसरे को हलाक करेंगे और एक दूसरे को क़ैद करेंगे।' (आप (ﷺ) ने फ़रमाया) 'मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह इमामों (लीडरों) का ख़ौफ़ है। और जब उनमें एक बार तलवार पड़ गई तो क़यामत तक उठाई नहीं जायेगी। और उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ क़बाइल मुश्रिकों के साथ न मिल जायें और कुछ क़बीले बुतों की इबादत न करने लगें। और अनक़रीब मेरी उम्मत में

الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى " ظَاهِرِينَ " . ثُمَّ اتَّفَقَا " لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ " .

कज़्ज़ाब और झूठे लोग ज़ाहिर होंगे, उनकी तादाद तीस होगी, उनमें से हर एक का दावा होगा कि वह नबी है। हालांकि मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा ... इब्ने ईसा ने कहा ... हक़ पर ग़ालिब रहेगा। उनका कोई मुख़ालिफ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ जायेगा।'

(4252) तख़रीज : मुस्लिम: 2889.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस मज़मून की हदीसों में ख़ुशख़बरी है कि उम्मते मुस्लिमा की अमलदारी मश्रिक़ व मग़रिब की इन्तेहाओं तक पहुँचेगी। उसका किसी क़द्र इज़हार हो चुका है और इन्शाअल्लाह मज़ीद भी होगा। (2) सुर्ख़ व सफ़ेद से मुराद सोने चाँदी की दौलत है। और वाक़ेई दुनिया में मजमूई तौर पर दौलत के रेल पेल जिस क़द्र मुसलमानों के पास हैं किसी और उम्मत के पास नहीं हैं। ये अलग बात है कि मौजूदा हालात में मुसलमान अपनी नादानी और अल्लाह के एक़ाब की वजह से इसमें फ़ितने में मुब्तला हैं और दूसरी क़ौमें उनकी दौलत से फ़ायदा उठा रही हैं। (3) इस उम्मत में कुल्ली और इज्तेमाई क़हत नहीं पड़ेगा, जुज़वी हो सकता है। (4) इस उम्मत पर बराहे रास्त कोई दूसरी क़ौम मुसल्लत नहीं होगी वह हमेशा मुसलमानों ही में से कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उनको मग़लूब करेंगे। तारीख़ में ये हक़ाइक़ नुमायाँ और मौजूदा हालात इसकी गवाही दे रहे हैं। (5) अइम्मा–ए–मुज़िल्लीन (गुमराह इमाम) दीनी हों या सियासी, यही उम्मत के लिये सब से बड़ा फ़ितना हैं। और अवाम का बड़ा तबका बिलउमूम अपने अइम्मा व हुक्काम ही के पैरो हूआ करते हैं। (6) और इस हक़ीक़त से इंकार नहीं कि जब से उम्मत में तलवार पड़ी है, उठ नहीं सकी। 'ला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाह' (7) बिल आख़िर उम्मत से इल्म उठा लिया जायेगा, जहालत आम हो जायेगी यहाँ तक कि लोग सरीह शिर्क बुतपरस्ती में मुब्तला होंगे। (8) मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर अब तक वक़्तन फ़वक़्तन झूठे नबी ज़ाहिर होते रहे हैं और शायद और भी होंगे जैसे कि हिन्दोस्तान में मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी अपने वक़्त का एक तागूत हो गुज़रा है, इनकी मजमूई तादाद तो न मालूम कितनी हो मगर उनमें से तीस बहुत नुमायाँ होंगे। (9) उम्मत में से हक़ और अहले हक़ कभी नापैद नहीं होंगे। थोड़े बहुत हर जगह अपने आप को ज़ाहिर और नुमायाँ रखेंगे जो एक तारीख़ी हक़ीक़त है और ज़बाने नबूवत से आइन्दा की पेशीनगोई भी ... वलहम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَقَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، - يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ " .

(4253) हज़रत अबू मालिक अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने तुम्हें तीन बातों से अमान दी है: तुम्हारा नबी तुम पर बद्दुआ नहीं करेगा कि तुम सब हलाक हो जाओ और ये कि अहले बातिल अहले हक़ पर ग़ालिब नहीं आ सकेंगे (यानी कुल्ली और मजमूई तौर पर) और ये कि तुम लोग गुमराही पर जमा नहीं होंगे।

(4253) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल फ़कीह वल मुतफ़क़्क़ेह लिल ख़तीब: 1/160, जामेअ अत्तहसील, सफ़ा: 195.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَدُورُ رَحَى الإِسْلاَمِ لِخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا " . قَالَ قُلْتُ أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى قَالَ " مِمَّا مَضَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَنْ قَالَ خِرَاشٍ فَقَدْ أَخْطَأَ .

(4254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्लाम की चक्की पैंतीस, छत्तीस या सैंतीस तक चलेगी। फिर अगर हलाक हूए तो हलाक होने वालों की यही राह होगी और अगर उनका दीन क़ायम रहा तो सत्तर साल तक क़ायम रहेगा।' हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया: क्या ये सत्तर साल मज़ीद होंगे या साबिक़ा मुद्दत भी इसमें शामिल है? आपने फ़रमाया: 'गुज़िश्ता मुद्दत के साथ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (रिबई बिन हिराश 'हा' बग़ैर नुक़्ते के है) जिसने ख़िराश 'ख़ा' नुक़्ते के साथ कहा उसने ग़लती की है।

(4254) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/393, हाकिम: 4/521, 3/114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस्लाम की चक्की' चलने से मुराद, इस्लामी निज़ाम क़ायम रहेगा। **(2)** पैंतीस साल की मुद्दत बक़ौल कुछ शारेहीन आप अलैहिस्सलाम के फ़रमान से सय्यदना उ़स्मान(ﷺ) की शहादत तक मुकम्मल होती है। इसके एक साल बाद वाक़िया-ए-जमल और उसके बाद सैंतीसवें साल में जंगे सिफ़्फ़ीन हूई थी। बाद में ख़िलाफ़त बनू उमैया में रही और तक़रीबन सत्तर साल बाद बनू अ़ब्बास को मुन्तक़िल हो गई। (इस हदीस़ की तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो फ़तहूल बारी, जि. 13, किताब अल अहकाम, हदीस़: 7222, 7223)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ هُوَ قَالَ " الْقَتْلُ الْقَتْلُ " .

(4255) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वक़्त क़रीब आ जायेगा (या सिकुड़ जायेगा) इल्म कम हो जायेगा, फ़ितने उठ खड़े होंगे, बख़ीली डाल दी जायेगी और 'हर्ज' बढ़ जायेगा।' पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल! 'हर्ज' क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'क़त्ल ही क़त्ल।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7061, व मुस्लिम: 157.

﴿2﴾ باب فِي النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ

बाब : 2
फ़ितने में सरगर्म होना हराम है

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ يَكُونُ الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الْجَالِسِ وَالْجَالِسُ خَيْرًا مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرًا مِنَ

(4256) जनाब मुस्लिम बिन अबू बक्र अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब फ़ितना होगा उसमें लेटा हूआ आदमी बैठने वाले से बेहतर होगा, और बैठा हूआ खड़े हूए की निस्बत बेहतर होगा, और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। कहते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!

الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرًا مِنَ السَّاعِي " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ " . قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ " فَلْيَعْمِدْ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَى حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ " .

आप मुझे क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'जिसके पास ऊँट हों वह अपने ऊँटों में चला जाये। और जिसकी बकरियाँ हों वह अपनी बकरियों में चला जाये और जिसकी खेती हो वह अपनी ज़मीन में चला जाये।' कहा कि जिसके पास इनमें से कुछ न हो? आपने फ़रमाया: 'वह अपनी तलवार ले और उसकी धार को पत्थर पर मारे (उसे कुंद कर दे) और फिर जहां तक हो सके (फ़ितने में शरीक होने से) बचने की कोशिश करे।'

(4256) तख़रीज : मुस्लिम: 2887.

फ़ायदा : सबसे बड़ा फ़ितना ये होगा कि आम लोग बे दीन होकर अपनी मन मर्ज़ी के ताबेअ होते हुए वक़्ती फ़वाइद हासिल करने के दर पे होंगे और दूसरों को भी उस पर मजबूर करेंगे। तो ऐसे हालात में सिवाए ऊपर दिये गये इलाज के कि इंसान आबादियों से और फ़सादियों से दूर भाग जाये और कोई चारा नहीं होगा।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَىَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُنْ كَابْنَىْ آدَمَ " . وَتَلاَ يَزِيدُ { لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ } الآيَةَ .

(4257) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) नबी (ﷺ) से इस हदीस में बयान करते हैं, उन्होंने कहा: मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये कि अगर कोई फ़ितना परवर मेरे घर में दाख़िल हो जाये और मुझे क़त्ल करने के लिये अपना हाथ बढ़ाये? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज़रत आदम अलैहि. के (उस) बेटे की मानिन्द हो जाना ... यज़ीद बिन ख़ालिद ने ये आयत पढ़ी ... (लइम बसत्ता इलय्या यदक....) 'अगर तूने मेरे क़त्ल के लिये हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे क़त्ल करने के लिये अपना हाथ तेरी तरफ़ नहीं बढ़ाऊंगा, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** हदीस: 4259 में देखें।

(4258) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना ... तो अबूबक्र वाली हदीस़ का कुछ हिस्सा बयान किया। फ़रमाया: 'उसके मक़तूलीन सभी आग में जायेंगे ... ' इस रिवायत में है, वाबिसा ने पूछा: ऐ इब्ने मसऊद (ﷺ)! ये कब होगा? उन्होंने फ़रमाया: 'ये हर्ज (क़त्ल और फ़ितनों) के दिन होंगे, जब कोई आदमी अपने साथ बैठने वाले से भी अमन में न होगा।' मैंने कहा: आप मुझे क्या हुक्म देते हैं अगर मेरी ज़िन्दगी में ये दिन आ गये तो? उन्होंने कहा: अपनी ज़बान बंद और अपने हाथ को रोके रखना और अपने घर की कोई चटाई बन जाना। फिर जब सय्यदना उ़स्मान (ﷺ) क़त्ल हुए तो मेरे दिल में अचानक ख़याल आया (कि कहीं ये वही फ़ितना न हो) तो मैं सवार हुआ यहाँ तक कि दमिश्क़ पहुँचा और जनाब ख़ुरैम बिन फ़ातिक(ﷺ) से मिला। मैंने उनको सब बताया, तो उन्होंने अल्लाह की क़सम खाई जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि उसने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही सुना है जैसे कि मुझे हज़रत इब्ने मसऊद(ﷺ) ने बयान किया था।

(4258) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/449, हाकिम: 4/427.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَابِصَةَ الأَسَدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَابِصَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ " قَتْلاَهَا كُلُّهُمْ فِي النَّارِ " . قَالَ فِيهِ قُلْتُ مَتَى ذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ حَيْثُ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلاَسِ بَيْتِكَ . فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِي مَطَارَهُ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ فَاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.

(4259) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक क़यामत से पहले फ़ितने होंगे इतने

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْنِي عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ " .

स्याह काले जैसे अंधेरी रात (यानी हक़ और बातिल गुड मुड हो जायेगा) आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफ़िर। शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफ़िर। इसमें बैठा हूआ खड़े होने वाले की निस्बत बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। सो अपनी कमानों को तोड़ देना और ताँतों को काट फैंकना और अपनी तलवारों को पत्थरों पर मारना (और कुंद कर लेना) अगर कोई तुम पर चढ़ आये तो हज़रत आदम अलैहि. के बेहतर बेटे की मानिन्द हो जाना।'

(4259) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3961, तिर्मिज़ी, हदीस: 2204.

फ़ायदा : हज़रत आदम अलैहि. का बेहतर बेटा वही था जिसने क़त्ल होना क़बूल कर लिया था (यानी हाबील) और क़ातिल बनने से परहेज़ किया।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ سَمُرَةَ - قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا . فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أُرَى هَذَا إِلاَّ قَدْ شَقِيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ

(4260) अब्दुर्रहमान बिन समुरा कहते हैं कि मैं हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का हाथ पकड़े मदीने के एक रास्ते पर चल रहा था कि अचानक एक सर देखा जो किसी चीज़ पर लटकाया गया था। हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) कहने लगे: इसका क़ातिल बड़ा बदबख़्त है। जब आगे बढ़ गये तो बोले ... मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा बदबख़्त है। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है, फ़रमाते थे: 'जो आदमी मेरी उम्मत के किसी आदमी को क़त्ल करने के लिये चले तो उसे उसी तरह करना चाहिए यानी अपनी गर्दन बढ़ा दे। क़ातिल दोज़ख़ में है और मक़्तूल जन्नत में।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को स़ौरी ने बवास्ता औ़न, अ़ब्दुर्रहमान बिन सुमैर या सुमैरा से रिवायत किया है और लैस़ बिन अबी सुलैम ने बवास्ता औ़न, अ़ब्दुर्रहमान बिन सुमैरा से। इमाम अबू दाऊद कहते हैं मुझे हसन बिन अ़ली ने बयान किया कि अबू वलीद ने ये हदीस़ अबू अ़वाना से रिवायत की और कहा कि मेरी किताब में (रावी का नाम) इब्ने सब्रा दर्ज है जबकि दूसरे रावी सुमैरा और कई सुमैरा कहते हैं और ये कलाम अबू वलीद का है।

(4260) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/96, 2/100.

وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ - يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَقَالَ هُوَ فِي كِتَابِي ابْنُ سَبْرَةَ وَقَالُوا سَمُرَةَ وَقَالُوا سُمَيْرَةَ هَذَا كَلاَمُ أَبِي الْوَلِيدِ .

(4261) सय्यदना अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू ज़र! मैंने जवाब में कहा: मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह के रसूल! हाज़िर हूं। और हदीस़ बयान की। इसमें है: 'तेरा क्या हाल होगा जब लोग मरेंगे और घर एक ग़ुलाम की क़ीमत में मिलेगा?' मुराद है क़ब्र। मैंने अ़र्ज़ किया: अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। या कहा: जो अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिये पसन्द फ़रमायें। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'स़ब्र करना।' फिर मुझसे फ़रमाया: 'तेरा क्या हाल होगा जब ये मक़ाम 'अहज़ारूज़्जैत' ख़ून में डूब जायेगा?' मैंने कहा: जो अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिये पसन्द फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'वहीं चले जाना जहां के तुम हो।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं अपनी तलवार

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ قَالَ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ " . أَوْ قَالَ " تَصْبِرُ " . ثُمَّ قَالَ لِي " يَا أَبَا ذَرٍّ " . قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ " .

قُلْتُ مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ . قَالَ " عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي قَالَ " شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا " . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " تَلْزَمُ بَيْتَكَ " . قُلْتُ فَإِنْ دُخِلَ عَلَىَّ بَيْتِي قَالَ " فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

लेकर अपने कंधे पर न रख लूं? आपने फ़रमाया: 'तब तो तू उन्हीं लोगों में शरीक हो जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: आप मुझे क्या हुक्म फ़रमाते हैं? फ़रमाया: 'अपने घर में पड़े रहना।' मैंने कहा: अगर कोई मेरे घर में घुस आये तो? आपने फ़रमाया: 'अगर तुझे अंदेशा हो कि तलवार की चमक से तुम सहम जाओगे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लेना, वह तुम्हारे और अपने गुनाह समेट लेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में हम्माद बिन ज़ैद के अलावा और किसी ने मुशअ्अस बिन तरीफ़ का ज़िक्र नहीं किया।

(4261) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3958.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي " . قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ " كُونُوا أَحْلاَسَ بُيُوتِكُمْ "

(4262) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे आगे घटा टोप अंधेरी रात की मानिन्द फ़ितने हैं। आदमी इनमें सुबह को मोमिन, शाम को काफ़िर और शाम को मोमिन और सुबह को काफ़िर होगा, बैठा हूआ उनमें खड़े होने वाले की निस्बत बेहतर होगा, और खड़ा हूआ चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा।' सहाबा ने कहा: तो आप हमें क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'तुम अपने घरों के टाट बन जाना।' (यानी उनमें किसी तरह से कोई हिस्सा न लेना।)

(4262) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/408, हदीस: 19896, हाकिम: 4/440, हदीस: 4259 में देखें।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا " .

(4263) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (ؓ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'बिलाशुब्हा इन्तेहाई ख़ूश बख़्त है वह इंसान जो फ़ितनों से बचा रहा। बड़ा ख़ूश बख़्त है वह इंसान जो फ़ितनों से बचा रहा, बड़ा ख़ूश बख़्त है वह इंसान जो फ़ितनों से बचा रहा। और जो उनमें मुब्तला किया गया फिर उसने सब्र किया, तो उसका क्या कहना।'

(4263) तख़रीज : (सनद सहीह) तबरानी: 2/253.

फ़ायदा : इन तमाम हदीसों का ख़ुलासा यही है कि मुसलमानों के दरम्यान आपस में इख़्तिलाफ़ और झगड़ा हो और किसी एक फ़रीक़ का हक़ पर होना वाज़ेह न हो, तो फिर उनमें हिस्सा लेने से बचना बेहतर होगा, यहाँ तक कि क़त्ल हो जाना गवारा कर लेना, किसी को क़त्ल करने से बेहतर होगा।

﴿3﴾ بَابٌ فِي كَفِّ اللِّسَانِ

बाब : 3
(फ़ितनों में) ज़बान को ज़ब्त में रखने का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ أَبِي

(4264) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब फ़ितना होगा बहरा, गूंगा और अंधा। जिसने इसमें झाँका, फ़ितना उसकी तरफ़ माइल होगा। और उसमें ज़बान चलाना ऐसे होगा जैसे कि तलवार चलाना।'

عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ" .

(4264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3968, हदीस: 149 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِي النَّارِ اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الأَعْجَمِ .

(4265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब फ़ितना बरपा होगा जो सब अरबों को हलाक कर डालेगा, उसके मक़्तूल जहन्नम में जायेंगे। इसमें ज़बान से बोलना तलवार चलाने से भी सख़्त होगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस रिवायत को सौरी ने बवास्ता लैस, ताऊस से और उसने आजम से रिवायत किया।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2178, इब्ने माजा, हदीस: 3967, हदीस: 1006 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम 'इन हालात में ज़बान से बोलना ...' उसी सूरत में फ़ितना अंगेज़ी होगी जब कोई किसी की नाहक़ हिमायत या मुख़ालिफ़त करेगा। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर तो किसी दौर में भी मना नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ زِيَادٌ سِيمِينْ كُوشْ .

(4266) मुहम्मद बिन ईसा बिन तब्बाअ़ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल कुद्दूस ने ज़ियाद के तआ़रूफ़ में इसे 'ज़ियाद सीमीन कुश' कहा यानी चाँदी के कानों वाला। (कानों की सफ़ेदी की वजह से ये नाम रखा।)

(4266) तख़रीज : (सनद सही)

﴾4﴿ باب مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْبَدَاوَةِ فِي الْفِتْنَةِ

बाब : 4 फ़ितनों के दिनों में जंगल में निकल जाने की रूख़सत

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ "

(4267) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (﵁) ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब ऐसे होगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल उसकी बकरियाँ होंगी जिनका पीछा करते हुए वह पहाड़ों की चोटियों और बारिश की जगहों में फिरता रहेगा, अपने दीन की हिफ़ाज़त में फ़ितनों से भागना चाहता होगा।'

(4267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 19, मौता: 6/970.

फ़ायदा : जिस बंदे को अपने रब और उसके दीन व शरीयत की हक़ीक़ी मारिफ़त नसीब हो जाये उसके लिये सबसे बड़ा सरमाया उसका दीन बन जाता है और हर दम उसे उसकी हिफ़ाज़त ही का धड़का लगा रहता है। इसी बिना पर ख़ालिस़ मुसलमान फ़ितनों के दिनों में आबादियों से भाग कर जंगलों और वादियों में पनाह लेगा। और दीन की हिफ़ाज़त बड़ी अ़ज़ीमत (हिम्मत) का काम है, जिसे अल्लाह तौफ़ीक़ दे।

﴿5﴾ باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ، فِي الْفِتْنَةِ

बाब : 5
फ़ितने में लड़ाई ममनूअ (मना) है

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ، - يَعْنِي فِي الْقِتَالِ - فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .

(4268) अहन्फ़ बिन क़ैस कहते हैं: मैं निकलना चाहता था कि (मअरका–ए–जमल में) क़िताल में हिस्सा लूं कि मुझे हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) मिल गये, तो उन्होंने कहा: वापस लौट जाओ मैंने नबी (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: 'जब दो मुसलमान तलवारें लेकर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क़ातिल और मक़्तूल (दोनों) जहन्नमी बन जाते हैं।' कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो क़ातिल हूआ मगर मक़्तूल का क्या क़ुसूर हूआ? आपने फ़रमाया: 'उसने भी अपने साथी को क़त्ल करने का इरादा कर रखा था।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 31, व मुस्लिम: 2888.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब मामला कोई वाज़ेह और सरीह न हो और दोनों जानिब हक़ का एक पहलू मौजूद हो तो ऐसी सूरत में अलग थलग रहना मुफ़ीद तर होता है। **(2)** अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब दो शख़्स बर सरे पैकार हों मामले और नीयतों में वाज़ेह फ़र्क़ न हो तो मक़्तूल भी क़ातिल की तरह कहा गया है, ये अलग बात है कि एक का दाव चल गया और दूसरा घायल हो गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لِمُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ الْمُتَوَكِّلِ - أَخٌ

(4269) अय्यूब ने हसन से अपनी सनद से बिल इख़्तिसार ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: मुहम्मद बिन मुतवक्किल का एक और भाई था हुसैन, लेकिन वह ज़ईफ़ है।

(4269) तख़रीज : तालीक़े बुख़ारी, हदीस़: 7083, व मुस्लिम: 2888.

ضَعِيفٌ يُقَالُ لَهُ الْحُسَيْنُ .

बाब : 6
किसी मोमिन को क़त्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है

﴿6﴾
بَابٌ فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

(4270) ख़ालिद बिन दिहक़ान ने बयान किया कि हम लोग ग़ज़्व–ए–क़ुस्तुनतुनिया में ज़ुलुक्या मक़ाम पर थे कि अहले फ़िलस्तीन का एक बड़ा रईस आया जिसे वह लोग पहचानते थे और उसका नाम हानी बिन कुलसूम बिन शरीक किनानी था। उसने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी ज़करिया को सलाम कहा और वह उनका मक़ाम व मर्तबा पहचानता था। ख़ालिद ने बयान किया: फिर हमें अ़ब्दुल्लाह बिन अबू ज़करिया ने हदीस़ बयान की, कहा: मैंने उम्मुद्दरदा से सुना वह कहती थीं कि मैंने हज़रत अबूद्दर्दा (ﷺ) से सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'हर गुनाह उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ़ फ़रमा देगा, मगर वह जो शिर्क की हालत में मर गया या जिसने जान बूझ कर किसी मोमिन को क़त्ल किया हो।' तो हानी बिन कुलस़ूम ने कहा: मैंने महमूद बिन रबीअ़ से सुना, वह हज़रत उ़बादा बिन स़ामित (ﷺ) से रिवायत करते थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, आपने फ़रमाया: 'जिसने किसी मोमिन को

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِهْقَانَ، قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ - مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَخِيَارِهِمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومِ بْنِ شَرِيكٍ الْكِنَانِيُّ - فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ قَالَ لَنَا خَالِدٌ فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " . فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ

سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " . قَالَ لَنَا خَالِدٌ ثُمَّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ " . وَحَدَّثَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءً .

क़त्ल किया और बिलावजह ज़ुल्म से क़त्ल किया तो अल्लाह उसका कोई अमल क़बूल नहीं करेगा नफ़ल न फ़र्ज़।' ख़ालिद ने हमें कहा: फिर इब्ने अबू ज़करिया ने मुझे बवास्ता उम्मे दर्दा ... अबूद्दर्दा (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोमिन हमेशा बड़ा हल्का फुल्का और अच्छे आमाल की तौफ़ीक़ में रहता है जब तक कि किसी हराम ख़ून का मुर्तकिब न हो, जब वह उसका मुर्तकिब हो जाता है तो उस तौफ़ीक़ से महरूम हो जाता है।' और हानी बिन कुलसूम ने बवास्ता महमूद बिन रबीअ हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) से बिल्कुल इसी के मिस्ल रिवायत किया।

(4270) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 51, हाकिम: 4/351.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ قَالَ قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ " اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ " . قَالَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لاَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - يَعْنِي - مِنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا .

(4271) ख़ालिद बिन दिहक़ान ने कहा: मैंने यहया बिन यहया ग़स्सानी से (इअ्तबतबिक़्लिही) का मफ़हूम पूछा तो उन्होंने कहा कि जो लोग फ़ितने में क़िताल करते हैं और एक उनमें से किसी को क़त्ल कर देता है और फिर समझता है कि वह हक़ और हिदायत पर था और उस अमल पर अल्लाह से इस्तेग़फ़ार नहीं करता है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं ... और मज़ीद कहा कि (फ़अ्तबत) का मफ़हूम है कि ख़ून बहाता है ख़ूब बहाना।

(4271) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

(4272) ख़ारिजा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से इस जगह सुना था, वह कहते थे कि सूरह निसा की ये आयते करीमा: (व मय्यक़्तुल मूमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहू जहन्नम खालिदन फ़ीहा) सूरह फ़ुरक़ान की आयत (वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र वला यक़्तुलूनन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि) से छ: माह बाद नाज़िल हुई है।

(4272) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4013.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فِي هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ .

(4273) सईद बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से सवाल किया तो उन्होंने कहा, जब सूरह फ़ुरक़ान की आयत (वल्लज़ीना ला यद्ऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र वला यक़्तुलूनन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि) नाज़िल हुई तो मक्का के मुश्रिकीन ने कहा: (अब हमारे ईमान लाने का क्या फ़ायदा) हमने नाहक़ जानें क़त्ल की हैं, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को पुकारा है और बदकारियों का इरतेकाब भी किया है ... तब अल्लाह ने ये इरशाद नाज़िल किया : (इल्ला मन ताबा व आमना व अ़मिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन) ये आयतें उन्हीं मुश्रिकीन के हक़ में हैं। (हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) ने) कहा: लेकिन सूरह निसा की आयत: (व मय्यक़्तुल

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ { إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ } فَهَذِهِ لأُولَئِكَ قَالَ وَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ { وَمَنْ يَقْتُلْ

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ] الآيَةُ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ لاَ تَوْبَةَ لَهُ . فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ .

मूमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहू जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा) 'ऐसे (मुसलमान) शख़्स के लिये है जो इस्लामी अहकाम जानता है फिर किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल करता है तो उसकी सज़ा जहन्नम है और उसकी तौबा भी क़बूल नहीं ...' सईद ने कहा मैंने (हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की) इस बात का मुजाहिद से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा: मगर जो शख़्स नादिम हो जाये। (तो उसकी तौबा क़बूल होगी। इन्शाअल्लाह)

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3855, व मुस्लिम: 3023.

फ़ायदा : ऊपर दी गई पहली हदीस में वारिद आयते निसा के मानी हैं: 'और जो शख़्स किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नम है वह उसमें हमेशा रहेगा ...' और सूरह फ़ुरक़ान की आयत: 68 का तर्जुमा है: 'और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और किसी जान को क़त्ल नहीं करते जिसका क़त्ल अल्लाह ने हराम कर दिया हो मगर हक़ के साथ' और आयत 70 के मानी हैं: 'मगर जो तौबा कर ले, ईमान लाये और अ़मले सालेह इख़्तियार करे तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह तआला नेकियों से बदल देता है।'

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي { الَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } أَهْلُ الشِّرْكِ قَالَ وَنَزَلَ { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ } .

(4274) सईद बिन ज़ुबैर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से सूरह अलफ़ुरक़ान की आयत: (वल्लज़ीना ला यद्ऊन मअल्लाहि इलाहन आख़र वला यक़्तुलूनन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि) की तफ़्सीर में बयान किया कि ये मुश्रिकीन के बारे में है, नीज़ ये भी नाज़िल हूआ: (या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ूअला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाहि) 'ऐ मेरे बंदो! जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4810, व मुस्लिम: 122.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ

(4275) सईद बिन जुबैर हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि सूरह निसा की आयत: (व मय्यक़्तुल मूमिनन मुतअम्मिदन) (अन्निसा: 93) 'और जो कोई किसी मोमिन को जानबूझ कर क़त्ल करे।' को किसी आयत ने मन्सूख़ नहीं किया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4763.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، فِي قَوْلِهِ { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } قَالَ هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ .

(4276) जनाब अबू मिज्लज़ से मरवी है कि (व मय्यक़्तुल मूमिनन मुतअम्मिदन) (अन्निसा: 93) 'जानबूझ कर क़त्ल करने वाले की सज़ा यही है कि हमेशा जहन्नम में रहे।' और अगर अल्लाह उसे माफ़ करना चाहे तो कर सकता है।

(4276) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 8/16.

फ़ायदा : जानबुझ कर क़त्ल करने वाले के बारे में वारिद शुदा आयात व अहादीस़ की रोशनी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) और कई उलमा कहते हैं कि उसकी तौबा क़बूल नहीं और वह हमेशा जहन्नम में रहेगा। ताहम सूरह अलफ़ुरक़ान और दीगर आयाते तौबा आम हैं, इसलिए ये आदमी भी अगर इख़्लास़ से तौबा करे तो क़बूलियत की उम्मीद है और पहली बात, तब है जब वह बग़ैर तौबा के मर जाये और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने माफ़ न फ़रमाया तो। और 'ख़ुलूद' से मुराद यहां 'लम्बी मुद्दत' है, हमेशा हमेशा नहीं। क्योंकि ये सज़ा स़िर्फ़ मुश्रिकीन और काफ़िरों के लिये मख़्सूस़ है। इरशादे बारी तआ़ला है: 'अल्लाह तआ़ला इस बात को माफ़ नहीं फ़रमाता कि उसके साथ शरीक ठहराया जाये, और उसके अ़लावा माफ़ कर देगा, जिसके लिये चाहेगा।' (अन निसा: 48) और स़ही हदीस़ है कि एक इस्राईली ने सौ आदमी क़त्ल कर दिये। तो एक आ़लिम ने कहा: कौन है जो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरम्यान हाइल हो सके ... (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 3470, व मुस्लिम) अलग़र्ज़ उसे माफ़ कर दिया गया। जुम्हूर सल्फ़ क़बूलियते तौबा के क़ाइल हैं।

बाब : 7
(फ़ितने में) क़त्ल हो जाने पर मग़फ़िरत की उम्मीद है

﴿7﴾

باب مَا يُرْجَى فِي الْقَتْلِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ أَدْرَكَتْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَلاَّ إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلُ " . قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قُتِلُوا .

(4277) हज़रत सईद बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि हम नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे कि आपने फ़ितने के होने का ज़िक्र फ़रमाया और इसकी हैबतनाकी (डरावा) बयान की। हमने अर्ज़ किया या लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर ये हमें पहुँच गया तो हलाक कर डालेगा। आपने फ़रमाया: 'हरगिज़ नहीं। इसमें तुम्हें क़त्ल हो जाना ही काफ़ी होगा।' सईद कहते हैं: फिर मैंने अपने भाईयों को देखा कि क़त्ल हो गये।

(4277) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/407.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ " .

(4278) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी इस उम्मत पर अल्लाह की रहमत है, आख़िरत में इस पर अज़ाब नहीं, इसका अज़ाब दुनिया में फ़ितनों, ज़लज़लों और क़त्ल की सूरत में है।'

(4278) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/410, हाकिम: 4/444.

फ़ायदा : आख़िरत में इस उम्मत के अहले ईमान के लिये हमेशा के लिये अज़ाब नहीं है। इनके लिये दुनिया में पेश आने वाली इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई आज़माइशें आख़िरत के अज़ाब से कफ़्फ़ारा बन जायेंगी। इन्शाअल्लाह!

كتاب المهدى

महदी का बयान

फ़ायदा : (महदी) हदा यहदी से इस्मे मफ़ऊल का सेग़ा है, यानी वह शख़्स जिसे अल्लाह तआला ने हक़ की रहनुमाई फ़रमाई हो। और इसी मानी में है वह मुबारक शख़्सीयत जिसकी आमद की रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खूशख़बरी दी है। चारों ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन को ख़ुल्फ़ा–ए–महदिय्यीन का लक़ब भी दिया गया है और मानवी लिहाज़ से हर वह शख़्स महदी है जो उनकी सीरत का पैरोकार हो। (अन्निहाया)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ " . فَسَمِعْتُ كَلاَمًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَفْهَمْهُ قُلْتُ لأَبِي مَا يَقُولُ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ " .

(4279) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'ये दीन क़ायम रहेगा यहाँ तक कि उस पर बारह ख़लीफ़े आयेंगे और उन सब पर उम्मत मुत्तफ़िक़ होगी। फिर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई बात सुनी मगर मैं उसे समझ न सका तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि आपने क्या फ़रमाया है? तो उन्होंने बताया: 'वह सब क़ुरैश में से होंगे।'

(4279) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/519, 520.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً " . قَالَ فَكَبَّرَ

(4280) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضی اللہ عنہ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'ये दीन बारह ख़लीफ़ों तक मुअज़्ज़ज़ और ग़ालिब रहेगा।' चुनांचे लोगों ने अल्लाहु अकबर कहा और आवाज़ बलन्द की। फिर आपने आहिस्ता से एक बात कही। तो मैंने अपने वालिद से पूछा: अब्बा जान!

النَّاسُ وَضَجُّوا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لأَبِي يَا أَبَةِ مَا قَالَ قَالَ " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

आपने क्या फ़रमाया है? तो उन्होंने बताया: 'वह सब क़ुरैश में से होंगे।'

(4280) तख़रीज : मुस्लिम: 1821.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ ".

(4281) अस्वद बिन सईद हमदानी ने हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से ये ऊपर दी गई हदीस़ बयान की ... इसमें मज़ीद है कि जब आप अपने घर वापस आये तो क़ुरैशी लोग आपके पास आये और पूछा कि फिर क्या होगा? आपने फ़रमाया: 'क़त्ल व ग़ारत।'

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/92.

तौज़ीह : इस रिवायत के स़ही बुख़ारी किताबुल अहकाम में अल्फ़ाज़ ये हैं: 'ये मामला ख़त्म नहीं होगा।' (स़ही मुस्लिम, किताबुल इमारत), और एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं : 'लोगों का मामला जारी सारी रहेगा।' और एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: 'इस्लाम ग़ालिब रहेगा।' (हदीस़: 1821), तबरानी की रिवायत है: 'मेरी उम्मत का मामला स़ालेह और उ़म्दा रहेगा।' (हदीस़: 2/215) इस मज़मून की रिवायात में इज्माल है। इसकी हक़ीक़ी ताबीर अल्लाह ही बेहतर जानता है, ताहम उ़लमा–ए–मोहद्दिस़ीन ने मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में इसकी तौजीह बयान की है, फ़तहुलबारी, किताबुल अहकाम में ये बहस़ देखी जा सकती है। एक तौजीह ये की गई है कि इसमें दो एहतमाल हैं, एक एहतमाल है कि ये ख़ुल्फ़ा, आप (ﷺ) के मुत्तस़िल बाद होंगे। दूसरा ये है कि ये क़यामत तक की मुद्दत में आयेंगे और ये ख़ास़ ख़ुल्फ़ा होंगे जिन पर लोगों का इत्तेफ़ाक़ होगा और इस्लाम भी कामिल तौर पर नाफ़िज़ होकर अपनी बरकात ज़ाहिर करेगा। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) का रूजहान ये है कि ये ख़ुल्फ़ा, आप (ﷺ) के मुत्तस़िल बाद हैं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से लेकर उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) (101 हिजरी) तक कुल चौदह ख़ुल्फ़ा हूए हैं। इनमें से मुआविया बिन यज़ीद और मरवान बिन हकम की विलायत न स़ही थी और न लम्बी मुद्दत तक। हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के बाद हालात बहुत ज़्यादा बदल गये और उन पर ख़ैरूल क़ुरून में से पहली क़र्न (स़दी) भी ख़त्म हो गई। उस दौर में हज़रत हसन बिन अ़ली (ﷺ) और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) के दौर पर ऐतराज़ आता है कि उन पर इत्तेफ़ाक़ न था, अगरचे उनकी विलायत बर हक़ है मगर सय्यदना हसन छः माह बाद ही ख़िलाफ़त से दस्त बरदार हो गये थे। और जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर शहीद कर दिये गये तो मामला दूसरे फ़रीक़ पर इकट्ठा हो गया। तो बाक़ियों के मुक़ाबला में ये मुद्दत मामूली और ग़ैर मोतबर है लेकिन इस्लाम मज्मूई तौर पर ग़ालिब, अ़ज़ीज़ और उम्मत का मामला स़ालेह रहा। यहां एक इश्काल और सामने

आता है कि नबी (ﷺ) ने एक और हदीस़ में फ़रमाया है कि ख़िलाफ़त 30 साल तक रहेगी, ये बात बज़ाहिर ज़ेरे बहस़ हदीस़ के ख़िलाफ़ है और लोग भी इससे इस्तेदलाल करते हूए ये दावा करते हैं कि 30 साल के बाद की ख़िलाफ़तें स़ही नहीं हैं या वह बादशाहतें हैं लेकिन ये बात स़ही नहीं। न ये दोनों हदीसें बाहम मुतआ़रिज़ हैं और न मज़कूरा दावा ही स़ही है। हदीस़ में जो अल्फ़ाज़ आते हैं, वह ये हैं: 'ख़िलाफ़ते नबूवत 30 साल रहेगी, फिर ये बादशाही अल्लाह तआ़ला जिसको चाहेगा दे देगा।' (सुनन अबू दाऊद, हदीस़: 4646) इसका मतलब है कि ख़िलाफ़त नबी (ﷺ) के तरीके पर 30 साल तक रहेगी, लेकिन बाद में क़ायम होने वाली ख़िलाफ़तों में मिन्हाजे नबूवत से कुछ इन्हेराफ़ आ जायेगा, वरना ख़िलाफ़त भी रहेगी और इस्लाम भी क़ायम व ग़ालिब रहेगा और ऐसा ही हूआ। (इसकी मज़ीद तफ़्सील आगे हदीस़: 4646 के फ़वाइद में मुलाहिजा फ़रमायें।)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ " . قَالَ زَائِدَةُ فِي حَدِيثِهِ " لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا " حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي " . أَوْ " مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي " . زَادَ فِي حَدِيثِ فِطْرٍ " يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا " . وَقَالَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ " لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ

(4282) सय्यदना अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर दुनिया (के फ़ना होने) में एक दिन भी बाक़ी हूआ ... ज़ायदा बिन क़ुदामा ने अपनी रिवायत में कहा ... अल्लाह उस दिन को लम्बा कर देगा ... फिर सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं ... यहाँ तक कि अललाह उसमें एक आदमी को उठायेगा जो मुझसे होगा या मेरे अहले बैत में से होगा, उसका नाम मेरे नाम और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा।'

फ़ित्र बिन ख़लीफ़ा की रिवायत में मज़ीद है: 'वह ज़मीन को अ़दल व इन्साफ़ से भर देगा जैसे कि ज़ुल्म व ज़्यादती से भरी हूई होगी।'

सुफ़ियान स़ौरी की रिवायत में कहा: 'ये दुनिया उस वक़्त तक फ़ना नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अ़रब पर हाकिम न बन जाये। उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक़ होगा।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: उ़मर (बिन उ़बैद) और अबूबक्र (बिन अ़याश) के अल्फ़ाज़ सुफ़ियान की

تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ .

रिवायत के हम मानी हैं, लेकिन अबूबक्र ने ह्अलअरब' का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया।

(4282) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2230.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله تعالى عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا " .

(4283) सय्यदना अली (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर इस ज़माने से एक दिन भी बाक़ी हूआ तो अल्लाह तआला मेरे अहले बैत से एक आदमी को उठायेगा जो उसे अदल से भर देगा जैसे कि ज़ुल्म से भरी होगी।'

(4283) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/99.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ بَيَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُثْنِي عَلَى عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلاَحًا .

(4284) सय्यदना उम्मे सलमा (ﷺ) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है 'महदी मेरी इत्रा यानी फ़ातिमा (ﷺ) की औलाद से होगा।'

जनाब अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने कहा कि मैंने अबू मलीह से सुना वह अली बिन नुफ़ैल (जो सईद बिन मुसय्यब के शागिर्द हैं) की मदह करते थे कि वह भले आदमी थे।

(4284) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 4086.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(4285) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महदी मुझसे (मेरी नस्ल से) होगा उसकी पेशानी फ़राख़ और नाक बलन्द होगी, ज़मीन

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ".

को अदल व इन्साफ़ से भर देगा जैसे कि ज़ुल्म व ज़्यादती से भरी होगी और सात साल तक हुकूमत करेगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 4/557.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كَلْبٍ فَيَقْسِمُ الْمَالَ

(4286) सय्यदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन(ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक ख़लीफ़ा की मौत पर इख़्तिलाफ़ होगा, फिर अहले मदीना से एक आदमी भागता हूआ मक्का पहुँचेगा। अहले मक्का उसके पास आयेंगे और उसे इमामत के लिये खड़ा करेंगे हालांकि वह इस अमल को नापसन्द करता होगा और वह उसके साथ हजरे अस्वद और मक़ामे इब्राहीम के दरम्यान बैत करेंगे। फिर शाम वालों की तरफ़ से उसके ख़िलाफ़ एक लश्कर भेजा जायेगा जो मक्का और मदीना के दरम्यान बैदा मक़ाम पर ज़मीन में धंसा दिया जायेगा। लोग जब ये हाल देखेंगे तो शाम के अब्दाल (स़ालेहीन) और अहले इराक़ की जमाअतें उसके पास आयेंगी और उसके साथ बैत करेंगी। फिर क़ुरैश में से एक आदमी उठेगा जिसका ननिहाल बनू कल्ब में होगा, फिर वह (क़ुरैशी कल्बी) इन (महदी की बैत करने वालों) के मुक़ाबले में एक लश्कर भेजेगा तो वह महदी वाले उन पर ग़ालिब आ जायेंगे। चुनांचे बनू कल्ब का यही लश्कर होगा (जो मग़लूब होगा) और ख़सारा होगा उसके लिये जो कल्ब की

وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيُلْقِي الإِسْلاَمُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ " تِسْعَ سِنِينَ " . وَقَالَ بَعْضُهُمْ " سَبْعَ سِنِينَ " .

ग़नीमत में हाज़िर न होगा। महदी माल तक़सीम करेगा और लोगों में उनके नबी (ﷺ) की सुन्नत नाफ़िज़ करेगा और इस्लाम अपनी गर्दन ज़मीन पर टिका देगा। और फिर वह सात साल तक रहेगा। इसके बाद उसकी वफ़ात हो जायेगी और मुसलमान उसका जनाज़ा पढ़ेंगे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: कुछ रावियों ने हिशाम से 'नो साल' रिवायत किये हैं और कुछ ने सात साल।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/316.

फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस़ में से कुछ स़ही हैं (जैसे हदीस़: 4284 है और कुछ की सेहत व ज़ुअफ़ में इख़्तिलाफ़ है, जैसे 4285 है। और कुछ ज़ईफ़ हैं, जैसे 4286 है) इन अहादीस़ में इमाम महदी की आमद की पेशगोई की गई है और उनकी कुछ सिफ़ात का भी बयान है। इमाम महदी के बारे में लोग बिलउमूम इफ़रात तफ़रीत का शिकार हैं। जिसकी वजह से कई लोगों ने तो उनकी शख़्सीयत और आमद ही का इंकार कर दिया है और कई तबअ अज़मा क़िस्म के लोगों ने अपनी अपनी बाबत महदी होने का दावा किया है। ये दोनों ही बातें ग़लत हैं। इमाम महदी, हज़रत ईसा अलैहि. के नुज़ूले आसमानी के वक़्त, ज़हूर पज़ीर हो चुके होंगे। और ये रिवायात मअनवी तौर पर हद्दे तवातुर को पहुँची हूई हैं। इसलिए इनका इंकार गुमराही है और इनमें से स़ही अहादीस़ पर ईमान रखना ज़रूरी है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ " تِسْعَ سِنِينَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ مُعَاذٍ عَنْ هِشَامٍ " تِسْعَ سِنِينَ " .

(4287) क़तादा ने ये हदीस़ रिवायत की और 'नो साल' मुद्दत बताई।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुआज़ के अलावा दीगर रावी हिशाम से नो साल रिवायत करते हैं।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي

(4288) अब्दुल्लाह बिन हारिस़ ने सय्यदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन (ﷺ) से ये हदीस़ रिवायत की है ... और मुआज़ की हदीस़ (4286) कामिल है।

الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعَاذٍ أَتَمُّ .

(4288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ جَيْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا قَالَ " يُخْسَفُ بِهِمْ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ " .

(4289) सय्यदा उम्मे सलमा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से ज़मीन में धंसा दिये जाने वाले लश्कर का क़िस्सा बयान किया ... उसमें है कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस आदमी का क्या हाल होगा जिसे मजबूरन उनके साथ निकलना पड़ा होगा? आपने फ़रमाया: 'वह ज़मीन में धंसा तो दिया जायेगा मगर क़यामत के दिन अपनी नियत के मुताबिक़ उठाया जायेगा।'

(4289) तख़रीज : मुस्लिम: 2882.

फ़ायदा : (1) अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब जब उ़मूमी अन्दाज़ में आता है तो सब को अपनी लपेट में ले लेता है, अलबत्ता अम्बिया व रूसूल (ﷺ) और उनके इत्तिबा करने वाले का मामला बतौर मोजिजा इस उ़मूम से मुस्तस़्ना (अलग) है। **(2)** इज़्तेरार व इकराह यानी इंसान को किसी नापसन्दीदा अ़मल पर इन्तेहाई मजबूर कर दिया जाना ... शरीयत में एक मोतबर अ़ज्र है जिसका फ़ायदा अगर दुनिया में हासिल न हो सके तो इन्शाअल्लाह क़यामत को ज़रूर मिलेगा। **(3)** और आ़माल का दारोमदार नियतों पर है।

الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - وَنَظَرَ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(4290) (1) सय्यदना अ़ली (ﷺ) ने बयान किया ... और इस बीच में उन्होंने अपने स़ाहबज़ादे हज़रत हसन (ﷺ) की तरफ़ देखा ... फ़रमाया कि मेरा ये फ़रज़न्द सय्यद (और सरदार) है जैसे कि इसके मुताल्लिक़ नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है ... और इसकी नसल से एक आदमी होगा जो तुम्हारे नबी (ﷺ) का हम नाम होगा, वह अख़्लाक़ में उन्ही के

وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْخُلُقِ وَلاَ يُشْبِهُهُ فِي الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً .

मुशाबा होगा मगर शक्ल में मुशाबा नहीं होगा। फिर क़िस्सा बयान किया कि ... वह ज़मीन को अदल से भर देगा।

(4290) (1) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ " . أَوْ قَالَ " إِجَابَتُهُ " .

(4290) (2) सय्यदना अली (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वराउन्नहर' से एक आदमी निकलेगा जिसे हारिस बिन हर्रास कहा जाता होगा। उसके आगे एक शख़्स होगा जिसे मनसूर बोलते होंगे, वह आले मुहम्मद को मक़ाम देगा जैसे कि क़ुरैश ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जगह दी थी। हर मुसलमान पर उसकी नुसरत या फ़रमाया उसकी बात को क़बूल करना वाजिब होगा।'

(4290) (2) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)